(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] दसवीं विधान सभा के सातवें सत्र का तेरहवां दिवस [संख्या : 8

मंगलवार,

9 जुलाई, 1996

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या : 217

श्री अध्यक्ष : हरिनारायण जी बैरवा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें।)

श्री हरजीरामजी बुरडक । (व्यवधान) अब जीरो आवर की पर्चियां नहीं लेंगे।

एक माननीय सदस्य : ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं। आप आओ पहले चैम्बर में। श्री हरजीराम बुरडक।

सहकारी संस्थाओं के लेखों का अंकेक्षण

218. **श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पंजीयक, सहकारी समितियां, राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 1996 को सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से कराने का आदेश जारी किया गया था ? यदि हां, तो क्यों तथा इसकी क्या आवश्यकता थी और यह निर्णय किस स्तर पर लिया गया ? इस सम्बन्ध में अब तक जारी आदेशों की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त आदेश के तहत अब तक किस-किस संस्था का अंकेक्षण करने का कार्य किस-किस चार्टर्ड अकाउंटेंट को सौंपा गया और उसको कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विभागीय अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण करने पर फीस के रूप में सरकार को आय हो रही है ? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण फीस के रूप में सरकार को कितनी आय हुई ? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री सुजान सिंह यादव) : (1) रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर द्वारा आदेश क्र.फा. 8 (45) सविरा/आडिट/जनरल मीटिंग/95 पार्ट -2 , दिनांक 20.2.1996 से राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 68 व राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 के नियम 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में सहकारी समितियों को अधिक स्वायत्ता प्रदान करने एवं सहकारिता के अंकेक्षण कार्य में सुधार लाने की दृष्टि से एवं गुणवत्ता में वृद्धि करने के उद्देश्य से नवीन अंकेक्षण नीति के निर्देश जारी किये गये जिसमें कुछ

(२)

(श्री सुजान सिंह यादव)

सहकारी समितियों का वार्षिक अंकेक्षण प्रमाणित अंकेक्षकों से भी कराये जाने के निर्देश हैं। आदेश दिनांक 20.2.1996 की प्रति परिशिष्ट-एक पर संलग्न कर दी गयी है। इस नवीन अंकेक्षण नीति के दिशा-निर्देशों को जारी करने से पूर्व राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त की गयी थी।

(2) उपरोक्त आदेशों के तहत संस्थावार नियुक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट के नाम व देय आडिट शुल्क की सूचना परिशिष्ट -दो पर संलग्न है। इन मामलों में आडिट शुल्क का भुगतान राज्य सरकार द्वारा न किया जाकर सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा विभागीय स्वीकृति पश्चात् सीधे ही सम्बन्धित चार्टर्ड एकाउंटेंट को जारी किया जायेगा। देय आडिट शुल्क व भुगतान सम्बन्धी नियमावली विभागीय परिपत्र क्रमांक प. 15 (11) सविरा/आडिट/ सीए/94, दिनांक 1.4.1995 से प्रसारित किये गये हैं जिसकी प्रति परिशिष्ट-तीन पर संलग्न कर दी गयी है।

(3) जी हां। यह सही है कि विभागीय अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षण करने पर सहकारी संस्थाओं द्वारा फीस की राशि राज्य कोष में जमा करायी जाती है। गत तीन वर्षों में प्राप्त आडिट फीस का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

क्र. सं.	वर्ष	प्राप्त आडिट फीस
1.	1995-96	149.54 लाख रुपये
2.	1994-95	141.04 लाख रुपये
3.	1993-94	124.80 लाख रुपये

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया है।)

श्री हरीकिशन बुडक : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने उत्तर के भाग-एक में कहा है कि सहकारी संस्था नियम, 1966 के नियम 71 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार इन्होंने यह आदेश जारी किया है। मैं पहली बात तो यह जानना चाहूंगा कि 1966 के नियम आज तक जो मंत्री थे उनको नहीं पढ़ाये गये और आपको ही कैसे पढ़ाये गये?

दूसरा, आप भी इस नवीन नीति के चक्कर में आ गये। अंकेक्षण की भी आपने नवीन नीति बना दी और नवीन नीति यह है कि जिन लोगों के खिलाफ धारा 74 की कार्यवाही चल रही थी या आगे होने की संभावना थी, जो बड़े-बड़े अधिकारी प्रशासक या एम. डी. के पदों पर बैठे हैं, उन्होंने अपनी उस धारा 74 से पीछा छुड़ाने के लिये आपको यह धारा और नियम पढ़ाकर यह आदेश जारी करवाया है। जैसा कि आपने बताया इनकी आडिट फीस राज्य सरकार नहीं देती, संस्था देती है। अब चाहे क्रय-विक्रय संघ देवो, चाहे राज्य सरकार देवो या कोआपरेटिव बैंक देवो, उसमें सारी पूंजी राज्य सरकार की लगी हुई है। अब आप इस बात को इस प्रकार टाल करके यह गलत आदेश जो जारी किया है, इसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं।

आपने भाग- तीन में राज्य सरकार को आडिट फीस मिल रही की सूचना दी है। उसमें आप देखिए उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। 1993-94 में जहां 124.80 लाख रुपये मिले थे वहां 1995-96 में 149.54 लाख रुपये आपको मिले और आपने सिर्फ वही आंकड़े दिये हैं जो इस वर्ष में आडिट फीस जमा हो गयी है। अभी बहुत-सी सहकारी संस्थाओं में

(श्री हरखीराम बुरड़क)

आडिट फीस बढ़ाया भी है जो आगे जाकर आपको मिलेगी।

इस सारे आदेश का मतलब एक ही है कि जिन आई.एएस. अधिकारियों के खिलाफ आडिटर धारा 74 की कार्यवाही करते थे उससे बचने के लिये आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को लगाया। आप यह भी देखिये कि जिस चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप 25 हजार रुपये देकर आडिट करवायेंगे वह क्या आपके खिलाफ धारा 74 का प्रस्ताव करेंगे ? यह भी आप बताइये कि आपने जो आडिट करवाया चार्टर्ड अकाउंटेंट से, उनसे धारा 74 के कितने प्रस्ताव आये और उनमें क्या कार्यवाही हुई ? आगे जाकर आपने एक कमेटी बनाकर धारा 74 का मतलब ही खतम कर दिया। जिन प्राइवेट व्यक्तियों पर धारा 74 की कार्यवाही चल रही है, वह तो चल ही रही है लेकिन अधिकारियों के खिलाफ जो भी कार्यवाही चल रही थी वह सारी की सारी समाप्त कर दी। आपके रजिस्ट्रार के खिलाफ पांच लाख रुपये की कार्यवाही चल रही थी उसका क्या हुआ ? आपने इस सारे सहकारी विभाग का सत्यानाश करने के लिये यह आर्डर जारी किया है। (व्यवधान) जिस रजिस्ट्रार के खिलाफ धारा 74 की कार्यवाही पांच लाख रुपये की हेरा-फेरी की कार्यवाही चल रही हो, उसी रजिस्ट्रार की अध्यक्षता में आपने कमेटी बनाकर उसको खतम कर दिया। दूसरा, आपने यह जो चीफ अकाउंटेंट्स आफिसर (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बुरड़क जी, अब उत्तर आने दें।

श्री सुजान सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के मस्तिष्क में जो सन्देह है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पूरा करने दें।

श्री सुजान सिंह यादव : इसमें कोई सत्यता नहीं है। मैं साबित करूंगा इस बात को कि पहले हमारे विभाग की लगभग 20 लाख संस्थाएं कोआपरेटिव सोसायटीज हैं, पिछले साल जब भी विधान सभा का सत्र चला, तब यही कहा कि सरकारीकरण हो रहा है विभाग का। इस बात से मैं भी व्यथित था, (व्यवधान) मेरी बात सुन लीजिये। माननीय सदस्य भी व्यथित थे। पिछले साल हमने अक्टूबर में एक आदेश पारित किया कि अधिनियम, 1965 की धारा 139 में यह कहा कि हमने बहुत-सी संस्थाओं को या सोसायटीज को स्वतन्त्र कर दिया। अब स्वतन्त्र करने के बाद इस तरह से हमारे पास 14 हजार के करीब सोसायटीज रह जाती हैं। शुरू से ही हमारे पास आडिट स्टाफ की कमी थी। हमने रिक्वीजिशन भी भेजा पर पब्लिक सर्विस कमीशन से उनका चयन नहीं हो पाया। कई-कई विभागों में इससे तीन-तीन साल तक आडिट नहीं हो पाते थे और गबन-घोटाले तीन-तीन, चार-चार साल के बाद हमको मालूम पड़ते थे तो हमने इस बात की व्यवस्थाएं कीं और तीन कैटेगरी हमने बनायीं। एक कैटेगरी में शीर्ष संस्थाएं और प्रोसेसिंग संस्थाएं और दूसरी कैटेगरी में आती हैं पेक्स, लेम्प्स क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, सहकारी उपभोक्ता होल सेल भण्डार, केन्द्रीय सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी बैंक और जिला उत्पादक सहकारी

(श्री सुजान सिंह यादव)

संघ। क्रय विक्रय निर्माण सहकारी समितियां व नागरिक सहकारी बैंक। यह जितनी भी संस्थाएं हैं इन संस्थाओं का आडिट विभाग के निरीक्षक करते हैं। तीसरी तरह की संस्थाएं वे हैं जिनमें राज्य सरकार का कोई विनियोजन नहीं हो, राज्य सरकार का कोई हिस्सा नहीं हो। उनमें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रमाणित आडिटर से उनका आडिट करवाते हैं।

इस आधार पर हमने यह व्यवस्था की है। पहले ऐसी व्यवस्था थी कि 30 तारीख को चार्टर्ड अकाउंटेंट को हम देते थे कि आप आडिट कीजिये। इसके आधार पर आडिट टाइम पर नहीं होता था और नहीं होने के कारण ही गबन-घोटाले होते थे। अब हमने पूर्ण रूप से इस बात पर तय कर दिया कि इन संस्थाओं के ये लोग आडिट करेंगे और इन संस्थाओं की आडिट यह करेंगे। अब हमारे विभाग में आडिट के नाम पर ऐसी कोई संस्था बकाया नहीं है जिसका आडिट हर साल नहीं होता हो। जब तक किसी संस्था का आडिट सुचारू रूप से नहीं होगा, समय पर नहीं होगा और नियमों के अन्तर्गत आडिट नहीं होगा वह संस्थाएं आगे चल नहीं सकतीं। इसी आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि सहकारिता विभाग ने गति पकड़ी है और जो गबन घोटाले हुए हैं वह कम हुए हैं।

माननीय सदस्य के दिमाग में एक और विशेष बात है। एक आदेश निकालने के बाद कि रजिस्ट्रार को फुल पावर कर दिया है, यह आपकी भ्रांति है। हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं उनको आडिट दे दिया उसके ऊपर हमारा कनेक्टेड आडिटर भी बैठता है। जैसे शीर्ष संस्थाएं हैं तो डे-टू-डे हमारा आडिट होता रहता है। हमने इस बात पर भ्रांति पैदा की कि कहीं संस्था और हमारा जो रेगुलर आडिटर है वह आपस में कहीं मिल तो नहीं गये इस आधार पर हमने वहां चार्टर्ड अकाउंटेंट लगा दिया और वह बैठकर संस्था के बीच में और हमारा कनेक्टेड आडिटर और चार्टर्ड अकाउंटेंट तीनों बैठकर डिसकस करें उस बात पर कोई गलती तो नहीं हो गयी और वह आडिट रिपोर्ट हमारे चीफ आडिटर के पास जायेगी और उसके बाद डिसकस करके हमारे नियमों, उप नियमों के अनुसार चार्टर्ड अकाउंटेंट ने यदि आडिट किया है तो हम उसको प्रकाशित कर देंगे वरना हम दुबारा उसका इन्वेस्टीगेशन भी करवायेंगे और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी करेंगे। इस आधार पर माननीय सदस्य, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रांति कहां रह गयी ? उसमें रजिस्ट्रार कहां बीच में आ गया, रजिस्ट्रार कहीं बीच में नहीं आयेगा। आपको एक भ्रांति है जो आडिटर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं इनसे एक भ्रांति पैदा हुई है। उनका कहना है कि हमारे 482 चार्टर्ड अकाउंटेंट लगे हुए हैं हमारे रोल में तो हम बारी-बारी से, रोटेशन से उनको देते रहते हैं। कोई अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर आया है और अपना नाम एनरोल करा लिया यदि उसको काम नहीं मिलता है तो यह प्रश्न इस आधार पर रखा गया है, पिक एण्ड चूज वाली बात है, यह कहीं रोटेशन से होता है, किसी की मनमानी से नहीं होता है इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य के दिमाग में जो भ्रांति पैदा हुई है उसको दूर करें और इससे विभाग का कार्य अच्छी गति से होगा, टाइम पर आडिट होंगे।

श्री हरजीराम बुरडक : मैं तो भ्रांति आपकी दूर कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर तो आया नहीं है इनको जो बातें पढ़ा दी गयीं वही बातें यहां कह दीं। मेरा स्पेसिफिक सवाल है।

श्री सुजान सिंह यादव : नहीं, नहीं, यह गलत कह रहे हैं, मैं विभाग का मंत्री हूं। यह गलत आरोप है।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें।

श्री हरजीराम बुरडक : मेरे प्रश्न का तो एक भी उत्तर नहीं आया है। आपने गलत कहा है, यह सही है मैं कह रहा हूं।

श्री सुजान सिंह यादव : नहीं यह गलत बात है, आपके दिमाग में भ्रांति है...(व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : मेरे दिमाग में कोई भ्रांति नहीं है। मैं तो स्पष्ट पूछ रहा हूं आप उत्तर दीजिये न।

श्री सुजान सिंह यादव : मैं बता रहा हूं, आपकी गलती क्या है। यह प्रक्रिया तो 1979 से चल रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट की, हमने कोई नयी व्यवस्था नहीं की। आप माननीय सदस्य को यही मालूम नहीं है, यह व्यवस्था 1979 से चल रही है।

श्री हरजीराम बुरडक : मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका आप उत्तर दीजिये भाषण नहीं।

श्री सुजान सिंह यादव : मैं यह कह रहा हूं कि नयी व्यवस्था हमने नहीं की। यह सन् 1979 से व्यवस्था चल रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट की। हमने तो इसमें सुधार किया है, जल्दी आडिट हो जाय इसमें सुधार किया है हमने तो।

श्री अध्यक्ष : विराजें।

श्री हरजीराम बुरडक : आपने सारा सुधार कर दिया लेकिन आप मेरे प्रश्न का तो उत्तर दीजिये। एक सुधार तो आपने यह भी कर दिया कि मुख्य अंकेक्षण के पद पर आपने किसको लगा रखा है ? एक जूनियर अधिकारी को आपने लगा रखा है।

श्री सुजान सिंह यादव : नहीं-नहीं, यह भी गलत है, बिलकुल गलत है।

श्री हरजीराम बुरडक : एक मिनट सुन लीजिये। आप दे देना उत्तर गलत है तो और इसमें इसलिये लगाया गया है कि आपका रजिस्ट्रार आपके जिले में कलेक्टर था, यह आपका अकाउंट आफिसर था ट्रेजरी में इसलिये आपने उसको लाकर बैठा दिया सारे सीनियर आफिसर्स से ऊपर लाकर बैठा दिया और यह सारा घोटाला करने के लिए आपने बैठाया है। दूसरा मेरा...

श्री सुजान सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, इस बात के बीच में मैं आपको जवाब दे रहा हूं, राजस्थान प्रशासनिक सेवा का सुपर टाइम स्केल का आदमी होता है...(व्यवधान) सुपर टाइम स्केल के व्यक्ति को हमने लगाया है...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : बात तो पूरी सुन लो।

श्री हरजीराम बुरडक : सुपर टाइम स्केल का नहीं है यह मैं आपको और बता देता हूं। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको यह कहा था कि जिन चार्टर्ड अकाउंटेंट को आप 25 हजार रुपया देकर उससे आप किसी संस्था का आडिट करवायेंगे, वह क्या धारा 74 की

Page No 6

(6)

(श्री हरजीराम बुरडक)

कार्यवाही प्रस्तावित करेगा ? दूसरा मेरा यह था कि यह चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सिलसिला चला था उसमें पर्सनल नोट यह है कि जिन सहकारी संस्थाओं में सरकार के पैसे नहीं लगे हुए हैं उनको छूट दे दी जाय कि चार्टर्ड अकाउंटेंट से करा लें आपने सारी अपेक्स संस्थाओं को इसमें दे दिया। आप यह भी कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार का इसमें कोई रोल नहीं है तो रजिस्ट्रार तो कई संस्थाओं का प्रशासक है, रोल क्या नहीं है ? तीसरा, रजिस्ट्रार जो प्रशासक है और रजिस्ट्रार ही चार्टर्ड अकाउंटेंट का एपाइन्टमेंट करे और आप कह रहे हैं कि रजिस्ट्रार का कुछ भी रोल नहीं है। इसी रजिस्ट्रार के खिलाफ पांच लाख रुपये का धारा 74 में जो हुआ था उसका क्या हुआ? बताइये आप।

श्री सुजान सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, यह जानकारी मुझे नहीं है (व्यवधान) नहीं है, मुझे जानकारी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें, उत्तर देने में।

श्री सुजान सिंह यादव : मैं स्पष्टतः यह इन्कार कर रहा हूं कि मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस तरह का कोई केस है परन्तु माननीय सदस्य से मैं निवेदन करना चाहता हूं, पहले कह चुका हूँ इस बात के लिये कि चार्टर्ड अकाउंटेंट लगाते हैं और वह भी हमारा प्रोफार्मा है जो हमारे विभाग के अधिकारी आडिट करते हैं उसी के आधार पर हम उनको डायरेक्शन देते हैं कि इन-इन आधारों पर आप आडिट करेंगे, वह आडिट कर देते हैं। तब जो हमारा अकाउंटेंट आडिटर होता है, डे-टू-डे जो हिसाब रखता है संस्थाओं का, शीर्षस्थ संस्थाओं का, उसका भी आडिट होता है डे-टू-डे। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी आडिट होता है इसी नोर्म्स के अनुसार जो हम उनको डायरेक्शन देते हैं –

श्री हरजीराम बुरडक : फिर दूसरी बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न यह नहीं है, आपका प्रश्न यह है कि धारा 74 के अन्तर्गत क्या कार्यवाही होगी ? मुझे कहने दें।

श्री सुजान सिंह यादव : यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है यदि–

श्री हरजीराम बुरडक : तो स्थगित करें क्या ?

श्री सुजान सिंह यादव : यदि ऐसी कोई बात है–

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, स्थगित कराइये इसको। न तो इनको यह जानकारी है कि जो अधिकारी चार्टर्ड अकाउंटेंट एपाइन्ट कर रहे हैं उनके खुद के खिलाफ पांच लाख की धारा 74 की कार्यवाही चल रही है वह ड्राप हो गयी और यह भी जानकारी नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जिन संस्थाओं का आडिट किया है, उन्होंने कितने मामले धारा 74 के अन्तर्गत दर्ज कराये उनमें क्या हुआ और किनके खिलाफ हैं बताइये आप। आपको कोई जानकारी है नहीं–

श्री अध्यक्ष : जानकारी तो सभी हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : सभी हैं तो दीजिये कितने मामले दर्ज हैं ?

Page No 7

(7)

श्री अध्यक्ष : बता रहे हैं वह सारी बात (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मामला जी बता देंगे इनको ही है तो__ (व्यवधान)।

श्री सुजान सिंह यादव : मैंने पहले ही बता दिया इस बात के लिये। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी रिपोर्ट शीर्षस्थ संस्था के जो हमारे अकाउंटेंट आडिटर्स होते हैं, उनको देते हैं। दोनों के बीच डिस्कशन होता है उस डिस्कशन की चीफ आडिटर के पास रिपोर्ट प्रस्तुत होती है उसको हम देखते हैं इसमें कहीं लेकुना तो नहीं रह गया है। अगर कोई रह जाती है तो दुबारा टेस्ट आडिट भी हम करवाते हैं (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न का कोई उत्तर आया क्या ? आपने स्वयं डिसीजन ले लिया इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल नहीं आया है। आप या तो इसको स्थगित करें या पूरा उत्तर दिलवायें।

श्री सुजान सिंह यादव : इसमें कौनसी बात रह गयी, साहब।

श्री हरजीराम बुरडक : बताइये, धारा 74 के अन्तर्गत कितने मामले दर्ज हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट पर।

श्री सुजान सिंह यादव : कोई मामला दर्ज हो तो उसको डिसाइड करते हैं (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : हां, तो इसमें नहीं हुआ। मेरा स्पष्ट आरोप यही था कि धारा 74 की कार्यवाहियों से बचाने के लिए आपने यह चार्टर्ड अकाउंटेंट का किया है और चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराने की राज्य सरकार की पालिसी शुरू में थी , वह यह थी कि जिन संस्थाओं में राज्य सरकार के पैसे नहीं हैं उनके आडिट कराये जायें चार्टर्ड अकाउंटेंट से (व्यवधान) अपेक्स संस्थाओं को दे दिया।

श्री अध्यक्ष : आडिट तो किसी से भी करा सकते हैं। विराजिये (व्यवधान)

श्री सुजान सिंह यादव : विभाग ने गति लाने के लिए हमने काफी सुधार किया है, इस साल हम आडिट (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन जी।

श्री हरजीराम बुरडक : अध्यक्ष महोदय, स्थगित कराइये (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सारी बात आ गयी है। (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : कहां आ गयी ? (व्यवधान)

श्री सुजान सिंह यादव : पहले चार-चार साल तक, तीन-तीन साल तक आडिट नहीं होती थी (व्यवधान)

श्री हरजीराम बुरडक : रजिस्ट्रार के खिलाफ पांच लाख की रिकवरी थी उसका क्या हुआ ? बताइयें आप (व्यवधान) यह क्या व्यवस्था है ?

श्री अध्यक्ष : वह चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी आडिट करा सकते हैं (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : एक सप्लीमेन्ट्री है, साहब।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन जी। अभी काफी प्रश्न आने हैं, विराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक मेरी ही तो सप्लीमेन्ट्री है।

श्री हरजीराम बुरडक : स्थगित करवा दीजिये, साहब।

श्री अध्यक्ष : बाद में और भी जरिये हैं उनसे आप स्पष्टीकरण करा लेना_

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक ही क्वेश्चन है, बस ज्यादा नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि एक तो आपने यह कहा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को आडिट संबंधित संस्था पेमेन्ट करेगी। उसकी इजाजत भी आपसे लेगी, क्यों लेगी ? यह प्रोविजन क्यों रखवाया ? इजाजत आपसे क्यों लेगी ? शेयर मनी आपकी जिस संस्था में नहीं लगी हुई है और वह खुद अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से आडिट करवाना चाहती है आपके आदेश से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को जो वह पेमेन्ट करेगी वह अपने पास से करेगी उसकी इजाजत आपसे क्यों लेगी ? (व्यवधान) आप लम्बा क्यों करना चाहते हैं ?

श्री सुजान सिंह यादव : इसमें दो प्रावधान हैं। यदि कोई संस्था चार्टर्ड अकाउंटेंट से आडिट करवाना नहीं चाहती और यह कहती है कि हमारी स्थिति ऐसी नहीं है तो वहां की प्रबन्धकारिणी यह कह देती है कि हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट से नहीं करवाना चाहते तो हमारे पास भेजती है तो हम विभागीय आडिटर भेज देते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन जी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा सवाल यह नहीं है कि अगर वह खुद (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब बिराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रिक्वेस्ट करती है कि आप आडिटर भेज दें_ तो बात अलग है। (व्यवधान)

श्री भीमसेन चौधरी : प्रश्न संख्या 219.

श्री अध्यक्ष : आप दूसरे तरीके से कह रहे हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : लेकिन अगर वह चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाना चाहती है तो उसको पेमेंट तो करेगी ही। उसके लिए आपकी जरूरत नहीं है। __ (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं।

श्री सुजान सिंह यादव : मैंने आपसे निवेदन किया है कि जो संस्थाएं हमसे अलग होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है।

श्री अध्यक्ष : वह चाहे जिससे करा सकती हैं। बिराजिये आप।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जो बुरडक साहब ने आपसे पूछा था मेरा यह निवेदन है कि_

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जो बुरडक साहब ने आपसे कहा था उसमें मेरा यह निवेदन है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई आडिट पैरा बनाता है तो दफा 74 की कार्यवाही करेंगे क्या ? कोई काम करेंगे क्या ?

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री भीमसेन जी। मैंने दूसरा सवाल पुकार लिया है।

श्री सुजान सिंह यादव : स्वतन्त्र कर दिया उन संस्थाओं को, हमने सब लिबर्टी दे दी।

(श्री सुजान सिंह यादव)

वह आडिट भी अपना करवा सकते हैं, मैम्बरशिप भी अपनी करवा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : यह रोज आता है आपका प्रश्न। चाहे 295 के जरिये आये, चाहे किसी भी जरिये आये।

श्री सुजान सिंह यादव : उनको हमने आजाद कर दिया। वह हमसे सर्टिफिकेट ले रहे हैं। हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन जी चौधरी।

महाजन फायरिंग रेंज के विस्थापितों को आवंटित भूमि का इन्द्राज

219. **श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महाजन फायरिंग रेंज के विस्थापितों को ग्राम छतरगढ़ की राजकीय कृषि भूमि मार्च/ अप्रेल, 1986 में आवंटित की गयी तथा उन्हें मौके पर कब्जा भी दे दिया गया ?

(2) क्या यह सही है कि तत्कालीन उपनिवेशन तहसील द्वारा जमा तैयार करते समय उपरोक्त आबंटियों में से कुछ आबंटियों के नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं किये गये ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि उपरोक्त आबंटित रकबा राजस्व रेकार्ड में आराजी दर्ज है ? यदि हां, तो शेष आबंटियों के नाम नामान्तरण रजिस्टर में दर्ज होते हुए भी जमाबंदी में अंकित क्यों नहीं किये गये ?

राजस्व मंत्री (श्री गंगाराम चौधरी) : (1) जी हां, यह सही है कि माह मार्च/अप्रेल, 1986 में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के 290 विस्थापितों को छतरगढ़ में कृषि भूमि का आवंटन किया गया। उक्त 290 आवंटियों में से 94 व्यक्तियों को मौके पर कब्जा दिया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया था, शेष 196 में से 84 व्यक्तियों को मौके पर कब्जा दिया गया था, परन्तु जमाबंदी में नाम दर्ज नहीं हुए, कब्जा बदस्तूर है। शेष 112 आबंटियों को मौके पर कब्जा नहीं दिया गया।

(2) महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के 196 आवंटियों का उन्हें आवंटित भूमि का राजस्व रिकार्ड में राजस्थान उच्च न्यायालय में स्थगन आदेश होने के कारण नाम अंकित किये जाने शेष हैं।

(3) महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के 290 आबंटियों में से शेष 196 आबंटियों को आबंटित रकबा भी रिकार्ड में आराजीराज अंकित है। राजस्थान उच्च न्यायालय से दिनांक 17.4.86 को स्थगन आ जाने के कारण 196 आबंटियों को आबंटित भूमि का जमाबंदी में नाम अंकित नहीं किये हैं।

श्री भीमसेन चौधरी : अध्यक्ष महोदय, 290 विस्थापितों को भू-दान की भूमि आवंटित की गयी सरकार के द्वारा और उन 290 आबंटियों को नामान्तरण रजिस्टर में और अक्स में अंकन कर दिया गया। क्या यह सही बात है ?

श्री गंगाराम चौधरी : नहीं, 290 के इन्द्राजात नहीं हुए। मैं आपको अलग-अलग

(श्री गंगाराम चौधरी)

बता दूं। जैसा मैंने ऊपर कहा है, इनमें से 94 व्यक्तियों को आवंटन आर्डर भी दे दिये और म्यूटेशन भी भर दिया और जमाबन्दी में भी उनका इन्द्राव कर दिया, 84 ऐसे हैं जिनके आवंटन आदेश दे दिये, म्यूटेशन भर दिया किन्तु स्टे आने से जमावंदी में एन्ट्री नहीं हुई और 112 शेष हैं जिनको केवल आवंटन आदेश दिया, उनका म्यूटेशन भी नहीं हुआ और जमावंदी में भी इंद्राज नहीं हुआ। स्थगन आदेश आने के बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई।

श्री भीमसेन चौधरी : मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि 290 आवंटियों को आबंटन करके उनका नामान्तरण रजिस्टर में इन्द्राजात कर दिये गये और अक्स में अंकित कर दिया गया। क्या यह सही है और इसकी आप जांच करवाएंगे ?

श्री गंगाराम चौधरी : मेरी सूचना के अनुसार मैंने आपसे निवेदन किया-

श्री भीमसेन चौधरी : मैं आपको इस बात की सूचना दे रहा हूं कि इन 290 आबंटियों का अक्स में इन्द्राजात है, नामान्तरण रजिस्टर में इन्द्राजात है।

श्री गंगाराम चौधरी : अक्स में क्या मतलब हुआ ?

श्री भीमसेन चौधरी : गांव का जो नक्शा होता है उस नक्शे में अंकित है।

श्री गंगाराम चौधरी : नक्शे में इन्द्राजात तो इसकी जानकारी इस वक्त नहीं है लेकिन नक्शे में इन्द्राजात होना काफी नहीं है। या तो म्यूटेशन भरा जाय या म्यूटेशन भरकर के जमाबंदी में उनका इन्द्राजात हो जाय।

श्री अध्यक्ष : यह बिलकुल साफ ही आ गया है कि 94 व्यक्तियों को कब्जा वहीं पर दे दिया।

श्री गंगाराम चौधरी : सभी कार्यवाही पूरी होती है। वह कार्यवाही पूरी नहीं हुई स्थगन आदेश की वजह से, वह कार्यवाही अधूरी है जो बाकी रहे उनको भी कब्जा दे दिया।

श्री अध्यक्ष : 84 बाकी रहे उनको भी कब्जा दे दिया लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ क्योंकि स्थगन हो गया। बिराजें आप।

श्री भीमसेन चौधरी : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह जो विस्थापित लोग हैं इनकी रोजी-रोटी का प्रश्न है। आपने उनसे पैसे लेकर उनको जमीन आबंटित की है। मेरी सूचना तो यह है कि सब लोगों का मौके पर कब्जा है और भूदान के लोग जान-बूझकर दूसरे लोगों को आबंटित कर रहे हैं और आपस में झगड़ा पैदा करवा रहे हैं।

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, भूदान बोर्ड वालों से चर्चा की जा रही है। भूदान बोर्ड वालों ने यह कहा कि जिन लोगों के आबंटन आदेश हो गये हैं उनकी सूची हमें दे दीजिये। उनकी सूची आने के पश्चात उनको आबंटित भूमि का, हम दूसरा आबंटन नहीं करते हैं चाहे स्थगन आदेश लगा हो, चाहे नहीं हो, इस हिसाब से आप जो कह रहे हैं इन शेष व्यक्तियों को भी राहत मिल जाएगी।

श्री भीमसेन चौधरी : मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि इस समस्या का समाधान निकाल देंगे आप ?

श्री गंगाराम चौधरी : समस्या का समाधान स्टे आर्डर खारिज होने पर ही हो सकेगा। राज्य सरकार कोशिश कर रही है। अभी पिछली पेशी मई में थी उस वक्त भी निवेदन किया था (व्यवधान) रिट सुनवाई में नहीं आ रही।

श्री अध्यक्ष : आपको तो मिल जायेगा आप बराबर उठा रहे हैं।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) : अध्यक्ष महोदय, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के यह जो काश्तकार हैं इनको भूदान की भूमि अलाट हुई थी और यह अलाटमेंट सिर्फ तीन दिन हुआ था। तीन दिन में जिन काश्तकारों को यह भूमि आबंटन हुई है, कीमतन हुई है, तीन सौ रुपये प्रति बीघे के हिसाब से, उनमें से ही कुछ काश्तकारों को रिकार्ड के अन्दर अमल दरामद कर दिया गया और यह शेष काश्तकार हैं यह सैंकड़ों की तादाद में रिकार्ड में अमल दरामद नहीं होने के कारण से आज तक इनको विधिवत अलाटमेंट नहीं हुआ और कब्जे पर ज्यादातर यह काश्तकार हैं। मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन है कि जब सरकार ने उनसे प्रति बीघा तीन सौ रुपये के हिसाब से कीमत ले ली और भूदान बोर्ड हाई कोर्ट में अपील में चला गया तो, इन हालात में इन काश्तकारों को दूसरी जो सरकारी जमीन पड़ी है, क्या सरकार उनको बदले में भूमि अलाट करने का विचार रखती है और यह किन कारणों से अमल दरामद नहीं हुआ ? किन अधिकारियों की गलती है ? क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री गंगाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह बात बहुत पुरानी है, 1986-87 के आसपास की है। उस वक्त में क्या गलती रही यह जानकारी तो मुझ से ज्यादा प्रश्नकर्ता को होनी चाहिये लेकिन अब इस वक्त में 1992 से लेकर यह अभी जो दो साल हैं इनमें लगातार प्रयास जारी हैं।

पीलीबंगा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि अगर इस भूदान की भूमि का कब्जा किसी भांति दिलवाया नहीं गया तो सरकार इस बात पर भी विचार करेगी कि इन आबंटियों को और जगह जैसी भी आबंटित भूमि है, कुछ को बारानी है, कुछ को सिंचित है, कुछ को अनकमान्ड है, जैसी भी आबंटित भूमि है वैसी भूमि उनको आबंटित सरकार करेगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल जी।

विधान सभा क्षेत्र बामनवास (सवाई माधोपुर) में मण्डी समिति द्वारा सड़क निर्माण

220. **श्री हीरालाल मीणा** (बामनवास) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में विधान सभा क्षेत्र बामनवास में मण्डी समिति गंगापुर व सवाई माधोपुर के माध्यम से कौन-कौनसी सड़कों की स्वीकृति किस-किस तारीख को कितनी-कितनी राशि की जारी की गयी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मण्डी समिति के माध्यम से बिनोरी से लिवाली नव निर्माण व खेरली से बिछोच रोड पर दो किलोमीटर

(श्री हीरालाल मीणा)

का मरम्मत का कार्य करवाया जा रहा है ? यदि हां, तो अब इन कार्यों को कब तक पूरा करवा दिया जायेगा ? स्वीकृत राशि सहित सूचना सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि तहसील बौंली में कृषि मण्डी के माध्यम से निम्न सड़कों के निर्माण हेतु प्रस्ताव क्षेत्रीय विधायक द्वारा दिये गये थे :

(i) घाटा गोदाम से भेड़ोली (ii) मित्रपुरा से बपुई (iii) दतुली से बौंली (iv) बौंली से खिरनी - 1 से 6 किलोमीटर का मरम्मत कार्य (v) मित्रपुरा से रूपारी नदी (vi) मित्रपुरा से नानतोड़ी नदी। यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

(4) वर्ष 1996-97 में मण्डी समिति गंगापुर व सवाई माधोपुर के माध्यम से बामनवास विधान सभा क्षेत्र की कौन कौनसी सड़कें बनवाना प्रस्तावित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि (श्री ज्ञानसिंह चौधरी) : (1) विधान सभा क्षेत्र बामनवास में मण्डी समिति, गंगापुर के अन्तर्गत वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में स्वीकृत सड़कों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

मण्डी समिति, सवाई माधोपुर द्वारा वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में उक्त क्षेत्र की कोई सम्पर्क सड़क स्वीकृत नहीं हुई है।

(2) जी नहीं। विनोरी से लिवाली नाम की कोई सड़क स्वीकृत नहीं है। खेरली से बिछोच के लिये रोड पर विशेष मरम्मत कार्य करवाने हेतु पत्रांक 36227-31 दिनांक 24.6.96 द्वारा पांच लाख रुपये स्वीकृत हुए हैं जिसके विरुद्ध निविदाएं प्राप्त की जा चुकी हैं, निविदाएं स्वीकृत होने के उपरान्त शीघ्र कार्य पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी।

(3) जी हां। मण्डी समिति, सवाई माधोपुर के मुख्य मण्डी यार्ड का परियोजना कार्य प्रगति पर होने के कारण मण्डी समिति की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मण्डी समिति द्वारा प्रस्ताव नहीं लिया गया।

बौंली से खिरनी एक से छह किलोमीटर की विशेष मरम्मत के लिये राज्य सरकार से पत्र दिनांक 19.6.96 से 24.00 लाख रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके लिये निदेशालय के पत्रांक 28174-79 दिनांक 26.6.96 से रुपये 14.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है।

(4) मण्डी समिति, गंगापुर सिटी के अन्तर्गत निम्नलिखित दो सड़कें बामनवास विधान सभा क्षेत्र की प्रस्तावित की थी: (i) शहर गठखेड़ा रोड से रानहला वाया विद्यालय सखीपुरा (ii) सखीपुरा बामनवास रोड से प्राथमिक विद्यालय सखीपुरा। क्रमांक एक पर अंकित सड़क के लिये सीधे मार्ग से सड़क बनाये जाने के लिये संशोधित प्रस्ताव भेजने के लिये निदेशालय, कृषि विपणन से मण्डी को निर्देशित किया गया है। क्रमांक दो पर अंकित सड़क ग्राम सखीपुरा बामनवास रोड से सटा हुआ होने के कारण प्रस्ताव निदेशालय, कृषि विपणन द्वारा निरस्त किया गया है।

कृषि उपज मण्डी समिति, सवाई माधोपुर के अन्तर्गत बौंली से खिरनी रोड एक से छह किलोमीटर विशेष मरम्मत करवाया जाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

Page No 13

(13)

श्री अध्यक्ष : काम हो गया आपका तो।

श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से एक निवेदन करना चाहूंगा कि खेरली से बिछोच रोड मरम्मत के कार्य की स्वीकृति दिनांक 24.6.96 को पांच लाख की हुई। क्या सरकार इतने टाइम के अन्दर अभी तक इनकी निविदाएं स्वीकृत नहीं करा सकी। इसको पूर्ण कराने में कितना समय लगेगा ? मैं मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं इसकी खातिर बीस किलोमीटर रोड अवरुद्ध पड़ा हुआ है और वहां लोगों में दो किलोमीटर की खातिर आये दिन झगड़ा होता है। काश्तकारों को अपनी फसल के अन्दर आने जाने वाले जो भी साधन आते हैं वह खेतों में से होकर आता है तो मैं तो यही निवेदन करना चाहूंगा। (व्यवधान) बौंली खिरनी रोड कृषि मण्डी सवाई माधोपुर में है। बौंली क्षेत्र में सन् 1979-80 के अन्दर मात्र आठ लाख रुपया बौंली खिरनी रोड 6 किलोमीटर बनाने पर खर्च किया था, उसके बाद 17 साल में सवाई माधोपुर मंडी समिति में एक नया पैसा भी बौंली क्षेत्र में दिया है तो मंत्री जी मुझे बतायें। इतना समय निकलने के बाद उस तहसील के ऊपर, भू मंडी समिति के क्षेत्र में वह तहसील आती है उन कस्बों में कितनी रोड बनायी। 17 साल पूरे हो गये। 8 लाख खर्च करने के बाद एक नया पैसा खर्च नहीं किया आज दिन तक और फिर कहते हैं कि मंडी समिति की आर्थिक स्थिति सही नहीं है। 60 प्रतिशत ग्रान्ट देकर पैसा रोड्स पर लगाया जाता है ऐसा कहते हैं वह। कितना पैसा बौंली के हिस्से में आता है। 17 साल में आपने एक नया पैसा भी खर्च किया है बौंली क्षेत्र के अन्दर ? इसके अलावा क्या अन्याय होगा, क्या भेदभाव होगा। क्या कस्बों के साथ वफादारी कर रहे हैं। मंडी में एक किमी. रोड नहीं बनायी । 6 किमी. रोड बौंली-खिरनी की पूरी अधूरी पड़ी हुई है। उसके अन्दर स्वीकृति 25 लाख की दिखायी जिसमें भी 14 लाख रुपया देना चाहते हैं। क्या मरम्मत का कार्य पांच साल में पूरा करायेंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : नहीं, हमको जवाब तो दिलवाओ, साहब। आप कहते हैं कि बिराजिये। इतना महत्वपूर्ण मसला है। बौंली का मामला है। मंत्री महोदय जवाब दें। हमारी प्रभारी मंत्रीजी बैठी हैं। नरेन्द्र कंवरजी जो जिले की मंत्री हैं। वह तो कम से कम आकर कहें मंत्री जी हमारे काम को तो कम से कम करें।

श्रीमती नरेन्द्र कंवर (राज्य मंत्री, पर्यटन): खिरनी - बौंली रोड पर काम चल रहा है। यह असत्य बोल रहे हैं। यह जाकर नहीं आये। मैं खुद तीन बार इन्सपैक्शन करके आयी हूं। (व्यवधान) काम चल रहा है और फरवरी तक काम पूरा हो जायेगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : ऐसे कैसे कह दिया आपने कि असत्य बोल रहे हैं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। (व्यवधान) ये भी उधर के ही हैं।

श्री हीरालाल मीणा : माननीय मंत्रीजी, आप जो कह रहे हैं, सही है लेकिन आपके यहां सब्जी मंडी की (व्यवधान)

Page No 14

(14)

श्रीमती नरेन्द्र कंवर : फरवरी तक कार्य पूरा हो जायेगा। आपने इतने साल क्या किया 17 साल से, हम इसमें अभी काम पूरा करवा रहे है_ (व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : विराजिये। मंत्री जी को बोलने दें आप। बीच में क्यों बोल रहे हैं।_(व्यवधान)_

श्री रामस्वरूप मीणा : हमने तो 40 पूरी की है अब तक। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : माननीय मंत्रीजी यह बतायें की गंगापुर मंडी की साल की इनकम कितनी है और उसमें से गंगापुर मंडी के अन्तर्गत कौन-कौनसी तहसीलें आती हैं और उसमें क्या बराबर पैसे का वितरण करते हैं ? जैसा बामनवास के बारे में बोल रहे थे, वहां पर सड़कों के लिए मंडी समिति गंगापुर ने तीन-चार साल से एक पैसा खर्च नहीं किया और आप गंगापुर में और इधर-उधर खर्च कर देते हैं। मंत्री महोदय, जितना उसके नीचे एरिया आपका आता है क्या उसमें बराबर वितरण करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल।

श्री अध्यक्ष : पहले इनकी गंगापुर की बात हो रही है।

श्रीमती तारा भण्डारी : साथ ही उत्तर आ जायेगा।

श्री अध्यक्ष : किशनारामजी, आपको क्या कहना है।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, पुराना कार्यालय जो डूंगरगढ़ की कृषि मंडी का_(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : यह डूंगरगढ़ की नहीं है। यह तो बौंली की बात है।

श्री किशनाराम नाई : पुराना कार्यालय है, वह पुराना कार्यालय कृषि मंडी डूंगरगढ़ का है उससे लेकर कालू रोड तक सड़क बना दी इन्होंने चार साल पहले लेकिन उस पर पेच नहीं हुआ है अब तक। इससे मंडी को लाखों रुपयों का नुकसान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। यह बात अभी नहीं हो रही है। यह तो बौंली की बात चल रही है। विराजें।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, हम कृषि उपज मंडी समिति सम्बन्धी प्रश्न पूछना चाहते हैं। हम बौंली से सम्बन्धित भले ही नहीं हैं। नीति सम्बन्धी प्रश्न का मंत्री महोदय जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष : विधान सभा क्षेत्र बामनवास में मंडी समिति गंगापुर, सवाई माधोपुर की बात आ रही है। विराजें आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, सवाई माधोपुर राजस्थान से बाहर थोड़े ही है। राजस्थान में ही है।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता): अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्रीमती तारा भण्डारी : मंत्री महोदय जवाब नहीं देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : सारे लोगों की सूचना आपके पास नहीं है। कृपया कोआपरेट करें।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, हम तो कम ही बोलते हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप बैठ जाइये, हमारे प्रश्न का जवाब आने दो। यह सवाई माधोपुर का प्रश्न है_(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : आप हल्ला नहीं करोगे तो मैं बैठ जाऊंगी। लेकिन हम रोज-रोज सवाल नहीं पूछते हैं_(व्यवधान)_

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : माननीय सदस्य ने दो-तीन सड़कों के बारे में जानकारी चाही (व्यवधान)_

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : मेरा निवेदन यह है कि इन सड़कों की रख-रखाव कि क्या व्यवस्था है। सरकार यह तो बताये कि इनके रख-रखाव की क्या व्यवस्था है और सड़क बनने के बाद यह पीडब्ल्यूडी. को हस्तान्तरित की जायेगी या नहीं की जायेगी_(व्यवधान)_

श्री अध्यक्ष : विराजें आप। मंत्रीजी को बोलने दें।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : बामनवास के अन्दर दो मंडी समितियां पड़ती हैं। एक तो गंगापुर की और एक सवाई माधोपुर है। पिछले दो-तीन साल से मैं इस बात से सहमत हूं कि सवाई माधोपुर मंडी के द्वारा बामनवास क्षेत्र में सड़कें स्वीकृत नहीं की गयीं।

श्री परसादी लाल मीणा : यह सब मंत्रीजी के प्रभाव में आ रहे हैं। सवाई माधोपुर में लगा रहे हैं, वौंली में नहीं लगा रहे हैं_(व्यवधान)_मंत्रीजी के प्रभाव से आप बाहर निकलिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : माननीय मंत्री महोदय का दवाव पड़ता है। आप उधर नहीं करते हो, इधर करते हो_(व्यवधान)_सवाई माधोपुर, शेरपुर में करते हो कामों को _(व्यवधान)_

श्री टीकमचन्द कान्त : आपने किया है पहले इसीलिये आपके साथ भेदभाव बरतना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया मंत्रीजी की बात पूरी आने दें। विराजिये आप।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : सवाई माधोपुर की मंडी का जहां तक प्रश्न है दो से ढाई साल पहले 304 लाख रुपये का एक प्रोजेक्ट तैयार किया। उस प्रोजेक्ट की वजह से हमारे इन कामों में वास्तव में देरी हुई है क्योंकि सारा का सारा पैसा उस मंडी के नये प्रांगण में, प्रोजेक्ट बनाने में लग रहा है इसकी वजह से सवाई माधोपुर की मंडी की सड़कों का निर्माण निश्चित रूप से नहीं हुआ।

जहां तक दूसरी गंगापुर मण्डी का प्रश्न है। इस मंडी के द्वारा पिछले दो साल के अन्दर जैसा इन्होंने पूछा दो सड़कों की करीबन 13 किमी. की 31 लाख से हमने मरम्मत करवायी है और दो सड़कें 6 किमी. की 33 लाख की हमने स्वीकृति करके उसका काम शुरू करवाया है। इन सड़कों को वास्तव में जहां एक निर्वाचन क्षेत्र में दो मंडियां लगती हैं तो उस मंडी की विशेष परिस्थिति की वजह से इस क्षेत्र में वास्तव में काम नहीं हो पाया है। अब भविष्य में जो दूसरी मंडी है उस मंडी में जो आपके क्षेत्र में गांव आते हैं। आप मंडी से एक प्रस्ताव कीजिये निश्चित रूप से इस असन्तुलन को दूर करने का प्रस्ताव है_(व्यवधान)_

(16)

श्री परसादी लाल मीणा : आपके पास दो प्रस्ताव हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ओमप्रकाश जी।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : इसकी भी सेंक्शन कर देंगे। अभी मंडी के द्वारा दो प्रस्ताव आये। दो सड़कों के प्रस्ताव मंडी के द्वारा हमारे डायरेक्ट्रेट में आये हैं। एक प्रस्ताव है गंठखेड़ा से राजहला वाया दातासुती इसके ऊपर एक आब्जेक्शन यह आया कि बजाय सीधा राजहला बनाने के दातासूती बनाना चाहते हैं। इसलिये हमने उस प्रस्ताव में दुबारा यह निवेदन किया है कि इसको सीधा राजहला से जोड़ा जाये और वापस संशोधन प्रस्ताव आने के बाद इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी जायेगी।

दूसरी रोड का जो इन्होंने जिक्र किया सखीपुरा बामनवास का, यह सड़क 5 कि. मी. सड़क है तथा निर्माण कार्य चालू है और शीघ्र से शीघ्र यह सड़क पूरी हो जायेगी और इन्होंने एक स्कूल से जोड़ने की बात कही है। स्कूल से तो हम सीधा नहीं जोड़ पायेंगे क्योंकि गांव से जोड़ने का प्रश्न है। हमारा यह काम चालू है तो इस सड़क को एक कि.मी. की या जैसी भी स्थिति है इसको अलग से देखा जा सकता है। स्कूल के साथ इसको न जोड़ें इसको अलग से प्रस्तावित करें। यह दो सड़कों की बात जो कही इसको हम पूरा कर रहे हैं । उसके बाद में इन्होंने एक सड़क प्रस्तावित की यह बिनोरी के बालाजी से गुडला साढ़े छह कि.मी. रोड है। जैसा इन्होंने कहा कि वहां कोई रोड नहीं है, इस सड़क में वास्तव में हमने 33 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : यह तो लालसोट मंडी का मामला है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। हो गया।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी : यह (व्यवधान) नहीं आ पाया प्रश्न, जो सड़क के बारे में पूछा था। विधान सभा क्षेत्र में गंगापुर और सवाई माधोपुर की सड़क नहीं है यह लालसोट की सड़क है और यह साढ़े छह कि.मी. सड़क है जिसको इन्होंने इस प्रश्न के जरिये पूछने की कोशिश की। वास्तव में पिछले एक डेढ़ साल से कुछ देरियां हुई हैं क्योंकि शुरू के दो तीन कि.मी. थे उसमें अलायनमेंट का विवाद था। 5-6 कि.मी. में भी अलायनमेंट का विवाद था। लेकिन अलायनमेंट का विवाद समाप्त हो गया है, कार्य तरक्की पर है। हमारा वी.डब्ल्यू. एम. का काम हो चुका है। 4 कि.मी. तक मिट्टी का काम चालू हो जायेगा और इस वित्तीय वर्ष में यह सड़क बालाजी तक निश्चित रूप से पहुंचा दी जायेगी। और आगे तीन कि.मी. सड़क को जोड़ने से हम बालाजी तक सड़क पूरी कर देंगे (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश जी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : प्रश्न संख्या 221.

श्री रामस्वरूप मीणा : (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, जो सड़कें कृषि उपज मण्डी समिति गंगापुर की अधूरी पड़ी हैं उनको कब तक पूरा कर देंगे ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह चूरू का मामला नहीं है। यह सवाई माधोपुर का है (व्यवधान) हो गया न आपका तो। अब क्या पूछना रह गया।

श्री रामस्वरूप मीणा : गंगापुर कृषि उपज मंडी के तहत मेरे क्षेत्र की चार सड़कें नादौती की अधूरी हैं।

Page No 17

(17)

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैं सवाई माधोपुर का पूछ रहा हूं।...(व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप मीणा : गंगापुर की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : यह मात्र सवाई माधोपुर का है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह मात्र सवाई माधोपुर का है...(व्यवधान)...

श्री रामस्वरूप मीणा : गंगापुर तो सवाई माधोपुर में है उस कृषि उपज मण्डी के तहत चार सड़कें अधूरी पड़ी हैं मेरे क्षेत्र में नादौती की...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। पूरा स्पेसिफिक उत्तर आ गया...(व्यवधान)...

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, मैं नीतिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : नीतिगत प्रश्न की बात नहीं हो रही है।

श्री मोहन लाल मोदी : मंत्री महोदय से नीतिगत प्रश्न पूछना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नीतिगत प्रश्न नहीं है।

श्री रामस्वरूप मीणा : सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर कृषि उपज मंडी के पूंजला गांव में जो सड़क अधूरी पड़ी है...(व्यवधान)...सड़क अधूरी छोड़ रखी है। इसको आप कब तक पूरा करेंगे। मेरा माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। दूसरा प्रश्न, श्री ओमप्रकाश शर्मा।

श्री रामस्वरूप मीणा : यह नादौती मेरे विधान सभा क्षेत्र में है। इसमें गंगापुर मण्डी ही लगती है। गंगापुर मण्डी का मामला है और नादौती मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में है।

श्री अध्यक्ष : हां, हां होगा। उनको पता थोड़े ही है। मुख्य प्रश्नकर्ता की बात हो गयी। अब आप विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : पूंजला गांव में सड़क अधूरी पड़ी है। उस सड़क को कब तक पूरा करावायेंगे? उसको प्राथमिकता देंगे या नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आपकी बात हो गयी। अब आप बिराजें।

श्री कुबेर खान (रामगढ़) : साइन करने के लिए फाइलें पड़ी हैं। उन्हें कब तक साइन करके स्वीकृति निकाल देंगे। अनेकों मंडियों की फाइलें पड़ी हुई हैं। मण्डी से प्रस्ताव आ गये। डायरेक्ट्रेट से आ गये। सैकेट्री से फाइल क्लियर हो गयी। आपके यहां दस्तखत के लिए पड़ी हैं। उन पर कब तक दस्तखत करेंगे। अलवर की फाइल यहां पड़ी है और आज तक आपके दस्तखत नहीं हो रहे हैं। इस वजह से वहां के काम रुके पड़े हैं। आपके दस्तखत नहीं हुए...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें माननीय सदस्य। ओमप्रकाश जी।

श्री रामस्वरूप मीणा : गंगापुर मण्डी की चार सड़कें आपने अधूरी छोड़ रखी हैं। आप इनको कब पूरा करेंगे...(व्यवधान) इसी मंडी से संबंधित मामला है। मेरा गंगापुर से संबंधित मामला है। मैं यह चाहता हूं कि मेरी अधूरी सड़कों को आप पूरी करोगे कि नहीं करोगे।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें माननीय सदस्य, नहीं बात नहीं सुनेंगे। आपकी बात आ गयी।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, इसी मण्डी से संबंधित मामला है इतना महत्वपूर्ण मामला है। मंत्री जी जवाब देने को तैयार हो गये। आपने बैठा दिया उनको (व्यवधान) इसी मंडी से संबंधित मामला है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। यह क्या कर रहे हैं आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : उसी सवाई माधोपुर जिले का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : सारी की सारी बात अभी थोड़े ही आ जायेंगी। मैन प्रश्नकर्ता की बात हो गयी और वह संतुष्ट हैं। अब आप बिराजें।

श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि जब से यह सैशन चला है (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरे जिले का मामला है। सवाई माधोपुर जिले का मामला है।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। आपके सवाई माधोपुर का है। आपकी बात सुन ली।

श्री अर्जुनदास मदान : अध्यक्ष महोदय, इस सत्र में साधारणतः दस सवालों के जवाब आने चाहिए लेकिन छः -सात से ज्यादा नहीं आ पाते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य। मैं क्या करूं आप लोग बिराज ही नहीं रहे हैं। (व्यवधान) सब लोग उपदेश दे रहे हैं। श्री ओम प्रकाश शर्मा।

जिला बून्दी के सैकण्डरी एवं हायर सैकण्डरी स्कूल

221. **श्री ओमप्रकाश शर्मा** (बूंदी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या छात्रा सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल, बून्दी में छात्राओं को अध्ययन हेतु सभी विषय हैं ? यदि नहीं, तो सरकार की भूगोल, राजनीति विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग कब तक खोलने की योजना है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(2) बून्दी जिले में इस वर्ष सैकण्डरी, सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूलों में जहां पूरे विषय नहीं हैं वहां पूरे विषय खोलने का क्या सरकार विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार 1996-97 में बून्दी जिले में सैकण्डरी व हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री गुलाब चन्द कटारिया) : (1) जी नहीं। राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय, बून्दी में सभी विषय/संकाय संचालित नहीं है। अतिरिक्त संकाय अथवा विषय तभी प्रारम्भ किये जाते हैं जबकि उनके लिए निर्धारित संख्या में विद्यार्थी उपलब्ध हों। राजनीति विज्ञान विषय वर्तमान में कला वर्ग के नागरिक शास्त्र विषय के नाम से संचालित है।

(2) राज्य सरकार निर्धारित मापदण्ड की पूर्ति करने वाले सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या एवं मांग तथा उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों के आधार पर अतिरिक्त ऐच्छिक विषय/ संकाय खोलने पर विचार करती है। इन प्रस्तावों में बून्दी जिले के प्रस्तावों पर भी विचार किया जाता है। सैकण्डरी स्कूलों में सभी विषय अनिवार्य विषयों

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के रूप में अध्ययन करवाये जाते हैं। अतः इन विद्यालयों में अतिरिक्त ऐच्छिक विषय खोले जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

(3) वर्ष 1996-97 में सैकण्डरी एवं सीनियर सैकण्डरी स्तर पर विद्यालय क्रमोन्नति हेतु निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध राज्य के अन्य जिलों से प्राप्त विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्तावों के साथ-साथ बून्दी जिले के प्रस्तावों पर भी सीमित वित्तीय प्रावधानों के तहत मानदण्डों की पूर्ति करने वाले विद्यालयों को गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय, बून्दी में अंग्रेजी साहित्य, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, समाज शास्त्र, एवं वाणिज्य वर्ग तथा तालेरा बालिका सीनियर सैकण्डरी स्कूल में विज्ञान विषय खोलने का विचार है। इसी के साथ छात्रा महाविद्यालय पिछले साल उच्च शिक्षा मंत्री महोदय ने वहां खोला है। लेकिन जो विषय महाविद्यालय में है वह विषय हायर सैकण्डरी में नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या छात्राओं के अध्ययन हेतु सीनियर हायर सैकण्डरी में वह विषय होंगे जो कालेज में हैं, नम्बर एक। यदि वह विषय नहीं होंगे तो उस कालेज में कौन पढ़ने जायेगा, नम्बर दो। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या जिला शिक्षा अधिकारी या उच्च शिक्षा अधिकारी वहां से विषय खोलने के प्रस्ताव भेजते हैं और यदि वह प्रस्ताव भेजते हैं तो कब से प्रस्ताव भेज रखे हैं। बूंदी जिला मुख्यालय है। राजस्थान के अन्य जिला मुख्यालयों पर क्या है और विषय हैं या नहीं हैं। जब विषय खोलने के प्रस्ताव भेज रखे हैं तो यह विषय कब खोले जायेंगे। एक प्रश्न और है, अध्यक्ष महोदय, कि वहां पर अधिकारियों ने लापरवाही बरती है। एक डाइट स्कूल है, उस डाइट स्कूल का ट्यूब वैल था। अधिकारियों की लापरवाही के कारण वह ट्यूब वैल दूसरे व्यक्ति के खेत की जमीन में खोद दिया। ढाई साल तक वहां के विद्यार्थी चिल्लाते रहे।

श्री अध्यक्ष : यह इससे सम्बन्धित है क्या ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा : इससे सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष : आपने इसमें तो नहीं लिखा है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : हरेक प्रश्न थोड़े लिखे जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : नहीं, इसमें नहीं है आपका प्रश्न, इसका जवाब कैसे देंगे। इनको इसका पता नहीं है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: इनको पता है साहब। मैंने बता दिया है। इनको उसका भी जवाब देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं, डिसअलाउ। आप विराजें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : शिक्षा से सम्बन्धित है। विषय खोलना और डाइट में जो ट्यूब वैल गलत खोद रखा है। उसके लिए अधिकारियों की रक्षा नहीं करें बल्कि उनको दण्ड दें।

श्री अध्यक्ष : आप विराजें माननीय सदस्य। मंत्री महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि जितने बोर्ड के स्वीकृत विषय हैं वह सारे के सारे विषय बून्दी में संचालित नहीं हैं। लेकिन जो बून्दी में कला वर्ग के विषय चल रहे हैं हिन्दी, संस्कृत, नागरिक शास्त्र, संगीत, चित्रकला और गृहविज्ञान, इसमें जो बालिकाओं की संख्या है इसमें हिन्दी ही एक ऐसा विषय है जिसमें 70 बालिकाएं हैं। बाकी सभी में जो हमारा एक सैक्शन बनता है उससे भी कम बालिकाएं हैं। विज्ञान वर्ग में चारों विषय हैं। व्यावसायिक शिक्षा भी वहां चल रही है। यह बात जरूर है कि पिछले साल वहां की कालेज शिक्षा में अर्थशास्त्र और अंग्रेजी का विषय होने के कारण से यह विषय वहां मांगे गये हैं लेकिन जो सीनियर हायर सैकण्डरी वहां पर चल रहा है उसमें भी अर्थशास्त्र में केवल 20 विद्यार्थी आज की तारीख में अध्ययनरत हैं। इनको खोलने से पहले यह बात है कि कम से कम जो विषय हम खोलें तो बच्चों की संख्या की पूर्ति हो जाये। अगर इन दो विषयों में बच्चों की संख्या जो हमारा न्यूनतम मानदण्ड है उसके अनुसार प्रवेश देने की संख्या हमें उपलब्ध होगी तो हम निश्चित रूप से विषय को खोलेंगें। हमें पिछले साल जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं उसमें बून्दी जिले के भी जो प्रस्ताव थे वह हमें प्राप्त हुए हैं और हमने पिछले साल विषय खोला भी है। लेकिन जहां-जहां बच्चों की संख्या पूरी नहीं थी, पांच बच्चों के आधार पर यदि विषय खोलना चाहें या फैकल्टी बनाना चाहें तो वह संभव नहीं होगा। लेकिन जहां पर्याप्त संख्या होगी वहां खोलेंगें। वाणिज्य के बारे में भी एक प्रस्ताव अभिभावकों के द्वारा प्राप्त हुआ है उसमें उन्होंने 115 बच्चों के एडमिशन लेने की बात कही है तो हम निश्चित रूप से इस संख्या को देखते हुए वाणिज्य संकाय भी वहां खोलेंगें।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल जी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मेरा एक प्रश्न था कि जो कालेज खोला गया है। आप कह रहे हैं कि वहां 20 विद्यार्थी हैं। वहां कालेज खुल गया है छात्राओं के लिए। हायर सैकण्डरी में वह विषय होगा ही नहीं तो एडमिशन कौन लेगा। अब एडमिशन पहले लें और विषय बाद में लें तो ऐसा तो नहीं होता। आप पहले विषय खोलें...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें माननीय सदस्य। मंत्रीजी, आप इस प्रोब्लम को भी देखें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मेरा अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट निवेदन है कि पहले विषय खोले जायें और विषय खोलने के बाद अगर विद्यार्थी नहीं हो, उसके बारे में...

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह दरख्वास्त आपके पास आयी और उसे आपने इन्कार करने के लिए कहा तो क्या (व्यवधान) बाकी विषय की खोलने की दरख्वास्त भिजवा दें क्या ?

श्री अध्यक्ष : विराजें माननीय सदस्य।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इस वर्ष विषय खोलकर देखें। अगर विद्यार्थी नहीं हों तो बंद कर देना। पहले आप विषय तो खोलें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कह दिया कि अगर बच्चियों की संख्या उतनी होगी जितनी हमारे नोर्म्स हैं उतने एडमिशन लेने के लिए तैयार होंगे तो विषय हम खोल देंगें, जो कालेज में खुले हुए हैं।

जो ट्यूब वैल के बारे में उन्होंने कहा है तो माननीय सदस्य को अच्छी प्रकार से मालूम है कि यह किसी दूसरे की जमीन पर होने के कारण उसने कब्जा कर लिया। हमने उसको मुक्त करा लिया है और अपने विभाग में ले लिया है।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल जी।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा कि बूंदी जिले में विशेषकर केशवरायपाटन और लाखेरी में गत दो सीजन से और यह तीसरा सीजन शुरू होने जा रहा है। बार-बार विभागीय अधिकारियों द्वारा यहां प्रस्ताव भेजने और जनता और जन-प्रतिनिधियों की मांग के बावजूद भी वहां विषय नहीं खोलने के क्या कारण हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह अभी बून्दी शहर से ही रिलेटेड है। हां, आप बोलिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, विषय खोलने के लिए जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण जी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, मैं तो प्रश्न के भाग संख्या तीन तक सीमित रहूंगा। बून्दी जिले में सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल खोलने के विचार के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी कृपा करके यह बतायें कि क्या इसमें बालिकाएं भी शामिल हैं और यदि शामिल हैं तो सर्वाधिक बालिकाएं क्या बून्दी जिले की किसी सैकण्डरी स्कूल में देई और नैनवां दोनों कस्बों में हैं। अगर हैं तो वहां क्या आप प्राथमिकता से खोलेंगे। स्त्री शिक्षा की बात करने वाले हो। यह वास्तविकता बता रहा हूं।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा बालिकाओं से संबंधित है। वह विषय खोलने के लिए जवाब दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे चुका हूं कि अगर बच्चों की संख्या एडमिशन लेने के लिए उपलब्ध होगी तो खोलेंगे...

श्री ओमप्रकाश शर्मा : कंडीशनल खोल दें। अगर संख्या नहीं हो तो विथड्रा कर लेना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कंडीशनल तो...पहले एडमिशन तो लें (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : दरख्वास्त ले लेंगे। दरख्वास्त लेकर उस पर विचार कर लेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर 20 बच्चे किसी सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के लिए फार्म भर देंगे तो विषय खोल देंगे। अगर 20 बच्चे नहीं होंगे तो नहीं खोलेंगे । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें। यह तो बूंदी का मामला है। अपना तो बूंदी में आता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री उदयलाल आंजना : अध्यक्ष महोदय, इससे संबंधित ही मामला है। माननीय मंत्री

(श्री उदय लाल आंजना)
महोदय ने घोषणा कर रखी है। कला संकाय अभी तक नहीं खुला है (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : यह विसंगति को दूर करना होगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें माननीय सदस्य। श्री जगदीप जी। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : बालिकाओं का मामला है देई और नैनवां का। मेरा प्रश्न बहुत सीमित है। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : यह विसंगति दूर करनी होगी, यह विसंगति है। सारे राजस्थान का मामला है। (व्यवधान)

श्री उदयलाल आंजना : छोटी सादड़ी की स्थिति स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजें। यह बून्दी से सम्बन्धित मामला है और बूंदी प्रोपर और बूंदी जिले में कहां-कहां खोली गयी हैं। (व्यवधान) बिराजिये। अभी बूंदी का मामला है। (व्यवधान) आप बिराजिये। (व्यवधान) जगदीप जी।

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि छात्रों की संख्या का क्या कोई मापदण्ड निर्धारित कर रहे हैं कि छात्रों की संख्या कितनी हो ?

श्री अध्यक्ष : यह बूंदी की बात है, आप बैठें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : मैंने आपकी इजाजत से ही प्रश्न पूछा है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये। देखिये, इस तरह से नहीं चलेगा।

श्री कन्हैयालाल मीणा : माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं। नो रिकार्ड, नो रिकार्ड। माननीय श्री जगदीप जी। (व्यवधान) बिराजें। (व्यवधान) नोट अलाउ। बिराजिये आप।

श्री टीकम चन्द कान्त : XXX

श्री रामनारायण मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : कोई भी माननीय सदस्य कहे तो आप उसका लिखें नहीं। अंकित नहीं होगा। अभी जनरल डिबेट नहीं हो रही है, प्रश्न की बात हो रही है। आप बिराजिये।

श्री टीकमचन्द कान्त : XXX

श्री रामनारायण मीणा : XXX

श्री ओमप्रकाश शर्मा : XXX

श्री मांगीलाल मेघवाल : XXX

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न पूछा और उन्होंने सुन लिया है। बच्चे होंगे तो जरूर खोलेंगे। बिराजिये आप। माननीय श्री जगदीप जी। (व्यवधान) आपको कह दिया ना कि बच्चों की संख्या होगी तो खुल जायेगी। कृपया बिराजें। अगला प्रश्न आने दीजिये। माननीय श्री जगदीप जी।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

Page No 23

(२३)

राज्य में मुफ्त कानूनी सहायता

222. **श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) :** क्या विधि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान लीगल एड बोर्ड की कितनी बैठकें हुई ? बैठक का विवरण और इनमें लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में राज्य में सरकार द्वारा कितनी मुफ्त सहायता उपलब्ध करायी गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में मुफ्त कानूनी सहायता को और सार्थक करने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, विधि (श्रीमती शशीदत्ता) : (1) राजस्थान लीगल एड बोर्ड की औपचारिक रूप से बैठक नहीं हुई है। जबकि बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर विधिक सहायता बोर्ड के सानिध्य में राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सहायता समिति, जिला विधिक सहायता समितियों व अन्य विधिक सहायता समितियों की समय-समय पर बैठकें हुई हैं। ऐसी बैठकों में लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का विवरण पूरक उत्तर में उपलब्ध हैं। यह गलत है, मैं थोड़ा सा आपको भी कर दूं, शायद पूरक में यह लाइन गलत लिखी है फिर भी मैं_

श्री जगदीप धनखड़ : आप पढ़ दीजिये।

श्रीमती शशीदत्ता : (2) गत तीन वर्षों में राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार से मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करायी गयी है जिसका वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :—

(क) 1993-94 में 3,091 लोग इस सहायता से लाभान्वित हुए, कुल 5,73,885.00 रुपये खर्च किये गये।

(ख) 1994-95 में 3,993 व्यक्ति लाभान्वित हुए, 9,15,406.00 रुपये की राशि दी गयी।

(ग) 1995-96 में 3,044 लोग लाभान्वित हुए, 11,74,182.00 रुपये की सहायता उपलब्ध करायी गयी।

(3) राज्य में मुफ्त कानूनी सहायता को और अधिक सार्थक करने हेतु राजस्थान विधिक सहायता नियम, 1984 में राज्य सरकार द्वारा निम्न संशोधन दिये गये हैं :—

(अ) विधिक सहायता के पात्र व्यक्ति की वार्षिक आय 6000/- रुपये से बढ़ा कर 11000/- रुपये कर दी गयी है।

(ब) वकीलों को देय फीस की राशि को बढ़ा कर दुगुना किया गया।

(स) उच्च न्यायालय में रिट/याचिका दायर करने के लिए राज्य सरकार के खर्चे पर वकील उपलब्ध करवाया जाना।

(द) राजस्थान लीगल एड बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के निर्देश एवं प्रेरणा से विभिन्न जिला विधिक सहायता समितियों के तत्वाधान में सभी स्तरों पर छोटे-छोटे दूरदराज के गांवों में भी विधिक सहायता शिविर आयोजित किये गये एवं किये जा रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, अत्यंत चिन्ताजनक स्थिति है, मेरा प्रश्न

(२४)

(श्री जगदीप धनखड़)

था कि राजस्थान लीगल एड बोर्ड की कितनी बैठकें हुई ? एक भी नहीं हुई है।

श्रीमती शशीदत्ता : आप पूछ लीजिये मैं बताऊंगी।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ही इस सदन के दो सदस्यों को उस बोर्ड में मनोनीत किया है, मैं भी उसमें एक सदस्य हूं। राजस्थान लीगल एड बोर्ड की एक भी बैठक नहीं हुई। लीगल एड बोर्ड के अध्यक्ष माननीय मंत्री महोदया, कौन हैं ?

श्रीमती शशीदत्ता : मैं बता दूंगी, आप पूछ लीजिये।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं जानना चाहता हूं, कहा गया कि राजस्थान लीगल एड बोर्ड की औपचारिक रूप से बैठकें नहीं हुई। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही एक औपचारिक बैठक होगी। अनौपचारिक बैठकें कौन सी हो गयी, मैं तो सदस्य हूं , कृपया अनौपचारिक बैठकों का विवरण दीजिये कि कब-कब, कौन कौन सी अनौपचारिक बैठकें हो गयीं ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अनौपचारिक बैठकों का मतलब ही नहीं है, That is not legal.

श्री जगदीप धनखड़ : वह भी नहीं हुई कोई। कृपया कौन सी बैठक हुई ? आप बतायें।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें।

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न पूछा कि लीगल एड बोर्ड के कार्यकारी सदस्य या अध्यक्ष कौन हैं –

श्री जगदीप धनखड़ : अध्यक्ष कौन है ? कार्यकारी नहीं ?

श्रीमती शशीदत्ता : अध्यक्ष भी बता रही हूं, आप बैठ तो जाओ जगदीप जी थोड़ा सा be sincere. You are a very senior lawyer. I am coming to each and every thing. Have patience.

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं भी सदस्य हूं, मैं पूछना चाहूंगा कि अनौपचारिक बैठकें कब हुई, मैं इसका मेम्बर हूं–

श्री अध्यक्ष : पहले आपका जवाब आने दें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मैं सदस्य हूं इसलिये निवेदन कर रहा हूं। मैं पूछना चाहूंगा कि अनौपचारिक बैठकें किन-किन अधिकारियों और सदस्यों के बीच हुई ?

श्री रामनारायण मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूछ ही नहीं सकते, प्रश्न ही नहीं लगा सकते। लीगल एड बोर्ड का मेम्बर प्रश्न नहीं पूछ सकता। आप देख लीजिये, आप नियम देख लीजिये , प्रश्न ही नहीं पूछ सकता, प्रश्न लगा ही नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, बात हो गयी-है।

श्री जगदीप धनखड़ : जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें। जवाब आने दें। समय बहुत कम है।

श्रीमती शशीदत्ता : आप पूछिये तो सही।

श्री जगदीप धनखड़ : आप जवाब तो आने दीजिये, जो पूछा है सवाल उसका जवाब नहीं दे रही हैं, आप खड़ी हो गयीं।

श्री अध्यक्ष : आप तो जवाब दें कि यह क्यों नहीं हो रही है।

श्री जगदीप धनखड़: आप जवाब दीजिये, आप घड़ी की तरफ मत देखिये।

श्री अध्यक्ष :आप तो जवाब दे दें।

श्रीमती शशीदत्ता : मैं आपकी पूरी बात सुन कर ही जवाब दूंगी। वे खड़े हो रहे थे इसलिये मैंने आपको कहा कि आप पूछ लीजिये मैं जवाब दूंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मेरे से बहुत सीनियर वकील हैं।...

श्री रामनारायण चौधरी : आप उत्तर दे दीजिये इनके सवाल का।

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें उन्हें।

श्रीमती शशीदत्ता : मैंने कोई बुरा नहीं कहा, माननीय रामनारायणजी। मैंने यही कहा कि सीनियर हैं और वह सवाल पूछ लें मैं उसका जवाब दे दूंगी।

श्री अध्यक्ष : कृपया आप अपना जवाब दें।

श्रीमती शशीदत्ता : आपने एक ही प्रश्न पूछा है कि लीगल एड बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन है।...

श्री जगदीप धनखड़ : हां, अध्यक्ष कौन है ?

श्रीमती शशीदत्ता : लीगल एड बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष हैं न्यायाधिपति श्री एन.एल. टिबरेवाल....

श्री जगदीप धनखड़ : मैं पूछ रहा हूं कि अध्यक्ष कौन हैं और आप कार्यकारी अध्यक्ष का बता रही हैं। अध्यक्ष कौन है, मेरा प्रश्न स्पष्ट है कि अध्यक्ष कौन है ?

श्रीमती शशीदत्ता : वह भी बता रही हूं। ऐसा है, माननीय अध्यक्ष महोदय, अकार्डिंग टू दी एक्ट, राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के एक्ट के मुताबिक इसके उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति या मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्यपाल द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्च न्यायालय का कोई अन्य सेवारत या सेवा निवृत्त न्यायाधीश, इस हिसाब से मुझे जो जानकारी है (व्यवधान) देखिये, जगदीप जी मैं बता रही हूं कि मुझे जितनी जानकारी है या जो जानकारी मेरे पास उपलब्ध है...

श्री जगदीप धनखड़ : क्या मुख्य मंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं ?

श्रीमती शशी दत्ता : मुझे इसकी जानकारी है।

श्री जगदीप धनखड़ : क्या आप इसकी उपाध्यक्ष हैं ? आप कैसे एक्ट को लेकर पढ़ने लगीं जिसका कोई लेना देना नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, परम्परा है कि जिस प्रश्न को लिया जायेगा उसको पूरा किया जायेगा। पहली बात यह है कि एक भी मीटिंग नहीं हुई। आपने दो सदस्यों को मनोनीत किया। फिर लिख दिया औपचारिक नहीं हुई। फिर कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष की प्रेरणा से कार्य हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, क्या कर रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय क्या कर रहे हैं ?

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बून्दी) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को ज्ञात होना चाहिये कि सदस्य कौन हैं। इनको यह पता ही नहीं है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : यह निर्धन लोगों को कानूनी सहायता देने से सम्बन्धित महत्वपूर्ण मामला है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि मंत्री महोदय को ज्ञान नहीं है। कब मीटिंग हुई, कौन अध्यक्ष है ?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में सबसे कम 260 रुपये यहां दिये जाते हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप...।

श्रीमती शशीदत्ता : बस 260 रुपये कर सकते हैं...(व्यवधान)...

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह गरीबों का कानूनी सहायता प्राप्त करने का मामला है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : आपके मीटिंग नहीं हुई। अध्यक्ष कौन हैं ?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको कम्प्लीट होने दें कृपया।

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो दो सौ रुपये का प्रश्न उठाया है, ऐसा नहीं है...(व्यवधान)... मैं बता रही हूं। हरिसिंहजी आप कितने सीनियर हैं, आप बैठ जाइये। मैंने आपको कह दिया, जैसा जगदीप जी से कहा कि जितना मेरे नालेज में हैं, मैंने बता दिया कि जस्टिस टिबरेवाल इसके कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : टिबरेवाल अध्यक्ष हैं ? ...(व्यवधान)...

श्रीमती शशीदत्ता : नहीं।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जस्टिस टिबरेवाल इज नोट अध्यक्ष।

श्री शैलेन्द्र जोशी : टिबरेवाल साहब तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

श्रीमती शशीदत्ता : अध्यक्ष महोदय, मैंने कार्यकारी अध्यक्ष कहा है, इनको बार-बार कहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, लीगल एड बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, यह आपका सवाल है।

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : इस प्रश्न को स्थगित करके दुबारा जवाब मंगा लिया जाये तो ज्यादा बेहतर रहेगा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय, प्रभारी मंत्रीजी को यही पता नहीं कि फ्री लीगल एड बोर्ड का अध्यक्ष कौन है। कार्यकारी अध्यक्ष कौन है, उसकी मीटिंग भी नहीं हुई। आपने किस तरह से...(व्यवधान)...माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान के गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देने का मामला है। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, यह लोक महत्व का मामला है। पहले प्रश्न पूरा करवाइये।

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा आप बिराजिये, बाद में उठा लेना।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप इस प्रश्न का महत्व देखिये। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह निर्धन लोगों को कानूनी सहायता देने का प्रश्न है। इस प्रश्न को पूरा करवाइये।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : आपने इसका मेम्बर किसी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य को क्यों नहीं बनाया ? आप इसमें एक मेम्बर इनका भी रखें (व्यवधान)..

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (औसियां) : पाइंट आफ ऑर्डर, सर।

श्री अध्यक्ष : यदि यह प्रश्न पूरा नहीं हुआ तो आप अन्य माध्यम से उठा सकते हैं। आप बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप इस प्रश्न को स्थगित कीजिये। (व्यवधान).. यह लोक महत्व का मामला है। हमारे मंत्री महोदय ने अपूर्ण जवाब दिया है। उनको कोई जानकारी नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : देयर इज नो पाइंट आफ आर्डर। मैं खड़ा हुआ हूं। \

श्री जगदीप धनखड़ : स्थगित कीजिये ताकि पीड़ित जनता को सहायता मिले।

श्री शैलेन्द्र जोशी : इसके बारे में पूरी जानकारी करके प्रश्न का जवाब दें।

श्रीमती शशीदत्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब दे रही हूं। आप सुनिये। मैंने इनको जवाब दिया (व्यवधान)..

श्री रामस्वरूप मीणा : आप तो हमको उपाध्यक्ष बना दें।

श्रीमती शशीदत्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल असत्य एलीगेशन लगा रहे हैं। मैंने इनको बार-बार कहा कि जस्टिस टिब्रेवाल इनके कार्यकारी अध्यक्ष हैं, मुख्य मंत्रीजी इसके अध्यक्ष हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप क्या हैं?

श्रीमती शशीदत्ता : रामनारायणजी, आप बहुत सीनियर हैं। मैं आपको जवाब दे रही हूं (व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : होंगे सीनियर। आप तो अपनी बात कहिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : उपाध्यक्ष और अध्यक्ष क्या करते रहे ? मीटिंग क्यों नहीं बुलायी ?

श्रीमती शशीदत्ता : आप सुनिये प्लीज।

श्री अध्यक्ष : पूरी बात सुनें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि लीगल एड बोर्ड की एक भी मीटिंग क्यों नहीं हुई ? उसके क्या कारण हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्रीजी, अपनी फेल्योर्स को स्वीकार कर लें और आगे भविष्य के लिये सदन को आश्वस्त करें कि वह नियमानुसार मीटिंग बुलायेंगी और मेम्बर्स को भी बुलायेंगी। आगे के लिए इन्तजाम कर दें।

श्री रामस्वरूप मीणा : इनके खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ?

श्रीमती शशीदत्ता : आप एक मिनट सुनिये। मैं जवाब दे रही हूं। आपकी आदत है कि आप सारे के सारे खड़े हो जाते हैं और बार-बार प्रश्न पूछ लेते हैं। आप एक-एक प्रश्न पूछें तो मैं जवाब दूंगी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : असत्य उत्तर आयेंगे तो निश्चित रूप से सौ प्रश्न पूछेंगे। आप

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

असत्य तौर पर बयान करती हैं, सदन को गुमराह करती हैं सदन में असत्य उत्तर देती हैं। आपको पता ही नहीं है कि उत्तर क्या है।

श्री अध्यक्ष : मुझे सुनने दें। मुझे पूरा काम लेना है।

श्रीमती शशीदत्ता : मैंने असत्य सूचना नहीं दी, सही सूचना दी है लेकिन आप लोगों का स्टैण्ड है कि सारे के सारे खड़े होकर मंत्री पर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। महिला मंत्री है इसलिये आप डरा लेंगे ? कोई जरूरत नहीं है डराने की। आप पूछिये, मैं जवाब दूंगी। हर बात में खड़े हो जाते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। अब आप अन्य तरीके से उठा लेना।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : मैं व्यवस्था दे रहा हूं। There is no point of order at this time. Please, sit down.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं लिखेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : XXX

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट - 2 देखें)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

विधान सभा क्षेत्र खण्डार (सवाई माधोपुर) में विद्युत कनेक्शन

217. **श्री हरिनारायण बैरवा (खण्डार) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम भूरी पहाड़ी, बसोकलां, बसोखुर्द, बड़ौद बड़वास तहसील खण्डार व ग्राम डेहकवा, इटावा, विलोपा टापुर, महापुरा एन्वेर तहसील व जिला सवाई माधोपुर आदि गांवों में विद्युत लाइनें खींची हुई हैं ? यदि हां, तो उक्त गांवों में अब तक विद्युत कनेक्शन क्यों नहीं दिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कई गांवों की जनता ने घरों में कनेक्शन देने के लिए फाइलें जमा करा रखी हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने गांवों की फाइलें हैं जिनके डिमांड नोटिस नहीं निकाले गये हैं ? विवरण की सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि तहसील खण्डार व सवाईमाधोपुर में कुटीर ज्योति योजना चलाई गई थी ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक कितने लोगों को लाभ दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) विधान सभा क्षेत्र खण्डार में कृषि कनेक्शन के लिए एक पोल, दो पोल व अन्य योजनाओं में कितने कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया है ? इन योजनाओं में कितनी फाइलें विचाराधीन हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील खण्डार के ग्राम भूरीपहाड़ी, बसोकलां, बसोखुर्द, बडोद व बदवास में

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री हरिनारायण बैरवा)

विद्युतीकृत करते समय लाइन खींची गई थी। वर्तमान में 11 के. वी. लाइन क्षतिग्रस्त है तथा तहसील सवाईमाधोपुर में ग्राम डहकला, इटावा, बिलोपा टापुर, महपुरा व एचेर में लाइन खींची गई थी परन्तु वर्तमान में सारसोप से एचेर 11 के. वी. लाइन के तार चोरी हो गये तथा टापुर से एचेर से गांव तक की भी लाइन के तार भी चोरी हो गये। जिनकी एफ.आई. आर. दर्ज करवा दी गई है। उक्त ग्रामों की लाइनें क्षतिग्रस्त होने के कारण घरेलू कनेक्शन दिये जाना संभव नहीं हो सका। वर्तमान में सवाई माधोपुर तहसील व खण्डार तहसील के विद्युतीकृत ग्रामों में से 27 ग्रामों की लाइनें क्षतिग्रस्त हैं। क्षतिग्रस्त लाइनों की सूची परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) सवाई माधोपुर एवं खण्डार तहसील में घरेलू कनेक्शन दिये जाने हेतु वर्तमान में 3480 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं जिनमें से 1254 आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जा चुके हैं। शेष आवेदकों को मांग पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। सूची परिशिष्ट "ब" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

(3) जी हां। तहसील खण्डार के 11 गांव के 74 परिवारों को एवं सवाईमाधोपुर तहसील के 9 गांवों के 109 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। लाभान्वित परिवारों की सूची परिशिष्ट "स" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) वर्ष 1996-97 में दिनांक 31.3.1994 तक के अनुसूचित जाति के तथा दिनांक 31.3.1983 तक के सामान्य श्रेणी के लम्बित आवेदन पत्रों को इसी वर्ष कनेक्शन दिया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त करोली व खण्डार पंचायत समिति में 20 कृषि कनेक्शन सामान्य श्रेणी में देने का लक्ष्य है तथा सवाई माधोपुर तहसील में 10 कृषि कनेक्शन सामान्य श्रेणी में देना प्रस्तावित है। एक पोल/ दो पोल योजना में लम्बित आवेदन पत्र व नर्सरी श्रेणी में कनेक्शन दिये जाने की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। वर्तमान में कृषि कनेक्शन हेतु सवाईमाधोपुर व खण्डार तहसील में नर्सरी, अनुसूचित जाति व सामान्य श्रेणी में निम्न प्रकार से पत्रावलियां विचाराधीन हैं :—

तहसील	नर्सरी	सामान्य श्रेणी	अनु.जाति
सवाईमाधोपुर	30	1316	27
खण्डार	59	451	95

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

विक्रित माल का विक्रयकर अधिनियम के तहत अभिग्रहण

270. श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जब माल को विक्रयकर अधिनियम के तहत अभिग्रहीत किया जाता है तो वाहन के खिलाफ कोई केस न होने पर भी उसे अनिश्चित काल के लिये

(श्री वृजेन्द्र सिंह सूपा)

रोका जा सकता है ? यदि नहीं, तो वाणिज्यिक कर अधिकारी, धौलपुर द्वारा टैंकर सं. आर. जे. 50-बी 0314 को दिनांक 4 अगस्त, 1995 से 13 सितम्बर, 1995 तक क्यों रोका गया ?

(2) क्या यह सही है कि नए विक्रय कर अधिनियम, 1994 में इस प्रकार का प्रावधान है कि यदि किसी व्यापारी को वाणिज्यिक कर अधिकारी अथवा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा पारित अपने ही केस में किसी आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त करनी हो तो प्रार्थना-पत्र आयुक्त, वाणिज्यिक कर, जयपुर को ही देना होगा ? यदि नहीं, तो वाणिज्यिक कर अधिकारी , धौलपुर द्वारा मैं. अनिल इण्डस्ट्रीज का प्रतिलिपियां प्राप्त करने का प्रार्थना-पत्र दिनांक 13 अक्टूबर, 1995 को क्यों निरस्त किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं,। अनिश्चित काल के लिए नहीं रोका जा सकता सम्बन्धित टैंकर को अनिश्चित काल के लिए नहीं रोका गया।

(2) ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। उल्लिखित प्रकरण में मैं. अनिल इण्डस्ट्रीज, केकड़ी द्वारा चाही गई प्रतिलिपि उनके विरुद्ध आदेश की नहीं होने की वजह से उसे निरस्त किया गया। कोई व्यक्ति किसी अन्य से सम्बन्धित निर्णय की प्रति प्राप्त करने के लिए आयुक्त, वाणिज्यिक कर की पूर्व पूर्वानुमति आवश्यक है अर्थात् बिना आयुक्त की इजाजत के ऐसी प्रति दिए जाने का प्रावधान नहीं है।

सेवानिवृत्त राज्य कर्मियों को केन्द्रीय कर्मियों के समान ग्रेच्युटी

271. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य कर्मचारियों को वेतन एवं भत्ते तथा पेंशन के साथ मिलने वाली ग्रेच्युटी की राशि व अन्य परिलाभ केन्द्र के समान दिये जाने के लिये सरकार समय-समय पर आदेश जारी करती रही है ?

(2) क्या यह सही है राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की भांति देय ग्रेच्युटी की राशि 85 हजार से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये सेवानिवृत्ति प्राप्त कर्मचारियों को 1 अप्रेल, 1996 से 1 जुलाई, 1993 को देय महंगाई भत्ते को ग्रेच्युटी हेतु मूल वेतन में जोड़कर गणना किये जाने के लिये आदेश जारी किये हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि केन्द्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को उपरोक्त लाभ 1 अप्रेल, 1995 से दिये जाने के आदेश प्रदान किये हैं ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को भी उक्त लाभ 1 अप्रेल, 1995 से दिये जाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं। केवल वर्तमान वेतनमान, 1.9.88 से केन्द्र के समान है, एवं 1.7.86 से महंगाई भत्ता, 1.1.89 से मकान किराया भत्ता एवं 1.6.87 से शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता केन्द्र की दरों के अनुरूप है। पेंशन के साथ मिलने

(मुख्य (वित्त) मंत्री)

वाली ग्रेच्युटी 1.4.96 से केन्द्र के समान की गई है।

(2) जी हां। राज्य सरकार ने सेवानिवृत्ति पर कर्मचारियों की अधिकतम ग्रेच्युटी की राशि 85 हजार से बढ़ाकर 2.50 लाख 1.4.96 से की है।

(3) राज्य सरकार अपने वित्तीय साधनों को मध्यनजर रखते हुए निर्णय लेती है अतः ग्रेच्युटी की संशोधित राशि 1.4.96 से ही देना समुचित समझा गया है।

राज्य सरकार के अधिकारियों को देय हॉटलाइन सुविधा पर व्यय

272. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य सरकार के किन-किन अधिकारियों को हॉटलाइन सुविधा कब-कब से दी गयी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इस सुविधा पर प्रत्येक वर्ष सरकार का कितना खर्च होता है ? गत तीन वर्ष के आंकड़े सदन की मेज पर रखें।

(3) यह सुविधा किस स्तर के अधिकारी को दी जाती है ? इस संबंध में निर्णय लेने के मानदण्ड क्या हैं तथा किस स्तर पर यह स्वीकृति प्रदान की जाती है ? किन-किन अधिकारियों को यह सुविधा दी गयी है उसमें इन मानदण्डों का कहां तक ध्यान रखा गया है।

(4) क्या पूर्व में जिन अधिकारियों को यह सुविधा दी गयी थी उस समय की आवश्यकता व आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस पर पुनः विचार करना आवश्यक है ? यदि हां, तो इस पर कब विचार किया गया और उसके क्या परिणाम रहे है ?

उत्तर

(1) जिन-जिन अधिकारियों को वर्तमान में हॉटलाइन सुविधा उपलब्ध करायी हुई है, सूची संलग्न है।

(2) हॉटलाइन सुविधा पर एक वर्ष में लगभग सवा करोड़ रुपये का खर्चा होता है। गत तीन वर्षों के दौरान के खर्चे का व्यय विवरण निम्नानुसार हैं :—

वर्ष 1993-94	रुपये -	1,24,67,230.00
वर्ष 1994-95	रुपये -	1,34,82,809.00
वर्ष 1995-96	रुपये -	1,00,66,624.00
	रुपये -	3,60,16,663.00

(3) यह सुविधा अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े अधिकारियों को दी जाती है। इस सम्बन्ध में निर्णय शासन सचिव, कार्मिक विभाग एवं मुख्य सचिव महोदय के स्तर पर लिया जाकर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(4) जी हां, इस व्यवस्था पर समय-समय पर विचार कर आवश्यकतानुसार विभिन्न अधिकारियों एवं कार्यालयों को हॉटलाइनों की सुविधा दी जाती है। अंतिम विचार कुछ दिन पूर्व ही किया गया था , हाल ही में लिए गए निर्णयानुसार निम्नलिखित कार्यालयों में एवं अधिकारियों के निवास से उक्त सुविधा हटा ली गई है : —

Page No 32

(३२)

(मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री)

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग - निवास
2. उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग - कार्यालय एवं निवास
3. उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी - कार्यालय
4. पुलिस शहर नियंत्रण कक्ष - भीलवाड़ा
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक - श्रीगंगानगर
6. अतिरिक्त जिला कलक्टर - भीलवाड़ा

तथा निम्नलिखित कार्यालयों एवं अधिकारियों को उक्त सुविधा उपलब्ध करा दी गई : —

1. मेडिकल कन्ट्रोल रूम (चिकित्सा नियन्त्रण कक्ष)

2. इर्रिगेशन कन्ट्रोल रूम (बाढ़ नियन्त्रण कक्ष)

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर हाउस (दिल्ली) की पर्यटन निगम इकाइयों पर बकाया

273. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) :** क्या मुख्य (सामान्य प्रशासन) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में चल रही राजस्थान पर्यटन विकास निगम की इकाइयों पर सरकार की किस-किस किस्म की कितनी-कितनी राशि कब-कब से बकाया है ? उक्त राशि अब तक प्राप्त नहीं होने के क्या कारण रहे ? गत पांच वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि निगम उक्त परिसर में स्थित अपनी विभिन्न इकाइयों का व्यावसायिक उपयोग कर वड़ी राशि अर्जित कर रहा है ? यदि हां, तो सरकार बकाया राशि प्राप्त करने के सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार रखती है और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिल्ली स्थित बीकानेर हाउस में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित इकाइयों का जून, 1996 तक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समस्त राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम उक्त परिसर में स्थित अपनी इकाइयों का उपयोग देशी-विदेशी पर्यटकों को आरक्षण सुविधा, राजस्थान पर्यटन सम्बन्धित सूचना, उपलब्ध करा रहा है। उक्त परिसर के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समस्त किराया राशि का जून, 1996 तक का भुगतान किया जा चुका है।

जिला पाली में देशी/विदेशी मदिरा की दुकानें

274. **श्री खंगार सिंह चौधरी (खारची):** क्या मुख्य (आबकारी) मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे : —

(1) पाली जिले में लाइसेन्स शुदा देशी व विदेशी मदिरा की दुकानें कहां-कहां स्थित हैं ? उक्त दुकानों के लाइसेन्स कब-कब दिये गये ?

Page No 33

(33)

(श्री खंगार सिंह चौधरी)

(2) क्या देशी व विदेशी शराब की दुकानों के लाइसेन्स देने के नियम बने हुये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि जिले में बिना लाइसेन्स की दुकानें चल रही हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) पाली आबकारी जिले में निम्नलिखित स्थानों पर देशी मदिरा/भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा बीयर दुकानात (लोकेशन) स्वीकृत हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.सं.	नाम मदिरा समूह	स्वीकृत दुकानों के नाम	लाइसेन्स देने की तारीख
1	2	3	4
1.	पाली समूह	देशी मदिरा : —1. गुन्दोज, 2. खेरवा 3. झोतडा 4. वायद 5. गुडाएदला 6. गडवाडा 7. रूपावास 8. कुलथाना 9. जैतपुर 10. हाउसिंगबोर्ड 11. स्टेशन भटवाडा 12. सुभाषनगर 13. प्रतापनगर 14. आनंदनगर 15. इन्दिरा कालोनी 16. नया गांव 17.मण्डिया रोड 18. गुडलाईरोड 19. कालूजी की बगीची 20. जग्गीवाडा 21. रामदेवरोड 22. सुमेरपुररोड 23. अम्बेडकर सर्किल 24. चारणियों का वास 25. चाचोड़ी 26. वूसो 27. खोड 28. सूरजपोल 29. सुभाषनगर (ए) भा. नि. वि. म./बीयर/1. खैरवा 2. गुन्दोज 3. रोहट	लाइसेंस दिनांक 16.3.96 से दि. 31.3.96 की अवधि, में दि. 1.4.96 से दि. 31.3.96 की अवधि के लिए दिए गए।
2.	बाली समूह	देशी मदिरा : — बाली II 2. भटवाडा फालना 3. इन्दिरा कालोनी फालना 4. विजयनगर फालना 5. खुडाला 6. सांडेराव II 7. सुमेरपुर I 8.तख्तगढ़ 9. जवाईबांध 10. जाखोडा 11. भारून्दा 12. नोरी 13. खिवान्दी 14. खिमेल 15. पावा 16. वोया 17. वलाना 18. दुजाना 19. मुण्डारा 20. नाना II 21. वेडा II 22. सेवाडी 23. सुमेरपुर नं. 2 24. फालनागांव 25. वांकली 26. चामुण्डरी 27. पालडीजोड़ 28. बीसलपुर 29. वेडा 30. चाणोद 31. आमलियां 32. नाना 33. कोशेलाव 34. लुणावा 35. बाली 36. सुमेरपुर नं. 3 37. हवाई अड्डा फालना 38. बीजापुर 39. कोरटा 40. कोठार 41. ढोला 42. तख्तगढ़ II 43. बलबना 44. सांडेराव 45. फालना	

Page No 34

(34)

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

1	2	3	4
		धा. नि. वि. म. :— 1. बाली 2. विजयनगर फालना 3. खुडाला 4. सुमेरपुर नं. 1 5. तखतगढ़ 6. नाना 7. वेडा 8. सांडेराव रोड फालना 9. सुमेरपुर नं. 2 10. सुमेरपुर न. 3 11. ढोला 12. सांडेराव 13. फालना 14. मुण्डारा	
3.	देसूरी समूह	देशी मदिरा :— 1. सादड़ी 2. वागोल 3. जवाली 4. सोमेशर 5. देसूरी I 6. देसूरी II 7. नारलाई 8. आना 9. राणी गांव 10. सिवास 11. घाणेराव 12. सादड़ी II 13. राणी भटवाड़ा 14. सिन्दरली 15. राणी 16. डायलाना 17. निपल 18. खिवाड़ा 19. नाडोल 20. विजोरा 21. दादाई 22. भगवानपुरा 23. रानी III धा. नि. वि. म. एवं बीयर :— 1. वारली सादड़ी 2. रानी 3. नाडोल 4. रानी III	1.4.96 से 31.3.97
4.	सोजत	देशी मदिरा :— 1. पावटा चौक सोजत 2. अटपडा 3. चौपड़ा 4. चण्डावल 5. सोजतसिटी 6. मिस्त्री कालोनी सोजत 7. वीजागुडा 8. रेन्दडीरोड सोजत 9. वगडी 10. वाकड़ी 11. लाडपुरा 12. बडागुडा 13. सरदारसमंद 14. सोजत रोड़ 15. जैतारणियदरवाजा सोजत धा. नि. वि. म. / बीयरः — 1. अटपडा 2. मोडमटा सोजत 3. सोजत रोड 4. सोजत सिटी	
5.	मार.जंक्शन	देशी मदिरा :— 1.सारडी 2. दूदोड 3. कण्टालिया I 4. मारवाड जंक्शन नं.2 5. बाता 6. जोजावर 7. मारवाड़ जंक्शन प्राइवेट बस स्टेण्ड 8. वोपारी 9. आउवा 10. फुलाद 11. मा. जंक्शन 12. सिरियारी 13. आऊवारोड 14. सारण 15. राणावास 16. वनला 17. कण्टालिया II 18. भीमालिया 19. माण्डा धा. नि. वि. म./बीयर :— 1. मारवाड जंक्शन 2. जोजावर 3. जाडन	
6.	रायपुर	देशी मदिरा:-1. रायपुर 2. कुशालपुरा 3. कुणेजा 4. देवली 5. वर 6. पोपलिया 7. झूठा 8. बिराठिया 9. नाईवाला 10. गिरी 11. नानणा 12. सुमेल 13. वावरा	

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

1	2	3	4
		14. वजोडाकावांडिया 15. वर डाकबंगला रोड 16. जैतारण दरवाजा रायपुर 17. कोर्ट दरवाजा वर 18. वावरा II 19. सिंगला 20. हरिपुर भा. नि. वि. म. /बीयर : — 1. वर 2. वावरा 3. रायपुर	1-4-96 से 31-3-97
7.	जैतारण	देशी मदिरा : — 1. जैतारण बस स्टेण्ड 2. मेडतारोड जैतारण 3. निमाज 4. बलाडा 5. रास 6. निम्बोल 7. कालू 8. डिगरना 9. वलून्दा 10. चावंडिया 11. लाबिया 12. पाटवा 13. कुहकी 14. पीपाडा 15. कोटडिया 16. रतनपुरा 17. लोटोती 18. वेड भा. नि. वि. म./बीयर : — जैतारण बस स्टेंड 2. वररोड जैतारण 3. रास	1-4-96 से 31-3-97

शहरी क्षेत्रों में स्वीकृत भारत निर्मित विदेशी मदिरा एवम् बीयर दुकानें

क्र. स.	स्वीकृत दुकान का नाम	चालू करने की तारीख़
1.	रेल्वे स्टेशन	1-4-96 से 31-3-97
2.	सूरजपोल	2-4-96 से 31-3-97
3.	बस स्टेशन	" "
4.	सुमेरपुर रोड	" "
5.	मण्डिया रोड	12-4-96 से 31-3-97
6.	जनता कॉलोनी	16-5-96 से 31-3-97
7.	रामदेव रोड	" "
8.	हाउसिंग बोर्ड	लोकेशन प्रस्तुत नहीं करने के कारण चालू नहीं।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा नियम बनाए हुए हैं। राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 67 (आई) से 67 (एल) की प्रति संलग्न है।

(3) जी हां। जिले में बिना लाइसेन्स की दुकानों के सम्बन्ध में निम्नांकित स्थानों के लिए शिकायतें प्राप्त हुई हैं : —

1. गान्धी पैट्रोल पम्प सुमेरपुर रोड, पाली
2. इन्दिरा आवासीय कॉलोनी सांवलता, पाली (बाली)

Page No 36

(36)

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

3. इन्दिरा कॉलोनी फालना, बाली
4. चण्डावल स्टेशन सोजत
5. दूदोड, सोजत
6. पीपलाद सोजत
7. रेलडा जैतारण
8. जैतारण नगरपालिका अध्यक्ष
9. सुमेल जैतारण

प्राप्त शिकायतों की जांच करवाई गई व वे निराधार पाई गई।

(नियमों की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट -3 देखें)

जिला राजसमन्द में विश्व बैंक की सहायता से संचालित योजना

275. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम)** : क्या मुख्य (आयोजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार विश्व बैंक की सहायता से राजसमन्द जिले में गरीबी उन्मूलन की एक बड़ी योजना लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो उक्त योजना का प्रारूप, कार्य-क्षेत्र, वित्तीय प्रावधान आदि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना में अब अन्य जिलों को भी शामिल किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन जिलों को ?

(3) उक्त योजना कब से प्रारम्भ कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। विश्व बैंक ने जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के लिए तीन प्रकार के कार्यक्रमों यथा-क्षेत्रीय विकास, सामाजिक कोष व क्षमता विकास तथा दक्षता सुधार को सम्मिलित करने हेतु मानस बनाया है। वित्तीय प्रावधानों का निर्धारण अभी नहीं किया गया है।

(2) जी हां। इस योजना में राजसमंद के अतिरिक्त बारां, चूरू, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ व टोंक सम्मिलित हैं।

(3) यह योजना वर्ष 1997-98 से प्रारंभ करना प्रस्तावित है।

जिला जयपुर की नजूल सम्पत्तियों का मूल्यांकन

276. **श्री बाबूलाल (दूदू)** : क्या मुख्य (सम्पदा) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1991 से 1996 तक कितनी नजूल सम्पत्तियों की किस वर्ष के मूल्यांकन पर रजिस्ट्रियां की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जयपुर जिले की कितनी नजूल सम्पत्तियों का मूल्यांकन कार्य हो चुका है एवं कितनी नजूल सम्पत्तियों का मूल्यांकन कार्य होना शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) जिन नजूल सम्पत्तियों का मूल्यांकन कार्य हो चुका है उन्हें सरकार कब तक विक्रय करने का विचार रखती है ?

(4) सम्पदा अधिकारी के यहां कितने मामले किस कारण लम्बित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्राप्त सूचना के अनुसार 42 नजूल सम्पत्तियों की अक्स-3-73,77,87,90 के मूल्यांकन पर रजिस्ट्रियां की गई हैं। विवरण सलंग्न है।

(2) जयपुर जिले की 357 नजूल सम्पत्तियों का मूल्यांकन कार्य हो चुका है 333 नजूल सम्पत्तियों का मूल्यांकन कार्य होना शेष है। सूची संलग्न है।

(3) जिन नजूल सम्पत्तियों का मूल्यांकन कार्य हो चुका है उन्हें नियमित प्रक्रिया के अनुसार नियमानुसार विक्रय करने की कार्यवाही की जा रही है।

(4) सम्पदा अधिकारी के यहां कुल 44 मामले लम्बित हैं जिसमें

वास्ते अप्रार्थी का जवाब	2 प्रकरण
वास्ते शहादत	22 प्रकरण
वास्ते बहस	20 प्रकरण
	कुल 44

विवरण संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र मकराना की ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करना

277. श्री रूपाराम (मकराना) : – क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मकराना की ग्रामीण जनता जो ढाणियों में निवास करती है को शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़क आदि सुविधाएं प्रदान हों, इसके लिए एक समय सीमा में नये राजस्व ग्राम सृजित करने की योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां, मकराना विधान सभा की ग्रामीण जनता ढाणियों में भी निवास करती है। मूलभूत सुविधा उन्हें प्राप्त हो, इसके लिये राज्य सरकार ने दिनांक 23.2.94 को समस्त जिला कलक्टरों को परिपत्र जारी किया हुआ है। (प्रति संलग्न है)

विधान सभा मकराना क्षेत्र का इस समय ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, जिस ढाणी की आबादी 250 या इससे अधिक हो जिन्हें राजस्व ग्राम घोषित किया जा सके।

(प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट -4 देखें)

तहसील गिर्वा (उदयपुर) में होटल निर्माण प्रकरण

278. श्री शान्तिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की तहसील गिर्वा की ग्राम पंचायत बरड़ा के नाथावतों के गुड़ागांव में एक पहाड़ी भू-भाग की जमीन होटल निर्माण के लिये आवंटित की गई है ? यदि हां, तो कितनी भूमि, किस दर पर और किन शर्तों के तहत आवंटित की गई?

(2) क्या यह सही है कि प्रदूषण निवारण

Page No 38

(38)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

अधिनियम के तहत होटल मालिक को राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति - पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होता है ? यदि हां, तो क्या होटल मालिक द्वारा उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है ? यदि हां, तो किस तारीख को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि होटल निर्माण की स्वीकृति जारी किये जाने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत से स्वीकृति लिया जाना आवश्यक है ? यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में यह स्वीकृति ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि आबंटित की गई जमीन पर आदिवासियों के वर्षों पुराने कब्जे चले आ रहे हैं ? यदि हां, तो क्या उन्हें मुआवजे की राशि दिये जाने एवं अन्यत्र बसाने की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो किस रूप में ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि बरड़ा ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा पंचायत की जमीन पर होटल निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) जी हां। उदयपुर जिले की गिर्वा तहसील की बरडा ग्राम पंचायत के ग्राम नाथावतों का गुडा में स्थित बिलानाम भूमि 5.2900 हैक्टेयर होटल/ रिसोर्ट निर्माण के लिए आबंटित की गई है। भूमि दर एवं शर्तों के लिये आबंटन आदेश की प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। निर्माण करने से पूर्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार होटल मालिक ने अनापत्ति प्रमाण-पत्र हेतु निर्धारित प्रार्थना - पत्र में आवेदन कर दिया है एवं स्थानीय कार्यालय ने प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को अग्रेषित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि मण्डल द्वारा उक्त स्थल पर होटल/ रिसोर्ट निर्माण हेतु भूमि आबंटन के लिए अपनी सहमति पूर्व में दे दी गई है।

(3) जी नहीं, नियमों में प्रावधान नहीं होने से ग्राम पंचायत से अनापत्ति पत्र नहीं लिया गया।

(4) जी नहीं, आबंटित की गई भूमि पर आदिवासियों के कब्जे नहीं चले आ रहे हैं। अतः मुआवजा दिये जाने एवं अन्यत्र बसाये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

(5) जी नहीं, उक्त भूमि ग्राम पंचायत की नहीं होकर बिलानाम सरकार दर्ज है। इस संबंध में पुलिस थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट - 5 देखें)

आसपुरा (श्रीमाधोपुर) की गैर मुमकिन श्मशान भूमि पर अतिक्रमण

279. **श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम आसपुरा, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में गैर मुमकिन श्मशान भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और इसकी जांच भी हुई है ? यदि हां, तो प्राप्त

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत)

शिकायतों एवं जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अतिक्रमण की जानकारी प्रशासन को मिलने के उपरान्त भी इसे हटाने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) इस श्मशान भूमि पर से अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही अब कब तक कर दी जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है। प्राप्त शिकायतों एवं जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं, यह सही नहीं है कि अतिक्रमण की जानकारी मिलने पर तहसील श्रीमाधोपुर पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर बेदखली के आदेश जारी किये। ग्राम पंचायत द्वारा बिना अनुमति भवन बनाने की शिकायत मिलने पर पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर नायब तहसीलदार, श्रीमाधोपुर ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर बेदखली के आदेश पारित किये एवं तावान के 2 रुपये कायम किये। आदेश के विरूद्ध ग्राम पंचायत ने सक्षम न्यायालय में अपील कर दी।

(3) श्री आईदान सिंह द्वारा किये गये अतिक्रमण के विरुद्ध तहसील श्रीमाधोपुर द्वारा बेदखली का आदेश पारित कर दिया है एवं उसे भौतिक रूप से बेदखल करने हेतु पटवारी को निर्देशित कर दिया गया है। ग्राम पंचायत आसपुरा के विरुद्ध पारित आदेश में कार्यवाही न्यायालय के निर्णय के उपरान्त की जा सकेगी।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पाली क्षेत्र के किसानों को कृषि भूमि का आबंटन

280. श्री भीमराज भाटी (पाली) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली में दिसम्बर, 1994 से जून, 1996 तक कितनी कृषि भूमि छोटे किसानों या भूमिहीन किसानों को आवंटित की गई है ? खसरा नं., रकबा एवं आबंटी के नाम, पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त सभी आबंटी वस्तुतः आबंटन के हकदार हैं ? यदि नहीं, तो उन्हें गलत आबंटन किए जाने के कारणों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पाली में दिसम्बर, 1994 से जून, 1996 तक कृषि भूमि का आबंटन नहीं हुआ है। 205 बीघा प्रभावित कृषि भूमि 21 छोटे किसानों या भूमिहीन किसानों को वितरित की गई है। खसरा नम्बर रकबा एवं आबंटियों के नाम, पते सहित सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। उक्त आबंटित भूमि सीलिंग प्रावधानों के अन्तर्गत अवाप्तशुदा भूमि है।

(राजस्व मंत्री)

(2) जी हां। उपरोक्त सभी आवंटी वस्तुतः आबंटन के हकदार हैं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट - 6 देखें)

ग्राम सरणा डूंगर (जयपुर) की पशुपति गौशाला की भूमि

281. श्री गोपीराम जाट (आमेर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) ग्राम सरणा डूंगर, तहसील जयपुर की पशुपति गौशाला में गाय बछड़े आदि की संख्या क्यां है ?

(2) क्या सही है कि दिनांक 25 दिसम्बर, 1985 के प्रार्थना पत्र और आबंटन आदेश दिनांक 11 सितम्बर, 1989 की पालना न होने की शिकायत प्राप्त हुई है यदि हां तो शिकायती पत्र और जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि गौशाला में मात्र 5 गायें हैं और भूमि में स्वीमिंग पूल फलदार पौधे व जौ, गेहूं बाजरा, साग-सब्जी की फसलें ली जाती हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1985-86 से 1995-96 को गिरदावरी की छाया प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार दिनांक 11 सितम्बर, 1989 के आदेश की पालना न होने पर आबंटन निरस्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में पशुपति गौशाला सरणा डूंगर में सात गायें, छः बछड़ी एवं दो बछड़े तथा एक साण्ड उपलब्ध है।

(2) जी हां। यह सही है। माननीय विधायक महोदय ने दिनांक 17.1.96 को शिकायत की थी, जिसकी प्रति संलग्न है। शिकायत की प्रति पर तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्राप्त किया जा रहा है।

(3) जी नहीं। यह सही नहीं है कि गौशाला में मात्र 5 गायें हैं। वर्तमान में 7 गाय, 6 बछड़ी व 2 बड़े बछड़े एवं एक साण्ड उपलब्ध है। पशुपति गौशाला खं. नं. 133/2 में स्थित है जबकि स्वीमिंग पुल ख. नं. 132 की तलहटी में पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड में मन्दिर श्री सीतारामजी वाके ग्राम सरणा डूंगर दर्ज है। पशुपति गौशाला को भूमि आबंटन 1989 में हुआ था। अतः वर्ष 1989 से अर्थात् संवत 2045 से 2052 तक की खसरा गिरदावरी की फोटो प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गई है। गिरदावरी के अनुसार यह सही है कि गौशाला की भूमि में फलदार पौधे आंवले, नींबू के पेड़ लगाये गये हैं। यह भी सही है कि विगत वर्षों में उक्त भूमि में गेहूं, जौ, बाजरा की फसलें काश्त की गई हैं।

(4) आबंटन आदेश की पालना नहीं होने के कारण आबंटी को आबंटन आदेश निरस्त करने हेतु नोटिस दिया गया है। जिसमें सुनवाई की विधिवत कार्यवाही चल रही है। सुनवाई में अग्रिम दिनांक 9.7.96 निश्चित है। निर्णय उपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(रिपोर्ट की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

(41)

ग्राम कालाडेरा (जयपुर) में भूमि का नामान्तरकरण प्रकरण

282. श्री रामेश्वरलाल चौधरी (नावां) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या ग्राम कालाडेरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर की भूमि खसरा नम्बर 198, 965/1, 965/2 एवं 965/4 का नामान्तरकरण संख्या 652 भू-प्रबन्धक, चौमूं द्वारा खोला गया है ? यदि हां, तो नामान्तरकरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त भूमि के नामान्तरकरण को चार भाइयों के नाम बराबर-बराबर नहीं खोला गया है ? यदि हां, तो क्यों और इसमें कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है ? क्या सरकार दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

(3) क्या उक्त नामान्तरकरण में भूमि कम-बेशी किये जाने का कारण सहायक भू-प्रबन्धक ने यह माना है कि इस संबंध में एक लिखावट/इकरारनामा एक व्यक्ति द्वारा लिखा हुआ है ? यदि हां, तो जो इकरारनामा भू-प्रबन्धक के यहां पेश किया गया की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त नामान्तरकरण दिनांक 31 जुलाई, 1987 को खोला गया था और सहायक प्रबन्ध की राय से जो फर्जी कार्यवाही करके इकरारनामा तैयार किया गया है में दिनांक 8 अगस्त, 1987 अंकित है ? यदि हां, तो फिर नामान्तरकरण इकरारनामे से पहले ही इस अधार पर किस कारण से खोला गया ? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, और नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या उक्त प्रकरण की श्री कल्याण सहाय द्वारा सम्बन्धित उच्च अधिकारियों को शिकायतें भी की गयी थीं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ? प्राप्त शिकायतों की प्रतियां एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त फर्जी तरीके से खोले गये नामान्तरकरण को अब रद्द करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। नामान्तरकरण संख्या 652 की छाया प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। उक्त नामान्तरकरण में चारों भाईयों के हिस्से की भूमि को बराबर नहीं किया गया है। तत्का. सहा. भूप्रबन्ध अधि. द्वारा मिसल सं.57/87 निर्णय दिनांक 28.7.87 से यह विभाजन सह कृषकों में इकरारनामे के आधार पर किया गया है। इसमें कोई अधिकारी / कर्मचारी दोषी नहीं है।

(3) जी, नहीं। तत्कालीन सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी ने निर्णय दिनांक 28.7.87 में इकरारनामे को आधार माना है। लेकिन निर्णय में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि उक्त इकरारनामा एक ही व्यक्ति द्वारा लिखा

(राजस्व मंत्री)

गया है। इकरारनामे की फोटो प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) नामान्तरकरण संख्या 652 दिनांक 31.7.87 को खोला गया था। प्रस्तुत इकरारनामे में दिनांक 8.6.87 अंकित है। जब नामान्तरकरण इकरारनामे से पूर्व खोला ही नहीं गया तो जांच की आवश्यकता ही उत्पन्न नहीं होती है।

(5) जी, हां। शिकायत की जांच सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी से करवाई गई थी, इन्होंने दिनांक 28.7.87 द्वारा खोले गये नामान्तरकरण को नियमानुसार सही माना है। सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के पत्रांक 1499 दिनांक 15.9.95 एंव श्री कल्याण सहाय द्वारा की गई शिकायत प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(6) जी नहीं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जसवन्तगढ़ (नागौर) की चरागाह भूमि पर अतिक्रमण

283. श्री **हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम जसवन्तगढ़, तहसील लाडनूं, जिला नागौर के खसरा नम्बर 104 की चरागाह भूमि पर नाजायज कब्जा करके दुकानें बना ली गई हैं ? यदि हां, तो कब, कितनी भूमि पर, किस के द्वारा तथा उस समय पटवारी व गिरदावर कौन थे ?

(2) क्या यह भी सही है कि इस माम[ले] में राजस्व अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही क[ी] गई ? यदि हां, तो कब -कब और क्या-क्या

(3) क्या यह भी सही है कि नाजाय[ज] कब्जा करने वालों ने कब्जा नहीं हटाने बा[बत] स्थगन आदेश प्राप्त किया है ? क्या यह [भी] सही है कि यह स्थगन आदेश ग्राम आसोट[ा] की भूमि के फर्जी पट्टे या सनद बताकर लि[ये] हैं ? यदि हां, तो ग्राम जसवन्तगढ़ की भूमि पर यह स्थगन आदेश कैसे लागू हुआ तथा कब्जा क्यों नहीं हटाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि ग्राम जसवन्तगढ़, तहसील लाडनूं, जिला नागौर के ख. नं. 104 किस्म जमीन गै. मु. चरागाह के आधा बिस्वा पर श्री विजयसिंह पुत्र हरिसिंह राजपूत निवासी आसोटा ने नाजायज कब्जा कर दुकानें संवत 2051 में बना ली थीं। उस वक्त जसवन्तगढ़ पटवारी श्री गोकुलदान व गिरदावर श्री द्वारका प्रसाद थे।

(2) यह सही है कि इस मामले में संवत 2051 - 2052 में राजस्व अधिकारियों द्वारा धारा 91 एल. आर. एक्ट. के तहत कार्यवाही कर दिनांक 27.12.95 को बेदखली के आदेश पारित किये थे तथा संवत 2052 में धारा 91 (6) एल. आर. एक्ट. के तहत दिनांक 7.1.96 को पुलिस में मामला दर्ज करवाया था। जिसमें एफ. आर. अदम दकु दी गई।

(3) जी, हां। यह सही है कि नाजायज कब्जा करने वालों ने कब्जा नहीं हटाने बाबत स्थगन आदेश सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं

(राजस्व मंत्री)

न्यायिक मजिस्ट्रेट, लाडनूं के न्यायालय से मुकदमा नं. 44/95 में दिनांक 15.7.96 तक का स्थगन आदेश लिया है। अतिक्रमी ने एक वाद सिविल न्यायाधीश के यहां प्रस्तुत किया जिसमें तहसीलदार, लाडनूं व नायब तहसीलदार, लाडनूं को अप्रार्थी बनाया है। उक्त वाद के साथ अतिक्रमी ने एक आवेदन-पत्र आर्डर 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रस्तुत कर ग्राम आसोटा की भूमि के साथ-साथ जसवन्तगढ़ के ख.नं. 104 रकबा आधा बिस्वा भूमि को शामिल कर स्थगन आदेश के साथ ग्राम जसवन्तगढ़ की भूमि को सम्मिलित करते हुए लिया गया है। इसलिये जसवन्तगढ़ की इस भूमि पर स्थगन लागू हुआ है। आदेश वर्तमान में प्रभावशाली होने से कब्जा नहीं हटवाया जा सका है।

ग्राम टोडारायसिंह (टोंक) के रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण

284. श्री मदन मोहन (खैरथल) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम टोडारायसिंह जिला टोंक की बाकायत में खसरा नम्बर 3170 के पास काश्तकारों के आने-जाने हेतु पुराने नक्शे में तथा नये नक्शे में 32 फीट का आम रास्ता है ? यदि हां, तो क्या उस पर कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा मिलकर अपने खेतों में मिलाकर अवैध कब्जा कर रास्ते की भूमि पर काश्त करना चालू कर रखा है ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों ने उस पर अतिक्रमण कर रखा है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार ने हल्का पटवारी को अपने पत्र क्रमांक 487 दिनांक 9 सितम्बर, 1991 को उक्त आम रास्ते की नाप कराकर उसे हटाने का आदेश दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पुनः नाप कराकर व पुलिस की मदद लेकर उक्त रास्ते पर पत्थरगढ़ी कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस रास्ते से आने-जाने वाले सभी कृषकों ने सरकार को उक्त अतिक्रमण हटाने के लिए बार-बार प्रार्थना-पत्र भी प्रेषित किये हैं ? यदि हां, तो उनकी प्रतियां सदन की मेज पर रखें। विभाग ने उस पर अब तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या सरकार अब उक्त आम रास्ते पर हो रहे अतिक्रमण को हटाकर अतिक्रमियों के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) ग्राम टोडारायसिंह में मुताबिक गत रिकार्ड के ख.नं. 3170 कुल रकबा 422 बीघा 10 बिस्वा बागायत के नाम से जाना जाता है। ख.नं. 3170 के पास मुताबिक गत नक्शा शीट में एक आम रास्ता ग्राम टोडारायसिंह से ग्राम सूरजपुरा, लाडपुरा की सीमा के सहारे-सहारे ग्राम थडोली को जाता है। यह रास्ता वर्तमान रिकार्ड व नक्शा शीट भू-प्रबन्ध में ख.नं. 2820 रकबा 0.75 है ख.नं. 3172 रकबा

Page No 44

(44)

(राजस्व मंत्री)

09.72 हैक्टेयर अंकित है। यह रास्ता मौके पर वेबेसेकटोक चालू है कोई अतिक्रमण नहीं है। इस रास्ते की चौड़ाई मौके पर कहीं 20 फीट, 330 फीट तथा कहीं 80 फीट तक है। कालांतर में ग्राम टोडारायसिंह के गत ख. नं. 3170 में 75 व्यक्तियों को रकबा 286 बीघा 11 बिस्वा भूमि का आवंटन हुआ जिनका वर्तमान भू-प्रबन्ध रिकार्ड में अमलदरामद किया है। इस आवंटित रकबे में कृषकों के आने जाने हेतु प्रश्नगत विवादास्पद रास्ता मौके पर स्थित है।

(2) तहसीलदार, टोडारायसिंह ने अपने पत्र क्रमांक 487/वाचक दिनांक 7.9.91 से पटवारी हल्का टोडारायसिंह को श्री भैरूलाल पुत्र रामप्रसाद चौबे निवासी टोडारायसिंह के प्रार्थना पत्र पर विवादास्पद आम रास्ते को खुलासा करने व रिपोर्ट करने का आदेश दिया था, जिस पर तत्कालीन पटवारी हल्का टोडारायसिंह ने मौके पर जाकर गत ख. नं. 3170 में रामदेव पुत्र नाथू तेली एवं भैरूलाल पुत्र रामप्रसाद शर्मा के आबंटित खातेदारी भूमि के मध्य पूर्व में उपयोग में लिये जा रहे रास्ते को खुलासा कराया गया था। यह रास्ता गत रेकार्ड व नक्शा शीट में अंकित नहीं है। हाल सैटलमेन्ट द्वारा तैयार नक्शे की प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। दिनांक 9.9.91 को पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया मौके का नजरी नक्शा एवं पर्द मौका कार्यवाही की फोटो प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। साथ ही आई. एल. आर. द्वारा 9.11.95 को की गई रिपोर्ट की छाया प्रति भी अवलोकनार्थ संलग्न है।

(3) विवादास्पद रास्ता रेकार्ड में अंकित नहीं है। अतः नियमानुसार पत्थरगढ़ी अथवा माप की कार्यवाही की जाने में असमर्थता है। राज. काश्तकारी अधिनियम की धारा 291 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत खातेदारी भूमि में स्थित चालू रास्ते को आम उपयोग हेतु खुलासा तो करवाया जा सकता है लेकिन कोई नया रास्ता खातेदारी के खेतों में से होकर रेकार्ड में बनाने का अधिकार किसी भी अधिकारी को नहीं है।

(4) कृषकों की खातेदारी भूमि में स्थित प्रश्नगत विवादास्पद रास्ते को खुलासा कराने के लिये दिनांक 12.10.95 को एक प्रार्थना पत्र भैरूलाल शर्मा पुत्र रामप्रसाद शर्मा निवासी टोडारायसिंह ने काश्तकारों के हस्ताक्षर करवाकर पेश किया था जिस पर पटवारी हल्का, गिरदावर हल्का से जांच रिपोर्ट ली गई। विवादास्पद रास्ता गत व नवीन अभिलेखों में अंकित नहीं होने के कारण मौके पर नाप नहीं की जा सकी। भैरूलाल आत्मज रामप्रसाद ब्राह्मण निवासी टोडारायसिंह की खनं. 3170 में 5 बीघा भूमि खातेदारी में है। इसी ख. नं. 3170 में भैरूलाल ने 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। इसी के साथ ही ख. नं. 3170 में रामदेव पुत्र नाथू तेली का खातेदारी का रकबा 5 बीघा है। इन दोनों के बीच आपसी विवाद को लेकर रास्ते में डोल लगाकर रास्ता सकड़ा कर दिया है। वर्तमान में मौके पर एक गड्डा, करीब 10 फीट चौड़ा रास्ता है जिस पर बैलगाड़ी आ जा सकती है।

(5) प्रश्नगत विवादास्पद उक्त आम रास्ता कृषकों की खातेदारी भूमि में स्थित है। यह रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकित नहीं है। अतः

Page No 45

(45)

(राजस्व मंत्री)

कृषकों के विरुद्ध नियमानुसार अतिक्रमण की कार्यवाही नहीं की जा सकती। गत ख. नं. 3170 में अवशेष सिवायचक रकबा 80 बीघा 19 बिस्वा रकबे में 14 व्यक्तियों का कुल 58 बीघा 15 बिस्वा पर अतिक्रमण है। इस अतिक्रमित रकबे में भैरूलाल पुत्र रामप्रसाद ब्राह्मण का भी 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमण है। सभी अतिक्रमियों के विरुद्ध नियमानुसार तहसीलदार, टोडारायसिंह को प्रभावी कार्यवाही अमल में ली जाने हेतु निर्देशित कर दिया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

देवस्थान की सम्पत्ति के रख-रखाव की आवंटित राशि

285. श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा अपने अधीन सम्पत्तियों की देखरेख की जाती है ?

(2) यदि हां, तो ऐसी कितनी सम्पत्ति विभाग के पास है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या देवस्थान विभाग की सम्पत्ति के रख-रखाव के लिये कोई राशि आवास विकास या अन्य संस्था को आवंटित की गई है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि, कहां-कहां के लिये आवंटित की गई है ? मदवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार एवं आत्मनिर्भर श्रेणी के मंदिरों की अचल सम्पत्ति की सूची संलग्न है।

(3) जी, हां। देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित राजकीय मंदिरों के सर्वांगीण विकास हेतु आवास विकास संस्थान 50.00 लाख रुपये आवंटित किये गये हैं। इस आवंटित राशि में से वर्ष 1994-95 में निम्न छः मंदिरों के सर्वांगीण विकास का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है :—

क्र. सं.	नाम मंदिर	खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि
1.	मंदिर श्री जगदीश जी, उदयपुर	27.30 लाख
2.	मंदिर श्री पाला गणेश जी, उदयपुर	10.20 लाख
3.	मंदिर श्री राज-रणछोड़जी, बीकानेर	15.00 लाख
4.	मंदिर श्री राजरतन बिहारीजी, बीकानेर	24.00 लाख
5.	मंदिर श्री लक्ष्मणजी, भरतपुर	13.54 लाख
6.	मंदिर श्री रामचन्द्र जी, जयपुर	15.00 लाख

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पीपलखूंट क्षेत्र की हितग्राही योजना

286. श्री फूलचन्द मीणा (सलूम्बर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि पीपलखूंट वन क्षेत्राधिकारी के अधीन हुडा बावजी कूप नम्बर एक "हितग्राही योजना" में आरम्भ किया गया है ? यदि हां, तो हितग्राही योजना क्या है ?

(2) उक्त योजना में किन-किन आदिवासी किसानों को शामिल कर लाभान्वित किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) इस योजना की संविदा क्या थी ? इसकी पालना की गई या नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां। हितग्राही योजना का उद्देश्य आदिवासियों की वन संरक्षण में रुचि बढ़ाना एवं उन्हें वृक्षारोपण द्वारा स्थाई रोजगार उपलब्ध कराना था।

(2) रेन्ज पीपलखूंट के अन्तर्गत वन खण्ड हुडा-बावजी क. नं. (1) में हितग्राही योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) हितग्राही योजना की संविदा का विवरण परिशिष्ट "ख" के अनुसार संलग्न है। संविदा की हितग्राही परिवारों द्वारा पालना नहीं की गयी।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट - 7 देखें)

रामगढ़ (बून्दी) वन्य जीव अभ्यारण क्षेत्र में खनन पट्टे

287. श्री गोपी चन्द गुर्जर (नगर) :– क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रामगढ़ वन्य जीव अभयारण (बून्दी) के 500 मीटर परिधि क्षेत्र में खनिज विभाग द्वारा खनन पट्टे जारी करने तथा खनन का कार्य हो रहा है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि खनन पट्टों की स्वीकृति हेतु विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा ?

(3) क्या अभ्यारण के निकट खनन कार्य करने से वन्य जीवों के स्वतंत्र विचरण में व्यवधान होता है ? यदि हां, तो इस बाबत क्या कार्यवाही की जाती है ?

उत्तर

(1) जी, हां। वर्तमान में खनिज विभाग द्वारा जारी खनन पट्टे के आधार पर ग्राम मोतीपुरा, दलेलपुरा, खटिवाडी, बारबास कडीपारा, फूटतालाब तथा बडी बारां के क्षेत्र में खनन हो रहा है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अभ्यारण से 25 मीटर क्षेत्र में कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

सांगोद (रामगंज मंडी) की फव्वारा सिंचाई योजना में अनियमितता

288. श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रामगंजमंडी के उपखण्ड की सांगोद तहसील में फव्वारा सिंचाई योजना में किसानों के नाम फर्जी पत्रावलियां

(श्री भरत सिंह)

तैयार करवाकर अनुदान राशि हड़पने की कोई शिकायत सामने आई है ? यदि हां, तो इसके कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ?

(2) क्या यह सही है कि किसी अधिकारी या फव्वारा सैटों में अत्यधिक अनुदान सहायता का लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस केस या अन्य कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो विभाग इस प्रकार की फर्जी कार्यवाही को किस प्रकार रोकने में सफल होगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। इसके लिये निम्न अधिकारी/ कर्मचारी प्रथम दृष्टया जिम्मेदार पाये गये हैं :—

1. श्री विजय कुमार गेमावत, सहायक कृषि अधिकारी, सांगोद (प्रथम) उपखण्ड, रामगंज मण्डी।

2. श्री धन्ना लाल गौड़, कृषि पर्यवेक्षक, लक्ष्मीपुरा, सहायक कृषि अधिकारी, सांगोद (द्वितीय) उप जिला, रामगंजमण्डी।

(2) जी हां, इस प्रकार की फर्जी कार्यवाही को रोकने के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये श्री विजय कुमार गेमावत, सहायक कृषि अधिकारी को निदेशालय के पत्र क्रमांक 2229-33 दिनांक 17.6.96 तथा श्री धन्ना लाल गौड़, कृषि पर्यवेक्षक को पत्र क्रमांक 3061-65 दिनांक 27.6.96 को आरोप पत्र नियम 16 सी. सी. ए. में दिये गये हैं। दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर इसे रोके जाने का प्रयत्न किया जावेगा।

सिंचित क्षेत्र विकास कार्यों पर व्यय

289. श्री बनवारी लाल भिण्डा (फतेहपुर): क्या सिंचित क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान सिंचित क्षेत्र विकास कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई ? इनमें से कितनी राशि से सड़क निर्माण एवं वृक्षारोपण तथा कितनी डिग्गियों का निर्माण कराया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र विकास कार्यों पर वर्ष 1994-95 व 1995-96 के दौरान निम्नानुसार धनराशि का व्यय किया गया :—

1.	वर्ष 1994-95	(आयोजना + क. प्र. यो.)	7340.53
2.	वर्ष 1995-96	(आयोजना + क.प्र.यो.)	10061.98 (प्रारम्भिक लेखा आंकड़ा)
		कुल	17402.51 लाख रुपये में

इनमें से सड़क निर्माण वृक्षारोपण तथा डिग्गी निर्माण पर धनराशि का व्यय निम्नानुसार किया गया : — (यह सभी व्यय राज्य आयोजना मद से किये गये क्योंकि इन कार्यों पर क.प्र.यो. से सहायता देय नहीं है)

Page No 48

(48)

(राज्य मंत्री, सिंचित क्षेत्रीय विकास)

1. सड़क निर्माण	(व्यय लाखों में)
1994-95	1089.12
1995-96	1179.38 (प्रारम्भिक लेखा आंकड़ा)
कुल	2268.50

2. वृक्षारोपण	सीएडी मद		ओ.ई.सी.एफ.	योग (व्यय करोड़ों में)
1994-95	2.04	0.52	15.00	17.56
1995-96	2.19	0.30	16.27	18.76 (प्रारम्भिक लेखा आंकड़ा)
कुल योग :	4.23	0.82	31.27	36.32

3. डिग्गी निर्माण	नव निर्मित डिग्गी सं.	मरम्मत की गई डिग्गी सं.	(व्यय लाखों में)
1994-95	20	50	158.09
1995-96	26	86	172.07
		योग :	330.16 (प्रारम्भिक लेखा आंकड़ा)

नोट : – I - दिये गये आंकड़े वर्ष 1995-96 के मार्च तक के हैं।

II - मार्च पूरक लेखा एवं महालेखाकार स्थानान्तरण प्रविष्टि प्रस्तावित मानते हुए उपरोक्त आंकड़ें प्रारम्भिक हैं। फाइनल आंकड़ें मार्च पूरक लेखा महालेखाकार में समायोजन होने के पश्चात लगभग माह अक्टूबर तक उपलब्ध हो सकेंगे।

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीजवाड़ चौहान (अलवर) में छात्रों की जन्मतिथि में परिवर्तन प्रकरण

290. श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सत्र 1995-96 में जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) अलवर द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बीजवाड़ चौहान अलवर में छात्रों की जन्मतिथि में परिवर्तन संबंधी शिकायतों की जांच कराई गई ? यदि हां, तो जांच किन-किन व्यक्तियों द्वारा की गई ? जांच का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि छात्रों की जन्मतिथि में परिवर्तन विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा ही झूठे प्रार्थना-पत्र एवं शपथ-पत्र प्रस्तुत कर की गई है ? यदि हां, तो जन्म तिथि परिवर्तन करने वाले कर्मचारियों के नाम एवं पद तथा किस-किस छात्र की जन्म तिथि में

(श्री कन्हैयालाल मीणा)

परिवर्तन किया गया है उनके नाम व पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है इसकी शिकायतें समय-समय पर विभाग के उच्च अधिकारियों को भी की गई थीं ? जिस पर जांच अधिकारी द्वारा पक्षपातपूर्ण जांच कर तथ्यों को छुपाने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के आदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? क्या सरकार अब इस संबंध में विभागीय कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या तथा कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री गणपतसिंह प्रधानाचार्य, राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, शाहजहांपुर (अलवर) से जांच कराई गई। जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच की रिपोर्ट सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। छात्र कृष्णलाल पुत्र श्री सियाराम यादव की जन्मतिथि में परिवर्तन हेतु राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, शाहजहांपुर (अलवर) के श्री रतन सिंह, अध्यापक द्वारा झूठा प्रार्थना पत्र/ शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। उसके कारण जन्मतिथि में परिवर्तन हुआ।

(3) जी हां। जन्मतिथि परिवर्तन की शिकायत प्राप्त होने पर जांच करवाई गई। जांच अधिकारी द्वारा पक्षपातपूर्ण जांच कर तथ्यों को छुपाने संबंधी कोई रिपोर्ट/शिकायत प्राप्त न होने तथा जांच निष्पक्ष होने के कारण जांच अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही पैदा नहीं हुआ।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

जिला धौलपुर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परिक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को नष्ट किये जाने का प्रकरण

291. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या धौलपुर जिले में इस वर्ष ली गयी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को एकत्रित करने, प्रश्न पत्रों को रखने तथा राज्य के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में धौलपुर स्थित अध्यापकों को परीक्षण के लिये वितरण हेतु भेजी गयी उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रहण के महाराणा सीनियर उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में बनाये गये केन्द्र को उसमें सो रहे बोर्ड के दो प्रतिनिधियों सहित जला देने के प्रयास का प्रकरण विभाग के ध्यान में आया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जांच उपरान्त किन-किन व्यक्तियों को दोषी पाया गया तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

जी हां। यह सही है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा धौलपुर में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, धौलपुर में वर्ष 96 की परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं के बंडल संग्रहण/वितरण के कार्य हेतु केन्द्र स्थापित करते हुए बोर्ड के द्वारा दो प्रतिनिधि नियुक्त किये गये थे।

Page No 50

(50)

(शिक्षा मंत्री)

असामाजिक तत्वों ने दिनांक 25.3.96 की रात्रि को इस केन्द्र में उत्तर पुस्तिकाओं के रखे हुए बंडलों को जलाने का प्रयास किया था। उस कक्ष में बोर्ड के प्रतिनिधि श्री सो रहे थे। उक्त घटना की जानकारी होते ही बोर्ड व जिला प्रशासन ने सक्रिय होकर उत्पन्न हुई स्थिति पर तुरन्त काबू पा लिया तथा उसी शाला में अधिक सुरक्षित स्थान पर संग्रहण करने का कार्य स्थानान्तरित कर सुरक्षा के कड़े प्रबन्ध कर दिये। इस घटना की पुलिस थाने में इस शाला के शाला प्रधान द्वारा दिनांक 26.3.96 को एफ.आई. आर. दर्ज कराई गयी। पुलिस के द्वारा तफ्तीश के पश्चात् 3.6.96 को एफ. आर. लगा दी गयी। जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र), धौलपुर के द्वारा दिनांक 26.3.96 को जांच की गयी। जांच रिपोर्ट के आधार पर इस घटना में बाहरी एवं असामाजिक तत्वों का कार्य होने व इसमें विभाग के किसी कर्मचारी का हाथ होना नहीं पाया गया अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित प्रतीत नहीं होता।

पंचायत समिति भीम (राजसमन्द) हेतु लोक जुम्बिश योजना

292. श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) राज्य के किन-किन जिलों के किस-किस उपखण्ड/पंचायत समिति में लोक जुम्बिश योजना लागू है।

(2) क्या सरकार राजसमन्द जिले की भीम पंचायत समिति के सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुए पंचायत समिति, भीम में भी "लोक जुम्बिश" योजना लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वर्तमान में लोक जुम्बिश परियोजना 58 विकास खण्डों में लागू है। विकास खण्डों की सूची संलग्न है।

(2) लोक जुम्बिश परियोजना अन्तर्गत विकास खण्डों का चयन क्षेत्र के पिछड़ेपन, पंचायत समिति का उत्साह तथा क्षेत्र में स्वैच्छिक संस्थानों की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है। आगामी वर्षों में लोक जुम्बिश परियोजना के प्रस्तावों के साथ पंचायत समिति भीम के विस्तार होने पर अन्य पंचायत समितियों के प्रस्ताव पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट -9 देखें)

तृतीय श्रेणी बी.एड. अध्यापकों को अग्रिम वेतन वृद्धि

293. श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार ऐसे तृतीय श्रेणी अध्यापकों को जो चयनित वेतनमान में हैं और जिन्होंने बी.एड. कर ली हो, को एक अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में शिक्षक संघों से भी कोई ज्ञापन प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्यादेश क्रमांक - 11 (72) शिक्षा -2/88 दिनांक 30-4-93 के तहत चयनित वेतनमान प्राप्त अध्यापकों के द्वारा सेवाकाल में बी.एड. प्रशिक्षण प्राप्त करने पर अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने का प्रावधान नहीं है तथा इसे न्यायोचित नहीं माना गया है।

(2) जी हां। संघ से इस मांग के पर्याप्त आधार औचित्य सहित प्राप्त नहीं हुए हैं।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल पर ऋण भार

294.श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल पर वर्ष 1995-96 तक कुल कितना ऋण भार था? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में मण्डल ने किन-किन सरकारी/गैरसरकारी संस्थाओं से कितना-कितना ऋण लिया है और उस राशि का उपयोग किस-किस प्रयोजन में किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मण्डल ने उक्त संस्थानों से ऋण लेकर उत्पादन में कितने किलोवाट की वृद्धि की है ?

उत्तर

(I) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के वर्ष 1995-96 के वार्षिक लेखे अभी तैयार नहीं हो पाये हैं, तथापि अन्तिम (प्रोवीजनल) आधार पर वर्ष 1995-96 तक 3781.07 करोड़ रुपये का कुल ऋण भार था, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :—

	(करोड़ रुपये में)
1. राज्य सरकार के ऋण	1805.84
2. अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण का विवरण	
(I) खुले बाजार से ऋण	423.05
(II) जीवन बीमा निगम	311.01
(III) औद्योगिक विकास बैंक /लघु औद्योगिक विकास बैंक -	210.17
(IV) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम	475.63
कृषि हेतु बैंक से ऋण	31.63
(V) ऊर्जा वित्त निगम	272.24
(VI) मुख्य मंत्री कोष	1.50
(VII) रीको के माध्यम से प्राप्त ऋण	250.00
योग (2)	1975.23
कुल (1+2)	3781.07

(ऊर्जा मंत्री)

(2) मण्डल द्वारा गत तीन वर्षों में लिये गये ऋणों का विवरण निम्न प्रकार है : —

क्र. सं.	विवरण	1993-94	1994-95	1995-96 (अन्तिम)
1.	राज्य सरकार	379.31	276.10	356.26
2.	वित्तीय संस्थाएं :			
	(i) खुले बाजार से ऋण बाण्ड्स	38.15	-	-
	(ii) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एवं लघु औद्योगिक विकास बैंक	72.75	70.48	97.29
	(iii) भारतीय जीवन बीमा निगम	42.06	83.04	59.38
	(iv) ग्रामीण विद्युतिकरण निगम	72.22	77.04	70.65
	(v) विशेष कृषि परियोजना हेतु प्राप्त ऋण	5.33	6.13	11.67
	(vi) ऊर्जा वित्त निगम	83.44	101.43	78.22
	(vii) रीको के माध्यम से प्राप्त ऋण	-	250.00	-
	(viii) स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	-	30.00	-
	(ix) रा. रा. अ. जा. /ज. जा. वि. निगम	-	20.00	-
	कृषि विपणन मण्डल	2.50	-	-
	(x) राजस्थान भूमि विकास निगम	5.00	-	-
	(xi) रीको से अल्पावधि ऋण	-	20.00	-
	योग :-	700.76	934.22	673.47

ऋण से प्राप्त राशि का उपयोग विद्युत उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण, ग्रामों के विद्युतीकरण, कृषि हेतु कुओं के ऊर्जीकरण एवं विद्युत सम्बन्धी अन्य विकास कार्यों हेतु लिया गया।

(3) उपरोक्त संस्थाओं से ऋण राशि का उपयोग भाग-2 के उत्तर में दर्शाये गये विभिन्न प्रयोजनार्थ किया गया कुछ उत्पादन परियोजनाओं यथा रामगढ़ गैस परियोजना (3000 किलोवाट) रामगढ़ विस्तार योजना (35500 कि.वा.) तथा कोटा तापीय परियोजना स्टेज -III (2,10,000 कि.वा.) के लिए, लिये गये ऋण परियोजना लागत का अंश मात्र हैं जो योजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए, लिये गये।

(ऊर्जा मंत्री)

पावर प्लान्ट्स में जो राशि व्यय की जाती है उसी के अनुपात में विद्युत उत्पादन प्रारम्भ नहीं होता है - वह तो प्लान्ट्स के कमिशनिंग के बाद से ही संभव है - अतिरिक्त आर्थिक संसाधनों से जो राशि प्राप्त की गई उससे वर्ष 1995-96 में अनुमानित 1107 करोड़ रु. की बिजली खरीदी गई जो पिछले वर्ष के मुकाबले 216 करोड़ अधिक थी। जहां पिछले वर्ष 6 प्रतिशत अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराई गई वहां इस वर्ष 15% अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराई गई।

विद्युत मण्डल में ट्रान्सफार्मर्स की खरीद

295. श्री हरिसिंह (महुआ) : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या यह सही है कि विद्युत मण्डल ने इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जाने बाबत निर्णय लिया है ? यदि हां, तो वर्ष 1995-96 में कितने मीटर कितने रुपयों के खरीदे गये ? इलेक्ट्रोनिक मीटर किस-किस फर्म या फैक्ट्री से खरीदे गये हैं ? जिन-जिन फैक्ट्री या फर्म्स से खरीदे गये हैं क्या वे स्वयं इलेक्ट्रोनिक मीटर बनाती हैं ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के पास वर्ष 1994-95, 1995-96 में मई माह तक कितने ट्रान्सफार्मर निष्क्रिय पड़े थे ? गत तीन वर्षों में कितने ट्रान्सफार्मर किस-किस श्रेणी के कितनी कीमत के खरीदे गये ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कुछ ट्रान्सफार्मर गारन्टी पीरियड में ही निष्क्रिय हो गये या खराब हो गये ? यदि हां, तो उनमें से कितने सुधारने हेतु सम्बन्धित कम्पनियों को लौटाये गये ? कितने पुनः वापस मिले एवं कितने ट्रान्सफार्मर कम्पनियों ने नही लौटाये ?

(4) गत तीन वर्षों में कितने ट्रान्सफार्मर निष्क्रिय एवं खराब हुए जिनको ठीक नहीं किया जा सकता है ? खराब हुये ट्रान्सफार्मर्स की कीमत क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, विद्युत मण्डल ने इलेक्ट्रोनिक मीटर लगाये जाने का निर्णय लिया है। वर्ष 1995-96 में मण्डल द्वारा 5000 नग एच. टी. ट्राईवेक्टर मीटरों का क्रय आदेश दिया गया था, जिसकी कुल लागत रुपये 808 लाख थी। यह आदेश फर्म मैसर्स पी. आई. इण्डस्ट्रीज, उदयपुर को दिया गया था। मैसर्स पी. आई. इण्डस्ट्रीज, उदयपुर स्वयं एच. टी. ट्राइवेक्टर मीटर का निर्माण करती है। मण्डल ने पिछले तीन वर्षों में क्रमश 623000, 941911 व 136700 मीटर विभिन्न प्रकार के क्रय किये।

(2) ट्रान्सफार्मर खराब होना, उनको स्टोर को भेजा जाना व फर्मों को रिपेयर हेतु भेजा जाना एक निरंतर प्रक्रिया है। वर्ष 1994-95 तक विद्युत मण्डल के विभिन्न स्टोर्स में 85 पावर व 1872 डिस्ट्रीब्यूशन व मई, 1996 के अन्त में (25.5.1996 को) 109 पावर 6290 डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ट्रान्सफार्मर निष्क्रिय पड़े थे। मण्डल में वर्ष 1994-95 के अन्त में 2210 पावर व 112380 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मर थे। इस वर्ष के अन्त में निष्क्रिय ट्रान्सफार्मर कुल ट्रान्सफार्मर का 3.84 व 1.67 प्रतिशत थे।

Page No 54

(54)

(ऊर्जा मंत्री)

गत तीन वर्षों में खरीदे गये पावर व डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मर का विवरण निम्न प्रकार से है :—

(मूल्य लाखों में)

ट्रान्सफार्मर श्रेणी	वर्ष 1993-94		1994-95		1995-96	
	नग	मूल्य	नग	मूल्य	नग	मूल्य
220 के. वी.	2	420	14	2540	4	600
132 के. वी.	34	1880	34	1681	54	2387
33 के. वी.	120	1193	109	1069	192	1889
33 के. वी.						
4 के. वी.	28	44.6	22	3402	19	24.6
11 के. वी.	11520	3935.2	10685	3160.2	30954	8914.4

(3) जी हां, कुछ नये व कुछ मरम्मत किये ट्रान्सफार्मर गारंटी पीरियड में निष्क्रिय हो जाते हैं। ऐसे ट्रान्सफार्मरों को सम्बन्धित कम्पनियों को बिना भुगतान मरम्मत के लिये भेजे जाते हैं, जो कुछ समय बाद मरम्मत होकर वापस प्राप्त होते हैं। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। दिनांक 15.6.1996 को ऐसे पड़े हुये ट्रान्सफार्मरों का विवरण निम्न प्रकार है :—

	पावर	डिस्ट्रीब्यूशन
1. मरम्मत के लिये फर्मों को भेजे गये ट्रांसफार्मर	35	3305
2. मरम्मत होकर तैयार एवं प्राप्त हुये ट्रान्सफार्मर	17	1153
3. मरम्मत के लिये फर्मों के पास पड़े हुए ट्रांसफार्मर	18	2152

(4) गत तीन वर्षों में जो पावर व डिस्ट्रीब्यूशन ट्रान्सफार्मर निष्क्रिय हुए तथा मरम्मत योग्य नहीं पाये गये का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	पावर ट्रान्सफार्मर (33 के. वी.)		डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर	
		अनुमानित राशि		अनुमानित राशि
1993-94	8	2701600	754	21964020
1994-95	12	4052400	1227	35742570
1995-96	19	6416300	1059	3145033

जिला डूंगरपुर के अविद्युतीकृत ग्राम

296. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डूंगरपुर जिले में ऐसे कितने ग्राम हैं जिनका विद्युतीकरण नहीं किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इन ग्रामों का विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में 1991 वर्ष की जनगणनानुसार 850 ग्राम हैं, जिनमें से मार्च, 1996 के अन्त तक 760 ग्राम विद्युतीकृत घोषित किये जा चुके हैं। शेष 90 ग्राम अविद्युतीकृत हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न हैं।

(2) शेष 90 अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण योजना मद में आबंटित वित्त एवं राज्य सरकार की नीति अनुसार वार्षिक लक्ष्यों के आधार पर किया जाना संभव हो सकेगा। अतः निश्चित समयावधि बता पाना संभव नहीं है। राज्य में विद्युतीकरण का औसत 85 प्रतिशत है जब कि डूंगरपुर जिले का औसत 89.4 % है जो राज्य के औसत से अधिक है। सभी ग्रामों का विद्युतीकरण एक साथ किया जाना संभव नहीं है। विस्तार से अधिक आवश्यकता सुदृढ़ीकरण की है ताकि राज्य के मौजूदा 43 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के सेवा स्तर में गिरावट न आने पाये।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

जिला भरतपुर में बिजली के तारों की चोरी

297. श्री आर.पी. शर्मा (भरतपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) भरतपुर जिले में विगत तीन वर्षों में बिजली की लाइनों के तार काटने से संबंधित कितनी चोरियां हुई तथा इस संबंध में विभाग ने कितनी-कितनी प्रथम सूचना रिपोर्ट कब-कब दर्ज कराई ?

(2) दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्टों में पुलिस ने क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले में विगत तीन वर्षों में (1993-94 से 1995-96 तक) बिजली की लाइनों के तार विभिन्न क्षेत्रों में चोरी हो जाने के 134 मामले प्रकाश में आये जिन सभी में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई हैं। वर्षवार तथा उपखण्डवार विवरण परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

(2) दर्ज कराई गई प्रथम सूचना में पुलिस द्वारा जो कार्यवाही की गई वह प्रत्येक उपखण्ड की सूची में अंकित है तथा जिनमें पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं की गई उसके लिये सम्बन्धित सहायक अभियन्ताओं द्वारा पत्र व्यवहार कर पुलिस से निरन्तर सम्पर्क बना कर चोरी वसूल करने का प्रयास किया जाता रहा है। विवरण उपरोक्त परिशिष्ट "अ" में दर्शा दिया गया है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट -11 देखें)

जिला बीकानेर की चारा विकास योजना

298. श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जिला बीकानेर की लूणकरणसर एवं बीकानेर तहसीलों में राठी नस्ल सुधार एवं विकास हेतु चारा विकास योजना शुरू की गई थी ? यदि हां, तो उक्त योजना के अन्तर्गत कहां-कहां भवन बनाये गये थे तथा वर्तमान में उन भवनों का क्या उपयोग है ?

(2) महाजन एवं धीरेरा में बने पशु चिकित्सालय एवं उप केन्द्र भवन के रख रखाव के लिये किसी अन्य विभाग को क्यों नहीं सुपूर्द किया जाता है ?

उत्तर

(1) द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बीकानेर जिले में बीकानेर एवं लूणकरणसर तहसील में सघन पशु विकास योजना के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय के उपकेन्द्र एवं संस्थाओं के भवन निर्मित हुए थे उनकी सूची संलग्न है।

दिनांक 28.2.76 को सघन पशु विकास योजना पूरी तरह बंद हो जाने के कारण इन भवनों को उर्मूल डेयरी, बीकानेर में सम्भलवा दिये थे।

(2) महाजन भवन में पशु चिकित्सालय एवं जिला भेड़ व ऊन विभाग कार्यरत है तथा धीरेरा भवन उर्मूल डेयरी को सौंप दिया गया है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट -12 देखें)

अतारांकित प्रश्न संख्या 299 (स्थगित)

गुढ़ा गौडजी (झुन्झुनूं) के किसानों को फव्वारा सैटों हेतु ऋण एवं अनुदान

300. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) झुन्झुनूं जिला भूमि विकास बैंक की गुढ़ा गौडजी शाखा द्वारा जनवरी 1995 से फरवरी, 1996 की अवधि में किन-किन व्यक्तियों को फव्वारा सैटों पर ऋण दिया गया तथा इनमें से किस-किस व्यक्ति को कितनी-कितनी अनुदान की राशि दी गई ?

(2) इन ऋण लेने वालों में ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने इसी योजना में पहले भी अनुदान लिया था ?

(3) क्या एक बार अनुदान लेकर उसी कार्य या योजना के लिये दुबारा अनुदान दिया या लिया जाना कानून एवं नियम संगत है ?

(4) क्या यह भी सही है कि गुढ़ा ब्रान्च के अधिकारियों/कर्मचारियों तथा बैंक के झुन्झुनूं कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की मिलीभगत से पहले वाली अनुदान की फाइलों को दबाकर यह सब कार्यवाही की गई है ?

(5) क्या इस प्रकार की अनियमितता की कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य सामने आये ?

उत्तर

(1) झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक, लि., झुन्झुनूं द्वारा दी गई सूचना के आधार पर झुन्झुनूं सहकारी भूमि विकास बैंक लि. की गुढ़ा गौडजी शाखा/पेआफिस में जनवरी, 95 से फरवरी, 96 की अवधि में 575 सदस्य ऋणियों को फव्वारा सैटों पर ऋण दिया गया है। सूची परिशिष्ट (क) पर संलग्न है एवं इनमें से 300 व्यक्तियों को कुल 3047650/- रु. की राशि अनुदान की दी गई है। सूचना परिशिष्ट (क) पर संलग्न है।

(2) कृषि विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी, 1995 से फरवरी, 1996 की अवधि में ऋण लेने वाले किसी भी कृषक को फव्वारा हेतु दो बार अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है।

(3) जी, नहीं।

(4) प्रश्न अस्पष्ट है।

(5) खण्ड संख्या 4 से सम्बन्धित है।

(सूचना विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजफैड जयपुर के सैन्ट्रल रजिस्ट्रार, सहकारिता, नई दिल्ली के अधीन विचाराधीन प्रकरण

301. **श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजफैड जयपुर से संबंधित विभिन्न मामलों के प्रकरण सैन्ट्रल रजिस्ट्रार, सहकारिता, नई दिल्ली के यहां विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो विचाराधीन मामलों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जनवरी, 1992 से अब तक की अवधि में सेन्ट्रल रजिस्ट्रार द्वारा राजफैड से सम्बन्धित प्रकरणों में दिया गया है ? यदि हां, तो निर्णयों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) सेन्ट्रल रजिस्ट्रार, नई दिल्ली के यहां लम्बित प्रकरणों के यथाशीघ्र निपटारे के लिए विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) हां, वर्तमान में राजफैड, जयपुर से संबंधित एक प्रकरण सेन्ट्रल रजिस्ट्रार, सहकारिता नई दिल्ली के यहां विचाराधीन है। राजफैड व नैफेड द्वारा संयुक्त रूप से रूई की खरीद व बेचान का कारोबार किया गया तथा मै. यू.पी. स्पिनिंग मिल कोऑपरेटिव फैडरेशन लि., कानपुर को संयुक्त रूप से रूई का बेचान वर्ष 92-93 में किया गया, जिसकी बकाया राशि की वसूली हेतु जून, 96 में सेन्ट्रल रजिस्ट्रार, सहकारिता के समक्ष मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 1984 के अन्तर्गत नैफेड व राजफैड की ओर से संयुक्त रूप से वाद प्रस्तुत किया गया है।

(2) हां। राजफैड द्वारा वर्ष 1992 में प्रस्तुत किये गये एक प्रकरण (वाद) का सेन्ट्रल रजिस्ट्रार, सहकारिता, नई दिल्ली ने दिनांक 29.5.95 को राजफैड हित में निर्णय दिया। उक्त निर्णय में राजफैड के पक्ष में पार्टेड डिक्री राशि 65,500/- रु. दिलाई किन्तु ब्याज राशि नहीं दिलाई गई। राजफैड ने उक्त आदेश

Page No 58

(58)

(सहकारिता मंत्री)

दिनांक 29.5.95 के विरुद्ध दिनांक 31.8.95 को अपील प्रस्तुत कर दी तथा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने उपरोक्त पार्टेड डिक्री की उपरोक्त राशि का भुगतान राजफैड को कर दिया है। निर्णय की छाया प्रति संलग्न है।

(3) प्रकरण में यू. पी. स्पिनिंग कोऑपरेटिव मिल्स फैड़रेशन लि., कानपुर को नोटिस जारी किये गये हैं। प्रकरण सेन्ट्रल रजिस्ट्रार के समक्ष विचाराधीन है व उनसे राजफैड व नैफेड द्वारा सम्पर्क कर यथाशीघ्र निपटाये जाने का निवेदन किया जा रहा है।

(निर्णय की प्रति विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राज्य की सामूहिक कृषि सहकारी समितियां

302. **श्री रामपाल उपाध्याय** (सहाड़ा) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में "सामूहिक कृषि सहकारी समितियां" कार्यरत हैं ? यदि हां, तो कुल कितनी समितियां हैं, उनके पास कुल कितनी भूमि व कितने सदस्य हैं ? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समितियों के चुनाव, आडिट, लाभांश, भुगतान आदि नियमित होते हैं ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इस प्रकार की समितियों का गठन अब बन्द सा हो गया है ? यदि हां, तो क्यों ? सरकार इनके प्रोत्साहन के लिए क्या कदम उठाती रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, प्रदेश में सामूहिक कृषि सहकारी समितियों की संख्या, उनके पास उपलब्ध भूमि एवं सदस्य संख्या जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, सामान्यतः सामूहिक कृषि सहकारी समिति के गठन हेतु कोई पंजीयन पत्रादि प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट -13 देखें)

भीलवाड़ा में पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रस्तावित होटल

303. **श्री कालूलाल गूजर** (मांडल) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पर्यटन से राज्य को कितनी-कितनी आय वर्ष 1985 से 1995-96 तक हुई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य पर्यटन निगम पर्यटकों से आय बढ़ाने हेतु क्या-क्या कदम उठा रहा है और उसमें कितनी सफलता मिली ?

(3) क्या सरकार का भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम की होटल खोलने का विचार है ? यदि हां, तो कब तक व कौनसी जगह तथा किस प्रकार की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पर्यटन से राज्य सरकार को सीधी आय नहीं होती है, अपितु अप्रत्यक्ष रूप से करों के रूप में आय होती है।

(2) राजस्थान पर्यटन विकास निगम पर्यटकों से आय बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी 46 इकाइयों में आवास सुविधा उपलब्ध करा रहा है। निगम की 20 इकाइयों में बार सुविधा भी उपलब्ध है। राज्य में परिवहन, नौकायन, दृश्यावलोकन व पैकेज टूर भी संचालित हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय रेल्वे के सहयोग से बड़ी लाइन पर "पैलेस आन व्हील्स" (शाही रेलगाड़ी) चलाई जा रही है। निगम द्वारा पुष्कर नागौर एवं जैसलमेर मेलों में टैन्टों के माध्यम से अस्थायी आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। विभिन्न मेलों, उत्सवों, सम्मेलनों में भाग लिया जाता है एवं प्रचार-प्रसार किया जाता है ताकि अधिक से अधिक देशी एवं विदेशी पर्यटक राजस्थान में भ्रमण के लिये आयें। इससे निगम की सकल आय में निरन्तर वृद्धि हुई है।

(3) जी हां। इस हेतु ग्राम मलाण, तहसील भीलवाड़ा के खसरा नं. 426 में भूमि का आबंटन हो चुका है तथा निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। निर्माण कार्य वर्ष 1997-98 में पूर्ण होने की संभावना है। होटल में पर्यटकों को आवास व खान-पान की सुविधा उपलब्ध कराई जायगी।

निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) के आदिवासी छात्रावास

304. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में विभाग के छात्रावास कहां-कहां संचालित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में वर्ष 1996-97 में नये छात्रावास खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कहां-कहां एवं कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) निर्वाचन क्षेत्र फलासिया जिला उदयपुर में जनजाति और विकास विभाग द्वारा झाड़ोल, बाघपुरा, टीमड़ी, मामेर, अम्बासा, फलासिया में राजकीय आश्रम छात्रावास संचालित किये जा रहे हैं।

(2) जी नहीं। उक्त क्षेत्र में वर्ष 1996-97 में नये आश्रम छात्रावास खोलने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

जोधपुर शहर की तीस जिला तीस काम एवं निर्बन्ध राशि योजना

305. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में परकोटे के अन्दर तीस जिले तीस काम योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1994 से 30 मई, 1996 तक कार्य स्वीकृत किये गये ? यदि हां, तो कितने, स्वीकृत कार्यों पर खर्च की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(2) विधान सभा क्षेत्र जोधपुर शहर में वर्ष 1993-94 से 1995-96 तक निर्बन्ध राशि के अन्तर्गत कितने कार्य स्वीकृत किये गये ? स्वीकृत कार्यों पर खर्च की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) तीस जिले तीस काम व निर्बन्ध राशि के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में कितने कार्य अपूर्ण हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जोधपुर विधान सभा क्षेत्र में तीस जिला तीस काम योजनान्तर्गत 1 जनवरी, 94 से 30.5.96 की अवधि में रु. 36.756 लाख की लागत राशि के 18 कार्य स्वीकृत किये गये थे। इन कार्यों पर रु. 11.873 लाख की राशि व्यय की जा चुकी है। विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न है।

(2) जोधपुर शहर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1993-94, 1994-95 एवं 1995-96 तक निर्बन्ध राशि योजनान्तर्गत क्रमशः 10, 7 एवं 10 कुल 27 कार्य राशि रु. 47.685 लाख की अनुमानित लागत के स्वीकृत किये गये थे। इन पर राशि रु. 34.592 लाख खर्च की गई। विवरण परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) तीस जिला तीस काम व निर्बन्ध राशि योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों में से क्रमशः 15 व 12 कार्य अपूर्ण हैं । सूची परिशिष्ट "3" पर संलग्न है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)

राज्य की तीस जिला तीस काम योजना पर व्यय

306. **श्री कुबेर ख़ान** (रामगढ़) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा तीस जिला तीस काम योजना प्रत्येक जिले में लागू की गई थी ? यदि हां, तो कब एवं इस योजना का उद्देश्य क्या था ?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा यह अधिकार जिले की डी.आर.डी. ए. की गवर्निंग काउंसिल को दिया गया था, कि वह यह निर्धारित करे कि इस योजना का पैसा जिले में किस कार्य में लगे ?

(3) क्या यह भी सही है कि डी.आर.डी. ए. की गवर्निंग काउंसिल की बैठक बुलाये बिना ही सरकार ने यह तय कर दिया कि तीस जिला तीस काम योजना का पैसा प्रत्येक जिले की पेयजल योजनाओं पर ही खर्च होगा ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। तीस जिला तीस काम योजना वर्ष 1991-92 से राज्य के सभी जिलों में लागू की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार है :—

1. उपलब्ध सीमित साधनों का उपयो[ग] त्वरित व अधिकतम लाभ के लिए किया जाय

2. जिले में विकास की सम्भावनाओं के अनुकूल एवं उपयुक्त विनियोजन किया जाय

(2) जी हां। यह सही है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की शासकीय समिति

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

जिले के विकास के लिये किसी एक प्रवृत्ति का चयन करने हेतु अधिकृत है।

(3) जी हां। राज्य में पेयजल उपलब्धता की समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्रीजी ने विधान सभा में बजट 1996-97 प्रस्तुत करते समय यह घोषित किया कि 1996-97 में तीस जिला तीस काम योजना का पैसा राज्य में पेयजल पर ही खर्च होगा। इसकी अनुपालना में सभी जिलों के विधायकों व जन प्रतिनिधियों द्वारा उनके जिलों में पेयजल की समस्या हेतु अधिक धनराशि की मांग करने के कारण जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को कहा गया कि शासकीय समिति की बैठक आयोजित कर वर्ष 1996-97 में तीस जिला तीस काम योजनान्तर्गत पेयजल की प्रवृत्ति का चयन किया जावे तथा जिलों को उपलब्ध राशि के अनुसार कार्यक्रम तैयार किया जाये। इस आशय के आदेश सभी जिला कलक्टरों को विभागीय पत्रांक 5164 दिनांक 8.4.96 के द्वारा दिये गये थे।

निर्वाचन क्षेत्र कोटपूतली की तीस जिले तीस काम एवं निर्बन्ध राशि योजना

307. **श्री रामचन्द्र रावत** (कोटपूतली) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि निर्वाचित विधायक के प्रस्ताव के अनुसार निर्बन्ध राशि एवं "तीस जिले तीस काम" योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1994-95, 1995-96 में विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में लाखों रुपये की स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो स्वीकृत राशि में कितनी व्यय की गई तथा स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य अधूरे रहे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कोटपूतली में उक्त योजना के अन्तर्गत सड़कें पूतली रोड से अमाई ग्राम तक एवं नेशनल हाईवे नं. 8 तिराहा से बिजाहेड़ा ग्राम तक मंजूर हुई थी ? क्या यह सड़कें अधूरी हैं ? सरकार इन अधूरे कार्यों एवं अधूरी सड़कों को कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 में विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में निर्बन्ध राशि योजना तथा तीस जिला तीस काम योजनान्तर्गत 29.29 लाख रुपये लागत राशि के 19 कार्यों की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें से 14.20 लाख रुपये राशि इस अवधि में व्यय की गई। स्वीकृत 19 कार्यों में से 8 कार्य अधूरे रहे, जिनका विवरण निम्नानुसार है :—

1. सड़क कार्य -2
   (1) पतली रोड से ग्राम अभाई तक
   (2) नेशनल हाईवे नं. 8 से बिजाहेड़ा तक
2. हैण्डपम्प कार्य - 6

(2) जी हां। कोटपूतली में योजना के अन्तर्गत पूतली रोड से अभाई ग्राम तक भूमि का विवाद होने तथा नेशनल हाईवे नं. 8 से बिजाहेड़ा ग्राम तक रास्ते का निर्धारण नहीं होने के कारण यह सड़कें अधूरी हैं। भूमि विवाद के निराकरण एवं बीजाहेड़ा ग्राम तक रास्ते का

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

निर्धारण सम्बन्धी कार्यवाही होने के पश्चात अधूरे कार्यों को पूर्ण कराना सम्भव होगा।

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय में पदस्थापित नर्सिंग स्टाफ का वेतन निर्धारण

308. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ए.एन.एम. (नर्स) की वेतन श्रृंखला 1 सितम्बर, 1988 से 1200-2050 में संशोधित की गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त वेतन मान के अनुसार 9,18 व 27 वर्षों की सेवा अवधि पूर्ण करने पर अतिरिक्त लाभ दिया जाकर नये वेतनमान में वेतन निर्धारित किया जाता है ?

(3) यदि हां, तो क्या राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय, धाभाई जी की हवेली, जयपुर में कार्यरत ए.एन.एम. (नर्सों) के उपरोक्त नवीन वेतनमानों में वेतन निर्धारित कर दिए गए ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त चिकित्सालय में पदस्थापित नर्सों द्वारा अपने वेतन निर्धारित किये जाने हेतु समय-समय पर प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत किए गए हैं ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रार्थना-पत्रों की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त नर्सों के लम्बी अवधि तक वेतन निर्धारण नहीं करने में कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

(6) क्या सरकार अब उक्त चिकित्सालय में पदस्थापित नर्सों का वेतन निर्धारण कर उनके वेतन एवं ऐरियर का भुगतान करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां। राजकीय होम्योपैथिक औषधालय धाभाई जी की हवेली (विधानसभा) जयपुर में पदस्थापित नर्स श्रीमती आइरिस का वेतन 1.9.88 से 1200-2050 की वेतन श्रृंखला में 9 वर्ष एवं 18 वर्ष की सेवा अवधि पर देय चयनित वेतनमान स्वीकृत कर दिये गये हैं। 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर ही अगला चयनित वेतनमान देने पर विचार किया जावेगा।

(4) जी हां। उक्त नर्स के द्वारा एक प्रार्थना-पत्र माह फरवरी/96 में प्रेषित किया गया था नर्स को वांछित चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जा चुके हैं।

(5) वेतन निर्धारण में विलम्ब के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं होने के कारण किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(राज्य मंत्री, आयुर्वेद)

(6) इस बिन्दु का उत्तर प्रश्न के भाग संख्या 3 में सम्मिलित है।

इण्डियन मेडिसिन एवं राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड में रजिस्ट्रार के पदों पर नियुक्त प्रकरण

309. श्री शिवकिशोर सनाढ्य(उदयपुर): क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार, इण्डियन मेडिसिन बोर्ड के पद पर जिला आयुर्वेद अधिकारी पद के स्तर का अधिकारी लगाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया हुआ है तथा विधान सभा में भी उक्त पद पर भविष्य में जिला आयुर्वेद अधिकारी स्तर के व्यक्ति को ही लगाने का आश्वासन दिया गया था ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान होम्योपैथिक बोर्ड में रजिस्ट्रार पद पर उप सचिव स्तर के अधिकारी को ही लगाने का प्रावधान है ?

(3) क्या यह भी सही है कि मार्च, 1995 से राजकीय चिकित्सक को अपने पद के साथ-साथ उक्त दोनों बोर्डों के रजिस्ट्रार पदों का भी अतिरिक्त चार्ज दे रखा है, जिससे वहां की प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ी है ? यदि हां, तो एक वैद्य को अपने पद के अतिरिक्त उक्त दो उच्च पदों का चार्ज देने का क्या कारण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रकरण काफी पुराना होने के कारण रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जी हां।

जी नहीं।

दोनों संस्थानों के पास इतना कार्य नहीं है कि पूर्णकालीन अधिकारी इनमें लगाया जावे। दूसरा दोनों संस्थानों की वित्तीय स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है कि पूर्णकालीन अधिकारी को वेतन भुगतान किया जा सके।

उपवैद्यों को चयनित वेतनमान

310. श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि आयुर्वेद विभाग में कार्यरत उपवैद्यों को 9, 18, 27 वर्ष सेवा अवधि पूर्ण करने पर चयनित वेतन श्रृंखला का लाभ दिया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त निर्णय कब लिया गया था ?

(2) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे कोई प्रकरण आये हैं कि कई उपवैद्यों को अभी तक उक्त लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्यों तथा सरकार ऐसे कर्मचारियों को कब तक लाभान्वित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। आयुर्वेद विभाग में कार्यरत नर्स/कम्पाउण्डरों को 9, 18, 27 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर चयनित वेतन श्रृंखला का लाभ दिनांक 25.1.92 से दिया जा रहा है।

(2) जी नहीं। जो भी ऐसा मामला ध्यान में आयेगा उस पर नियमानुसार शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

जिला जोधपुर एवं जयपुर में अल्पभाषा विषय के अध्यापकों की नियुक्ति

311. श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : क्या भाषाई अल्प संख्यक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जोधपुर जिले एवं जयपुर शहर में "छात्र संस्थाएं" के तहत तृतीय वेतन श्रृंखला (अल्प भाषा) के शिक्षकों के बजट में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं ?

(2) क्या महिला संस्थाएं के तहत बजट में स्वीकृत तृतीय वेतन श्रृंखला (अल्प भाषा) के पदों से उन्हीं शिक्षकों का वेतन उठवाया जा रहा है जिन्हें तृतीय वेतन श्रृंखला (अल्प भाषा) के आधार पर नियुक्ति दी गई थी ? जोधपुर जिले एवं जयपुर शहर छात्र संस्थाएं के तहत बजट में स्वीकृत पद एवं उन पर कार्यरत शिक्षकों की नामवार एवं अल्प भाषा के ज्ञान के समर्थन में प्रमाणपत्रों सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि महिला संस्थाओं में तृतीय वेतन श्रृंखला (अल्पभाषा) के आधार पर बजट में स्वीकृत पदों पर ऐसे शिक्षकों को पदस्थापित किया हुआ है, जिनकी नियुक्ति सरकार में सामान्य अध्यापक की तृतीय वेतन श्रृंखला के तहत की थी ? यदि हां, तो कहां-कहां और क्यों ? ऐसे शिक्षकों की नामवार एवं विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अल्प भाषा के आधार पर नियुक्ति किये गये शिक्षकों का वेतन अल्प भाषा के तहत स्वीकृत तृतीय वेतन श्रृंखला के बजट से ही उठवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो इस संबंध में हो रही अनियमितता को कब तक दुरूस्त कर दिया जायेगा ?

(5) क्या जोधपुर जिला एवं जयपुर शहर महिला संस्थाएं के तहत ऐसे भी शिक्षक हैं जिन्हें तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक के रूप में अल्प भाषा के आधार पर नियुक्ति दी गई थी तथा जिनका वेतन वर्तमान वेतन श्रृंखला के सामान्य शिक्षकों के बजट में स्वीकृत पदों से उठवाया जा रहा है ? यदि हां , तो क्यों ? ऐसे शिक्षकों की नामवार व विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) नियोजन कार्यालय जयपुर से प्राप्त अल्पभाषायी आशार्थियों के आवेदन पत्रों के आधार पर जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर द्वारा तृतीय वेतन श्रृंखला में वर्ष 1976 में कितनी अध्यापिकाओं की नियुक्ति दी गई ? नियुक्ति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या ये अध्यापिकाएं अल्पभाषा तृतीय वेतन श्रृंखला के बजट में स्वीकृत पदों से ही वेतन उठा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) तृतीय वेतन श्रृंखला में जयपुर तथा जोधपुर शहर में छात्र विद्यालयों में निम्नानुसार पद स्वीकृत हैं : —

जयपुर शहर–38, जोधपुर जिला - 39

(2) जयपुर शहर के बालिका/बालक विद्यालय में अल्पभाषा के स्वीकृत पदों के विरुद्ध अल्प भाषा अध्यापकों के वेतन आहरित किया जाता है।

जोधपुर शहर के बालिका विद्यालय में

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

अल्प भाषा के पदों के विरूद्ध सामान्य अध्यापक के रूप में नियुक्त हुये हैं का वेतन आहरण किया जा रहा है परन्तु ये अध्यापिकाएं अल्प भाषा, शिक्षण की योग्यता रखती हैं। जयपुर शहर के बालिका विद्यालयों में भाषा अल्प संख्या के आधार पर नियुक्त अध्यापकों का वेतन आहरण किया जा रहा है। जोधपुर जिला एवं जयपुर शहर के छात्र विद्यालयों में स्वीकृत पद एवं कार्यरत शिक्षकों की नामवार सूची अल्प भाषा ज्ञान के समर्थन में प्रमाण-पत्रों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। छात्राओं की शिक्षण व्यवस्था हेतु व्यवस्था की गई।

(4) अधिकांश अल्प भाषा के पद पर नियुक्त अध्यापकों का वेतन अल्प भाषा के स्वीकृत पदों के विरुद्ध ही आहरित किया जाता है। सामान्य अध्यापकों के पदों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध भी अल्प भाषा के अध्यापकों का वेतन तथा अल्प भाषा के स्वीकृत पदों के विरुद्ध सामान्य अध्यापकों का वेतन आहरण किया जा रहा है क्योंकि वर्तमान में विद्यालय में स्वीकृत तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के पदों में से एक पद तृतीय भाषा के अध्यापक को पदस्थापित करने का प्रावधान है जिसकी सामान्य अध्यापक के रूप में की जाती है।

(5) जी हां। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(6) 20 वर्ष पुराना रेकार्ड/पंजिकाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण नियुक्ति आदेश की प्रतियां सदन के पटल पर रखा जाना संभव नहीं है। रेकार्ड/पंजिका के अभाव में वेतन आहरण किये जाने की सूचना दिया जाना संभव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्कालय में रखी गयी)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है : —

श्री बनवारी लाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से निवाई विधान सभा क्षेत्र की पंचायत समिति तुरकिया, जुगलपुरा, जोधपुरिया, हिगूणिया एवं सीदरा के प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त नहीं हुई है : —

(1) श्री अमराराम, सदस्य विधान सभा की ओर से उदयपुर में 15 वर्षों से बसी आवरी माता कच्ची बस्ती को नगर विकास न्यास के द्वारा उजाड़े जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती इन्दिरा मायाराम, सदस्य, विधान सभा की ओर से जयपुर शहर के प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक स्वरूप को बिगड़ने से रोके जाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री शांति कुमार धारीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से नगरपालिका फुलेरा जिला जयपुर के अधिशासी अधिकारी द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर लाखों रुपये का कथित गबन करने के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थान प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं। अतः इन पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्य को आज नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास की मांग पर चर्चा के समय प्रस्ताव में उल्लेखित विषय वस्तु के सम्बन्ध में बोलने की अनुमति होगी।

मुझे माननीय सदस्यों को अग्रेत्तर यह भी सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

श्री शांतिकुमार धारीवाल, सदस्य विधान सभा की ओर से बूंदी तहसील के 31 गांव और केशवरायपाटन तहसील के 46 गांवों की करीब 10 हजार एकड़ भूमि जो कमाण्ड एरिया से सिंचित होती है, उसे राज्य सरकार द्वारा डी-कमाण्ड करने की कथित कार्यवाही से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है अतः इस पर अनुमति देने में मैं असमर्थ हूं। प्रस्तावकर्ता माननीय सदस्य को प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : XXX

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अध्यक्ष : (1) श्री शम्भूदयाल बड़गूजर, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजकीय चिकित्सालय केकड़ी को 100 शैय्याओं में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।

(2) श्री उदयलाल आंजना, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा वर्ष 1987 से 1992 तक निर्मित सड़कों की स्थिति अत्यन्त खराब होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला नागौर की तहसील परबतसर के गांव सांचोर के एक सेवानिवृत्त मेजर को विद्युत कनेक्शन प्रदान नहीं किये जाने के सम्बन्ध में उत्पन्न स्थिति।

(4) श्री जगदीप धनखड़, सदस्य, विधान सभा की ओर से अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रदान किये जाने वाले आरक्षण में जाट, विश्नोई, सीरनी, मेन को शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री भीमसेन चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से सीमांत क्षेत्र खाजूवाला में प्राथमिक शिक्षा प्रसार हेतु विशेष ध्यान दिये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री ओमप्रकाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला बूंदी के पर्यटन की दृष्टि से महत्पूर्ण तालाबों में पनप रही जलकुम्भी

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

Page No 67

(67)

(श्री अध्यक्ष)

को रोके जाने तथा इन तालाबों की सफाई करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामपाल उपाध्याय, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित महात्मा गांधी अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामेश्वर भाटी, सदस्य, विधान सभा की ओर से चूरू जिले की सुजानगढ़ स्थित रणधीसर पहाड़ी पर खनन कार्य में लगे दस हजार मजदूरों के रोजगार एवं लीजधारियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए पट्टों का नवीनीकरण तुरन्त किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री रघुवीर सिंह मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के नेशनल हाईवे नम्बर 8 पर स्थित परसाद निरीक्षण गृह को डाक बंगले के रूप में परिवर्तित करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री कालूलाल गूजर, सदस्य, विधान सभा की ओर से जिला भीलवाड़ा की माण्डल तहसील में एक भूतपूर्व जागीरदार के वारिसान द्वारा विक्रय की गयी भूमि के क्रेता पक्ष में किये गये आबंटन आदेश में बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की अधूरी सड़कों को पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री मोतीलाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र रूपवास के कस्बा उच्चैन की पेयजल टंकी 4 वर्ष से बंद पड़ी होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री बनवारी लाल बैरवा, सदस्य, विधान सभा की ओर से और टोंक नगर में अमर शहीद हेमू कालाणी की आदमकद प्रतिमा के पास अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : XXX

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री अध्यक्ष : आप बैठ भी नहीं सकते। आसन की भी कोई मर्यादा है। मैं खड़ा हूं तो बैठ जाना चाहिए। आप सीनियर व्यक्ति हैं। बैठ जाइये आप। डीसेन्सी नाम की भी कोई चीज है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पिछले चार सैशन हो गये हैं, खड़े होते। आपने जब फरमाया है तब मैं बैठा हूं। यह क्या मतलब हुआ ? आपने मेरे मैटर को तीन बार पैंडिंग रखा है।

श्री अध्यक्ष : मैं अपनी व्यवस्था दे रहा हूं। ऐसे काल में जब शून्यकाल हो इस तरह का कोई पाइन्ट आफ आर्डर रेज नहीं किया जा सकता।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैंने रेज भी किया है और आपने मुझे परमीशन भी दी है–

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको कोई परमीशन नहीं दी। मैंने कहा सिट डाउन। यह परमीशन दी कि बैठ जाइये आप।

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: परमीशन भी दी है पाइन्ट आफ आर्डर उठाने की। अध्यक्ष महोदय, क्वेश्चन आवर के बाद में आपने मुझे पूर्व में भी परमीशन दी है। पाइंट आफ आर्डर उठाने की।

श्री अध्यक्ष : नो

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अब मैं उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अभी उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। आप बाद में उठाना।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है...

श्री अध्यक्ष : आप सारे सदन को केवलमात्र स्टोर में लाना चाहते हैं। कोई न कोई बात कहकर इस तरीके से क्रियेट करना चाहते हैं आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : आपका अधिकार है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सारे हाउस को इस तरीके से आप एंगेज रखें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रोटेक्शन चाहता हूं। आपने मुझे पूर्व में प्रोटेक्शन दी है। मैं सिर्फ एक लाइन आपको कहना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : हां, फरमाइये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : वह लाइन यह है कि अगर सी.बी.आई रिपोर्ट हुई है और क्योंकि मुख्य मंत्री जी ने बयान किया तो उसको पेश कर दीजिये। और मुझे कुछ नहीं कहना। मैं और कुछ नहीं चाहता...

कुछ माननीय सदस्य : उसमें क्या दिक्कत है ?

श्री अध्यक्ष : आप मुझे चैम्बर में मिल लें (व्यवधान) ... बिराजिये आप ।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय वैसे इस हाउस में मुख्य मंत्री जी ने यह बयान दिया था कि इस प्रकरण में सी.बी. आई. से जांच हुई है और राजवी परिवार निर्दोष साबित हुआ है तो चैम्बर में मिलने की कहां बात है। मुख्य मंत्री जी ने इस हाउस में बयान दिया है तो उसकी कापी है तो उसको सदन में रख दिया जाये। उसके अलावा और मांग क्या की जा रही है ? चैम्बर में मिलने वाली कौनसी बात रह गयी इसमें। अगर राजवी परिवार निर्दोष है और सी.बी. आई. से जांच हो गयी तो उसकी रिपोर्ट यहां रख दो।...

श्री अध्यक्ष : आप किस के बारे में उठाना चाह रहे हैं ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय जो सी.बी. आई. रिपोर्ट का बयान मुख्य मंत्री जी ने दिया...

श्री रामेश्वर लाल चौधरी (नावां) : अध्यक्ष महोदय, 20 बीघा जमीन मैंने रजिस्ट्री कराकर खरीदी उसके लिए तो गवर्नमेंट ने रेवेन्यू बोर्ड, हाईकोर्ट तक को (व्यवधान) यह करोड़ों की जमीन है। इसकी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखवा दो। इसके लिए माननीय सदस्य यही चाहते हैं कि सी.बी. आई. से जांच होती है तो उसकी रिपोर्ट यहां पर सदन के पटल पर रखवा दो।...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : जांच रिपोर्ट यहां पर रखवाइये। रोज-रोज आप यह कह रहे हैं। यह कौनसी बात है।

श्री अध्यक्षः आप बिराजिये ना।

श्री रामेश्वर लाल चौधरी : यह बैठ गया।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इस सदन में भाजपा और कांग्रेस दोनों चाहते हैं कि करप्शन का मुद्दा जब भी उठे उसमें बिलकुल किसी को बख्शा नहीं जाये। अब सबसे बड़ा करप्शन का मुद्दा मैंने उठाया। सपोज सी.बी. आई. की जांच इसमें हो गयी है तो बहुत ही अच्छा है। करप्शन का मुद्दा मैं नहीं उठाऊंगा लेकिन आज मैं ढाई साल से कह रहा हूं कि अगर वह जांच रिपोर्ट है तो ऐसी कौन सा प्रिविलेज डाकुमेन्ट है। आपने न प्रिविलेज का माना। आपके पूर्व अध्यक्ष जी ने भी इसको प्रिविलेज डाकुमेन्ट नहीं माना। तो जो भी जानकारी ली कि मारग्रेट अलवा भूतपूर्व पर्सनल मंत्री जी, मैंने उनसे कोरसपोन्डेन्स की। अध्यक्ष महोदय, वह मैंने डाकुमेन्ट्स आपको दे दिये। अब अगर यह रिपोर्ट है तो मेहरबानी करके पेश कर दीजिए। आप मुझे यह आश्वासन दे दीजिए कि आपने इनसे पूछताछ कर ली या नहीं कर ली। नहीं की है तो कल तक कर लीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप (व्यवधान)... अब तो बैठ सकते हैं आप ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : थोड़ा कुछ फरमा तो दें।

श्री अध्यक्ष : आप बैठते हैं तो मैं अपनी बात कहूं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिन्डौली) : अध्यक्ष महोदय, यह जो ब्रीच आफ प्रिविलेज के मोशन हैं उनको दो-दो और ढाई-ढाई साल लटकाये जाते हैं...

श्री अध्यक्ष : किस को ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : ब्रीच आफ प्रिविलेज के मामले।

श्री अध्यक्ष : कोई नहीं लटकाये। आप बैठिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह लटका ही तो रखे हैं और क्या है ? आज आप रिपोर्ट पेश कर दो। आज बात खतम हो जायेगी। आप रिपोर्ट क्यों नहीं पेश करते ?

श्री अध्यक्ष : पहले मेरी बात सुनिये। बिराजिये आप। उस समय माननीय खेतसिंह जी ने और माननीय प्रतिपक्ष के अन्य नेताओं ने यह कहा कि आज मत सुनाइये आप। आपने श्री भाभड़ा जी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था और आज मैं इसकी रूलिंग सुनाऊंगा। बिराजिये आप। स्पीकर के खिलाफ उठाया था ना, आज सुनाऊंगा मैं। बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि ...

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। आप पूरी बात सुन लीजिये। बैठ जाइये आप...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं एक बात कह रहा हूं पहले...

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जायें या मैं बैठ जाऊं फिर। माननीय पूर्व अध्यक्ष श्री भाभड़ा जी ने उस रिपोर्ट को देखा और देखने के बाद

Page No 70

(70)

(श्री अध्यक्ष)

वह वापिस जहां पर जानी चाहिए थी, चली गयी। यहां नहीं है सीबी. आई. की रिपोर्ट। 'ही हैज सीन दी डाकुमेन्ट।'

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : चली कहां गयी ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहां गयी तो ?

श्री अध्यक्ष : सी. बी. आई. केन्द्र सरकार के अन्तर्गत है। आप वहां से प्रक्योर कर सकते हैं। बिराजिये आप। "दैट इज नाट अण्डर माई कन्ट्रोल, प्लीज माइन्ड इट"।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहां जानी थी ? कहां गयी ?

श्री अध्यक्ष : आपको मैं आज व्यवस्था सुनाऊंगा उसके बारे में। आप बिराजिये...(व्यवधान). मैं आपको सारी व्यवस्था सुना दूंगा। बिराजिये आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : रिपोर्ट कहां जानी थी यह तो बतायें।

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था आज सुनाऊंगा मैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कहां जानी थी और कहां चली गयी रिपोर्ट। रिपोर्ट तो सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष : सी.बी. आई. केन्द्र सरकार का विषय है और केन्द्र सरकार से आई होगी तो केन्द्र सरकार में ही गयी होगी।

श्री अमराराम (धोद) : वह राजस्थान से संबंधित थी।

श्री अध्यक्ष : मेरे पास इन्द्राज लगाकर नहीं जाती है। मैं आपको आज व्यवस्था सुनाऊंगा। बैठ जाइये आप।

श्री अमराराम (धोद) : सी.बी.आई. केन्द्र का विषय जरूर है लेकिन वह विषय राजस्थान से संबंधित था। उस पर जांच हुई है उसको रखने में क्या दिक्कत है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर सर...

श्री अध्यक्ष : 'देयर इज नो पाइन्ट आफ आर्डर नाऊ आई से यू सिट डाउन'

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं तो बैठ जाऊंगा।

श्री अध्यक्ष : Every time you should not rock the House. How did he tell ? I will pronounce the order today. मैं आज सब को सुना दूंगा आपको। बिराजिये आप... मैं अपनी व्यवस्था दूंगा।

श्री भंवरसिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य स्पष्टीकरण देना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं आप सब को सुना दूंगा। मैं व्यवस्था दूंगा। बिराजें आप।

श्री भंवरसिंह : जब सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने बड़े-बड़े घोटाले खोल दिये तो राजस्थान सरकार को कहां दिक्कत है जांच को खोलने में। यह क्यों नहीं खोला जा रहा है ?

श्री अध्यक्ष : प्लीज आप बैठें। यह डिसकस हो चुका है पहले के हाउस में। 1992 के सदन में। बिराजिये। आप... (व्यवधान)...

(श्री अध्यक्ष)

When you were not the Member of this August House.

श्री भंवरसिंह : हवाला काण्ड और वह काण्ड सब खोल दिये तो राजस्थान गवर्नमेन्ट को क्या दिक्कत आ रही है ऐसे घोटाला खोलने में ?

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, अभी औसिंया से आने वाले माननीय सदस्य ने आपकी अनुमति के बिना भी नाम लिया और मेरे पिताजी का नाम लिया इसलिये मैं आपकी अनुमति से अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं और स्पष्टीकरण यह देना चाहता हूं...

श्री अमराराम (धोद) : आपका नाम कहां लिया मुख्य मंत्रीजी का लिया है।

श्री नरपतसिंह राजवी : यहां नाम लिया है...

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें राजवी साहब।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड को देख लें...

श्री अध्यक्ष : बिराजें माननीय राजवी साहब बैठिये।

श्री नरपत सिंह राजवी : एक मिनट मैं निवेदन कर दूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हाउस को पूरे को इस तरह से रेन्सम कर लिया जाये..

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पाइन्ट आफ आर्डर सर...

श्री नरपत सिंह राजवी :... जो व्यवस्था को नहीं माने वह तो बिना आज्ञा कुछ भी बोले तथा नियमानुसार बोलने वाले सदस्य को बोलने नहीं दिया जाये यह तो ठीक नहीं...।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : क्योंकि इन्होंने मुझे एड्रेस करके कहा है... इनके स्पष्टीकरण के बाद आप मुझे अनुमति देंगे बोलने की माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप बिराजिये। मैंने अभी तक उनको अनुमति कहां दी है ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी: बोल तो रहे हैं...

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा है कि आप बिराजें।

श्री नरपत सिंह राजवी : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के विरोध में इनका दर्द इतना है तो मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि निश्चित रूप से इस पर एक दिन बहस कर लें...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : हो जाये। आज ही अध्यक्ष महोदय। आज ही करवा लें।

श्री अध्यक्ष : यह आपकी रिक्वेस्ट है। पर यह मेरा जजमेन्ट नहीं है। बिराजें आप।

श्री नरपत सिंह राजवी : मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पिताजी का यहां पर नाम लिया है रिकार्ड से देखकर इसको कन्फर्म किया जा सकता है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि मैं भी इनके पिता जी के नाम से एक बात कह दूं क्या ? जोधपुर माउण्ट आबू एवं दिल्ली में भूमि हड़पने के कारनामे बता दूं क्या ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : जरूर कहिये। जरूर फरमाइये।

Page No 72

(29)

श्री नरपत सिंह राजवी : जोधपुर के बारे में नहीं कहूं, माउण्ट आबू के बारे में कह दूं क्या ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : जरूर, अध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक कहता हूं कि न केवल यह नाम ले लें जितने भी मेरे खिलाफ मुद्दे हैं उनकी जुडिशियल इन्क्वायरी करवा लीजिये और मैंने यह इश्यू उठाया है उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी करवा लीजिये, आज ही आप आर्डर दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसका आश्वासन तो दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं सब आश्वासन दूंगा। अभी मैं सुनाऊंगा आपको। बिराजें आप। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उन बातों की क्या जुडिशियल इन्क्वायरी...

श्री अध्यक्ष : मैं आज सब सुना दूंगा। बिराजिये। (व्यवधान)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : ...कोर्ट में इन्होंने खुद ने लिखकर दिया है उसके बारे में क्या जुडिशियल इन्क्वायरी करवायेंगे ? खुद ही प्रमाण कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : अध्यक्ष महोदय, यह घरेलू मामला विधान सभा में उठाते हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराज जायं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपने मुझे आश्वासन दिया उसके लिए तो धन्यवाद। मैं तो सिर्फ आपसे एक अनुमति मांग रहा हूं। आज सुबह राजस्थान पत्रिका में एक खबर छपी, जिसमें कहा गया कि मैंने कला उपाध्यक्ष की अनुमति लेकर जो सैण्ट्रल गवर्नमेंट के दस्तावेज एक्सचेंज हुए थे उनकी प्रति सदन की मेज पर रखी। उसका खण्डन आया है कि अनुमति नहीं मिली थी। मैं तो जो करस्पोंडेंस माननीय श्रीमती मारग्रेट अलवा के और मेरे मित्र सुरेन्द्र जी व्यास के बीच में, जो इससे सम्बन्धित हैं और सैण्ट्रल गवर्नमेंट के कागजात हैं वह मैं आपकी अनुमति से पटल पर रखना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मैं अभी आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप मुझसे चैम्बर में आकर मिल लें। I will peep into the papers. बिराजें आप। श्री जगदीप जी धनखड़। जीरो आवर।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : आपका अधिकार होगा। मेरे को यह अधिकार है। स्पीकर के ऊपर कोई रूलिंग नहीं है। आप चैम्बर में आकर मिल लें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा अधिकार है टेबल पर कागजात रखने का।

श्री अध्यक्ष : कोई रूलिंग नहीं है स्पीकर के ऊपर। आप बिराज जायें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैं कौनसी रूलिंग दे रहा हूं ?

श्री अध्यक्ष : माननीय धनखड़ जी।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ आपकी...

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे फिर प्रार्थना करूं, माननीय सदस्य, बिराजें आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चेम्बर में मिल लूंगा। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी कि आप मुझे उसकी अनुमति दें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : नहीं।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान राज्य के चिड़ियाघरों की जो दुर्दशा है, उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, करीब तीन महीने से राज्य के करीब आधा दर्जन चिड़ियाघरों में कोई विधिवत बजट नहीं है, वहां उनका कैसे पालन-पोषण किया जाता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है। दानदाताओं के आधार पर अब उनका कार्य किया जा रहा है। जीव-जन्तुओं को कितना कष्ट हो रहा है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करें और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनको दण्डित करवायें तथा वांछित बजट उपलब्ध करवायें।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमराज जी भाटी।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : अध्यक्ष महोदय, हमारे इलाके में करीब 50-60 किलोमीटर की दूरी पर मात्र एक सीनियर माध्यमिक विद्यालय है जो रोहिट में स्थित है। पिछले कई वर्षों से वहां पर वाणिज्य वर्ग का विषय चल रहा था लेकिन इस साल पता नहीं किस कारण से राज्य सरकार ने उस वाणिज्य विषय को रोहिट में बंद कर दिया। उसकी वजह से 50-60 किलोमीटर में जो छात्र रहे हैं उनको बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। रोहिट में कई दिनों से छात्रों की हड़ताल चल रही है और उस बाजार में भी कई दिनों से हड़ताल चल रही है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे यहां रोहिट में इतने सालों से जो वाणिज्य विषय चल रहा था उसको क्यों बन्द कर दिया गया। वह वैसे ही बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके रोहिट में उस वाणिज्य विषय को वापस चालू करावें ताकि छात्रों और उनके अभिभावकों को जो असुविधा हो रही है उससे राहत मिले एवं उस कस्बे की शांति को कायम रखा जा सके। हड़ताल की वजह से वहां काफी तकलीफ हो रही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सामान्यतया जिन विद्यालयों में पिछले 3-4 साल से बच्चों की संख्या इतनी कम थी कि वह विद्यालय अनार्थिक हो गये थे। माननीय सदस्य, जितनी संख्या की हमारी आवश्यकता है, उतने बच्चों के प्रवेश पर अगर प्रधानाचार्य मांग करेगा तो हम उस विषय को चालू रखेंगे। लेकिन यह नहीं हो सकता कि दो-तीन बच्चों के लिए वह संकाय चालू रहे।

–श्री भीमराज भाटी : माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने छात्र चाहिए ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : 20 विद्यार्थी होने चाहिए वाणिज्य संकाय के लिए।

श्री अध्यक्ष : श्री कालूलाल जी गूजर।

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रातः साढ़े छह बजे मेरे

(श्री कालूलाल गुर्जर)

विधान सभा क्षेत्र माण्डल से मेटाडोर में 31 सवारियां भरी हुई थीं और वह मेटाडोर भीलवाड़ा जा रही थी। भीलवाड़ा और माण्डल के बीच में आड़िया गांव के पास में उस मेटाडोर का एक्सीडेंट हो गया और उसमें चार आदमी मौके पर ही मर गये तथा बाकी 27 आदमी घायल हो गये। जिनको महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाड़ा में भर्ती कराया गया है। मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मृतकों के परिवारों को और जो घायल हुए हैं, उनको आवश्यक सहायता राज्य सरकार की ओर से तुरन्त उपलब्ध करवायें। इसके अतिरिक्त माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि अस्पताल में जो भर्ती हैं उनकी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था करें और जो गरीब आदमी हैं उनके लिए दवाइयों की भी व्यवस्था करें। यह निर्देश फरमाया जाय।

श्रीमती तारा भंडारी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : क्या पाइंट आफ आर्डर है?

श्रीमती तारा भण्डारी : पाइंट आफ आर्डर यह है अध्यक्ष महोदय, कि आपके सामने यह जो ट्यूब लाइट का इतना चौड़ा डण्डा लगा रहता है इससे हम आपका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकते इसलिए इसको हटवा दें।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। जुबेर खान जी।

श्री नाथू सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह महत्वपूर्ण पाइंट आफ आर्डर है, इस पर रूलिंग तो दें।

श्री अध्यक्ष : मैं इस पर विचार करूंगा। अभी समय जाया नहीं करें। आज बहुत है, 12-1 बज जायेंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर और मथुरा के बीच में ब्राडगेज रेलवे लाइन है। पिछली बार जब अतिवृष्टि हुई थी, बारिश आयी थी तो इस रेलवे लाइन के कारण इस तरह पानी जमा हुआ और टूटने से रामगढ़ के विभिन्न गांवों में बाढ़ आयी और यह रेलवे लाइन लक्ष्मण झूला बन गयी। फिर उसके बाद में गत वर्ष रेलवे विभाग वालों ने इसको फिर पत्थर मिट्टी डालकर वैसे ही कम्पलीट कर दिया। इस बार की बाढ़ में फिर उसी तरह की स्थिति हुई। मेरा आपके माध्यम से माननीय उप मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि राज्य सरकार रेल मंत्रालय को लिखें कि अब इसका पुनः सर्वे हो रहा है उसमें इस बात का ध्यान रखा जाय कि पानी के निकास की समुचित व्यवस्था हो क्यों कि रेलवे विभाग अपनी रेलवे लाइन बना देता है जिससे हमारे रामगढ़ और गोविन्दगढ़ कस्बे में हर साल बाढ़ आने का खतरा रहता है और भारी तबाही होती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि, आजकल क्योंकि सर्वे चल रहा है, आप चिट्ठी लिखें राज्य सरकार की ओर से कि आप सर्वे के टाइम पर यह ध्यान रखें कि पानी का उचित निकास हो, नदियां और नालों पर उचित पुलिया बने। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री परसादी लाल मीणा।

श्री परसादी लाल मीणा (लालसोट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

(श्री परसादीलाल मीणा)

माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी, लालसोट की कालेज की मांग बहुत पुरानी है और जो मुझे याद है, आपने दो बार इसकी घोषणा लालसोट में जाकर की। अभी इस वर्ष 25-26 दिसम्बर या जनवरी में आप पधारे थे तो आपने पूरे जोर से पब्लिक मीटिंग में यह घोषणा की थी।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। यह डिमांड में फरमा दें न आप।

श्री परसादी लाल मीणा: अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा की थी कि लालसोट में इस वर्ष जुलाई से कालेज शुरू हो जायेगा। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, लालसोट के सारे छात्र और छात्राएं आपके इस कालेज के आर्डर का इन्तजार कर रहे हैं जबकि हमारे सांसद महोदय से आपकी बात हो चुकी थी, उन्होंने पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा देने की हां कर ली, इन्होंने कालेज खोलने की हां कर ली। अब उच्च शिक्षा मंत्री जी का मन पता नहीं धीरे-धीरे बदल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप ईमानदारी से, आप विचार करके, पूरी बिल्डिंग का पैसा हम देंगे, पूरी बिल्डिंग हम बनायेंगे, हमारे सांसद महोदय का 20-25 लाख रुपया कोष में पड़ा हुआ है और पैसा कहीं से लाने की जरूरत होगी तो हम और पैसा देंगे पर आपकी कही हुई बात को आप पूरी करने के लिए लालसोट में कालेज की पिछले वर्ष शुरू करने की कह कर आये थे उस बात को मेहरबानी करके पूरा कर दीजिये।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (उच्च शिक्षामंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, लालसोट से आने वाले माननीय विधायक महोदय ने जो बात कही है, मैं उसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। मेरे मन की इच्छा है कि लालसोट में महाविद्यालय हो, किन्तु इस बात की घोषणा कभी मैंने नहीं की। वैसे हर जिला केन्द्र पर महाविद्यालय हो, इस प्रकार की राज्य सरकार की नीति है और अब हम एस.डी.एम. क्षेत्र में जाना चाहेंगे किन्तु उसके लिए जो नियम बने हुए हैं वह यह बने हुए हैं कि भवन बनाने के लिए कोई बन्धु आये और तीन वर्ष का खर्चा दे। मैं नाम तो नहीं लेना चाहता यहां कि वहां के सांसद महोदय ने मुझे इस बात का वादा किया था और इस वादे को दोहराते हुए मैंने उनसे यह कहा था कि आप कृपया पधार जायें और उसका कांट्रेक्ट कर लें। भवन बनाना शुरू होकर आधा भवन जब बन जायेगा और तीन साल का खर्चा हो जायेगा, उसी समय हम कालेज स्थापित कर देंगे, प्रारम्भ कर देंगे।

श्री परसादी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, उसमें टैक्निकल समस्या है। हम भवन भी बना देते, हमारे पास 25 लाख रुपये भी पड़े हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, आप लिखकर दे दें कि भवन बनाना शरू कर दो, कालेज खोल देंगे। उसमें पैसा सांसद महोदय लगा रहे हैं, इसलिए इसी आधार पर (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोई भवन बनाने वाला हो..

श्री अध्यक्ष : वह खोले, आप भवन भी बनाओ। तीन साल का पैसा जमा कराओ, यह कह रहे हैं।

Page No 76

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : कोई भवन बनाने वाला पधारेगा उसका मैं स्वागत करूंगा, उसको अपने पास बैठाऊंगा, चाय पिलाऊंगा, कागज पर कांट्रेक्ट कराऊंगा, तीन साल का पैसा देने के लिए निवेदन करूंगा, पैसा जमा करेगा, भवन बनाना प्रारम्भ करेगा, आधा भवन बनते ही कालेज शुरू हो जायेगा। यह बात है।

श्री अध्यक्ष : श्री जितेन्द्रजी नीनामा।

श्री परसादी लाल मीणा : नहीं, हम भवन बना देंगे, आप लिखकर तो दो कि भवन बनाना शुरू करो, कालेज खोल देंगे। हमारे पास तैयार है, भवन बनाने वाले की व्यवस्था है।

श्री दलजीत सिंह (बाड़ी) : अध्यक्ष महोदय, यह नीमकाथाना में इस साल कॉलेज कैसे खोला जा रहा है।

श्री परसादी लाल मीणा : नीमकाथाना में कैसे खोला जा रहा है कालेज। (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह : बाड़ी के लिए पूछा जाये तो उसके लिए एक रुपया भी नहीं देंगे–

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री दलजीत सिंह : लालसोट के लिए पूछा जाये तो उसके लिए लाख रुपये चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री दलजीत सिंह : नीमकाथाना में कैसे खोला जा रहा है कालेज (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सदस्य को यह पता नहीं है कि नीमकाथाना में 20 साल पुराना कालेज है। आप जानकारी कर लीजिये। (व्यवधान)

श्री परसादी लाल मीणा : हम भवन बनाने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : यह कोई डिबेट नहीं है, आप बिराजिये। यह अभी डिबेट की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री दलजीत सिंह : सरकार बता रही है कि वहां खोला था कि आपका एम.एल.ए. बराबर पैसा जमा कर सकता है, वह कौनसी भाषा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। यह कोई डिस्कशन का विषय नहीं है। माननीय दलजीत सिंह जी, बिराजिये आप।

श्री दलजीत सिंह : हमारे लिए क्यों कहा जाये कि इतने लाख रुपये जमा हुए, सब जगह खोले हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई सब्जेक्ट नहीं है। बिराजिये आप। श्री जितेन्द्र जी।

श्री परसादी लाल मीणा: आपकी कही हुई बात को पूरी नहीं करेंगे चतुर्वेदी जी। आपने घोषणा की थी पब्लिक मीटिंग में, आप घोषणा करके यह भी आये हैं कि अब की बार लालसोट का एम.एल.ए. हूँ।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैंने जो कहा है उसको मैं पूरा करूंगा। मैंने जो घोषणा की है वह पूरी करूंगा।

श्री परसादी लाल मीणा : आप लालसोट के एम.एल.ए. बन जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है पर पहले कालेज तो खोलो आप।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। हो गयी बात। परसादी लाल जी, बिराजिये।

श्री रामनारायण मीणा : अध्यक्ष महोदय, नैनवां में तो मालाएं पहन आये कालेज के नाम से अब वोट मांग रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हां हां, ठीक है। बिराजिये आप। (व्यवधान) नीनामा जी।

श्री परसादी लाल मीणा : चतुर्वेदी जी घोषणा करने के शौकीन हैं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : मीटिंग में भाषण दिया है, आप अपनी बात से मुकर जाते हैं। आप क्यों नहीं घोषणा करते। (व्यवधान) आज कालेज खोल देंगे।

श्री अध्यक्ष : आप आंकड़े ले रहे हो। बिराजिये आप।

श्री रामनारायण मीणा : हम नैनवां में कालेज खुलवाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : बहुत कम मौका आता है नीनामा जी का। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : - यह जातिवाद के आधार पर खोलें, वहां ब्राह्मण भी हैं। यह राजपूत के आधार पर खोलें तो वहां राजपूत भी हैं। जिस प्रकार से जातिवाद चला रखा है बीजेपी ने, ये स्थानान्तरण करे जाति के नाम से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये ना, हो गया। नीनामा जी को बोलने दें।

श्री जितेन्द्र नीनामा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बांसवाड़ा जिले में माही डैम बन गया। तब से लेकर आज तक नहरें वहीं की वहीं बनी पड़ी है, माइनर नहीं बन पा रही है तो काश्तकार को काफी तकलीफ है। मैं सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नहरों का विस्तार बांसवाड़ा जिले में जल्दी से जल्दी करें।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ वहां पर 5-5 साल से नहरें खोद दी गयी हैं और काश्तकारों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है। वे बांसवाड़ा माही डैम के चक्कर काटते रहे हैं और वहां पता लगता है कि साल-साल भर यहां फाइलें आकर जयपुर में पड़ी रहती है। तो मेरा निवेदन है कि यहां पर गजट में प्रकाशित करके जल्दी से जल्दी फाइल भेजें ताकि काश्तकारों को मुआवजा मिल सके।

श्री अध्यक्ष : अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं, कृषि मंत्रीजी तो हैं नहीं, सरकार ने सीकर जिले में फव्वारों पर सब्सिडी देने का कोटा कायम किया था, 1995-96 के लिए 2400 किसानों को सब्सिडी देने का कोटा रखा था जबकि आज तक वर्ष 1995-96 खत्म होकर उसके बाद भी साढ़े तीन महीने खतम होने के बाद मात्र 1339 किसानों को सब्सिडी दी गयी है जबकि आवेदन करने वाले किसान जिनको फव्वारे की जरूरत है, वहां सरकार की यह इच्छा है कि पानी का सदुपयोग हो और उसमें किसानों को प्रोत्साहन दिया जाये, वहां 3199 किसानों ने एप्लाई किया है। एक साल पूरा बीतने के बाद और तीन माह बीतने पर भी मात्र 1339 किसानों को सब्सिडी दी गयी है, अभी इतने ही किसान बाकी हैं और इस साल सरकार ने मात्र 1200 किसानों को सब्सिडी देने का लक्ष्य रखा है

(78)

(श्री अमराराम (धोद)

जबकि 1200 से ज्यादा तो पिछले 1995-96 के किसान बाकी हैं। वहां सरकार कह रही है कि हम किसानों की सहायता करेंगे, किसानों के लिए हमारी सरकार कृत-संकल्प है लेकिन इसी कृषि विभाग ने इस साल के लिए यह निर्देश दे दिये कि इस साल में कोई भी किसान एप्लाई करे या पिछले साल वाले के ऊपर अग्रिम कार्यवाही नहीं की जाये, वहीं भूमि विकास बैंक जो फव्वारों पर सबसे ज्यादा लोन देता है उसने यह निकाला कि जब तक सब्सिडी नहीं आ जाये तब तक फाइनेंस नहीं करेंगे और यही कृषि विभाग कह रहा है कि जब तक फव्वारा सैट लगेगा नहीं, फिजिकल वेरीफिकेशन नहीं होगा। तब तक हम सब्सिडी नहीं देंगे तो न तो नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। न सब्सिडी मिलेगी और न लोन मिलेगा। इसलिए सरकार इस पर तुरन्त कार्यवाही करे जो पिछले साल के बकाया किसान हैं, उनको तुरन्त सब्सिडी दी जाये और इस साल के किसानों ने एप्लाई किया है उस पर यह दोनों प्रतिबंधात्मक आदेश जो निकाले हैं, उनको निरस्त किया जाये।

श्री अध्यक्ष : रामगोपालजी।

श्री रामगोपाल बैरवा (पीपल्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की सम्पति की रक्षा के लिए मांगरोल नगर में दिनांक 13.6.96 को 12 व्यक्तियों की एक कमेटी बनायी गयी है और इस कमेटी के बनने के बावजूद वहां के कुछ लोग सेशन कोर्ट जयपुर में इस कमेटी को भंग करने के लिए गये। लोग इस कमेटी के खिलाफ सेशन कोर्ट में गये, कोर्ट में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र 56/122 तिथि अनिश्चित पर सेशनकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वादी द्वारा प्रतिवादी को पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना वर्तमान धारा 89 और पूर्व धारा 56 के तहत किया जाना मेण्डेटरी है, अतः खारिज किया जाता है। कोर्ट के आदेश के बावजूद वक्फ बोर्ड ने दिनांक 4.7.96 को दोबारा इस कमेटी को भंग करके नयी कमेटी का गठन कर दिया। यह एक तरह से इस कमेटी ने सरेआम अपने पद का दुरुपयोग किया है। मैं यह चाहता हूं कि 4.7.96 को जो कमेटी वक्फ बोर्ड के द्वारा दुबारा बनायी गयी है, उसे भंग किया जाये और जो पूर्व में कमेटी बनायी गयी थी, जिसको किसी तरह से (व्यवधान) उस कमेटी को यथावत रखा जाये। अध्यक्ष महोदय, इसमें मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया जाये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ठीक है। हीरालाल जी। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं धारीवाल साहब, आप बिराजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : एक माह के अन्दर अपने वक्फ बोर्ड कमेटी बनायी और एक माह में भंग कर दी, यह कौनसा तरीका है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : धारीवाल साहब, बिराजिये। बोलने दें माननीय सदस्य को (व्यवधान) मैं एक-एक माननीय सदस्य को बुलाना चाहता हूं। बहुत कम समय है। (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, इस वक्फ बोर्ड ने कमेटी बनायी है यह_

श्री शैलेन्द्र जोशी : वक्फ के मामले में बहुत अनियमितताएं हुई हैं। सम्बन्धित मंत्री जांच के लिए तैयार हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप एक कमेटी को भंग कर दें और दूसरी कमेटी बना दें, आप यह तो देखिये । (व्यवधान)

श्री रामगोपाल बैरवा : जिस कमेटी को बनाये हुए 15 दिन हुए (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। हीरालाल जी ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इरेंगुलरिटी हुई है, इतना गम्भीर मामला है, कोई रीजन तो होना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, कुछ नहीं किया, वक्फ बोर्ड ने पहले बनायी हुई कमेटी को एक माह में भंग कर दिया।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री रामगोपाल बैरवा : माननीय मंत्री जी ध्यान दें, मंत्रीजी इस बात का स्पष्टीकरण दें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : हीरालाल जी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। हो गयी बात।

श्री रामगोपाल बैरवा : अध्यक्ष महोदय, किन नियमों के तहत माननीय मंत्रीजी ने इस तरह से किया है। माननीय मंत्री जी से आप जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। नियमों में आने दें (व्यवधान) आपने शून्यकाल में बात कह दी है। बिराजिये आप। आप कृपया आसन के साथ को-आपरेटिव करें। मैंने आपको इस बात की अनुमति दी है कि आप अपनी बात रख दें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अध्यक्ष महोदय, यह मामला वास्तव में सेन्सिटिव है। सम्बन्धित मंत्रीजी को जवाब देना चाहिए।

श्री रामगोपाल बैरवा : नहीं, बात रख दी लेकिन मंत्रीजी से जवाब दिलावें।

श्री अध्यक्ष : नहीं, अभी का अभी आपको जवाब नहीं दिलवा सकता I can not compel the Minister.

हीरालाल जी बोलिये।

श्री रामनारायण मीणा : मंत्रीजी बिराजमान हैं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं । नोट अलाउड। बिराजिये। हीरालाल जी बोलिये।

श्री रामनारायण मीणा : यह अल्पसंख्यकों का मामला है।

श्री अध्यक्ष : हीरालाल जी। (व्यवधान) आप क्या कर रहे हैं बार-बार खड़े हो रहे हैं (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ये राजीखुशी नहीं मानते।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप, रामगोपाल जी।

श्री रामगोपाल बैरवा : यह अल्पसंख्यकों का मामला है।

श्री रामनारायण मीणा : अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई भावना है माननीय सदस्य (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप इस तरीके से करेंगे तो बंद करना पड़ेगा। बहुत महत्वपूर्ण बातें आती हैं। कभी कोई माननीय सदस्य नहीं बोल पाते हैं, उनको मौका मिलता है। (व्यवधान) कोई अंकित नहीं हो। अंकित नहीं करें। बिराजिये।

श्री रामगोपाल बैरवा : XXX

श्री रामनारायण मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। हीरालाल जी। (व्यवधान) माननीय रामगोपाल जी, आप इस तरह से करेंगे तो I will never allow you.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री रामगोपाल बैरवा : XXX

श्री रामनारायण मीणा : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। हीरालाल जी बोल रहे हैं। बिराजिये। हीरालालजी को बोलने दें आप। क्या आप बीच में खड़े हो गये, हीरालाल जी, महत्वपूर्ण विधायक नहीं हैं क्या ? कभी-कभी इनका मौका आता है, बोलने ही नहीं देते आप। (व्यवधान)

श्री हीरालाल मीणा (बामनवास) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अकाल राहत से उत्पन्न स्थिति की तरफ दिलाना चाहूंगा। विधान सभा क्षेत्र बामनवास की तहसील बौंली अकाल राहत में थी और अकाल राहत कार्य स्वीकृत हुए जो अप्रेल, मई, जून के मध्य में हुए। वह सभी कार्य अपूर्ण हैं। सरकार ने सम्पूर्ण जिले के लिए मजदूरों की संख्या अंत में जाकर 15 हजार की जो बहुत कम थी उस वजह से कार्य अपूर्ण रह गये। वर्तमान में स्थिति यह है कि आज की तारीख में बौंली तहसील के अन्दर पांच एकड़ भी भूमि में फसल नहीं बोयी गयी है, बरसात नहीं हुई, इसके कारण मजदूर तो मजदूरी का इन्तजार कर रहे हैं और उधर काश्तकार बरसात का इन्तजार कर रहे हैं और उधर आपका निर्माण कार्य तथा अधूरा ज्यों का त्यों पड़ा है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि 31 जुलाई तक तहसील बौंली के जो स्वीकृत अकाल राहत के कार्य हैं उनको शुरू कराने की इजाजत दें और उन कार्यों को पूर्ण करायें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मोटवानी जी।

श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम): माननीय अध्यक्षजी, पूर्व में शिक्षा सुविधा के अभाव में यह मृत्यु तो सुनी जाती थी कि गर्भवती की अमुक कारण से मृत्यु हो गयी, किन्तु जब सरकार की तरफ से सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जायें फिर भी गर्भवती की मृत्यु हो तो उसके कारणों में जाना अति आवश्यक हो जाता है। मैं आपको सूक्ष्म में यही निवेदन करना चाहता हूं कि अरांई पी.एच.सी. है, वहां आपने डाक्टर, लेडी डाक्टर भी नियुक्त कर रखे हैं किन्तु उसके वहां न जाने से कई मृत्यु हो गयी और सरकार को उसका कम्पेनसेशन भी देना पड़ गया। अब या तो आप व्यवस्था कर दें कि वह मुतवातिर जावें। अब मेरी जानकारी वहां जाने पर यह भी हुई कि कोई विशेष मंत्री की कृपापात्र हैं इसलिए वह नहीं जातीं। आपकी नहीं है, शिक्षा मंत्री की नहीं है। किसी मंत्री की हैं। तो मैं तो यह चाहता

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री किशन मोटवानी)

हूं, ऊपर उठकर के, आप उसकी व्यवस्था बैठायें, उस डाक्टर को मजबूर कीजिये कि वह बैठें। एक अरांई की है और एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा , उसी क्षेत्र में, अरांई पंचायत समिति की (व्यवधान).. मैं नाम नहीं लूंगा, मैं उस विवाद में नहीं पड़ता हूं। This is not my approach. My approach is very positive. कि इफेक्टिव रिजल्ट्स निकलने चाहिए। उसका नाम लेने से मेरे को कोई फायदा नहीं होना है, आम जनता को फायदा नहीं होना है। व्यवस्था ठीक हो जाये, फायदा हो जायेगा। मुझे भी फायदा हो जायेगा, जनता को भी हो जायेगा। तो अरांई इट्सेल्फ और दूसरा है- गोठियाणा की डिस्पेंसरी में आपका डाक्टर भी है, नर्स भी है किन्तु वह दोनों नहीं जाते हैं, दो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जरूर जाते हैं। लोग कहते हैं कि हमारे झाडू जरूर लगती है किन्तु और कोई उपचार नहीं है। इन दोनों जगह के लोगों का हस्ताक्षरित प्रार्थना-पत्र मैं आपको प्रेषित कर रहा हूं, कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। मोरदियाजी।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कई दिनों से जिला शिक्षा विभाग, सीकर के कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और धरने पर अपनी मांगों को लेकर काफी दिनों से बैठे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मिले, इन्होंने भी आश्वासन दिया और धरना इस बात का अध्यक्षजी, कि एक नथमल मीणा जो जिला शिक्षा अधिकारी (छात्रा) में कार्यरत था, वहां करीबन आठ-नौ लाख रुपये का गबन हुआ। इस नथमल मीणा ने इस गबन को उजागर किया। इनकी स्थानांतरण नीति के तहत उसका स्थानांतरण नहीं कर सकते थे। निदेशक, शिक्षा विभाग, बीकानेर के फर्जी हस्ताक्षरों से उसका स्थानांतरण किया, फर्जी हस्ताक्षरों से और उसके बाद जांच करायी गयी है, अध्यक्ष महोदय। जांच में यह पाया गया कि निदेशक महोदय के फर्जी दस्तखत किये हैं। उसके बाद उसका स्थानांतरण दूसरी जगह कर दिया, उसके बाद फिर कर्मचारियों ने दबाव दिया कि हमने एक घोटाले को उजागर किया है तो आखिर क्यों किया, उसके बाद तीसरी जगह कर दिया। इन सारी बातों को लेकर कर्मचारी यहां धरने पर बैठे हैं। नथमल मीणा भूख हड़ताल पर बैठा है। उसकी हालत बहुत चिंताजनक है। उसको सात महीने से वेतन नहीं मिला है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। कासनियांजी।

श्री परसराम मोरदिया: अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। मैं तीन बातें कहना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से आपके माध्यम से। अनियमित स्थानांतरण को रद्द किया जाय। नथमल मीणा का जो सात माह का वेतन रोक रखा है बिना वजह, उसका भुगतान किया जाय। 17 सी. सी. ए. के तहत उसको जो नोटिस दिया है उसको खारिज किया जाय। माननीय मंत्री जी।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। बिराजें आप।

श्री परसराम मोरदिया : और जो लाखों रुपयों का गबन हुआ है, उसकी क्या जांच करायेंगे ? यही मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं आपके माध्यम से।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, सात महीने का जो उनको वेतन नहीं मिला, वह मुझसे मिले। मैंने उन्हें कहा कि यहां से प्रतिनियुक्ति पर आप हर महीने कहीं जाते रहे, आप किस के आदेश से तो वहां ड्यूटी पर गये और जहां गये वहां से कम से कम ड्यूटी सर्टिफिकेट तो लावें कि आपने वहां ड्यूटी दी या नहीं दी। यह मैंने स्वयं ने उनसे व्यक्तिगत कहा कि सात महीनों का हिसाब-किताब तो लावें कि आपने नौकरी किस के आदेश से कहां जाकर दी। वह लेकर आ जायें, मैं उनकी तनख्वाह बनाने के लिए तैयार हूं। रहा सवाल कि डी.ई.ओ. आफिस (महिला) से ट्रांसफर किया, मैंने उनको कहा कि मैं आपको सीकर में दूसरी जगह ट्रांसफर कर देता हूं, इस में कोई एतराज नहीं। इस पर भी वह नहीं माने कि मुझे तो डी.ई.ओ. (फीमेल) में ही पोस्ट करें। यह सम्भव नहीं है, एक। दूसरा-आपने यह कहा कि कोई चीज का गबन हुआ है तो मैं उसको और मंगा कर डिटेल देख लूंगा। निश्चित रूप से उसकी मदद करना चाहता हूं लेकिन नियमों में रह कर ही मदद कर सकता हूं, बाहर जाकर नहीं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। कासनियांजी।

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्रीजी सहमत हैं सारी बातों से, तो क्या वह भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कर्मचारी, उनकी हालत चिंताजनक है, क्या उनको आश्वासन देने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष : उठा लो आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया : वह तो उनकी इच्छा है, दबाव के कारण से तो मैं नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : आप उठा लें।

श्री रामप्रताप कासनियां (पीलीबंगा) अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो आर.एम.पी. डाक्टर हैं उनके काम करने पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। मेरा इसमें यह निवेदन है कि अभी तक सरकार छोटे-छोटे गांवों व ढाणियों में डिस्पेंसरी पी.एच.सी. की व्यवस्था नहीं कर सकी है तो ग्रामीण क्षेत्र में छोटा-छोटा अपना इलाज करवाने के लिए, जैसे पट्टी करवाने के लिए या कोई मलेरिया बुखार या जुकाम का इलाज करवाने के लिए गांव के लोग शहर नहीं जा सकते, पी.एच.सी. जहां खुली हुई हैं उतनी दूर नहीं जा सकते। मैं एक बात मानकर चलता हूं कि यह आर.एम.पी. डाक्टर सभी ठीक नहीं है परन्तु इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से आर.एम.पी. डाक्टर बहुत अनुभवी हैं और बहुत योग्य हैं। उनमें सभी आदमी, सभी डाक्टर एक जैसे हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर जो भी डाक्टर हैं उनको चाहे आप ट्रेंड करें या उनकी और किसी तरह से जांच करके उनमें जो सही आदमी हैं उनका रजिस्ट्रेशन दर्ज करवाने की या कोई अन्य व्यवस्था करें ताकि गांवों के अन्दर लोग अपना सस्ता इलाज करवा सकें।

श्री अध्यक्ष : मदन मोहन जी। गोपीचन्दजी। (अनुपस्थित) नहीं हैं। माननीय सदस्य, मेरी तरफ देखें आप। माननीय सदस्य, आपको कुछ कहना था ?

श्री भंवरसिंह (नवलगढ़) : जी।

श्री अध्यक्ष : फरमायें।

श्री रामप्रताप कासनियां : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री भंवरसिंह (नवलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बेवूसर ग्राम में एक सबसे पुरानी माध्यमिक स्कूल है उसको सीनियर स्कूल में क्रमोन्नत करने के लिए मैंने पहले भी कई बार निवेदन किया लेकिन किसी कारणवश शिक्षा मंत्रीजी नहीं कर सके। लेकिन अब हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक आदेश दिया कि जून में इस बेवूसर स्कूल को सीनियर स्कूल में क्रमोन्नत कर दिया जाय। मैं शिक्षा मंत्रीजी से भी मिला, जून भी निकल गया, अब जुलाई जा रही है, तो मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि उस स्कूल का श्रीगणेश करवा दें और कुछ कहें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री शम्भूदयालजी बड़गूजर। 295.

श्री भंवरसिंह : एक मिनट कहने दीजिये, सर। शिक्षा मंत्री जी की नालेज में है बात।

श्री अध्यक्ष : नहीं, वह ऐसे तो क्या बतायेंगे। यह नहीं, बिराजें आप। शम्भूदयालजी।

श्री भंवरसिंह : बच्चों के एडमीशन की प्राब्लम हो गयी है सर, बच्चे परेशान घूम रहे हैं। यह तो नियमों में है, कोर्ट का आदेश है उसकी पालना में आप एक शब्द तो कहिये।

श्री अध्यक्ष : शम्भूदयाल जी। उदयलाल जी आंजना। 295 (व्यवधान) माननीय, बिराजें आप। आप मिलकर बात कर लेना, आपकी बात आ गयी है।

श्री भंवरसिंह : नहीं, मैं तो मिल लिया लेकिन अब टाइम जा रहा है, बच्चों के एडमीशन का सवाल है। हाईकोर्ट का आदेश है उसको तो करना ही है। उसके बाद कहने में क्या दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आता।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। उनको बोलने दें।

श्री भंवरसिंह : एक मिनट कहने में क्या दिक्कत है, जब आपको खोलना ही है और कोर्ट का आदेश जब मानना ही है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, नो।

श्री भंवरसिंह : बच्चों को परेशानी हो रही है (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : कासनियांजी ने जो बोला है उसके बारे में कहा है कि बहुत लोक महत्व का प्रकरण है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप उठा लेना बाद में। बिराजिये। शम्भूदयालजी।

श्री कन्हैयालाल मीणा : मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। (व्यवधान)

श्री भंवरसिंह : बच्चे इधर-उधर घूम रहे हैं एडमीशन के लिए, यह बच्चों का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें। माननीय विधायक, बिराजें आप।

श्री भंवरसिंह : यह बच्चों का सवाल है।

(श्री भंवरसिंह)

शिक्षा सत्र गुजर रहा है बच्चों का सवाल है, सर, एक मिनट कहना है–

श्री अध्यक्ष : आप बात कर लेना। ऐसे तो कम्पेल नहीं किया जा सकता। यह तो एक दिया है कि कोई बात है जो नहीं आ रही है तो ध्यान में आ जाये। बिराजिये आप। शम्भूदयाल जी।

श्री भंवरसिंह : नहीं, कम्पेल नहीं–यह बच्चों का सवाल है–(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : Not allowed. 295 चालू हो गया है। बिराजिये आप। नो।

श्री भंवरसिंह : – अब आपको खोलना है नहीं खोलना तो आप यह कह दीजिये। यह लिख कर दो कि यह दिक्कत है हम नहीं खोलेंगे। अभी जैसे आपने उत्तर दिया है उस उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूं। उस तरीके से आप कोई भी उत्तर दीजिये। नहीं खोलने के इच्छुक हों तो कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (शिक्षा मंत्री) : माननीय सदस्य ने जो मुझे कोर्ट का एक आदेश दिया है उस कोर्ट के आदेश की भावना को ध्यान में रखकर निर्णय लूंगा। कोर्ट के आदेश की क्या मंशा है उसको देखकर के विभाग को जो भी निर्णय करना है निर्णय जरूर करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री शम्भूदयाल जी।

श्री कन्हैयालाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट–

श्री अध्यक्ष : क्या कह रहे हैं आप ? **क्या मजाक है, यह मर्जी आये जब खड़े हो जाते हो।**

श्री कन्हैयालाल मीणा : उनको भी उत्तर दिलवा दिया इसलिए कह रहा हूं। मैं मेरे यहां–(व्यवधान)–

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप। मैंने जब 295 कह दिया उसके बाद 295 ही है इस तरीके से आप जब मर्जी आये आसन पर आक्षेप लगा सकते हैं क्या आप ? बैठिये आप।

श्री कन्हैयालाल मीणा : नहीं, वो ठीक है 295 है साहब मैं खड़ा होकर के बाद में पूछ रहा हूं आपसे–

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। नहीं यह गलत बात है माननीय मुख्य सचेतक महोदय इनको बैठायें आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : आप बोलने दें। बिराजिये। नो पाइंट आफ आर्डर। बिराजिये आप। 295 ले लेने दो, क्या कर रहे हैं आप बार-बार ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं कोई महत्वपूर्ण बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं। पाइंट आफ आर्डर मैंने इसलिए किया कि अध्यक्ष महोदय, मेरे अधिकारों की रक्षा आप करेंगे मुझे आपसे बहुत उम्मीद है।

श्री अध्यक्ष : मेरे को 295 पढ़वाने दें बाद में कह देना। ऐसा कौन सा आकाश गिर रहा है अभी ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं आपसे निवेदन इसलिए करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: हां, फरमायें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : कि सदन में मेरा जो प्रिविलेज का नोटिस था और प्रिविलेज के नोटिस में मैंने यह निवेदन आपसे किया था कि मंत्री महोदय अनंग कुमार जी जैन ने सदन में यह बयान दिया था कि..(व्यवधान).. अध्यक्ष महोदय, एक मिनट मेरी बात सुनिये।

एक माननीय सदस्य : सुनो तो सही आप अध्यक्ष महोदय, गम्भीर मामला है ऐसी क्या बात है ?

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर : ये कौन से नियम में बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : मेरा जो कॉल अटेंशन था उसमें अनंग कुमार जी मंत्री महोदय ने जवाब दिया था और उस जवाब में यह कहा था, अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था मामला न्यायालय में नहीं गया केवल एफ.आई.आर. दर्ज हुई है तो मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया था, अध्यक्ष महोदय, कि हमने उसका चालान पेश कर दिया है..

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप । यह क्या हो रहा है ? यह क्या पाइंट आफ आॅर्डर है आपका ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : और मामला यदि सरकार किसी को बचाना चाहती है तो वो अदालत में किसी बड़े व्यक्ति के खिलाफ चालान पेश नहीं करती, अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। अब ज़ीरो आॅवर में क्या करवा रहे हैं आप यह सब ?

श्री राजेन्द्र चौधरी : जबकि अध्यक्ष महोदय, वहां पर एफ.आर. दर्ज हो गयी। एफ. आर. लगी है अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष : I have informed You.

मैंने आपको यहां से सूचना भिजवा दी। बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, इसलिए सूचना भिजवा दी है आप चैम्बर में आकर के मिलें मेरे से।

श्री राजेन्द्र चौधरी: नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे इसलिए..

श्री अध्यक्ष : आप चैम्बर में आकर के मिलना मैं कोई गणेश जी का अवतार नहीं हूं कि हर चीज वरबेटिम हो मेरे पास में । हर चीज मुझे वरबेटिम नहीं है बिराजिये आप। दो सौ लोग मान लें सुबह से शाम तक बात कहते हैं मैं अब हर चीज it is not expected from the Speaker कि हर चीज वरबेटम हो जाये बिराजिये आप..

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सदन को गुमराह किया गया है इस मामले में सदन में असत्य बयानबाजी की है..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारे अधिकारों की रक्षा आप सरकार से करवायेंगे। हम अध्यक्ष महोदय आपसे इसलिए कह रहे हैं, हम इसलिए निवेदन करना चाहते हैं। आप सारी बात से परिचित हैं आप इस तरह से यदि सरकार..हम आपसे हमारे अधिकारों की रक्षा चाहते हैं..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। आप मुझसे

(85)

(श्री अध्यक्ष)

मिल लेना। बिराजिये आप। कृपा करके अब 295 लेने दें। (व्यवधान)..

श्री राजेन्द्र चौधरी : ..(व्यवधान)..इस तरह से सरकार अपने बयानों से मुकर रही है और बचाना चाहती है मेरा जो सरकार पर आरोप था अध्यक्ष महोदय, और वह यह था अध्यक्ष महोदय, कि भूतपूर्व महाराजा गजसिंह को लाभ पहुंचाना नहीं चाहिए..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, कोई अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : मैं तो किसी को रोक तो सकता नहीं आप बोलें जायें मर्जी आये जो। 295 का अभी चल रहा है बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। शम्भूदयाल जी। मैं आपके अधिकारों की रक्षा के लिए हूं। मैं सब सुनता हूं। बहुत देर तक सुन रहा हूं। बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : बिराजिये न आप। मैंने सुनली आपकी बात मैंने आपको चिट्ठी भिजवा दी। बिराजिये आप।

श्री राजेन्द्र चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : Speaker cannot be compelled.

श्री राजेन्द्र चौधरी : XXX

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको कहा कि चैम्बर में आकर के मिल लेना और उसके बाद ही तो कोई बात उठाना आप। बिराजिये आप। बिराजिये आप। नहीं।

श्री किशन गोपाल कोगटा : XXX

श्री अध्यक्ष : मैंने डांट कर नहीं बैठाया उन्होंने एक्सपरशन किये थे चेयर पर इसलिए बैठाया। बिराजिये आप। Please, don't speak. बिराजिये आप। 295.

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

राजकीय चिकित्सालय केकड़ी को शैय्या अस्पताल तथा नवीन भवन बनाने बाबत

श्री शम्भूदयाल बड़गूजर (केकड़ी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित कर राजकीय चिकित्सालय केकड़ी को सौ रोगी शैय्याओं में क्रमोन्नत करने एवं डाक्टर्स आवास गृह बनाने, पुराने अस्पताल को नीलामी करने बाबत तथा नये भवन हेतु भूमि आबंटन करने बाबत निवेदन है कि चिकित्सालय भवन लगभग 60 वर्ष पुराना है। बढ़ती आबादी को दृष्टिगत रखते हुए चिकित्सालय में प्रतिदिन 300 रोगी आउटडोर तथा इनडोर में 70-80 रोगी भर्ती रहने के कारण भीड़ बनी रहती है। इसके अतिरिक्त सघन आबादी के बीच हो जाने से चारों तरफ अशान्त वातावरण तथा गन्दगी बनी रहती है। स्थानीय आबादी लगभग 30,000

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

Page No 87

(88)
(87)

(श्री शम्भूदयाल बड़गूजर)

तथा क्षेत्रीय (उपखण्ड) आबादी लगभग एक लाख पच्चीस हजार के करीब है। जनता इसी चिकित्सालय से चिकित्सा सुविधा प्राप्त करती है, जिनके लिए वर्तमान चिकित्सालय भवन एवं 50 रोगी शैय्याएं अपर्याप्त हैं। साथ इस भवन में आगे बढ़ोतरी या ऊपर की मंजिल बनाना संभव नहीं है। अतः उक्त समस्या को मध्य नजर रखते हुए इस चिकित्सालय को 100 रोगी शैय्याओं का करवाकर नया चिकित्सालय भवन बनाना आवश्यक है।

उक्त समस्या को मध्य नजर रखते हुए राजकीय चिकित्सालय सलाहकार, समिति केकड़ी द्वारा चिकित्सालय हेतु नये भवन के लिए उपखण्ड अधिकारी एवं चिकित्सालय प्रभारी द्वारा अजमेर रोड पर केसोलाव के पास स्थित खसरा नं. 4324/2 में खाली पड़ी भूमि में 20-25 बीघा भूमि आबंटन हेतु प्रस्ताव किया गया है।

चिकित्सालय सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 25.11.95 को बैठक में प्रस्ताव पारित किया कि पुराना अस्पताल भवन (रेजीडेन्सियल) जो कि राजकीय नजूल सम्पत्ति है को नीलाम करवाने से लगभग 1.50 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हो सकती है। इस प्राप्त राशि से चिकित्सालय का नया भवन अजमेर रोड पर बनाने की व्यवस्था की जा सकती है।

इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर मुख्यालय ब्यावर ने भी अपने पत्र क्रमांक सामान्य 11/115/95/8662 दिनांक 19.10.95 द्वारा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर को निवेदन किया है।

अतः सार्वजनिक निर्माण विभाग, द्वारा आवश्यक कार्यवाही कर राज्य सरकार द्वारा इस प्राप्त राशि को राजकोष में जमा न करवा कर केवल नया चिकित्सालय भवन बनाने के लिए उपयोग में लेने का अन्डरटेकिंग लेना आवश्यक है।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि उपरोक्त परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुए राजकीय चिकित्सालय केकड़ी को 100 रोगी शैय्याओं हेतु क्रमोन्नत करने के आदेश प्रदान करावें साथ ही चिकित्सालय भवन हेतु अजमेर रोड पर उक्त 20-25 बीघा भूमि आबंटन कराने हेतु स्वीकृति प्रदान करावें तथा पुराने अस्पताल (रेजिडेन्सियल अकमोडेशन) को ऑक्शन कर प्राप्त राशि को नये चिकित्सालय भवन निर्माण हेतु ही आरक्षित करने के आदेश प्रदान करायें।

श्री अध्यक्ष : श्री उदयलाल जी आंजना।

निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी समिति द्वारा निर्मित सड़कों का पुनर्निमाण

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कृषि उपज मंडी कमेटी द्वारा 1987 से 1992 की अवधि में निर्मित सड़कों की स्थिति इतनी बदतर है कि ऐसी सड़कों का होना न होना बराबर है। कहीं कहीं तो सड़कों का नामोनिशान ही नहीं है जिससे सम्बन्धित गांवों के व्यक्तियों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

(श्री उदयलाल आंजना)

इस सम्बन्ध में पूर्व में भी विधान सभा में चर्चा हुई थी और कृषि मंत्रीजी ने आश्वासन भी दिया था कि इन सड़कों को पी.डब्ल्यू.डी. को हस्तान्तरित कर दिया जायेगा। इस प्रकार के आदेश गये भी हैं। मैंने स्वयं ने भी इस सम्बन्ध में पी. डब्ल्यू. डी. अधिकारियों से सम्पर्क किया तो बताया गया कि सड़कें हस्तान्तरण का प्रस्ताव तो है परन्तु सड़कों की स्थिति बहुत खराब है। इसलिए जब तक कृषि उपज मंडी कमेटी इन सड़कों को ठीक नहीं करा देती तब तक हस्तान्तरण नहीं हो सकता।

इस प्रकार दो विभागों के बीच में ग्रामीण जनता परेशानियां भोग रही है अतः नियम 295 के तहत कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्रीजी और आप राय कर इन सड़कों का पुनर्निर्माण कराने की कार्यवाही करें।

(13.00)

श्री अध्यक्ष : श्री राकेश जी मेघवाल, (अनुपस्थित)

श्री जगदीप धनखड़।

जाट, विश्नोई, सीरवी, कलवी, मेव जाति को पिछड़ी जाति मान कर आरक्षण दिये जाने के बाबत

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 295 के तहत जाट, विश्नोई, सीरवी, कलबी तथा मेव को अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रदान कराने के क्रम में।

महोदय, 1990 में मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने का क्रांतिकारी कदम उठाया। सामाजिक न्याय के सिद्धान्त के इस कदम से एक व्यावहारिक पक्ष मिला।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार राज्यों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में बढ़ोतरी व कटौती के मामलों में निर्णय के लिए एक आयोग के गठन का निर्देश दिया। मैंने इस आयोग के शीघ्र गठन के लिए प्रयत्न भी किया था। राज्य में वर्तमान में यह आयोग कार्यरत है।

राज्य सरकार ने इस मामले में पूर्ण रूप से उदासीन रवैया अपना रखा है। न्यायसंगत होता कि राज्य सरकार आयोग के समक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ जाट, विश्नोई, सीरवी, कलबी व मेव को भी दिलाने का प्रयास करती। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लाभ के जो मापदण्ड सर्वोच्च न्यायलय ने निर्धारित किये हैं उनके आधार पर जाट, विश्नोई, कलबी, सिरवी व मेव को अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। इन वर्गों में विशेषकर युवा वर्ग में भी सरकार की उदासीनता से भारी आक्रोश व्याप्त है।

देश में किसान वर्ग को ज्यादातर प्रदेशों में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण उपलब्ध है। राजस्थान में जाट किसान वर्ग में प्रमुख स्थान रखता है। आजादी से अब तक इस वर्ग का प्रतिनिधित्व भारतीय प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा में नगण्य है। गत पचास वर्षों से दोनों सेवाओं में सीधी नियुक्ति राज्य में एक

(श्री जगदीप धनखड़)

दर्जन भी नहीं है। सरकारी क्षेत्र में भागीदारी की यही स्थिति है।

उक्त वर्गों के सरकारी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व में पहले भी भारी असंतुलन था और आज पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से इनको वंचित करने से स्थिति विस्फोटक हो गयी है जो एक सामाजिक क्रांति का रूप ले सकती है।

इन परिस्थिति में मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि जाट, विश्नोई, कलबी, सिरवी व मेव को अविलम्ब पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रदान किये जाने की कार्यवाही सरकार आयोग के समक्ष करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन जी।

खाजूवाला में प्राथमिक शिक्षा प्रसार हेतु विशेष ध्यान दिये जाने बाबत

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्राथमिक शिक्षा प्रसार हेतु सीमांत क्षेत्र खाजूवाला में विशेष ध्यान हेतु विशेष उल्लेख के माध्यम से ध्यान आकर्षित करता हूं : —

1. सीमांत क्षेत्र खाजूवाला, पूंगल एवं छतरगढ़ उपनिवेशन तहसीलों में वर्तमान में अनेक नयी ग्राम पंचायतें स्थापित की गयी हैं लेकिन इन नयी ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों एवं उनके अधीनस्थ क्षेत्रों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक शाला की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः इन क्षेत्रों में शिक्षाकर्मी योजना के अन्तर्गत त्वरित कार्यवाही करके व्यवस्था करनी चाहिए। लोक जुम्बिश परियोजना, बीकानेर शिक्षाकर्मी विद्यालय खोलने में बाधा पहुंचा रही है। जनता इन क्षेत्रों में शिक्षाकर्मी अध्यापकों की मांग कर रही है। शिक्षा के प्रति जनता जागरूक है लेकिन लोक जुम्बिश परियोजना बीकानेर इस मांग की पूर्ति नहीं कर पा रही है। अतः जनता की मांग पूर्ति हेतु त्वरित कार्यवाही की जाय।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए निम्न पंचायतों को प्राथमिकता दी जाय :— 1. आनन्दगढ़ 2. 2केएलडी. 3. चक 3 पी. डब्ल्यू.एम. 4. जालवाली 5. मोतीगढ़ 6. करणीसर भरियन 7. आडूरी 8. खारवाली। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश शर्मा।

जैत सागर (बूंदी) के बड़े तालाब से जल कुम्भी साफ करवाये जाने बाबत

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, पर्यटन विभाग ने पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की सूची विभाग ने मुझे दी है। जिसमें तारागढ़ का किला, चित्रशाला, क्षार बाग, बनीजी की बावड़ी, नवलसागर, धाभाई कुण्ड, 24 खम्भों की छतरी, मीर साहब की दरगाह, रामेश्वर महादेव, रामगढ़ अभयारण्य, तलवास, दुगारी किला, इन्द्रग्रह का किला एवं बिजयासर माताजी का मन्दिर, कमलेश्वर, केशवरायपाटन भी माने हैं।

नवलगढ़ तालाब में बरसाती पानी आता है इसके लिए एनीकट बनाया गया तो ड्रेन के लिए 8 माह से निवेदन कर रहे हैं परन्तु ड्रेन नहीं बनी। इस ड्रेन के नहीं बनने से नवलसागर का विकास नहीं हो पा रहा है। इस ड्रेन को तत्काल खोदा जाये।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

पर्यटन की सूची मे बूंदी का हृदय स्थल बाण गंगा, जहां खजूर के पेड़ लगे हुए हैं खजूर के पेड़ कहीं मिलते नहीं। वह पेड़ बाण गंगा, शिकार बुर्ज सुखमहल एवं हिण्डौली की पाल को भी इसमें शामिल करना आवश्यक है।

पर्यटन की दृष्टि से जैत सागर से बड़े तालाब में पानी आता है। इस बड़े तालाब से सुखमहल, महेशवाटिका, वृन्दावली होटल, मोडल गार्डन, हनुमन्त वाटिका, ताजग्रुप, नशियांजी, काजी सा की बगीची में इसी तालाब से पानी लिया जाकर गार्डन वगैरह को पानी दिया जा रहा है एवं दिया जायेगा। अभी वहां बड़े तालाब में अधिकतर कमल के पेड़ (जलकुम्भी) भारी तादाद में बढ़ रही है। इसको रोका जाये, सफाई करायी जाय अन्यथा उपरोक्त स्थानों पर पानी नहीं पहुंच पायेगा तथा पर्यटन का महत्व कम हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री रामपाल उपाध्याय। (अनुपस्थित)

श्री रामेश्वरजी भाटी।

रणधीसर पहाड़ी (तहसील सुजानगढ़) के लीजधारियों, की लीज का नवीनीकरण किया जाना बाबत

श्री रामेश्वरलाल भाटी (सुजानगढ़) : महोदय, रणधीसर पहाड़ी तहसील सुजानगढ़ (चूरू) में गत करीब 40 वर्षों से खनन कार्य लगातार चल रहा है। इस खनन कार्य में करीब 10,000 श्रमिक मजदूरी करके अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। इस खनन कार्य से राज्य सरकार को प्रतिवर्ष दो करोड़ की आय होती है।

जिला पुलिस अधीक्षक, चूरू की सूचना के अनुसार इस पहाड़ी पर माइक्रोवेव रिपीटर स्टेशन भी स्थापित है। इस टावर एवं मकानात के चारों तरफ चार दीवारी बनी हुई है तथा इस टावर से करीब 75 मीटर दूर खनन कार्य चल रहा है। वर्तमान में इस खनन कार्य से क्षति की तत्काल सम्भावना नहीं है।

रणधीसर पहाड़ी के खनिज लीजधारियों के पट्टों का पिछले करीब दस वर्षों से नवीनीकरण नहीं हुआ है जबकि इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के दिनांक 30.3.95 के निर्णयानुसार चार माह की अवधि के अन्दर खानि. अभियन्ता को नवीनीकरण के आदेश देने चाहिए थे लेकिन आज तक नवीनीकरण नहीं हुआ है।

अतः मेरा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत सदन एवं सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि दस हजार मजदूरों के रोजगार एवं लीजधारियों के भविष्य को ध्यान में रखकर अविलम्ब पट्टों का नवीनीकरण करवायें।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुवीर सिंह जी।

परसाद गांव (जिला उदयपुर) में स्थित निरीक्षण ग्रह में अतिरिक्त कमरों का निर्माण

श्री रघुवीर सिंह (सराड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के हाईवे नं. 8 पर स्थित परसाद के निरीक्षण गृह के विस्तार के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार

(श्री रघुवीर सिंह मीणा)

का ध्यान आकर्षित कर यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर के नेशनल हाईवे नं8 पर स्थित गांव परसाद जहां पी. डब्ल्यूडी. का एक निरीक्षण गृह है जिसमें दो कमरे हैं। जिनमें पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। महोदय, आपको विदित होगा कि नेशनल हाईवे नं.8 पर एक महत्वपूर्ण सड़क मार्ग है, जिससे आये दिन देश-विदेश के पर्यटक एवं महत्वपूर्ण लोग गुजरते हैं तथा परसाद के निरीक्षण गृह में विश्राम आदि करते हैं। ऐसी स्थिति में दो कमरे पर्याप्त नहीं हैं। अभी इस निरीक्षण गृह के परिसर में पर्याप्त खाली भूमि पड़ी हुई है जिसमें कई कमरे बन सकते हैं। मुझे ज्ञात है कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री भी कई बार वहां विश्राम करके पधारे हुए हैं। अतः मंत्री जी के ज्ञान में भी वह स्थान व निरीक्षण गृह है। अतः महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि निरीक्षण गृह परसाद को डाक बंगलों के रूप में परिवर्तित कर इसके अतिरिक्त कमरे बनवाने हेतु कार्यवाही करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री कालूलाल जी।

माण्डलगढ़ तहसील में तिलस्मा महादेव के मंदिर के निकट स्थित वन विभाग की भूमि के गलत आबंटन को निरस्त करना

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत इस प्रस्ताव के द्वारा माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा में हाल ही में राज्य सरकार द्वारा भूतपूर्व जागीरदार स्वर्गीय भैंरू शंकर जोशी के वारिसान द्वारा विक्रय की गई भूमि के खरीददारान के पक्ष में किये गये आबंटन आदेश में बरती गयी अनियमितताओं एवं अवैधानिकता की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। भूतपूर्व जागीरदार श्री भैरूं शंकर जोशी ग्राम केसूली जिला उदयपुर के निवासी थे जिनकी भूमि नाथद्वारा तहसील के किसी बांध की डूब में खुदकाश्त की भूमि आ जाने के कारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में राज्य सरकार ने भूमि आबंटन का आदेश दिया।

न्यायालय ने यह आदेश दिया था कि उक्त श्री भैंरू शंकर को राजस्थान में कहीं पर भी काबिल काश्त भूमि 9 बीघा का आबंटन किया जाय। जिस पर श्री भैंरू शंकर की मृत्यु हो जाने के बाद भी मृतक के नाम पर आज से दो साल पूर्व आबंटन कर दी। मृतक के नाम किये गये आबंटन के बाद उसके वारिसान ने उक्त भूमि को गोपाल लाल, हीरालाल एवं श्रीमती एजन को बेच दी। जिसकी जानकारी होने पर शीघ्र ही जनता ने भयंकर विरोध किया। माण्डलगढ़ तहसील के ऊपर मील खनन क्षेत्र के शिकारगाह नामक वन विभाग की भूमि का आबंटन उक्त मृतक व्यक्ति भैंरू शंकर के नाम पर करने का विरोध किया तथा स्थानीय विधायक के घर पर भी प्रदर्शन किया तथा आंदोलन किया गया। जिसके फलस्वरूप जिला प्रशासन ने मृतक के नाम पर किये गये वन भूमि एवं खनन क्षेत्र की भूमि के आबंटन को निरस्त कर दिया और भूमि को पुनः वन विभाग में दर्ज कर दी। तथा इस आबंटन में

92

(श्री कालूलाल गूजर)

दोषी पाये गये तहसीलदार एवं इंसपेक्टर को नौकरी से निलम्बित भी किया।

तत्पश्चात् उक्त भूमि के खरीददारान द्वारा इस आबंटन निरस्ती के आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार के राजस्व विभाग को ज्ञापन दिया और भूमि को उनके नाम पर आबंटन करने का निवेदन किया जिस पर राज्य सरकार ने हाल ही में माण्डलगढ़ तहसील के तिलस्वा महादेव के मंदिर के निकट स्थित वन विभाग के लिए आरक्षित वन विभाग की शिकारगाह ग्राम की खसरा नं. 13 की 43 बीघा 15 बिस्वा भूमि एवं नया नगर क्षेत्र की खसरा नं. 103 की 45 बीघा 4 बिस्वा भूमि तथा शेष रसदपुरा गांव की खसरा नं. 24 की 1 बीघा 1 बिस्वा भूमि का आबंटन स्वर्गीय भैरूशंकर जोशी के वारिसान की ओर से स्थानांतरण की गयी भूमि के खरीददार श्री गोपाललाल, हीरालाल, नारायणलाल एवं श्रीमती एजन के नाम पर आबंटन करने का आदेश खुदकाश्त आयुक्त जयपुर दे दिये हैं जो अवैधानिक है, क्यों कि राज्य सरकार द्वारा उक्त आदेश दिये जाने के पूर्व जिला कलेक्टर भीलवाड़ा से उक्त भूमि आबंटन बाबत प्रस्ताव मंगवाये थे जिसमें कलेक्टर, भीलवाड़ा ने समस्त जांच करवाकर तथा राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मौके की स्थिति की रिपोर्ट एवं रेकार्ड मंगवा कर उसका अवलोकन करने के बाद यह प्रस्ताव भेजा कि प्रस्तावित भूमि जो शिकारगाह गांव की है, वह वन भूमि है जो वन विभाग के नाम पर दर्ज है। जिसका आबंटन नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार कलेक्टर भीलवाड़ा ने लिखा कि नया नगर की भूमि जो प्रस्तावित की गयी है वह खनन क्षेत्र की भूमि है जिसमें विपुल मात्रा में खनिज सैण्ड स्टोन उपलब्ध है। इस समय भी वहां पर खानें चल रही तथा इस भूमि पर आबादी बसी हुई है। मका एवं स्कूल बने हुए हैं तथा अन्य कई खा मालिकों के ऑफिस भी बने हुए हैं तथा पक्की सड़क बनी हुई है। मलबे के ढेर भी पड़े हु हैं। इस प्रकार यह खनन क्षेत्र की भूमि जिसकी कीमत करोड़ों रुपये से भी ज्यादा है अतः इनका आबंटन नहीं किया जाय। इसके बजाय उक्त व्यक्तियों को ग्राम श्यामपुरा जिंजोला एवं तथा बिकरण पंचायतों में खाली पड़ी बिना नाम की काबिल काश्त भूमि का आबंटन किया जाये लेकिन इसके बावजूद इन तथ्यों को नजरअंदाज कर कलेक्टर भीलवाड़ा की रिपोर्ट को नहीं मानकर मिली भगत एवं अनुचित लाभ प्राप्त कर उक्त शिकारगाह नया नगर एवं रसदपुरा की जमीन को उक्त खरीददारान के नाम पर आबंटन करने का आदेश खुदकाश्त कमिश्नर जयपुर ने किया है जो गैर कानूनी है।

वैसे भी मृतक की भूमि खुदकाश्त की थी, जिसको बेचने का उसके वारिसान को कोई अधिकार नहीं है।

जो भूमि मृतक के वारिसान के नाम से आबंटित होकर निरस्त हो गयी उसको बेचने और खरीदने का कोई अधिकार नहीं रहा है। इसलिए तथाकथित विक्रय पत्र गैर कानूनी है जिसके आधार पर कोई आबंटन नहीं किया जा सकता।

मृतक भैरूशंकर जोशी के वारिसान ने स्वयं कलेक्टर, भीलवाड़ा को लिख कर दिया कि हमको कोई भूमि की आवश्यकता नहीं है। इसलिए भूमि का आबंटन नहीं किया जाये। उसके बाद भी भूमि का आबंटन कर दिया जो

(श्री कालूलाल गूजर)

विभाग में दर्ज कर दी। तथा इस आबंटन में अवैध है। क्रेताओं को भूमि आबंटन करवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट ने काबिज काश्त भूमि देने का आदेश दिया था, जबकि आदेशित भूमि मौके पर काबिज काश्त नहीं है। इसका आबंटन नहीं हो सकता।

नया नगर के सरपंच ने इस भूमि को जो नया नगर की है को आबादी में लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा है।

शिकारगाह की भूमि वन विभाग के नाम पर दर्ज होने से वन भूमि है। जिसको डी-फारेस्ट करवाये बिना राज्य सरकार भी आबंटन नहीं कर सकती है। यह आबंटन आदेश अवैध है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों पर क्या कार्यवाही करवायेंगे, क्या उक्त अवैधानिक आबंटन को निरस्त करेंगे तथा इस प्रकरण में जो भी दोषी हैं, उनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

अतः मैं माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान उक्त तथ्यों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। श्री रामस्वरूप जी।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : एक बात मैं भी बोलना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : नहीं, 295 पढ़ा है इन्होंने।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी : इन्होंने अभी मेरा नाम लिया है इसमें। मेरा नाम कैसे ले लिया। मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप। श्री रामस्वरूपजी।

नादौती तहसील की अधूरी सड़कों को पूर्ण करवाया जाना

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री (व्यवधान) उनका ध्यान इधर उधर हो रहा है, इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान मेरी ओर आकर्षित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में पधारे थे। उस समय हमने चक्का जाम किया था। आपने उस समय हमको तीन बातों का आश्वासन दिया था। माननीय मंत्री जी आपने...

श्री अध्यक्ष : आप इसे पढ़ें, माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप मीणा : वो कार्य मेरा पूरा हो गया। बिजली का एक मामला दिया, वो भी आपने पूरा किया। लेकिन बड़े दुख की बात है आपके ही विभाग के मामले में, जिनके बारे में मैंने आपसे निवेदन किया हुआ है और फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : आप इसे पढ़ें।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप जरूर पूरा करेंगे।

श्री टीकमचंद कांत : आप 295 को पढ़ें (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप जवाब मत दो, मुझे मंत्री जी जवाब देंगे।

(श्री रामस्वरूप मीणा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में दो तहसीलें हैं, एक नादौती एवं दूसरी टोडाभीम। नादौती में 40 साल से अधूरी सड़कें हैं जिनको आज तक पूरा नहीं किया। उदाहरण के लिए नादौती से जो सड़क अलूदा होकर गढमोरा होती हुई नेशनल हाइवे नं. 11 को मिलती है, वह अलूदा पर बंद कर दी गयी है जो मात्र आधा किलोमीटर है। इस सड़क के अधूरा रहने के कारण 1. नादौती 2. अलूदा 3. जीणा 4. सलाबद 5. गढखेड़ा 6. रामसेना 7. गढमोरा 8. चिरावड़ा 9. लाल 10. पाल ग्रामों को भयंकर समस्या का सामना कर पड़ रहा है। वर्षा में कोई भी रास्ता इन ग्रामों से जयपुर एवं नादौती के लिए नहीं है। कई महिलाओं की जान तक चली गयी हैं, कई महिलाओं ने रास्ते में ही बच्चे को जन्म दे दिया। इसी प्रकार बागौर से गड़खेड़ा की एक किलोमीटर सड़क मात्र केवल डामर के कारण अधूरी है। इसी प्रकार राजपुर की सड़क 20 साल से डामर के कारण अधूरी है। भीजापाड़ा से कूंजला से सोप की, जीरणा की पाल से गड़खेड़ा, बाड़ा से केमरी, बालाखेड़ा से नादौती रोड़। इसी प्रकार टोडाभीम तहसील की सड़क श्री महावीरजी से नागल पहाड़ी तक जिससे 40 किलोमीटर श्री महावीरजी का रास्ता नेशनल हाइ-वे नम्बर 11 से कम हो जाता है। हिण्डौन होकर यात्रियों को जयपुर आना पड़ता है, काम चला कर अधूरा छोड़ दिया गया।

इसी प्रकार रानोली से शिखपुरा, कमालपुरा से लुहाड़खेड़ा, नागल रोड से उरदेन, टोडाभीम से सुजानपुरा, अनदपुरा से नेशनल हाइ-वे नम्बर 11, मेहंदीपुर बालाजी का बाई-पास, करारी से माचड़ी मोड़, टोडाभीम से करारी मोड़, आदि सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं जो लाखों रुपये की लागत से बनायी गयी हैं, पर यह पैसा बेकार जा रहा है। सड़कों से गिट्टियां भी हट गयी हैं। बड़े-बड़े गड्ढे पड गये हैं। ये सड़कें ज्यादातर डामर की कमी के कारण अधूरी हैं या अफसरों एवं ठेकेदारों की लापरवाही के कारण अधूरी पड़ी हुई हैं।

अतः मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सरकार मेरे विधान सभा क्षेत्र की इन अधूरी सड़कों की जांच करायेगी एवं तुरन्त ही पूरा करने के आदेश देगी, ताकि जनता में व्याप्त असंतोष दूर हो और समस्या का हल हो सके।

मेहंदीपुर बालाजी के बाई-पास की घोषणा आप करके आये, उसके बारे में भी आप बतायेंगे। जिसके अभाव में मंदिर के आगे वहां कई मौतें हो चुकी हैं। मुझे विश्वास है माननीय अध्यक्ष महोदय, कि आपके इस पवित्र सदन में मंत्रीजी मुझे आश्वस्त करेंगे कि इन अधूरी सड़कों को आप पूरा करेंगे। बाई-पास की आपने जो घोषणा की है, उसके बारे में भी यहां, कुछ न कुछ जरूर कहेंगे। इसलिये मेरा विनम्र निवेदन है, आप यहां बिराजमान हैं, आप बहुत अच्छे मंत्री हैं, मुझे विश्वास है कि आप जरूर जवाब देंगे। औरों की तरह आप कतई डरपोक नहीं हैं, निश्चित रूप से जवाब देंगे मेरी बात का, मुझे भरोसा है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए। मोतीलालजी।

श्री टीकमचंद कांत : अध्यक्ष महोदय, रामस्वरूपजी ढाई सौ शब्दों से अधिक 295 पढ़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) : सड़कें मंजूर करवायी हैं, इसके लिए तो हम मंत्रीजी

(श्री हरिश्चन्द पल्लीवाल)

को धन्यवाद देते हैं। प्रश्न यह पैदा होता है कि आपने इतनी सड़कें मंजूर करा दी और कार्य चालू हो गये। लेकिन जिन ठेकेदारों को काम दिया (व्यवधान) उन ठेकेदारों ने आज तक काम नहीं किये।

श्री टीकमचंद कांत : मेरा प्रश्न नियमों में है श्रीमान्, रामस्वरूपजी ढाई सौ शब्दों से ऊपर 295 पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : मोती लाल जी। (व्यवधान) बनवारीलाल जी।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : माननीय रामस्वरूप जी बोलते हैं, तो बोलने दें (व्यवधान) उससे क्या फर्क पड़ गया, क्या नियमों के अन्दर है ?

मंत्री जी से मैं पुनः निवेदन करूंगा ...

श्री अध्यक्ष : बनवारी लाल जी बैरवा, 295 बोल चुके ?

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : मंत्रीजी आप इन ठेकेदारों को कहिये, अपने विभाग वालों को कहिये (व्यवधान) यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री रामस्वरूप मीणा : क्या होता है कि (व्यवधान) जब तक राजस्थान में इस प्रकार के (व्यवधान) आप कम से कम इस अधूरे काम को इस बात के लिए प्राथमिकता तो दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : अधूरी सड़कों को पहले ले लें। (व्यवधान) नयी सड़कें आप कैसे लेंगे, अधूरी पूरी ही नहीं हुई (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, आप बिराजिये।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : बड़ा मन्दिर है (व्यवधान) वहां जगदीशजी का इतना बड़ा मंदिर है (व्यवधान) उसका जो बाईपास है वह आज तक भी पूरा नहीं हुआ।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा (सिकराय) : मेहन्दीपुरजी के बालाजी का बाई-पास है, इसकी घोषणा करवा दीजिये आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेहन्दीपुर के बालाजी के बाईपास की बात नहीं है। इन्होंने 295 के तहत पढ़ा है।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : बहुत पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थान है, मेहन्दीपुर के बालाजी। अध्यक्ष महोदय, उस मेहन्दीपुर के बालाजी के आप भी भक्त हैं (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आप भी तो भक्त हैं, मेहन्दीपुर के बालाजी के।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : आप भी जाते हैं और आपने भी घोषणा की थी कि मेहन्दीपुर के बालाजी (व्यवधान) इसलिए आप मंत्री महोदय से यह जवाब दिलवा दें कि मेहन्दीपुर बालाजी के बाई-पास को वे करवा दें। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हर बार मैं पत्र लिखती हूं, वे कहते हैं (व्यवधान) गोनेर की सड़क, श्योपुर की सड़क, अकाल राहत में जो रह गयी थीं, उन सड़कों के बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग वालों ने कहा था, हम करेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप 295 पढ़ने दें। बिराजिये आप।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : बहुत इम्पोर्टेण्ट

(श्री महेन्द्र कुमार मीणा)

जगह है मेहन्दीपुर बालाजी और मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पड़ता है। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : बहुत ही + + + हो गये + + + मंत्रीजी कुछ तो कहो। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : बांड़ा पदमपुरा से गोनेर के बीच में रास्ता बिलकुल दब गया है और उसको ठीक कराने का काम सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी,-(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा निवेदन है, आप घोषणा क्यों कर आये वहां जाकर के कि मैं यह काम करवा दूंगा और अब हम सदन में पुकारते हैं, आप कुछ भी नहीं कहते-(व्यवधान) इसलिए + + + मंत्रीजी निवेदन है-(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने अपना 295 भी पढ़ लिया, पूरा भाषण कर लिया। आप बिराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : भाषण नहीं दिया, आप वहां पधारे थे, तब भी मैंनें-

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : अधूरी जो सड़कें पड़ी हैं, उनके बारे में (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैरवा साहब, बोलिये। (व्यवधान) मुझे सहयोग करें।

श्री रामस्वरूप मीणा : चाहे मंत्रीजी मत दें जवाब, आपके दिल में बैठा लेना इस बात को और जरूर पूरा करा दें इस सड़क को।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये हो गया। (व्यवधान)

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : महावीर जी जरूर पधारो आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप महावीरजी आओ, आपको पता लग जायेगा।

(व्यवस्था -सूचक -घण्टी)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : आप हमें बोलने ही नहीं देते और ये 295 में इस तरह बोलते हैं, यह क्या बात है। -(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब मेरा गला थक गया है, इसलिए यह घण्टी बजा रहा हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : ये महिलाएं भी इस बात को कह रही हैं-(व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, 2-4 लोगों को छूट है क्या ?

श्री रामस्वरूप मीणा : शायद मेंहदीपुर के बालाजी आती हैं सारी, (व्यवधान) इनके संकटों को (व्यवधान) इनको परेशानी है, वे जानती हैं इस बात को।

श्रीमती तारा भण्डारी :-अध्यक्ष महोदय, इनको जो चाहे बोलने की छूट है क्या ? हम जो छोटा-मोटा प्रश्न करना चाहते हैं तो भी आज्ञा मानकर बैठे रहते हैं और ये जो चाहे बोलेंगे।

श्री अध्यक्ष : अच्छा है, आप सहयोग कर रहे हैं। बहुत अच्छा, धन्यवाद। श्री बनवारी लालजी बैरवा।

+ + + शब्द अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

टौंक के सवाई माधोपुर चौराहे पर किदवई पार्क में अवैध रूप से बनायी जा रही ऊंची प्याऊ

श्री बनवारीलाल बैरवा (निवाई) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि सिंधी विकास मंच, टौंक के सौजन्य से जिला प्रशासन तथा नगर पालिका व शहर के संभ्रान्त नागरिकों की ओर से शहीद हेमू कालाणी की आदमकद प्रतिमा सवाई-माधोपुर चौराहे पर लगाने (स्थापित) का निर्णय लिया गया है जिसके तहत सिंधी समाज द्वारा लगभग 2 लाख रुपये फैडस्टल (ऊंचा चबूतरा) व प्रतिमा पर खर्च किये जा चुके हैं। आदमकद प्रतिमा का अनावरण निकट भविष्य में ही किया जाना था, किन्तु इसी दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मूर्ति का शों खराब करने की नीयत से छतरी व चबूतरे से बिलकुल अड़ाकर किदवई पार्क जो कि सरकारी पार्क है, अनधिकृत अतिक्रमण कर उस छतरी से ऊंची प्याऊ बनाने का बहाना बनाकर निर्माण किया जा रहा है।

सिंधी विकास मंच ने तमाम वैधानिक तथा प्रशासनिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के उपरांत ही इस चबूतरे व छतरी का निर्माण करवाया व प्रतिमा तैयार करवायी, जबकि प्रतिमा से अड़ाकर किये जा रहे अवैध निर्माण जो कि सरकारी सम्पत्ति में हैं, बिना सरकार की मंजूरी के कोई भी निर्माण कार्य करने का किसी को भी अधिकार नहीं है। इस प्रकार की प्रतिमाओं को पारदर्शी बनाने के लिए एक निश्चित दूरी तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं करवाये जाने की कानून में व्यवस्था है। अगर यह अवैध निर्माण पूर्ण हो जाता है तो इससे प्रतिमा स्थल दृष्टिगोचर नहीं होता, जिससे उक्त प्रतिमा स्थल के निर्माण का उद्देश्य एवं आकर्षण ही समाप्त हो जायेगा।

इस अवैध निर्माण से न केवल स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद हेमु कालाणी का असम्मान हो रहा है अपितु राष्ट्र-भक्तों की भावनों को भी ठेस पहुंच रही है। इससे नागरिकों में भारी आक्रोश है जिससे किसी भी समय शांति भंग हो जाने का खतरा बना हुआ है।

अतः मैं इस विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन करता हूं कि मूर्ति के पास में बने हुए अवैध तामीर को तत्काल हटाया जाये तथा दोषी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाये जिससे स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद हेमू कालाणी की मूर्ति उचित एवं उपयुक्त रूप से स्थापित हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : विराजिये। श्री रामपाल जी उपाध्याय, बोलिये।

महात्मा गांधी जिला अस्पताल, भीलवाड़ा में चिकित्सकों के रिक्त पद

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

भीलवाड़ा जिला मुख्यालय पर स्थित महात्मा गांधी जिला अस्पताल स्थित है, जिसमें 400 शैय्याएं हैं और इस अस्पताल में पूरे जिले के रोगी उपचार हेतु आते हैं परन्तु विभिन्न चिकित्सकों की अनुपलब्धता से रोगियों को ठीम समय पर उपचार नहीं मिल पाता है क्योंकि इस अस्पताल में चिकित्सकों के अनेक पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हुए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है :—

(श्री रामपाल उपाध्याय)

1. 5 वर्ष से कनिष्ठ विशेषज्ञ स्त्री रोग रिक्त चला आ रहा है।

2. डिप्टी कण्ट्रोलर का पद लम्बे समय तक रिक्त रहने के कारण यह पद ही समाप्त हो गया, जिसे पुनः सृजित किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता है। अतः इसे तुरन्त सृजित किया जाय।

3. जिला क्षय केन्द्र में वरिष्ठ विशेषज्ञ का पद तीन वर्ष से रिक्त पड़ा हुआ है, जिसके विरुद्ध कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसिन लगा रखा है। परिणामतः उपलब्ध औषधियां गरीब व अपेक्षित व्यक्तियों को समय पर नहीं मिल पाती हैं। कुल मिलाकर यह क्षय केन्द्र बन्द सा ही है।

4. उक्त केन्द्र में एम.एम. आर. मशीन लम्बे समय से खराब पड़ी हुई है, जिससे गरीब पीड़ितों व बीमार व्यक्तियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता है। अतः एक नयी मशीन उपलब्ध की जाय।

5. पूरे भीलवाड़ा जिले के अस्पतालों में हाल ही विभिन्न विषयों के कनिष्ठ विशेषज्ञों की पदोन्नति होकर पृथक-पृथक चिकित्सालयों में लगाये गये, जिससे जिला मुख्यालय पर स्थान रिक्त हो गये। परिणाम स्वरूप विभिन्न चिकित्सालय में हाल ही में कार्यरत चिकित्सकों को पुनः महात्मा गांधी अस्पताल, भीलवाड़ा में लगाया जा रहा है। जिससे ग्रामीण चिकित्सालयों में असुविधा होना स्वाभाविक है। उदाहरणार्थ-हमीरगढ़ चिकित्सालय से डाक्टर कैलाश पंवार को मांडलगढ़ से डाक्टर राधेश्याम छापरवाल आदि को लगाया गया है।

सम्भवतः डाक्टर प्रदीप अग्रवाल को भी कोशीथल चिकित्सालय से भीलवाड़ा लाने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए।

6. उक्त महात्मा गांधी अस्पताल में लगभग 15 डाक्टरों के पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हुए हैं, जिन्हें तुरन्त भरा जाना आवश्यक है।

कृपया उक्त वर्णित अभावों को अविलम्ब पूरा किया जाय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री रघुवीरसिंह कौशल, ऊर्जा मंत्री राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के लेखे वर्ष 1994-95

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : वे जरा नेचुरल काल के लिये गये हैं। मैं आपकी अनुमति से यह...

श्री अध्यक्ष : अनुमति है।

श्री शिवनाथ सिंह : नेचुरल काल क्या ? ...(व्यवधान)...

श्री कैलाश मेघवाल : नेचुरल काल का आनसर करने के लिये गये हैं । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप फरमायें।

श्री कैलाश मेघवाल : यह आपके अध्यक्ष महोदय देंगे। उन्होंने मुझे अनुमति दे दी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 69 के अन्तर्गत

(श्री कैलाश मेघवाल)

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का वार्षिक लेखा वर्ष 1994-95 सदन की मेज पर रखता हूं।

याचिका का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन। माननीय श्री बनवारीलालजी बैरवा, सदस्य, विधान सभा दो याचिकाएं उपस्थापित करेंगे।

श्री बनवारीलाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं निम्नांकित दो याचिकाएं उपस्थापित करता हूं : —

पवालिया ग्राम के गाण्डरवाला एनीकट के पूर्ण कराने हेतु

(1) ग्राम पवालिया पंचायत समिति टोडारायसिंह के गाण्डरवाला एनीकट को पूर्ण कराने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

निवाई विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई में सड़कों के निर्माण करने बाबत दो व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री भीमराज भाटी, सदस्य, विधान सभा एक याचिका उपस्थापित करेंगे। नहीं हैं। (अनुपस्थित)

समिति का प्रतिवेदन

महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 1995-96 का प्रथम प्रतिवेदन

समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन। माननीय श्रीमती तारा भण्डारीजी, सभापति महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 1995-96 समिति का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करेंगी।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैं महिलाओं एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, 1995-96 का प्रथम प्रतिवेदन उपस्थापित करती हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अजमेर में हवाई अड्डे का निर्माण

श्री अध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य, विधान सभा, अजमेर में हवाई अड्डे का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम) : अध्यक्ष महोदय, मैं अजमेर में हवाई अड्डा बनाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री, वित्त): अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार द्वारा अजमेर के निकट हवाई अड्डे के निर्माण हेतु भारत सरकार से नियमित रूप से अनुरोध किया जा रहा है। भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने राज्य सरकार के अनुरोध पर यह प्रस्ताव किया कि यदि राज्य सरकार हवाई अड्डे के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि निःशुल्क उपलब्ध करा देती है तो उक्त प्राधिकरण हवाई अड्डे का निर्माण अपने खर्च से करेगा। प्राधिकरण द्वारा इस हेतु लगभग 750 बीघा भूमि की मांग की गयी।

श्री अध्यक्ष : थोड़ा जोर से बोलें।

श्री अनंग कुमार जैन : राज्य सरकार के पास सिवाय चक तथा चरागाह भूमि केवल 346 बीघा ही उपलब्ध थी तथा शेष 400 बीघा भूमि के अधिग्रहण किसानों से किया जाना आवश्यक प्रतीत हुआ। अतः राज्य सरकार ने भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को यह प्रस्ताव किया कि वे भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का व्यय भी वहन करने हेतु सहमति प्रदान करें।

राजकीय भूमि, जो उपलब्ध है, भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को देने हेतु सहमति भी प्रदान कर दी गयी।

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तथा निःशुल्क भूमि आबंटन पर ही जोर दिया। इस पर राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा कि राज्य सरकार आवश्यक भूमि निःशुल्क उपलब्ध करा देगी। यदि प्राधिकरण यह लिखित आश्वासन दे कि आगामी चार वर्षों की अवधि में यदि वायु सेवा प्रारम्भ नहीं कर दी जाती है तो भूमि अधिग्रहण पर हुआ व्यय भारत सरकार अथवा भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण राज्य सरकार को लौटा देगी। इस प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार का उत्तर अभी अपेक्षित है।

दिनांक 12 जून, 1996 को भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के निदेशक (योजना) श्री जगन्नाथ तथा अधीक्षण अभियन्ता जयपुर आये थे। उनसे हुई वार्ता के दौरान उन्होंने मौखिक रूप से यह इंगित किया था कि यदि राज्य सरकार उक्त शर्त को वापस लेकर बिना शर्त हवाई अड्डे के निर्माण हेतु आवश्यक मात्रा में भूमि उपलब्ध करा देती है, तो भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डे का निर्माण कर देगा। उन्होंने यह भी इंगित किया कि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डे का निर्माण दो चरणों में करेगा। प्रथम चरण में छोटी हवाई पट्टी का निर्माण किया जायेगा, जिस पर 50 सीटों की क्षमता वाले विमान यथा-फोकर फ्रेण्डशिप टाइप के विमान ही उतारे जा सकेंगे। द्वितीय चरण में जैसे-जैसे ट्रेफिक का विस्तार होगा, बड़े, अर्थात बोइंग विमान हेतु बड़े हवाई अड्डे का निर्माण किया जायेगा। अतः भूमि अधिग्रहण सम्पूर्ण हवाई अड्डे की आवश्यकतानुसार ही करना होगा। उन्होंने भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण की ओर से यह शर्त मानने से मौखिक रूप से इन्कार किया कि यदि चार वर्षों में विमान सेवाएं प्रारम्भ नहीं हो सकीं तो भूमि मुआवजे की राशि लौटा दी जायेगी। उन्होंने बताया कि विमान सेवाओं के प्रारम्भ किये जाने का आश्वासन प्राधिकरण द्वारा नहीं दिया जा सकता क्योंकि यह विमानन कम्पनियों पर निर्भर करता है कि वे कहां और कैसे विमान चलायेंगे। विमान कम्पनियों द्वारा इस प्रकार का निर्णय पैसेंजर ट्रैफिक के अनुमानों के आधार पर लिया जाता है।

दिनांक 13 जून, 1996 को प्राधिकरण के निदेशक (योजना) ने राज्य सरकार के विशेषाधिकारी, नागरिक उड्डयन विभाग के साथ अजमेर में प्रस्तावित स्थल का मुआयना भी किया। मुआयने के दौरान यह पाया गया कि प्रस्तावित स्थल पर स्थित पहाड़ियों व हवा की दिशा को ध्यान में रखते हुए रनवे की दिशा

(श्री अनंग कुमार जैन)

में कुछ परिवर्तन आवश्यक हो जाता है, जिससे भूमि की आवश्यकता में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इस सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट पुनः तकनीकी सर्वेक्षण के उपरान्त ही उपलब्ध हो सकेगी।

फिलहाल राज्य सरकार के स्तर पर यह प्रश्न विचाराधीन है कि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण को समस्त आवश्यक भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराया जाने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाय या नहीं ?

भूमि के अधिग्रहण में होने वाले विलम्ब तथा हवाई अड्डे के निर्माण के लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय वर्ष 1994 में लिया गया कि राज्य सरकार स्तर पर एक हवाई पट्टी का निर्माण किया जाय। तदनुसार 3500 फीट लम्बी तथा 100 फीट चौड़ी हवाई पट्टी के निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी गयी है। इस हवाई पट्टी के निर्माण पर अनुमानतः 57.50 लाख की लागत आयेगी तथा इस पर छोटे विमान ही उतर सकेंगे। इसके निर्माण का जिम्मा सार्वजनिक निर्माण विभाग को सौंपा गया है।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, अजमेर शहर का जो महत्व है वह अन्तरराष्ट्रीय महत्व है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें, चाहे ट्यूरिज्म के दृष्टिकोण से देखें और चाहे धार्मिक दृष्टिकोण से कह रहे हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से तो यह विश्व स्तर का प्रमुख और प्रसिद्ध शहर है। ट्यूरिज्म डिपार्टमेंट के जो उन्होंने आंकड़े उपलब्ध कराये हैं, उसके अनुसार भी पुष्कर और अजमेर का ट्रैफिक मिलकर, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का सबसे ज्यादा ट्यूरिस्ट ट्रैफिक है। जयपुर से भी ज्यादा। अब इन्होंने इतने महत्वपूर्ण शहर में हवाई अड्डा बनाने के लिए, सरकार बहुत ही धीमी और मंथर गति से प्रगति कर रही है। मैं कुछ बिन्दु माननीय मंत्रीजी के ध्यान में लाना चाहूंगा और उन से जानकारी भी चाहूंगा।

पहली चीज तो यह है कि क्या उनकी नालेज में यह बात है कि देश के अधिकतर हवाईअड्डों में, जहाँ पर भी यह बनाये जाते हैं, जो स्टेण्डर्ड के हवाई अड्डे में हवाई पट्टी की बात नहीं कर रहा हूं, वहां पर राज्य सरकार भूमि अधिग्रहण करके केन्द्रीय सरकार को देती है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथोरिटी वहां पर हवाईअड्डों का निर्माण करता है ? हवाई अड्डे के अन्दर हवाई पट्टी भी शामिल है। वहां पर लैंडिंग एड, जहाज के लैण्ड करने के लिए जो नेवीगेशन एड्स हैं, वे भी शामिल हैं। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव फैसेलिटीज भी शामिल हैं और इस प्रकार से यह करोड़ों रुपये का खर्च है। इस कारण से कोई भी राज्य सरकार इस कार्य को अपने हाथ में नहीं लेती है और केन्द्र सरकार को देती है। पहली चीज तो यह है।

दूसरा, माननीय मंत्री महोदय, इसमें अब बात सिमट करके इस बात पर आ गयी है कि बाद में एड सर्विसेज की गांरटी केन्द्र सरकार दे तो

(13.40)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आप उनको जमीन उपलब्ध कराने को तैयार हैं। ऐसा नहीं होता कहीं। आप के कहीं सड़क बनती है तो कहीं यातायात विभाग भी गारंटी नहीं देता है कि वहां पर हम बस चलायेंगे ही। ऐसा कहीं नहीं होता यह जरूर है कि वहां बनने के बाद में केन्द्र सरकार से प्रयास

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

कर के, और आजकल तो प्राइवेटाइजेशन का जमाना है, प्राइवेट कम्पनीज से प्रयास करके ही अजमेर जैसे शहर के लिये कोई सिविल एयर सर्विस के प्रयास किये जायं। केन्द्र सरकार से गारंटी की न तो हमें मांग करनी चाहिए और न ही इसकी अपेक्षा करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी तो यह अपेक्षा है कि जिस प्रकार से गुजरात में गुजरात एयरवेज चल रही है, उत्तर प्रदेश एयरवेज जो उत्तर प्रदेश से, लखनऊ से चल कर जयपुर, उदयपुर होते हुए और मुम्बई जाती है, यहां टच करती है, प्रोफिटेबली रन कर रही है, हम तो चाहते हैं कि इसी प्रकार से राजस्थान एयरवेज भी चले जो कि राजस्थान के यात्रिओं के लिये सुविधाजनक रहेगी, बाहर वालों के लिये सुविधाजनक रहेगी और राजस्थान के टूरिज्म के दृष्टिकोण से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में इनका प्रचार-प्रसार होगा तो इसलिये केन्द्र की तरफ देखने के बजाय आप राजस्थान एयरवेज चलाने का मानस बनायें और यह काम किया जा सकता है।

मैं आपकी नालेज में एक स्पेशलिस्ट पाइंट है, वह भी लाना चाहूंगा। आप पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से वहां पर हवाई अड्डा बनाना चाहते हैं, हवाई पट्टी बनाना चाहते हैं, क्या पी.डब्ल्यू. डी. के पास ऐसा एक्स्पर्टीज है ? चलिये पी.डब्ल्यू.डी. मंत्रीजी बता दीजिये कि राजस्थान में इंटरनेशनल स्टेंडर्ड के कितनी हवाई पट्टियां, रनवेज पी.डब्ल्यू.डी. ने निर्माण किये हैं ? यह अधिकतर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के माध्यम से ही होता है और इस कारण से हमें हवाई पट्टी का नहीं बल्कि रनवे इंटरनेशनल स्टेंडर्ड का ध्यान में रखते हुए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के माध्यम से बनाने के ऊपर ही सोचना चाहिए। पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से, मेरे विचार में एक्स्पर्टीज नहीं है, नहीं बनाना चाहिए।

आपने कहा कि 3500 फीट लम्बा और 100 फीट चौड़ा, अब मंत्रीजी, अगर आपकी नालिज में है तो मुझे बता दीजिये कि 3500 फीट लम्बा और 100 फीट चौड़े हवाई अड्डे पर कौन-कौन से जहाज उतर पायेंगे ? आपका फोकर फ्रेंडशिप, जिसका कि आपने इसके अन्दर जिक्र किया है, वह भी नहीं उतर पायेगा इसके लिये भी 150 फीट को, 50 गज की आवश्यकता होती है। कम से कम इस विषय में जयपुर के अन्दर या जोधपुर के अन्दर जो सम्बन्धित विभाग हैं उनसे अगर आप इसकी जानकारी कर लें तो अच्छा रहेगा। 3500 फीट में फोकर फ्रेंडशिप नहीं उतरेगा उसके लिये मिनिमम पांच हजार फीट तो लम्बाई और 150 फीट चौड़ाई चाहिये। 3500 फीट में आपका सर्विस एयर क्राफ्ट उतरेगा। मुख्य मंत्रीजी आप जरूर वहां पर उतर सकते हैं, तो इसके लिये तो आप हेलीकाप्टर में ही पधार जाया करो इसके लिये हवाई अड्डा बनाने की जरूरत कहां है। यदि हवाई पट्टी बनानी है तो देशी और विदेशी यात्रियों के लिये बनाइये न कि सिर्फ अपने सरकारी विमानों को उतारने के लिये । 3500 फीट समुचित नहीं है इसके लिये कम से कम 5000 फीट चाहिये और अगर आपको बोइंग के लेवल के एयरक्राफ्ट का सोचना है, थोड़ी सी भी दूरदृष्टि रखनी है तो पहले से ही इसको आप 6000 फीट लम्बा रन वे बनाने पर विचार कीजियेगा।

मेरा अंतिम बिन्दु यह है कि इस स्थान के महत्व को देखते हुए, अब आप इस

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

फोरमलिटी के अन्दर, इस औपचारिकता के अन्दर मत पड़िये केन्द्र सरकार से हमें इसका बाद में मुआवजा मिलेगा अगर यहां पर एयर सर्विसेज चलेंगी तो ही हम इसको एक्वायर करने के अन्दर अपना पैसा व्यय करेंगे। अभी आपने जो पैसा उपलब्ध कराया है, मेरी पुरजोर मांग है और अजमेर के इंटरनेशनल महत्व को देखते हुए मेरी यह अपेक्षा है कि आप इस पैसे को वहां पर पी.डब्ल्यू.डी. से रन वे बनाने में व्यय नहीं करेंगे। इस पर पुनर्विचार कीजियेगा, गहराई से विचार कीजियेगा और लम्बी सोच कर के रन-वे या हवाई पट्टियो रोज नहीं बना करती हैं, अगर इसको बीच में अभी आपने बना दिया मान लीजिये इसको आप लम्बा करना चाहेंगे, एक्सटेंड करना चाहेंगे, चौड़ा करना चाहेंगे आपको डेढ़ साल या दो साल के लिये हवाई अड्डे को बंद करना पड़ेगा इसलिये पहले से ही प्लानिंग कीजिये और इस जमीन के अधिग्रहण में इस पैसे का उपयोग कीजिये। जमीन का अधिग्रहण कीजिये और इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथोरिटी को सौंपिये, वह इसका फुल फ्लेज्ड करोड़ों रुपया खर्च कर के इसका रन-वे, टर्मिनल, नेवीगेशनल फैसिलिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद में प्राइवेट एयर लाइन्स जरूर इस पर आपरेट करेगी।

जब यू.पी. एयरवेज सक्सेजफुली चल सकती है, गुजरात एयरवेज सक्सेजफुली राजस्थान में चल सकती है तो राजस्थान एयरवेज क्यों नहीं चल सकेगी और पहले हम प्रारम्भ करेंगे और उसके बाद इसके लिये वातावरण बनेगा और इसके लिये कामर्शियल एटमोस्फियर बनेगा। इसकी पब्लिसिटी होगी तो निश्चित रूप से इंडियन एयर लाइंस और बड़ी कम्पनियां भी यहां पर बोइंग जैसे एयरक्राफ्ट चलायेंगी।

श्री किशन मोटवानी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम नहीं है इसमें।

श्री किशन मोटवानी : सर, अजमेर से कन्सर्न है इसीलिये आप से इजाजत लेकर मैं निवेदन कर रहा हूं।

यह एयरपोर्ट का मामला वर्षों से चल रहा है। यह अजमेर की मांग रही है और सरकार भी अपने स्तर पर इस मांग को जायज मानती आ रही है किन्तु कन्हीं न कन्हीं प्रशासनिक गतिरोधों के कारण यह रुकता रहा है। पहले कई जिला कलक्टर आये, एक हमने लैंड का चुनाव कराया था, एक कलक्टर साहब आये, नाम नहीं लूंगा मैं, उन्होंने कहा, हम तो यहां पर अजमेर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित करायेंगे। इसलिये दूर ले गये हम को, कोई 60 किलोमीटर दूर, तो अधरझूल में हो गयी बात वरना जो शिव चरणजी माथुर के जमाने में अकाल राहत का कार्य चल रहा था उसमें पट्टी बन जाती। किन्तु अभी शनैः शनैः एक मेच्योर हो गयी है बात, उसमें मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं और मैंने जिला लेवल की जो हमारी डवलपमेंट कौन्सिल की मीटिंग होती है वहां पर भी बात करी थी। कि जब यह सुझाव आया कि इसमें लैंड अवाप्ति में दो एक करोड़ से कुछ ज्यादा पैसा लग रहा है और 57 लाख सरकार इस पर पट्टी बनाने के

(श्री किशन मोटवानी)

लिये दे रही है, स्वीकृत हो गयी, इसकी एन. आई. टी. श्री हो गयी, तब हमने वहां निर्णय किया था और राज्य सरकार को यह निर्णय भिजवाया था कि आप 57 लाख दे रहे हो, आप की मेहरबानी और अब आप जब 57 लाख खर्च कर रहे हो और आपकी भारत सरकार कह रही है कि लैंड आप हमें दे दो, उपलब्ध करवा दो हम सब कुछ बना देंगे, तो हमने कहा कि बकाया 40 लाख, 50 लाख और दे दो तो आपकी लैंड अवाप्ति हो जायेगी और आप लैंड उनको सुपुर्द कर दीजिये, किन्तु यहां तो जिद - बहस की बात हो गयी, कि नहीं, बनानी है तो हमें बनानी है, 57 लाख खर्च करने हैं तो हमें करने हैं। जिसका उपयोग होगा, सिर्फ सरकारी जहाज उतरेगा, मुख्य मंत्री आयेंगे . Welcome. We welcome him.

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री किशन मोटवानी : परन्तु वो आ सकते हैं हेलीकाफ्टर के माध्यम से। तो मैं यह कह रहा हूं कि 57 लाख यह खर्च कर रहे हो इसका धन्यवाद ले लो और उसमें कुछ लाख और जोड़ कर जमीन अवाप्त कर के बगैर किसी हील-हुज्जत के भारत सरकार को दे दीजिये बाकी भारत सरकार सारा उसको बनाने के लिये कमिटेड है They are committed to build the airport.

सारा पैराफर्नेलिया वो बनाने के लिये तैयार हैं इसलिये मैं निवेदन करूंगा, सुझाव दूंगा कि आज जवाब जिन्होंने भी दिया है, इसको अपनी रेस्पांसिबिलिटी, जिम्मेदारी समझ कर जब 57 लाख अब वेस्ट ना जाय उसको बचाने के लिये कुछ लाख और जोड़ कर जमीन अवाप्त कर के भारत सरकार को दें।

श्री उपाध्यक्ष : कोगटा साहब, आधा मिनट। कोई नयी बात आप कहना चाहते हैं क्या ?

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नयी बात क्या है, अजमेर का मामला है मेरे जिले का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है।

श्री किशन गोपाल कोगटा : हां, कोई बात नहीं उसमें क्या है, साहब। आपकी परमिशन से ध्यान आकर्षण_

श्री उपाध्यक्ष : कोई नयी बात आप आधा मिनट में कह दें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : नयी बात यह है, अजमेर का विश्व में स्थान है और सारे विश्व के पर्यटक अजमेर में आते हैं। तो मेरा आग्रह है कि एक बार हवाई अड्डा बना दिया जाय तो शायद राजस्थान में सबसे बड़ा केन्द्र अजमेर बनेगा और जिस प्रकार से सालाना पुष्कर और अजमेर में, पुष्कर में सारे देश से लोग आते हैं लेकिन अजमेर में ख्वाजा साहब के यहां पूरे विश्व से, जो हिन्दुस्तान के एक समुदाय विशेष के लोग रहते हैं वो साल, दो साल में या 6 महीने में आते हैं, यही नहीं अन्य समाज के , सम्प्रदाय के लोग भी दरगाह में माथा टेकने आते हैं, अपनी धार्मिक भावना से अपने काम, अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं उनको केवल एक ही समस्या है कि यहां हवाई जहाज की सुविधा नहीं है। तो मेरा यह आग्रह है कि हवाई पट्टी के लिये बजट

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

में जो 57 लाख रुपये का प्रावधान कर रखा है, उसके लिये तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को और सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अजमेर बहुत पिछड़ा हुआ है और पिछड़ गया, इस बार हम चाहते हैं कि इसको एक करोड़ रुपये देकर जमीन खरीदी जाय, जमीन की व्यवस्था की जाय और उसके बाद केन्द्र सरकार इसमें इंटरनेशनल स्तर पर हवाई अड्डा बनाये और एक सुविधा इस क्षेत्र को दे। यह मेरा सुझाव है।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, काफी वर्षों से यह मामला लम्बित है और जो पत्र 6 फरवरी, 1996 को राजस्थान के मुख्यमंत्री को यूनियन सिविल एवियेशन मिनिस्टर ने लिखा, मैं समझता हूं 5 साल पहले भी वो ऐसी स्थिति आयी थी और ऐसा ही पत्र लिखा गया था। तब भी कहा गया था कि अगर आप जमीन उपलब्ध करा देते हो, तो बाकी इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्दर केन्द्र सरकार पूरा खर्चा करेगी। उसी समय उड़ीसा के अन्दर वहां के तात्कालिक मुख्य मंत्रीजी ने इसको स्वीकार किया और वहां तो एक निर्माण हो गया, राजस्थान में इस प्रकार की उदासीनता रही कि यह बात नहीं हो पायी।

माननीय सदस्य ने विस्तार से यह बात कही है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भविष्य के लिये यह ठीक रहे, अजमेर के अनुरूप के हिसाब से हवाई अड्डा बने सरकार को ऐसी योजना करनी चाहिये ऐसी योजना नहीं करनी चाहिये जिसमें आगे कहीं न कहीं अड़चनें आती रहें और कहीं न कहीं मामला फिर अटकता रहे। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी की आवश्यकता नहीं है आप तो भरपूर भूमि उपलब्ध करवायें। केन्द्र सरकार, मैं समझता हूं सहायता निश्चित रूप से प्रदान करेगी और अजमेर की जो लोंग स्टेंडिंग मांग है उसकी मैं समझता हूं पूर्ति होगी। विश्व के नक्शे पर यह है, आप भी इसको लाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री अनंग कुमार जैन (राज्य मंत्री वित्त) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात यहां कही और अन्य माननीय सदस्यों ने भी कही, इन सबकी राय से मैं इत्तिफाक करता हूं। यह सच है कि अजमेर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटक स्थल है और वहां पर हवाई अड्डे के निर्माण का मामला कई दिनों से विचाराधीन चल रहा है। राज्य सरकार इस मामले में कतई उदासीन नहीं है बल्कि स्वयं मुख्य मंत्रीजी इस मामले को अपने स्तर पर मॉनीटर कर रहे हैं और लगातार उन्होंने केन्द्र सरकार से सम्पर्क स्थापित किया और यह प्रयास किया कि यहां अजमेर में हवाई अड्डे का निर्माण जल्दी से जल्दी हो। इसके लिये लैण्ड का असेसमेंट करवाया। वहां से डायरेक्टर मिस्टर जगन्नाथ आये थे उनके साथ हमारे आफिसर्स भी गये। उन्होंने भी उस जगह का मुआयना किया और उस जगह को फाइनल किया कि यह 750 बीघा जमीन उपयुक्त रहेगी। उनको और भी चार-पांच जगह बतायी गयी लेकिन टेक्नीकल पाइंट की वजह से उन्होंने उसको अप्रूव नहीं किया।

जैसा भीम से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा इसमें मूल मुद्दा यह है कि राज्य सरकार

(श्री अनंग कुमार जैन)

और केन्द्र सरकार के बीच में एक ही बात चल रही है कि राज्य सरकार निःशुल्क जमीन उपलब्ध करवा दे। केन्द्र सरकार का कहना है कि निःशुल्क जमीन उपलब्ध करवा दे और राज्य सरकार का कहना है कि राज्य सरकार के पास में जो राज्य सरकार की जमीन है 350 बीघा वह तो राज्य सरकार निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिये तैयार है लेकिन 400 बीघा जमीन जो दूसरे काश्तकारों की अवाप्त की जायेगी, उसका मुआवजा राज्य सरकार को देना पड़ेगा, वह केन्द्र सरकार वहन करे। जब अथोरिटी मौके पर मौका देखने गयी थी तो आस-पास के क्षेत्र वाले कुछ ग्रामीणों ने एतराज किया था, उन्होंने प्रदर्शन भी किया था क्योंकि यह स्वाभाविक होता है, जब भी कोई सरकार की योजना बनती है चाहे हवाई अड्डा बने, चाहे बांध बने तो स्वाभाविक होता है कि आस-पास के गांव वाले, जिनकी जमीन डूब जाती है, एक्वायर होती है या डूब में जाती है तो उनका विरोध करना स्वाभाविक होता है। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार ने फिर यह विचार किया कि कहीं 400 बीघा जमीन काश्तकारों की एक्वायर की जाये, उनको बेघरबार भी किया जाये और फिर यदि यहां वायु सेवा नियमित रूप से नहीं चले। इसलिये राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को यह लिखा था कि राज्य सरकार सारी जमीन निःशुल्क उपलब्ध करवाने के लिये तैयार है लेकिन कम से कम मिनिमम गारंटी या मिनिमम एश्योरेंस तो केन्द्र सरकार दे या एयरपोर्ट अथोरिटी दे कि चार साल के अन्दर हम यहां पर नियमित रूप से वायु सेवा चालू कर देंगे।

कोटा के अन्दर भी हवाई अड्डा बना हुआ है लेकिन वहां पर भी नियमित रूप से यह सर्विस चालू नहीं हो सकी। उसके उदाहरण को देखते हुए राज्य सरकार ने बराबर निश्चित रूप से केन्द्र सरकार को यह लिखा था लेकिन इसके बावजूद भी जैसा मैंने अपने उत्तर में दिया कि राज्य सरकार ने जो साढ़े सत्तावन लाख रुपये बजट में अलाट किये हैं उस पर जैसे माननीय सदस्य का कहना है कि छोटा-सा ही हवाई जहाज उतरेगा लेकिन उस पर टेक्नीकल दृष्टि से हमने एग्जामिन करवाया है और उस पर 50 सीटर हवाई जहाज उतर सकता है। लेकिन इस सबके बावजूद भी दुबारा इस विषय पर चूंकि केन्द्र सरकार से बराबर कोरस्पोंडेंस चल रही है, यह मामला अब भी राज्य सरकार के पास विचाराधीन है कि क्या केन्द्र सरकार को जमीन निःशुल्क उपलब्ध करा दें। यह अभी परमानेंट रूप से समाप्त नहीं हुआ है कि हम हवाई पट्टी का निर्माण कर देंगे। हवाई पट्टी की तो हमने सैंक्शन जारी कर दी लेकिन उसके बाद भी उनसे बराबर कोरस्पोंडेंस चल रही है कि यह मामला अब भी राज्य सरकार के पास विचाराधीन है और राज्य सरकार इस पर गम्भीरता से सोच रही है कि अजमेर के अन्दर जल्द से जल्द बड़े हवाई अड्डे का निर्माण हो।

श्री रामनारायण चौधरी : गम्भीरता के साथ सोचिये। किसानों को बेदखल किया जाये, उनकी रोजी-रोटी छीनी जाये, माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि अजमेर में ही नहीं, कोटा, झुंझुनूं कहीं भी एयर स्ट्रीप बनायें तो किसानों की जमीनों के बदले में उसको रिहेबिलिटेट करने की प्रोजेक्ट रिपोर्ट उनके साथ बनानी चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका हवाई अड्डा लोगों की रोजी-रोटी

(श्री रामनारायण चौधरी)

छीन लेगा। अभी एक माननीय सदस्य से मेरी बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि अगर आप के वकालत करने की शर्त ले ली जाये तो आपके ऊपर क्या होगा, बोले, यह तो गम्भीर मामला है। आप काश्तकारों की जमीन लें, काश्तकार देंगे आप उनको मार्केट रेट से मुआवजा दीजिये और प्रोजेक्ट रिपोर्ट साथ में बननी चाहिये। आप तो खुद किसान हैं। आप तो जानते हैं किसानों की तकलीफ क्या है। मेरा अनुरोध है-

श्री उपाध्यक्ष : सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : ठीक है। धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : बस एक मिनट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार पर उदासीनता का आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन आपका जो डिस्टोरेटेड कन्सेप्शन है, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। हवाई अड्डा केन्द्र सरकार बना रही है, पैसा करोड़ों में खर्च करेगी और आप इसी उलझन में हो कि बाद में ट्रैफिक होगा या नहीं होगा। आपकी जो रेलवे लाइन बनती है या बनाने के लिये आप जमीन अवाप्त करते हैं क्या गारंटी लेते हैं कि यहां पर कितनी-कितनी ट्रेनें चलेंगी ? आप बड़े-बड़े बांध बनाते हैं ईश्वर से गारंटी लेते हैं कि यहां पर बरसात होगी और यह बांध भरे जायेंगे। इस डेस्टोरेटेड कन्सेप्ट को बदलने की जरूरत है और केन्द्र सरकार क्यों ? आप खुद की राजस्थान एयरवेज चलाने का विचार नहीं करते हैं क्या ? राजस्थान को आप 21 वीं सदी में ले जाने का तो प्रयास कर रहे हैं और एक एयरवेज नहीं चला सकते आप। उत्तर प्रदेश में एयरवेज चल रही है, गुजरात में एयरवेज चल रही है। इस डेस्टोरेटेड कन्सेप्ट को बदलने की आवश्यकता है और कृपया गम्भीरता से लम्बे समय के लिये सोचिये।

मुख्य अभियन्ता, भूजल विभाग द्वारा की जा रही अनियमितताएं

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री कालूलाल गूजर, सदस्य, विधान सभा मुख्य अभियन्ता, भूजल विभाग द्वारा कथित रूप से की जा रही अनियमितताओं के संबंध में भूजल एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

श्री कालूलाल गूजर (माण्डल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय भूजल मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री जसवन्त सिंह विश्नोई (राज्य मंत्री, भूजल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 1992 में तत्कालीन माननीय राज्य मंत्री, भूजल विभाग को इस आशय की शिकायतें प्राप्त होने पर कि भूजल विभाग के केन्द्रीय भण्डार में खरीद में कई अनियमितताएं की गयी हैं और विशेषकर पिछले पांच वर्षों के सम्बन्ध में सर्वाधिक शिकायतें हैं। तत्कालीन माननीय राज्य मंत्रीजी के निर्देशानुसार भूजल विभाग के तत्कालीन वरिष्ठ लेखाधिकारी से अप्रेल, 1987 से लेकर मार्च, 1992 तक की खरीद की जांच करवायी गयी। वरिष्ठ लेखाधिकारी ने अपनी अन्तरिम जांच रिपोर्ट 12 अक्टूबर, 1992 को प्रस्तुत की।

(श्री जसवन्त सिंह विश्नोई)

इस पर विस्तृत जांच करने हेतु एक विशेष अंकेक्षण दल का गठन किया जाकर जांच के निर्देश दिये गये। विशेष अंकेक्षण दल ने अपनी रिपोर्ट माह अप्रेल, 1993 में प्रस्तुत की।

पाइप क्रय करने के मामले में लोकायुक्त कार्यालय को मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा पत्रावली भेजी गयी थी, परन्तु राज्य सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि लोकायुक्त के स्तर पर कोई जांच की गयी अथवा विचाराधीन है और न ही कोई जांच परिणाम विभाग को प्राप्त हुए हैं।

आडिट जांच रिपोर्ट में किसी अधिकारी का नाम नहीं दिया हुआ है। जांच में जो कमियां पायी गयी हैं उस सम्बन्ध में जहां वसूली नियमानुसार करने हेतु व अगर कोई दोषी अधिकारी हो, उसके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ा आश्चर्य है कि मैंने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लिखकर माननीय मंत्री महोदय को दिया, इन्होंने उसका जवाब इस तरीके से दिया है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जबकि मामला इतना संगीन है, उपाध्यक्ष महोदय, कि इस भूजल विभाग में करीब 6 करोड़ रुपये के आस-पास का बड़ा घोटाला किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी उत्तर में माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसकी शिकायतें मिलीं और यह शिकायतें मिलीं 1992 में तत्कालीन मंत्री मान्धाता सिंहजी को।

श्री परसादीलाल मीणा : घोटाले में कौन-कौन शामिल हैं (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये। बीच में व्यवधान नहीं। कृपया बिराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य , मैं आपको आज्ञा नहीं दे पा रहा हूं। बिराजिये।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सारे तथ्य, जो मेरी जानकारी में हैं सदन में रख रहा हूं। 1985 से लेकर 1991 तक का यह घोटाला है और 1985 से लेकर 1992 तक एस.के. जैन केन्द्रीय भंडार में एक्सईएन.थे, उनके टाइम में यह परचेजिंग हुई है और उस समय 1985 से लेकर मार्च, 1988 तक वी.सी. माथुर मुख्य अभियन्ता थे उनके समय में यह घोटाला हुआ है। उसके बाद मार्च, 1988 से पी.सी. जैन चीफ इंजीनियर बन गये और पी.सी. जैन के समय में सबसे ज्यादा घोटाला हुआ। माननीय उपाध्यक्ष महोदय बड़ी विडम्बना की बात है कि इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसकी शिकायत 1992 में मान्धाता सिंहजी को की और उसके पहले ही महालेखाकार ने इसकी जांच की और आडिट के आक्षेप किये। महालेखाकार ने निरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत किया और इस प्रतिवेदन में जो अनियमितता पायी और जिस तरह का उन्होंने घोटाला पाइप खरीदने में, मशीने खरीदने में, बड़ी-बड़ी ड्रिलिंग मशीनें खरीदने में और कई तरह के सामान खरीदने में, पैट्रोल खरीदने में, डीजल खरीदने में किया, जो पाया गया है।

(14.00)

वह ऑडिट आब्जेक्शन वहां पर किये गये

Page No 109

(110)
(109)

(श्री कालूलाल गूजर)

और इन आडिट आब्जेक्शंस में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ यहां बताना चाहता हूं कि यह 12 दिसम्बर, 1987 से दिसम्बर, 1990 तक जो आडिट आब्जेक्शंस आये हैं उनमें यह आया। मैं शोर्ट में ही थोड़ा-थोड़ा उदाहरण बता रहा हूं कि निर्धारित लम्बाई के स्थान पर अन्य लम्बाई के पाइपों की आपूर्ति से 61.29 लाख रुपये की गम्भीर अनियमितताएं पायीं। दूसरा, न्यूनतम फर्म है जिसने मड पम्प खरीदे या मड पम्प खरीदे गये तो द्वितीय न्यूनतम यानी सैकण्ड लोयेस्ट को इन्होंने ठेका दिया और उसमें 84 हजार रुपये की अनियमितता पायी। इसी तरह से निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बिट्स प्राप्त नहीं होने पर भी इन्होंने खरीदे और एक लाख चार हजार रुपये की अनियमितता उसमें दी। इसी तरह हैवी ड्यूटी चैन का अनियमित क्रय किया और 2.28 लाख रुपये की उसमें अनियमितता की और नुकसानी राशि से उसका पुनर्भुगतान बिना राज्य सरकार की स्वीकृति के सैंतीस हजार छः सौ चौरासी रुपये का कर दिया गया। इसी तरह से निर्धारित कालावधि से अधिक अवधि की देरी में 2.43 लाख रुपये का सामान खरीद लिया। इसी तरह बिना फोरमैन गारन्टी सुनिश्चित किये फर्मों को चौसठ हजार एक सौ नौ रुपये का अनधिकृत भुगतान कर दिया गया। इसी तरह से रिकण्डीशन बिटों की रिपोर्ट प्राप्त न होने पर भी 5.67 लाख रुपये का घोटाला इसमें किया गया। नेगोसिएशन में अनियमितता की गयी और स्टोर सामान की आवश्यकता न होने पर भी सामान खरीद किये और 10.56 लाख रुपये का इसमें घोटाला किया गया। इसी तरह से राशि 58.655 लाख रुपये का अधिक भुगतान अशोका लीलेण्ड ट्रेक्स के क्रय में अधिक भुगतान कर दिया। इसी प्रकार राशि इक्कीस हजार तीन सौ अट्ठासी रुपये का ड्रिलिंग बिटों के क्रय में अनधिकृत भुगतान किया गया। पाइपों की खरीद में सात हजार एक सौ अड़तालीस रुपये का अधिक व्यय किया गया और 3.77 लाख रुपये चुंगी का व्यय भी अनियमित किया गया।

इसी प्रकार बिना आवश्यकता के बजट लेप्स होने को बचाने के लिए कोषालय से राशि का आहरण किया और एक करोड़ छः लाख आठ सौ एक रुपये वर्ष 1987-88 में बिना तुरन्त विवरण की आवश्यकता के प्रोफार्मा बिलों पर राशि आहरित की गयी जबकि माल प्राप्त हुआ ही नहीं और यह राशि वैसी की वैसी आहरित करके अनधिकृत काम में ली है। इसी तरह से 1987 के बाद और भी इस तरह के आडिट आब्जेक्शंस हुए हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो तथ्य मेरी जानकारी में हैं, मैं वही बता रहा हूं।

1990-91 में भी इस तरह की और गड़बड़ी की गयी जिसमें राशि 68.14 लाख रुपये अनियमित खर्च करके बजट को व्ययगत होने से बचाने हेतु भारी राशि स्टील अथोरिटी आफ इण्डिया में अड़सठ लाख चौदह हजार पाचं सौ रुपये जमा कराकर छः महीने पश्चात वापस प्राप्त करने और विभाग के मद में डेबिट जमा कराकर 1991-92 में बजट में वृद्धि की गयी तो यह अनियमितता की गयी। इसी तरह से बिट्स की मरम्मत में 1.2 लाख रुपया और 7.68 लाख रुपये का ट्राइल पर बिटों के क्रय में सक्षम स्वीकृति के अभाव में किया गया। इसी तरह से पाइप खरीदने में 5.6 लाख रुपये

(श्री कालूलाल गूजर)

का अधिक अनावश्यक व्यय किया गया। राशि 19.52 लाख स्टील क्रय में अनियमितता करके इस तरह से हड़प की गयी। इसी तरह से 6.11 लाख रुपये की राशि कम्प्रेशर खरीदने में खायी गयी (व्यवधान)

तो इस तरह मेरे पास जो आंकड़े हैं वह कुल मिलाकर छः करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है और उपाध्यक्ष महोदय, यह घोटाला होने के बाद इसकी शिकायत मिली। शिकायत मिलने के बाद आपने विभाग के लेखाधिकारी से इसकी जांच करवायी और जांच में भी यह तथ्य सही पाये गये। उसके बाद मान्धाता सिंहजी ने एस. के. जैन जो उस समय एक्स. ईएन. थे और पी. सी. जैन जो उस समय चीफ इंजीनियर थे इनके खिलाफ कार्यवाही करने और इनको सस्पैण्ड करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को लैटर लिखा यह 24.9.91 का लैटर है और इसके अन्दर यह भी माना कि इसका ट्रांसफर चूंकि मंत्रीजी के हाथ में था अतः पी.सी. जैन का ट्रांसफर मुख्य अभियन्ता के बजाय, यहां पर एक जल निगम बोर्ड है उसके अन्दर एम.डी. के स्थान पर कर दिया गया, उनके हाथ में था और बाकी उन्होंने कहा कि एस. के. जैन और पी.सी. जैन दोनों को सस्पैण्ड करके और फिर यह भी कहा कि एक हाई पावर कमेटी बनाकर इसकी और जांच करायी जाय तो इनको सस्पैण्ड तो नहीं किया लेकिन वह कमेटी और बन गयी और उस कमेटी का प्रतिवेदन/जांच रिपोर्ट इनको विभाग में अप्रेल, 1993 में प्राप्त हो गयी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1992 में इनको एम.डी. वहां लगा दिया गया, यहां से हटाया गया और जैसे ही 1992 में सरकार चली गयी और राज्यपाल का शासन आया और यह महाशय पता नहीं वहां पर क्या करके वापस उसी चीफ इंजीनियर की कुर्सी पर जाकर बैठ गये और फिर उन्होंने वहां पर अपनी और कार्यवाहियां शुरू कर दीं तो इस तरह से जब आपने जांचने के लिये अंकेक्षण दल गठित किया। उस अंकेक्षण दल ने भी, मेरे पास जो आंकड़े और जानकारी है वह मैंने बतायी, उन तथ्यों को भी सही माना और यह भी माना कि बहुत बड़ा घोटाला इसमें हो गया। अब, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि किसी को दोषी नहीं माना गया और जांच रिपोर्ट आ गयी। आपने 1993 से जांच रिपोर्ट आने के बाद आज दिन तक क्या किया ? तीन साल हो गये और इस तरह से जो भ्रष्टाचारी आदमी है वह करोड़ों रुपये का घोटाला कर रहा है और उसको यदि तीन साल तक सरकार पुरस्कार के रूप में वापस उसी पद पर रखे और इतना बड़ा घोटाला जिसकी जांच तीन-तीन बार हो जाय और सारा विभाग जानता है कि यह भ्रष्ट हैं और इनके शासन में भ्रष्टाचार हुआ और कम से कम ...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। आपकी सारी बातें आ चुकी हैं, आपने सारे तथ्य दे दिये बिराजें।

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं तथ्य पूरे दे रहा हूं। मुझे एक दो सवाल और पूछने हैं। मुझे पूरा मौका दिया जाये।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी (माण्डलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला

(श्री बद्री प्रसाद गुरुजी)

है, इसको इतना लाइट नहीं लिया जाये.(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया सुन लें। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की एक सीमा होती है, एक परिधि होती है उसके अन्दर आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। आपने तथ्य यहां बता दिये अब सरकार की तरफ से जवाब आने दें आप। बिराजें।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक-दो तथ्य और हैं फिर वह एक साथ जवाब दे दें। मैं यह निवेदन कर रहा था.(व्यवधान) इसमें माननीय मंत्रीजी ने जो जवाब दिया है एक छोटा-सा आपने आधार ले लिया कि पत्रावलियां लोकायुक्त के पास गयीं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकायुक्त महोदय के पास आप फाइल भेजें न भेजें, लेकिन आप मंगा सकते हैं। 3 साल से लोकायुक्त के पास फाइलें क्या कर रही हैं और जब आपने विभागीय जांच एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन-तीन आदमियों से करवा ली और जब विभागीय जांच से पूर्णतया यह साबित हो रहा है कि जो एक्स. ईएन. एस. के. जैन है, जो भंडार में है वह खुद खरीदता है तथा वह और चीफ इंजीनियर की मिलीभगत से यह सारा सामान खरीदा गया है और करोड़ों रुपयों का घोटाला किया गया है सरकार का। इस तरह से हर अफसर घोटाला करता रहा तो दिवाला ही निकल जायेगा। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि ऐसे मामलों में माननीय मंत्री महोदय थोड़ी हिम्मत दिखायें और जिस तरह से यहां पर चिकित्सा मंत्री जी ने जिस चिकित्सक के खिलाफ शिकायत पायी गयी उसको सस्पेण्ड किया..

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें, माननीय सदस्य।

श्री कालूलाल गूजर : मेरी मांग है कि आज ही तत्काल उनको निलम्बित किया जाये और यदि इसकी जांच कराने की आवश्यकता हो तो जांच करायें। क्योंकि 3 महीने के बाद ही उनका रिटायरमेंट है। यदि उनको सस्पैंड नहीं किया गया तो यह करोड़ों रुपये सरकार का जो वह ग्रेच्युटी फण्ड वगैरह के ले जायेंगे, अगर वह ले जायेंगे तो फिर उनसे वसूल भी नहीं हो पायेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि आज ही उनको सस्पैण्ड किया जाये। यह मेरी मांग है उपाध्यक्ष महोदय, और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है.(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है कि मैंने भी इसी प्रकार एक पहले प्रश्न लगाया था..

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री रामस्वरूप मीणा : और उसके बारे में सरकार ने जवाब दिया है मेरा विनम्र निवेदन है कि .(व्यवधान) इस प्रकार जो इन्होंने किया है जो जांच हो गयी उसको सस्पैंड कराइये आप।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्री जी आज उसके सस्पैण्ड की घोषणा करें। इस तरह का घोटाला.(व्यवधान) राजस्थान की सरकार में घोटाले होते चले जा रहे हैं और उसके बारे

(श्री रामस्वरूप मीणा)

में सरकार विचार नहीं करें सस्पेण्ड करिये आप ऐसे आदमी को।...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप बैठें।

श्री रामस्वरूप मीणा : चाहे वह कितना भी बड़ा हो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बराबर आसन की अवहेलना कर रहे हैं ...

श्री ओमप्रकाश शर्मा : तीन बार जांच हो गयी...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जो मामला माननीय सदस्य ने उठाया है और जो तथ्य रखे हैं...

श्री रामनारायण चौधरी : कांग्रेस के जमाने के हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो मैं खुद नहीं कहूंगा। आप खुद जानते हैं और यह कहने का औचित्य भी नहीं है Don't take it lightly. I am very serious. यह जो कुछ हुआ मैं इसको पसन्द नहीं करता। चाहे कांग्रेस के जमाने में हुआ है या मेरे जमाने में हुआ है इससे क्या मतलब है। यह कांग्रेस ने किया है मैंने किया है क्या ? करने वाला भोगेगा। इससे क्या मतलब है...(व्यवधान)...

श्री परसादीलाल मीणा : आज कोई हिम्मत की बात की है।

श्री भंवरलाल शर्मा : हिम्मत ही है। मेरे तो हमेशा रहती है। मेरी हिम्मत का पता तो कभी कभी लगता है आपको रोज नहीं लगता है...(व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बैठे-बैठे कोई नहीं बोलेंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब मेरी हिम्मत पर आ गये आप। अपराधी कोई और है और मेरी हिम्मत को चेलेन्ज कर रहे हो आप। क्या बचाना चाहते हो किसी को आप ? Why do you charge me ? आप मुझे काहे को चार्ज कर रहे हो। हिम्मत क्या करेगी इसमें? एक्शन होगा। मैं सदन के सामने रख रहा हूं सारी बातें। सदन जो फैसला करेगा, मानेंगे हम।

उपाध्यक्ष महोदय, जो तथ्य आदरणीय माननीय सदस्य ने रखे हैं वह रिपोर्ट के आधार पर बहुत कुछ सही हैं। मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि इसमें घोटाला नहीं हुआ। जो जांच रिपोर्ट आयी है उससे बहुत सारे तथ्य सामने आये हैं और जो तथ्य माननीय सदस्य ने रखे हैं उससे भी कुछ अधिक मिलेंगे। इसकी जांच करने के लिये हमारे उस समय तत्कालीन इस विभाग के मन्त्री मांधाता सिंह जी थे उन के सामने यह शिकायत आयी कि इस प्रकार के घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने तत्परता से उसी समय जांच आदेश दिये और एक व्यक्ति को नियुक्त भी कर दिया कि वह जांच करेगा। वह व्यक्ति थे मिस्टर वी. पी. गोयल, सीनियर अकाउन्ट्स आफिसर। उन्होंने जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने यह साबित किया, यह अपनी रिपोर्ट में दिया कि इस प्रकार की अनियमितताएं, इस प्रकार का गोलमाल

(श्री भंवरलाल शर्मा)

हुआ है। जब यह बात फिर सरकार के पास आयी तो फिर यह बात खड़ी हुई कि जिस व्यक्ति ने जांच की है वह एक तो सीनियर अकाउन्ट्स आफिसर है जो विभाग का ही है और जांच हो रही है चीफ इन्जीनियर लेवल के लोगों की और वह व्यक्ति खुद भी जो परचेज कमेटी है उसका मैम्बर है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा कोई रिपोर्ट आये तो उसको कितनी गम्भीरता से लिया जाय, यह प्रश्न सरकार के सामने खड़ा हुआ। और जब इस प्रकार के आरोप के बाद किसी को दण्डित करना चाहते हैं आप तो कोई कमी न रह जाय सब तथ्य सामने आने चाहिये। इसलिये उसकी जांच के लिये फिर एक बड़े अधिकारी को एक समिति बनाकर कहा कि आप जांच करिये और वह थी डायरेक्टर आफ ट्रेजरी एंड अकाउंट्स, उन्होंने फिर इसकी जांच की। जांच करने के बाद उन्होंने भी इन तथ्यों को प्रमाणित किया कि साइन्ड हुए हैं। फिर आ गया राष्ट्रपति शासन 1993 में। उस समय रिपोर्ट आयी और यह लोकायुक्त के पास चला गया मामला। तो मैं जो डिले हुई है उसको जस्टिफाई नहीं करता हूं। मैं उस डिले को ठीक नहीं मानता इस पर उसी समय एक्शन होने चाहिये थे। अगर लोकायुक्त को मामला गया भी था तो सरकार स्वतंत्र थी, किसी ने रोका नहीं था उसको। इसलिये इसमें विलम्ब हुआ।

अब यह बात सही है कि जो तथ्य सामने आये हैं उन तथ्यों के आधार पर यह तो करीब-करीब क्लियर हो गया कि इसमें खरीद में इन सब बातों में घोटला तो हुआ है लेकिन अभी तक यह फिक्स नहीं कर पाये कि किसके कार्यकाल में और कौन कौन उसके दोषी हो सकते हैं। अगर यह सामने आ गया होता तो मैं आज ही यहां निश्चित रूप से कोई न कोई बात जैसा आप चाहते हो, घोषणा कर देता लेकिन यह एक इतना सा पाइन्ट बाकी है। इसलिये मैं तो यह विचार करता हूं, अभी मैं सोच भी रहा था कि इसकी दुबारा...

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : लीपा-पोती कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : कोई लीपा-पोती नहीं कर रहा हूं। काहे की लीपा-पोती कर रहा हूं हरिसिंह जी आप यहां हम पर रिमार्क्स क्यों पास करते हो ? मुझे लीपा-पोती करके क्या करना है।

तो, मैं यह विचार कर रहा था कि यदि फिर से कोई यह बात पता करने के लिये कौन कौन दोषी थे यदि विभाग को काम दे दिया गया, डिपार्टमेंट को तो सही तथ्य सामने नहीं आयेंगे इसलिये मैंने यह विचार किया, आपकी अनुमति से मैं आज ही यहीं अभी हमारे जो स्पेशल सेक्रेटरी, पी.एच.ई.डी. हैं उनको जांच अधिकारी नियुक्त करता हूं और सात दिन के अन्दर वह...(व्यवधान)...उनको मैं अभी यह निर्देश करता हूं कि...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ : जब आरोप सिद्ध हो गये तो फिर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले पूरा जवाब तो सुनें।

श्री कालूलाल गूजर : माननीय मंत्री महोदय यह मान रहे हैं कि वह अधिकारी भ्रष्ट है...(व्यवधान)...उसके खिलाफ गम्भीर मामला है,

(श्री कालूलाल गूजर)

भ्रष्टाचार किया है उसको निलम्बित करना चाहिये_(व्यवधान)_

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को मालूम है_(व्यवधान)_

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है_(व्यवधान)_आसन पैरों पर है_(व्यवधान) आसन पैरों पर है। पहले आप पूरा उत्तर सुनिये। बीच बीच में व्यवधान करते हैं।

श्री कालीचरण सराफ : बाकी जांच किसकी होगी। जब जांच हो गयी, वह दोषी पाये गये_

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री बद्री प्रसाद गुरुजी :आप भ्रष्ट अधिकारी को निलम्बित करके ही जांच कराये ना।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें। आप आसन की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : _(व्यवधान)_ उपाध्यक्ष महोदय, जांच इस बात की नहीं होगी कि इसमें कोई बंग्लिंग हुआ है या नहीं हुआ है, अनियमितता हुई है_(व्यवधान)_ जांच इस बात की कर रहा हूं कि इसके लिये कौन दोषी है। प्राइमाफेसी यह तो देखना पड़ेगा।

अनेक माननीय सदस्य : यह तो आ गया।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, यह नहीं आया अभी।

श्री कालूलाल गूजर : यह तो स्पष्ट लिख रहा है। साफ लिख रहा है इसको निलम्बित करो_(व्यवधान)_

श्री अमराराम (धोद) : यह नहीं है क्या? मंत्री महोदय आप तो यह बता दें कि इसमें यह है या नहीं ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आप कह रहे हो कि भ्रष्टाचार हुआ है_(व्यवधान)

श्री कालूलाल गूजर : उपाध्यक्ष महोदय, दो बार जांच हो गयी है_(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह तो सुनिश्चित हो गया कि यह तो दोषी हैं। इसके अलावा कौन दोषी है इसकी जांच करवायें_(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सिद्ध हो गया_(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : भ्रष्ट अधिकारी को निलम्बित करो।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, जो दोषी है उसको सस्पैण्ड करो। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, जिन्होंने घोटाला किया उनको अविलम्ब निलम्बित करना चाहिये_(व्यवधान) इससे सरकार की छवि खराब होती है_(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : घोटालों की सरकार नहीं चलेगी, घोटाला करने वालों को सस्पैण्ड करो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : इससे ज्यादा घोटाला सरकार और मंत्री कर नहीं सकते। इसकी निश्चित रूप से जांच करवाइये कि इसमें और कौन शामिल हैं_(व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश शर्मा : घोटाला करने वाले अधिकारी को निलम्बित करिये।

श्री परसादी लाल मीणा : आपकी जांच रिपोर्ट 6 महीने बाद आयेगी, तीन महीने बाद वह रिटायर हो जायेंगे और तब कार्यवाही करेंगे

(श्री परसादी लाल मीणा)

आप ? जब इसमें तथ्य आ गये आप उनको निलम्बित करके अब आप जांच करवाइये...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : निलम्बित कर दो पहले।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, तीन बार जांच हो गयी, तीन बार रिपोर्ट आ गयी और तीनों बार दोषी पाया गया और किसी न किसी बहाने से लम्बा किया जा रहा है और तीन महीने बाद रिटायर हो रहे हैं। आज अगर सस्पैण्ड नहीं किया गया, आज अगर कार्यवाही नहीं की गयी तो रिटायरमेंट के बाद क्या कार्यवाही करेंगे ? इसलिये मैं यह चाहता हूं, सारे सदन की जब यह राय हो रही है कि इस प्रकार के अधिकारियों की, जिनकी तीन-तीन बार जांच हो चुकी है, उनको तुरन्त निलम्बित किया जाना चाहिये। कोई मतलब नहीं है उनको रखने का, कोई कारण नहीं है कि उनको रखा जाय।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, चलाकर लम्बा मत करो, अभी सस्पैण्ड करो।

एक माननीय सदस्य :...(व्यवधान) ऐसे अधिकारियों को बख्शो मत आप।

श्री रामस्वरूप मीणा : भ्रष्टाचार को मिटाओ, भ्रष्टाचार बढ़ेगा नहीं तो...(व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : इसमें दिक्कत क्या आ रही है ?...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को हटाओ...(व्यवधान)...

श्री परसादी लाल मीणा : सस्पैण्ड करो फिर जांच कराओ इसकी आप...

एक माननीय सदस्य : एस. के. जैन और पी.सी. जैन दोनों को सस्पैण्ड किया जाय दोनों को ...(व्यवधान)... उपाध्यक्ष महोदय, यह दोनों ही दोषी हैं। दोनों अधिकारी दोषी हैं, दोनों को ही सस्पैण्ड किया जाय।... (व्यवधान)...

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : मत बचाइये ऐसे लोगों को आप... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ऐसा कीजिये जिससे दूसरों को नसीहत मिले।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : क्यों बचाते हो, क्यों बचा रहे हो ? ...(व्यवधान)...

श्री टीकम चन्द कान्त : जिस व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार का आरोप सिद्ध हो गया उसके लिये तो आवश्यक यह है कि उसको ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, इन भ्रष्ट अधिकारियों को आप छुपाते क्यों हो, हटाते क्यों नहीं। जब भ्रष्टाचार का मामला सामने आ गया उसके बाद सरकार उसकी अनदेखी कर रही है...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने से क्या फायदा ...

श्री रामस्वरूप मीणा : जांच हो गयी तीन-तीन बार...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चार-चार बार जांच हो गयी है, निलम्बन करना चाहिये...(व्यवधान)

श्री किशन गोपाल कोगटा : इसका तुरन्त निलम्बन करके एफ.आई.आर. दर्ज करायी जाये और एक मांग और है, माननीय उपाध्यक्ष

Page No 116

(116)

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

महोदय, यह तीन साल किस कारण से किस इम्पेशन से यह जांच दबी रही, इसकी भी जांच होनी चाहिये। इसका इन्ट्रेस्ट है...(व्यवधान)...

एक माननीय सदस्य : ससपेण्ड होने पर और भी कई घोटाले खुलने का डर है। ससपेण्ड होने पर और भी कई घोटाले खुल सकते हैं जिनमें और कोई लिप्त हो...इसलिये नहीं ससपेण्ड किया जा रहा है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सदन में जब यह मामला आ गया। सदन में जब इस प्रकार डिसकस हो गया। सारे सदन में जब यह हो गया कि तीन साल से लगातार जांच चलती रही। तीन बार जांच हो गयी, तीनों बारों में जांच प्रमाणित हो गयी और सदन के सामने इतना प्रमाणित मामला आने के बाद इस सदन में अगर तुरन्त कार्यवाही नहीं होती है तो फिर यह सदन दोषियों को नहीं बचाये...(व्यवधान) इनके खिलाफ तुरन्त कार्यवाही का मतलब है। तुरन्त इनको निलम्बित किया जाना चाहिये। कार्यवाही का मतलब है निलम्बित करने के बाद में आगे कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : मंत्रीजी खुद मान रहे हैं कि वह भ्रष्ट है...(व्यवधान) ठीक है करो ससपेण्ड...+ + +

श्री भंवरलाल शर्मा : पूरी बात तो सुनो आप। पूरी हिम्मत है मेरे में। आप चिन्ता मत करो। हिम्मत में कोई कमी नहीं है। मेरी बात तो सुनें।

श्री भंवरसिंह डांगावास : उपाध्यक्ष महोदय, आप हमें अनुमति देते नहीं हैं। और लोग खड़े होकर बोलते हैं। हम एक मुद्दे की बात कहना चाहते हैं। आप हमें अनुमति दें पहले, मंत्री महोदय के जवाब से पहले दें ताकि इसमें और बात आयेगी। एक मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के प्राथमिक जांच करने के लिये स्पेसिफिक आर्डर्स हैं। जांच करने वाला अधिकारी दोषी अधिकारी को दोष मुक्त मानता है तो दोषमुक्त लिखें और दोषमुक्त नहीं है तो उसकी एफ.आई. आर. दें और अगर दोषी मानते हैं तो नियम 17 के चार्जेज प्रपोज करते हैं तो 17 के चार्जेज बनायें और 16 के चार्जेज बनायें। इन तीनों में प्रारूप बना कर तीनों जांच करने वाले अधिकारियों ने इसको दोषी मानते हुए उन आदेशों की अवहेलना की है। उन अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने इसको बचाने की कोशिश की कार्यवाही, एक्शन होना चाहिए।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन की जो अभिव्यक्ति है वह मेरे सामने है मैं भी इस पक्ष में था कि बहुत सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये और सदन ने मेरा समर्थन ही किया है...(व्यवधान)... बोलने तो दो...

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपके ऊपर दबाव बनाया है सदन ने। आपका मनोबल पहले था तो कर देते।

श्री भंवरलाल शर्मा : बोलने तो दो कोई दबाव नहीं है सदन का। सदन तो आनरेबल है, एक इशारा मेरे लिये निर्देश है। सदन का तो एक इशारा मेरे लिये निर्देश है दबाव किस बात का। उपाध्यक्ष महोदय, इस सारी चर्चा में

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

समझता हूं कि यह मामला कोई एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। यदि इसकी ठीक और जांच होगी तो निश्चित रूप से और लोग भी इसमें शामिल पाये जायेंगे। इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि इस पूरे मामले को पुलिस को हैण्ड ओवर, एफ. आई. आर. के लिये भेज देता हूं और तब तक जो अधिकारी जिसके खिलाफ चार्ज है उसको सस्पेण्ड करता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : उपाध्यक्ष महोदय, आपने सस्पैण्ड किया है इसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप क्या चाहते हैं (व्यवधान)

श्री टीकमचन्द कान्त : मंत्रीजी को धन्यवाद तो दे दें।

राजस्थान में गुर्दा प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में बने नियमों में व्यावहारिक संशोधन किया जाना

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत डॉ. जितेन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा राजस्थान में गुर्दा प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में बने नियमों में व्यावहारिक संशोधन करने के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

डॉ. जितेन्द्र सिंह (खेतड़ी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत राजस्थान में गुर्दा प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में बने नियमों में व्यावहारिक संशोधन करने के सम्बन्ध में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट मंत्री महोदय, श्री रामस्वरूप जी ने जो स्वायत्त शासन मंत्री के बारे में कहा है + + + मैं इसको एक्सपंज करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की ओर पूर्णतया आकर्षित होता हुआ सदन के सामने तथ्य प्रस्तुत करता हूं।

दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से मानव अंग विशेषकर गुर्दों के व्यावसायीकरण की जानकारी प्रकाश में आने पर राजस्थान विधान सभा ने केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाने गये मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के संविधान के अनुच्छेद 252 उपखंड (1) के अन्तर्गत 14-3-96 को अंगीकार किया है। राजस्थान राजपत्र में 10-4-96 को विधान सभा से इस आशय का संकल्प का प्रकाशन होने पर यह राज्य में 10-4-96 को पूर्णतया लागू हो गया है। इस अधिनियम के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं—

(1) मानव अंगों के व्यावसायीकरण पर प्रभावी अंकुश लगाना,

(2) चिकित्सकीय उपयोग हेतु मानव अंगों को निकालने, उनका संग्रहण करने एवं प्रतिरोपित किये जाने को नियन्त्रित करना।

मृत्यु से पूर्व कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 18 वर्ष का हो, अपना मानव अंग निकालने की स्वीकृति दे सकता है। मृत्यु के पश्चात

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

Page No 118

(118)

श्री राजेन्द्र राठौड़

मानव अंग निकालने की स्वीकृति दाता अपने मरने से पूर्व दो गवाहों को उपस्थिति में जिनमें से एक उसका नजदीक का रिश्तेदार हो दे सकता है। यदि मरने से पूर्व ऐसी स्वीकृति नहीं भी दी गयी है तो भी शव का विधि सम्मत अधिकारी इसकी स्वीकृति दे सकता है। यदि दाता ने मरने से पूर्व इसकी आपत्ति न की हो एवं कोई नजदीकी रिश्तेदार भी इसका विरोध न करता हो। मानव अंग केवल चिकित्सा के प्रयोजनार्थ निकालने की स्वीकृति दी जा सकती है। प्रतिरोपित व्यक्ति को मानव अंग उसके नजदीक के रिश्तेदार यथा माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पति एवं पत्नी इनके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी भावनात्मक लगाव या विशेष कारणों से मानव अंग दान कर सकता है यदि उसकी पूर्व अनुमति अथोराइज्ड कमेटी ने दी हो। अथोराइज्ड कमेटी के निम्न सदस्य हैं : प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर अध्यक्ष, डायरेक्टर मेडिकल एण्ड हैल्थ या उनका प्रतिनिधि जो एडिशनल डायरेक्टर की रेंक से नीचे ना हो एच.ओ.डी. (यूरोलोजी) विभाग मेडिकल कालेज जयपुर, मानव अंग केवल पंजीकृत स्थानों पर ही निकाले/संग्रहित एवं प्रतिरोपित किये जा सकते हैं। पंजीयन करने का अधिकार, अप्रोप्रिएट अथोरिटी को है एवं डायरेक्टर में मेडिकल एण्ड हैल्थ को अप्रोप्रिएट अथोरिटी अधिसूचित किया जा चुका है।

गैर पंजीकृत चिकित्सालय में प्रतिरोपण हेतु अपनी सेवाएं देने अथवा इसमें सहयोग करने पर पांच वर्ष तक की कैद या दस हजार रुपये तक का जुर्माना शास्ति दंड के रूप में दिया जा सकता है। मानव अंगों का व्यावसायीकरण करने अथवा उसमें सहयोग करने पर दो वर्ष तक से लेकर सात वर्ष की कैद एवं 10 हजार रुपये से 20 हजार रुपये तक की शास्ति दी जा सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : उत्तर तो यथोचित आ गया।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि उन्होंने जो अंग प्रत्यारोपण के सम्बन्ध में जो राज्य सरकार का निर्णय था तो इसके बारे में बताना चाहूंगा कि यह राजस्थान के गजट में 10 अप्रेल, 1996 को गजट नोटिफिकेशन में क्या था "In pursuance of the provisions of clause (1) of Article 252 of the Constitution of India read with sub-section (2) of Section 1 of the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act 42 of 1994), the following resolution was passed by the Rajasthan State Legislature on 14th March, 1996 adopting the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act 42 of 1994) for the State of Rajasthan-

Rajasthan State adopts the Transplantation of Human Organs Act, 1994 (Central Act 42 of 1994) for this State."

महोदय यह राजस्थान सरकार का गजट है जिसमें नोटिफिकेशन हुआ है और यह भारत सरकार का गजट है जो 4 फरवरी, 1995 जो ह्यूमन ट्रान्सप्लांट के सम्बन्ध में भारत सरकार ने अपना नियम दिया। महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सरकार ने एक,

(डॉ. जितेन्द्र सिंह)

मैं स्वागत करता हूं इस सदन का जो मंत्रीजी ने, राजस्थान के अन्दर एक घृणित गुर्दा व्यापार हो रहा था उसको रोकने के लिये कदम उठाया लेकिन महोदय, एक डाकू को उसके किये के लिये फांसी लगती है तो उस डाकू के सताये हुये हजारों लोगों के साथ भी न्याय होना चाहिये। मैं इस नियम का स्वागत करता हूं । लेकिन महोदय, इस नियम के पीछे हजारों लोग जो किडनी ट्रान्सप्लांट के लिये वेट कर रहे हैं, उनका जीवन अन्धकारमय है, महोदय इस नियम में है कि हू केन डोनेट दा किडनी, किडनी डोनेट करने वालों में जो किडनी डोनेटर्स हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है मदर, फादर, देन ब्रदर एण्ड सिस्टर एण्ड लास्ट स्पाउज में है हजबैंड एंड वाइफ। महोदय, आपने दो या तीन बच्चे का नियम बना रखा है। सन् 1970 की जनरेशन के बाद मुश्किल से ही कोई महानुभाव होगा जिसके दर्जनों बच्चे हों। मदर फादर आलरेडी इतने वृद्ध होते हैं, 70-80 साल के, they are not fit for donating the kidney.

मैं उन व्यक्तियों के लिये कह रहा हूं जो इस कैटेगरी में नहीं आते। और भाई है, इकलौता है-

श्री उपाध्यक्ष : आप इस पर भाषण न दें-

डॉ. जितेन्द्र सिंह : नहीं, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं। सर, ये हजारों लोगों के जीवन से जुड़ा है-

श्री उपाध्यक्ष : आप तो सवाल पूछें। माननीय मंत्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है उस पर कोई शंका है तो सवाल पूछें।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : उस शंका के लिये ही कह रहा हूं मैं तो बहुत कम बोलता हूं और यह लाखों लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं वह नहीं कह रहा हूं। मैं तो जो उन लोगों के लिये इम्पोर्टेंट है, उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था है यह बता रहा हूं। जिनके माता-पिता वृद्ध हो चुके हैं और जिस भाई के बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। लड़के हैं नहीं तो then who will donate kidney for such persons ? इस तरह के हजारों लोग होंगे जो इस तरह की कैटेगरी में आते हैं। उनके बारे में राज्य सरकार का क्या सोच रहेगा ? नम्बर दो, इसके साथ में मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा कि किडनी ट्रांसप्लांट सिर्फ नियम बनाने से ही व्यवस्थित रूप से नहीं हो पायेगा। इसके लिए आपको किडनी ट्रांसप्लांट सेन्टर जयपुर में स्थापित करना पड़ेगा। जयपुर में टी.यू. आर. की सुविधा तो एस.एम.एस. हास्पिटल में ढंग से है नहीं। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए टिश्यू कल्चर लिया जाता है और टिश्यू कल्चर की सुविधा के अनुसार ही होता है। हजबैण्ड, वाइफ की जहां तक बात है, माता-पिता बेटे का टिश्यू कल्चर तो मिल जाता है लेकिन पत्नी का टिश्यू कल्चर कभी भी पति के साथ नहीं मिलेगा। Then who will donate kidney for him ? इस बात की गंभीरता में आपको जाना है। नियम की मैं पूरी प्रशंसा करता हूं, मंत्री जी जो नियम लाये हैं अवैध व्यापार रोकने के लिए। लेकिन जो हजारों –

Page No 120

(120)

श्री उपाध्यक्ष : आप प्रशंसा तो करते हैं लेकिन पालन तो करिये। आप केवल सवाल पूछ सकते हैं।

डॉ जितेन्द्र सिंह : सवाल से ही जुड़ा हुआ है। मैं मंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि यह लाखों लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। केवल मेरा नहीं है। जनहित का प्रश्न है। मुझे आप थोड़ी इजाजत दीजिये। नम्बर एक मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि जो इस तरह के व्यक्ति है जिनके कोई डोनर नहीं हैं, उनको किडनी ट्रांसप्लांट सुविधा के बारे में आपके क्या विचार है ? जिनसे स्पाउज कोई नहीं हे। मदर-फादर नहीं हैं नम्बर दो, किडनी ट्रांसप्लांट सेन्टर बगैर डवलप किये हुये किडनी ट्रांसप्लांट नहीं होगा। एस.एम.एस. हास्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट सेन्टर को डवलप करने के बाद में आपका क्या विचार है ? मैं एक निवेदन और करूंगा कि एस.एम.एस. हास्पिटल में गुर्दा ट्रांसप्लांट पचास हजार में हो सकता है जबकि यू.एस.ए. में पच्चीस लाख में और बोम्बे हास्पिटल में सात लाख रुपये में होता है। पचास हजार रुपये में सारे के सारे डाक्टर्स तैयार बैठे हैं। लेकिन कोई सुविधा नहीं है। अंत में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके बारे में हमें जागरूकता लानी पड़ेगी। मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ कि जिन्दे व्यक्ति की किडनी निकाली जाय । मैं इस पक्ष में हूं कि मृत्यु के उपरान्त, मृत्यु भी जिनकी ब्रेन स्टेम डैथ हो जाये, एक्सीडेन्ट से हो जाय वह हास्पिटल में अंत तक जूझते रहते हैं जीवन से। लेकिन जिस वक्त उनका दिमाग कट आफ हो जाता है, संज्ञा शून्य हो जाता है, इस तरह के लोगों को death is known as 'brain-stem death. यू.एस.ए. में कोई जिन्दा आदमी किडनी नहीं देता है। जो आलरेडी हास्पिटल में ब्रेन स्टेम डैथ वाला रोगी है उसकी किडनी ली जाती है। उस किडनी से ही ट्रांसप्लांट होता है। उस किडनी का कम्प्यूटर में रिकार्ड रहता है और जिससे उसका टिश्यू मैच करता है उसको चौबीस घंटे में सूचना देनी पड़ती है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। आप तो भाषण दे रहे हैं।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। मैं निश्चित रूप से भाषण नहीं दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

डा. जितेन्द्र सिंह : मैं अंत में यह निवेदन करूंगा कि लोगों को इस बारे में उत्साहित करना चाहिए कि ब्रेन स्टेम डैथ के जो भी रोगी हास्पिटल में एडमिट हों, वह इस बात पर तैयार हों कि वह अपने पुत्र का या जो भी है, डैड बॉडी है वह अपने आर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए इस बात को सुचारू रूप से लें। मैं समझता हूं कि मंत्री जी सारी बात समझ गये होंगे। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस तरह के हजारों लोग जो जसलोक हास्पिटल, बोम्बे हास्पिटल में राजस्थान के लोग जो किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वेट कर रहे हैं उनके जीवन के साथ न्याय होना चाहिए और महज एक नियम पर लाखों लोगों का जीवन बर्बाद नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।

श्री टीकमचन्द कान्त : मैं एक सवाल...

श्री उपाध्यक्ष : मैं इसमें और सवालों की इजाजत नहीं देता हूं। आप बिराजें माननीय सदस्य। माननीय मंत्री महोदय।

श्री टीकम चन्द कान्त : हमारा भी प्रश्न हो जाता, साहब। इससे लगता हुआ प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं। यह गलत परम्परा पड़ रही है। माननीय मंत्री महोदय।

श्री टीकम चन्द कान्त : आज तक यह परम्परा में है कि जब हाउस में ऐसी चीजें आ जाती हैं तो कुछ ऐसे प्रश्न खड़े होते हैं तो कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस बात की चिन्ता व्यक्त की है कि जिस व्यक्ति के नजदीक के रिश्तेदार यथा माता-पिता, भाई-बहन नहीं हों या वह शारीरिक रूप से अपने शरीर का अंग देने में असमर्थ हों, या उनकी मेडिकल जांच करने के उपरान्त यह पाया जाये कि इस तरह के व्यक्ति जो उसके नजदीक के रिश्तेदार हैं उनका अंग प्रत्यारोपण के काम में नहीं लिया जा सकता है तो इसके लिये इस अधिनियम की धारा नौ में प्रावधान है। धारा 9 की उपधारा 2 में लिखा है कि नजदीक के रिश्तेदार के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी भावनात्मक लगाव या अन्य किसी विशेष कारण से प्रतिरोपित व्यक्ति को मानव अंग दान कर सकता है। यदि इसकी पूर्व अनुमति प्राधिकरण समिति द्वारा प्रदान कर दी जाये और इसी धारा 9 की उप धारा 5 के अन्दर प्राधिकरण समिति बनाने की व्यवस्था है। उसके अन्दर प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, जयपुर को अध्यक्ष बनाया गया है। निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं अथवा उनका कोई प्रतिनिधि जो एडिशनल डायरेक्टर की रैंक से कम नहीं हो उसको सदस्य बनाया गया है। यूरोलोजी डिपार्टमेंट के हैड आफ द डिपार्टमेंट को सदस्य सचिव बनाया गया है। यह तीनों अगर अनुमति दे दें कि कोई दूसरा व्यक्ति भी अपने शरीर के अंग का दान दे सकता है तो इस अधिनियम में पूरा प्रावधान है। इसके अलावा इन्होंने यहां एक बात उठायी कि कुछ इस तरह के मरीज भी चिकित्सालय में भर्ती होते हैं जिनकी ब्रेन डैथ हो जाती है। इस अधिनियम की धारा 2 के सब सेक्शन एक में ब्रेन डैथ की परिभाषा दी गयी है। लेकिन जिस तरह की प्रथा प्रचलित है, प्रत्येक व्यक्ति जिसका भी कोई नजदीकी रिश्तेदार, भाई-बन्धु हो, चाहे उसकी मस्तिष्क मृत्यु हो जाये परन्तु उसके शरीर के किसी भी अंग को दान देने की प्रथा प्रचलित नहीं है। मैं माननीय सदस्य की इस बात का स्वागत करता हूं कि वास्तव में इस बात को प्रचारित किया जाना चाहिए, और एक समझाइश के द्वारा इस तरह का वातावरण बनना चाहिए। एक व्यक्ति इस दुनिया से जा रहा है, उसकी ब्रेन डैथ हो चुकी है और दूसरा व्यक्ति उस अंग से अपने जीवन को बचा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह अवगत करना चाहूंगा कि सारे मेडिकल कालेजेज में मैं एक व्यवस्था करने जा रहा हूं कि मेडिकल कालेज से जुड़े हुए चिकित्सालयों में इस तरह के मरीज भर्ती हों जिनकी ब्रेन डेथ हो चुकी हो, उनकी सूची अलग रहेगी और ऐसे व्यक्ति जिनको किसी आर्गन ट्रांसप्लांट की आवश्यकता हो उसकी सूची अलग रहेगी। जिस व्यक्ति की ब्रेन डैथ होगी उसके अभिभावकों से सम्पर्क करके हम उन्हें प्रेरित करने की कोशिश करेंगे कि वह इस चीज की अनुमति दे दें कि उसके शरीर के किसी अंग को दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपित कर दिया जावे।

उपाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात इन्होंने यह कही कि यहां जयपुर के सवाई मानसिंह

(123)

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

चिकित्सालय में किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था नहीं है। पिछली बार भी हमने इसके लिए पर्याप्त धनराशि दी थी। काफी सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के काम को हमने हाथ में भी लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह इस वर्ष की भी प्राथमिकता है और हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि जयपुर में सवाई मानसिंह चिकित्सालय में किडनी ट्रांसप्लांट का काम सुचारू रूप से सुविधाजनक रूप से हो और उसके लिए किसी भी उपकरण की और अतिरिक्त आवश्यकता होगी तो उस अतिरिक्त उपकरण को भी उपलब्ध करवाया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त। विधायी कार्य। श्री भंवरलाल शर्मा प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधि मान्यकरण विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाय।

विधायी कार्य

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996

विधेयक पर विचार

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिसिंह (कुम्हेर)।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले अपने पाइंट आफ आर्डर पर बोल रहा हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरप्रभावी विधेयक माननीय मंत्री जी लाये हैं और इसको बड़ी सुपर सोनिक स्पीड से पास कराना चाह रहे हैं। स्पीड हो लेकिन विधि मान्य स्पीड तो होनी चाहिए कम से कम। इस सदन की परिपाटी है कि जो भी विधेयक आता है उस विधेयक का अन्य विधेयकों पर जो असर होता है, जिनको आप अमेन्ड करते हैं, जिन्हें आप डिलीट करते हैं, उनकी प्रतिलिपि इस विधेयक के साथ लगाना जरूरी है। इससे पहले मैं आपको यह निवेदन कर दूं कि यह आप लाये क्यों हैं ? यह इसलिये लाये हैं कि कोटा म्युनिसिपैलिटी के अन्दर जो टैक्सेज लिये जाते थे। दो गांव हैं उम्मेदगंज और रायपुरा।

इन दोनों गांवों के संबंध में म्युनिसिपैलिटी जो चुंगी ले रही थी उसमें विवाद पैदा हुआ और वह विवाद राजस्थान हाई कोर्ट के सामने गया। उन्होंने यह मान्य किया कि आप चुंगी गलत वसूल कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में जो वेलिडेशन एक्ट आप लाये हैं वह आपका void है। उसके बाद में और उसकी अपील में गये और अपील में आपकी बात मान ली और हाई कोर्ट ने आपके एक्ट को करार दे दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गये और सुप्रीम कोर्ट में जाने पर यह तय हुआ कि आपका जो कोटा म्युनिसिपैलिटी के सम्बन्ध में विधेयक है उसको उन्होंने वोइड (void) करार दे दिया है। अब उसके बाद में आप उस विधेयक को यहां पर लाये हैं और आपने

(श्री हरिसिंह)

अपने उद्देश्य में लिखा है, "चूंकि 1975 का ऊपर निर्दिष्ट विधिमान्यकारी अधिनियम विधिक दृष्टि से गलत ठहराया गया और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस आधार पर अभिखण्डित कर दिया गया कि त्रुटियों को ठीक नहीं किया गया जो किसी विधिमान्यकारी कानून की आवश्यक अपेक्षा होती है।"

अतः अब त्रुटियों को दूर करने और कोटा नगरपालिका की कार्यवाहियों को विधिमान्य करने के लिए यह आप आगे इसमें कहना चाह रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वह यह है कि पहले जो विधिमान्यकारी अधिनियम था कोटा म्युनिसिपैलिटी का उसके स्थान पर यह लाया जा रहा है। अब आपने इस विधेयक के साथ में सैक्शन 4 को अमेंडमेंट कर रहे हैं उसकी कापी लगा दी है, सैक्शन 5 को अमेंड कर रहे हैं उसकी कापी आपने लगा दी है और इसको आप डिलीट कर रहे हैं, इसको आप रीपील कर रहे हैं। इसमें आप सैक्शन देखें, आप अमेंडिंग बिल को सैक्शन 12 के साथ देखें, -

"The Rajasthan Kota Municipal limits (Continued Existence) Validation Act., 1975...is hereby repealed and in respect of such repeal, the provisions of section 6 of the Rajasthan General Clauses Act, 1955... shall not be applicable."

सर, एक मेन बात है कि जब तक हम यह नहीं देख लें, जब तक आप, सदन के सभी माननीय सदस्य इस पर विचार नहीं कर लें कि, राजस्थान कोटा म्युनिसिपल लिमिट्स (कंटीन्यूड एग्जिस्टेंस) वेलिडेशन एक्ट 1975 के अन्दर क्या-क्या कमियां थी। उस एक्ट को जब तक हम नहीं देखें कि वह एक्ट किस आधार के ऊपर, किस एंगल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के सामने खरा नहीं उतरा, उसके क्या प्रोविजंस गलत थे तब तक हम आपके लिये इस सम्बन्ध में क्या अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अगर कोई एक्ट इस विधान सभा से बन करके जाये और वह वोइड डिक्लेयर हो जाय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो उसमें सरकार की कोई अवमानना थोड़े ही है, सरकार के ऊपर थोड़े ही यह बात आयेगी, इस पर हमारी भी बदनामी होती है कि राजस्थान विधान सभा ने ऐसे नियम बनाये जो वोइड करार कर दिये गये। इसलिये पहला तो संक्षेप में मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि कृपया यह जो राजस्थान कोटा म्युनिसिपल लिमिट्स (कंटीन्यूड एग्जिस्टेंस) वेलिडेशन एक्ट, 1975 है, इसकी प्रतिलिपि इसके साथ लगायें और जिसको हम देख कर आपके सम्मुख विचार रख सकें।

दूसरी बात, मैं अब निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपके म्युनिसिपैलिटी एक्ट, 1994 के जो प्रोविजंस हैं उनमें आप अमेंडमेंट यह करना चाहते हैं कि ऐसा माना जायेगा कि शुरू से इसमें स्थापित था "deemed to always have been substituted." अब एक सैक्शन 4 और सैक्शन 5, ये दो हैं। इन दोनों के लिये आप यह कहना चाहते हैं कि हमेशा से यह सब्स्टीट्यूट माने गये हैं।

(श्री हरिसिंह)

अब वो कौन से सैक्शंस हैं 4 और 5 ? जिस समय 1994 का एक्ट हाउस के सामने था उस समय उनकी प्रतिलिपियां आपने जरूर लगायी होंगी, क्योंकि आप उनको सब्स्टीट्यूट करना चाह रहे थे, अब आप यह कहते हैं कि They will be deemed to have been substituted always तो हम यह देखें तो सही कि ऐसे वे क्या प्रोविज़ंस हैं जिनको कि सदैव से ही सब्स्टीट्यूट माना जा रहा है। इसके अन्दर जब तक हम यह नहीं देख लें तो उसका असर क्या पड़ेगा ? आज ठीक है आप सब्स्टीट्यूट कर रहे हो, कितना असर है यह तो उस समय देख लिया गया लेकिन अभी हमको देखना है यह क्योंकि सैक्शन 4 और 5 बड़े महत्वपूर्ण सैक्शंस हैं उनके अन्तर्गत म्युनिसिपैलिटीज को डिक्लेयर किया जाता है, और लिमिट्स को डिक्लेयर किया जाता है और अगर यह शुरू से ही डिलीट कर दिया जाय, सैक्शन 4 और 5 शुरू से ही अगर डिलीट की गयी मान ली जायेगी तो फिर म्युनिसिपैलिटीज जो बनी हैं, उनके सम्बन्ध में जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, चुंगी के जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं वे सब अमान्य हो जायेंगे, सैक्शन 4 और 5 रहेगा ही नहीं।

इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि जब तक आप इन प्रतिलिपियों को इन सैक्शन्स के साथ नहीं लगायेंगे तब तक इस पर विचार करने की श्रीमान्, इजाजत नहीं दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं ने यह बैकग्राउण्ड रख दिया कि यह बिल क्यों लाया गया। मेरी जब आपसे बात हुई थी कि आप इसको देख लें, अगर कोई इसमें कमी हो तो पूरी कर सकते हैं। इसमें मेरा निवेदन यह है कि यह जो एक्ट है उसमें हम कोई नयी चीज ला ही नहीं रहे हैं। जो एक्ट आलरेडी था नगरपालिका कोटा में दो गांवों को मिलाने का काम था और उसकी प्रक्रिया नहीं अपनाने के कारण यह सारा झगड़ा खड़ा हुआ। इसमें नियम यह है कि यदि किसी गांव को आप नगरपालिका में जोड़ते हैं तो उसके लिये आप नोटिस दीजिये, लोगों से जिनको आपत्ति है वह मांगिये फिर उसका निर्णय करने के बाद जोड़िये। यह नोटिस तो निकाल दिया गया था उस वक्त भी लेकिन, बाकी कार्यवाही पूरी नहीं हुई। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी गांव को ले सकते हैं, निकाल सकते हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु इसमें लेने की जो प्रक्रिया है वह आपको पूरी करनी चाहिये थी। तो वास्तव में किसी वजह से पूरी नहीं हुई, कई बार नहीं भी होती है और वह जब नहीं हुई और नियम अभी भी लागू हैं। तो फिर जो परिणाम इस कानून की कमी के कारण से रहेगा वह आप सब जानते हैं। इसलिये इसमें कोई नयी बात नहीं हैं। अब तक जो नियम कानून थे यह वही कानून हैं, वही प्रोविज़ंस हैं, केवल उस समय प्रक्रिया पूरी नहीं की थी उसको ही वेलिड किया गया है। इसलिये यह तो सामान्यतया एक कानून है इसमें न तो और किसी नगरपलिका पर असर पड़ेगा, न कोई इसमें कानून में फर्क पड़ रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है, सुप्रीम कोर्ट ने हमको 15 जुलाई इसके लिये तय की है कि आपने जो चुंगी वसूल की है तब से लेकर आज तक वह भी जमा करवाइये। उस स्थिति में मेरा माननीय सदस्य से निवेदन है कि यह

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बड़ा सामान्य सा है, बिना किसी हार्मलैस संशोधन है उसकी इजाजत दें और पास करें। आपने एक संशोधन और दिया है उसके लिये मैं निवेदन कर दूं। आपने यह संशोधन दिया है कि इसको सब्स्टीट्यूट कर रहे हैं, 1958 से माना जाये इसको। माननीय सदस्य, यह एक्ट ही 1959 में आया है। जो जिस कानून में हम संशोधन कर रहे हैं उसका जन्म ही 1959 में हुआ है। अगर 1958 ही उसको माना गया, आपका सुझाव तो ठीक हो सकता है, लेकिन कानून के हिसाब से जो एक्ट ही 1959 का है, इसमें यह लिखें कि यह जो संशोधन कर रहे हैं यह 1958 से लागू होगा तो मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं होगा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि यह सामान्य सा है, उसी को ही जिन्दा कर रहे हैं, इसको पास करने दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये आप। माननीय हरिसिंह जी आप बोलना चाहते हैं ? श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : आप तो पाइंट आफ आर्डर पर बोल रहे थे।

श्री उपाध्यक्ष : इनका पाइंट आफ आर्डर रिजेक्ट।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : अमेंडमेंट आयेगा जब बोलूंगा, अभी तो आया ही नहीं है। विचारार्थ अमेंडमेंट तो आयेगा।

श्री शिवनाथसिंह: उपाध्यक्षजी, माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी पाइंट आफ आर्डर का जवाब देते हुए कहा कि यह तो बहुत इनोसेंट मामला है। माननीय उपाध्यक्षजी, देखा जाय तो इनोसेंट नहीं है। यदि इनोसेंट होता तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाता।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप संशोधन प्रस्ताव पर बोलिये।

श्री शिवनाथ सिंह: संशोधन प्रस्ताव पर तो बाद में बोलूंगा, अभी तो इतना ही है, मैं तो यह चाहता हूं कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : शिवनाथ सिंह जी, अगर आप इसको सीरियली कहते हैं कि जनमत जानने के लिये भेजा जाय.(व्यवधान)

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाय। जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि इनेसेंट नहीं हैं और राज्य सरकार के इस लोकल सैल्फ गवर्नमेंट के कार्यकलापों पर बहुत बड़ा लांछन है, कलंक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कानून बना हुआ है, तीन नगरपालिकाओं ने अवैधानिक टैक्स वसूल किये हैं, कोटा, खेतड़ी और बालोतरा। इतना बड़ा अमला यहां बैठा हुआ है, किस-किस म्युनिसिपैलिटी का कितना क्षेत्र है उसकी निगाह नहीं रख पाते। जिन गांवों को पंचायती राज का फायदा मिलना चाहिए उन गांवों को उस फायदे से महरूम रखा गया। दो गांव कोटा की म्यूनिसिपैलिटी में मिलाये गये और वहां लोगों से टैक्स वसूल किया गया। डी.सी.एम. ने जब मामला उठाया तो सरकार के ध्यान में आया।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मंत्रीजी ने जो स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स दिया है उसमें हमको यह

(श्री शिवनाथ सिंह)

नहीं बतलाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कब निर्णय किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश कब हुआ कही भी अंकित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी है सिर्फ कि इस महीने की 15 तारीख तक वसूल कर लो। लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब हुआ ? माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहले यह मामला 1979 में आया। राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल बैंच ने जजमेंट दिया कि आप अवैधानिक कार्यवाही कर रहे हैं, टैक्स वसूल करने का आपको अधिकार नहीं है। आप डी.बी. में गये जिसने आपके पक्ष में फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट में जाने पर उसने आपके खिलाफ फैसला दिया।

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप 1979 के शुरू के फैसले को देखिये। आपके पास लॉ डिपार्टमेंट और एडवोकेट्स आन रिकार्ड है। आज किस भले आदमी ने आपको राय दी कि आप अमेंडमेंट लाओ। यदि आप उसी रोज अमेंडमेंट लाते जिस डी.बी. ने आपको यह कह दिया कि आपकी यह कार्यवाही इल्लीगल है। आपका लॉ डिपार्टमेंट सोता रहा और आपने लाखों-लाखों रुपये लिटिगेशन में खो दिये। सुप्रीम कोर्ट, डी.बी. और एस. बी. में आपने वकील किये, उनको फीस दी। आपने स्टेट एक्सचैकर के रुपयों को कोई महत्व नहीं वकीलों को फीस देते गए और आखिर में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कोई रास्ता नहीं रहा, तब तक आप सोये रहे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं जानना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि इस प्रकार की लापरवा[ही] कहां हुई, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अ[न्य] बड़े-बड़े अधिकारी आपके पास हैं जो अच्[छी] तनख्वाहें लेते हैं उन्होंने आपको राय क्यों न[हीं] दी कि आपका लॉ डिफेक्टिव है इसलिये आ[प] अमेंडमेंट कीजिये। यह तो कामनसेंस की बा[त] है। आपके ध्यान में आ गया कि कोट[ा] म्युनिसिपैलिटी में दो गांवों को एन्क्लोजर क[र] रखा है, आपको इनका नोटिफिकेशन जारी कर[ना] चाहिये था वह भी नहीं किया, एक का जा[री] किया तो विदड्रा कर लिया। यह तो बहु[त] कॉमन सेंस की बात है। + + + आदमी [भी] बता सकता है कि गलत कार्यवाही हो रही है उसके ऊपर आपके डिपार्टमेंट ने ध्यान न[हीं] दिलाया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की कार्यवाही कभी भी सह्य नहीं हो सकती। मेरी पीड़ा इसलिये है कि इतना बड़ा अमला होते हुए भी राज का रुपया पब्लिक का रुपया, टैक्स का रुपया आप वकीलों को लुटाते रहे और आपका डिपार्टमेंट सोता रहा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह ही नहीं औ[र] भी किस्से हैं इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जिन लोगों के कारण डिले हुआ है, स्टेट एक्सचैकर का रुपया खर्च किया गया है, उनके खिलाफ भी आप कार्यवाही कीजिये। यह लॉ हम बनायेंगे, मंजूरी देंगे विधान सभा इसको पास करेगी। यह सही है और इसको पास भी करना चाहिए क्यों कि इस प्रकार की एक लायबिलिटी सरकार पर आ गयी है। जिसको आपके अधिकारियों की बेसमझी के कारण करना पड़ रहा है। उन पर आप एक्शन लीजिये, कार्यवाही कीजिये कि

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री शिवनाथ सिंह)

आप 15 साल तक सोते रहे, क्यों यह डिले हुआ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर माननीय मंत्रीजी समुचित कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण जी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : मैंने भी इसमें संशोधन तो दिया था लेकिन आपकी अनुमति से मैं इसको प्रेस नहीं करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय.. (व्यवधान) ..आपका नाम नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : साहब, मैं तो सिर्फ कोटा पर बोलना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर उजला अरोड़ा.. (व्यवधान).. माननीय मंत्री महोदय.. (व्यवधान.. नहीं, मैं आपको इजाजत नहीं दे पाऊंगा।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं दो मिनट बोलना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : साधारण सा संशोधन है। कृपया विराजें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : साहब इसमें अच्छे सजेशंस हैं, पास तो करना ही है, कोई आपत्ति नहीं है। हम तो वेलकम करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें आपका नाम नहीं है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : भूल से रह गया होगा। मैंने अध्यक्ष महोदय से निवेदन कर दिया था। आप कहें तो मैं दरख्वास्त भी दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : पास करने की स्टेज पर आप बोल लेना। बिराजें। उजला अरोड़ा जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर मंत्री महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : आप शोर्ट में कह दें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, मैं संक्षेप में कह रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : शोर्ट एण्ड स्वीट।

श्रीमती उजला अरोड़ा : अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : आपका नाम जब पुकारा तब आप नहीं थी, बाद में आयी हैं।

श्रीमती उजला अरोड़ा : हां, मैं बाद में आयी हूं। मैं मानती हूं। मैं कक्ष में तैयारी कर रही थी।

कल इसे यहां हाउस में सर्कुलेट किया गया और कल शाम तक पढ़ने का समय नहीं मिला। मैं इसे गम्भीरतापूर्वक देख रही थी। कोर्ट के आदेशानुसार होने से माननीय मंत्री महोदय की मजबूरी थी। लेकिन हमने तो चुंगी हटाने की बात की थी। मंत्री महोदय उसमें क्या हुआ ? मुझे समझ में नही आ रहा क्योंकि यहां पर भी ट्रेड एण्ड इन्डस्ट्री के लोगों ने आपको सुझाव दिये थे कि आप चुंगी हटा लेने का निर्णय लें। आज क्या स्थिति है उसको आप स्पष्ट करें। कुछ पंचायतों द्वारा चुंगी लेने की बात कही गयी थी, इस प्रकार की विसंगत स्थिति अच्छी नहीं है। इस पक्ष के लोग इधर बैठे थे तब भी मैंने यही कहा था। कोर्ट के आदेश के अनुसार आप हर बार संशोधन ले आते हैं। आप देखिये कुल

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

मिलाकर (व्यवधान) कोटा भी है और भी तीन हैं...।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : यह तो खैर मजबूरी है इनकी लेकिन मैं कहती हूं कि इसको हटा करके दूसरी तरह से आप टैक्स का निर्धारण करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय शिवनाथसिंह जी ने जो बात कही उससे मैं सहमत हूं कि विलम्ब हुआ है। सन् 1961 से लेकर अब तक इस पर विचार किया जा सकता था लेकिन यह किसी के ध्यान में नहीं आया और भूल रह गयी। कभी-कभी रह जाती है।

श्री शिवनाथ सिंह : तनख्वाह किस बात की लेते हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : तनख्वाह तो इसी बात की देते हैं कि वे ध्यान रखें लेकिन जिन्होंने ध्यान नहीं रखा वे तो रिटायर होकर चले गये होंगे। 1961 की बात है। मेरा निवेदन है कि इसको पारित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधि मान्यकरण) विधेयक, 1996 को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश : विचार

खण्ड 2 से 4, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 5, श्री हरिसिंह जी (कुम्हेर)

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : उपाध्यक्ष जी, मेरे संशोधन पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह तो 1959 में आया है और मैंने 1958 से लिख दिया है, यह मैंने मूर्खता का काम किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : ऐसी बात नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, मैंने बहुत सोच समझकर रखा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे लिये हो सकता है, आपके लिये नहीं हो सकता। मैं क्षमा चाहूंगा।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : संशोधन क्यों रखा है ? मैंने कहा कि आपके इस एक्ट की आत्मा और सार सेक्शन पांच है जिसमें आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि उम्मेदगंज और लाडपुरा कोटा म्युनिसिपैलिटी के भाग हैं। यदि भाग हैं तो आप चुंगी ले सकते हैं, अगर भाग नहीं हैं तो आप चुंगी नहीं ले सकते।

(15.00)

(श्री हरिसिंह)

अब आप अपनी सुपरसोनिक स्पीड में कह रहे हैं कि सदैव से, आदिकाल से यह दोनों गांव कोटा नगरपालिका के हिस्से माने जायें. मैंने 58 क्यों रखा है इसमें क्योंकि जो इसका उद्देश्य है उसका पेज 10 पढ़िये। इसमें है कि : "During the period 1958 to 1974, these villages were included in the electrol wards for election purposes after due compliance of law and taxes were levied in relation to aforesaid..." यह तो आप निश्चित मानेंगे कि इसके शुरू में यह उम्मेदपुरा और लाड़पुरा पंचायत के भाग थे और वहां का कोई सरपंच था और पंचायत ने कोई काम किया था और उस पंचायत ने अपनी जमीन उस एरिया के अन्दर बिक्री की है और उनके पट्टे भी दिये गये हैं। अगर आप यह कहते हैं कि यह आदिकाल से ही म्युनिसिपैलिटी के भाग मानेंगे, उस पंचायत की जितनी भी सही कार्यवाही है वह शून्य हो जाएगी। पंचायत द्वारा जमीन देना शून्य हो जायेगा, पंचायत द्वारा मकान बनाने की जो मन्जूरी दी है वह सब शून्य हो जाएगी। इसलिए इतना प्रावीजन रखने की जरूरत नहीं है। आपने तो 58 के बाद से चुंगी लेना शुरू किया है। 58 के बाद आपने म्युनिसिपैलिटी इलेक्ट्रोरल रोल से बनायी है। 58 से कर सकते हैं आप इसको और जब आपका एक्ट 59 का है। श्रीमान आपका इसके भी पहले म्युनिसिपल एक्ट था। 51 का भी म्युनिसिपल एक्ट था। इसको 59 के एक्ट ने रिपील किया है। म्युनिसिपैलिटी तो 51 से लेकर अभी तक चली आ रही है इसलिए यह कहना कि 59 का एक्ट है इसलिये इसमें 58 का प्रावीजन नहीं आ सकता और 58 का प्रावीजन लाना बड़ा जरूरी और इसलिए जरूरी है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वह पंचायतों की एक्टीविटीज जो 58 से पहले की थी, उसके संबंध में आप क्या कहेंगे ? आप मुझे यह बता दीजिये। मुझे पता है वहां के सरपंच ने जमीनें दी हैं। वहां के लोगों के पास पट्टे हैं उस एरिया के। उन्होंने मकान बनाये हैं। उनको आप शून्य कर रहे हैं प्रावीजन के अन्दर। इसका आप मुझे बता दें। इसलिए मैंने यह रखा है कि आप इसमें अमेन्डमेन्ट कीजिए कि 58 से आपको यह करना चाहिए और फिर आप कह रहे थे कि इसमें कहीं गलती नहीं हो जावे क्योंकि फिर हाईकोर्ट के सामने हम जायें।

आप इस पर ध्यान दे लीजिये। आगे आप लिखते हैं "...and shall hereinafter continue to exist within the municipal areas of Kota Municipality for all intents and purposes and all other matters connceted therewith and incidental thereto, notwithstanding anything to the contrary contained in any provisions of this act or any law relating to panchayats for the time being in force..." फौर दी टाइम बीइंग इन फोर्स से काम नहीं चलेगा, श्रीमान्। इसके पहले भी पंचायत एक्ट था। उस पंचायत एक्ट के तहत यह तमाम था इनके संबंध में। इसलिए

Page No 130

(130)

(श्री हरिसिंह)

आप यहां पर यह भी लिखिये, "for the time being in force or at any time." यह अमेन्डमेन्ट आप करें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उपाध्यक्ष महोदय...

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : यह तो खण्डशः विचार हो रहा है। थर्ड रीडिंग पर बोलना।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हरिसिंह जी ने जो बात कही है वह एक दूसरी बात और है कि यह जो कोटा की डी.सी.एम. की फैक्टरी है इसको जमीन ही 1961 में दी है हमने...

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : डेट तो लिखनी पड़ेगी आपको इसमें।

श्री भंवरलाल शर्मा : दिल्ली क्लाथ मिल 1961 में स्थापित की थी और राज्य सरकार ने इसको दो गांव दिये थे उस समय इसको एस्टैब्लिश करने के लिए। इसलिए 1961 के पहले का मामला नहीं है।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर) : आप फिर इसमें आदिकाल क्यों लिख रहे हैं। इसमें जो आप यह प्रावीजन करना चाहते हैं कि म्युनिसिपैलिटी के पास यह गांव कब से माने जायेंगे। आप जो कहते हैं सदैव से माने जायेंगे - इसकी मंशा क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड 5 में जो संशोधन श्री हरिसिंह जी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाये ?

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड 5 स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड 5 स्वीकार किया गया।

खण्ड 6 से 12 में कोई संशोधन नहीं है। अतः प्रश्न यह है कि खण्ड 6 से 12 स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 6 से 12 स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जायें ?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

प्रभारी मंत्री श्री भंवरलाल शर्मा प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री भंवरलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996 को पारित किया जाये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल विधान सभा में लाया गया है मैं स्वागत करता हूं इस बात का। अगर यह मामला नहीं निपटा तो कोटा नगर निगम की एक एक चीज और एक एक

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

परिसम्पत्ति नीलाम कर दी जायेगी। 50 करोड़ रुपया डी.सी.एम. ने निकाला है...

श्री उपाध्यक्ष : आप धन्यवाद देकर अपनी बात समाप्त कीजिये।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं अपने सजेशन दे रहा हूं इसके ऊपर। धन्यवाद की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं कि डी.सी.एम. जो सुप्रीम कोर्ट से अपने हक में फैसला करवा लाया यह कोई ऐसे ही नहीं हुआ। आपके ऊपर से लेकर नीचे तक, वकीलों के लिए तो अभी माननीय शिवनाथसिंहजी ने कह दिया लेकिन इसमें आपके विभाग के ज्यादातर आदमी और नगर निगम तो पूरा ही मानकर चलिये कि चाहे कांग्रेस का शासन रहा हो और चाहे आपका शासन रहा हो, डी.सी.एम. को उन्होंने हमेशा फैवर किया है। और अभी 3 महीने पहले का मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि कास्टिक सोडा यूनिट है डी.सी.एम. की वहां पर फर्टीलाइजर के साथ साथ, माननीय चतुर्वेदी साहब जानते हैं मशीन उन्होंने एक मंगवाई। 3 महीने से भी ज्यादा वह मशीन उनके यहां पर रही। लोगों का भी यह आरोप है और कई पार्षद जो कि निगम के इलैक्टेड मैम्बर्स हैं उनका भी आरोप है कि वह मशीन तो वहां पर फिट हो गयी और पुरानी मशीन कास्टिक सोडा की वहां से उठाकर गुजरात भेज दी गयी। राजस्थान म्युनिसिपैलिटी एक्ट की धारा 104 के तहत में नगर निगम किसी भी चीज को 7 रोज से ज्यादा रखने की इजाजत नहीं दे सकता वर्ना चुंगी लेनी पड़ेगी। लेकिन आप इजाजत दे सकते हैं और वह भी उस सूरत में दे सकते हैं कि जब मान लीजिये कि कोई बाढ़ आ गयी हो और मशीन रवाना नहीं हो सकती हो या ऐसी कोई घटना घटी हो जैसे आग लग गयी हो जिससे कि मशीन रवाना नहीं हो सकती। नगर निगम कोटा ने डी.सी.एम. के प्रति यह रुख अपनाया अभी 4 महीने पहले ही। जो डी.सी.एम. 15 करोड़ की डिक्री लाने वाला है 15 जुलाई को और नीलामी करवायेगा वहां 20 लाख रुपये की चुंगी उसमें बनती थी तो 20 साल रुपया जमा तो करवा दिया और कहा कि यह तो हम वैसे ही लाये थे और वैसे ही रखी थी।

यह तो गुजरात जानी थी मशीन और वह गुजरात चली गयी और वह 20 लाख रुपये वापिस लौटा दिये। तो डी.सी.एम. के प्रति यह जो रुख अपनाया गया है यह तो अभी का एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। यह शुरू से, सालों से उनके प्रति नरम रुख अपनाया गया है और इसी का परिणाम यह है कि डी.सी.एम. की इतनी हिम्मत हुई। यह जो आप बता रहे हैं कि उम्मेदपुरा के यह विधायक रहे हैं श्री रामकिशन जी बरसों से, यह जानते हैं कि स्थिति क्या है ?यह सीमा बिलकुल लगी हुई है, पंचायत का तो नाम है। 1961 में गवर्नमेंट आफ राजस्थान ने उद्योग लगाने के लिए डी.सी.एम. फर्टीलाइजर को जमीन दी थी और इण्डस्ट्रियल लैण्ड हो गयी। आबादी नगर निगम की सीमा से बिलकुल अड़ा दी गयी। अब टैक्निकल बात यह है कि यहां पर पंचायत की जमीन थी, यह पंचायत की जमीन कुछ

Page No 132

(132)

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

नहीं थी, यह तो बिलकुल वेरन लैण्ड थी जिसके आस -पास मीलों तक मकान नहीं थे, न पंचायत ने कभी पट्टे काटे, न पंचायत ने कभी कुछ डवलपमेंट करवाया। कुछ नहीं करवाया। यह तो बिलकुल इण्डस्ट्रियल एरिया की जमीन थी जो कि लगी हुई है। यह डी.सी.एम. टैक्निकली में मार करके नगर निगम पर अगर यह 50 करोड़ रुपये की लाइबिलिटी वाकई आ गयी, यह चैलेंज होगा। डी.सी.एम. वाले जरूर करेंगे इसको चैलेंज। अपन एक्ट बना रहे हैं निगम के फायदे के लिए, अपने बचाव के लिए और शहर के विकास के लिए, लेकिन यह जरूर चैलेंज होगा। अब चैलेंज होकर के मान लीजिये कि वह का वह फैसला हो गया, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो हैं, आप नहीं ले सकते। तो क्या होगा ? कैसे पायेंगे ? इस बात को भी सोचना पड़ेगा और कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा और यह मैं चतुर्वेदी साहब से भी निवेदन करुंगा, वरना हालत क्या होगी, कोटा शहर की, यह आप भी जानते हो अच्छी तरह से, अगर 50 करोड़ रुपये देने पड़ जाये तो। इन कारखानेदारों के प्रति, जिनका कि कोटा शहर के विकास में कोई ज्यादा योगदान नहीं है। कोटा शहर के डवलपमेंट की चीजों पर इन्होंने खर्च किया होगा तो मुश्किल से मामूली रकम खर्च की होगी और हल्ला किया होगा बहुत ज्यादा। इसमें कतई रियायत देने की आवश्यकता नहीं है। 20 लाख रुपये तो अभी वापस लौटा दिये आपने। इस चीज को कौन करता है यहां पर ?

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : बड़े, धारीवाल जी ने तो लगवायी है यह फैक्ट्री। यह चतुर्वेदी साहब जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : धारीवाल जी बिराजें।

श्री अर्जुन दास मदान (लाडपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय के लिए निश्चित रूप से मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है। दोनों गांव, उम्मेदगंज और रायपुरा, दोनों ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं और जिस प्रकरण का यह इश्यू चल रहा है यह भी मेरे विधान सभा क्षेत्र का है। मेरी समझ में यह नहीं आती, यहां पर आब्जेक्शन लगाये गये हैं कि इसको क्यों नहीं लागू किया गया। मैं उसका मानचित्र यहां तो नहीं बता सकता लेकिन इतना निवेदन करूं, जब 1960-61 में कोटा में औद्योगिकरण के विकास की थोड़ी सी बात चली, और तत्कालीन उद्योग मंत्री श्री धारीवाल जी ने जब लोगों को इस तरफ से आकर्षित करने का प्रयास भी किया, तो श्री राम रेयन्स की जो बसावट है वह श्री राम एस.सी.आई. से थोड़ी और आगे है। जे.के. की बसावट उससे थोड़ी और पीछे है। औद्योगिकरण के हिस्से में यह दोनों वार्ड, जिनकी आप बात कर रहे हैं, चाहे वह रायपुरा हो, चाहे उम्मेदगंज हो। दोनों नगर निगम के अलग-अलग वार्ड हैं। उम्मेदगंज का एक वार्ड है जहां से नगर निगम का पार्षद अलग आता है और रायपुरा का एक अलग वार्ड है जहां से नगर निगम का अलग पार्षद आता है। मुझे तो दुःख यह है कि जो लोग इसको लाने से पहले, नैतिक दायित्व ठीक है, हर आदमी पैसे के लिए करता है, उसमें दो राय नहीं। लेकिन जो धुआं, उपेक्षा या कठिनाई वहां का आदमी इस उद्योग के कारण से सहता है, मैं निवेदन करना चाहता हूं मान्यवर, कि यूरिया

(श्री अर्जुन दास मदान)

की गैस उड़ती है और लोगों के आंखों में पड़ती है, उसके बावजूद उन लोगों का जीना भी दुश्वार हो गया। लोग पलायन तक करते हैं, लोग वह झेल रहे हैं। लेकिन और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हो गयी कि 50 करोड़ के बाद आज नगर निगम की सारी असेट्स बेच भी दें, नीलाम भी कर दें तो भी उसके बाद में हम उसका चुकारा नहीं कर सकते। जिस दिन से यह आदेश पारित हुआ उस दिन से दो लाख रुपया प्रतिदिन चुंगी, जो डी.सी.एम. के मार्फत आती थी, वह बन्द हो गयी और परिणाम यह हो गया कि अगर यह नियम लागू नहीं होते और यदि इसमें कोई कठिनाई आयी तो नगर निगम तो जायेगी सो जायेगी, कोटा सम्पूर्ण का विकास बिलकुल अवरूद्ध हो जायेगा। इसके लिए जो कुछ नियम पारित किया गया है, मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरा तो आपसे भी यही निवेदन है कि इसको पारित किया जाय।

श्री रामकिशन वर्मा (रामगंजमण्डी) : पारित तो हम करवायेंगे मगर थोड़ी जानकारी तो बतायें।

उपाध्यक्ष महोदय, डी.सी.एम. प्रकरण इस कोटा में इतना चर्चित हो गया कि कोटा का नागरिक तो यह सोचने लगा कि जैसे डी. सी. एम. ने कोटा को खरीद लिया, नगर निगम को क्या खरीदा। और उसका नतीजा यह हुआ कि 1962 के अन्दर एक नोटिफिकेशन की जो कापी थी वह हमारी फाइल में से गायब हो गयी। उसका फायदा उठाकर यह सुप्रीम कोर्ट में गये और सुप्रीम कोर्ट में जाकर यह कहने लगे कि नगरपालिका का हिस्सा ही नहीं था। सच्चाई तो यह है कि जब यह फैक्ट्री लगी उस समय वहां पर एक जंगलात और एक शिकारगाह थी जिसे भड़क्या का तालाब और भड़क्या का नाला कहते थे। शहर से बहुत दूर पड़ता था। वहां पर यह फैक्ट्री लगी। उम्मेदगंज जो था वहां पर गधों का मेला लगता था, आज भी वह मेला लगता है। रायपुरा का जो इलाका था यह भी उसमें आता था। लेकिन 1970 के जो नगरपालिका के चुनाव हुए, उन नगरपालिका चुनावों में वहां से गुलाब चन्दजी शर्मा हमारे पार्षद थे और उन्होंने इस बात की चर्चा उस समय भी उठायी थी। उस समय में मैं पार्षद था। तो हमने इस बात को लेकर के इस बात का सर्वे भी किया कि यह जो डी.सी.एम. का इलाका है, उसकी जो रोड्स हैं, वह बनाये तो उसकी लाइट व्यवस्था भी डी.सी.एम. चालू करवाये। लेकिन उन्होंने नगरपालिका पर यह डाल दिया और हमने वह लाइटें करवायीं। इसलिये हम यह मानकर चलते हैं कि वह नगरपालिका का हिस्सा था। जिस प्रकार से यह सुप्रीम कोर्ट का डर दिखाया, कानूनू व्यवस्था के माध्यम से, कोटा नगर निगम को तहस नहस कर देना चाहते हैं, वहां का विकास रोक देना चाहते हैं, यह बिलकुल गलत बात है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि उस बात की भी जानकारी और उस बात की भी इन्क्वायरी होनी चाहिए कि 1962 के टाइम का जो नोटिफिकेशन था उसकी कापी कैसे गायब हुई। उन लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय। थोड़े बहुत लालच की खातिर लोगों ने इस कोटा को बरबाद कर दिया और आज बहुत सी बातें सामने आयी हैं कि लोगों को लगने लगा है कि आज जिस बात के लिए सोचा था इससे

(श्री रामकिशन वर्मा)

कोटा के लोगों को रोजगार मिलेगा लेकिन उसने बदले में दिया क्या है? गरीबी दी, भ्रष्टाचार दिया.

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री रामकिशन वर्मा : महंगाई दी। और प्रदूषण ऐसा फैलाया कि जीने के लिए वहां पर सांस लेने के लिए कोई आदमी चला जाय, तो अस्पताल में भर्ती हो जायेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, प्रदूषण के लिये, कि वहां पर अभी भी एक जगह गैस रिसाव हो गया था लेकिन वाह री सरकार, और सरकार के अधिकारी, और हमारे पुलिस अधिकारी, कि उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं करते, रिपोर्ट भी नहीं करते। यही हाल चम्बल फर्टिलाइजर में हुआ। उसकी भी रिपोर्ट नहीं की। इसकी भी जानकारी के लिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह अपने स्तर पर इन बातों की जानकारी करायें और यह वाकई नगर निगम का हिस्सा है, हिस्सा रहना चाहिए और पूरा रुपया इससे वसूल किया जाय। डेढ़ से दो लाख रुपये पर- डे का जो घाटा हो रहा है उसको मय ब्याज उससे वसूल किया जाय। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय धारीवाल साहब, अर्जुन दास जी मदान साहब, वर्मा साहब और हरिसिंह जी एवं अन्य माननीय सदस्यों ने सुझाव भी दिये और स्वीकार करने की अनुमति भी दी। वह बड़ी बात है। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप मेरा सहयोग करेंगे तो यह डी.सी.एम. क्या, कोई सी भी इण्डस्ट्री होगी जो नगर के अहित का काम करेगी या वह कोई एक्स्प्लोइरेशन करेगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री रामकिशन वर्मा : हमारे प्रश्नों के जवाब तो आ जायं।

विधेयक का पारण
राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक 1996

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 1996 को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

राजस्थान नगरपालिका (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक 1996 को पारित किया गया।

व्यवस्था

अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पर अध्यक्षीय व्यवस्था

अनुदान की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में गत कुछ वर्षों से अपनायी जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस सदन की परम्परा रही है कि जिसने भी कटौती प्रस्ताव, जिस दिन की मांग आती है, जो प्रस्तुत होते हैं, वे यह मान लिये जाते हैं कि सदन में पेश हो गये हैं और बोलने के लिए कटौती प्रस्तावों में से उन्हीं माननीय सदस्यों को इजाजत दी जाती रही है जिनके नाम विभिन्न दलों के सचेतक महोदय और मुख्य सचेतक महोदय

(श्री उपाध्यक्ष)

द्वारा आसन को प्रस्तुत कर दिये जाते हैं। जब मांग मतदान के लिए आती है उस समय भी स्वतः यह मान लिया जाता है कि वे कटौती प्रस्ताव जो प्रस्तुत किये गये हैं, वे वापस ले लिये गये हैं, यह परम्परा इस सदन की रही है। जिस माननीय सदस्य का नाम पुकारा जाये, वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य, जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें, वे भी अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाये गये प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मतदान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सकें, उनके लिखित उत्तर सम्बन्धित माननीय सदस्यों को सरकार की ओर से मिल जायें, ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री भंवरलाल शर्मा, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास मंत्री मांग संख्या 29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास विचार एवं मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षीय व्यवस्था शिरोधार्य है। आपने पुरानी परम्पराओं का हवाला दिया है, वह पूर्णतः परम्परा के अनुकूल नहीं है, अंशतः है। यह बात सही है कि जो कटौती प्रस्ताव दिये जाते हैं, उनको एक साथ प्रजेन्ट किया हुआ, इण्ट्रोड्यूज किया हुआ मान लिया जाता है और बोलने की अनुमति उन्हीं को दी जाती है जो विभिन्न दलों के सचेतक आपको सूची देते हैं। यह आज तक पहले कभी अध्यक्षीय व्यवस्था का पार्ट नहीं रहा, यह परम्परा ही रही है। जिस प्रकार की घोषणा आज आपने की है, यह तो मेरे ख्याल से, मैंने तो आज ही सुनी है। आपको अधिकार है कि आप उन माननीय सदस्यों की माननीय चीफ व्हिपों के द्वारा, सचेतकों के द्वारा सूची दी जाये, उसको आप मान्यता दें। लेकिन आपको यह भी अधिकार है कि जिन-जिन माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्ताव हैं, उनको भी आप अपने स्वविवेक से बोलने की अनुमति देते रहे हैं और आज आपने अध्यक्षीय व्यवस्था देकर अपने आप पर जो पाबंदी लगायी है, यह पूर्व परम्परा के अनुकूल नहीं है, विपरीत है। यहां हमेशा, 1967 से मैं देखता आया हूं कि कटौती प्रस्ताव वालों को भी अनुमति मिलती रही है और माननीय सचेतक महोदय की सूची तो सर्वोपरि रही है। पहले तो परम्परा यह भी रही है कि किसी भी माननीय सदस्य को यह पता ही नहीं होता था कि सचेतक महोदय ने किसका नाम लिया है और आजकल तो यह पता चल जाता है। आसन इस बात को प्रकट ही नहीं करता था कि उसके पास किसका नाम आया है। सारी जिम्मेदारी आसन अपने ऊपर ग्रहण करता था। सचेतक की कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी। आज उससे भिन्न बात है। आसन सर्वोपरि होता है, इसको कोई चुनौती नहीं देता। अब चुनौती लगने लग गयी। इसलिये मैं आपसे आग्रह करूंगा यह जो आपने व्यवस्था की है, माननीय सचेतक के द्वारा जो सूची दी गयी है वही हो उसी को पुकारेंगे और कटौती प्रस्ताव वालों के ऊपर आप कोई ध्यान देंगे ही नहीं, यह तो बड़ा कुठाराघात है। आप स्वविवेक से उनको भी अनुमति दीजिये और सचेतकों की सूची को तो आप भी वरीयता

(श्री रामनारायण चौधरी)

दीजिये, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनको भी जिन्होंने कटौती प्रस्ताव दिये हैं, फिर बाद में कटौती प्रस्ताव देगा कौन, इसकी जरूरत ही क्या रहेगी, कौन अपने प्रस्तावों को देगा, जिसकी यह गति हो जायेगी कि उनको तो कोई बोलने का अधिकार ही नहीं है, दुर्गति हो जायेगी। फिर तो कंट्रीब्यूशन क्या होगा उन कटौती प्रस्तावों का, क्या रूलिंग रहेगी यहां हाउस के अन्दर, न इधर से कटौती प्रस्ताव, न उधर से कटौती प्रस्ताव आयेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : समझ गया आपकी बात।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : एक मिनट, मैं भी अर्ज करना चाहता हूं, जो कोई भी विषय सदन के समक्ष आता है, चाहे माननीय सदस्य दें अथवा बोलने का अवसर हमारे सचेतक दें, उन तक तो बात ठीक है लेकिन जो विषय सदन में आता है उस पर किसी माननीय सदस्य को कोई खास ही महत्वपूर्ण बात कहनी होती है तो वह फिर कैसे कहेगा। यह तो ठीक है सुविधा के लिए कटौती प्रस्ताव देते हैं आम तौर से वह बोलते हैं। वह भी नहीं, आपने यह व्यवस्था कर दी कि इनको मौका मिलेगा लेकिन तत्काल कोई प्रश्न खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर किसी माननीय सदस्य को राय देनी होती है तो दे ही नहीं सकेगा क्या?

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह की परिस्थिति आयेगी तो विचार कर लिया जायेगा।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है। चौधरी साहब ने जो कहा है, इस तरह की घोषणा हमेशा अध्यक्ष पद से होती रही है। यह नयी बात नहीं हुई है। लेकिन यह भी सही है कि इसके बावजूद अध्यक्ष को यह पूरा अधिकार है कि कटौती प्रस्ताव वाले या अन्य कोई भी सदस्य, जैसा माननीय विश्नोई जी ने कहा कि यदि किसी महत्वपूर्ण बात को कहना चाहें, तो उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। अध्यक्ष के विवेक पर है, उनको भी इजाजत दे सकते हैं। यह बात भी निवेदन करना चाहूंगा, जो रामनारायण जी ने कहा है। यहां पर भले ही सचेतक सूची भेजें लेकिन अंततोगत्वा विवेक अध्यक्ष का ही है। यह आवश्यक नहीं है कि आप जो सूची दें उसी के अनुसार काम करें। आप चाहें और बीच में उचित समझें तो किसी और को भी बोलने के लिए कह सकते हैं। सूची में किसी का नाम हो उसको आप चाहें तो ड्राप भी कर सकते हैं। यह बंधन नहीं है, सुविधा की बात है लेकिन जो अध्यक्ष को अधिकार रूल्स में हैं वह इंटेक्ट हैं।

उसमें कहीं भी इस प्रकार की घोषणा से विपरीत असर नहीं पड़ता है। यह सुविधा की बात है, सामान्य परम्परा की बात है लेकिन अध्यक्ष को जो भी अधिकार रूल्स में हैं वह बिलकुल इंटेक्ट हैं। अध्यक्ष जिस किसी भी माननीय सदस्य को बुलाना चाहे, उनको बुलाने की इजाजत दे सकता है। जिनको वह नहीं चाहे उनको बोलने की इजाजत नहीं भी दे सकता है। इसलिये यह केवल सुविधात्मक है। इसका रूल्स पर कोई भी असर नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : ......उन्हीं की सूची से बुलाया जायेगा, अध्यक्ष महोदय ने अपने अधिकार फोरगो कर दिये, चेयर ने सारे

(श्री रामनारायण चौधरी)

फोरगो कर दिये। अध्यक्षीय व्यवस्था में यह डाइरेक्शन आज देने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : पहले भी कटौती प्रस्ताव आते थे, वे हमेशा देते हैं, कोई नयी बात नहीं है। यह तो हमेशा देते ही हैं।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी यह महसूस करता हूं कि आज अध्यक्षीय व्यवस्था देने की विशेष परिस्थति बन गयी ? अब आपने तो हमें बांध दिया। आपने पूर्ण रूप से हमारे भाग्य को सचेतक महोदय के हाथों में दे दिया। यद्यपि हमें उन पर विश्वास है और वह हमारे साथ न्याय करते हैं। अब कटौती प्रस्ताव तो मात्र औपचारिकता हो गयी। मियर फारमलिटी हो गयी। कटौती प्रस्ताव जिन्होंने दिये हैं, उनको बोलने का अधिकार तो रहा नहीं और उससे भी महत्वपूर्ण है कि सरकार की तरफ से उन कटौती प्रस्ताव के उत्तर अभी तक तो आते नहीं थे। और इसलिए इस विषय में तो कृपया स्पष्ट रूप से निर्देश दीजिये कि कटौती प्रस्ताव, जो माननीय सदस्य देते हैं उनके उत्तर निश्चित रूप से सरकार एक समयबद्ध सीमा में दे। छह-छह महीने और एक-एक साल बाद देने में कोई फायदा नहीं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : कई मंत्री तो दूसरे दिन ही देते हैं। दूसरे दिन ही जवाब दे देते हैं। (व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अभी कटौती प्रस्ताव के बारे में आपने फरमाया, उसके मुताबिक निवेदन है कि हम हमेशा जो सूची देते हैं उसमें वह ध्यान रखते हैं कि जो पहले बजट की आम बहस पर बोल गये हों, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोल गये हों, और भी कोई विषय लाकर बोल गये हों, और कुछ ऐसे माननीय सदस्य हैं जो बहुत कम भाग लेते हैं और खास विषय के ऊपर, या जिस इलाके से वे आते हैं उन विषय पर ही वे आम तौर पर बोलना चाहते हैं तो यह सूची इसलिए हम देते हैं दल की तरफ से ताकि जिनको पहले कभी मौका नहीं मिला है उनको पहले मौका मिलना चाहिए। और इसलिये यदि आप यह नहीं रखेंगे तो वे माननीय सदस्य जो, मना तो नहीं कर रहे हैं लेकिन आखिर पांच बजे तक हरेक यह चाहता है कि उसका नाम आना चाहिए क्यों कि तब तक प्रेस बैठी रहती है और उसको अगर मौका नहीं मिलेगा तो यह सब झगड़े मेरे ऊपर और जैन साहब तो यहां है नहीं, उन पर पड़ते हैं। इसलिये आपसे यह निवेदन है कि या तो यह सूची वाला मामला हटा दीजिये और आपके कटमोशन के हिसाब से जो लिस्ट बनती है, उस लिस्ट के अनुसार ही बुलवा लें।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य सचेतक महोदय का क्या महत्व है, क्या रहेगा ?

श्री खेतसिंह राठौड़ : मुख्य सचेतक का महत्व नहीं है, तो माननीय उपमुख्य मंत्री जी ने हमारे तो उसके ऊपर पानी फेर दिया कि जब भी चाहे अध्यक्ष महोदय, जिस किसी को चाहे, उसको बुलवा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मुख्य सचेतक का पूरा सम्मान किया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री खेतसिंह राठौड़ : वे हमारा गला पकड़ लेंगे कि नहीं।

श्री हरिशंकर भाभड़ा : आपकी सूचियां अध्यक्ष महोदय को बांध नहीं सकती।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नियम विरुद्ध है यह बात। मैं आपको निवेदन करता हूं कि मंत्री किस बात का उत्तर देंगे। अगर कटमोशन गये हैं तब तो उसकी तैयारी करके वे आयेंगे कि किस विषय के ऊपर चर्चा होगी और पाइंटेडली कौनसा सुधार चाहते हैं। यहां माननीय सदस्य तत्काल कोई विषय बोल देंगे, मंत्री उसका क्या जवाब देंगे। (व्यववधान) नहीं नहीं, चिन्ता हमारे को है। हम चाहते हैं, उनका दृष्टिकोण क्या है, वह हम चाहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : यह परम्परा भी गलत है कि हम कटौती प्रस्ताव जल्दी से जल्दी प्रायोरिटी प्राप्त करने के लिए देते हैं और इसलिए देते हैं कि टाइम पर सरकार के पास चले जाये तो और सरकार उन कटौती प्रस्तावों के बारे में अपनी राय बनाकर, अपना उत्तर बनाकर, तैयार होकर विधान सभा में आये और मान्यवर, आपने व्यवस्था यह दे दी है कि जल्दी से जल्दी वह उत्तर हमें भेज देंगे तो हम तो हाउस में चाहते हैं। हमारे घरों पर जायेंगे छह महीने बाद। हम तो सदन के अन्दर उनसे उत्तर चाहते हैं, चाहे वह संक्षेप में दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : जिनको समय नहीं मिल पायेगा, या जो बोल नहीं पायेंगे उनके उत्तर भेज दिये जायेंगे।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आसन अपने विवेक से करे। जो माननीय सदस्य बैक-बैंचर हैं यदा-कदा बोलते हैं या वे ज्यादा उम्र हैं या अपनी बात तत्परता से कहना चाहते हैं वह आपको सब अधिकार है बुलाने का ...

श्री रामनारायण चौधरी : इसलिए बांधिये मत अपने अधिकारों को, हम तो आपको...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवरलाल जी पेश करिये।

श्री खेतसिंह राठौड़ : उसका क्या रहा सूची हम देवें कि नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : सूची देनी पड़ेगी।

श्री खेतसिंह राठौड़ : अगर हम सूची देंगे तो आम तौर पर आप सूची के हिसाब से...

श्री उपाध्यक्ष : आसन को आप जैसा सहयोग देते रहे हैं, वैसा सहयोग देते रहें (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं तो आसन अपने आप में (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : जो 40 साल तक चला है सदन, वह कौनसी कठिनाई आ रही है। वही व्यवस्था चलाये जाओ। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : आपसे सहयोग भी वैसा ही मिलता रहे जैसा आप हमसे चाहते हैं। (व्यवधान)

आय-व्ययक (बजट) 1996-97 :
द्वितीय अवस्था
मांग की प्रस्तुति
मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

श्री भंवरलाल शर्मा (नगर आयोजना मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कि मांग संख्या 29 - नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 60 करोड़ 78 लाख 33 हजार तक की राशि, जिस में लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ।

मांग संख्या - 29 पर कटौती प्रस्ताव

नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय, इस आशाय के प्रस्ताव निम्नांकित सदस्य प्रस्तुत करेंगे/करेंगी कि :—

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा)

1. नगरपालिका ब्यावर के चारों तरफ बसी ग्रामीण क्षेत्र की बस्तियों को पेराफेरी नियमों से निकालने के बावजूद भी नगरपालिका को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।
2. विजयनगर (अजमेर) नगरपालिका क्षेत्र में सुलभ काम्लेक्स निर्माण नहीं कराने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।
3. नगरपालिका क्षेत्रों में सफाई कार्य ठेके पर देने पर आने वाली कठिनाइयों के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।
4. नगरपालिका विजयनगर (अजमेर) में सफाई कर्मचारियों की कमी के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।
5. विजयनगर (अजमेर) नगरपालिका के क्षेत्र का विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)

6. ब्यावर नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों की कमी के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।
7. ब्यावर नगर का नया टाउन प्लान बनाने में जन प्रतिनिधियों का सहयोग लिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

8. नगरपालिका लाडनूं द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन के बिना ही निर्माण कार्य कराये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।
9. जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत योजना क्वीन्स रोड पर खातीपुरा फाटक तक हो रहे अतिक्रमण को नहीं हटाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान की राशि के औचित्य पर चर्चा के लिये।
10. नगर निगम, जयपुर द्वारा हरिजनों व अन्य कर्मचारियों की नियुक्तियों में अनियमितताएं बरतने व राज्य आदेशों की अवहेलना करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।
11. नगर पालिका लाडनूं जिला-नागौर द्वारा फरवरी, 1996 में अनियमित तरीके से टेण्डर लेने व मंजूर करने पर भी उसे दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।
12. नगर निगम, जयपुर द्वारा अनधिकृत

(श्री हरजीराम बुरड़क)

वाणिज्यिक परिसरों के निर्माण पर रोक नहीं लगाने पर भी उन्हें दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

13. झुंझुनूं शहर के लिये टाउन प्लानिंग की योजना की स्वीकृति में हो रही देरी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

14. नगर सुधार न्यास, अजमेर द्वारा श्री जय नारायण आबूसरिया की भूमि कालोनी बसाने के लिये अवाप्त कर उसे एग्रीमेंट के अनुसार डवलप्ड प्लाट न देने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मण सिंह रावत (भीम)

15. देवगढ़ नगर में 1972-73 में अवाप्त भूमि को पूर्व खातेदार को देने से उत्पन्न जनाक्रोश पर चर्चा के लिये।

16. ब्यावर नगर में अवैध रूप से आवासीय मिशन कम्पाउण्ड जमीन पर व्यावसायिक भवन व अनधिकृत होटल बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

17. ब्यावर नगर के मास्टर प्लान के विपरीत अवैध निर्माण होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर)

18. तारानगर नगरपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भीमसेन चौधरी (लूणकरणसर)

19. बीकानेर के पुराने बस अड्डे के पास निर्मित दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार एवं धांधली होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही)

20. शिवगंज बस स्टेण्ड पर यात्री सुविधा के लिये सुलभ शौचालय का निर्माण एवं जन सुविधा सुलभ नहीं करवाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

21. सिरोही नगरपालिका क्षेत्र में महिलाओं के लिये शौच जाने हेतु सुलभ शौचालय बनवाने में असमर्थ रहने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

22. शिवगंज नगर के मौहल्लों में सड़क एवं नाली निर्माण तथा आकरिया मौहल्ला में सड़क एवं नाली निर्माण तथा कब्रिस्तान रोड पर नाला निर्माण नहीं कराये जाने पर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

23. सिरोही नगर पालिका क्षेत्र में सड़कों एवं नालियों की हो रही टूट फूट की मरम्मत करवाने एवं देवनगरी, रबारीवास तथा सादुलपुरा में सड़क एवं नाली निर्माण नहीं कराने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई)

24. टोंक नगर की विभिन्न गलियों में सड़कें व नालियों के अभाव पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

25. टोंक नगर में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा बनाये गये घटिया फ्लैट्स को आबंटितों द्वारा लेने से इन्कार करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

26. भगत सिंह कालोनी, निवाई में अनुसूचित जाति के मौहल्ले में सड़कें नहीं बनाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

27. नगरपालिका, निवाई द्वारा विकास के कामों में अनियमितता बरतने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

28. बून्दी नगरपालिका क्षेत्र में हो रहे योजनाबद्ध अवैधानिक निर्माण को रोकने में असफल होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह (कुम्हेर)

29. कुम्हेर नगरपालिका क्षेत्र में सड़कों की दुर्दशा के सुधार में असफल रहने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

30. राजस्थान में चुंगी समाप्त किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. नगरपालिका तथा अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं को राजस्थान सरकार से देय अनुदान को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन)

32. नगरपालिका लाखेरी, कापरेन एवं केशवराय पाटन में हो रहे अतिक्रमण को विशेष अभियान चलाकर हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

(1) श्री मांगीलाल मेघवाल (केशोरायपाटन) एवं

(2) श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी)

33. नगरपालिका केशवराय पाटन, कापरेन व लाखेरी में अनुसूचित जाति के वार्डों में पेयजल-पाइप लाइन व नालियां बनाने में असफलता पर भी इन नगर पालिकाओं को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

34. बून्दी जिले को केशवराय पाटन, कापरेन, लाखेरी, इंद्रगढ़, नैनवा एवं बूंदी नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में खरन्जा व सड़कें बनाने में असफल रही उस पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

35. बूंदी जिले की कापरेन नगरपालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डों-बालापुरा, ढोमली, हांडिया खेडा, टाकरवाड़ा आदि में नागरिकों के लिये आवागमन सुविधा न होने से उत्पन्न समस्या का निदान न करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री भीमराज भाटी (पाली)

36. नगर परिषद पाली को बाग-बगीचे एवं खेलकूद पार्क विकसित करने में असफल

(श्री भीमराज भाटी)

रहने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

37. पाली नगर परिषद में बढ़ी हुई जनसंख्या के अनुपात में सफाई कर्मचारी नहीं बढ़ाये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

38. प्रदेश में चुंगी-कर समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण)

39. जयपुर नगर की ग्रीनबैल्ट में सुरक्षित रखे जाने हेतु योजना बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. जयपुर नगर के पृथ्वीराज नगर में अधिकांश बन चुके मकानों को नियमित न किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

41. जे.डी.ए. क्षेत्र में ग्रामीणजनों की जमीनों पर ग्रामीणों के विकास हेतु स्कूल अस्पताल, भवन, सामुदायिक भवन आदि की सुविधा न देने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

42. जयपुर नगर के मास्टर प्लान की स्वीकृति के बाद अलग से नया जयपुर या करघनी योजना बनाकर किसानों को अवाप्त भूमि का उचित मुआवजा न दिये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

43. राजस्थान में नगरों के नियोजित विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल शर्मा (धौलपुर)

44. धौलपुर नगरपालिका की जीप का दुरूपयोग किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

45. धौलपुर नगर पालिका में सड़कों की मरम्मत, सफाई, रोशनी व्यवस्था सुधारने में विफल रहने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर)

46. नगर निगम, जयपुर द्वारा भयंकर अनियमितताएं बरते जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

47. नगरपालिकाओं द्वारा वसूली जा रही चुंगी समाप्त करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. जयपुर विकास प्राधिकरण में भयंकर अनियमितताएं बरते जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

49. स्वायत्तशासी संस्थाओं में व्याप्त अव्यवस्था में सुधार न होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

50. जयपुर के मास्टर प्लान तथा उससे उत्पन्न समस्याओं के उचित समाधान नहीं करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

Page No 143

(143)

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

51. जहाजपुर नगर का मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा)

52. गंगापुर (भीलवाड़ा) कस्बे का मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई)

53. नगरपालिका टोंक, निवाई, मालपुरा, देवली, उणियारा एवं टोडारायसिंह में सीवरेज लाइन न बनाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा)

54. प्रदेश के नगरों के अनियमित नियोजन से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा के लिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (माण्डल)

55. राजस्थान में विभिन्न नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों द्वारा वसूल की जाने वाली चुंगी की दरें अलग-अलग होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. भीलवाड़ा नगर परिषद द्वारा चुंगी वजन पर नहीं लेकर अलग-अलग किस्मानुसार व तौल के अनुसार वसूल करने के कारण हो रहे भ्रष्टाचार पर रोक न होने के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

57. नगर परिषद, भीलवाड़ा एवं नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा द्वारा कराये जाने वाले निर्माण कार्यों (एक ही नगर में) की दरों में भारी अन्तर होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण)

58. उदयपुर नगर विकास प्रन्यास द्वारा अनधिकृत कब्जों को हटाने में असफल होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री गोपीराम जाट (आमेर)

59. जयपुर शहर में मनोरंजन हेतु सिनेमा गृहों के लिए सस्ती दरों पर आवंटित की गई भूमि पर अधिक मुनाफा कमाने हेतु व्यावसायिक केन्द्रों का निर्माण कराये जाने की अनुमति देने पर भी जे.डी.ए. एवं नगर निगम को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

60. विश्वकर्मा रोड नं. 12 से हरमाड़ा घाटी एवं टोडा चुंगी चौकी तक रोड लाइट लगाने में नगर निगम की असफलता पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

61. नगर निगम, जयपुर में वार्ड नं. 53 पीली की तलाई, जाजोलाई की तलाई में रोड लाइट के खम्बे खड़े हैं, लेकिन तार लगाकर रोड लाइट न लगाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

62. नगर निगम, जयपुर द्वारा कनक वृन्दावन से आमेर गांधी चौक तक आधी से ज्यादा बन्द रोड लाइट्स को ठीक कराने में, उसे बदलने में असफलता के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

63. आमेर में बढ़ते हुए पर्यटकों को ध्यान में

(श्री गोपीराम जाट)

रखते हुए वाहनों को खड़ा करने के लिए पार्किंग स्थल बनाने में नगर निगम की असफलता पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर)

64. यू.आई.टी. द्वारा पिछोला व फतहसागर व विरुप सागर, जय समुद्र पर अवैध रूप से होटल निर्माणों को इजाजत दिये जाने पर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

65. उदयपुर नगर में यू.आई.टी. के क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जे किये जाने पर कोई कार्यवाही न करने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

66. दूध तलाई के रास्ते में हैंडी क्राफ्ट्स वालों को दुकानें दी गई उनकी नियमित करने में किये गये भ्रष्टाचार से उत्पन्न जनाक्रोश के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

67. उदयपुर का मास्टर प्लान पास कराने में नगर परिषद की असफलता से उत्पन्न समस्या पर चर्चा के लिये।

68. यू.आई.टी. उदयपुर द्वारा पारस सिनेमा, पारस होटल तथा उसके पीछे एक मिनी थिएटर के लिए आबंटित भूमि में बरती गई अनियमितता पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली)

69. आवासन मण्डल की जमीन सांगानेर को चतुर्थ योजना, ग्राम दुर्गापुरा चैनपुरा टोंक रोड खसरा नं. 265 से 270 पर जे.डी.ए. द्वारा कब्जा कर लेने के बाद भी मण्डल को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

70. कोटा शहर के सूरजपोल गेट के पास असगर अली वगै. को निर्माण की इजाजत देकर भी निर्माणाधीन तामीर को तोड़ने से उत्पन्न जनाक्रोश के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

71. गोकुल वाटिका गृह निर्माण समिति, जयपुर की जमीन जो जे.डी.ए. ने ग्राम चैनपुरा खसरा नं. 44-45 वगै. अवाप्त कर ली थी तथा जिस पर जे.डी.ए. ने जयपुर सर्किल बनाया उस जमीन के बाबत हुई अनियमितताओं को रोकने में विफलता के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

72. कोटा नगर निगम द्वारा 1996 में विभिन्न खरीददारियों का वार्षिक अनुबन्ध करने में हुई अनियमितताओं के बावजूद दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)

73. अजमेर शहर की नगर विकास न्यास की आवासीय योजनाएं अब तक पूर्ण नहीं होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

74. जयपुर नगर विकास प्राधिकरण द्वारा हाथ में ली गयी कालोनियों में मूलभूत आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने में

(श्री विष्णु मोदी)

असफल रहने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

75. नियमित कालोनियों में अवैध निर्माण कार्यों को रोकने में संबंधित निकाय के विफल रहने पर भी उन्हें दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

76. सार्वजनिक पार्कों को पूर्णरूपेण विकसित करने एवं उनमें अवैध निर्माण कार्यों को रोकने में विफल रहने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा)

77. आवासीय क्षेत्रों में बिना रोक टोक वाणिज्यिक उपयोग से राजस्व हानि व दोषपूर्ण नगरीय विकास पर भी निकायों को दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

78. उदयपुर नगर परिषद सीमा में बसी हुई कच्ची बस्तियों, कृषि भूमि पर किये गये निर्माणों को नियमित किये जाने में असफल होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

79. दोषपूर्ण नियोजन के कारण पनपी कच्ची वस्तियों व इनके नियमन में विफल रहने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

80. अतिक्रमणों व अवैध निर्माणों के विरूद्ध अकर्मण्यता, भेदभावपूर्ण नीति एवं प्रभावशाली लोगों को संरक्षण देने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

81. भवन निर्माण नियमों की अस्पष्टता, बार-बार परिवर्तन व इनके पालन पर जोर नहीं देने के कारण बेतरतीब वस्तियों की बसावट से नारकीय जीवन यापन को रोकने में असफलता के बावजूद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर)

82. नगर परिषद्, गंगानगर की सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं होने के बाद भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

83. नगर परिषद, गंगानगर में व्याप्त भ्रष्टाचार के उपरान्त भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

84. नगर विकास न्यास, गंगानगर में व्याप्त भ्रष्टाचार पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर)

85. श्री वर्धमान पार्श्वनाथ जैन चैरिटेवल ट्रस्ट द्वारा आँखों का अस्पताल निर्माण हेतु अभी तक भी नक्शा पास करके स्वीकृति नहीं देने से इस पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

86. ब्यावर नगर में वेस्टर्न प्रेस से नगर परिषद की जमीन से सीधी सड़क निकालने के बारे में मोहम्मद अली स्कूल के स्वीकृत नक्शे के विपरीत व्यवसायिक काम्पलेक्स स्वीकृत करने पर दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई)

87. नगर आयोजना विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों का क्रियान्वयन नहीं होने पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर)

88. जोधपुर शहर में कन्दोई बाजार से आडा बाजार तक, जालोरी गेट से मूलजी की होटल तक वाया पूंगल पाडा तक, हाथीराम के हौदे से जालोरियों के बास तक वाया दाऊजी के द्वार तक सड़कें अपूर्ण तथा क्षतिग्रस्त होने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

89. जोधपुर शहर के तालाबों एवं नहरों पर किये गये अतिक्रमण एवं उनमें भरे गये कचरे के सम्बन्ध में कारगर कार्यवाही नहीं किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

90. जोधपुर शहर में नगर निगम कार्यालय हेतु नवीन भवन नहीं बनाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)

91. राज्य में कृषि भूमि का आवासीय रूपान्तरण होने पर नगर व महानगरों की स्थिति विकृत होने पर भी कारगर उपाय नहीं किये जाने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

92. जोधपुर पूर्व एवं पश्चिम पाल योजना में किसानों की उपजाऊ भूमि मुक्त नहीं कराने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिए।

93. जोधपुर का नया मास्टर प्लान बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द)

94. नगर पालिका राजसमन्द द्वारा जे.के. टायर फैक्ट्री से चुंगी नहीं वसूलने पर भी दिये जाने वाले अनुदान के औचित्य पर चर्चा के लिये।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)

95. जोधपुर पाल पूर्व एवं पश्चिमी योजना को सिंचित कृषि योग्य भूमि को न्यास से मुक्त कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरडक। (अनुपस्थित) श्री शैलेन्द्र जोशी।

मांग संख्या 29 पर विचार

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, नगर आयोजना की मांग संख्या 29 के अन्तर्गत कट मोशन के फलस्वरूप में बोल रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि जयपुर शहर में जिस तरीके से अतिक्रमण हो रहा है, उससे जयपुर शहर, जो कि विश्व विख्यात शहर है, की छवि नष्ट होती जा रही है। जयपुर शहर में तहखानों के निर्माण पर सख्त पाबंदी है लेकिन नगर निगम ने जान बूझ कर जयपुर शहर में एक नहीं, हजारों तहखानों के निर्माण पर एक तरह से देखी-अनदेखी कर रखी है। यही नहीं, इसके अलावा जयपुर शहर के अन्दर मल्टी स्टोरिज जो काम्पलेक्स बन रहे हैं, कार्मशियल काम्पलेक्स जिन में कि पार्किंग प्लेस नहीं है और जो बिजी मार्केट में हैं, उसके बाद भी उन का निर्माण मात्र इसलिए किया जा रहा है कि उनसे शासन में रहने वाले लोगों को , राजनीति में रहने वाले लोगों को काफी

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

भारी रकम मिल रही है और इसका परिणाम यह है कि जयपुर शहर आज फुटपाथ पर चलने लायक नहीं रह पा रहा। जयपुर शहर में कोई भी आदमी अपनी पार्किंग की व्यवस्था नहीं देख पा रहा, कोई नागरिक सही ढंग से नहीं रह पा रहा और प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि जयपुर शहर में मयूर टाकीज के सामने एक जमीन है जो पहले पार्किंग प्लेस के लिए थी। उसको मात्र सवा रुपये में दे दिया गया जबकि वह पांच करोड़ रुपये की है और उसका जो क्षेत्रफल है वह 110 स्क्वायर गज है। माननीय मंत्री महोदय द्वारा जो यह पांच करोड़ की जमीन सवा रुपये में दी गयी, इसके लिए किसी तरह की कोई भी कानूनी वैधानिकता की बाध्यता नहीं दी थी कि वह दी जाय। न ही कोई लीगल इम्पोजीशन था। लेकिन इस तरह की व्यवस्था की गयी। मेरा निवेदन करना यह है कि यह सवा रुपये में पांच करोड़ की जमीन दी, इस मामले में लोकायुक्त महोदय के पास भी प्रकरण चला।

श्री कालीचरण सराफ : किस को दी ? आप ही ढूंढ कर लाये हो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह आप लोगों को ज्यादा मालूम है या मेरे को ? मेरे को तो मालूम है, छंगामल को दी। आप यह चाहते हो कि आपके ही कारनामों को मैं ज्यादा उजागर करूं, यह नहीं है। आप लोग टोके नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : देखिये, माननीय सदस्य, जोशीजी, केवल पांच मिनट का समय है आपके पास।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सर, वह मेरे को आपत्ति कर रहे हैं, वह चाहते हैं कि...

श्री उपाध्यक्ष : नहीं-नहीं, आप इधर देखिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हां, मैं आप ही की तरफ देख रहा हूं। मेरा निवेदन करना यह है कि इसी तरह राजस्थान के अन्दर जो नेहरू रोजगार योजना चलायी गयी नगरपालिका क्षेत्र में, इसकी उपलब्धि कई जगह सौ प्रतिशत है। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि जयपुर नगर निगम में 2 से 7 प्रतिशत यह उपलब्धि है, जिसको कि सारस्वत योजना कहते हैं। और एक यह सारस्वत योजना, जिसमें कि आवास, आश्रय, उन्नयन योजना है इसमें सरकार गारंटी के बिना केन्द्रीय सरकार अपना अनुदान नहीं दे रही है और केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार की गारण्टी ले, इसके लिए वित्त विभाग कई तरह की अड़चने लगा रहा है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि नेहरू रोजगार योजना जिसमें कि कई जगह सौ प्रतिशत की उपलब्धि है, उसके लिए आयी हुई दिक्कतें, यह भी दूर करें। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करूंगा और गयी बार भी मैंने कहा था कि सवाई माधोपुर नगर पालिका में जिस ठेकेदार ने चुंगी के बारे में अव्यवस्था की थी और उसके लिए मैंने ध्यान दिलाया था, फिर भी माननीय मंत्री महोदय द्वारा स्थगन कर दिया गया था और उसको मासिक किश्तों के लिए कह दिया गया था कि स्थगन किया जाता है और हर माह वह एक किश्त देता रहेगा। वह ठेकेदार भाग गया और 12 लाख रुपये की किश्तें बकाया रह गयीं जिसके लिए

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

कोई भी प्रावधान नहीं है। इस तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जब आप नोटिफिकेशन के द्वारा ही काम चला लेते हैं माननीय मंत्री महोदय, तो आपको अमेण्डमेंट कराने की कोई आवश्यकता ही नहीं है।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं एक निवेदन यह भी करना चाहूंगा कि यह जो जयपुर में फोगिंग हुआ, यह फोगिंग इसलिए भी हुआ कि मलेरिया निरीक्षक नाम का एक पद सृजित कर दिया गया है जबकि मलेरिया निरीक्षक नाम का कोई पद नगर निगम में या कहीं भी एग्जिस्टेंस में नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि जिस व्यक्ति को मलेरिया निरीक्षक के नाम से अपाइंट किया गया है वह आदमी पूर्व में जमादार था, बाद में उसको एलडीसी. बनाया गया और उसके बाद उसको मलेरिया निरीक्षक बना दिया गया। एक नान टैक्नीकल आदमी को आपने मलेरिया निरीक्षक बना दिया। परिणाम यह रहा कि नगर निगम ने जिस तरीके की फोगिंग की, जिसके कारण सवाई मानसिंह अस्पताल में तीन हजार व्यक्ति भर्ती हुए। इस मामले को बहुत गम्भीरता से लिया गया और माननीय लोकायुक्त महोदय के पास जब यह अपाइंटमेंट का मामला पहुंचा...

श्री कालीचरण सराफ : ऐसा है, मैं आपको बताऊं, सवाई मानसिंह अस्पताल में तो केवल 118 आदमी भर्ती हुए थे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ऐसा है, आप यही कहेंगे। रामगंज के लोग तो आपको 118 नहीं, 18 ही दिखेंगे।

श्री कालीचरण सराफ : तीन हजार नहीं थे, 118

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको तो 2 ही दिखेंगे रामगंज के लोग, अब आप मत बोलिये। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि लोकायुक्त महोदय के पास जब यह प्रकरण पहुंचा और नान टेक्निकल आदनी और अन्य अनेक आदमियों की नियुक्ति मामला पहुंचा तो यह नोन टेक्निकल आदमी था मुनव्वर। इसके खिलाफ फाइण्डिग दी गयी इसको रिवर्ट करने की और साथ ही इसको जो नियुक्त किया गया, उन तीनों अधिकारियों को सस्पैण्ड करने के लिए भी प्रावधान किया लोकायुक्त महोदय ने। जो लोकायुक्त महोदय ने यह फाइण्डिग दी, इस फाइण्डिग में दो तो प्रशासनिक अधिकारी थे, एक रिटायर हो गये और एक प्रशासनिक अधिकारी जो रिटायर हुए उनको एक बोनस दे दिया और उनको महा नगर निगम के महापौर द्वारा प्रिंसीपल प्राइवेट सैक्रेटरी बना दिया गया। इसके अलावा यह भी निवेदन है कि दोषी व्यक्तियों को नौकरी पर से सस्पैण्ड किया नहीं गया, फिर यह फाइल लोकायुक्त से चीफ मिनिस्टर साहब के पास गयी, उन्होंने भी यही फाइण्डिग दी कि दोनों प्रशासनिक अधिकारियों को सस्पैण्ड किया जावे और मुनव्वर खां, जो नान टैक्नीकल आदमी हैं जो मलेरिया इन्सपेक्टर की पोस्ट पर है, जिस पर फोगिंग की जिम्मेदारी है, उसको हटाया जावे। उसके बाद भी उसको तो रिवर्ट नहीं किया गया बल्कि इन दोनों व्यक्तियों को जयपुर शहर में बड़ी अच्छी पोस्टिंग दे दी गयी।

इस तरीके से माननीय मंत्री महोदय के द्वारा इस तरह का कोई भी कार्य नहीं किया

Page No 149

(149)

श्री शैलेन्द्र जोशी)

गया जो कि लोकायुक्त ने अपने निर्णय में कहा, जो कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा बल्कि यह फाइल, बजाय इसके कि एक्जीक्यूशन हो, इम्प्लीमेंटेशन हो, वापस एक सर्किल में घूम रही है कि किसी भी तरह कोई भी एक्शन नहीं लिया जाय। इस तरीके से जब नान टैक्निकल स्टाफ के लोग इस तरीके के आयेंगे, वह टैक्निकल काम करेंगे तो रिजल्ट यही होगा जो रामगंज बाजार में हुआ। लोकायुक्त महोदय की आपत्ति के बाद, चीफ मिनिस्टर साहब की आपत्ति के बाद कि उनको सस्पैण्ड करो, माननीय मंत्री महोदय पता नहीं क्यों उनको सस्पैण्ड नहीं कर रहे हैं। उनको जयपुर शहर में कलक्ट्रेट में एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट बनाकर बैठा रखा है। उनको नगर निगम में कमिश्नर बनाकर बैठा रखा है। उनको महापौर का प्रिंसीपल प्राइवेट सैक्रेटरी बना कर रख रखा है। माननीय मंत्री महोदय, मैं नहीं चाहता कि मैं उनके नाम लूं क्योंकि आपको मालूम है, जिनको बचाया जा रहा है उनके नाम क्या क्या हैं। जयपुर शहर में इस तरीके का प्रकरण हुआ, माननीय मंत्री महोदय, आपने अभी तक क्या किया, इस फाइण्डिग के बाद भी, इस लीगल जजमेंट के बाद भी, आप एक्ट अपोन नहीं कर रहे हैं, यह बहुत ही खेद का विषय है और ऐसा लगता है कि सरकार बहुत ही निकम्मी है। जो निर्णय लिए हैं उनका भी पालन नहीं किया।

मेरा निवेदन करना यह है कि हाउसिंग बोर्ड के मकानों या कई जगह मकानों पर बड़े-बड़े धनाढ्य लोग अपने मकान के आगे दस-दस, पन्द्रह-बीस फीट दूर तक ग्रीन बेल्ट बनाते हैं, पूरा फुटपाथ रोक लेते हैं और जितना पीछे खुद का कन्सट्रेक्टेड एरिया नहीं है उससे ज्यादा तो ग्रीन बेल्ट के नाम पर लेते हैं। मंत्री महोदय, आपने क्या किया, जयपुर शहर में एक भी एक्शन लिया ? क्यों ? क्योंकि सब लोग धनाढ्य थे, सब करोड़पति, अरबपति हैं। जो जयपुर शहर में कानून मानता है वह आदमी अतिक्रमण नहीं करता। जो कानून मानता है, जो 75,80 और 85 में हाउसिंग बोर्ड में अपना आवेदन करता है वह 2005 में भी हाउसिंग बोर्ड से अपना मकान नहीं ले पाता है और जो आदमी जाकर अतिक्रमण कर ले उसको आप रेगुलराइज कर देते हो। कानून की लाज कहां रखी है आप लोगों ने। कानून की तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अतिक्रमण कोई करे नहीं, नियमों में बंधा रहे, जिन्दगी में जयपुर कोई मध्यम दर्जे का आदमी या तृतीय दर्जे का आदमी मकान नहीं बना सकता। वह एक जमीन नहीं खरीद सकता। आपका अधिकारी ऐसा है, पहले अतिक्रमण करवाओ, फिर उनकी संख्या कराओ, फिर सर्वे करवाओ, फिर उनको नम्बर अलाट करवाओ और फिर उनको जमीन दे दो। यह है भारतीय जनता पार्टी का राज कि अतिक्रमण पर पहले बैठा दो, फिर उनका सर्वे करा दो, फिर अतिक्रमण करा दो, फिर कह दो रेगुलराइज किया।

इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राज में माननीय उपाध्यक्ष महोदय अतिक्रमणों का ढेर हो रहा है जगह-जगह मल्टी (व्यवधान) अब यह कहते हैं कि जयपुर शहर अब अगल-बगल नहीं बढ़ेगा, जयपुर शहर अब आकाश की ओर जायेगा। क्यों नही जायेगा ? करोड़पति-अरबपति जमीन खरीदेंगे, आकाश की ओर बढ़ायेंगे, गगनचुम्बी अट्टालिकाएं बढ़ायेंगे लेकिन यह तो बताइये जयपुर शहर

(150)

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

में जो काम्पलेक्स वनेंगे कामर्शियल, उसमें चार सौ-पांच सौ कमरे वनेंगे। उसमें दो सौ कारें आयेंगी वो कहां पर रुकेंगी ? किसी के सिर पर रुकेंगी क्या ? उनके लिए तो सड़कें भरी होगी। सड़क पर आदमी नहीं चल पायेगा। पार्किंग प्लेस का कोई प्राविजन नहीं है। और तो और आपने जौहरी बाजार के भी बरामदे खाली नहीं करवाये आज तक हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जौहरी बाजार के बरामदे नहीं खाली हुए। आज फुटपाथ पर आदमी चल नहीं सकता है। गाय है, इधर जानवर है, इधर ठेला है, इधर सारे वाहन खड़े हैं। यह सड़कें सकड़ी हो रही हैं उसके बाद आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और तो और यह कोतवाली थाना जिसमें ऊपर की तरफ इन्चार्ज जो रहता है उसको आज से करीब 8-10 दिन पहले यह कहा कि उसके नीचे जो दुकानें हैं उसकी दीवार हटा दो। नगर निगम के महापौर द्वारा यह आदेश दिया गया कि उसकी दीवार हटा ली जाये तो पुलिस के अधिकारी गये कि मैं मेरे घर सहित ऊपर से नीचे गिर जाऊंगा यह कहकर गये यह दीवार तो मत हटवाइये। तो क्या कहा जाता है जिस तरीके से कहते हैं न कि कोई + + + आदेश दे उसी तरीके से इस दुकानदार को कहा जाता है कि वो दो दुकानों को मिलाने के लिए एक बहुत बड़ा शोरूम बनाने के लिए बीच में पर्दा है वो हटा दें और इस ढंग से हटायें कि ऊपर वालों की जान को कोई खतरा नहीं हो। ऊपर वाले की जान की जिम्मेवारी नीचे वाले की है। वाह-वाह नगर निगम, वाह-वाह स्वायत्त शासन विभाग। ऐसी आप जिम्मेवारी लेते हैं कि नीचे वाले को कहा जाये कि मतलब डाकू को कहा जाये कि डकैती कर, सामान ले जा लेकिन किसी को आहत मत करना। इस तरी से आदेश हैं –

श्री उपाध्यक्ष : यह आपने अभी + + + बोला है उसको मैं एक्सपंज कर रहा हूं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हैं सर ?

श्री उपाध्यक्ष : + + + कृपया भाषा में संयम बरतें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैंने किसी के लि नहीं कहा है।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कृपया आप भाषा में संयम करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं संयम बिलकुल कर रहा हूं मैं प्रतिकात्मक शैली में बोल रहा हूं। प्रतिकात्मक शैली में बोलकर मुहावरे और यह लोकोक्तियां कहकर हम हमारी भाषा को बहुत ही सारगर्भित कर पाते हैं, सटीक कर पाते हैं। यदि आपने हिन्दी के शब्द, छंद, विन्यास और ये वाक्यांश और उपमा, अलंकारों को हटा दिया तो हमारी भाषा बहुत खोखली रह जायेगी, सारविहीन रह जायेगी और प्रभावशाली नहीं होगी। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप भी इस तरीके से इडियम्स, फ्रेजेज का उपयोग करें। मैं किसी व्यक्ति पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं। तो मेरा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कहना है...

श्रीमती उजला अरोड़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपने क्षेत्र में तो कोई इनको कमी महसूस नहीं हुई। इनको केवल जयपुर नजर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है। आपका

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

इलाका बहुत सुन्दर है पर अपने संस्कारों से तो बोलो। किसी के बोलने के विधान सभा में नियम हैं जो प्रक्रिया नियमों में देखो कि क्या यहां पर बोला जा सकता है क्या नहीं। यह जो चाहे शब्द बोल दो_ (व्यवधान)_

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके द्वारा कहा गया हो या इनके द्वारा कहा गया हो जो भी यह शब्द है इसको निकाला जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप बिराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संस्कार की बात है। जब आप विधान सभा में नहीं थीं तब मेरे पिताजी यहां पर 1952 में एम.एल.ए. बन कर आये थे और उनके संस्कार सीखे हैं और उनके संस्कार लाखों गुना ज्यादा अच्छे हैं, साहित्यिक हैं और सांस्कृतिक हैं। आप मेरे को क्या लेसन सिखायेंगी ? _(व्यवधान)_

एक माननीय सदस्य : यहां यह इस ढंग से असंसदीय है _(व्यवधान)_

श्री शैलेन्द्र जोशी : और जयपुर शहर के बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ, नगर निगम के खिलाफ नगर निगम जो कि नरक निगम बन गया है जो नरक निगम कह कर आप नहीं बोलना चाहते तो यह मेरा फर्ज है कि हम भी जयपुर में रहते हैं। हम जयपुर में रहते हैं हम बोलेंगे। और यह नहीं है कि जयपुर में कांग्रेस का कोई एम.एल.ए. नहीं है तो सब चुप्पी साधे रखें। यह गुलाबी नगरी है। राजधानी का मतलब सारे एम.एल.एज. से सम्बन्धित है। आप दो सौ एम.एल.ए. भी राजधानी के लिए बोलने के लिए मैं समझता हूं सार्थकता रखते हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : शैलेन्द्र जी, हमारे एम.एल.ए. आपके साथ हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : और सांगानेर से जो विधायिका हैं उनको भी बोलने का अधिकार है तो मेरा निवेदन है कि जयपुर शहर में जो अतिक्रमण हो रहे हैं आप उन पर कोई चैक नहीं रख पा रहे हैं। जयपुर शहर में हाउस टैक्स के मामले में भयंकर गड़बड़ी है। हजारों मकान हैं उनमें एक हाउस टैक्स नहीं दे रहा है और जो बेचारा देता है वो देता आ रहा है। मतलब यह है कि जयपुर शहर में कानून की पालना करने वालों का मरण है, उसका कहीं भी जीवन नहीं है, उसको किसी भी चीज की अनुमति नहीं है। जो दो नम्बर का पैसा दे, आपके अधिकारियों को, आप सबकी तालमेल से जो कुचक्र रच रखा है उसको तो सब कुछ उपलब्ध है। एक दिन में भी किया जा सकता है सब कुछ। आपके आदेश हो सकते हैं फरमान हो सकते हैं जैसे कि आपने सवा रुपये में पांच करोड़ की जमीन मयूर टाकीज के सामने पार्किंग के लिए दे दी। इसी तरह कई योजनाएं बन सकती हैं लेकिन कोई कानून मानने वाला कानून की पालना करने वाला उसकी आपने बिल्कुल सांस रोक दी, उसकी आक्सीजन रोक दी है जीवन वायु रोक दी है। आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि जो एक व्यक्ति आवेदन करे तो उसको कोई जमीन मिल सके, चाहे जे.डी.ए. द्वारा या नगर निगम के द्वारा एक व्यक्ति यदि लोन लेना चाहे तो हाउसिंग का लोन नहीं मिल सकता।

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

इस तरीके से सफाई की व्यवस्था के बारे में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि नगर निगम ने तो ठेकेदारी व्यवस्था अपना ली। कचरे का ठेका, ट्यूब लाइट का ठेका, सफाई का ठेका तो मैं यह कहता हूं कि ठेके की योजना इसलिये है कि कर्मचारियों से आप लाभांश नहीं ले सकते। यह सरकार ठेकेदारी व्यवस्था करवा करके या कहना चाहिये कि आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, स्वायत्त शासन विभाग है, वो यह चाहता है कि ठेकेदारी व्यवस्था में ठेकेदारों से माननीय मंत्री महोदय आपके अधिकारी और आपकी जो भावनायें हैं उसके अनुसार वो जो जितने भी अधिकारी हैं वो ठेकेदार से लाभांश कमाते हैं। जो बहुत अधिक लाभांश कमा लेगा फिर उससे क्या होगा कि यह नौकरशाही अकर्मण्य हो जायेगी। आज आपको विश्वास नहीं हैं कि नगर निगम के कर्मचारी सफाई करेंगे। आज आपको विश्वास नहीं है कि नगर निगम के कर्मचारी यह बत्ती आपकी ठीक करेंगे। आज आपको विश्वास नहीं है कि नगर निगम के कर्मचारी और इन्सपेक्टर लोग जाकर निर्माण को सही करेंगे। हाउसिंग बोर्ड की कालोनियां हैं उनको देखेंगे तो आपने सारी चीज ठेके पर दे दी। मैं कहता हूं कि मंत्रिमण्डल निर्णय लेने को क्यों नहीं ठेके पर दे देता। यह भी एक बची-खुची बात है। यह भी कर दीजिये। मेरा निवेदन करना यह है कि आज ठेके पर कौन सी बात नहीं हो रही है। आज ये जो हमने व्हाइट एलीफेन्ट की फौज बैठा रखी है हजारों कर्मचारी नगर निगम के हैं उनसे हम कौन सा काम सही ढंग से करवा पाते हैं ? क्या सफाई का काम करवा रहे हैं ? क्या एडमिनिस्ट्रेशन का करवा रहे हैं ? कोई सा भी काम ऐसा नहीं है जो कि हम ढंग से करवा सकते हैं। कर्मचारियों में कोई अनुशासन नहीं है। उनकी अकर्मण्यता बढ़ती जा रही है। अकर्मण्यता बढ़ने के कारण...

श्री उपाध्यक्ष : अब कृपया समाप्त करें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करें। श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास विषय पर सदन में चर्चा हो रही है। मैं भी इस विषय पर अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि विधान सभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता से जो वादा किया था...

श्री रामनारायण मीणा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप आत्मा की, अन्तरात्मा की आवाज से बोलें। इतना ही ध्यान रखें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई अन्तरात्मा है क्या आप में ?

श्री रामनारायण मीणा : माननीय मुख्य सचेतकजी, मुझे पता है आप नहीं बोलें तो अच्छे लगते हैं बाकी तो आपकी हालत क्या है हम जानते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : मुझे सब पता है।

श्री कालीचरण सराफ : सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राज्य सरकार को, कि विधान सभा के चुनावों के समय भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रदेश की जनता से वादा किया था कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनी तो स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव करवा दिये जायेंगे।

श्री रामनारायण मीणा : मैं आपके भाषण का बहिष्कार कर रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह उम्मीद नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा : ये अन्तरात्मा से नहीं बोल रहे हैं इसलिए बहिष्कार कर रहा हूं।

श्री कालीचरण सराफ : भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद प्रदेश में ऐसी कोई स्वायत्तशासी संस्था नहीं है, चाहे वो नगर निगम हो चाहे नगर परिषद हो चाहे नगरपालिका हो, हर स्वायत्तशासी संस्था का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करवाया और यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज राजस्थान की स्वायत्तशासी संस्थाओं में विकास का काम जनप्रतिनिधियों के हाथ में है। इतना ही नहीं, राजस्थान के इतिहास में पहली बार इन स्वायत्तशासी संस्थाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति, ओ.बी.सी. और महिलाओं का आरक्षण, इसकी व्यवस्था की गयी। अनुसूचित जाति के लोग, ओ.बी.सी. के लोग, जनजाति के लोग, महिला वर्ग जो कभी सपने में भी यह कल्पना नहीं कर सकते थे कि हम नगर निगम के सदस्य बन जायेंगे, नगर परिषद के सदस्य बन जायेंगे, नगरपालिका के सदस्य बन जायेंगे, राजस्थान सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की और आज उसी का परिणाम है कि 30% महिलाएं पूरे राजस्थान में इन स्वायत्तशासी संस्थाओं में विजयी होकर आयी हैं। 15 प्रतिशत ओ.बी.सी. के लोग विजयी होकर आये हैं। इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने व्यवस्था की है कि केवल सदस्यों तक आरक्षण सीमित नहीं रहेगा, चेयर-पर्सन पर भी आरक्षण की व्यवस्था राज्य सरकार ने की है और आज उसी का परिणाम है कि हमारी कई नगर परिषदों के चेयरमैन अनूसूचित जाति के लोग हैं, कई नगरपालिकाओं में अनूसूचित जनजाति के लोग चेयरमैन हैं, कई नगर निगमों में नगर परिषदों में, नगरपालिकाओं में महिलाएं आज चेयरमैन हैं और राजस्थान में जो तीन नगर निगम बने हैं उसमें कोटा में आज महिला महापौर के रूप में कार्य कर रही है और जोधपुर में ओ.बी.सी. का व्यक्ति आज महापौर के पद पर बैठा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने केवल नगर निगम की स्थापना होनी चाहिए, नगर निगम बनना चाहिए इस बात को तो कहा, पर कभी राजस्थान में नगर निगमों की स्थापना नहीं की। परन्तु भारतीय जनता पार्टी की सरकार को साधुवाद देना चाहूंगा इस बात के लिए कि राजस्थान में 5 लाख की जनसंख्या के ऊपर के जो तीन शहर हैं जयपुर, कोटा और जोधपुर, उनमें आज नगर निगम की स्थापना भारतीय जनता पार्टी के राज के मिलने के कारण हुई है।

मैं जयपुर शहर से चुनकर आया हूं। राजस्थान के बारे में मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं

(श्री कालीचरण सराफ)

करना चाहता क्योंकि समय सीमित है। मैं केवल जयपुर शहर तक अपने आपको सीमित रखना चाहूंगा। जयपुर शहर में नगर निगम के चुनाव हुए, 70 में से 52 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी का जयपुर शहर में नगर निगम बनने के बाद जितना विकास का काम जयपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड के माध्यम से हुआ है उतना 40 साल के कांग्रेस के राज में नहीं हुआ है। हमने राजनैतिक आधार पर विकास का काम नहीं किया है। हमने यह तय किया कि 70 के 70 वार्ड हर वार्ड में कम से कम 20 लाख रुपये सड़कों पर, लाइट पर इन पर खर्च किया जायेगा। हमने यह नहीं सोचा कि अमुक जगह भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है तो वहां पर ज्यादा खर्चा होना चाहिए, अमुक जगह पर कांग्रेस का पार्षद है तो वहां खर्चा नहीं होना चाहिए। हमने विकास के काम में राजनीति नहीं आने दी और आज उसी का परिणाम है कि जयपुर शहर के किसी भी मोहल्ले में चले जाइये, किसी भी कालोनी में चले जाइये, किसी भी इलाके में चले जाइये। आज कहीं पर सीमेंटेड सड़कें, कहीं पर डामर की सड़कें, यानी जो काम 40 साल में नहीं हुआ, जयपुर शहर की 8 हजार कच्ची नालियां, उनको एक साल के अन्दर-अन्दर पक्का भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड ने करके दिखा दिया है।

श्री रामस्वरूप मीणा : अब पता चला कि हमारी सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं और कहां गया यह सारा पैसा।

श्री कालीचरण सराफ : मैं आपको बता दूं, आपके बजट से एक पैसा भी नहीं लेते हैं। माननीय रामस्वरूप जी आपको एक चीज और बता दूं कि राजस्थान सरकार के बजट से हम पैसे नहीं लेते हैं, नगर निगम का अपना बजट होता है, अपनी आय के स्रोत होते हैं। इसलिए आप यदि यह मुगालता रखें तो आप गलतफहमी पाल रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : हमारे यहां भी नगरपालिका है लेकिन कांग्रेस की है। तनख्वाह तक नहीं लग रही है उनकी और आपके दुनिया भर का पैसा कहां से आ रहा है ?

श्री कालीचरण सराफ : इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 15 महीनों के शासन काल के दौरान जयपुर शहर में 30 हजार ट्यूबलाइट नगर निगम के माध्यम से रोडलाइट्स के रूप में लगीं और 4,300 सोडियम लाइट्स नगर निगम के माध्यम से हमने जयपुर शहर में लगायीं और आज उसी का यह परिणाम है कि जयपुर शहर की किसी भी गली में चले जायं, किसी भी मोहल्ले में चले जायं, किसी भी कालोनी में चले जायं, हर चौराहे पर और हर तिराहे पर आपको सोडियम लाइट की जगमगाहट मिलेगी। कांग्रेस के शासन में सोडियम लाइट की रोशनी देखने के लिए हमें बम्बई की मेरिनड्राई पर जाना पड़ता था। आज बम्बई जाने की आवश्यकता नहीं है। आज जयपुर में रात को किसी भी गली में, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी कालोनी में चले जायं, आपको सोडियम लाइट की जगमगाहट वहां पर मिलेगी और यह काम ऐसे ही नहीं हुआ। हमने जयपुर शहर के इतिहास में पहली बार...

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपके पिताजी, आपके बड़े भाई साहब लालटेन के उजाले में पढ़ते थे। अब वैज्ञानिक विकास का इतना श्रेय क्या ले रहे हैं ? उस समय सोडियम लाइट्स नहीं थी।

श्री कालीचरण सराफ : यह काम वैसे ही नहीं हुआ। जयपुर की नगर निगम ने अपनी आय स्रोतों में वृद्धि की है। आज तक नगर निगम में कभी 30-35 करोड़ से ज्यादा चुंगी की आय नहीं हुई परन्तु मैं साधुवाद देना चाहूंगा नगर निगम के अधिकारियों को, नगर निगम के पार्षदों को, नगर निगम के महापौर जी को कि इस बार 70 करोड़ रुपये चुंगी की आय से प्राप्त हुए हैं जिसका परिणाम है कि आज जयपुर शहर में विकास के काम हो रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर निगम ने विकास के काम बहुत किये हैं परन्तु उसके साथ-साथ दो समस्याओं की ओर भी मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आज जगतपुरा गांव के नजदीक नगर निगम ने कचरा डिपो बना रखा है। नगर निगम ने जब कचरा डिपो का निर्माण वहां पर किया उस समय वहां पर आबादी नहीं थी, वहां पर बस्ती नहीं थी। पर आज लगभग 40 हजार लोग जगतपुरा और उसके आसपास कालोनियां बना कर बस गये हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आज वहां कचरा डालने के कारण बीमारियां फैल रही हैं, लोग वहां पर ढंग से रह नहीं सकते, चारों तरफ दुर्गन्ध का वातावरण रहता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि जब वह अपना जवाब दें तो निश्चित रूप से इसकी समय सीमा निर्धारित करें कि जगतपुरा से कचरा डिपो कब तक हटा दिया जायेगा।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : कालीचरणजी, हवाई दुर्घटनाओं का खतरा भी उससे है। पक्षियों की वजह से भी हवाई जहाज टकराये हैं।

श्री कालीचरण सराफ : बिलकुल सही कह रहे हैं आप। दूसरी एक जो समस्या जयपुर शहर में है और विशेषकर मुस्लिम इलाकों में जो समस्या है वह बूचड़खाने की है। आज मोती डूंगरी रोड पर सरकार का बूचड़खाना चल रहा है। आज जयपुर शहर में लगभग एक हजार पाडे और एक हजार बकरे रोज कटते हैं। पर आज बूचड़खाने व्यवस्थित रूप से नहीं होने के कारण, घनी आबादी में होने के कारण, जगह जगह मांस के लोथड़े पड़े रहने के कारण और वहां से जब कटे हुए मांस को खुले ट्रेक्टर में ले जाते हैं तो पूरे शहर में दुर्गन्ध का वातावरण हो जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर में जो मोती डूंगरी रोड पर अवैध बूचड़खाना एवं 500 अन्य अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं उन सब को शहर के बाहर कहीं दूर स्थानान्तरित किया जाय जिससे कि जयपुर शहर का वातावरण शुद्ध हो सके।

मैं राज्य सरकार को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसने स्वायत्तशासी संस्थाओं के वित्तीय अधिकारों में वृद्धि की है। नगर निगमों को खर्चा करने पर एक करोड़ रुपये तक की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। नगर परिषदों को 50 लाख तक के खर्चे के लिये अनुमति की आवश्यकता

(श्री कालीचरण सराफ)

नहीं। जिला मुख्यालयों की जो नगरपालिकाएं हैं उसमें 25 लाख रु. तक खर्च करने की अनुमति की आवश्यकता नहीं और छोटी नगरपालिकाओं में 5 लाख तक खर्च करने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं। यह बात जो आपने बहुत बढ़िया की, परन्तु इसके साथ साथ मैं राज्य सरकार से एक निवेदन और करना चाहूंगा कि आपने जयपुर में नगर निगम तो बना दी, कोटा में नगर निगम बना दी परन्तु अभी नगर निगम के क्या अधिकार होने चाहिए, उनको क्या सुविधाएं होनी चाहिए उसके बारे में आपने विचार नहीं किया।

केवल नगर परिषद का बोर्ड मिटाकर नगर निगम लिखने से काम नहीं चलेगा। मैं राज्य सरकार से यह कहना चाहूंगा कि वास्तव में नगर निगम इन तीनों शहरों में बने हैं उसके लिए आवश्यक है कि कारपोरेशन एक्ट जल्दी बनाकर विधान सभा में पेश किया जाय।

एक बात और कहना चाहूंगा कि पहले ऐसी व्यवस्था थी कि एन्टरटेनमैंट टैक्स के नाम पर जो राशि वसूल होती थी वह स्वायत्तशासी संस्थाओं को दी जाती थी परन्तु पिछले कई वर्षों से यह मनोरंजन कर की जो राशि है वह राज्य सरकार वसूल करती है और 1970 में जो मनोरंजन कर जिस नगर निगम क्षेत्र या नगरपालिका क्षेत्र में मिलता था केवल उसका भुगतान इन स्वायत्तशासी संस्थाओं को किया जाता है। मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि नगर निगम, नगरपालिकाएं, नगर परिषदें स्वायत्तशासी बनें।

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

साहब, अभी तो बोलना ही चालू किया है, आपने घण्टी बजा दी।

(16.00)

इसके लिये आवश्यक है कि मनोरंजन कर की राशि स्वायत्तशासी संस्थाओं को दी जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर के विकास के लिये जो दूसरी सबसे बड़ी संस्था है -जयपुर विकास प्राधिकरण। 16 जुलाई, 1982 को जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना हुई। जयपुर शहर में पर्यावरण कैसा हो, आवास की समस्या किस प्रकार से सुलझे, यातायात की समस्या यहां किस प्रकार से ठीक हो, इन सब बातों को लेकर जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यों का विवेचन किया जाये तो यह बात सही है कि कांग्रेस के शासन काल में राजनीतिक कारणों से जयपुर शहर में विकास नहीं हुआ, यह तो मैं नहीं कहना चाहता, सबको पता है। परन्तु पिछले 5 साल में जयपुर विकास प्राधिकरण के माध्यम से जयपुर शहर का जो चहुंमुखी विकास करने का प्रयास विकास प्राधिकरण ने किया है, वो सब के सामने है, सराहनीय है। जयपुर शहर में ओवर ब्रिजेज होने चाहिये। जयपुर विकास प्राधिकरण को साधुवाद देना चाहूंगा, झोटवाड़ा पर ओवर ब्रिज का काम प्रारम्भ हो गया है। बाइस गोदाम के ओवर ब्रिज का काम पूरा हो गया है और वो चालू हो गया है। मालवीय नगर में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर ओवर ब्रिज का शिलान्यास हो गया है और 1997, दिसम्बर तक उसका काम पूरा हो जायेगा। बाई-पास रोड पर मालवीय नगर के उस साइड पर जो भूमिगत

(श्री कालीचरण सराफ)

मार्ग बनने वाला है, उसका काम भी बरसात के बाद प्रारम्भ हो जायेगा।गोपालपुरा बाई-पास पर भी ओवर ब्रिज की स्वीकृति हो चुकी है। मैं कहना चाहूंगा ओवर ब्रिजेज के मामले में जयपुर विकास प्राधिकरण ने जो प्राथमिकता के आधार पर काम किये,उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। 7 दिन में नक्शे पास कर दिये जावेंगे,जयपुर विकास प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है, स्वागत योग्य है। क्योंकि पहले यह स्थिति थी कि महीनों चक्कर लगाने पड़ते थे जयपुर विकास प्राधिकरण में नक्शे पास नहीं होते थे। परन्तु अब यह व्यवस्था की है कि सात दिन में नक्शा पेश करने के बाद सात दिन में निश्चित रूप से उसको पास कर दिया जायेगा या उसको अस्वीकृत कर दिया जावेगा। आज जयपुर शहर जिस गति से बढ़ रहा है, व्यावसायिक परिसर बन रहे हैं, कामर्शियल काम्पलेक्स बन रहे हैं, इनके नक्शे पास करने में भी जो नियमों में सरलीकरण किया गया है, उसके लिये भी मैं साधुवाद देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में कई लाख लोग कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं। कच्ची बस्ती की समस्या जयपुर शहर की एक महत्वपूर्ण समस्या है–

श्री रामपाल उपाध्याय : नया जयपुर नगर के बारे में भी कोई प्रकाश डाल दें।

श्री कालीचरण सराफ : अभी डालते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में सबसे पहले 1971 में कच्ची बस्तियों का सर्वे हुआ था। जिसके आधार पर 73 कच्ची बस्तियों में 15,163 परिवारों का सर्वे उस समय हुआ था। उसके बाद 1981 में पुनः सर्वे हुआ। राज्य सरकार ने निर्णय किया कि 1981 तक जितने भी लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं उनका सर्वे करवाया जाये। उनका सर्वे हुआ तो 1971 और 1981 के सर्वे को मिलाकर, 142 कच्ची बस्तियों में 42,816 परिवार सर्वेधारी मिले। आज 1996 हो गया परन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण ने 42,816 परिवारों में से केवल 33 हजार परिवारों को अभी तक नियमित किया है और 30 हजार परिवारों को भू-खण्ड आबंटित किये हैं। मैं कहना चाहूंगा कि 1971 में सर्वे हुआ, 1981 में सर्वे हुआ, आज 25-25, 26-26 साल हो गये, 12,816 परिवार अभी तक नियमित नहीं हुए।

जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राथमिकता के आधार पर इसकी योजना बनानी चाहिए और जो 1981 तक के सर्वेधारी बचे हैं, जिनका नियमन नहीं हुआ, उनको निश्चित रूप से नियमित कर दिया जाना चाहिए। अब राज्य सरकार ने घोषणा की है कि 1.1.91 से पूर्व जितने भी लोग कच्ची बस्तियों में निवास कर रहे हैं, वोटर लिस्ट के आधार पर, राशन कार्ड के आधार पर, बिजली-पानी के कनेक्शन के आधार पर, उनका सर्वे करवाया जायेगा और उनको नियमित किया जायेगा। राज्य सरकार ने यह घोषणा तो कर दी कि 1991 की वोटर लिस्ट के आधार पर राशन कार्ड के आधार पर या बिजली कनेक्शन के आधार पर उनको नियमित कर दिया जायेगा परन्तु अभी तक राज्य सरकार ने यह निर्णय नहीं किया, जिस प्रकार 1971 में निर्णय हुआ था कि 110 वर्ग गज के प्लाट देंगे। 1981 के सर्वेधारियों के लिये निर्णय हुआ था कि 50 गज के प्लाट

(158)

(श्री कालीचरण सराफ)

देंगे तो 1991 की वोटर लिस्ट के आधार पर जो सर्वे हुआ उनको कितनी जमीन दी जायेगी और किस रेट पर दी जायेगी, उसका अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। सभी कच्ची बस्तियों में अनिश्चय का वातावरण बना हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वो जवाब दें, तो निश्चित रूप से इस बारे में भी जवाब दें, तो ठीक रहेगा। एक घोषणा राज्य सरकार ने और की है कि जो राजकीय भूमि पर अवैध रूप से बसे हुए कच्ची बस्ती के लोग हैं, उनका भी सर्वे करवाया जाये। आज जयपुर शहर में कई इस प्रकार की कच्ची बस्तियां हैं, बड़ी कच्ची बस्तियां हैं जो प्राइवेट जमीन पर बनी हुई हैं। आज 1964 से विश्वविद्यालय परिसर में सुखाड़िया कच्ची बस्ती के नाम से एक कच्ची बस्ती है। 2000 लोग उस बस्ती में निवास करते हैं। 1964 से वहां पर हैं। 1971 का सर्वे उनका नहीं हुआ, 1981 का भी नहीं हुआ है। वो नारकीय जीवन व्यतीत करने को मजबूर हैं। इसी प्रकार से पृथ्वीराज रोड पर, यह रामबाग वाले रोड पर कठपुतली नगर में लगभग 5000 निवासी उसमें निवास करते हैं और वो प्राइवेट जमीन है, इसलिए उसका सर्वे नहीं हुआ। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब आप जवाब दें तो निजी भूमि पर जो कच्ची बस्तियां बनी हुई हैं, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में भी निश्चित रूप से बताया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की मंशा है कि कच्ची बस्ती की समस्या का सम्पूर्ण निदान किया जाय और यदि 1991 की वोटर लिस्ट के आधार पर केवल हमने सर्वे किया तो समस्या का पूर्ण निदान नहीं होगा। क्योंकि हमने 1978 में निर्णय किया था कि 1971 का सर्वे करेंगे, समस्या ज्यों की त्यों रह गयी, फिर हमने 1983 में निर्णय किया कि 1981 के सर्वे करेंगे, समस्या ज्यों की त्यों रह गयी और आज हम 1996 में यह निर्णय करें कि 1991 की वोटर लिस्ट के आधार पर हम सर्वे करेंगे तो 1991 से 1996 के बीच में जो लोग बसे हैं वो समस्या ज्यों की त्यों रह जायेगी। अब हमारे पास नया, क्योंकि लोकसभा के चुनाव हो गये हैं, 1996 की वोटर लिस्ट भी हमारे पास उपलब्ध है। तो मैं यह कहना चाहूंगा कि जो आपने 1.1.91 की लिमिट लगाई है सर्वे के लिये, वो यदि 1996 की वोटर लिस्ट के आधार पर सर्वे हो तो निश्चित रूप से उसका फायदा मिलेगा और मैं जयपुर विकास प्राधिकरण से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक अभियान चलाकर इस समस्या का समाधान निश्चित रूप से करना चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण समस्या जयपुर शहर की है गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि भूमि पर जो मकान बने हैं, उनके बारे में। कांग्रेस की सरकार ने 1981 में घोषणा की थी कि कृषि भूमि पर जितने भी लोग बसे हैं वो कनवर्जन जमा करा दो और अपना नियमन करवा लो। जयपुर की जनता ने 28 करोड़ रुपया कनवर्जन के नाम पर जमा करवा दिया परन्तु कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर सकी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियमन के नियम बनाये और यह आदेश किया कि 31.5.82 तक जितने भी लोग, जिन्होंने कनवर्जन जमा करवा दिया और 1981 तक एग्रीमेंट टू सेल से जिन्होंने भूमि ले ली, उनका नियमन

(श्री कालीचरण सराफ)

कर दिया जायेगा। लोगों ने आवेदन किया जेडीए में, और अब यह स्थिति है कि लगभग 102 गृह निर्माण सहकारी समितियों की 1159 योजनाओं के लिये, नियमन के लिये आवेदन किये गये हैं और इन योजनाओं के लिये, नियमन के लिये आवेदन किये गये हैं और इन योजनाओं में लगभग 1,18,648 भू-खण्ड हैं। परन्तु जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक अभियान चलाया थोड़े दिनों के लिये। उसके बाद इसको बंद कर दिया। केवल 154 योजनाओं को नियमित किया गया है। यानि 1159 योजनाओं में से मात्र 154 योजनाओं का नियमन किया गया है–

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ : दो मिनट। अभी भी 1105 योजनाएं इस प्रकार की हैं जिनका नियमन नहीं हुआ। 1,18,648 भू-खण्डधारियों में से केवल 5,995 भू-खण्डों का नियमन किया गया है। 1,12,653 भू-खण्डधारी इस प्रकार के हैं जिनका नियमन नहीं हुआ है और जब जयपुर विकास प्राधिकरण से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि कोई जमीन ऐसी है जो अवाप्ति में आ रही है, कोई जमीन ऐसी है जो सीलिंग में आ रही है, कोई जमीन ऐसी है जिसका लैण्ड यूज दूसरा है। मैं कहना चाहूंगा कि नियमों में यदि शिथिलता प्रदान करनी पड़े तो करनी चाहिए। क्योंकि कोई भी संवेदनशील सरकार, कोई भी प्रजातांत्रिक सरकार दो-ढाई लाख मकान जो इस कृषि भूमि की कालोनी में बने हुए हैं, उनको तोड़ नहीं सकती। निश्चित रूप से प्राथमिकता के आधार पर इस समस्या के बारे में सोचना चाहिए और इस समस्या का निदान किया जाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर विकास प्राधिकरण आनन-फानन में कई योजनाएं बनाता है। आपने "नया जयपुर" के बारे में कहा, इसलिए मैं भी बोल रहा हूं। फिर व्यावहारिकता की तरफ ध्यान नहीं देता। उसका परिणाम यह होता है कि उस योजना को वापस लेना पड़ता है। अब जयपुर शहर में बड़े जोर-शोर से योजना बनायी गयी कि नया जयपुर बसाया जायेगा। यह नहीं सोचा कि नया जयपुर बसाने के लिए हम किसानों की 60 हजार बीघा जमीन लेंगे। किसानों से हमने बात नहीं की, किसानों ने उस योजना का विरोध किया और उसका परिणाम हुआ कि हमको वह योजना वापिस लेनी पड़ी।

अब जयपुर विकास प्राधिकरण ने पृथ्वीराज नगर योजना की घोषणा की है कि हम किसानों की 11 हजार बीघा जमीन लेंगे, पृथ्वीराज नगर बसायेंगे। आज यह नहीं सोचा कि उस क्षेत्र में जो 10 हजार मकान बन गये, उनका क्या होगा ? 15 हजार किसान उस क्षेत्र में रहते हैं, जो उपजाऊ जमीन है, वहां की सब्जी आज पूरे जयपुर में शहर में सप्लाई होती है, दूध वहां से सप्लाई होता है, उसका क्या होगा? योजना बना दी, पृथ्वीराज नगर योजना बनायेंगे।

मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की बड़ी-बड़ी योजनाएं जयपुर के लिए व्यावहारिक नहीं है। इन योजनाओं को निश्चित रूप से वापिस किया जाना चाहिए और इसके बजाय यदि छोटी-छोटी, लघु योजनाएं बनायी जायं, 2-2 हजार, 3-3 हजार मकानों की तो उनका निश्चित रूप से उपयोग होगा, इसमें विरोध भी नहीं होगा।

(श्री कालीचरण सराफ)

इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि किसानों से जमीन लेते हैं, 25 हजार रुपये बीघा तक तय कर दिया, किसानों से भूमि अवाप्त कर ली। आज जब हम बाजार भाव से लोगों को मकान बनाकर देंगे या भू-खण्ड आबंटित करेंगे तो क्यों नहीं, किसानों से जो जमीन ली जाती है, उनसे भी समझौता किया जाये, बाजार मूल्यों पर उनसे जमीन खरीदी जाये और उसके बाद उनको पेमेण्ट किया जाये। तो मेरे ख्याल से कोई भी इस बात की खिलाफत नहीं करेगा।

जयपुर शहर पर जनसंख्या का दवाब निरन्तर बढ़ता जा रहा है। आज जयपुर शहर में यह गुंजाइश नहीं है कि यहां पर और लोग आकर रह सकें। इसके लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि जयपुर में भी मुंबई के पैटर्न पर उप-नगरों का विकास किया जाये। आज बस्सी है, जमुवा-रामगढ़ है, शिवदासपुरा है, सांगानेर है, बगरू है, चौमूं है। ये इस प्रकार के कस्बे हैं जिनका यदि उप-नगरों के रूप में विकास किया जायेगा, इनको सड़कों से जोड़ा जायेगा, वहां पर शहरी सुविधाएं उपलब्ध करवायी जायेंगी, आज बस्सी में भी, शिवदासपुरा में भी पिक्चर हाल होंगे, होटल होंगे, पार्क होंगे, बिजनस-काम्पलेक्स होंगे, शॉपिंग सेण्टर्स होंगे तो लोग-बाग मकान लेकर के वहां पर भी रह सकते हैं। वे वहां पर आकर्षित होंगे। जयपुर शहर पर जनसंख्या दवाब की जो स्थिति बनी हुई है, उसमें भी निश्चित रूप से सुधार आयेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जवाहर-सर्किल है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने 65 एकड़ भूमि में उसको विकसित किया है। उसके पास ग्राम गैटोर, चैनपुरा, मनोरहपुरा है। अभी एक अखबार में नोटिस आया, कुछ दिन पहले कि एयर-पोर्ट विस्तार के लिए हमें यहां पर भूमि चाहिए। इसलिये इस भूमि को हम अवाप्त करेंगे। आज यहां पर सैंकड़ों कालोनियां बन गयीं। सिद्धार्थ नगर, सरस्वती नगर, गैटोर, नन्दपुरी, छत्रसाल नगर, शंकर विहार, कई कालोनियां, उस क्षेत्र में बन गयीं। एयर-पोर्ट अथोरिटी से बात हुई तो उन्होंने जे. डी. ए. को लिखकर दे दिया कि हमको अब और जमीन नहीं चाहिए, हमको जितनी जमीन चाहिए थी, वह हमने ले ली और ये कालोनियां कोई बाधा उपस्थित नहीं करती। 1986 के अन्दर जे. डी. ए. ने राज्य सरकार को लिखा कि इस जमीन को आवासीय कर दिया जाये। राज्य सरकार ने उसकी परमिशन दे दी। जे. डी. ए. ने वहां 4 सड़कों का निर्माण भी कर दिया। नगर निगम भी वहां सहभागिता के आधार पर सड़कों का निर्माण कर रहा है। अब, जयपुर विकास प्राधिकरण को क्या पता, क्या हुआ, एक अखबार में एक विज्ञप्ति आयी कि हम इस भूमि को अवाप्त करेंगे।

मैं आगाह कर देना चाहता हूं कि 10 हजार भू-खण्ड जिस क्षेत्र में कट गये, 4 हजार मकान बन गये और उसमें अनूसूचित जाति-जनजाति के लोग विशेष रूप से हैं, किसी भी हालत में इस भूमि को अवाप्त करने नहीं दिया जायेगा और यदि जे. डी. ए. राजी से नहीं मानी और यदि इसके लिए आन्दोलन की आवश्यकता हुई तो मैं भी मेरे नेतृत्व में आन्दोलन करने से नहीं हिचकिचाऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बिराजें। अब बहुत हो गया।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी पत्नी भी सुन रही हैं।

श्री कालीचरण सराफ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब जयपुर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, उस समय यह कहा गया था कि जयपुर शहर में यातायात की व्यवस्था भी मुकम्मल हो, इस बात की व्यवस्था जे. डी. ए. करेगी। जयपुर शहर में बाई-पास रोड्स का निर्माण किया गया। आज दिल्ली और जयपुर रोड पर रोज 60 हजार ट्रक गुजरते हैं। आपने जितने भी बाई पास रोड बनाये, आज उनके आस-पास गहन आबादियां बस गयीं। आपने दिल्ली बाई-पास रोड बनाया, ईदगाह बस्ती, गलता घाटी, ऋषि-गालिब नगर, गोरखनपुरी, नायकों का टीला, जवाहर नगर कच्ची बस्ती, फिर बाइजी की कोठी, लाखों लोग रह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आये दिन एक्सीडेण्ट होते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जयपुर शहर के सुव्यवस्थित यातायात के लिए, जिससे कि 60 हजार ट्रक जयपुर शहर में प्रवेश नहीं करें, जिनको आगे जाना है, वे सीधे चले जायें, जयपुर शहर में दिल्ली के पैटर्न पर रिंग रोड का निर्माण होना चाहिए।

जयपुर शहर के 8 बड़े नाले हैं। भगवान न करे 1981 जैसी बाढ़ जयपुर शहर में आ जाये, आज इन नालों के अन्दर झोंपडे बनाकर हजारों लोग रह रहे हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण और नगर निगम को प्राथमिकता के आधार पर, नालों में जो झोंपड़े बनाकर रह रहे हैं, उन व्यक्तियों को स्थानान्तरित करने का, सुव्यवस्थित बसाने का प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए।

आज जयपुर शहर में फुटपाथ पर बैठकर लगभग 10 हजार लोग अपना जीवन यापन करते हैं। कोई भी नया एडिशनल एस.पी. (यातायात) आता है, वह अपनी कार्यक्षमता दिखाने के लिए, उन फुटपाथ वालों को वहां से हटाने की कोशिश करता है। दो-चार दिन हटाता है, उसके बाद विरोध होता है, शांत हो जाता है। मैं पूछना चाहूंगा कि 10 हजार लोग जो फुटपाथ पर बैठकर व्यवसाय करते हैं, यह बात सही है कि फुटपाथ पर बैठकर उनको व्यवसाय नहीं करना चाहिए, परन्तु क्या संवेदनशील सरकार की यह ड्यूटी नहीं है कि उनकी वैकल्पिक व्यवस्था हम करें ? निश्चित रूप से हमें करनी चाहिए।

अब मैं आवासन मण्डल के बारे में केवल दो मिनट लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरे क्षेत्र में मालवीय नगर, जवाहर नगर, आवासन मण्डल की कई कालोनियां भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनट का मतलब, दो ही मिनट होना चाहिए।

श्री कालीचरण सराफ : बस दो मिनट। आवासन मण्डल जब मकान बनाता है, कोई कालोनी विकसित करता है, उस समय वह यह ध्यान नहीं देता कि यदि यहां पर 2-3 हजार लोग रहेंगे तो वहां नाई की दुकान भी चाहिए, कपड़े की प्रेस के लिए धोबी की दुकान भी चाहिए, सब्जी खरीदने के लिए सब्जी की दुकान भी चाहिए, परचूनी की दुकान भी चाहिए। वह केवल आवासीय कालोनी बना देता है और वहां पर जब कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स बनाता है

(श्री कालीचरण सराफ)

तो उसका आक्शन करता है। जैसे ही कोई कालोनी निर्मित होती है, वहां पर नाई की थड़ी लग जाती है, वहां पर धोबी की थडी लग जाती है, टायर पंचर ठीक करने की थड़ी लग जाती है, स्कूटर-पंचर ठीक करने की थड़ी लग जाती है और फिर वे बढ़ती जाती हैं।

मैं यह कहना चाहूंगा कि आवासन मण्डल इन कालोनियों का निर्माण करे तो निश्चित रूप से वहां जो थड़ियां बनी हुई हैं, उनको भी व्यवस्थित करने का, बसाने का कार्य आवासन मण्डल को करना चाहिए।

आवासन मण्डल ने एक नया काम किया है डबल स्टोरिड फ्लैट्स बनाये जा रहे हैं। 70-80 करोड़ रुपये उन्होंने आवासन मण्डल के इसमें इन्वेस्ट किये हैं और आज स्थिति क्या है, डबल स्टोरिड के 5 हजार फ्लैट्स तो केवल जयपुर शहर में इस प्रकार के पड़े हैं कि जिनको खुली बिक्री करने के बाद भी बेचने में आवासन मण्डल सफल नहीं हुआ है। आवासन मण्डल आज भी डबल-स्टोरिड मकान दनादन बनाता जा रहा है। मैं राज्य सरकार से कहूंगा कि इस बात को देखे और जब आवासन मण्डल द्वारा डबल स्टोरी के जो फ्लेटस बनाये जा रहे हैं, उनकी बिक्री नहीं हो रही है, वे खाली पड़े हैं तो निश्चित रूप से इस पर रोक लगायी जानी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री कालीचरण सराफ : एक बात और कहना चाहूंगा कि जब आवासन मण्डल कालोनी का निर्माण करता है तो उसमें पार्कों के लिए जगह तो छोड़ देता है, पर्यावरण के लिए। परन्तु न तो उसकी चार-दीवारी बनाता है, वहां पर पेड़ उगाने की कोई व्यवस्था कर है और वे पार्क कचरा घरों के रूप में परिवर्ति हो जाते हैं। आज चाहे जवाहर नगर हो, चा मालवीय नगर हो, चाहे मानसरोवर हो, मैं य कहना चाहूंगा कि आवासन मण्डल कोई कालोनी बनाये तो वहां के पार्कों का विका निश्चित रूप से होना चाहिए। वहां प चार-दीवारी का निर्माण हो, पानी की व्यवस्थ हो और हरा-भरा क्षेत्र उस पार्क में नजर आये इस प्रकार की व्यवस्था निश्चित रूप से करनी चाहिए।

अब समय सीमित है, इसलिए मैं भी यही बात समाप्त करके, आपको धन्यवाद देता हूं धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी। (अनुपस्थित) श्री बनवारी लाल शर्मा।

श्री बनवारीलाल शर्मा (धौलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या - 29, नगरीय आयोजन एवं प्रादेशिक विकास के ऊपर चर्चा हो रही है, जिसमें मैं भी अपने को सम्मिलित करते हुए माननीय_

श्री घनश्याम तिवाड़ी : उपाध्यक्ष महोदय, आज कालीचरणजी कैसे अच्छे बोले हैं आपको मालूम है ?

श्री उपाध्यक्ष : यह चैम्बर में बात कर लेना, आप बिराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : चैम्बर में नहीं, आप ही देखिये साहब, किस कारण से बोलें हैं यह बढ़िया। कालीचरणजी आज बहुत

बढ़िया बोले हैं। इनके प्रेरणा स्रोत आज सदन में उपस्थित हैं इसलिये बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज तो झंडे गाड़ दिये।

एक माननीय सदस्य : इन्होंने आपकी तारीफ कर दी और आपने इनकी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत: मैं इन दोनों की तारीफ करता हूं।

श्री चन्दनमल बैद : क्या स्वर है, क्या रूप है ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह बात बड़े आदमियों पर लागू है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया, बिराजिये-बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय बनवारीलाल जी को सात मिनट का समय फिक्स है।

श्री बनवारीलाल शर्मा : मैं तो बहुत कम बोलूंगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : पहले जब बांदीकुई से आने वाले माननीय सदस्य बोले थे तो आपने व्यवस्था दी कि आपको सात मिनट का समय है और माननीय जौहरी बाजार से आने वाले जब बोले तो आप कहते हैं कि एक घंटे का समय है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये-बिराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप बढ़िया भाषण के पांच सौ रुपये तो लेओ। (व्यवधान)

श्री बनवारीलाल शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कालीचरण जी ने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा कि चुनाव कराये, बड़ी प्रसन्नता की बात है लेकिन मेरा इतना निवेदन जरूर है कि शुरू-शुरू में जब उन्होंने भाषण दिया तो मैंने यह महसूस किया कि भारतीय जनता पार्टी में कम से कम उनके सदस्य तो सन्तुष्ट होंगे लेकिन मैंने देखा कि हम लोग ही दुःखी नहीं हैं, हमसे ज्यादा दुःखी माननीय कालीचरण जी निकले।

श्री रतनलाल ताम्बी : भंवरलालजी से।

श्री बनवारीलाल शर्मा : भंवरलालजी से, अच्छा। माननीय मंत्री महोदय, मैं यह ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रणाली में संशोधन करके जो आपने सिस्टम अपनाया उससे यह तो सही है कि प्रजातांत्रिक तरीके से आपने चुनाव करवा दिये लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जो भी, चुने हुए नुमाइन्दों पर या अध्यक्षों पर जो अंकुश लगा रहता था, आपके चुनाव संशोधन करने के बाद में वह अंकुश समाप्त हो गया। पहले चेयरमैन का जो चुनाव होता था वह आपके सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के सिस्टम के आधार पर होता था और मैम्बर्स में जो मेजोरिटी होती थी वह ही उसका अध्यक्ष बन जाता था। लेकिन आज आपने मैम्बर की मेजोरिटी में से, चार अगर मैम्बर्स खड़े होते हैं, कैंडीडेट्स खड़े होते हैं और इनमें जिनकी मेजोरिटी है, चाहे वह 30 का हाउस है या 34 का हाउस है, चार मैम्बर्स को अगर 6-6 वोट मिल जाते हैं और एक मैम्बर को दस वोट मिल जाते हैं तो वह दस वोट पर ही उसका अध्यक्ष चुन लिया जाता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने में उसको दो तिहाई बहुमत चाहिए। अब आप देखिये कि वह निरंकुश हो गया। छह या दस वोट के ऊपर तो वह चेयरमैन बन गया और 24 वोट उसको

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

हटाने के लिये चाहिए। इससे निरंकुशता पैदा हो गयी। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस चुनाव के अधिनियम में संशोधन करने की कृपा करें ताकि निरंकुशता समाप्त हो सके।

जहां तक सफाई का, रोशनी का और नालों में सफाई का सवाल है, हर नगर ही मेरे ख्याल से नरक सा बना हुआ है। मैं आपका ध्यान धौलपुर नगरपालिका की तरफ विशेष तौर से दिलाना चाहता हूं। पहले तो नगरपालिका काम ही नहीं करती है और नगरपालिका अगर कुछ सोचे भी तो आपका विभाग उसमें कोई सहयोग नहीं देता है।

माननीय मंत्री महोदय, आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि धौलपुर नगरपालिका द्वारा चार वर्ष पूर्व ड्रेनेज स्कीम के लिए 75 हजार रुपये जमा करा रखे हैं कि वहां सर्वे कराया जाय। मैंने विधान सभा में प्रश्न भी उठाया, आपको चिट्ठी भी लिखी। नगरपालिका को भी लिखी। लेकिन आज तक ड्रेनेज की सर्वे तक नहीं करायी गयी है। आखिर क्या कारण है ? चार वर्ष पहले 75 हजार रुपये उन्होंने जमा करा दिये हैं। आप सर्वे क्यों नहीं करा पा रहे हैं ?

श्री भंवरलाल शर्मा : कहां जमा करा दिये ?

श्री बनवारीलाल शर्मा : विभाग में जमा करा दिये हैं। 75 हजार रुपये, नगरपालिका ने।

श्री रतनलाल ताम्बी : आपकी चिट्ठी ही नहीं पढ़ी मंत्रीजी ने अभी तक।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : काहे के लिये

श्री बनवारीलाल शर्मा : ड्रेनेज की सर्वे कराने के लिए 75 हजार रुपये जमा कर दिये गये हैं चार वर्ष पूर्व। लेकिन आज तक ड्रेनेज की सर्वे कराने की गवर्नमेंट ने कृपा नहीं की है। मेहरबानी करके जलदाय विभाग भी आपके पास हैं और यह विभाग भी आपके पास है अगर जलदाय विभाग में जमा की है तो आप वहां पर पता लगा लीजिये। वह भी आपके पास ही है।

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है कि धौलपुर में आपने सिवाय चक की 1200 बीघा जमीन धौलपुर नगरपालिका के लिये सुपुर्द की है लेकिन उसका भौतिक कब्जा आपने नहीं दिया और भौतिक कब्जा नहीं देने की वजह से मुश्किल यह हो रही है कि एनक्रोचमेंट हो रहे हैं। लोग शपथ पत्र भरकर के मंजूरी ले रहे हैं और मंजूरी लेकर उस पर अतिक्रमण होते जा रहे हैं। तो मेरा यह निवेदन है कि जो नगरपालिका को 1200 बीघा जमीन ट्रांसफर की है गवर्नमेंट ने, उस जमीन का भौतिक कब्जा दिलाया जाय, जिससे कि नगरपालिका को भी मालूम पड़े। आज अतिक्रमण हटाने की बात कहते हैं। नगरपालिका कहती है, हमें यही नहीं मालूम है कि हमारी जमीन कौनसी है और रिकार्ड में 1200 बीघा जमीन ट्रांसफर कर दी है। तो मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप कम से कम विभाग को या प्रशासन को कलक्टर को कहें कि उसका भौतिक कब्जा दें, जिससे कि वहां का अतिक्रमण रोका जा सके।

सड़कों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। आर्थिक स्थिति खराब है। क्षेत्रफल के

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

आधार पर, जितना कि नगर पालिका का क्षेत्र है, उसके आधार पर उसकी आमदनी नहीं है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि किसी प्रकार से आप आर्थिक सहायता देकर के वहां पर सड़कों की जो हालत है, वहां पर नालों की जो हालत है, उसकी स्थिति को सुधारा जाये। हालत यह है कि आज कचहरी में दो-दो, तीन-तीन फीट पानी भर जाता है। सड़कों की हालत यह है कि आठ-आठ महीने से गिट्टी पड़ी हुई है। रोलर से उसको कूटा नहीं गया है। आखिर परेशानी क्या है ? मुश्किल यह आती है कि उन मैम्बर्स के रिश्तेदारों ने ही उसके ठेके ले लिये। उसको पूरा करते नहीं हैं। मेरा आपसे इतना ही अनुरोध है कि आप इसमें जांच कराकर के पता लगायें कि आखिर क्यों नहीं हो रहा है। आठ-आठ महीनों से सड़क पर गिट्टी पड़ी हुई है। इससे बेहतर यह था कि गिट्टी नहीं डालते तो कम से कम रिक्शे, पैदल चलने वाले या साइकिल चलाने वालों को कम से कम दिक्कत तो नहीं आती।

चुंगी की आमदनी के बारे में मेरा आपसे निवेदन है कि आपने असमानता बना रखी है। कहीं पर तो तोल से चुंगी है, कहीं पर कीमत से चुंगी है। इस असमानता को आप समाप्त करें। एक जगह की, किसी भी जगह की आप रखें। वैसे तो चुंगी को ही आपने समाप्त करने की बात कही थी, लेकिन वह नहीं कर पाये किन्हीं आर्थिक कारणों की वजह से, तो इस असमानता को तो आप समाप्त करें। कहीं तोल पर है और कहीं कीमत पर है। धौलपुर नगरपालिका में स्थिति इतनी खराब है, वहां पर इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि इसको आपको रोकने के लिये अंकुश लगाना चाहिये। जहां तक मेरी जानकारी है, मैं कई बार आपके नोटिस में भी लाया हूं लेकिन आपने उसके ऊपर कोई गौर नहीं किया। वहां पर पूर्व चेयरमैन थे, उन्होंने भ्रष्टाचार किया। चाहे वह नौकरी लगाने में किया हो, चाहे अन्य कारणों से किया, मैंने आपसे कहा, आपने जांच कराने के लिये भी भेजा लेकिन एक्शन आज तक नहीं लिया। आखिर क्या कारण है ? क्या आपने यह फ्री हैंड छोड़ रखा है कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिकाएं हैं, उनको भ्रष्टाचार करने की पूरी छूट है, अगर ऐसा है तो हम आपसे कहें नहीं लेकिन अगर नियम में कोई भी अनियमित काम करता है तो, मैंने ईंटों का उठाया, ईंटों में घपला हुआ। आखिर क्यों हुआ उसमें ? कार्यवाही नहीं की। आपके भारतीय जनता पार्टी के जो भी पार्षद हैं, वे नाजायज कब्जा कर रहे हैं। अब नाजायज कब्जा कर रहे हैं और आपसे कहते हैं कि नगरपालिका उसको हटाती नहीं है। आखिर क्या कारण है कि उनके खिलाफ एक्शन नहीं होते ? अगर गलत काम कर रहे हैं, अगर चेयरमैन गलत काम कर रहे हैं और वास्तव में जांच में दोषी पाया जाता है तो किसी भी पार्टी का हो वह, उसके खिलाफ आपको कार्यवाही करनी चाहिये।

इसी प्रकार धौलपुर रोड पर आप देखिये कि 20 दुकानों की उन्होंने परमिशन दी है। पहले जो ई.ओ. था अमरसिंह यादव, उसने नगरपालिका की जमीन को मानते हुए उसकी परमिशन को कैन्सिल कर दिया लेकिन अब नगरपालिका के अधिकारियों ने नगरपालिका के चेयरमैन ने उसी जमीन में उनको मंजूरी दे

(श्री बनवारीलाल शर्मा)

दी, जबकि एक ई. ओ. नगरपालिका की जमीन मान रहा है। दस लाख रुपये की जमीन है और उसको परमिशन दे दी। इसके बाद में चूंकि व्यवसाय है, दुकान है, उन पर रूपान्तरण लेना चाहिए, शुल्क लगना चाहिए, उससे कम से कम दो लाख रुपये की आमदनी होती। पहले ही आमदनी नहीं है और इस प्रकार से सरकारी जमीन को या नगरपालिका की जमीन को फ्री में बांटा जा रहा है इससे और ज्यादा नुकसान हो रहा है। जो नया बस स्टेड है, वहां पर कुछ लोगों ने नगरपालिका की जमीन पर छह दुकानें बना लीं। मैंने यहां पर आपसे प्रार्थना की, यहां पर प्रश्न उठाया लेकिन किसी भी अधिकारी ने, जांच के लिये तो कर देते हैं, एस.डी.एम. को लगा दिया, इसको लगा दिया लेकिन रोकते नहीं और इतने दिनों तक उनको मौका दे दिया और उन्होंने दुकानें बना लीं। इसी प्रकार से पुराने बस स्टैंड पर जहां किसी का लेना-देना नहीं है, इतनी कीमती जगह है अगर आप वहां चाहते हैं तो नगरपालिका उसको नीलाम कर दे, तो मेरा यह निवेदन है कि जो भ्रष्टाचार और अतिक्रमण की भावना पैदा होती जा रही है, उसे कृपया रोकें और धौलपुर नगर की सड़कों और नालों की जो स्थिति है, उसे सुधारने में अपना प्रयास करें, यह मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती इन्दिरा मायाराम।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम (सांगानेर) : सम्मानीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आवास मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहती हूं और बधाई देना चाहती हूं कि वे जयपुर के मंत्री होने के कारण जब भी जयपुर में कोई बात आती है तो जयपुर के सौन्दर्यकरण के बारे में बहुत जोर-शोर से चर्चा करते हैं और वे कहते हैं कि मैं इसको बहुत सुन्दर शहर बनाकर रखना चाहता हूं। उसके लिए मैं यहां पर कुछ उदाहरण पेश करना चाहती हूं कि जो सौन्दर्यकरण जिस तरह से बढ़ रहा है, उसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं कि आपके जयपुर शहर की सबसे जो महत्वपूर्ण सड़क है, मिर्जा इस्माइल रोड, उस पर आजकल कॉमर्शियल बिल्डिंग्स बन रही हैं। उनके नक्शे आपका जे.डी.ए. पास कर रहा है, निगम पास कर रहा है। वह जयपुर की जो वास्तुकला के नमूने हैं, उससे कितने मिल रहे हैं, यह आप स्वयं जाकर जांच करें।

कहीं काले पिलर्स खड़े हैं तो कही रेडियो स्टेशन के सामने कई अजीब-अजीब तरह की बिल्डिंगें बन रही हैं। एक तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाह रही हूं कि जब आप सौन्दर्यकरण के प्रति इतने ज्यादा समर्पित हैं तो कृपा कर के इस सुन्दर जयपुर को जिस को पिंकसिटी कहते हैं और हिन्दुस्तान का पैरिस कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा-सा ध्यान दें।

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि –

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी आपने ध्यान आकर्षित किया था कि एम.आई. रोड पर काले पिलर्स लगे हुए हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : जी।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो मैंने उनको दिखवाया, तो रिपोर्ट यह आती है कि वहां

श्री भंवरलाल शर्मा)

ाले पिलर्स तो कहीं नहीं हैं। काले पिलर्स नहीं है तो जरा बता देना मुझे बाद में।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं बता रही हूं , पहले जो टूरिस्ट बंगला था एम.आई. रोड के पास से जाता है पैट्रोल पम्प के बगल में, सके सामने जो बिल्डिंग बनी है उसके काले-काले पिलर्स हैं। आप आज ही जाकर ख लें।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने तो यह कहा कि एम.आई. रोड़ पर काले पिलर्स लग गये, तो कहीं (व्यवधान)...

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : नहीं, मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा बिल्डिंग बन रही है। आपने सुना नहीं, कामर्शियल काम्पलैक्स नाम लेया मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया। कार्मशियल काम्पलैक्स जो बन रहे हैं उनमें काले-काले पिलर्स बन रहे हैं, मैंने ऐसा कहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : ठीक है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम: जो वास्तुकला, जयपुर के नमूने हैं, अगर आप कार्मशियल बिल्डिंग भी बनायें उनके लिये भी अगर थोड़ा सा जयपुर का गुलाबी रंग जो सदा रहा है और जो जयपुर की वास्तुकला है, उनके नमूने के तरीके से बनायेंगे तो इससे आपके जयपुर का सौन्दर्यकरण बना रहेगा और जो पैसे वालों के दवाब से यह काम हो रहा है यह भी रुक सकेगा।

दूसरा मेरा आप से यह निवेदन है कि जो जयपुर के आस-पास की पहाड़ियों में खनिज का काम हो रहा है उससे जयपुर की सुन्दरता तो खराब हो ही रही है, क्योंकि यह जयपुर आज से ढाई सौ, तीन सौ वर्ष पहले बसाया इसीलिये था कि पहाड़ियों के बीच में था, चारों तरफ से हरी-भरी पहाड़ियां सुन्दर दिखती थीं। उसमें आपने खनिज का इतना अधिक काम करा दिया, इतनी अधिक नंगी और टूटी-फूटी पहाड़ियां हो गयीं कि सुन्दरता तो नष्ट हो ही गयी किन्तु उसके साथ-साथ पर्यावरण भी खराब हो रहा है। तो कृपा करके अगर जयपुर के सौन्दर्यकरण के प्रति इतने समर्पित हैं तो उसको भी बंद करें या उसका भी कोई निर्णय आप लें। यह तो जयपुर के बारे में मेरा आप से निवेदन है।

दूसरा मैं अब आप से यह निवेदन करूंगी कि हमारे माननीय सदस्य, श्री कालीचरणजी कह रहे थे कि आप यहां पर जो कालोनियां हैं उनको सब को नियमित कर रहे हैं, मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि जयपुर की कालोनियां तो आप नियमित कर रहे हैं और सांगानेर में जो अजमेर रोड में चाहे टोंक रोड में कालोनयां हैं उन सब को आप उठा-उठा करके फैंक रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ : वह भी जयपुर में ही आती हैं।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : दस-दस साल से जो लोग बसे हुए हैं कच्ची बस्तियों में उनको बिना कोई नोटिस दिये, बिना कोई दूसरा अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किये, बिना कोई मुआवजा दिये उनके घर उखाड-उखाड़ कर फैंके जा रहे हैं। इतनी ज्यादा ज्यादती उनके साथ क्यों हो रही है ? दूसरी ओर अजमेर रोड और टोंक रोड पर जितने भी अनअथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

हैं उन्हें तोड़ने में लगे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसा का ऐसा दिल्ली और आगरा रोड पर भी करते तो अच्छा था। क्योंकि यह एक कांग्रेस एम.एल.ए. का एरिया है इसलिये इसी रोड पर सारे तोड़फोड का काम जितना अधिक हो सके, वह किया जा रहा है। यहां की जेडीए. ने भी यही कर रखा है कि जितना तोड़फोड़ का काम किया जाय वह सारा का सारा इन दो रोड पर किया जाय। वह भी चलो ठीक है, किया जाता, सब के साथ एक जैसा बरताव होता तो मुझे दुःख न होता। लेकिन यह हो रहा है कि अजमेर रोड पर एक चोखी ढाणी बन रही है, कोई बड़े इंडस्ट्री वाले बैठे हैं उनके मकान के तो कोई हाथ नहीं लगा रहा बेचारे गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं। गरीबों की दुकानें तोड़ी जा रही हैं। तो कृपया इसके बारे में भी जांच करायी जाय। अगर आपको सचमुच ही ऐसा करना है तो सभी के मकान तोड़ियेगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा पक्षपातपूर्ण व्यवहार ना हो कि यह लगे कि पैसे वालों से यह सरकार दब जाती है गरीबों के साथ अत्याचार कर रही है, किसानों के साथ अत्याचार कर रही है।

मैं एक और निवेदन करना चाहती हूं। अभी आप कह रहे थे कि नया जयपुर बसाने की योजना, हमारे माननीय सदस्य, कालीचरण जी ने कहा कि इसलिये हटायी गयी कि किसान लोग नाराज थे। किसान तो इस पृथ्वीराज नगर योजना से सख्त नाराज हैं उसके बावजूद भी आप उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और उन बेचारों के साथ ज्यादती हो रही है, उनकी जमीन के बारे में न उनसे नेगोसिएशन कर रहे हैं न उनसे कोई बातचीत कर रहे हैं। नया जय क्योंकि बदलना था, उस क्षेत्र को बदलना तब तो आपने किसानों की नाराजगी बता और इधर आपको बनाना है तो वहां किसा की कोई नाराजगी नहीं है। अगर किसानों इतनी ही चिंता है तो कृपा कर के इस पर ध्यान दें कि पृथ्वीराज नगर में जो आप किसा को जमीन ले रहे हैं, उनसे नेगोसिएशन क उनसे बातचीत करें। जब आप उनकी जमी लेते हैं तो उनके बच्चों को नौकरियां दें क कि आप उनके कृषि का धंधा, उनका डेय का धंधा तो छीन लेंगे, वह ना जानवर र सकेंगे, न किसानों के पास खेती रहेगी तो क खायेंगे कल वो ? पैसा तो आयेगा औ चला जायेगा। इसलिये कृपा करके उनके बच्च के लिए नौकरी का, रहने के लिये मकानों क यह सारा प्रबंध करें तभी पृथ्वीराज नगर क बारे में उनसे बातचीत करके योजना करें उनके साथ जबरदस्ती नहीं की जाय।

मैं एक बात और पूछना चाहूंगी कि पिछले दिनों जो यहां आपकी सरकार ने एक गृ निर्माण समितियों के बारे में थोड़ा केम्पेन शुरू किया था, उसमें कुछ लोगों का आपने चाला भी किया, वह क्यों बंद किया गया ? किस के प्रभाव से कुछ लोगों को छोड़ दिया गया : क्या पैसे वालों के और प्रभावशाली व्यक्तियो के प्रति नहीं किया जायेगा और छोटे लोग जो प्रभाव नहीं ला सकते उन्हीं को गिरफ्तार किया जायेगा, उन्हीं के खिलाफ चालान किये जायेंगे ? अगर आपने अभियान शुरू किया था तो फि सब के खिलाफ करते, चाहे वो प्रभावशाली व्यक्ति थे, चाहे वो गरीब व्यक्ति थे। बहुत अच्छा काम था वो क्योंकि अनअथोराइज्ड

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

कालोनियां बन रही थीं, जो गरीबों से पैसे ले लिये थे ना उनको जमीन मिल रही थी या किसानों को पूरे पैसे मिल रहे थे, उनको भी ऐसे ही आधे पैसे लेकर के जमीनें ले ली थीं। काम बहुत अच्छा था, सराहनीय था लेकिन उसको जिस ढंग से पक्षपातपूर्ण तरीके से किया गया वह सही नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगी कि उस काम को फिर से करें और सारे लोग जो इस तरह के धंधे कर रहे हैं उनको रोका जाये और जो आपका जे.डी.ए. है उसको छोटे-छोटे प्लाट बांटने चाहिए गरीब लोगों को तब ये सोसायटीज के पास जाना बंद करेंगे।

एक मेरा निवेदन आप से और है कि मानसरोवर में कमला नेहरू नगर में, चौधरी नगर में निगम के आपके सदस्य हैं। मैं मानती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं किन्तु इसका मतलब यह नहीं होता है कि आपके हाउसिंग बोर्ड का काम भी हो तो उन्हीं के हाथों के द्वारा कराया जायेगा क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के हैं, जे.डी.ए. का काम होगा तो भी उन्हीं के हाथों से होगा क्योंकि वह भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं। जब गवर्नर साहब के काल में थड़ियां अलाट हो गयी थीं तीन साल पहले, ढाई साल पहले उनका पैसा जमा हो गया 267 लोगों का, हमारे मंत्री महोदय यहां बिराजे हुए हैं, वो खुद पट्टा बांट कर आये। सब लोगों के पैसे जमा किये गये और उसके बाद में हाउसिंग बोर्ड ने चार-चार बार उनकी जांच कर ली। तो अब निगम वालों की जांच करने से क्या मतलब? सिर्फ इसलिये कि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर यह प्रभाव रहे कि हम करा रहे हैं यह काम और उनको बेचारों को किसी को कह देते हैं कि यह गलत है, बड़ा घोटाला है। हाउसिंग बोर्ड भी तो आप ही के अन्तर्गत आता था, हाउसिंग बोर्ड वाले घोटाले कर रहे थे और निगम के आपके लोग बहुत ईमानदार हैं? यही मतलब हुआ। तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगी, जिन गरीबों के बेचारों के पैसे जमा हो गये।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, आपने सब को बहुत समय दिया आखिर मुझे थोड़ा सा समय तो दीजियेगा, इतना तो दे दीजियेगा कि उनसे आधा ही सही। पूरा ना दें तो आधा समय तो दे दें।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे जानकारी मिली है कि आपकी तबियत भी खराब है।

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : हां, वो मुझे मालूम है इसलिये तो मैं जल्दी बोल रही हूं।

मैं आपसे यह निवेदन कर रही थी जिनकी जांच आपके हाउसिंग बोर्ड वाले चार-चार बार कर चुके, इतने दिन से पैसा जमा है। जिस पर उनका ब्याज लग रहा है उन गरीबों के पैसे अगर आठ-आठ हजार, दस-दस हजार रुपये जमा हैं उनको जितना जल्दी हो सके थड़ियों की जमीन का पजेशन दिया जाय, पट्टे दिये जायं ताकि वो अपनी दुकानें बना सकें।

दूसरा एक मेरा निवेदन यह था कि हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि जयपुर में निगम बहुत बढ़िया काम कर रहा है। मैं उनको यह कहना चाहती हूं कि जितनी खराब हालत गंदगी की आज है, चाहे सूर्य नगर, सिविल लाइंस चले जाइये, जहां मंत्रीगण रहते हैं, उनके पीछे एरिये में जाकर देखिये क्या सफाई की हालत है और अब बरसात होते ही जो सड़ांध होगी वहां पर लोग बीमार होंगे और तो और जो

(120)

(श्रीमती इन्दिरा मायाराम)

आपका वी.आई.पी. रूट है अशोक मार्ग उस पर भी क्या खराब हालत है, कितनी गंदगी है। और अभी कह रहे थे कि बहुत बढ़िया-बढ़िया लाइटें लगायी हैं। वह जरा जाकर देखें तो सही कितनी लाइटें उनमें से जल रही हैं। लगाने से कुछ नहीं होने वाला उनको देखा करिये कितनी लाइटें लग रही हैं और फिर कमला नेहरू नगर, केसरी चन्द नगर और मानसरोवर में गन्दगी की बहुत बुरी हालत है। वहां गलियां और नालियां सड़ रही हैं। उनको आप मेहरबानी करके नगर निगम वालों से कहियेगा चाहे वह किसी का इलाका हो चाहे कांग्रेस के सदस्य हैं चाहे कोई और सदस्य हैं, उन इलाकों में भी थोड़ा बहुत ध्यान दें। वहां पर सफाई का काम करायें क्योंकि बरसात का मौसम आ रहा है, आ ही गया है करीब-करीब। इससे बीमारियां फैलेंगी और हालत खराब होगी।

मेरा एक ओर निवेदन है कि जगतपुरा में अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने जहां पर लोग जवाहर नगर से उठाकर बैठाये गये थे, उनको वहां बसाया गया था, उनको वहां प्लाट दिये गये थे, उनकी वहां बस्ती बनी थी। उस जमीन को जे.डी.ए. में लेकर अलाट कर दी और उनके मकानों को तोड़ने के लिए वहां लोग पहुंच जाते हैं। अब आप बताइये आपने स्वयं बिठाया था जवाहर नगर से उठाकर, वहां पर लोगों को बिना अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किये आज उनको उठाने का क्या मतलब है। अगर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करेंगे भी तो क्या वह रोज-रोज उठाकर ही भागते रहेंगे अपने सामानों को, बच्चों को उठाकर गरीब लोग कहां जायेंगे। इसलिए जैसे मेरे भाई कालीचरण जी ने कहा अगर ऐसा किया गया तो वह भी उनके साथ हैं। चाहे पार्टी कोई हो हमें धरना देना पड़ेगा तो धरना देंगे। लेकिन इस तरह कालोनियों को उजड़ने नही देंगे जैसा के जे.डी.ए. वाले करना चाह रहे हैं। इस तरह की जो पुरानी कालोनियां हैं वहां पर आपको पहले देखना चाहिये कि कितनी पुरानी कालोनियां हैं, उनकी जगह को किसी और को अलाट करने से पहले यह मालूम करना चाहिये कि वहां पर अगर कालोनी बसी हुई है तो उनको अलाट नहीं करना चाहिए।

मेरा एक निवेदन और है। बगरू में जो दुकानें, बगरू नगरपालिका की तरफ से अलाट हुई थीं या सांगानेर में नगर निगम की तरफ से दी गयी थीं उनका उनको पजेशन नहीं दिया जाता। डेढ़-डेढ़, दो-दो साल से जो एक्जीक्यूटिव आफिसर हैं, वह लेकर बैठ जाते हैं। वह रोते हुए पट्टे लेकर घूम रहे हैं कोई सुनवाई करने वाला नहीं। कृपया आप अपने सरकारी अधिकारियों को ऐसे निर्देश दें कि कम से कम जिन लोगों को पट्टे मिल गये हैं उन लोगों को तो पजेशन जितना जल्दी हो सके, दिया जाना चाहिए ताकि गरीब लोग, जिन अनुसूचित जाति के लोगों को पट्टे दिये गये हैं, वह अपना धंधा शुरू कर सकें। आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बनवारी लाल जी भिण्डा।

श्री बनवारी लाल भिण्डा (फतेहपुर) : मानीनय उपाध्यक्ष जी, मैं नगरपालिका और नगर परिषदों के संचालन की दृष्टि से जो

(श्री बनवारी लाल भिण्डा)

व्यावहारिक कठिनाइयां आ रही हैं उनके सम्बन्ध में चर्चा करूंगा।

आज नगरपालिकाओं के संचालन की दृष्टि से हमने कुछ नियम, कानून और कायदे बनाये। उन नियम, कानून-कायदों के अनुसार पालिकाएं चल रही हैं। उन पालिकाओं की व्यवस्थाओं के अन्दर, आर्थिक सुधार के अन्दर हमने व्यवस्था दी। अन्यान्य ढंग की व्यवस्था दी। जैसे धोलपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमने निरंकुश चेयरमैन बनाने की दृष्टि से इस ढंग का कानून में प्रावधान रखा। किन्तु वास्तविकता तो यह है कि हमने उसको निश्चितता प्रदान करने की दृष्टि से इस ढंग का कानून में संशोधन रखा और कानून पारित किया कि एक निश्चित अवधि के अन्तर्गत नगर पालिका के चुनाव हों और नगर पालिका निश्चित रूप से निर्भीकता के साथ कानून-सम्मत ढंग से काम करे। अब नगरपालिका में ऐसी व्यवस्था दी कि छह महीने तक विशेष परिस्थितियों में एडमिनिस्ट्रेटर रह सकता है अन्यथा नगरपालिका के चुनाव नियमानुसार होते रहें। अब यह कहने की आवश्यकता नही होगी कि कोई 22 साल तक या 13 साल तक नगरपालिकाओं और नगर परिषदों के चुनाव नहीं होंगे। इसके लिये तो मैं खास तौर से सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इस ढंग से प्रावधान किया। किन्तु एक बड़ी मुसीबत सामने आती है कि आज माइनोरिटी का चेयरमैन है, या मैजोरिटी का चेयरमैन है। नियमों के अन्तर्गत लिखा हुआ है कि एक महीने से नगरपालिका की मीटिंग बुलायी जाये। अब कोई मीटिंग नहीं बुलाता है तो उसके लिये क्या व्यवस्था है ? अब यह व्यवस्था न तो डी.एल.बी. के पास है न मंत्रीजी के पास है। अब इसमें मेरा ऐसा मानना है कि जो डेमोक्रेटिक नौर्म्स हैं, यह यहां जाकर समाप्त होते हैं। यदि नगरपालिका एक महीने से और कहीं-कहीं तो 12 महीने तक भी मीटिंग नहीं बुलायी जाये, 6 तक भी मीटिंग नहीं बुलायी जाये तो लोग या तो कोर्टों के दरवाजे खटखटाएं या डीपली कानून के अन्दर जायें। इस दृष्टि से मेरा एक सुझाव है कि आवश्यकता हो तो कानून में कोई तबदीली की जाये या ई. ओ. को इस ढंग से पाबन्द किया जाये कि जो चेयरमैन एक महीने में मीटिंग नहीं बुलाते हैं, इ.ओ. को पाबन्द किया जाय या कानून के अन्दर इस ढंग की व्यवस्था की जाये जिससे कि नगरपालिका सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से चल सके। अन्यथा मनमाने ढंग से एक व्यक्ति की कलम से जो काम होंगे उस काम का नतीजा विचित्र ही आयेगा। फिर जांचें होंगी। फिर गलत काम, गलत परम्पराएं, यह सब डवलप होंगे।

दूसरी एक समस्या है नगरपालिकाओं के अन्दर पिछले कुछ वर्षों से भर्ती के लिये हाई कोर्ट से स्टे लगा हुआ है। अब इस स्टे को नगर पालिका तो दूर नहीं कर सकती। इस स्टे को दूर करने की दृष्टि से तो मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार की ही ड्यूटी है। आज सक्षम लोगों के अभाव में नगर पालिकाओं को व्यवस्थित रूप से चला नहीं पाते हैं। केवल फोर्थ क्लास एम्पालोई की भर्ती के लिये नगरपालिका को डी.एल.बी. से एन.ओ.सी. मिल सकती है। इसके अलावा कोई भी एन.ओ.सी. किसी प्रकार की नगरपालिका से मिल नहीं सकती। इसके परिणामस्वरूप, मैं ऐसा मानता हूं कि यह ठेकेदारी की व्यवस्था डवलप हुई। और इस ठेकेदारी की व्यवस्था में एक तरह का अनैतिक वायुमण्डल, एक अनैतिक समाज की रचना हम लोगों के सामने आ रही है जो

(श्री बनवारी लाल भिण्डा)

नहीं आनी चाहिए। ठेकेदारी करनी जरूरी हो रही है क्योंकि आदमियों को अपाइंट नहीं कर सकते। बोर्ड को सुव्यवस्थित चला नहीं सकते आदमियों के अभाव में तो ठेका देना पड़ता है। और ठेका देना पड़ता है तो चेयरमैन पर भी अंगुल उठती है तो अधिकारियों पर भी अंगुली उठती है।

(16.48)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

ठेकेदारी व्यवस्था तो एक मैनेजिंग व्यवस्था है और मैनेज शब्द बहुत ही भयावह है कि मैनेज करके कोई भी काम किया जाये, उसके दुष्परिणाम हैं वह सामने आ रहे हैं। इस नाते मैं बहुत ही विनम्र शब्दों में सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि नगरपालिका व्यवस्थित रूप से चले, इस दृष्टि से आवश्यक हो तो कोई कानून बनाया जाये जिससे कि हर महीने या महीने में दो मीटिंगें या चार मीटिंगें जैसा भी हो, कर सकें और उसके अनुसार काम हों।

दूसरी बात उसके अन्दर आज मुझे मालूम नहीं किस ढंग की असुविधा है सरकार को, किन्तु आखिर में असुविधा सरकार को ही दूर करनी पड़ेगी। बोर्ड के अन्दर नई भर्ती हो, लोगों को काम मिले। इस दृष्टि से बोर्ड व्यवस्थित रूप से चले। यही दो बातें मुझे कहनी थीं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री धारीवाल जी।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मां संख्या - 29 नगर आयोजना पर वाद-विवा और पारण होने तक सदन का समय बढ़ा जाये।

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की सहमति है

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

श्री रामनारायण चौधरी : बढ़ाने का टाइ निश्चित होना चाहिए एक घंटा, दो घंटा, आध घंटा। मांग पारण तो चार बजे तक नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष : जब आपने फरमा दिया कि जब तक यह मांग पारण हो तब तक...

श्री रामनारायण चौधरी : आसन से रूलिं है, व्यवस्थाएं दी हुई हैं कि निश्चित अवधि तक ही प्रस्ताव किया जा सकता है कि अमुक समय तक बढ़ाया जाय। जब तक मांग का पारण नहीं हो तब तक...

श्री अध्यक्ष : आसन से ऊपर सदन और सदन ने हां कर दी है, तो बढ़ाया जाता है। There is no question now.

श्री रामनारायण चौधरी : हां तो कर द लेकिन आप ऐसी परिपाटी मत डालो, मान्यवर सात बजे तक या सात बजे के बाद तक आ कर लो, इसमें क्या दिक्कत है ?

मांग संख्या - 29 पर विचार

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिण्डौली) अध्यक्ष महोदय, मैंने चार कट मोशन दिये है लेकिन एक कट मोशन की बाबत मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे यह सूचना मिली है कि जो जमीन हाउसिंग बोर्ड ने ली थी औ जिस ज़मीन पर जेडीए. ने कब्जा कर लिया

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

था, वापस के.डी.ए. ने हाउसिंग बोर्ड को सुपुर्द कर दी। खुशी की बात है कि हाउसिंग बोर्ड को अपनी प्रोपर्टी मिल गयी। लेकिन बाकी जो तीन कट मोशन हैं उनमें से दो कोटा नगर निगम की बाबत है।

आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हालत यह है कोटा नगर निगम के पचासो किस्से हैं और किस-किस को उठायें, किस-किस के साथ न्याय की अपील यहां पर करें, कुछ समझ में नहीं आता।

एक व्यक्ति ने एक पुराना मकान खरीदा। पुरान मकान था टोटल रेजीडेंशियल। उसने एप्लाई किया कि मैं इसमें नीचे कॉमार्शियल बनाना चाहता हूं और ऊपर रेजीडेंशियल बनाना चाहता हूं, मुझे आप फीस बता दो। तामीर कमेटी में केस गया। तामीर कमेटी ने प्लाट की साइज देखकर अपनी मीटिंग में एक तेरह हजार एक सौ पच्चीस रुपये का डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिया और नक्शा पास कर दिया। एक लाख तेरह हजार एक सौ पच्चीस रुपया जिस रोज तामीर कमेटी ने फैसला करके डिमाण्ड नोट जारी किया, इस व्यक्ति ने दूसरे रोज नगर निगम में पैसा जमा करा दिया जिसकी रसीदें मौजूद हैं और यह इजाजत दे दी जिसकी यह इजाजत मौजूद है जिस पर कि मेयर के दस्तखत हैं और आयुक्त के दस्तखत हैं। अब इसके बाद इस व्यक्ति ने नक्शा जब पास हो गया, इजाजत उसके पास आ गयी तो तामीर बनाना शुरू कर दी। तामीर उसने बनाना चालू करके करीब तीन-साढ़े तीन लाख रुपया इस तामीर पर खर्च कर दिया और आधी अच्छी बात इसने यह की कि जो पुरानी तामीर थी जिसको इसने खरीदा था जिस पुराने ढूंढे मकान को खरीदा था, उससे भी तीन फुट दूर जगह छोड़कर के सड़क और चौड़ी कर दी। इसने तीन फुट दूर छोड़कर मकान की तामीर बनाना शुरू किया। नक्शे के मुताबिक लगभग तीन लाख रुपया खर्च करने के बाद एक रोज रात्रि को एक नये आयुक्त महोदय वहां पर आये और नये आयुक्त महोदय ने यह कहकर कि मेयर ने आदेश दिया है, तामीर रात को तीन बजे आकर अमले से तोड़ दी गयी। तामीर टूटती रही सुबह नौ बजे तक।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नाम बता दें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आमिल अली, जाफिर अली, इस्माइल अली, मंसूल अली और जरीना बेगम, पांच व्यक्ति इस मकान के नये मालिक हैं और ये सारे कागजात हैं जो मैं आपके पास पेश कर दूंगा यह तो हैं बाकायदा मेयर के दस्तखत और आयुक्त के दस्तखत, यह कनवर्जन फीस जो उसने जमा करायी एक लाख तेरह हजार एक सौ पच्चीस रुपये की रसीद और यह उसका टाइटल। टाइटल पर कहीं कोई डिसप्यूट नहीं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि यह जो कुछ भी हुआ मुख्य मंत्री महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं और इस व्यक्ति को न्याय दिलवाना चाहता हूं इसलिए आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि सिर्फ एक पार्षद ने मेयर को दबाया और इस बात पर दबाव डाला कि साहब आपने मुझसे बगैर पूछे इजाजत क्यों दे दी ? और दी हुई इजाजत पर मेयर ने कह दिया आयुक्त से कि जाकर तोड़ आओ और तोड़ने का क्या बहाना बनाया कि साहब

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

आवागमन में यह मकान दुविधा पहुंचा रहा है। यह व्यक्ति गया अदालत में। अदालत में जाकर इसने वहां पर कमिश्नर नियुक्त करवाया, कमिश्नर ने जो अदालत में रिपोर्ट दी है वह आपके सामने पढ़कर सुना देता हूं। वहां से बाद में उसको स्टे मिला।

रिपोर्ट, कमिश्नर। उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र में मुझे जमीर अहमद अंसारी एडवोकेट के विवादीय स्थल का निरीक्षण करके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कमिश्नर नियुक्त किया है। माननीय न्यायालय के इस आदेश की पालना में दोनों पक्षों के अभिभाषकगण को सूचना देकर दिनांक 15.5.96 को , लेटेस्ट केस है साहब यह, मेरे द्वारा विवादित स्थल का निरीक्षण दिन में दो बजे किया गया। दौरान निरीक्षण प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए जिनकी उपस्थिति में निरीक्षण किया गया। प्रतिपक्षी की ओर से बावजूद सूचना, नगर निगम का कोई आदमी मौजूद नहीं हुआ वह रिपोर्ट। आखिर में यह लिखता है कि इतना फुट था, इतना यह था, क्षतिग्रस्त हो गये। इनके सरिये वगैरह गैस के जरिये काट दिये गये और विवादीय स्थल के पश्चिम में सड़क है, बालिका स्कूल की तरफ जाती है। विवादीय स्थल के दक्षिणी कोने के सामने सड़क है और तीन फुट चौड़ा इतनी अपनी उसमें से छोड़ा है। सीढ़ियां वाद निरीक्षण विवादीय स्थल पर मय नजरी नक्शा कमिश्नर माननीय न्यायालय की सेवा में पेश है जिसमें यह लिखा है कि सड़क अधिक व्यस्त नहीं है, आवागमन में कहीं कोई अवरोध नहीं है। यह बहाना बनाकर के कि साहब आवागमन में अवरोध है, दी हुई इजाजत को छोड़ दिया गया। एक लाख तेरह हजार एक सौ पच्चीस रुपया जमा करवाया गया कुल मिलाकर चार लाख रुपये का इसका नुकसान हुआ है एक मामला तो यह है।

दूसरा निवेदन मैं आपसे यह करना चाहता हूं कि एक फिनाइल का कान्ट्रेक्ट नगर निगम ने किया एक फर्म से। सालभर का कान्ट्रेक्ट किया यह और सालभर के कान्ट्रेक्ट का मतलब होता है कि पूरे साल वह एक ही रेट में माल सप्लाई करेगा वीके. ट्रेडर्स। यह बिल है वी. के. ट्रेडर्स का। इसने यह गड़बड़ की माननीय मंत्री महोदय कि 206 पीपी और एक पीपी में पांच लीटर फिनाइल होता है तो कुल मिलाकर फिनाइल हो गया 1030 लीटर फिनाइल। यह तो सप्लाई किया और सप्लाई करने के बाद में नगर निगम के स्टोर में यह माल पहुंच गया। स्टोर कीपर ने बाकायदा इसको रिसीव कर लिया, रजिस्टर में चढ़ा दिया। एईएन. के, जेईएन. के वगैरह-वगैरह के सबके दस्तखत करवा लिये लेकिन जब उसने बिल पेश किया तो बिल पेश करके उसने 206 के बजाय दो के स्थान पर सात बनाकर उसको 706 कर दिया और 1030 लीटर की बजाय उसने 3530 लीटर बना दिया है। कुल मिलाकर उसका बिल था चालीस हजार नौ सौ चौरानवें रुपये का। उसके बजाय उसने एक आगे बढ़ाकर एक लाख चालीस हजार नौ सौ चौरानवें रुपये लिख दिया। जब यह बिल वहां पर पहुंचा और स्टोर कीपर की निगाह में आया कि साहब यह बिल पास हो रहा है, तो स्टोर कीपर ने लिखकर मेयर को यह कागज दिया और उसमें उसने लिखा, अपनी दरख्वास्त में, कि इस प्रकार फर्म द्वारा 31 मार्च, 1996 तक 206 पीपी फिनाइल

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

उपलब्ध करवायी गयी थी। तृतीय चालान जो भुगतान के लिए बिल मार्च में पेश किया गया वह 206 पीपी का चालीस हजार नौ सौ चौरानवें रुपये का था, पेश किया गया था। जिसको मेरे द्वारा स्टाक पंजिका में 23.3.96 को इन्द्राज रजिस्टर में स्टोर कीपर की हैसियत से स्टोर प्रभारी महोदय, स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के हस्ताक्षर करवाकर के लेखा शाखा में फाइल भिजवा दी थी। दिनांक 4.4.96 को मुख्य कार्यालय में जाने पर जानकारी प्राप्त हुई कि फिनाइल के सप्लायर को एक लाख चालीस हजार नौ सौ चौरानवे रुपये का चैक बनाया जा रहा है। यह सुनकर मैं हस्त पस्त रह गया। मैंने इस सम्बन्ध में तुरन्त लेखा शाखा से सम्पर्क किया कि यह भुगतान ज्यादा हो रहा है, इसे रोका जाये। भुगतान सिर्फ चालीस हजार नौ सो चौरानवें का होना चाहिए। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और उसको एक लाख चालीस हजार नौ से चौरानवें रुपये का भुगतान कर दिया गया (व्यवधान) हो गया। यह बिल है उसका और उसमें साफ ओवर राइटिंग नजर आती है।

(17.00)

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : आपकी तो नहीं है राइटिंग।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी है तो आप जांच करवा लें। माताजी, आपको तो पूरा अधिकार है मेरी जांच करवाने का।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय धारीवाल जी, यह वही केस है क्या जिसके लिये आप मुझे बता रहे थे ? यह सी.बी.आई. में दिया हुआ है वही है क्या ?

श्री शांति कुमार धारीवाल : नहीं, वह दूसरा मामला है वह खल चूरी का था जिसमें खल चूरी के लिये लाख-दो लाख रुपये की खल चूरी बताकर चूरी आयी नहीं और मामला हो गया। कई केस हैं, कई मामले हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : ऐसे तो माननीय मंत्री महोदय अनेक मामले हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरा आखिरी निवेदन एक मामले में और है जो जयपुर में स्थित है।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर में चैनपुरा गांव में गोकुल वाटिका सहकारी समिति की जमीन में जिसमें खसरा नम्बर 44–45, वगैरहा, वगैरहा पता नहीं कितने खसरे थे लेकिन कुल मिलाकर उसका रकबा जो था वह 51 बीघा 2 बिस्वा जमीन का था। जो कि 16.2.81 को अवाप्त कर ली गयी थी सरकार द्वारा और जिस पर बाद में जे.डी.ए. द्वारा 25.5.84 को कब्जा प्राप्त कर लिया गया था। मंत्री महोदय, किस्सा सुनें आप, संकट का किस्सा है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इस पर 25.5.84 को कब्जा प्राप्त कर लिया। यह भूमि बजाज नगर से हवाई अड्डा योजनान्तर्गत अवाप्त की गई थी। अब यह गोकुल वाटिका गृह निर्माण सहकारी समिति के रूप में न तो पंजीकृत है। आप यह बताने का कष्ट करें कि अगर कोई गृह निर्माण सहकारी समिति पंजीकृत नहीं है तो क्या अब पंजीकृत हो सकती है ? सन् 1977 के बाद में कोई भी गृह निर्माण सहकारी समिति पंजीकृत नहीं हो सकती। जब बेन लगा हुआ है तो फिर किस प्रकार से 1990 में जब आपकी सरकार आयी तो इस गैर पंजीकृत गृह निर्माण सहकारी समिति से कन्वर्जन की फीस जमा करवा ली गयी और किस प्रकार सब

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

डिवीजन की फीस जमा करवा ली गयी? जब गृह निर्माण सहकारी समिति को पंजीकृत ही नहीं किया जा सकता तो यह नियमन किस प्रकार करने जा रहे थे ?

इसी जमीन पर, गोकुल वाटिका सहकारी समिति की जमीन पर, 6 बीघा 15 बिस्वा पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने दो करोड़ रुपया खर्च करके जयपुर सर्किल बना दिया और जयपुर सर्किल ही नहीं बनाया कुछ और करोड़ रुपया खर्च करके आस-पास डवलपमेंट कर लिया। अब यह डवलपमेंट करने के बाद जब इतनी जमीन उसमें ले ली और करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, आज क्या नौबत आ रही है कि गोकुल वाटिका गृह निर्माण सहकारी समिति, जो कि पंजीकृत नहीं है, जिसने वक्त पर कन्वर्जन की फीस जमा नहीं करवाई, बाद में जमा करवायी, फर्जी तरीके से जमा करवायी, गैर कानूनी तरीके से जमा करवायी, सब डिवीजन की फीस भी गैर कानूनी तरीके से करवायी और लास्ट डेट के बाद करवायी, आज यह जमीन उसको वापस देने का सरकार क्यों सोच रही है ? सोच ही नहीं रही है, केबिनेट मीमो भी तैयार कर लिया है। यह केबिनेट मीमो मैं पढ़कर बताना चाहता हूं।

श्री नन्दलाल मीणा : यह आपके पास कहां से आया ?

श्री चन्दनमल बैद : आया (व्यवधान)

श्री नन्दलाल मीणा : + + +

श्री चन्दनमल बैद : आपके मुख्य मंत्री के पास बहुत से कागज आते थे, आपकी नाराजी से आया।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह केबिनेट मीमो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इस केबिनेट मीमो को आप पढ़ लेंगे।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : 1984 में आ॰ थे, आप क्या बिगाड़ खाता कर गये ?

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं इस केबिने॰ मीमो को पढ़कर सुना देता हूं सारा केस साम॰ आ जायेगा, 14.6.96, 25 दिन पहले ॰ वाक्या है, मंत्रिमण्डल ज्ञापन विषय गोकु॰ वाटिका सहकारी समिति लि. ग्राम चैनपुरा...

श्री अध्यक्ष : यह जो शब्द आये हैं इसक॰ एक्सपंज कर दीजिये।

श्री शांति कुमार धारीवाल : ग्राम चैनपु॰ की नम्बरान भूमि अवाप्ति को मुक्त करने ॰ सम्बन्ध में। यानि कि एक्वायर लैण्ड को आ॰ डी-एक्वायर करने जा रहे हैं। गोकुल वाटिक॰ सहकारी समिति ग्राम चैनपुरा स्थित खस॰ नम्बर फलाना, फलाना...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : इतना सा ही पढ़ रहा हूं।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : यह चैनपुरा कह॰ है ? शहर में है, गांव में हैं, कहां पर ॰ चैनपुरा? मेरे इलाके की बात कर रहे हो क्या ? मान्यवर, चैनपुरा मेरा गांव है आप वहां की बात कर रहे हो क्या ? कहां है यह ?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : माताजी आपकी जानकारी जयपुर के बारे में कुछ नहीं है और आप सालों से यहां की विधायक रही हैं।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्रीमती उजला अरोड़ा : कौनसे चैनपुरा की बात कर रहे हो मैं तो पूछ रही हूं। आपको बताने में क्यों जोर आ रहा है। नहीं तो धरे रखो इस कागज को जेब में। मैं पूछ रही हूं चैनपुरा कहां है, आपको जोर क्यों आ रहा है?

श्री शांति कुमार धारीवाल : एयर पोर्ट के पास जो चैनपुरा है, जहां पर जयपुर सर्किल बन चुका है।

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपके द्वारा।

श्री अध्यक्ष : कृपया दो मिनट में समाप्त करें अपनी बात।

श्री शांति कुमार धारीवाल : 51 बीघा 2 बिस्वा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही की जाकर अवार्ड दिनांक 16.2.81 को पारित किया जाकर अधिकरण द्वारा भूमि का कब्जा 25.5.84 को प्राप्त कर लिया गया था। समिति ने अवाप्ति की राशि प्राप्त नहीं की। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि बजाज नगर से हवाई अड्डा योजनान्तर्गत अवाप्त की गयी। भूमि का उपयोग आवासीय है। अवाप्ति के बाद भूमि का कब्जा किया जा चुका है। अतः अब भूमि पर अवाप्ति से मुक्त करना सम्भव नहीं है। केबिनेट मीमो में लिखा हुआ है। डी-एक्वायर नहीं कर सकते आप उसको। गोकुल वाटिका गृह निर्माण सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत नहीं है, यह खुद मानते हैं कि यह पंजीकृत नहीं है। इसका गृह निर्माण सहकारी समिति के रूप में अब पंजीकृत होना सम्भव भी नहीं है। यह समिति उक्त खसरा नम्बरान की भूमि के खातेदार एवं अवार्ड के व्यवहार न्यायालय में चुनौती दी हुई है। अवार्ड को गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा न्यायालय में चुनौती दे रखी है।

हालांकि इस समिति के खाते के रूप में मार्च, 1992 में स्थानान्तरण शुल्क की राशि जमा कर दी गयी थी। उप विभाजन शुल्क भी जमा किया गया था। लेकिन समिति गृह निर्माण सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत नहीं होने पर इसका नियमन नहीं हो सका। जबकि लास्ट डेट थी 30.5.82 और कन्वर्जन की और सब डिवीजन की रकम जमा की 1990 में। उपरोक्त भूमि में खसरा नम्बर 47 की 6 बीघा 15 बिस्वा भूमि पर जयपुर सर्किल और 200 फुट की पट्टी को संस्थागत उपयोग के लिये आरक्षित किया जाना है तथा इस प्रकार कुल 12 बीघा 10 बिस्वा भूमि आरक्षित की जायेगी। इस प्रकार शेष बची हुई 31 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर प्राधिकरण आवासीय योजना बनाना चाहता है। जबकि गोकुल वाटिका सहकारी समिति ने 31 बीघा 17 बिस्वा भूमि की अवाप्ति को मुक्त करने के लिये निवेदन किया है। यह भूमि समिति के कब्जे में भी नहीं है और इसको मुक्त करना सम्भव भी नहीं है।

राजस्व विभाग के परिपत्र 18.2.94 के तहत भी इस प्रकरण का निस्तरण नहीं हो सकता क्योंकि गृह निर्माण सहकारी समिति के रूप में इस समिति के द्वारा 30.5.82 से पूर्व स्थानान्तरण शुल्क जमा नहीं करवाया गया था। आखिरी जो सबसे इम्पोर्टेंड चीज है, वह यह है मंत्रिमण्डल ज्ञापन में जिससे सारा का सारा यह घपला किया जा रहा है। इस प्रकरण का समाधान करने के लिए जयपुर विकास अधिकरण शेष बची हुई 31 बीघा 17 बिस्वा भूमि को समिति के उन्हीं सदस्यों को रूपान्तरण शुल्क की दस गुना राशि...

श्री अध्यक्ष : बार बार आप शुक्ल-शुक्ल बोल रहे हैं, शुल्क।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपने करेक्ट कर दिया, धन्यवाद। मैं फीस बोल दूंगा। मुझसे बोला नहीं जाएगा। यह दस गुना राशि वसूल कर आबंटित कर दें। कुल मिलाकर मतलब यह है कि 9 रुपये स्क्वायर यार्ड तो है कन्वर्जन फीस। अब यह कहते हैं कि दस गुना इस पर पैनल्टी लगाकर 90 रुपये में दे दो और दाम है वहां पर दस हजार स्क्वायर यार्ड।

कुल मिलाकर उस जमीन की आज मार्केट वेल्यु कम से कम 50 करोड़ रुपया है। जिस जमीन को यहां दिया जा रहा है, दिये जाने की तैयारी हो रही है।

श्री चन्दनमल बैद : मैं बोला तो मेरे गले पड़ गये। काकाजी, अब काकाजी ले लो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : समिति अवार्ड के विरुद्ध दायर प्रकरण को वापस लेने एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा निर्धारित दर से अवार्ड लेने की राशि भी प्राप्त कर लें। यहां तक किया जा रहा है 31 बीघा जमीन तो उनको 90 रुपये स्क्वायर यार्ड में दी जा रही है और जो 12 बीघा और कुछ बिस्वा जमीन, जिस पर जयपुर सर्किल बन गया और कुछ डवलपमेंट का कार्य हो गया उस तक का भी अवार्ड उस समिति को दिया जा रहा है। यह क्यों दिया जा रहा है ? मंत्रिमण्डल के लिए यह ज्ञापन तैयार करना यह सब कुछ क्या दर्शाता है ? अध्यक्ष महोदय, कल माफिया पर जो चीफ मिनिस्टर साहब बोल रहे थे, यह सब माफियों का खेल है। कुल मिलाकर इस 31 बीघा जमीन पर अभी सिर्फ सात मकान अधूरे बने हुये हैं। जमीन बिलकुल खाली पड़ी हुई है। जैसा कालीचरणजी ने कहा था कि साहब हजारों मकान बन गये, कैसे तोड़ेंगे वह वाला किस्सा भी नहीं है। आप जयपुर सर्किल बना चुके हो, 2 करोड़ रुपया खर्च कर चुके हो, काफी डवलपमेंट इस जमीन पर कर चुके हो। स्टाक एक्सचेंज के बिलकुल सामने यह जमीन है। इतनी इम्पोर्टेंट जमीन है। जिसकी कीमत मैंने आपको पहले ही अर्ज कर दी कि 10 हजार से कम नहीं है, है तो मैं देने को तैयार हूं। 10 हजार रुपये में मुझे दे दो। आप 90 रुपये में क्यों दे रहे हो ?

श्री कालीचरण सराफ : 10 हजार वहां पर रेट हो तो सौदा कर लो। वहां 8 सौ, 9 सौ को रेट है ...(व्यवधान)...

श्री शांति कुमार धारीवाल : मुझे दिलवा दो, मैं लेने को तैयार हूं। आप दिलवा दो।

श्री कालीचरण सराफ : मेरे पास तो जमीन है नहीं, नहीं तो दिलवा देता।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह मंत्रिमण्डल का ज्ञापन तैयार किया गया , इसके पीछे मंशा क्या है ? यह रुक इसलिये गया, क्योंकि 27 तारीख से विधान सभा आने वाली थी अगर यह विधान सभा नहीं होती तो मामला कभी का निपट चुका होता।

श्री चन्दनमल बैद : 50 करोड़ डकार जाते।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरा आपके माध्यम से अर्ज करना यह है कि इसी तरीके से स्केण्डल्स होते रहें और इन स्केंडल्स को बढ़ावा देते रहें और यह जन प्रतिनिधियों की

श्री शांति कुमार धारीवाल)

और जनता की नजरों में नहीं आता रहा तो इस जयपुर शहर में ही नहीं पूरे राजस्थान में कहां-कहां इस प्रकार की गड़बड़ियां चल रही हैं, उनको कौन सम्भालेगा ?

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। माननीय शिवकिशोरजी।

श्री शिव किशोर सनाढ्य (उदयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं नगर परिषद और नगर न्यास की मांग पर अपने विचार व्यक्त करता हुआ राजस्थान सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि सरकार में आने के बाद जो जनतन्त्र के मूल रूप पंचायतें हैं, पंचायत समितियां हैं, नगर परिषदें हैं, नगर विकास न्यास हैं उनके चुनाव करवा कर लगभग 23-24 साल के बाद उदयपुर की नगर परिषद के चुनाव करवाये गये। उदयपुर जिले में कानोड़ नगरपालिका के चुनाव करवाये गये, सलूम्बर के चुनाव करवाये गये। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वहां पर सभी जगह जीते। नगर परिषद और नगरपालिकाएं बनायीं। मैं इसके लिये बधाई देता हूं राजस्थान सरकार को।

लेकिन जैसे ही 24-25 साल के बाद इन लोगों ने इन स्थानों को सम्भाला तो इनके सामने जो कठिनाइयां पैदा हो रही हैं, मैं उस तरफ राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि भवन निर्माण के स्पष्ट नियम नहीं होने के कारण इनको परमिशन देने में दिक्कत होती है। यू.आई.टी. और नगर परिषद दोनों का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का बंटवारा तो हो गया लेकिन उसकी वजह से कई विसंगतियां पैदा हो रही हैं। जो कच्ची बस्तियां हैं उनके नियमन करने के लिए राजस्थान सरकार ने शिविर लगाये, भूमि के रूपान्तरण किये, उनको नियमित किया। लेकिन कृषि भूमि पर लोग नगर बसा कर चले गये। जो गरीब लोग थे उन्होंने छोटे-छोटे प्लाट्स ले लिये। लेकिन उनमें जो मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिये, वह सुविधायें नहीं दी गयीं। उनका नियमन होना चाहिए। मैं यह निवेदन करूंगा राजस्थान सरकार से कि उनके लिये सारे कानून बहुत स्पष्ट रूप से तैयार करें। स्पष्ट कानून होंगे तभी उनका नियमन ठीक तरह से हो सकेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि नगर परिषद में जो प्रशासक लगे रहे हैं, जो आर.ए.एस. अधिकारी थे जिस तरीके से कमिश्नर लगे रहे उनके कारण से आडिट रिपोर्ट में लिखा गया कि नगर परिषद के लेखों का और बैंक के लेखों का मिलान किया जाना चाहिये। लेकिन कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया इस बात पर, क्योंकि सरकारी नौकर लगे हुए थे। कांग्रेस का शासन था। उन सरकारी नौकरों के माध्यम से ही नगर परिषदें चलाते रहे। लेकिन नगर परिषद की सभापति किरण माहेश्वरी के सामने एक दिन यह सवाल पैदा हुआ कि तनख्वाह चुकाई जानी है, बैंक में पैसा ही नहीं है। एकाउंटेंट से पता किया तो पता लगा कि पैसा तो इतना होना चाहिए बैंक में लेकिन यह बिल तो लौटा दिया उन्होंने। उन्होंने बैंक वालों से बात की उसके बाद कलक्टर के पास गयीं, एस.पी. के पास गयीं और उनको कहा कि मुझे लगता है कि इसमें घोटाला हुआ है। जब घोटाले का उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि इन लोगों पर शंका है तो उनकी सूझबूझ के द्वारा वह लोग पकड़े गये। गबन

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

का केस सामने आया। बैंक में पैसा कम जमा होता रहा और यहां खातों में अधिक जमा होता रहा। लेकिन इसमें गलती किसकी ? अगर जन-प्रतिनिधि चुने जाते, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव समय पर किये जाते तो जो जन प्रतिनिधि है उसका अपना शहर से एक लगाव होता है।

इसलिये, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगर परिषद जब जन प्रतिनिधियों की बनी तो आज जयपुर की तरह से जैसा भाई कालीचरण जी ने कहा जयपुर में जिस तरीके का विकास हो रहा है उसी तरीके से वहां पर, सड़कों का डवलपमेंट, बिजली लगायी जा रही है। उस नगर को सुन्दर से सुन्दर इसलिये बनाया जा रहा है कि उदयपुर पर्यटकों का केन्द्र है। सफाई करेंगे तो उसके लिये हरिजन चाहिये और सारे पावर्स हैं वह सैक्रेटेरियट में और यहां पर नगर निगम के कार्यालय हैं, डायरेक्टर हैं उनके पास है वहां के बोर्ड को लोगों के पास नहीं है। आवश्यकतानुसार निश्चित रूप से वहां के बोर्ड के अधिकार दिया जाना चाहिये, अग्निशमन सेवाएं हैं। आज बिल्डिंग्स तो इतनी ऊंची-ऊंची बन रही है लेकिन क्या अग्नि लगने के बाद उनके पास यह साधन है कि उस आग को बुझाया जा सके ? क्या उनके पास में वह ट्रेण्ड लोग हैं, क्या अग्नि शमन के पूरे साधन उनके पास हैं और उसके लिये जिस तरह की ट्रेनिंग वहां के एम्पलाइज को चाहिये क्या सरकार उसका प्रबन्ध कर रही है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गोताखोर है, वहां पर लोग डूबते है, जयसमंद की इतनी बड़ी दुर्घटना घटित हुई। वहां से लोग गये लेकिन वहां गोताखोर प्रशिक्षित नहीं हैं। उन गोताखोरों के पास में सामान नहीं लेकिन इसका प्रबन्ध कौन करेगा ? इ चिन्ता राज्य सरकार को करनी चाहिये। निगम और नगर परिषद जिस तरीके से प्रपो भेज रही है, उस पर निश्चित रूप से वि करना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि नगर परिषद नगर विकास प्रन्यास से जो कठिनाइयां हो रही हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं पर कस्तूरबा मन्दिर चेरिटेबल ट्रस्ट, जो न विकास प्रन्यास, उदयपुर ने देहली गेट के थोक की बाड़ी में, 5 बीघा और ढाई बि भूमि दिनांक 10.9.56 को सार्वज प्रयोजनार्थ एक ट्रस्ट को दी थी। उसकी नम्बर चार थी कि इस भूमि का उपयोग म मन्दिर, धर्मार्थ गतिविधियों के अतिरिक्त अ कार्य हेतु उपयोग में नहीं लिया जायेगा। लेकि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 6-3-92 उदय को यह हस्तान्तरण करने के बाद में नगर परि उदयपुर ने अपने पत्र क्रमांक दिनांक 6-3-9 तथा 15-7-93 को उक्त ट्रस्ट को प्रशास कार्यालय बनाने की अनुमति दे दी। यह देह गेट पर है जहां पर से नेशनल हाई-वे निकल है। शहर के मध्यम में है। इन्होंने इजा मांगी कि प्रशासनिक कार्यालय बनाना है।

इस ट्रस्ट के लिए जो धर्मार्थ मातृ शि कल्याण मंदिर उनका चलता है, इन्होंने इजा दे दी। लेकिन उन्होंने क्या किया ? उन्हों करीब 130 X 25 की अवैध दुकानों का निर्मा कर लिया। नर्सिंग होम के कमरों के गेट अन्द नहीं खोलकर मुख्य सड़क पर खिड़कियों के स्थान पर शटर लगा दिये गये। जिससे य 12 कमरे दुकानों में परिवर्तित हो गये। इन से 5 दुकानों में वर्तमान में व्यवसाय चालू

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

तथा शेष दुकानें बन्द पड़ी हैं। इसके ऊपर दूसरा कंस्ट्रक्शन भी शुरू कर दिया गया है। जब उदयपुर नगरपालिका के ध्यान में, हम लाये तो उन्होंने 11.8.94, 21.8.95, 26.2.96 को जारी किये गये नगर परिषद के पत्र दिनांक 26.10.95, 31.10.95, 8.2.96 व 21.3.96 द्वारा जिला कलक्टर उदयपुर को नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आबंटित की गयी भूमि का पट्टा निरस्त करने के लिए लिखा। यह केवल नगर परिषद और नगर विकास प्रन्यास के अन्दर कार्यवाही चलती रही और यह अवैध काम चलता रहा। इसे तोड़ा नहीं गया। इसे रोका नहीं गया। वह कहते रहे कि यह जमीन नगर विकास प्रन्यास ने दी थी इसलिए वह भूमि को निरस्त कर सकती है और नगर परिषद मूक बैठी रही। दो साल तक निरन्तर कागजों में यह सब काम चलता रहा और वह अवैध निर्माण हो गया। क्योंकि इस अवैध निर्माण के पीछे जो उदयपुर के भारी लोग है, ऐसे लोग है जो प्रभावशाली है। जिनका दोनों शासनों में प्रभाव रहा है। उस शासन में भी और इस शासन में भी। उन लोगों ने यह अवैध काम करवाये। यह अवैध काम आज भी नगर विकास प्रन्यास और नगर परिषद के मध्य उलझ कर चल रहा है।

श्री हरिसंह (महुआ) : शिक्षा मंत्री जी तो नहीं हैं ?

श्री शिव किशोर सनाढ्य : इसमें शिक्षा मंत्री जी तो नहीं हैं। कोई मंत्री नहीं है। इसमें पूर्व मंत्री जरूर हैं जो उस ट्रस्ट के चेयरमैन हैं या और कुछ हैं। खैर, मैं नाम पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो धर्मार्थ दी गयी जमीन है। जो केवल उस काम के लिए दी गयी।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो सिन्धी विस्थापित आये थे। दुर्भाग्यवश आजादी के बाद उन लोगों को अपने घर छोड़कर आना पड़ा और उस समय महाराणा भूपाल सिंह ने उन विस्थापितों को बसाने के लिए प्रताप नगर में मुफ्त में जमीन दी थी। उन्होंने 5 लाख रुपये भी मेवाड़ के राजकोष से दिये थे कि उन विस्थापितों को बसाया जाये। 25 लाख रुपए उस समय केन्द्र सरकार ने स्वीकृत किये। उन सिन्धियों के मकान एक ट्रस्ट भूपाल को-आपरेटिव के नाम से बनने शुरू हुए। लेकिन जिस तरह की संस्कृति इस देश की आजादी के बाद पनप रही है कि जहां पर भी मौका लगे वहां पर खाओ, लूटो, खसोटो। इसलिए सिन्धियों की भूपाल को-आपरेटिव सोसायटी भ्रष्टाचार के कारण से लिक्विडेशन में आई। उसे सहकारी विभाग ने ले लिया। राजस्थान के चीफ सैकेट्री और मंत्री जी के साथ बैठकर उनकी समस्याओं पर, उन सिन्धियों की समस्या पर जब विचार हुआ तो तय हुआ कि हाउसिंग बोर्ड से मकान बनाकर दे दिये जायेंगे। हाउसिंग बोर्ड ने मकान बना दिये। लेकिन उस जमीन की कीमत, जो मुफ्त में मिली थी, उसकी कीमत उसके साथ जोड़ दी। आज वह गरीब सिन्धी उस जमीन को उस कीमत पर नहीं खरीद सकते उन मकानों को नहीं खरीद सकते। आज की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में और 40-45 साल पहले की कोस्ट में कितना फर्क है ? मैं आपके माध्यम

(182)

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

से निवेदन करना चाहता हूं कि उन लोगों को जो मुफ्त में जमीन भूपाल सिंह जी ने दी थी, उस जमीन के पैसे नहीं लिये जायं और सिन्धियों को वह स्थान दिया जाये।

कस्तूरबा मातृ मंदिर को जो ट्रस्ट के लिए जमीन दी, उसके ऊपर निश्चित रूप से उस अवैध निर्माण को रोका जाना चाहिए और अवैध निर्माण रुकेगा नहीं तो कम से कम उसे कामर्शियलाइज्ड करके क्योंकि यह जो घनी बस्तियां हैं इनमें जिस तरह से वाणिज्यिक काम चल रहे हैं, लोगों ने हास्पिटल बना लिये। उदयपुर का हास्पिटल बड़े लोगों ने खड़ा कर लिया। पार्किंग की कोई जमीन नहीं है। बस्ती के बीच में है। बीच सड़क पर ही गाड़ियां खड़ी रहेंगी तो एम्बूलेन्स कहां रहेगी। लोगों ने अपने घरों पर डिस्पेंसरीज चालू कर दी। यह सुविधाएं तो ठीक हैं। लेकिन क्या नगर विकास प्रन्यास और नगर परिषद को यह नहीं देखना चाहिए कि आज गली-गली में दुकानें बनती चली जा रही हैं। वहां पर पार्किंग का कोई प्लेस नहीं हैं। सड़कें इतनी पुरानी थीं, उन सड़कों पर ही जब यातायात इतना बढ़ गया है तो गलियों में कहां रहेगा।

यह नगर विकास प्रन्यास, नगर परिषदें इसलिये बनायी गयी थीं कि नगर का डवलपमेंट ठीक तरह से करेंगे। नगर का विकास ठीक तरह से होगा। लेकिन उदयपुर का मास्टर प्लान आज तक नहीं बना। मास्टर प्लान आया तो यहां से वहां तक धक्के खाता रहा। क्योंकि मास्टर प्लान बन जाता है तो कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों को भूमियों की दलाली करनी है, जिनको जमीनें बेचनी हैं। जो लोगों को धोखा देते रहते हैं और रात दिन ऐसे केसेज पुलिस में भी जाते हैं। उन लोगों ने भी मास्टर प्लान पास नहीं होने दिया। मैं निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उदयपुर का मास्टर प्लान बने। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बिना पार्किंग की आज मंजिलें बनती चली जा रही हैं। इनके लिए भी नियम होने चाहिए।

मैं एक तरफ आपका ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं कि भागीरथ सब सिटी सेन्टर का शिलान्यास हुआ। उदयपुर में योजना बनी तो पता लगा कि 'आवरी माता कच्ची बस्ती' के नाम से एक बस्ती बसी हुई है। जिसको उन लोगों ने तोड़ दिया। कलक्टर ने इसको तोड़ दिया। लेकिन तोड़ने के बाद में पता लगा कि वहां पर कारखाने भी थे। वहां पर बड़ी-बड़ी दुकानें भी थीं। लोगों ने कहा कि 50-50 लाख का नुकसान हुआ है। 5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। तो यह कच्ची बस्ती तो नहीं हो सकती। उसके बाद में पता लगा कि जो वहां पर गिरवा पंचायत समिति है, उसके जो प्रधान हैं, उस समय के जो विकास अधिकारी थे, रोशनलाल जी उस समय प्रधान थे। उन्होंने यू. आई. टी. की सरकारी जमीन को यह कहकर लोगों को किराये पर दे दिया, बेच दिया कि यह भूमि गिरवा पंचायत समिति की है। आज उनके ऊपर कलक्टर मुकदमा चलाना चाहता है। कलक्टर ने वह सारे पेपर्स निकाले और आज पता लगा कि केवल यही नहीं जो जनता के नाम पर, जो सेवा के नाम पर वहां पर कच्ची बस्तियां बसा रहे हैं। जो नेता कहलाते

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

हैं, उन्होंने उनसे माहवारी वसूल की, हफ्ते की वसूली की, लोगों को धोखा दिया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को वह फाइल यहां मंगाकर के जिन पर आई.पी.सी. के कैसेज चलने वाले हैं पुलिस को उन कैसेज को चलाना चाहिए। उन केसेज को वहां मंगाकर दाब नही लेने चाहिए और अगर उन लोगों को इस समय सजाएं नहीं मिल सकेंगी तो यह पाप कभी नहीं धुलेगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर में होटलों का निर्माण हो रहा है, होटलों की स्वीकृति दी जा रही है। सीवरेज की कोई चिन्ता नहीं कर रहा है। गन्दा पानी हम पी रहे हैं। मैं पिछले 5 साल में इस राजस्थान की विधान सभा में अनेक बार इस बात को कह चुका हूं कि उदयपुर के लोग, उदयपुर नगर के लोग, गन्दा पानी पी रहे हैं। इसलिये सीवरेज का प्रबन्ध किया जाये। वह तो नहीं किया।

पिछौला झील के किनारे ओबेराय होटल बनेगी, कितने करोड़ में ? कोई जौहरी की होटल बनेगी, कितने करोड़ की ? यह सब सेंक्शन कौन दे रहा है ? वहां की यू.टी.आई. नहीं दे रही है। यहां सैक्रेटेरियट में बैठे हुए लोग दे रहे हैं। पारस सिनेमा बन रहा है। पारस सिनेमा के पीछे मिनी थियेटर भी बनेगा। उसके सामने रोड बनायी जायेगी। उसके साथ पारस होटल चलेगा। पारस कामर्शियल चलेगा। लोग कहते हैं कि सैक्रेटेरियट में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वह उनके क्लास फैलो हैं या उनके साथ पार्टनर हैं। इन बातों का पता कौन लगायेगा ? उस जमीन के ऊपर, जो नेशनल हाइवे पर है, उस पर इसी तरीके से अवैध निर्माण किया जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कलक्ट्रेट की दीवार पर हांडी होटल की दीवार खड़ी हो जाती है। पार्किंग की जमीन नहीं होती। उनकी हवा, पानी और रोशनी बंद हो जाती है। लेकिन नियमों की कमी की वजह से वे कुछ नहीं कर पाये। कलक्टर भी उसके लिए कुछ नहीं कर पाये। आज कोर्ट छोटी-छोटी बातों पर जिस तरीके से स्टे देती हैं क्योंकि वकीलों को भी खरीदा जाता है। इसलिए निश्चित रूप से राजस्थान सरकार को इसके लिए कोशिश करनी चाहिए कि यह हरिदास जी की नगरी है, पिछौला के किनारे हैं, इनमें होटल निर्माण का नहीं, फतेहसागर की झील या पिछौला झील को जिन राजाओं ने सिंचाई के लिए निर्मित की थी, आज उससे सिंचाई तो नहीं होती लेकिन पानी पीने के लिए मिलता है, उनमें मिट्टी डाल कर के होटल के लिए जमीन दी जा रही है। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो सैक्रेटेरियेट में बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों को इस पर विचार करना चाहिए कि किसी तरीके से इसको रोका जाये। गुलाब बाग के पास में एक होटल बन रहा है और इतना ऊंचा होटल बन रहा है कि किसी दिन आग लगेगी जिसमें लोग मर जायेंगे। आज अग्निशमन की सेवाएं उदयपुर में इतनी नहीं हैं । जितनी ज्यादा होटलें पेइंग गेस्ट के नाम पर माननीय मुख्य मंत्रीजी अभी जब पुष्कर गये थे और पुष्कर की एक समस्या राजस्थान की विधान सभा में —

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें । कृपया समाप्त करें ।

184

श्री शिव किशोर सनाढ्य : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ, पेइंग गेस्ट के नाम पर जिस तरीके से होटल चल रहे हैं, पेइंग गेस्ट के नाम पर जिस तरीके से होटल चल रहे हैं, पेइंग गेस्ट के नाम से जिस तरह से लूट हो रही है, जिस तरह के अवैध और अनैतिक धंधे वहां पनप रहे हैं, इसको राजस्थान की सरकार को रोकना चाहिये । इसलिए मैं चाहता हूँ कि नगर परिषदों को इन होटलों को लाइंसेंस देने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए अधिकार होने चाहिये । जब ये अधिकार होंगे उसके बाद ही किसी तरह से इस पर रोक लग पायेंगी ।

श्री अध्यक्ष : अब तो कहिये कि समय दिया उसके लिए धन्यवाद ।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : मान्यवर, कच्ची बस्तियों के नाम पर उदयपुर में कई ऐसी बस्तियां हैं । कच्ची बस्ती के नाम पर जमीनों पर जिस तरीके के लोग कब्जे कर रहे हैं, सेक्टर नम्बर-6 के पीछे जमीन पर कच्ची बस्ती के नाम पर जब अतिक्रमण कर लिया गया तो यू.आई.टी. के लोग गये और यू.आई.टी. के लोगों ने जाकर के उन अवैध कब्जों को हटाया। उनके ऊपर एट्रोसिटीज एक्ट का मुकदमा कर दिया गया । चाहे वे आर. ए. एस. अधिकारी थे, चाहे पुलिस आफिसर थे। ऐसे लोगों को, जो सज्जन नगर में रहने वाले लोग हैं, जो सज्जन लोग हैं, जो कच्ची बस्ती बसी हुई है, जो चांदपोल के पास बस्तियां बस रही हैं, सज्जन नगर के नीचे बस रही हैं, जो अवैध कब्जे सरकारी जमीन पर किये जा रहे हैं उन्हें रोकने के लिए यदि प्रभावशाली कदम नहीं उठाये जायेंगे तो यह कच्ची बस्तियां रहेंगी । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि उदयपुर में जो सब सिटी प्लान बना, उसका नाम है भागीरथ सब सिटी प्लान वैद भागीरथ जी जोशी उदयपुर के ऐसे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जिनके नहीं रहने से आज उदयपुर में अनुभव किया कि आज हमारे पिता नहीं रहे। मोहनलालजी सुखाड़िया की जो उदयपुर में इज्जत थी वही इज्जत भागीरथजी जोशी की रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय शर्माजी आपसे कि भागीरथ सिटी सब सेन्टर का नाम वैद भागीरथ सिटी सब सेन्टर किया जाये ताकि उस आदमी की स्मृति वहां पर रह सके।

श्री अध्यक्ष : विराजें। माननीय श्री शिवनाथसिंह जी।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : अंतिम बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। माननीय अध्यक्षजी, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्षजी, यू.आई.टी. और नगर परिषद के जो एक्ट हैं इन एक्टों के ऊपर विचार होना चाहिए। उदयपुर में नगर विकास प्रन्यास बना हुआ है, उसमें जनप्रतिनिधि नहीं हैं। जनप्रतिनिधि आने के बाद यह सारी जितनी बस्तियां बस गयी, मकान बनाये गये, गरीबों के लिए मूलभूत सुविधाएं वहां पर जुटायी गयीं लेकिन उसके बाद में सरकारी अधिकारी आ गये और आज सरकारी अधिकारी ही हैं। मैं जिस समय एम. एल. ए. बना था 1990 में। सरकारी अधिकारी के होते हुए, कलक्टर के होते हुए मैं एम.एल.ए. था, मुझे मीटिंग्स में बुलाया जाता था, सांसद थे गुलाबचन्द कटारियाजी, उनको बुलाया जाता था। लेकिन आज यू.आई.टी. की किसी भी

(श्री शिव किशोर सनाढ्य)

मीटिंग में न वहां के सांसद को बुलाया जाता है, न वहां के एम.एल.ए. को बुलाया जाता है और जो नगर परिषद से एक जनप्रतिनिधि यू.आई.टी. में जाता है, उसे भी नहीं बुलाया जाता और केवल आफिसर्स बैठ कर कुलड़ी में गुड़ फोड़ लेते हैं और जो कुछ उनसे करवाना होता है तो वे कहते हैं कि सैक्रेटेरिएट में फलाना बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इसको तो पास कर दो। इस तरीके से इरेंगुलर काम हो रहे हैं, इन्हें रोका जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय बिराजें। श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि–

श्री शिवनाथ सिंह : इस तरह से आप मेरा भी समय ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आपने बहुत विस्तार से उदयपुर के बारे में बोल लिया है और मैं समझता हूं कि 17-18 मिनट हो गये हैं।

श्री शिव किशोर सनाढ्य : मैं निवेदन करते हुए, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए कि इन सब पर विचार होना चाहिये। यह निवेदन करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : अगर इनको और बोलना है तो मेरा समय भी ले लें।

श्री अध्यक्ष : आपने कट मोशन दिये थे क्या ?

श्री चुन्नीलाल गरासिया : हां, मेरे हैं, मेरा समय सनाढ्य साहब को दे दीजिये।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : अध्यक्ष जी, आज जैसे-जैसे आबादी बढ़ रही है और शहरीकरण की तरफ हम जा रहे हैं उससे अनेक समस्याएं खड़ी हुई हैं। लोग रोजगार की तलाश में शहरों में आते हैं बसने के लिए, ठहरने के लिए उनको स्थान चाहिये। उनकी भी मजबूरी है और शहरों की भी मजबूरी है। शहरों की एक सीमा है उसके बाद जब ज्यादा संख्या में लोग वहां आयेंगे तो शहरों का बिगाड़ ही बिगाड़ होगा। इसलिए पिछले 10-15 साल में शहरी विकास का जो शब्द है उसका बहुत महत्व हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी, टाउन प्लानिंग के नाम से यदि हम देखें तो जयपुर शहर किसी जमाने में संसार का श्रेष्ठ शहर था टाउन प्लानिंग के हिसाब से। इस प्रकार का प्लानिंग बहुत कम शहरों में संसार में मिलता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस जयपुर शहर का क्या स्वरूप बन गया है और यह सब इसलिए हुआ कि टाउन प्लानिंग के लिए हमने कारगर कदम नहीं उठायें। सरकार ने अनेक एजेन्सीज बनायीं पर उन एजेन्सीज ने अपना काम नहीं किया और किन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, स्वयं को फायदा पहुंचाने के लिए, जितनी भी योजनाएं टाउन प्लानिंग की शहर के विकास की बनायी उन सब को नेगेटिव कर दिया। आज हम देखते हैं कि जयपुर शहर का बाहर का इलाका कितना अस्वाभाविक रूप से बसा हुआ है। उनमें पानी निकालने के लिए स्थान नहीं है। तो यह सब समस्याएं ऐसी हैं जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा बिगाड़, यह

(श्री शिवनाथ सिंह)

जो सोसायटीज बनी हैं इन्होंने सत्यानाश कर दिया। इसमें सोसायटी को मैं इतना दोष नहीं देता जितना जयपुर डवलपमेंट अथोरिटी, हाउसिंग बोर्ड का है। एक तरफ स्कीम बनाते हैं और स्कीम को बना कर उसका प्लानिंग ठीक ढंग से नहीं करते और जहां आज ही कार्यवाही होनी चाहिए वहां पर 10 साल बाद में होती है तो फिर उस प्लानिंग का क्या मतलब रह जायेगा। लोग एनक्रोचमेंट करते हैं और वहां बस जाते हैं। आज पृथ्वी राज नगर का बहुत बड़ा हल्ला हो रहा है। अध्यक्षजी, इतनी जमीनों पर जिन लोगों ने मकान बना लिये, लोग आबाद हो गये, बिजली और पानी के कनेक्शन ले लिये और सरकार के सामने यह योजना बहुत समय पहले से ही पेंडिंग हैं। लेकिन कोई भी कारगर कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया। किन्हीं निहित स्वार्थों के लिए कहिये या गफलत के कारण से कहिये आज उसका स्वरूप बिगड़ गया है। आज आप अगर पृथ्वीराज नगर को उसके प्लान के अनुसार बनाना चाहते हैं तो नहीं बना सकते, सड़कें नहीं बना सकते, भू-खण्ड आबंटित नहीं कर सकते। इस प्रकार से जो हालत जयपुर की इस बड़ी योजना की है, वही हालत इस प्रांत के बड़े-बड़े शहरों की है। इसमें मेरा इतना ही निवेदन करना है कि जब कोई प्लानिंग करें उसका इम्प्लीमेंटेशन भी साथ के साथ हो जाये। पहले आप उसका ऐलान कर दो और कार्यवाही करो नहीं, उसका डिमार्केशन करो नहीं। हो सकता है जमीन अवाप्ति में समय लगे लेकिन उसका डिमार्केशन यदि हो जाये तो लोगों को यह भय रहता है कि कहीं न कहीं हमें नुकसान उठाना पड़ सकता यह सबसे बड़ी एक कमी है। डिमार्केशन जाये, सड़कों का डिमार्केशन हो जाये, प्ला का डिमार्केशन हो जाये, ब्लाक्स का डिमार्केश हो जाये, उसके बाद लोगों के वहां बसने एनक्रोचमेंट करने में, नाजायज पट्टे लेने कठिनाई होगी। एक तो यह बात आपको ध्या में लेनी होगी। अध्यक्षजी, आज जयपुर श इतना बड़ा है, राजस्थान की राजधानी है लेकि पानी की निकासी के लिए कोई भी योज आपने नहीं बनायी। रुपया जरूर खर्च होत है, सही बात है। आज जयपुर जैसे शहर क हम इतना गंदा बना दें और पानी की निकास का इंतजाम न करें। यह भयंकर समस्या इससे सब कालोनियां घबरा रही है।

माननीय अध्यक्षजी, यही हाल छोटे-छो शहरों का भी है। मैं झुन्झुनूं का किस्सा अ करना चाहूंगा। आज से चार-पांच साल पहले टाउन प्लानिंग का नक्शा बना, वहां इंजीनियर और अधिकारी गये। वह स्कीम आज बं पड़ी है और उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई इस वजह से जहां आपकी प्लानिंग होनी थी सड़कें निकालनी थीं, वहां लोगों ने अपनी जमीन ले ली। यही हाल दूसरे शहरों का भी है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि शहरी विकास की तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। आज हम देहली के बहुत नजदीक आ गये हैं इसके कारण देहली की जो खराबियां हैं वे जयपुर में भी प्रवेश करने लग गयी है। उस बात से बचाने के लिये सरकार को इस मामले में कारगर कदम उठाये जाने चाहिये।

माननीय अध्यक्षजी, बहुत अधिक समय नहीं लेते हुए मैं माननीय मंत्री महोदय का

(श्री शिवनाथ सिंह)

ध्यान एक स्पेसिफिक पाइंट की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। यह मामला अजमेर की यू.आई.टी. का है। माननीय मंत्रीजी ध्यान दें कि दिनांक 6.12.71 के रिजोलुशन से एक व्यक्ति, जयनारायण की चालीस बीघा जमीन ली। उसके साथ आपका जो एग्रीमेंट हुआ उसके अनुसार उसको चार डवलप्ड प्लाट देने थे। आज 1996 जा रहा है। वह व्यक्ति दस्-दर मारे फिर रहा है। आपका एग्रीमेंट था यदि यू.आई.टी. ही एग्रीमेंट का पालन नहीं करती तो हम किससे आस रखें ? उसकी वजह से इक्विजिशन भी बढ़ सकता है। संक्षेप में मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि आप इस मामले को देखें। जो चार प्लाट उसको देने थे वे डवलप नहीं किये, सड़कें नहीं बनी और उससे कीमत लेने के बाद भी बसने की इजाजत नहीं है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्पेसिफिक मामले को आप देखें और कोई न कोई सोल्युशन निकलें अन्यथा मेरा ख्याल है कि इससे लिटिगेशन होगा और कोई अच्छी तस्वीर सामने नहीं आयेगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं माननीय मंत्रीजी और सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आज शहरों का जो एटरेंडम विकास हो रहा है वह नहीं किया जाये, नियोजित विकास किया जाये और सब फेसिलिटिज जो हो सकती है, दी जाये।

श्री अध्यक्ष : श्री राधेश्याम (अनुपस्थित), श्री हरिसिंह (कुम्हेर) (अनुपस्थित), श्री बनवारी लालजी बैरवा।

श्री बनवारी लाल बैरवा (निवाई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग मांग संख्या 29, शहरी विकास, शहरी विकास के लिये कर्ज, नगर आयोजन और प्रादेशिक विकास पर चर्चा कर रहे हैं। मान्यवर, जब नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और...

श्री अध्यक्ष : यदि सभी माननीय सदस्य संक्षेप में कहें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य बोल सकेंगे।

श्री बनवारी लाल बैरवा : बहुत संक्षेप में कहूंगा।

श्री अध्यक्ष : बहुत ठीक है। आपका आभार है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : नगर निगमों का जब हम जिक्र करते हैं तो हमारे सामने मूल रूप से यह बात आती है कि शहरों की तरफ जनसंख्या का दबाव बहुत ज्यादा आ रहा है। जयपुर में तो विशेष रूप से आ ही रहा है। जयपुर में चूंकि सरकार बैठती है इसलिये इस पर सब विचार हो जाता है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरे नगर निगम हैं उन पर भी चर्चा करना आवश्यक है।

माननीय अध्यक्षजी, जब हम नगरपालिकाओं के बारे में सोच करते हैं तो सफाई, रोशनी, सड़क, नाली निर्माण, पर्यावरण और नगर को सुव्यवस्थित रखना आदि नगर पालिका के मुख्य काम मानते हैं। मैं अपने टोंक नगर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा कि वहां सफाई की बहुत बुरी हालत है। सीमित साधन और सीमित कर्मचारी संख्या की बात सही है। लेकिन इसके बावजूद भी वहां की हालत इतनी खराब है कि किसी भी गली मुहल्ले से निकलना बहुत दुश्वार है। इससे वहां की जनता बहुत परेशान है। इसलिये आप

Page No 188

(188)

(श्री बनवारीलाल बैरवा)

इस तरफ ध्यान दें, यह नितांत आवश्यक है। माननीय अध्यक्षजी, इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाहूंगा कि जहां सफाई की बात आती है वहां हमें सफाई कर्मचारियों की ओर भी ध्यान देना पड़ेगा। आज हम चाहते हैं कि शहरों की सफाई हो लेकिन जितनी नफरी तय की हुई है कि कितनी जनसंख्या के ऊपर एक हरिजन कर्मचारी होना चाहिए। उसके अंदर जब तक हम सुधार नहीं करेंगे, संशोधन नहीं करेंगे तब तक हम नतीजे पर नहीं पहुंच पायेंगे और वह सफाई हमको नहीं मिल पायेगी।

आज 250 की जनसंख्या पर एक सफाई कर्मचारी है जो 1981 की सेंसस के हिसाब से है। 1981 और 1996 के बीच 15 साल का अंतराल हो गया है। इस अंतराल में जनसंख्या तो दुगुनी हो गयी लेकिन सफाई कर्मचारी उतने के उतने ही हैं। आज आपको यह विचार करना पड़ेगा कि सफाई कर्मचारियों की जो जनसंख्या तय कर रखी है उस में भी आपको कमी करनी पड़ेगी और 250 की संख्या को घटाकर 200 करनी पड़ेगी। उसके अलावा आपको जनसंख्या 1991 की करनी पड़ेगी। अगर आप यह करेंगे तो ही रिजल्ट आयेगा, अन्यथा नहीं आयेगा।

अध्यक्षजी, इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाहता हूं कि एक लम्बे अर्से से हरिजन कष्ट मुक्ति योजना चल रही है। लेकिन हम किसी भी नगर में उसके ठीक नतीजे नहीं देख पा रहे हैं। जहां देखो वहीं गंदगी के ढेर होते हैं, गंदा पानी बह रहा है, गंदी ढेरियां पड़ी हैं, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार है। ये तमाम चीजें इसलिए हैं कि उस को हम ठीक से तब्बो नहीं दे पाये हैं।

अध्यक्षजी, एक व्यक्ति का मल दूसरा व्यक्ति अपने माथे पर ढोये, यह हमारे लिये बहुत शर्म की बात है। इसके लिये हमको योजनाबद्ध तरीके से चलना चाहिये। मेरा निवेदन है कि हमको इसको छोटे स्वरूप में चालू करना चाहिये। टोंक सबसे छोटा जिला है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप हरिजन कष्ट मुक्ति योजना को टोंक जिले से लागू करें. वहां की पांचों-छहों म्यूनिसिपैलिटीज में सीवरेज सिस्टम एकदम लागू कर दें। आप इसको परीक्षण के तौर पर देखें, उसके नतीजों को हम उदाहरण के तौर पर बता सकें कि हमने हरिजनों के लिये यह किया है। यह बहुत आवश्यक बात है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत गर्व के साथ यह बात कही कि हमने चुनाव कराये हैं। आपने निश्चित रूप से कराये हैं, इससे कौन मना कर सकता है ? प्रजातंत्र में चुनाव तो कराने ही पड़ेंगे, हमने भी कराये हैं, आप भी करायेंगे। लेकिन जिस तरीके से चुनाव कराये हैं उसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा। टोंक नगरपालिका इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि वहां किस तरीके से जीत गये...।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : वोटों से जीत गये हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : वोटों से तो जीत गये हैं लेकिन हम वायस चेयरमैन पर कैसे जीत गये, चेयरमैन में कैसे हार गये ? इसके पीछे कोई और चीज है। इसके पीछे भ्रष्टाचार

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

लगा हुआ था। इस तरीके से आप जीते हैं लेकिन आप जीते हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : चलिये आप बतायें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : बता दिया न आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : क्या बता दिया ?

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैंने वता दिया न कि इसके पीछे भ्रष्टाचार था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप अपनी शक्ल देखें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आपके कुल 14 मैम्बर जीते थे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपके लिये यह + + + की बात है कि आपके पार्षद आपके साथ नहीं थे।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, बी.जे.पी. के 14 मैम्बर जीते थे और 45 के वोट में इनका चेयरमैन कैसे बन सकता था? जब तक कि ये भ्रष्ट तरीका इस्तेमाल नहीं करें। ऐसे ही इस्तेमाल से सब जगह आ गये हैं। मुझे इस सम्बन्ध में ज्यादा कुछ नहीं कहना है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप चेयरमैन तय नहीं कर पाये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मैंने तो एक बात कही है कि आप कैसे जीते और आप शेखी बघारते हैं। (व्यवधान) आप जीते, आपका चेयरमैन है।

माननीय अध्यक्षजी, हमारे मुख्य मंत्रीजी, सब मंत्रीगण, मुख्य सचेतकजी, सब लोग यह बात कहते हैं कि हम समता का व्यवहार करते हैं, बिलकुल करना चाहिए। लेकिन आप यह देखिये कि मैं जो सड़के गिना रहा हूं वे या तो अल्पसंख्यक मोहल्लों की हैं या हरिजनों के मोहल्लों की हैं या पिछड़ा वर्ग मोहल्लों की है। चूंकि माननीय मुख्य सचेतक जी वहां के प्रतिनिधि है और स्वयं वहां की सड़कों पर फिरते भी होंगे, मेरी कोई बात गलत हो तो मुझे टोक दें।

श्री अध्यक्ष : यह + + + शब्द एक्सपंज कर दीजिये।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, पटेल सर्किल से मोहल्ला शोरगरान, महमूदखां के मकान, अलाउदीन खां के मकान के सामने से पावर हाउस तक कितनी बुरी हालत है इस सड़क की ? मेवातियों के मोहल्ले की कितनी बुरी हालत है ? बस स्टैण्ड से चतुर्भुज जी के तालाब तक जहां हास्पिटल बना है वहां तक की सड़क की कितनी बुरी हालत है। पांचबत्ती से सादीपचंल होते हुए महमूद खां के पुल से कुम्हारान तक की कितनी बुरी हालत है सड़क की ? बनोद दरवाजे से ज्योतिषियों का मोहल्ला है उसकी कितनी बुरी हालत है? मोहल्ला रजबन की जितनी सड़कें हैं वह तमाम क्षतविक्षित और बुरी हालत में तमाम सड़कें हैं। इसी तरीके से सादगंज की हालत है। बड़-बड़ के सड़क की भी यही

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

हालत है। नागौरियों से लगाकर गैती के चोकी तक की सड़क है यह सब हरिजन मोहल्लों की बात कह रहा हूं, माननीय अध्यक्षजी। तो मैं आपके माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि जो भी कुछ काम किये जायें वह एक बार में किये जाने चाहिए। आप बातें यहां बहुत कहते हैं कि हम हरिजनों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे और अल्पसंख्यकों के साथ भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन इन जगहों पर काम नहीं कराना क्या भेदभाव नहीं हैं ? अगर भेदभाव है तो इसमें आप सुधार करें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : माननीय सदस्य क्या प्रत्येक वार्ड में समानता के आधार पर वहां पर काम हुए क्या यह सही नहीं है ? जब से नगरपरिषद बनी है उसमें लगभग 2 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं क्या यह सही नहीं हैं ? यह अब क्यों नहीं काम हुए क्योंकि आप मंत्री भी रहे हैं, आप टोंक के हैं, एम.पी. भी रहे हैं, एम.एल.ए. भी हैं आपने कुछ किया नहीं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : वह तो ठीक है लेकिन जो मोहल्लों की सड़कें हैं जहां गरीब लोग रह रहें हैं उनकी तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए। हम उनको गौण मानकर नहीं चल सकते।

इसी तरीके से माननीय अध्यक्षजी, वहां पर जो नालियां हैं उनकी बहुत बुरी हालत है। एक बहुत बड़ा नाला है जो कि शहर के एक कोने से लेकर रैड़ीवास में जाकर गिरता है। जब कांग्रेस की रिजीम थी और कांग्रेस का समय था उस समय के अन्दर उस नाले को बनाया गया और काफी दूर तक उसको बनाया गया। माननीय मंत्री जी जवाब दे दें लेकिन जहां अंत में हरिजनों का मोहल्ला चालू हुआ वहां पर क्या बुरी हालत है। क्या आप गुजर सकते हैं उधर से ? इतनी बुरी हालत है कि आप वहां से गुजर जायें एक बार भी तो मुझे कह दीजियेगा। उसकी तरफ आप क्यों नहीं ध्यान देते ? उसकी तरफ आप ध्यान दीजियेगा

श्री अध्यक्ष : कृपया थोड़ी सी शीघ्रता करें। टोकाटोकी नहीं हो।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, इसी तरीके से बिजली की बात कहना चाहता हूं। बिजली की हालत इतनी खराब है टोंक की कि बिलकुल अंधेरे का शहर हो रहा है। जिधर देखें, आप बाजार में से निकल जाइयेगा तो कभी आपको बल्ब चालू हुआ नहीं मिलता है, ट्यूबलाइट जलती हुई नहीं मिलती है और एक बहुत महत्वपूर्ण जो सड़क है धन्नातलाई से लगाकर छावनी तक की इसके बीच में कृषि मण्डी आ गयी और बस स्टेण्ड आ रहा है–

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका मकान भी आ रहा है।

श्री बनवारी लाल बैरवा : मेरा मकान बीच में पड़ता है वहां हरिजनों के मोहल्ले हैं। तो मैं हरिजनों के मोहल्लों से निकलकर कहां जाऊंगा ? उन्हीं के अन्दर रहता हूं मैं भी। आज नितान्त आवश्यक हो गया है कि बिजली वहां पर प्रोवाइड की जाये क्योंकि अब निकट भविष्य में ही वहां बस स्टेण्ड जाना है।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : एक बात और कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, वहां पर एक बूचड़खाना बना है टोंक के अन्दर।

(श्री बनावारी लाल बैरवा)

दरअसल में तो वह वहां के लोगों के कन्जम्पशन के लिए बना था कि वहां के लोगों के जितना उपयोग हो सकेगा उतने जानवर वहां काट दिये जायें लेकिन आज उसकी इतनी बुरी हालत हो गयी है कि मुझ से कई लोग तो यह शिकायत करते हैं, जो लोग कोटा की तरफ से आते हैं कि साहब यह क्या है। जहां से यह बदबू चालू होती है तो समझ जाते हैं कि टोंक आ गया। नींद में से जाग जाते हैं। तो माननीय अध्यक्षजी , उसको वहां से हटवाकर किसी ऐसी जगह भिजवा दें माननीय मंत्रीजी कि जहां से लोगों को आने जाने की असुविधा समाप्त हो जाये और चूंकि कभी-कभी हवा शहर की तरफ भी झोंक मारती है-

श्री महावीर प्रसाद जैन : बंद ही कर दें।

श्री बनवारीलाल बैरवा : बहुत अच्छी बात है। मुझे कोई एतराज नहीं है इसमें।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे तो अभी निवाई पर आना है। अभी तक निवाई पर आया ही नहीं हूं। माननीय अध्यक्षजी, हाउसिंग बोर्ड एक कालोनी वहां पर बसी है। वहां मकान इतनी खराब क्वालिटी के बने हैं कि जिन लोगों को आबंटन हुआ है उन लोगों ने कब्जा लेने से मना कर दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, भगतसिंह कालोनी निवाई की पोजीशन यह है कि उच्च वर्ग के लोग यहां रहते हैं और यहां सड़कें तीन-तीन बार बन गयी हैं। एक बार टूटी, दुबारा टूटीं, तिबारा टूटी और बन गयीं और हरिजनों की जो सड़कें हैं वह आज तक नहीं बनी हैं। वह मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इसके ऊपर गौर फरमायें और इस बात से हम लोगों को आश्वस्त करें। एक शिवाजी पार्क बनाया है हमारे चेयरमैन साहब ने-

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा था तो इतना + + + क्यों? महिलाएं तो बहुत थोड़ी हैं-

श्री अध्यक्ष : यह बैठें तब। यह शब्द एक्सपन्ज किये जाते हैं।

श्री बनवारी लाल बैरवा : आपका टर्न तो आप जब से बोलेंगी तब से ही शुरू होगा। माननीय अध्यक्ष जी, तकरीबन 20 बीघा के अन्दर शिवाजी पार्क बना है। उसके अन्दर नालियों के, धोबियों के, रैगरों के सब के श्मशान हैं तो उन लोगों को बड़ी असुविधा हो गयी जिसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप उनके लिए उस तरीके की व्यवस्था करें कि जो सुविधाएं उन को मिली हुई हैं उन सुविधाओं से वह किसी तरह से वंचित नहीं हों।

श्रीमती तारा भण्डारी : अब तो आप चिन्ता करो नरसिम्हाराव जी के सम्मन भी जारी हो गये।

श्री अध्यक्ष : बिराजें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्षजी, एक बात और कहना चाहता था कि जो आपके बी.जे.पी. पार्षद जीते हैं वह सब आज अतिक्रमण करने के अन्दर लगे हुए हैं। मैं आपको एक पार्टिकुलर बात निवेदन करना चाहता हूं कि डी-22 इन्दिरा कालोनी, प्लाट को देख लें। उसकी माननीय मंत्री महोदय

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया ।

(९२)

(श्री बनवारी लाल बैरवा)

जांच कर लें कि वह किस के नाम अलाटेड था, किस ने अतिक्रमण किया और आज कौन काबिज है। अगर इसी तरीके से बी.जे.पी. के पार्षद और बी.जे.पी. के माननीय सदस्य वहां पर अतिक्रमण कराने लग गये, तो बड़ी दिक्कत हो जायेगी। उसी तरीके से हमारे निवाई बस स्टेण्ड के ऊपर अभी जो पार्षद हैं उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। दुकानें बना ली हैं और दुकानें बनवा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अन्दर ...

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : माननीय अध्यक्ष जी, एक बात और कहना चाहता हूं कि जो नगरपालिका द्वारा हरिजनों के लिए दुकानें बना कर दी जा रही हैं उनके बारे में मुझे निवेदन करना यह था कि जहां जहां भी यह दुकानें दी गयी हैं वह बेमतलब की जगह हैं। यहां कारोबार के अवसर कम हैं। अब जो भी दुकानें दी जायें वह ऐसी जगह पर दुकान बनाकर दी जानी चाहिए कि उनको लाभ हो सके। दस-दस साल पहले जो दुकानें दी गयीं आज तक वह दुकानें खुली नहीं हैं। खुलने का सवाल इसलिए नहीं है कि वहां पर उनका कारोबार क्या होगा ? यह सोच भी आया था कि उनको अपने धंधों से हटाकर अन्य व्यापार के अन्दर वह लगें। तो अब व्यापार के लिए जगह तो ऐसी दो कि जहां उसका व्यापार चले। मेरा निवेदन करना है कि निवाई के अन्दर अगर दुकानें बनानी हैं तो झिलाई रोड पर दुकानें बनायी जायें।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। कृपया समाप्त करें।

श्री बनवारी लाल बैरवा : इतनी में अप **बात कहकर समाप्त करता हूं। आपने सम दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद।**

श्री अध्यक्ष : माननीय कोगटा जी आ बोल रहे हैं पहले, आप बोल लें।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोद मेरा नाम पुकारा है आपने ।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं। अब आपक आ जायेगा। बिराजें आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : ऐसा है अध्य महोदय, फिर मैं अपना नाम विथड्रा करती हूं मेरे बोलने की इच्छा भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें आप।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) अध्यक्ष महोदय, पहली बार मैंने महसूस किय कि आपने सूची के अनुसार मुझे बुलाया है..

श्रीमती तारा भण्डारी : फिर हम आपसे कभी आशा नहीं रखेंगे। आप महिलाओं के बोलने के लिए बिलकुल डिनाई करते जा रहे हैं। सुबह प्रश्न किया तो आपने बोलने नही दिया और अभी भी बोलने नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्या है ?

श्री अध्यक्ष : मैंने डिनाई नहीं किया है।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय आपने नाम नहीं पुकारा होता तो मैं क्लेमेन्ट नहीं होती लेकिन मेरा नाम पुकार कर और इस प्रकार का अन्याय ठीक नहीं है। मैं आपकी इच्छा का आदर करती हूं। आप भविष्य में मेरा नाम बुलायें भी नहीं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री किशन गोपाल कोगटा : माननीय ता

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

जी नाराज नहीं हों। मुझे तो अध्यक्ष महोदय यह बता दें कि नाम पहले किस का आया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 29-स्थानीय निकाय (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : (व्यवधान) क्यों होता है यह ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें। (व्यधान)

श्री अमराराम (धोद) : महिलाओं के साथ अत्याचार नहीं चलेगा (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : हम अपनी बात खुद कह सकते हैं। आपसे हमारी बात का समर्थन नहीं चाहिए। जो हमें करना होगा कर देंगे। हम चुनकर आये हैं किसी की मर्जी पर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : आप ज्यादा समय जाया नहीं करें।

श्री किशन गोपाल कोगटा : दो मिनट बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : विराजें, विराजें आप। कृपया शांति बनाये रखें। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : महिलाओं के नाते तो हमें संरक्षण देना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

श्रीमती उजला अरोड़ा : आपको संरक्षण हम दे रहे हैं इसलिये आप बोल लेते हो, हम कोई बात नहीं करना चाहते। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय यह बात गलत है।

(18.00)

मैं कह सकती हूं कि पहले ऊपर नाम लिखना फिर काट देना, फिर लिखना, फिर काट देना और हम पांच-पांच दिन तक इंतजार करते हैं। मुझे बजट पर बोलने के लिए पहले दिन कहा गया, मैं तैयारी करके बैठी रही, फिर मैंने बस्ता समेट लिया। पांच दिन बाद मैं बोली हूं।

श्री अध्यक्ष : वह आप मुझे नहीं कहें तो अच्छा है। बिराजें आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : हम आपका बिलकुल आदर करते हैं पर यह कोई तरीका नहीं हुआ। चीफ व्हिप वहाँ पर बैठे-बैठे बार-बार हमारा नाम लिखते हैं और काट देते हैं। यह कोई तरीका है क्या ? यह क्या तरीका है और इशारे कर रहे हैं, पहले इनको, पहले इनको।

श्री अध्यक्ष : आप बिराजें, तारा जी, आप बिराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : महिलाओं को पहले बुलाना चाहिए आपको।

श्री अध्यक्ष : कृपया बिराजें आप। कोगटा जी, आप शुरू करें। अभी आपका भी आ रहा है।

श्री किशन गोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 29, स्थानीय निकाय और नगरीय विकास पर चर्चा हो रही है। मैं सबसे पहले राज्य सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि पहली बार राजस्थान में सभी स्थानीय निकायों, नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषदों के चुनाव कराकर चुनिन्दा जन-प्रतिनिधियों के हाथ में दिया। इसके लिये राज्य सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद।

इसके साथ साथ वर्ष 1995-96 के बजट में पहली बार सहभागिता योजना, जिसमें नगर

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

विकास योजना में सहभागिता का जो विकास के लिए प्रावधान किया, उसके लिए भी मैं राज्य सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। पिछले बजट में 30 करोड़ रुपये इसके लिए प्रावधान रखा और उसका पूरे राजस्थान में बहुत अच्छा परिणाम आया। इस सहभागिता योजना में छोटी-छोटी नगरपालिकाएं, जैसे विजयनगर नगरपालिका है, जहां 20 हजार से कम आबादी है, इसमें इस योजना के तहत पहली बार 30 सड़कें बनीं, यह इसी का परिणाम है।

इसके साथ-साथ मैं राज्य सरकार और इस विभाग के मंत्री माननीय भवंरलाल जी शर्मा को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि पहली बार विजयनगर नगरपालिका को आपने विकास के लिए अनुदान देकर एक पिछड़ी हुई नगरपालिका को उनकी समस्याओं से जूझने के लिए सहयोग दिया।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में केवल एक नगरपालिका विजयनगर है जिसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी जो बसावट है, उसके पास में जो बाड़ी पंचायत है उसका सारा पानी बारिश में बहकर विजयनगर शहर में आता है। सबसे पहले कालेज में, उसके बाद में स्कूल में, फिर चिकित्सालय में पानी भर जाता है। उसके बाद बहता हुआ सारा पानी गुलाबपुरा की तरफ नदी में जाता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस ओर ध्यान दें। यह क्योंकि बहुत बड़े खर्चे से या मास्टर प्लान बनाकर बनेगा, उसके लिए बहुत बड़ी रकम की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन कालेज, स्कूल, चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय उसकी डूब में आ जाते हैं इसलिए नाला बनाने के लिए मैं अनुदान की मांग करूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विजयनगर में एक इन्दिरा कालोनी है। 1972 में जब पंचायत थी तब उस टाइम एक कालोनी काटी गयी थी और उसके लिए 51 रुपये में गरीबी की रेखा से नीचे के गरीबों के लिए एक कालोनी विकसित की गयी। पंचायत ने 51 रुपये लिये और पट्टा दिया। कुछ ही समय बाद वहां नगरपालिका बन गयी और वह जो कालोनी है वह वैसे की वैसी रह गयी। जिनके पास पट्टे हैं उनको उस कालोनी में पट्टे अलाट तो कर दिये, पट्टे उनको दे दिये लेकिन भूखण्ड अलाट नहीं किया है। आज स्थिति यह है कि 117 जनों ने उस जमीन पर अवैध कब्जे कर लिये। जो प्लाट की साइज है उससे दुगुने, तिगुने पर कब्जा कर लिया और जो 141 लोग, जिनके पास पट्टे हैं, उनको जमीन अलाट नहीं हुई। मैं माननीय मंत्री महोदय से आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इस इन्दिरा कालोनी को रेगुलराइज करें और जिनके पास पट्टे हैं 51 रुपये के, उनको भूखण्ड अलाट हो और उस कालोनी का डवलपमेंट हो जिससे लाइट, बिजली, सड़क हो सके।

अध्यक्ष महोदय, विजयनगर नगरपालिका इतनी छोटी नगरपालिका है कि उसके पास आज कोई जमीन, न सरकारी है और न डवलपमेंट करने के लिए, मकान बनाने के लिए हैं। आप चाहे नये विद्यालय खोलने हों, चाहे पशु चिकित्सालय, चाहे बस स्टेण्ड के लिए जमीन चाहिए, चाहे भेड़ ऊन प्रसार का कार्यालय

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

खोलना हो, लेकिन सरकारी जमीन एक इंच भी नहीं है।

इसके साथ-साथ विजय नगर के पास में एक अड़ती हुई बैरल पंचायत है। उसकी जो कालोनी है और विजयनगर नगरपालिका की जो सीमा है, दोनों अड़ती हुई हैं। पता ही नहीं लगता है कि विजयनगर नगरपालिका कब समाप्त हो रही है और बैरल की सीमा कब चल रही है। इसकी वजह से नगरपालिका विजयनगर को चुंगी की समस्या हो रही है। कई व्यापारी लोगों ने बैरल की कालोनी में गोदाम बना रखे हैं और धीरे धीरे अपना सामान ले आते हैं जिससे चुंगी वसूल करने में समस्या हो रही है।

दूसरा, सारी कालोनी बिलकुल विजयनगर शहर से अड़ती हुई है। वहां डवलपमेंट का पैसा नहीं लगता है। वहां विजयनगर की जलदाय योजना से कनैक्शन दे रखे हैं, बिजली की सारी सुविधा शहर की है। वहां मकान जो बन रहे हैं, जो विकास हो रहा है, उसमें पंचायत बैरल के खसरे में आने की वजह से उसमें डवलपमेंट से नगरपालिका को कुछ प्राप्त नहीं होता है। उसकी पानी की जो योजना है, क्योंकि बिलकुल अड़ती हुई है इसलिए उससे कनेक्शन दिये जा रहे हैं। तो मेरा यह आग्रह है कि जो भूखण्ड हैं, जो बैरल पंचायत है उसको विजयनगर में मिलायें। इससे दो बातें होंगी। एक तो नगरपालिका क्षेत्र के विकास की योजना बनेगी, माननीय मंत्री महोदय को याद दिलाऊं, विजयनगर आप पधारे होंगे, अध्यक्ष महोदय भी पधारे होंगे, विजयनगर का नक्शा जयपुर के नक्शे के तहत बना हुआ है। जिस ढंग से उसको बसाया गया है और अगर उसको नियमानुसार व्यवस्थित ढंग से आगे एक्सपैण्ड नहीं किया जायेगा तो उसका स्वरूप बदल जायेगा। मेरा यह आग्रह है कि बैरल पंचायत को विजयनगर में मिलाने से रेवेन्यू की भी वृद्धि होगी और डवलपमेंट चार्जेज, जो विकास के कर हैं, वह जो मकान बन रहे हैं, उनसे वह भी मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ एक समस्या और है। ब्यावर क्षेत्र के आस-पास, ब्यावर नगरपालिका के चारों तरफ मसूदा विधान सभा क्षेत्र है। जैसे ही नगर परिषद की सीमा समाप्त होती है, मसूदा विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके शुरू होते हैं। लेकिन पैराफेरी एरियां की वजह से वहां की जो बस्तियां हैं, जो 40-50 साल से बसी हुई हैं, उनको आज भी पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। उनकी खेती है, उनकी काश्त है, उनके मकान बने हुए हैं। तो मैं माननीय मंत्री महोदय को कहूंगा कि या तो उनको नगर परिषद ब्यावर में मिला लें या फिर कोई न कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे जो ग्रामीण लोग हैं, उनको अपना स्वामित्व मिलें, उनको पट्टे मिलें और वह कहीं लोन लेना चाहें कुछ बनाने चाहें तो बना सकें।

अध्यक्ष महोदय, विजयनगर जब से पंचायत से नगरपालिका बनी है तब जो स्टाफ पहले वहां था आज 20-25 साल हो गये, वही का वही स्टाफ आज है। सफाई के लिए कालोनीज बढ़ीं, क्षेत्र बढ़ गया लेकिन सफाई के कर्मचारी आज भी वह 40 के 40 हैं। मैं यह चाहूंगा कि सफाई के लिए, वह छोटी नगरपालिका है, वहां ठेका भी दिया ठेके की आपने परमिशन

196

(श्री किशन गोपाल कोगटा)

भी दी लेकिन वहां ठेका सफल नहीं हुआ। क्योंकि वहां जैसा वातावरण है, छोटी नगरपालिकाओं में ठेके सफल नहीं होते। तो मेरा यह आग्रह है कि वहां सफाई के लिए कर्मचारी और लगाने के लिए आप स्वीकृति प्रदान करें।

मुझे आपने समय दिया। पहली बार इस सदन में मेरा नाम पुकारा उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम जी।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सदन में आज नगर विकास की मांग पर विचार चल रहा है उसमें विशेष तौर से एक तो जो नगरपालिकाएं छोटी हैं........

श्री अध्यक्ष : थोड़ा संक्षेप में कहें, काफी लोगों का नम्बर आ जायेगा।

श्री अमराराम (धोद) : उनके पास इतनी कम इन्कम है कि वह बड़ा काम कर नहीं सकती हैं। मंत्री महोदय ने पिछली साल भी कुछ नगरपालिकाओं को विशेष अनुदान दिया था लेकिन मेरे क्षेत्र में आने वाली लोसल नगरपालिका को उससे भी वंचित रखा गया था। यदि दिया है तो बहुत कम दिया है।

उस नगरपालिका में जो विशेष समस्या है,उसकी बसावट इस तरह की है कि बरसात अधिक होने के कारण पूरा का पूरा पानी उससे बाहर नहीं निकालता। जल निकासी के लिए नाला जब तक नहीं बनेगा तब तक कभी भी अधिक बरसात होने के कारण वहां मकान डूबेंगे। जिस तरह से इसी बरसात में सैकड़ों मकान पानी में डूबे हुए हैं, 6-6, 7-7 फी पानी अन्दर आया है, लोगों के घर तबाह हु हैं, लोगों के घर उजड़े हैं तो निश्चित रूप ऐसी नगरपालिकाएं, जैसे लोसल है और ऐसी जो समस्याएं हैं जिनके समाधान के लि विशेष तौर से बजट में प्रोविजन किया जान चाहिए। क्योंकि ऐसी म्यूनिसिपैलिटी अपन खुद की आय से समस्याओं का समाधान नह कर सकती। इसलिए लोसल जैसी नगरपालिक जिसको बार-बार वर्षा के पानी में डूबना पड़त है, उसके लिए आप विशेष इमदाद करेंगे।

दूसरी समस्या की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सीकर में हाउसिंग बोर्ड कालोनी बनायी गयी है। उस कालोनी में आज से 8-9 साल पहले मकान अलाट कर दिये गये थे। 13-14 साल पहले उसके लिए आवेदन करवाये गये थे। आज भी 13 मकान जो मौके पर हैं, कार्नर के हैं उनके लिए जो आवेदक हैं वे 13 साल से इंतजार कर रहे हैं लेकिन उनको वे 13 मकान किसी कारण से नहीं दिये गये, वह किस कारण से रखे गये, आज भी बकाया हैं। बनने के बाद अगर उनको अलाट किया जाता है तो आज तक उनको बेनीफिट मिलता। उसकी एक समस्या है। सीकर में केवल मात्र हाउसिंग बोर्ड कालोनी देवीपुरा में है जिसमें सीवरेज लाइन का सिस्टम है। लेकिन उस सिस्टम का ओपन नाला है जो बस स्टैण्ड के बिलकुल सटा हुआ है। उसके चारों ओर आबादी है जहां बरसात का पानी इकट्ठा होता है। उस सीवरेज के आउटर को उसमें खुला छोड़ दिया गया है। इससे रोडवेज बस स्टैण्ड, उसके चारों ओर की कालोनी उस बदबू से हमेशा परेशान

(श्री अमराराम)

...ती है। सीकर की म्यूनिसिपैलिटी के सामने ...-बार रखने के बाद भी, जिला प्रशासन के ...मने रखने के बाद भी इस तरह की कालोनी आउटर खुला छोड़ दिया जाये और जहां ...सात का पानी इकट्ठा हो और लोगों को ...था पैसेन्जर्स को तथा आने-जाने वालों को ...दबू महसूस हो। इसलिए इस नाले का समुचित ...माधान करवाया जाये।

सीकर की दूसरी समस्या की ओर मंत्री ...होदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ...र माधो स्कूल, जो स्टेट के टाइम में बनायी ...ी, वहां खेल मैदान के लिए 300 X 300 ...ज का प्लाट अलाट किया गया। लेकिन ...ाज वह बेशकीमती जमीन होने के कारण ...यूनिसिपैलिटी केवल 3500 रुपये जमा कराके ...स जमीन को हड़पने की कोशिश कर रही ...। वहां प्राथमिक शिक्षा विभाग का कार्यालय ...वीकृत हुआ, वहां कार्य शुरू हो गया। स्कूल ... यह इच्छा जाहिर की कि अगर शिक्षा विभाग ...ा कार्यालय बन जायेगा तो उस पर हुए ...एन्क्रोचमेंट दूर हो जायेंगे और आगे एन्क्रोचमेंट ...ी नहीं और विद्यार्थियों के लिए खुला मैदान ...े लेकिन करोड़ों रुपये की जमीन है, उसको ...ात्र 3500 रुपये में म्यूनिसिपैलिटी जबरदस्ती ...अड़ंगा लगाकर, जमा कराकर विवाद पैदा करना ...चाहती है, शिक्षा विभाग का कार्यालय नहीं ...बनने देना चाहती और न उस स्कूल के ग्राउण्ड ...को लड़कों के लिए रहने देती ऐसी समस्या है ...जो जान-बूझकर क्रिएट की गयी है।

श्री अध्यक्ष : आपकी छोटी सी म्यूनिसिपैलिटी है, उसके लिए इतना बड़ा क्या कहना।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, नहीं सीकर का मुद्दा है। लोसल म्यूनिसिपैलिटी का तो मैंने कह दिया। जो करोड़ों रुपये की जमीन है और जबरदस्ती अड़ंगा लगाकर और उसमें जितने एन्क्रोचमेंट हैं, वह तमाम सरकारी कर्मचारियों के हैं और जिला प्रशासन की शह पर उस पर काबिज हैं। आज वह जमीन 5000 रुपये वर्गगज की जमीन है और उसमें जितने एन्क्रोचमेंट हैं उनमें बहुतायत 80 प्रतिशत सरकारी कर्मचारी हैं जो आज वहां मौजूद हैं। जिला प्रशासन या कलक्टर उस सरकारी कार्य को तो बंद करवा सकता है लेकिन जो एन्क्रोचमेंट वहां मौजूद हैं उनको हटाने के लिए न कलक्टर सक्षम है, न पुलिस अधिकारी और न म्यूनिसिपैलिटी और न शिक्षा विभाग सक्षम है। लगातार जो उसके लिए लड़ता है उसके लिए जरूर परेशानी पैदा हो जाती है।

बड़े शहरों में कच्ची बस्तियों की समस्या है, निश्चित रूप से शहरों में आवक होती है। जब कच्ची बस्तियां बसती हैं, दुरस्त होती हैं, वे लोग जो गरीब को गणेश मानने की बात करते हैं, बस जाते हैं और मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा भी की थी चुनावों के पहले और चुनावों के दौरान कि 8-10 साल से जो बसी हुई हैं, उन कच्ची बस्तियों को उजाड़ा नहीं जायेगा, उनका नियमन किया जायेगा। अगर दूसरी जगह बसाया जायेगा तो उनको प्लाट दिये जायेंगे, उनको सुविधाएं दी जायेंगी। फिर भी सरकार बहुत सी जगह उन कच्ची बस्तियों को उजाड़ती है। आज इस प्रदेश में, शहर में आने वाला गरीब है, जो शहर के विकास से आया है इसलिए उनका नियमन किया जाये और आगे से इस तरह से प्लान बनाया जाये कि जो पैसे वाले हैं वे प्लाट भी खरीद सकते

(श्री अमराराम)

हैं, हाउसिंग बोर्ड में भी जा सकते हैं। जिस तरह से गांवों में निःशुल्क गरीब को पट्टा दिया जाता है, उसी तरह से आने वाले उन गरीबों के लिए भी हर शहर में कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करके उनको निःशुल्क पट्टे दिये जायें। आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र जी पारीक।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है यह विषय ऐसा है जिससे आम आदमी की समस्या जुड़ी हुई है। हर वह व्यक्ति जो नगरपालिका और नगर परिषद क्षेत्र में रहता है, व्यक्तिशः इस संस्था से जुड़ा हुआ रहता है और इसमें जहां कहीं भी हल्की सी भी कोई कमी नजर आती है तो सीधा उसके व्यक्तिगत जीवन पर, उसके स्वास्थ्य पर, उसकी सामाजिक परिस्थिति पर और उसकी स्थिति पर, प्रभाव पड़ता है और ऐसे गहन मसले पर जिस तरह से आज इन नगरपालिकाओं और नगर परिषदों की स्थिति है, मुझे यह कहते हुए कतई संकोच नहीं है कि इसके क्या कारण रहे हैं। एक ओर उन्होंने चुनींदा बोर्ड बैठा रखा है और एक ओर सरकारी अधिकारियों का शिकंजा इस कदर कसा हुआ है कि न तो चुनींदा बोर्ड वहां काम करने की स्थिति में है और न सरकारी अधिकरियों की ठीक करने की मंशा है। इस स्थिति में नारकीय पीड़ा को भुगतने के लिए वहां के नागरिक मजबूर हो रहे हैं। उनको इस स्थिति से हल्की सी निजात दिलायें।

अध्यक्ष महोदय, आज एक आदमी अपना मकान बनाना चाहता है। वह यदि नगर परिषद के पास इजाजत के लिए जाता है और किसी भी कारण से उसको इजाजत दे आनाकानी करता है तो सीधा उसको उ जयपुर टाउन प्लानर के पास भिजवा देता टाउन प्लानर की स्थिति आज यह हो ग कि उसकी मर्जी हो तो उसको तो कानून-कायदे के स्वीकृति जारी कर देत और यदि उसकी मंशा किसी कारण से हो तो कोई न कोई बहाना लगाकर अपने पेंडिंग रखता है और इस बात का इन्त करता रहता है कि कब कोई सम्बन्धित अधि कब कोई सम्बन्धित व्यक्ति उसके पास अ इस बात के लिए एप्रोच करे और कब उ उसकी लेन-देन की स्थिति तय करे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम मंत्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित क चाहूंगा, मैंने व्यक्तिशः उपस्थित होकर राजस होटल के निर्माण के मामले में रिक्वेस्ट थी। आपने सम्बन्धित अधिकारी को प किया। उस अधिकारी ने बजाय वह काम क के, एक नेक काम यह कर दिया कि जो फा उसके पास में एक साल से अटकी हुई उसने दूसरे दिन वह फाइल अपना पूरा डिसी लिखकर सीकर भिजवा दी। यह नेक क उन्होंने जरूर किया। यह शीघ्र ही उन्होंने क किया। मैं इस तरह के मामलों में मंत्री महोद से निवेदन करना चाहूंगा कि कम से कम ऐ मानीटरिंग, हर माह में आप मीटिंग अ अधिकारियों के साथ लें कि ऐसे कौन मामले आज पेंडिंग पड़े हुए हैं और क्यों प हुए हैं ? आखिर किसी भी जिले का, किस भी नगर का, किसी भी नगर परिषद क्षेत्र क किसी भी पालिका का विकास होता है, वह

(श्री राजेन्द्र पारीक)

पर खण्डहर हटाकर यदि वहां की खुली जमीन पर अच्छी आवासीय कालोनी बसती है, यदि वहां पर कामर्शियल काम्पलेक्स बनते हैं तो रोजगार के साधन उपलब्ध होते हैं। आज बेरोजगारी किस कदर है। यदि कोई आदमी दुकान लगाकर अपना धंधा करना चाहे तो उसको तो उसमें सुविधा मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, हरिजन कर्मचारी आज नगर परिषद और नगरपालिका का ऐसा अंग है जिसकी उपस्थिति निहायत जरूरी है। विभाग के जो नोर्म्स हैं कि 1000 की आबादी पर एक हरिजन कर्मचारी की नियुक्ति होगी। सीकर नगर परिषद के बारे में आपको जानकारी देता दूं कि वहां पर 1981 की जनसंख्या के आधार पर हमें हरिजन कर्मचारी उपलब्ध करा रखे हैं और उनमें स्थिति यह है कि जो सम्बन्धित इंस्पेक्टर हैं, वह उन हरिजन कर्मचारियों से पैसा लेकर छुट्टी दे देता है और घर बैठे उनको तनख्वाह दे देता है तो एक और तो वैसे संख्या कम, 1981 की सेंसस के आधार पर आपने संख्या दे रखी है और दूसरी ओर जो कुछ भी हरिजन कर्मचारी वहां पर उपलब्ध हैं, वह समय पर उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी हालत में इतने बड़े शहर में कैसे सफाई को मेन्टेन रख पायेंगे, कैसे दुनिया भर की गंदगी जो चारों तरफ फैली रहती है उसको दूर कर पायेंगे। यह बड़ी समस्या है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस विशेष बात की ओर दिलाना चाहूंगा और उसमें मैं आपसे निर्णय भी चाहूंगा। अभी आपने सीकर नगर परिषद को 50 हरिजन कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए अधिकृत किया है। आज तक का रिकार्ड यह है कि जब भी हरिजन कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, उसमें जो नीडी व्यक्ति होता है वह तो रह जाता है और एक ही परिवार के 3-3, 4-4 लोग वहां कर्मचारी नियुक्त हो जाते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इन हरिजन कर्मचारियों की नियुक्ति के मामले में या तो आप लाटरी सिस्टम करें और एक पाबंदी लगा दें कि जिस परिवार में एक भी हरिजन कर्मचारी नगर परिषद का कर्मचारी नहीं है उसको प्रथम वरीयता दी जायेगी और साथ में उस महिला को वरीयता दी जाय जो विधवा हो। एक तो उनके पास में रोजगार का कोई विशेष साधन नहीं होता और वर्षों-वर्षों बाद में नगर परिषद में कर्मचारियों की नियुक्ति की स्थिति बनी है, ऐसे में यदि नीडी व्यक्ति बाहर रह जायेगा तो फिर दुबारा 2-4 साल बाद कुछ हरिजन कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वीकृति फरमायेंगे। तब जाकर यह स्थिति बनेगी, तो आप सुनिश्चित करें इस बात को। अधिकारियों के माध्यम से जो नियुक्ति होगी उसमें वहां पर, बीस-बीस, तीस-तीस हजार रुपये लोग लेने को तैयार बैठे हुए हैं, ऐसे मामले में सीधा सा करें आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (नगर आयोजना मंत्री): राजेन्द्र जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि यह लाटरी के आधार पर ही नियुक्ति हो और एक ही परिवार में अगर कोई है तो उसको जैसा आप बता रहे हैं वैसा न हो, यह निर्देश हम जारी कर देंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इससे वास्तव में कोई जरूरतमंद आदमी रोजगार पायेगा,

(श्री राजेन्द्र पारीक)

इसके लिए आप वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं।

अध्यक्ष महोदय, सीकर नगर परिषद में हाउस टैक्स लगा हुआ है। लेकिन बहुत वर्षों से हाउस टैक्स जमा नहीं हो रहा है और उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि वहां पर इन्होंने हाउस की जो इकाई मानी है, एक परिवार जिसमें एक ही परिवार के चार भाई रहते हैं, वह चारों अलहदा-अलहदा हैं लेकिन नगर परिषद ने उन चारों को एक इकाई मानकर उस पूरे हाउस पर हाउस टैक्स लगा दिया। वह चारों भाई अलग अलग हैं, उनका यह कहना है कि हमें अलग इकाई मानकर के आप इस पर टैक्स लगायें। इस बात को नगर परिषद का आफिसर नहीं मानता और जब वह नही लगा रहा है तो वे पेमेन्ट नहीं होता। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि वर्षों से हाउस टैक्स जमा नहीं हो रहा है। इसका बहुत अच्छा तरीका यह निकल जावेगा कि नगर परिषद को तो आय हो जायेगी और हाउस टैक्स का जो मसला वर्षों से अटका हुआ है वह निपट जायेगा, आप उसका रि-असेसमेंट करवायें, एक मकान में चार ब्रदर रहते हैं, उनको अलग-अलग इकाई मानकर उनका अलग-अलग असेसमेंट हो जाय, आपका हाउस टैक्स भी जमा हो जायेगा और वैसे भी अधिकृत नहीं है, तीन साल के बाद में नगर परिषद उनको किसी भी तरह से प्रेसराइज करके हाउस टैक्स वसूल करने की स्थिति में नहीं है। इससे नगर परिषद को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। आय का एक बड़ा स्रोत है, यदि अलग इकाई मानकर के वह करेंगे तो हाउस टैक्स जमा होगा निश्चित रूप से।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ एक निवेदन और करना चाहूंगा। पुराने टाइम में जब वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर थे तो केवल घौंस-पट्टी में, किसी न किसी से शिकायत करवाकर नगर परिषद की अधिकतर पत्रावलियां, मैंने स्वयं व्यक्तिशः उपस्थित होकर होकर इस बात की जानकारी दी की 600 फाइल नगर परिषद से उठाकर ए.डी.एम. अपने निवास स्थान पर ले जाकर रख ले और बुला-बुला कर रोज इन्क्वायरी करे तो नगर परिषद में काम होने की तो कोई स्थिति ही नहीं है। फिर उन कर्मचारियों के पास काम कहां रहेगा। तो ऐसे निर्देश आप फरमायें कि यदि आपको जांच करनी है, नगर परिषद से संबंधित किसी भी मसले की आपको जांच करनी है तो नगर परिषद का परिसर है, उनका अपना एक आफिस है, वहां जायें अधिकारी, वहां ओपन बैठ कर उसकी इन्क्वायरी करें। इन्क्वायरी में यदि कोई आदमी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ आप कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें, इसके लिए कौन मना करता है। लेकिन सारी पत्रावलियां उठा कर अधिकारी अपने घर ले जायं और बैठ कर पर्टिक्युलर कार्मशियल काम्पलेक्स के मामले में बुला- बुला कर वह इस बात की इन्क्वायरी करें कि आप इसमें क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, और बैठ कर अपनी स्थिति अलग ढंग से करे, तो इस में ट्रांसपरेंसी होनी चाहिए। आप ऐसी स्थिति खड़ी क्यों करते हैं जिससे कोई आदमी शक के दायरे में आता हो। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पत्रावलियों की जांच हो, किसी भी स्तर पर हो लेकिन नगर परिषद परिसर में हो, उस में किसी को कोई एतराज नहीं होगा।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

इसी के साथ, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि सिटी का पानी नगर परिषद के बड़े नालों के माध्यम से बाहर जाता है और आज स्थिति यह बन गयी है कि वह पानी बाहर जाकर जो एड्जोईनिंग एरिया है, जो ढाणियां हैं, मसलन एक गांव है नानी, उसके पास एक गांव है चेलासी, चंदपुरा, आज उन गांवों की स्थिति यह कर दी इस नगर परिषद के गन्दे पानी ने कि वहां पर फसल चौपट हो गयी। वह सारा का सारा गन्दा पानी जाकर लोगों की फसल को नुकसान पहुंचाता है। गलती नगर परिषद की ओर भुगत रहा है दूर बैठा गांव का आदमी। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आप नगर परिषद को ऐसे निर्देश दें या आप उनको कोई एडिशनल फाइनेंस की व्यवस्था करें कि जो नगर परिषद की बाउण्ड्री से निकल कर पानी ढाणियों में जाता है जिससे उनकी फसल का नुकसान होता है, या तो वह रास्ते में कोई बांध बना कर उसको रोकने की व्यवस्था करें और वहां पर कोई ट्रीटमेंट प्लांट लगायें अन्यथा उनकी फसल का जो नुकसान होता है, वहां पर कोई बड़ा नाला बना कर उस पानी को कम से कम एक लिमिटेड दायरे में बाहर निकालने की व्यवस्था करें। एक बड़ा गम्भीर मसला बन चुका है और आप समझिये, लोगों की सैकड़ों बीघा जमीन इस पानी की चपेट में आती जा रही है और धीरे-धीरे यह स्थिति बढ़ती जा रही है। तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है कि इस मसले को बड़ी गम्भीरता से लिया जाना चाहिए, लोगों की फसल को नुकसान न हो और नगर परिषद का पानी बाउण्ड्री से बाहर निकल जाय, इसके लिए आपको कहीं न कहीं कोई एडिशनल फाइनेंस की व्यवस्था निश्चित रूप से करनी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय, मुर्दा मवेशी जो होते हैं, नगर परिषद के मामले में तो यही चर्चा होगी कि गंदगी हो रही है, लाइट नहीं है, यह नहीं है, वह नहीं है। मुर्दा मवेशी बाउण्ड्री के बाहर आप जब डालने जाते हैं तो आज आबादी जिस तरह से बढ़ रही है, विस्फोट हो रहा है आबादी का, लोग शहर से दूर बसने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज किसी भी ढाणी में और सिटी का जो बोर्डर है उसमें कहीं कोई खाली जगह नहीं है और हम ले जाकर मरे हुए पशु हैं, उनकी चमड़ी या हड्डी वगैरह जो होती है उनको ले जाकर हम वहां पर डाल देते हैं। आज ढाणी में स्थिति यह हो गयी है उन गांव वालों की कि वह उसमें रहने की स्थिति में नहीं हैं। या तो नगर परिषद अपनी कोई अलग से ऐसी जगह सुनिश्चित करे जहां उनको ले जाकर डम्प करें या फिर उनको जलायें या फिर कोई ऐसी स्थिति तो खड़ी करें कि लोगों में उस बीमारी से बचने का कोई उपाय हो। यह बड़ा गम्भीर मसला है। इसमें निश्चित रूप से कोई कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : अब समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय अध्यक्ष महोदय, अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिस तरह से बेजा कार्यवाही हो रही है उसकी तो मैं कड़े शब्दों में निंदा भी करूंगा और विरोध भी करूंगा। एक ही लाठी से हांकने का कोई काम हो तो किसी को कोई एतराज नहीं होता। लेकिन अतिक्रमण हटाने के नाम से आप

२०१

(श्री राजेन्द्र पारीक)

पर्टिक्युलर एक जगह को तोड़ दें और उसके आगे-पीछे के दोनों को छोड़ दें तो क्या यह जायज है ? ऐसे मामले में आप अपने अधिकारियों को निर्देश दें कि जहां कहीं भी अतिक्रमण हटाना है तो उस मामले में संजीदगी बरतें। कहीं आपको वास्तव में लगे कि इस अतिक्रमण के हटाने से कोई शहर का विकास हो रहा है या कोई यातायात में सुविधा हो रही है तब तो आदमी करे लेकिन केवल एक आदमी को हैरेस करने के लिए वहां से अतिक्रमण...

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : हटाने की जो स्थिति बन रही है वह बहुत बुरी स्थिति है। अध्यक्ष महोदय, नगर परिषदों में एक इन्होंने हेल्थ आफिसर की पोस्टिंग कर रखी है। जहां पर आपकी स्वयं की डिस्पेंसरी है, जहां पर आपके हरिजन कर्मचारियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए कोई व्यवस्था है वहां तो आपका मेडिकल और हेल्थ आफिसर हो, उसकी कोई उपयोगिता है। लेकिन जिन नगर परिषदों में न तो कोई डिस्पेंसरी है, न वहां हरिजन कर्मचारियों के स्वास्थ्य के लिए उनको कोई अलग से बजट एलोकेट कर रखा है, ऐसी जगहों पर आपने डाक्टर की जो पोस्टिंग कर रखी है उससे केवल नगर परिषदों पर आर्थिक भार बढ़ने के अलावा और कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसी जगहों से, जहां आपकी डिस्पेंसरी नहीं है, आप डाक्टर को हटायें ताकि नगर परिषद पर आर्थिक भार न पड़े।

इसी के साथ-साथ अध्यक्ष महोदय, जयपुर की एक-आध कोई समस्या है, आपको मौका लगे तो कभी आप विधायकपुरी पधारें। वहां पर लोग अपने ज्यूस सेंटर से ज्यूस वगैरह निकाल करके (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। क्या होता है कि मेरे को आज जो कट मोशन्स दिये हैं उनको नहीं बुलायेंगे, केवल पार्टी के सचेतकों के कहने से बुलावेंगे तो ही मामला ठीक भी बैठेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : आप आदेश फरमायें तो एक मिनट में अपना समाप्त करूं। एक ही मिनट ले रहा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मेरी बड़ी मजबूरी है। इधर तो कटमोशन्स दिये हैं उन्होंने मेहनत करके, उनको भी नहीं बुलावें, बड़ी मुश्किल हो रही है अभी। इसलिए कृपा करके अब समाप्त करें। मैं चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा हों ।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, एक गम्भीर मसला है। इस गम्भीर मसले पर नही बोलूंगा तो यह समझिये कि मेरी जो ड्यूटीज हैं उस मैं पूरा नहीं उतरूंगा। गम्भीर मसला यह है, नगर परिषद और जलदाय विभाग, यह दोनों माननीय मंत्रीजी के पास में हैं। सीकर की स्थिति यह हो गयी है कि जो नगर परिषद की पुरानी नालियां बनी हुई हैं उनमें ही आपके जलदाय विभाग की पानी की सप्लाई की पाइप्स हैं और उससे हर बार पोल्युटेड वाटर लोगों के घरों में पहुंचता है। एक ही डिपार्टमेंट, एक ही मंत्रीजी के पास में है और यह स्थिति एक दिन की नहीं है, अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति बराबर बनती जा रही है। पाइप 64 की डाली हुई हैं जो गल गयीं, सड़ गयी हैं। हादसा

(श्री राजेन्द्र पारीक)

होते-होते बचा है और हर साल कम से कम दस-बारह बस्तियों में ऐसी स्थिति बनती है कि वह गन्दा पानी लोगों के घरों में जाना शुरू हो जाता है। फिर सूचना देते हैं, पांच-सात दिन में वह पाइप कटती है, नयी जुड़ती है, एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है, आप सुनिश्चित करें इस बात के लिए कि जहां कहीं भी ऐसी स्थिति है, जो गन्दे नालों में से पाइप गुजरती है, उनके लिए कम से कम उन अधिकारियों को, आपस में दोनों में समन्वय बैठा कर, नगर परिषद में और जलदाय विभाग के अधिकारियों में, इस स्थिति से नगर परिषद को उबारें। आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। और आपने जो हरिजन कर्मचारियों के लिए कहा है, यह एक-दो दिन में ही वहां पर नियुक्ति होने वाली है तो आज ही आप आदेश फरमावें कि लाटरी से ही हो। और विधवाओं को तथा जिन परिवारों में एक भी कर्मचारी न हो उनको वरीयता क्रम से रखा जाये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती तारा भण्डारी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : मेरे नाम का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : वैसे तो उगमराजजी का है मेरे पास नाम। अब आप बाद में। बिराजिये। उगमराज जी । (व्यवधान). कट मोशंस में भी है, क्या कर रहे हैं आप ? बिराजिये आप। यह आपका आपस में डिस्कशन यहां हमारे सामने न करें।

श्री उगमराज मेहता (ब्यावर) : अध्यक्ष महोदय, ब्यावर नगर परिषद के चुनाव में भाजपा का बोर्ड बना वहां से अध्यक्ष और ओ.बी.सी. के चेयरमैन और भाजपा का बोर्ड बनने के बाद जिस प्रकार से चुंगी में वृद्धि हुई है, आमदनी पहले हर माह 12 लाख होती थी और हमारा बोर्ड बनने के बाद 12 से लेकर 16 और 18 लाख हर माह आमदनी हुई है। पहले तनख्वाह चुकाने के लिए 10-10, 15-15 दिन लेट होते थे परन्तु अब तनख्वाहें समय पर सभी कर्मचारियों को चुकायी जाती हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहूंगा कि ब्यावर में वेस्ट पैटर्न प्रेस कम्पनी की लीज समाप्त हो चुकी थी 1969 में और 1972 में राज्य सरकार के यहां से आदेश गये कि वेस्टर्न पैटर्न प्रेस को 30 साल की अवधि और बढ़ायी जाती है 5550 रुपये प्रतिमाह की दर से। वेस्टर्न पैटर्न प्रेस कम्पनी लिमिटेड के नाम से यहां से सरकार से कागज आता है, आज दिन तक लीज डीड बनी नहीं। किराया आज दिन तक नगर परिषद को आया नहीं और 15 लाख रुपये का आज दिन तक कम्पनी पर बकाया है। मैं पूछना चाहूंगा कि वेस्टर्न पैटर्न प्रेस कम्पनी लिमिटेड के डायरेक्टर कौन हैं। यह कम्पनी कौनसी कैसे बनी इल्लीगल हो गयी ? यह वैस्टर्न पैटर्न प्रेस पहले अंग्रेजों के टाइम में 1947 के पहले अंग्रेजों की थी और जब अंग्रेज यहां से चले गये उसके बाद में जिस समय वहां पर सक्सैना नौकरी में था, उसने गलत ढंग से हस्ताक्षर करके अपने-आपको इसका सर्वेसर्वा बता दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट में वो मिथ्या पाया गया। पानीपत और हुबली में वहां पर उसके ऊपर केस चला और उसको पानीपत और कर्नाटक छोड़ने की इजाजत नहीं मिली फिर कहीं जाकर के आपस में समझौता

204

(श्री उगमराज मेहता)

करके उसने वहां पैसा लेकर के वो जमीन छोड़ी। इसी प्रकार ब्यावर का यह मामला है। आज 16 लाख रुपये बकाया हैं इसके ऊपर तुरन्त सरकार का ध्यान नहीं। मैंने वहां से फैसले की कापी मंगवा कर हाई कार्ट से और वहां के नगर परिषद के आयुक्त को दी है। मैंने कहा कि इस प्रकार यह घोटाला है और यह करोड़ों रुपये की सम्पत्ति है। वो आयुक्त महोदय कहते हैं कि अभी ठहरिये करूंगा कार्यवाही। आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। राज्य सरकार को भी मैंने कापी भेजी है कि आज करोड़ों रुपये की सम्पत्ति हड़प करके वो बैठा हुआ है। पिछले माह फरवरी महीने में जब अतिक्रमण हटाओ अभियान चला था उस समय यह भी उसको सूचना दे दी गयी थी कि 751 वर्ग गज जमीन उसमें से जो रास्ता जायेगा वो रास्ता छोड़ना है आपको पर जिस समय वो तोड़ने के लिए अन्दर गये वहां जब कमरे के अन्दर आयुक्त महोदय और दो पार्षद बैठे हुए थे अन्दर। मुझे मालूम होने पर मैंने जब टेलीफोन किया मैंने बात की। मैंने कहा कि आयुक्त महोदय आप क्या कर रहे हैं ? यह क्यों नहीं तोड़ रहे हैं ? 10 हजार आदमी बाहर खड़े हैं आप क्या कर रहे हैं ? आयुक्त महोदय ने कहा ये दो दिन का का समय मांग रहे हैं। मैंने कहा कि ये दो दिन समय मांगने की यह आपको गलतफहमी है। उन्होंने दो दिन का समय दे दिया अब 29 तारीख तक के लिए और एक तारीख को उसने स्टे ले लिया। आज दिन तक वो रास्ता नहीं खुला हो सका। और अभी कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

अभी दो दिन पहले की बात आपको चर्चा करूं मैं कि ब्यावर में प्रताप कालोनी में एक व्यक्ति नौरतमल मकान बना रहा था, उसका नक्शा पास किया हुआ है। परन्तु उस कालोनी के असामाजिक तत्वों ने वो बिलकुल मैन रोड है आने-जाने का रास्ता बंद करके दीवार खड़ी कर दी 12 फुट ऊंची और 7 फुट चौड़ी जब वे नगर परिषद में गये कि इसको रुकवा रास्ते हमारे बंद हो गये सौ-दो सौ आदमी पुलिस थाने में गये और क्या हालत हुई कि वहां कमिश्नर नहीं किसको कहें फिर यहां फोन आया मैं उस समय मीटिंग में था। रात को 9.30 बजे वहां पहुंचा कि आपके टेलीफोन आ रहे हैं। मैंने टेलीफोन से बात की। यहां अशान्ति हो रही है, आयुक्त महोदय का पता नहीं। मैंने करीब 10-20 फोन करके मालूम किया कि आयुक्त महोदय सर्किट हाउस बैठे हैं। सर्किट हाउस में उनसे कांटेक्ट किया। मैंने कहा कि ब्यावर में अशान्ति हो रही और आप यहां बैठे हुए हैं आर्डर देने वाला नहीं उस दीवार को हटाने के लिए। उन्होंने मुझे कहा कि आप इस टेलीफोन नम्बर र टेलीफोन करके ब्यावर सम्पर्क करिये और उनको कहें कि मेरे से बात करें।

मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए मैंने टेलीफोन किया वहां पर फिर जा करके वो ब्यावर उसने किसी से बात की होगी। दूसरे दिन सुबह मैंने पुलिस को फोन किया और कल सुबह वो दीवार हटी है और कल शाम को फिर पत्थर लाकर डाल दिये उन असामाजिक तत्वों ने। कमिश्नर अभी तक यहां बैठा हुआ है कोई चिन्ता नहीं ब्यावर की। कौन सम्भालेगा वहां गन्दगी हो रही है यहां ब्यावर में एक सनातन स्कूल ग्राउण्ड में......

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय सदस्य, की कोई बात हो तो आपके मंत्रीजी यहां हुए हैं आप पार्टी के एम.एल.ए. हो...

श्री उगमराज मेहता : माननीय सदस्य, मैं आपके बीच में नहीं बोलता हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, मैं तो वैसे कह रहा हूं कोई शौक नहीं है आपको मंत्री यहां...(व्यवधान)

श्री उगमराज मेहता : माननीय अध्यक्ष दय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना गा कि ब्यावर में सफाई के लिए मैंने कई निवेदन किया कि बाजार में जिस प्रकार अव्यवस्था है और जगह-जगह कीचड़ है। तन स्कूल के ग्राउण्ड में दो-दो फीट पानी हुआ है। अभी जो बरसात हुई है दो-तीन नों में पानी घुस गया। आपको कहा कि अस्थायी कर्मचारियों के लिए आप कहिये। ने तुरन्त हां भर ली इसके लिए मैं धन्यवाद चाहता हूं। मैं यू.डी.एच. को भी धन्यवाद चाहता हूं कि शनिवार को उन्होंने पांच ट में आदेश निकलवाये और पी.एडी को ा कि अभी की अभी आदेश दो। वो आदेश क्या हुआ ? वो आदेश की कापी यहां श्नर लेकर बैठा हुआ है और वहां पर ई कर्मचारी अभी तक अपाइंट नहीं हुए। हाल हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री ादय से कहना चाहूंगा कि आयुक्त महोदय ां ब्यावर में रहना नहीं चाहते वो कहते हैं मैं तो इस प्रकार से करूंगा कि मुझे यहां भीलवाड़ा जाना है, आप भीलवाड़ा आज रवाना कर दीजिये मैं निवेदन करना चाहूंगा आपसे। आप घोषणा कर दीजिये। उनको भीलवाड़ा भेजिये वहां पर क्या कर रहे हैं कि वहां पर उनका मन नहीं लग रहा है और वो इसलिए हमारे पार्षदों को आपस में लड़ाने का काम चालू कर दिया। और कहते हैं कि इस बहाने मुझे भीलवाड़ा रवाना कर देंगे। मंत्री महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी यह घोषणा करें कि उनको भीलवाड़ा भेज रहे हैं ताकि हमारे वहां की समस्या का समाधान हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। यही बात है और कोई बात है आपकी अभी तक कोई कांक्रीट बात तो आयी नहीं है इतनी देर में।

श्री उगमराज मेहता : और मैं बात करना चाहता हूं...

श्री परसादीलाल मीणा : कई शिकायतें और हैं विशेष।

श्री उगमराज मेहता : अध्यक्ष महोदय, मोहम्मद अली स्कूल जिसमें कामर्शियल काम्पलैक्स बनाया उसके बारे में मैंने गत विधान सभा में भी प्रश्न उठाया था। आपकी ओर से मुझे यह जवाब मिला था कि जिन अधिकारियों ने इस प्रकार से स्कूल भवन में वहां पर कमरे बनाने की इजाजत दी थी और वहां कामर्शियल काम्पलैक्स बन गया उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी, कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसके अलावा उसके साथ ही विनोद होटल बनी है। विनोद होटल खुद की जमीन पर उन्होंने बनायी है वह आवासीय है और उसने प्लाट के आगे और ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर लिया तो उसको नोटिस गया कि 24 घंटे में हटाओ नहीं तो तोड़ दिया

(श्री उगमराज मेहता)

जाएगा। सामान लेकर चले गये। उसने नक्शा वहां दिया। एक महीने तक नक्शा पास नहीं किया। कर्मचारी और वहां के नगर परिषद आयुक्त ने एक माह तक नक्शा पास नहीं किया और मैं तो कहना चाहता हूं कि अब यहां मोहम्मद अली स्कूल में जो कामर्शियल काम्पलैक्स बन गया अब कोई आप तोड़ने वाले नहीं हैं या वो विनोद होटल तो टूटने वाली नहीं है। उससे पैनल्टी लेकर के कुछ भी करके यह मामला हटाइये। मोहम्मद अली स्कूल की जो ग्राउण्ड है जो करोड़ों रुपये की है बोर्ड लगा दिया है कि यह उनका ग्राउण्ड नहीं है वो ग्राउण्ड नगर परिषद की सम्पत्ति है। मैंने यह तो कई बार कहा है कि रेवेन्यु रिकार्ड में नगर परिषद की सम्पत्ति लिखी हुई है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि करोड़ों रुपये की जो सम्पत्ति है उस पर कब्जा किया जाय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आवासन मण्डल में अब जगह जगह लोग जो जमीन ले रहे हैं अब किसान की जमीन अगर ब्यावर में हैं, तो क्या मतलब है? मैं निवेदन करना चाहूंगा जोधपुर रोड पर सरकारी जमीन है वह ली जाय ताकि उस रोड का भी उद्धार हो और वहां भी ज्यादा से ज्यादा लोग रहने लग जायं। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह जी (अनुपस्थित)। श्री चन्दनमल जी बैद (अनुपस्थित)। श्री विष्णु जी मोदी (अनुपस्थित)। श्री रामनारायण चौधरी (अनुपस्थित)।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : मुझे सिर्फ पांच मिनट कहना है। बहुत महत्वपूर्ण बात करूंगा, किसी ने नहीं कही है।

श्री अध्यक्ष : मैं इसलिए नाम ले रहा श्रीमान विश्नोई साहब।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : अ महोदय, मैं टाउन प्लानिंग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। हमारी टाउन प्लानिंग है पश्चिम की बिलकुल हुबहु नकल है। ह समाज व्यवस्था है यह बिलकुल भिन्न यहां पर ससुराल पक्ष, दादाणा का पक्ष नानाणा का पक्ष है, भाई-बंधुओं की व रिश्तेदारी है, जाति प्रथा है। हमारा विश्‍ अपना अलग तरीके का एक समाज है। ट प्लानर्स ने पश्चिम से एक ही बात सीख जो जयपुर के महाराजा जयसिंह ने सीखी कि सीधी सड़कें नार्थ टू साउथ और ईस् वेस्ट, तीसरे मकान में कौन रहता है, यह नहीं जानता। जोधपुर और जयपुर ले लीजि मैं जयपुर वालों की बुराई नहीं करता ले आम तौर से यह है कि जयपुर वालों व्यवहार सूखा है, आपस में इतना प्रेम नहीं है जितना जोधपुर वालों का है और इस कारण क्या है कि जोधपुर बसा हुआ है चौ के इर्द-गिर्द, कबूतरों का चौक, घोड़ों का चौ बड़ले का चौक आदि। यानी बीच में ख जमीन आयी हुई, चारों तरफ मकान आये बीच में दरख्त आये हुए। नतीजा क्या है मौहल्ले के बच्चे सब जब जन्मते हैं, उस व से वहां खेलना शुरू करते हैं तो एक दूसरे मित्र होते हैं। आजकल तो महिलाएं बर अन्दर ही मांज लेती है। पहले पनघट जा है तो सब मोहल्ले वाली औरतों के साथ जा और शाम के वक्त बरतन मांजने बैठतीं

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

चबूतरे पर बैठ जातीं और सब महिलाएं आपस में जानती थीं। बच्चे सब को जानते थे। विवाह होते तो उस चौक में होते, बच्चे उस चौक में खेलते, बूढ़े-ठाढे वहां चौक के अन्दर चबूतरे होते थे, उसमें दरखत की छाया होती थी वहां जाकर बैठ जाते, रोटी का टाइम होता जब पोते जाकर कह देते दादाजी खाना बन गया है घर पधारो, खाना खालो। रेस्ट करके और वापस शाम को आकर बैठ जाते। –

श्री घनश्याम तिवाड़ी : अब विधान सभा में जगह सुरक्षित कर दी गयी है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : अब आप वाला जो यह सिस्टम है इसमें बच्चों के खेलने की कोई जगह नहीं है। हरेक मकान के आगे सड़क है, घुटनों के बल ही अगर बच्चा निकलकर आ गया तो वह चला जायेगा। आवारागर्द लोग वगैरह सब कोई वहां से चलते रहते हैं। इसलिए मेहरबानी करके बितनी इर्द-गिर्द तीन-तीन तरफ या दो तरफ तो आपकी सड़क होती है। यह सब सड़कों वाला एरिया छोड़कर 40-50 मकानों का यूनिट लीजिये, बीच में खाली चौक छोड़ियेगा ताकि 50 घरों के बच्चे, 50 घरों की औरतें, 50 घरों के बूढ़े विवाह शादी के अन्दर जो नोहरे किराये में 10-10 हजार रुपये में लेते हैं वह लेने की जरूरत नहीं है। अपने यहां किसी की मृत्यु हो जाय तो 12 दिन तक बैठने को आते हैं तो एक कमरा किराये पर लिए हुए बैठे रहते हैं। तो यह जो हमारा सामाजिक सिस्टम है इसको ध्यान में रखकर यदि आप टाउन प्लानिंग करते हैं तो आपस में प्रेमभाव बढ़ेगा। नहीं नो बूढ़े घर में बैठे-बैठे क्या करें और दूसरों के घर जाकर बैठें तो उनको पानी कौन पिलावे और चाय की मनुहार कौन करे।

इसलिए कृपया अपना समाज है बड़ी रिच लाइफ लीड करता है। साला है, यह मेरा साढू भाई है और 50 तरीके के रिश्तेदार हैं, वह जाति है, बिरादरी है इसलिए सब लेकर करें और एक एंटरी पाइंट रखें, सीधी सड़क है, बाहर से निकल जाये एंटरी पाइंट, एंटरी पाइंट पर परचून की दुकान है, पान की दुकान है, छोटी मोटी दुकान रख दी, एक प्रवेश द्वार रख दिया ताकि अन्दर ट्रैफिक आ नहीं सकता, एक्सीडेंट का डर नहीं रहेगा। अच्छा रिच जीवन है, बुढ़ापा अच्छी तर से निकल जाय नहीं तो यहां क्लब तो है नहीं कि बूढ़े क्लब में चले जाते हैं। बूढ़ी औरतें कहां जायं, कहां हाथाई करें ? किसी के घर जाकर क्यों बैठें ? लड़कियां कहां जायें नहीं तो सूरज अस्त होते ही पहले फाल्गुन होता तो फाल्गुन में सब जलसे उस मैदान में होने लग जाते। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे सामाजिक जीवन को हम एनरिच करना चाहते हैं, यदि उसको हम सुखी बनाना चाहते हैं तो टाउन प्लानिंग वालों को आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। न तो एक्सीडेंट होंगे और उसमें प्रेमभाव होगा, एक दूसरे के मददगार होंगे, सस्ते में शादी होगी और उठने-बैठने, बरतन धोवें तो उसमें भी बैठने की जगह होगी। यही मेरा नम्र निवेदन है। आप कहते हैं कि हम तो खेल का मैदान रखते हैं। खेल का मैदान रखते हैं आधा किलोमीटर दूर पूरी बस्ती में एक जगह, छोटे-छोटे बच्चे जायं तो बड़े बच्चे उनको ठोकते हैं इसलिए वह वहां जा ही नहीं सकते।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई)

इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि उस हिसाब से भारतीय संस्कृति, हमारे रीति -रिवाज, हमारी जाति बिरादरी उसको लेकर और आप टाउन प्लानिंग करें। यही आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री ओमप्रकाश।

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 29- शहरी विकास पर निवेदन करना चाहूंगा। मास्टर प्लान में वैसे तो हर जिला स्तर पर कोई न कोई अधिकारी होना चाहिए। बिना मास्टर प्लान के सम्पूर्ण राजस्थान की, जिसमें मेरा बूंदी जिला भी आता है, वहां की भी स्थिति बड़ी खराब है। बिना मास्टर प्लान के मकान बना लिये गये, दुकानें बना ली गयीं अवैध बस्तियां हो गयीं। बूंदी नगर में लगभग 5 हजार मकान अवैध बने हुए हैं और कहीं भी कोई रास्ता नहीं है। 5 हजार मकानों के बारे में निवेदन कर रहा हूं। आज स्थिति यह है कि कई जगह पानी भरा रहता है, निकलने का रास्ता नहीं है, कहीं केवल मोटल साइकिल निकल सकती है, कहीं जीप निकल सकती है और सारे रास्ते जाम कर दिये। मैं यह निवेदन करना चाह रहा था कि मास्टर प्लान में जो अधिकारी बैठे हैं वे तनख्वाह किस बात की लेते हैं ? वे जाकर उस जिले की नगरपालिकाओं के नक्शे क्यों नहीं बनाते हैं ? वे बनाते हैं केवल उन स्थानों के जहां ग्रीन-बैल्ट है। अब ग्रीन - बैल्ट के अन्दर कोई जमीन निकालनी हो उसके लिए जरूर वे कोई न कोई रास्ता बना देंगे और इजाजत दे देंगे। मेरा निवेदन करना यह है कि मास्टर प्लान के बिना किसी भी शहर की आबादी को सुचारू रूप से नहीं बसा सकते। मास्टर प्लान में कोई न कोई अधिकारी हर जिला स्तर पर जहां पर नहीं है, वहां लगाये जायं और उसी आधार पर आबादी बसे, यह व्यवस्था की जाय।

आज इसके साथ-साथ ई. ओ. नगरपालिका में जो होते हैं उनके रहते हुए चेयरमैन की, कोई भी हो, जनप्रतिनिधि हो, ई.ओ. की जिम्मेदारी है कि वहां पर अगर कोई अवैध मकान दुकान किसी प्रकार का कब्जा होता है तो उसकी एफ.आई. आर. लॉज हो। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब नगरपालिका को यह अधिकार दे दिये गये। अब तक बूंदी नगरपालिका में कितने मुकदमे दर्ज हुए और मकान धड़ाधड़ बन रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि ई.ओ. नगरपालिका की व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो कि अगर कोई मकान बनता है, दुकान बनती है व अवैधानिक रूप से कार्य होता है उसके लिए व्यक्तिगत रूप से ई.ओ. दोषी माना जाय। अगर ई.ओ. और इंस्पेक्टर इन दोनों को जिम्मेदारी दे दी जायेगी तो मेरा मानना है अवैध निर्माण नहीं होगा और अवैधानिक रूप से जो बस्तियां बस रही हैं वह नहीं बस पायेंगी।

मैंने अभी निवेदन किया कि बूंदी में लगभग 5 हजार मकान अवैधानिक रूप से बने हुए हैं जिनका 1981 के आधार पर सर्वे हुआ है और सर्वे में कई बड़ी गड़बड़ियां भी हैं। जैसे अधूरे नाम छोड़ दिये गये वहां के कर्मचारियों ने मिलकर केवल प्रकाश लिख दिया। अब जिसने पैसा दे दिया हरि और लगा दिया, हरिप्रकाश हो गया या ओमप्रकाश कर दिया या उधर कोई वर्मा कर दिया। इस

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

प्रकार से वहां के कर्मचारियों ने जो 1981 में सर्वे हुआ था_

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तरकीब तो मालूम नहीं। कहीं आ गयी होगी इसलिए आप शिकायत मत करो।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : वहां की हुई है इसलिए निवेदन कर रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि 1981 में जो सर्वे हुआ उस सर्वे में पड़ौसी कौन था ? जिसको पट्टा दिया जा रहा है या सर्वे में नाम आया है, उसका पड़ौसी आखिर था कौन ? मैंने अगर मेरा नाम लिखा दिया तो मेरा पड़ौसी कोई तो होगा। उस आधार पर वो पकड़े जा सकते हैं और जो मकान अवैध बन गयें या तो तोड़िए उनको, अब आप उनको तोड़ तो सकते नहीं हैं तो नियमन कराइए। नियमन कराओगे तो उनका पैसा आयेगा और पैसा आयेगा तो नगरपालिका में काम भी आयेगा और नगरपालिका के विकास में उसका लाभ होगा। इसी प्रकार अभी 1991-92 में बूंदी नगरपालिकाओं में मकानों के लिये या दुकानों के लिये, व्यावसायिक स्थानों के लिये 2500 बीघा जमीन के लगभग अधिग्रहण किया। 1991-92 से 1996 आ गया। कई अधिकारी चले गये और कई अधिकारी आ गये, वो अवार्ड भी जारी हो गया, परन्तु आज तक उस 2500 बीघा भूमि में क्या करना है, इसकी योजना नहीं बनी। वहां पर किसी भी अधिकारी ने यह जिम्मेदारी नहीं ली कि आखिर यह जमीन हम ले रहे हैं, इस जमीन का हम क्या करेंगे, इसकी कहीं भी कोई योजना नहीं है। इसके बारे में मैंने कई बार निवेदन किया और इसके लिये यह भी निवेदन किया कि यहां से अधिकारी जायें, उसके नक्शे के अनुसार कौन-कौनसी कालोनियां बननी हैं, इसके बारे में विचार करें। इसके बजाय वहां पर कुछ लोगों ने जमीन खरीदी और जमीन खरीद कर प्लाट कूट रहे हैं और प्लाट बिक रहे हैं। गवर्नमेंट रजिस्ट्री भी कर रही है। रजिस्ट्रार बैठा हुआ है, वो रजिस्ट्री कर देते हैं। मेरा निवेदन करना यह था कि इस जमीन को जो आपने अधिग्रहित की है, इसके नक्शे बनाये जायें। इसके लिये किस प्रकार की आबादी बढ़ेगी, किस प्रकार मकान बनेंगे, कितने मकानों की आवश्यकता है, वो सारे नक्शे बने और उसको व्यवस्थित रूप से बनाया जाये। इस बात के लिये तो मैं धन्यवाद दूंगा कि अभी चार माह पूर्व आवासन मण्डल के अध्यक्ष महोदय श्री सत्यनारायणजी गुप्ता उनके अधिकारियों को लेकर बूंदी पहुंचे और लगभग 500 बीघा भूमि आवासन मण्डल के लिये आदेश जारी किये। परन्तु नगरपालिका की स्थिति यह है कि जब यह आदेश देते हैं या इन्होंने जो जमीन लेनी थी उसके जो नंबर दिये, नगरपालिका में जाने के बाद वो नंबर ही गायब हो गये। नंबर दूसरे आ गये। यह तालमेल का अभाव है।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी तो एक हैं, विभाग दो हैं। इन दोनों विभागों का जब तक तालमेल नहीं होगा, व्यवस्थाएं नहीं बन पायेंगी। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि उनका तालमेल बिठाया जाये और आवासन मण्डल जिस आधार पर 2500 बीघा भूमि लेनी थी, ली है। 500 बीघा भूमि आवासन मंडल ले रहा है, वो उसको तत्काल ले।

श्री (ओमप्रकाश शर्मा)

इस के साथ ही बूंदी नगर में सफाई के बारे में निवेदन करूंगा। सफाई का मतलब यह है कि वहां बड़ा तालाब है। वहां बड़ा तालाब से लेकर देवपुरा तक एक नहर बनायी थी कांग्रेस के टाइम पर उसमें लाखों रुपये खर्च कर दिये। वो नाला किसी काम में आ भी नहीं रहा। मेरा सुझाव है कि उस नाले के पीछे एक अस्पताल पड़ता है और वहां पर दुकानें लोगों ने लगा रखी हैं, अवैध रूप से ठेले खड़े होते हैं। मैंने पहले भी निवेदन किया कि वो नाला किसी काम में नहीं आ रहा। वो नाला पीछे छूटा हुआ है। जो बाहर एन्क्रोचमेंट लोगों ने कर रखा है, उनको हटाकर उस नाले पर कुछ गुमटियां रखने की इजाजत दे दी जाये और उनसे पैसा ले लिया जाये। किराया भी आयेगा और वह अवैध निर्माण भी हटेगा।

इसी प्रकार पानी की निकासी का मामला है। आज बूंदी नगर पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है बालचंदपाड़ा से लेकर कागजीदेवडा, वो एक लाइन बनी हुई है और बरसात आने के बाद पहाड़ों से पत्थर, कंकरीट, मिट्टी सारी पहाड़ों से आती है और वह शहर में आकर गिरती है। शहर में भरी रहती है। चार महीने सफाई होती नहीं है, लोग निकल पाते नहीं। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाये कि इसमें शहर की ओर 8-8, 10-10 फीट दीवार हो। जिससे कंकरीट, मिट्टी और पत्थर इधर नही आय। पानी निकल जाये, केवल इतनी सी व्यवस्था की जाये।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : दो मिनट और लूंगा, अध्यक्ष महोदय। इसी के साथ में गुरूनानक कालोनी में जो पहाड़ी का पानी आता है और माझी साहब कुंड के पीछे हर साल एक समस्या पैदा होती है। एक व्यक्ति ने एक मकान बना लिया, एन्क्रोचमेंट करके और वो मकान के कारण न नगरपालिका उसको तोड़ पा रही है, न उसको कलक्टर साहब तोड़ पा रहे हैं। बारिश आती है, रातभर और दिनभर आदमी बैठे रहते हैं, उस कालोनी के लोगों को बाहर निकालने के लिये। परन्तु वो व्यक्ति उसको मैं धन्यवाद दूंगा, जिस व्यक्ति ने मकान बनाया और इतने लोगों को परेशान किया। परन्तु एक भी अधिकारी ऐसा माई का लाल नहीं हुआ जो मकान के अंदर से पानी निकाल सके। जब तक वहां से पानी नहीं निकलेगा तब तक डेढ़ सौ मकान, दो सौ मकान ऐसे हैं जो पानी में डूबेंगे। इसलिए उसकी व्यवस्था करनी चाहिए और उसी के अनुसार पानी की निकासी करनी चाहिए। मैं कुछ प्रमुख स्थानों के नाम निवेदन करूंगा - रानी जी की बावड़ी है, सूर्यमल चौराहा है, अस्पताल से सर्किट-हाउस और काले तक, यहां पानी भरा रहता है। अध्यक्ष महोदय, बिना नक्शे के यह जो बनाये गये हैं सड़क ऊंची हो गयी, कहीं नालियां ऊंची है और पानी की ऐसी व्यवस्था रहती है कि थोड़ी सी भी बारिश में एक-एक फीट पानी हो जाता है। उस पानी की निकासी के लिये आज तक कोई व्यवस्था नहीं की। इसी प्रकार की व्यवस्था पूरे बूंदी जिले में है।

श्री अध्यक्ष : विराजें। श्री भीमराज जी भाटी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : एक आखिरी निवेदन करके मैं अपनी बात खतम कर रहा हूं। एक निवेदन मेरा आखिर में हैं, बूंदी में जितने मकान हैं उनको नियमित किया जाए।

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

आवासन मण्डल भूमि को ले और वहां योजना बनाकर आवासीय कालोनियां काटे। आपने समय दिया, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री भीमराज भाटी (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो नगरपालिका का काम सफाई, बिजली और जो शहर है जहां नगर पालिकाएं हैं, वहां बाग-बगीचे और वहां पर्यावरण का जो सुधार है उसके लिये बाग-बगीचे और बच्चों के खेल कूद के पार्क आदि होने चाहिये और हैं भी सही। लेकिन आजकल ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है निर्माण की तरफ। निर्माण भी होना चाहिए, विकास भी होना चाहिये। कहीं की भी नगरपालिका हो, कहीं की भी नगर परिषद हो, कहीं पर भी नगर निगम हो, इनमें हम करोड़ों रुपये का काम करते हैं, विकास का, निर्माण का। लेकिन उस निर्माण के काम करने के लिये जो क्वालिटी कंट्रोल के जो सेंटर्स हैं, वो कुछ जगह पर सेंटर्स हैं। लेकिन आजकल बड़ी-बड़ी नगर पालिकाएं हो गयीं, बड़ी-बड़ी नगर परिषद हो गयी, वहां पर आपके क्वालिटी कंट्रोल के सेंटर्स नहीं हैं। तो उसके लिये मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो बड़ी म्यूनिसिपैलिटीज है, वहां पर क्वालिटी कंट्रोल के जो सेंटर्स हैं और जो दूर-दूर हैं, वहां पर हर म्यूनिसिपैलिटी में क्वालिटी कंट्रोल के सेंटर्स प्रोवाइड करने चाहिये।

दूसरा मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत निवेदन करूंगा, जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। लेकिन आपके जो सफाई कर्मचारी हैं, उन सफाई कर्मचारियों में कोई वृद्धि नहीं हो रही। तो सफाई कर्मचारियों की वृद्धि करें। इसमें भर्ती का म्यूनिसिपैलिटी को ही अधिकार दें। लेकिन एक बात जरूर सुनिश्चित करें कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती में सिर्फ सफाई कर्मचारी लिये जायं, सफाई कर्मचारियों के नाम पर हर किसी को एम्प्लायमेंट दिया जा रहा है। उसकी वजह से यह जो सफाई की व्यवस्था है, वो चरमरा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरपालिकाओं को स्वायत्ता तो दी गयी लेकिन स्वायत्ता का कतई यह मतलब नहीं है कि स्वछंदता हो। स्वायत्ता आपने दी। चुंगी आपने समाप्त करने का कहा था। चुंगी किन्हीं कारणों से समाप्त नहीं कर पाये। लेकिन ये जो चुंगी के ठेके हैं, उन चुंगी के ठेकों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, दौसा में चुंगी के ठेकों में 40 लाख रुपये का घोटाला हुआ है। एक करोड़ 23 लाख रुपये में पूरे ठेके दिये गये। उसका 15 पर्सेन्ट बढ़ोतरी करके इस साल एक करोड़ 40 लाख रुपये में देना चाहिये था। लेकिन ठेका दिया गया एक करोड़ एक लाख रुपये में। संगरिया में 20 लाख रुपये का घोटाला किया गया। श्रीकरणपुर में 10 लाख का रुपये का घोटाला किया गया। यह स्वायत्तता के नाम पर जो म्यूनिसिपैलिटी को आप स्वायत्तता देने की बात कर रहे हैं इसके पीछे कौन पैसे खा रहा है? डी.एल.बी. में कहीं कोई गड़बड़ है या सैक्रेटेरियेट लेवल पर गड़बड़ है ? मैंने मंत्रीजी का जो कल का बर्ताव देखा है, आज का बर्ताव देखा है और दो-ढाई साल से निरन्तर देखता आ रहा हूं, कम से कम मैं इनकी ईमानदारी के बारे में आश्वस्त हूं।

लेकिन मैं आपको जैसलमेर का एक किस्सा

(श्री भीमराज भाटी)

बताता हूं। जैसलमेर में 40 लाख रुपये का बिजली का सामान खरीदा गया। उस 40 लाख रुपये के सामान की कलक्टर ने रोकथाम कर रखी है। लेकिन उनके अधिशासी अधिकारी, ताराचन्द, नाम है राजस्थान पत्रिका में पहले पेज पर आया है, उसने यह कहा कि हमको जयपुर से आदेश हैं, हमें ऊपर से बार बार दबाया जा रहा है, वे बिल्टियां छुड़ाने के लिये, उस कलक्टर ने वहां पर रोकथाम की है। लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करता हूं कि स्वायत्तता के नाम पर इस तरह दौसा में जो 40 लाख रुपये का घोटाला है, संगरिया में जो 20 लाख रुपये का घोटाला है, श्रीकरणपुर में 10 लाख रुपये का ठेके देने के मामले में, घोटाला है, उसकी उच्च-स्तरीय जांच करें।

मुझे खुशी है कि इस विधान सभा क्षेत्र में जो डाक्टर था, उसको निलम्बित किया गया। आपके जो भ्रष्ट एक्स. ईएन. थे, उनको आपने आज निलम्बित किया तो ऐसे सभी मामलों में जो दोषी हों, चाहे वे अधिकारी हों, चाहे वे चुनिन्दा बोर्ड के लोग हों, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया पूरी करके, उनको भी दण्डित करें ताकि अच्छा मैसेज जाये और उसके ऊपर अच्छा कन्ट्रोल हो।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक और बात निवेदन चाहता हूं कि हमारी पाली नगर परिषद में एन.ओ.सी. का एक बहुत बड़ा काण्ड हुआ। उस एन.ओ.सी. के काण्ड में करोड़ों रुपये की जमीनों की एन.ओ.सी. दे दी गयी। म्यूनिसिपैलिटी में अलग-अलग रसीदों की किताबें लगी हुई थीं। एक ही दिन में 3-4-4 रसीदें क्यों। इन 4-4 रसीदों का क एक दिन में समायोजन नहीं होता, क्या रोक बुक में एण्ट्री नहीं होती। उसके महीने डे महीने बाद उस काण्ड की इन्क्वायरी हुई, उ काण्ड की एफ.आई. आर. लॉज हुई। हाल यह हो गयी अध्यक्ष महोदय, कि उस एन.ओ.स काण्ड का जो मैन अभियुक्त था, वह एन.ओ.स काण्ड में तो गिरफ्तार नहीं किया जा सक लेकिन उसको कोफेपोसा में गिरफ्तार कर लि गया और आज भी म्यूनिसिपैलिटी का जो मे रेस्पोंसिबल आदमी है, वह आज भी गाय है। तो ऐसे मामलों में मैं, माननीय स्वाय शासन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि ऐसे ज भी मामले आपकी जानकारी में आयें, चा अखबारों की मार्फत आयें, चाहे जन प्रतिनिधि आपकी जानकारी में लायें और चाहे किस और रूप में भी आपकी जानकारी में आ उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हालत यह कि चुंगी चोरी के मामले पकड़े जाते हैं हालांकि हमारे जो जन प्रतिनिधि म्यूनिसिपैलिटी के पार्षद हैं, वे चुंगी चो पकड़ने के लिए अधिकृत नहीं हैं। बहुत अच्छ बात है कि वे रात-दिन जागकर चुंगी चोरी व मामले पकड़ते हैं। लेकिन चुंगी चोरी के मामल को पकड़ने का धन्धा नहीं बना लिया जा चाहिए। वे माननीय पार्षद अपनी गाड़ियों मे अपनी जीपों में और म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ियो में रात को 2-2 बजे तक चुंगी चोरी के मामले पकड़ते हैं। मुझे दुःख इस बात का है कि चुंग चोरी के मामले पकड़कर, कुछ मामलों मे माननीय पार्षद अपने स्वयं के इल्म सीधे करते

(श्री भीमराज भाटी)

हैं और उन मामलों को तो रफा-दफा कर देते हैं और कुछ मामलों की एफ.आई.आर. लॉज होती है। ये जो चुंगी चोरी के मामले पकड़े जाते हैं, इसमें डिस्क्रीमिनेशन नहीं होना चाहिए।

पाली नगर परिषद में ट्रांसपोर्ट कम्पनियों के ऊपर छापे पड़े। 7-7, 8-8 ट्रांसपोर्ट कम्पनियों में लाखों रुपये की चुंगी चोरी के मामले पकड़े गये। महज दो मामलों में एफ.आई.आर. लॉज हुई। बाकी के सारे मामलों में, वहां जन अभाव अभियोग समिति है, वह रिकार्ड मांग रही है। कलक्टर रिकार्ड मांग रहे हैं लेकिन उस रिकार्ड का अभी तक पता नहीं चल रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक और निवेदन है कि कई म्यूनिसिपैलिटीज हैं, आपके जो छोटे-छोटे कस्बे हैं, जो छोटे-छोटे नगर हैं, वे नगर डवलप हो रहे हैं। वहां पर मल्टी-स्टोरीज की परमिशन दी जा रही है। मल्टी-स्टोरी की परमिशन के लिए किसी को एतराज नहीं है। लेकिन उन मल्टी-स्टोरीज बिल्डिंग्स की परमिशन के लिए बाई-लॉज, नियम, उप नियम, कुछ न कुछ व्यवस्था तो म्यूनिसिपैलिटीज में होनी चाहिए। उन बिल्डिंग्स में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है, सैफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं है, कभी आग लग गयी और बिजली का कोई शॉर्ट-सर्किट हो गया तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि मल्टी-स्टोरी काम्प्लेक्सेज की और मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स की जो आप परमिशन दे रहे हैं, जगह-जगह, छोटी-छोटी जगहों में भी फ्लैट्स बन रहे हैं, उन फ्लैट्स की सैफ्टी का, उनकी आग के बारे में, उनकी पार्किंग के बारे में, पार्किंग वहां नहीं है, बड़े काम्पलेक्सेज बन रहे हैं उनमें पार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है, मैंने यहां जयपुर में भी कई काम्पलेक्सेज देखे हैं जहां पार्किंग का कोई प्रोविजन नहीं किया गया है। यह साइट का जो प्लान है, साइट का सैट-ऑफ है, वह सैट-आफ भी बराबर, लीगल नहीं छोड़ा जाता। जब तक पार्किंग की व्यवस्था, इसकी सेफ्टी की, फायर की और बिजली के शार्ट-सर्किट, जब तक आपके पूरे इसके स्ट्रिक्ट नार्म्स न हों, तब तक मेहरबानी करके, उन मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग्स को परमिशन न दिलायें। यही मेरा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमान रामनारायणजी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन का आज मेरा पहला दिन था कि आपने आसन की तरफ से मुझे पुकारा और मैं सदन में उपस्थित नहीं था। इसके लिए मुझे बहुत दुःख है। क्योंकि मैं यह मानता आया हूं कि सदन में आसन की तरफ से जिसको पुकारा जाये, वह अनुपस्थित मिले तो यह सदन और अध्यक्ष दोनों की अवमानना है, मुझे इसके लिए खेद है।

मान्यवर, आज नगर आयोजना, नगर परिषद, महानगर परिषद के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ने अपनी मांग प्रस्तुत की है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ी समस्या शहरों में कोलोनाइजेशन की है। कोलोनाइजेशन करने का काम नगर परिषदों, महानगर परिषद,

(श्री रामनारायण चौधरी)

जे.डी.ए. तथा छोटी जगहों पर म्यूनिसिपैलिटी कौंसिल, म्यूनिसिपल बोर्ड और पंचायतों का है। लेकिन वे कर नहीं पाते हैं। कर नहीं पाने के कारण जरूरतमंद लोग, आसपास की जमीन को खरीदते हैं। खरीद करके वे अपना मकान बनाते हैं। जिस किसी को भगवान ने पृथ्वी पर, जमीन पर डाल दिया, अब वह जमीन के ऊपर ही रहेगा, जमीन पर ही चलेगा। अपनी झोपड़ी बनाने के लिए वह आकाश पर तो जा नही सकता, जमीन पर ही बनायेगा। नगर परिषद, नगरपालिका और सरकार उसको दे नहीं रही है तो क्या करे। वह अपने साधनों से किसी काश्तकार से, किसी भी आदमी से जमीन खरीदेगा, उस पर अपना मकान बनायेगा या सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा करेगा। ये जितनी आपकी संस्थाएं हैं, उनको आपने इस तरह से पाबन्द कर रखा है, रेवेन्यू लॉज इतने डिफेक्टिव और इतने खतरनाक हैं, जिनका कोई वर्णन नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत जानना चाहता हूं कि यदि नगरपालिका अपने निवासियों के लिए आवासीय कालोनी डवलप करे तो उन्हें उन लोगों को इजाजत देने में क्या दिक्कत है जो सौ एकड़, दो सौ एकड़ की एक चक जमीन काश्तकारों से खरीदते हैं और खरीद करके वे प्लाट काटते हैं तथा काटकर के वे जरूरतमंद लोगों को देते हैं। जब काश्तकारों से मार्केट रेट के ऊपर, उनकी रजामंदी से, वे जमीन खरीदते हैं, वह खरीदने की अनुमति आप उनको नहीं देते, फिर आप उनको कन्वर्जन की अनुमति नहीं देते। फिर आप उनको बनाने की अनुमति नहीं देते। यह सरकार का सबसे बड़ा डिफेक्टिव सिस्टम है, अगर यह नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पुराने जमाने में, राजा-महाराजाओं के जमाने में क्या था। गांव के जागीरदार ने, पटेल का अधिकार होता था उसने बता दी, उस जगह पर मकान बना लो, यहां अपना झौंपड़ा डाल दो। कोई समस्या नहीं थी। आज कहीं भी, ग्राम पंचायतों में जगह नहीं है, नगरपालिकाओं में जगह नहीं है। प्राइवेट कोलोनाइजर जमीन खरीद कर बनाना चाहें, उनको आप बनाने नहीं दें, उनकी जमीन को आप कन्वर्ट नही करें। कन्वर्ट कराएं तो उसको आप पास नहीं करें, नक्शे पास नहीं करें। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को यह सोचना चाहिए और अगर सरकार आज ही सोचने की स्थिति में नहीं है तो मान्यवर, मैं तो कहता हूं कि वह समय कब आयेगा। मैं समझता हूं कि हमारी इस उम्र में तो आने का नहीं है।

जिस प्रदेश का मुख्य मंत्री 30 साल तक प्रतिपक्ष का नेता रहा और तीन बार लगातार मुख्य मंत्री बने, पूरे जन साधारण आम -आवाम की डिफिकल्टीज का उनको अनुभव था। इस विधान सभा के ग्रन्थ, ये पुस्तिकाएं उनके सुझावों से भरी पड़ी हुई हैं। उन्होंने मुख्य मंत्री बनने के बाद अपने एक भी सुझाव पर अमल नहीं किया। आज के शासकों में यह सबसे बड़ी खराबी है कि जब शासन आता है तब उन बातों को भूल जाते हैं और जब शासन नहीं रहता है तब उनको वे बातें याद आती हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी जब प्रतिपक्ष में थे, मैं विधान सभा सभा में नहीं था, लेकिन मैंने अखबार में पढ़ा की उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान

श्री रामनारायण चौधरी)

रकार के डेफिसिट बजट को फायदे में, सरप्लस कन्वर्ट करने के लिए यह सुझाव देता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया कि जेडीए. के पास इतनी जमीन पड़ी है। हाउसिंग सोसाइटीज के पास इतनी जमीन है। यह अरबों रुपये की जमीन है। अगर इनको रेगुलराइज कर दिया जाय, अगर इनका कन्वर्जन कर दिया जाय तो गवर्नमेंट के पास में अरबों रुपये की आमदनी होगी। मुख्य मंत्री बनने के बाद में अपनी उस बात को भूल गये। जेडीए. भी है कि नहीं, हाउसिंग सोसाइटीज हैं कि नहीं, इनके वह चल नहीं रहा। मैं मानता हूं कि माफिया गिरोह को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने सक्रिय कार्यवाही की, मौजूं कार्यवाही की लेकिन वह तो एक कार्यवाही है। वह तो एक आइसोलेटेड काम है। सारे सिस्टम को किस प्रकार से बदला जाय, शहरों को और बड़े नगरों को, इस तरफ उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, तो मैं समझता हूं कि किससे हम उम्मीद करेंगे ? जो इतने अनुभव के बाद भी आज नहीं हो रहा है।

माननीय मंत्री महोदय से मैं पूछना चाहता हूं कि जहां टाउन प्लानिंग की माननीय सदस्य आलोचना कर रहे थे, ओमप्रकाशजी बोल रहे थे, उधर से भाटी साहब बोल रहे थे। जहां टाउन प्लानिंग ने ठीक प्रकार से काम किया, उस सारे टाउन प्लानिंग के नक्शों को खत्म कर दिया बाद के लोगों ने। जवाहर नगर है आपका, हाउसिंग बोर्ड का, टाउन प्लानिंग के नक्शे के मुताबिक बना हुआ था। आप आज देखिये कि क्या हालत है उसकी ? मानसरोवर, जो आपकी इतनी बड़ी कालोनी है, आज के दिन 60 हजार मकान एक जगह पर एक कालोनी में भारतवर्ष में किसी भी जगह, किसी भी शहर में आपको नहीं मिलेंगे। 60 हजार की योजना, जिसको एकदम योजनाबद्ध तरीके बसाया गया था। आज देखिये उन बने हुए मकानों की हालत क्या है ? सब में कब्जा कर लिया, एन्क्रोचमेंट कर लिया। नक्शा क्या था, उसको बदल दिया। यह हालत है। किसी ने रोका नहीं। तो यह स्थिति, टाउन प्लानिंग क्या करेगी ?

झुंझुनूं के अन्दर, जब मैं लोकल सेल्फ मिनिस्टर था, मैंने माननीय हरिदेवजी जोशी से इन्दिरा नगर का फाउण्डेशन करवाया था। चीफ टाउन प्लानर को मैंने ले जाकर के वहां उसकी प्लानिंग बनवायी। इन्दिरा नगर उसका नाम दिया। चीफ टाउन प्लानर ने बाकायदा यहां पर पार्क होगा, यहां पर स्कूल होगी, यहां पर औषधालय होगा, यहां पर डिस्पेंसरी होगी, यहां पर रीक्रिएशन रूम होगा और यहां पर माननीय पूनमचन्दजी बता रहे थे, वह सारा प्रोवीजन उसके अन्दर किया गया था। आज मान्यवर, दुःख के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान की सरकार ने उन तमाम, सारी की सारी जमीनों को बेच दिया। क्यों बेच दिया ? क्योंकि नगरपालिका उनको डवलप नहीं कर सकी। पैसे आये उसको दूसरे कामों पर खर्च कर दिया और जो सार्वजनिक हित के, परपज के, रीक्रिएशन के जो लॉन्स और पार्कस जो काटे गये थे, स्कूलों को काटे गये थे, उनको सबको नगरपालिका ने बेच दिया और राजस्थान सरकार ने उनको अनुमति दे दी। राजस्थान सरकार ने, जो भी गये, मिनिस्टर वहां जाकर आया, यहां से आदेश भिजवा दिया कि यह पार्क की जमीन फलाने परपज के लिये दे दो। जवाहर

(श्री रामनारायण चौधरी)

नगर में क्या हुआ ? जवाहर नगर में इतने पार्क काटे थे। मानसरोवर में क्या हुआ ? इतने पार्क काटे थे, सबको हाउसिंग बोर्ड ने बेच दिये, सरकार ने बेच दिये। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि टाउन प्लानिंग को कैसे दोष देंगे ? टाउन प्लानिंग अपनी एक स्कीम दे सकता है लेकिन उस टाउन प्लानिंग की स्कीम को इम्प्लीमेंट तो वही ऐजेन्सी करेगी, जिसको उसने दी और इसकी लुक आफ्टर कोई न कोई सरकार करेगी। सरकार उसको कर नहीं सकती। आज जनता का राज है। चुने हुए आदमी आ जाते हैं। मंत्रीजी का दबाव बन जाता है, इनको करना पड़ता है।

यह स्थितियां हैं लेकिन इन सबसे बचने के लिए मान्यवर एक ही उपाय है कि सरकार को यह सोचना चाहिये कि झुन्झुनूं के नजदीक नगरपालिका की सीमा के अन्दर अथवा बाहर कोई भी आदमी जमीन खरीदकर कोलोनाइजेशन करना चाहता है और वह मार्केट रेट पर खरीदता है, उस कोलोनाइजर को आप क्यों नहीं इजाजत देते ? आज गुजरात में प्रॉब्लम क्यों नहीं है? आज महाराष्ट्र में क्यों नहीं है ? आज मुम्बई क्यों इतना डवलप होता जा रहा है ? वहां कोई प्राब्लम है ? न वहां हाउसिंग सोसाइटी की प्रॉब्लम है, न वहां पर गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं, न वहां पर कोई माफिया है। जमीन उनको मिलती है और वे डवलप करते हैं। सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, 50 तरीके से वे मकान बनाते हैं। माननीय भाटी साहब बोल रहे थे कि डबल मल्टी परपज, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग के रूल्स बनने चाहिए। आज स्थिति यह आ रही है मान्यवर, कि आप फैलाव नहीं कर सकते आबादी का। आपको आकाश की तरफ जाना पड़ेगा। फैलाव करने के माननीय सदस्य और जिनकी दिलचस्पी किसानों में है, जमीन से जिनको प्यार नहीं है, जो ज के प्रति निर्दयी हैं, वे तो कहेंगे कि हम फै करेंगे लेकिन काश्तकार की जमीन आज हैं तो उसका कलेजा जलता है। आज वि वकालात करने वाले वकील की और डाक करने वाले डाक्टर, फीजिशियन की सदस्य छीन ली जाये तो उसकी क्या हालत बनेगी आज हम उसको बेदखल कर देते हैं। उस मुआवजा क्या देते हैं ? लगान का इ पर्सेण्ट। आप मार्केट रेट से भी दे दें तब क्या फर्क पड़ता है। आपने उसका रोज छीन लिया। आप उसको रीहेबिलिटेट कीजिये कोई व्यवस्था नहीं है। आपका जयपुर सुन्दर बन रहा है, यहां से कौन उखड़े थे यहां से किसान उखड़े थे। एम.आई. रोड कौन था, सी-स्कीम में कौन था, यह सब ज किसानों की जमीन थी। वनस्थली मार्ग कौन था, सब काश्तकार थे। कोई बता सक है, आज वे कहां हैं ? सबको खदेड़ दि गया। विद्याधर नगर की फायरिंग रेंज की जमी थी, वह सरकार ने करोड़ों रुपये में खरीदी उसके बदले आपने उनको गवर्नमेंट का आ जंगल था, वह दे दिया। आज विद्याधर नग के जो मकान बन रहे हैं, अध्यक्ष महोदय किसके मकान बन रहे हैं ? वहां है किसी गरीब आदमी का मकान ? है किसी मिडल मैन का ? है, किसी चपरासी का ? है, किसी एल.डी.सी. का ? है, किसी यू.डी.सी. का ? है किसी रिक्शा चलाने वाले का ? थ्री-व्हील-वाले का ? सब पैसे वाले हैं। मल्टी परपज यह फलानां मेन्शन, यह अग्रवाल मेंशन, यह मेंशन ही मेंशन। सब पैसे वाले आदमी हैं। सब बना-बनाकर खरीद कर डाल रहे हैं। समस्या बढ़ा रहे हैं, घटा नहीं रहे हैं। कोई वहां पर नहीं रहता है। सब बड़े आदमी है, जिनके पास जयपुर में है उन्होंने वहां पर जमीन ले ली। उन्होंने वहां पर जमीन लेकर

श्री रामनारायण चौधरी)

मकान बना लिया तो समस्या का समाधान कहां हुआ ? इसकी कोई चैक है ? माननीय मंत्रीजी ने कभी सोचा है ? आप मुलाहिजा कीजिये विद्याधर नगर का जाकर के कि कितने मेंशन बने हुए हैं ? कौन है, वहां पर ? उनको कैसे जमीन मिली ? क्या वे नीडी परसन हैं? क्या वे जरूरतमंद है ? इसीलिए सरकार ने वह जमीन ली थी कि उनको बसा दिया जाय ? तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक हमारा समाज के प्रति और सोसाइटी के प्रति कमिटमेंट नहीं होगा, कोई समस्या का समाधान नहीं होगा और समस्या का समाधान नहीं हो सकता जब तक आप योजनाबद्ध तरीके से शहरों और गांवों का विकास नहीं करेंगे, तब तक कोई भी विकास नहीं होगा। जो होगा वह हेपहेजार्ड हो जायेगा। आप कर जायेंगे तो दूसरे लोग कब्जे कर लेंगे। इसके लिए आप व्यवस्था करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल मेघवाल। (अनुपस्थित)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो दो मिनट..

श्री अध्यक्ष : वैसे क्रम से तो उजलाजी का नाम आता है, जो मेरे पास में लिस्ट है, फिर भी आप बोल लें।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैं तो मांग संख्या 29 पर..

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : आप मेरा नाम बोल रहे हैं क्या ? आपने मेरा नाम बोला है क्या ?

श्री अध्यक्ष : अभी तो नहीं बोला है। अभी तो मांगीलाल जी का बोला है। पर वी.पी.सिंह जी कह रहे हैं मुझे थोड़ा..

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : दो मिनट।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : नहीं, आप क्रमांक से चलें। क्रम से चल रहे हैं तो मेरा नाम आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : दो मिनट विराज जायें आप। आपको तो पूरी बात कहनी पड़ेगी।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : वैसे आपकी जिस पर मेहरबानी हो वह बोले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, मेरी मेहरबानी का सवाल नहीं है। (व्यवधान)

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : आपकी जिस पर मेहरबानी हो, नाम पुकारने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मांग संख्या 29 पर..(व्यवधान)..

श्री अध्यक्ष : मेहरबानी नहीं है।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : आप सीधा निर्देश दें कि कौन बोले। वे या मैं ? मैं या वो ?

श्री अध्यक्ष : उनके बाद आपका ही है और आपके बाद उनका ही है वैसे।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : क्या ?

श्री अध्यक्ष : यह आप दोनों ही तय कर लें। उनके बाद आपका और आपके बाद उनका है।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : मैं सीधा आपको देख रही हूं।

श्री अध्यक्ष : हमारे देखने का तो मानता ही कौन है आजकल।

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : मैं सीधा आपको देख रही हूं।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मैडम, आप बोल लें, लेडिज फर्स्ट । (व्यवधान) नाम ले लिया था और कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : चलिये बैठिये आप। (व्यवधान) वी.पी.सिंहजी कह रहे हैं कि आप बैठिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह (आसीन्द) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 29 पर मैं मेरे कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हम इक्कीसवीं शताब्दी के अन्दर जयपुर को ले जा रहे हैं, इसमें क्या समस्याएं आयेंगी और इसके लिये अपन को क्या व्यवस्था करनी चाहिये, उस पर मैं दो-तीन सुझाव और देना चाहता हूं।

एक तो जो बड़ी समस्या जयपुर में आयेगी वह पोल्युशन की आयेगी। उसके लिए मेरा एक सुझाव ट्रेफिक से सम्बन्धित है। वह होम से भी हो सकता है और शायद अपने जे.डी.ए. से भी होता है। एक रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिये आज विचार करना चाहिये कि बीस साल बाद में जो ट्रेफिक की समस्या आ जायेगी, क्या आप अण्डर ग्राउण्ड ट्रेन शुरू करेंगे या टॉम शुरू करेंगे या खाली ओवरब्रिज से ही करेंगे। क्या करेंगे, कुछ ऐसी स्कीम हो तो मंत्रीजी आप हमें अवगत करायें।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छे।

एक माननीय सदस्य : डिमाण्ड के बाद। (व्यवधान)

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : जो भी है, और उसमें क्या प्रगति हुई तथा आपने क्या प्रावधान रखा है ? आपने योजना तो बहुत अच्छी बना दी, पर इसके लिये क्या प्रगति हुई, क्या प्रावधान रखे हैं, एक तो इस पर मैं निवेदन करना चाहता हूं । ये टेम्पू तो बंद होंगे ही, आज नहीं तो कल, तो इसके लिये भी आप क्या दूसरी सुविधा रख रहे हैं, क्या दे रहे हैं ? एक तो इस पर आप विचार करके बतायें। टाउन प्लानिंग के लिये जो बात कही, बहुत अच्छी-अच्छी स्कीम्स बनाते हैं। सब कुछ करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है इसलिये जो बड़ी समस्या आती है वह इम्प्लीमेंटेशन की है। इसके अन्दर बेसमेंट डबल हो जाता है, पार्किंग के लिए दो बेसमेंट रख लें या एक रख लें या तीन रख लें परन्तु उसके अन्दर वे लोग दूसरी दुकान बनाकर बेच देते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या इम्प्लीमेंटेशन की है।

अब माउण्ट आबू में भी, टाउन प्लानिंग की बात आ गयी है। सब ने कहा कि ऐसे 2 मंजिलें से ज्यादा नहीं जायेंगे लेकिन आप वहां ब्रहम कुमारी आश्रम को देखो। पहले भी मेरा एक प्रश्न था। मुझे पता नहीं, मैं उस दिन समय पर आ नहीं सका। मैं इतना ही कहूंगा कि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप की जो भी स्कीम्स हैं उनको क्रियान्वित नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे ? यह ब्रह्म कुमारी आश्रम आप देखो कितने ऊंचे पहुंच गया है क्या आपको पता है कि पूना के अन्दर...

श्री हरिसिंह (महुआ) : यह तो बहुत अच्छी संस्था है।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : एक मिनट, बात करने दें प्लीज।

पूना के अन्दर भी ऐसी ही समस्या थी। रजनीश आश्रम की गोरेगांव पार्क के अन्दर एक बिल्डिंग ली, दूसरी ली, तीसरी ली, चौथी ली, बढ़ते गये और फिर पूना के सब नागरिकों ने कहा, यह नहीं चलेगा। उनको सबको हटा कर कहा कि दूसरी जगह, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि ब्रह्म कुमारीजी को कहीं दूसरी जगह स्थापित नहीं किया जाय, अच्छी तरह से किया जाय परन्तु पूरा माउण्ट आबू उनके काबू में हो गया और आप कहते हैं कि साहब, माउण्ट आबू के लिए हम इतना सोच रखते हैं, हम इसको विकसित करना चाहते हैं, उसका विकास करना चाहते हैं। कैसे होगा ?

एक दूसरी समस्या अभी कालीचरणजी ने बतायी। बिलकुल सही कहा था, जगतपुरा के अन्दर जो डम्प है, अब उसके लिये आप जानते हैं कि एक बहुत अच्छी स्कीम आयी। फ्रांस की एक कम्पनी ने क्योंकि जयपुर आज इंटरनेशनल सिटी है, सब लोग जयपुर के अन्दर कुछ करना चाहते हैं। फ्रांस की एक कम्पनी वाले यह बहुत अच्छी स्कीम लेकर आये। उन्होंने कहा कि हम गारबेज डिस्पोजल के लिये संयंत्र लगाना चाहते हैं और उससे गैर कर थोड़ी सी बिजली बनाना चाहते हैं। कुछ किलोवाट ही बनेगी, कोई मेगावाट में नहीं बनेगी। और राजस्थान के अन्दर समस्या हल नहीं होगी उससे। वो करने के लिये तैयार थे और यहां के ही किसी ने उसको कह दिया कि नहीं साहब, हम तो बाहर की कोई टेक्नोलाजी नहीं लाना चाहते और हम यहां नहीं करना चाहते हैं। आज जगतपुरा की यह समस्या हल हो जाती। यह आप पता लगाओ और मंत्रीजी से पूछो किसने इसको रोका।

मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं। मैं पोल्युशन पर फिर आ जाता हूं। जयपुर का जो सब से बढ़िया एरिया है वह है सैक्रेटेरिएट, अशोक क्लब, और आगे अपने विधान सभा, सी-स्कीम से लगा हुआ है। उसको आप फ्रीज कर दो, उसको आगे नहीं बढ़ने दो। जैसे आपने गोल्फ क्लब में भी परसिर बनाने की एक स्कीम बनायी थी, वह तो हाईकोर्ट ने रुकवा दी, अब कोई स्कीम मत बनाना, आप उसको जैसे के जैसे ही रहने दें। टयूरिज्म का ध्यान रखना पड़ेगा नहीं तो जयपुर कौन आना चाहेगा। इन सब पर आप विचार करें। धन्यवाद, जय भारत।

श्री अध्यक्ष : श्री रामपाल जी उपाध्याय (अनुपस्थित)। श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (अनुपस्थित) । श्री खेत सिंह राठौड़ (अनुपस्थित) ।

श्री नरपतसिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, ये बोलना चाहेंगे, इनका नाम ही नहीं आ रहा।

श्री अध्यक्ष : मैं उसी क्रम से नाम पुकार रहा हूं। (व्यवधान) विराजें आप। श्रीमती उजला अरोड़ा (अनुपस्थित) । श्री कालूलाल जी गुर्जर। (अनुपस्थित) । श्री गोपीराम जाट।

श्री गोपीराम जाट (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 29, नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास पर इस सदन में चर्चा चल

(श्री गोपीराम जाट)

रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करते हुए कि विषय पर बोलें, इतना निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जयपुर नगर निगम के तीन वार्ड आते हैं। एक वार्ड आमेर का है और आमेर जयपुर के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहां पर देश-विदेश से काफी संख्या में पर्यटक आते हैं जिससे सरकार का राजस्व भी बढ़ता है और वहां के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज आमेर के विकास करने की आवश्यकता है। आमेर शहर को और सुन्दर बनाया जाय जिससे देश-विदेश से आने वाले पर्यटक और अधिक संख्या में आमेर में आ सकें। इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आमेर में रोजाना करीब 40-50 बसें पर्यटकों की आती हैं और उन को खड़ा करने की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। आज के करीब डेढ़ साल पहले भी माननीनय मंत्री महोदय ने एक मीटिंग ली थी, सब विभागों के अधिकारियों को उसमें बुलाया था लेकिन आज तक उन बसों को खड़ा करने के लिए पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं की। इसलिये मेरा मंत्रीजी से अनुरोध है कि वहां पर जो बाग है, उसका जो निचला हिस्सा है उस निचले हिस्से को पार्किंग के उपयोग में लिया जाय तो निश्चित रूप से वहां की पार्किंग की समस्या का समाधान हो सकेगा और पर्यटकों को एक-एक किलोमीटर दूर पैदल चल कर वहां नहीं आना पड़ेगा। इसके लिये उसके विकास की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री महोदय ने 1992 में एक योजना का शिलान्यास वहां पर किया था जो हाउसिंग बोर्ड की 'कलानेरी' के नाम से स्कीम थी जिसमें हैंडीक्राफ्टस के काम करने वाले कारीगर, जो यहां की बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाने वाले और अच्छे कारीगर हैं उनको बसाने की एक कलानेरी योजना का शिलान्यास किया था। आज वह 'कलानेरी योजना' कहां गयी किस खटाई में पड़ गयी ? मैं यह चाहूंगा कि हमारे यहां के जो अच्छे कलाकार हैं वे वहां पर उस कलानेरी योजना में बसें और अपने हाथ से बनाये हुए खिलौने तथा हैंडीक्राफ्टस का सामान देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेचें जिससे उनका रोजगार भी होगा और हमारे यहां की बनी हुई चीजें देश-विदेश में जा भी सकेंगी।

इसके साथ ही वर्तमान में एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है। वहां पर करीब 60-70 इस तरह के शिक्षित नौजवान हैं जिनको आज की तारीख में सरकार के द्वारा बेरोजगार कर दिया गया है। वे हैंडीक्राफ्ट्स का सामान बेचते थे लेकिन हमारे जयपुर के अन्दर जो बड़े-बड़े शो-रूम खोल कर बैठे हैं, विदेशियों के साथ धोखाधड़ी तो वे लोग करते हैं, सामान बुक कर लेते हैं और लाखों रुपये का सामान बाई पोस्टल वो भेजते हैं तथा उसके अन्दर इस तरह का नकली सामान निकलता है, उसकी गाज उन 60-70 बेरोजगार शिक्षित नवयुवकों पर गिरी है। आज उनका धंधा चौपट है। उनको यदि समय रहते हुए नगर निगम द्वारा किसी तरह के पास या टोकन देकर के व्यवसाय में नहीं लगाया गया तो मैं समझता हूं कि उन लड़कों की उम्र आज यह है कि वे किसी भी

(श्री गोपीराम जाट)

रास्ते पर भटक सकते हैं जिससे उनका स्वयं का जीवन तो खराब होगा ही, इसके साथ-साथ उनके परिवारों को भी इस बात की हानि उठानी पड़ेगी।

आमेर के अन्दर एक महत्वपूर्ण विकास कार्य खेड़ी दरवाजे से बंध तालाब तक पूरी आबादी के बीच में एक नाले के निर्माण का है। मैं इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहूंगा कि नगर निगम का चुनाव होने के बाद में उस काम को हाथ में लिया गया है। लेकिन आज उस नाले का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना बरसात के समय में करना पड़ता है।

मेरे क्षेत्र के अन्दर नगर निगम का वार्ड नम्बर 70 है। उसमें भी सरकार ने और नगर निगम ने चुनावों के बाद में लाखों रुपये की स्वीकृतियां जारी की हैं और विकास के काम भी चल रहे हैं लेकिन वहां पर रोड नम्बर 17, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया का जब निर्माण हुआ था तभी वहां पर एक कच्ची बस्ती का निर्माण हुआ जिसमें करीब 2000 लोग फैक्ट्री एरिया में काम करने वाले मजदूर रहते हैं। उस कच्ची बस्ती का सर्वे करा कर और उस को भी व्यवस्थित ढंग से बसाया जाय। इसके लिये मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं।

इसी तरह से मेरे क्षेत्र के वार्ड नम्बर 2 में, जिसके अन्दर आपकी महत्वपूर्ण योजना पृथ्वीराज नगर योजना है, जिसकी चर्चा है, उसका एरिया भी आता है। हालांकि सरकार ने उसमें करीब दो करोड़ रुपये के काम पिछले डेढ़ साल में करवायें हैं, उसके लिये तो मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन हमारे किसानों के ऊपर पृथ्वीराज नगर की गाज गिर रही है। हालांकि इस स्कीम का निर्माण 1988 में हुआ उसके बाद में समय-समय पर तत्कालीन मुख्य मंत्री, वर्तमान मुख्य मंत्री, केबिनेट की मीटिंग की जो अखबारों में खबरें छपी हैं कि सरकारी भूमि अल्सर की भूमि, इनको अवाप्ति से निकाल दिया जावेगा। सोसायटीज पर किसी तरह की पाबंदी लगायी नहीं गयी और आज 24,000 रुपये बीघा यदि उन काश्तकारों को देंगे तो उनके हालात क्या होंगे? कहां जाएंगे काश्तकार ? इस एरिये में सब से बढ़िया जमीन, अच्छा पानी, उपजाऊ जमीन है। जयपुर शहर को दूध और सब्जियों की सप्लाई वहां से होती है ये काश्तकार कहां जायेंगे ? इन काश्तकारों की हालत भी वही होगी जो अभी माननीय रामनारायणजी फरमा रहे थे। विद्याधर नगर बसाया गया, फायरिंग रेंज की जमीन विद्याधर नगर में एक्वायर कर ली गयी। हमारे निवारू और बोइतावाला गांव के रहने वाले काश्तकारों की जमीन उस टाइम एक्वायर की, आज उसका मुआवजा क्या है? 1500 रुपये बीघा, 2000 रुपये बीघा। आज वे 200 गज जमीन नहीं खरीद सकते। आज इतने वर्षों से 1982 से लेकर आज तक उन काश्तकारो को ना तो मुआवजा दिया गया न भूमि के बदले भूमि दी गयी और आज वो काश्तकार स्वतः ही सरकार की नीति की वजह से गरीब होकर तथा भिखारी के रूप में घूम रहे हैं। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि या तो उन किसानों को जमीन के बदले जमीन दी जाय या आज के भाव के हिसाब से मुआवजा उन लोगों को दिया जाय तो उन लोगों को बसाने

(श्री गोपीराम जाट)

की एक अच्छी योजना बन सकती है। पृथ्वीराज नगर योजना के अन्दर, सरकार यदि सख्ती बरतती तो ये सोसायटी वाले जो हर वर्ष अपना आडिट कराते हैं, उन्होंने जमीन खरीद-खरीद कर गरीब लोगों को उन्होंने बसा दिया और जे.डी.ए. के लिये आज वह स्कीम बनाना बहुत महत्वपूर्ण हो गया तो आज वे गरीब काश्तकार कहां जायेंगे? आज यह गरीब प्लाट होल्डर कहां जायेंगे। आज कच्ची बस्तियों का नियमन किया जाता है, सरकारी भूमि का नियमन किया जाता है लेकिन काश्तकार को अच्छा दाम देकर सोसायटी वालों ने खरीदा और उनको भूखण्ड काट दिये। यदि ऐसा ही सरकार को करना था तो उन सोसायटियों को उसी वक्त निरस्त कर देती, उनको पाबन्द कर देती जिससे वह सरकारी नौकरी करने वाले या मजदूरी करने वाले मजदूर वहां जाकर सोसायटी से भूखण्ड खरीदकर आज इस स्थिति में नहीं आते। उन्होंने घंटियां लगा रखी हैं घरों में कि अगर जे.डी.ए. वाले आ जायं तो घंटी बजाओ। पूरी कालोनी के तीन-चार हजार आदमी एक साथ इकट्ठे होते हैं, जे.डी.ए. की गाड़ी के पीछे भागते हैं।

इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता हमको जयपुर के लोगों को बसाने की है तो जिस तरह से माननीय रामनारायण जी ने बताया कि सरकारी स्कीमें भी हैं, सोसायटी की स्कीमें भी हैं उसके अलावा आज और भी इतनी जमीनें पड़ी हुई हैं कि जयपुर के साथ नहीं बनाकर सेटेलाइट टाउन्स डवलप करें।

मेरे ही क्षेत्र के अन्दर सेवापुरा के पास आज भी कम से कम दो हजार बीघा जमीन इस तरह की बंजर पड़ी हुई है कि उसके अन्दर आराम से इस तरह का नगर बसाया जा सकता है जिससे पर्यावरण को भी बचाया जा सकेगा, पानी की समस्या का भी समाधान होगा और जो आज जयपुर तक लोग सब्जियां और दूध लेकर आते हैं उन किसानों को भी उससे फायदा मिलेगा। मैं इन्हीं बातों का निवेदन करते हुए मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस तरह की जो महत्वपूर्ण योजना है, बसाना यदि आवश्यक है तो किसी गरीब किसान के साथ अन्याय नहीं हो, उनकी प्राथमिकता का भी ध्यान रखा जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्री रामपाल जी उपाध्याय। वापस नाम लिया है आपका।

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, न मैं जयपुर की बात कह रहा हूं, न मैं जोधपुर की, न नगर परिषद की, न नगर निगम की और न ए.बी.सी., नगरपालिका की बात कह रहा हूं। मात्र जो मेरे क्षेत्र में डी क्लास की नगर पालिका है उसके बारे में माननीय मंत्री का थोड़ा सा समय ले रहा हूं।

माननीय मंत्री महोदय, आपकी दृष्टि, सरकार की दृष्टि मात्र जयपुर तक सीमित नहीं रहनी चाहिये। यह दृष्टि उन छोटी नगर-पालिकाओं की तरफ भी जानी चाहिए जिनको आपकी दृष्टि की आवश्यकता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी कटौती प्रस्ताव का जवाब तुरन्त प्रभाव से मिला। लेकिन जिस जवाब की आशा मेरे मन में थी, क्योंकि आपकी

(श्री रामपाल उपाध्याय)

दृष्टि जयपुर तक या शहरों तक, नगरों तक सीमित है इसलिए आप उन छोटी नगरपालिकाओं के बारे में सरकार और उनमें कार्यरत अधिकारी सोच नहीं सकते। इसलिए चाहे हवामहल समझो, चाहे आस-पास समझो कहीं भी। मैं यह निवेदन करना चाह रहा हूं, श्रीमन मेरे भीलवाड़ा जिले की मेरे विधान सभा क्षेत्र में गंगापुर नगरपालिका है। शायद सरकार को यह पता नहीं होगा कि उस समय ग्वालियर का राज था और इस नगरपालिका की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 में हुआ, तब हुई थी और उसके बाद जयपुर जिस ढंग से बसा है, गंगापुर नगर भी उसी तरीके से उस समय बसा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं वहां पधारे हैं। चाहे वह गंगापुर हो, चाहे शाहजपुर हो, चाहे वह फतेहनगर हो, चाहे कोई भी छोटी-मोटी नगरपालिका हो...

श्री अध्यक्ष : आप भी दुखती रग पर हाथ लगा रहे हैं। फतेहनगर का नाम क्यों ले रहे हो आप ?

श्री रामपाल उपाध्याय : सच्ची बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर सच्ची बात नहीं है तो मैं बैठ जाऊं। मैं आपको यह निवेदन करना चाह रहा हूं आपने आज जो व्यवस्था कर रखी है कृपा करके उस सोच को बदलिये। आपकी जो सोच मात्र नगरीय क्षेत्रों तक सीमित हो गयी है, उस नगरीय क्षेत्र की सोच को बदलकर उन ग्रामीण नेचर की नगरपालिकाओं पर भी आपको ध्यान केन्द्रित करना चाहिये।

मैं निवेदन करूं, आज उनके पास न कोई इन्फ्रास्ट्रक्चर है, न आज उन छोटी नगरपालिकाओं के पास में कोई आर्थिक सबलता है, न धन बहुत है, न उनके पास कोई टेक्नीकल ज्ञान है और मुझे आप क्षमा करें, यह जो जवाब मुझे मिला है कि पन्द्रह हजार और कुछ आपकी नगरपालिकाएं हैं और ऐसे स्तर वाले नगरों को प्राथमिकता दी जायेगी तो आपके यहां पर टाऊन प्लानिंग कर दिया जायेगा। यह कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब अभी आपको दृष्टि दोष है। जब नयी दृष्टि नहीं है तो दृष्टि दोष होना स्वाभाविक है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, माननीय, जो नगरपालिका ग्रामीण नेचर की हैं, उन पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। क्या विशेष ध्यान देना चाहिये, श्रीमन् कि अभी से वे कैसे सुव्यवस्थित बनें ? मैं आपको गंगापुर के लिये कह सकता हूं कि आज वह नगरपालिका जिस दृष्टि से बसायी गयी थी वह नगरपालिका आज नरक की तरह से हो रही है। फिर आपको और बताऊं कि राज्य सरकार की नीयती और नीति दोनों केवल समाज के उच्चतम वर्गों पर केन्द्रित हैं। (व्यवधान) उच्चतम वर्ग के लिये कह रहा हूं, माननीय सदस्य। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज के निम्नतम वर्ग पर आपकी दृष्टि जानी चाहिये। अच्छी सरकार वह होती है जो निर्बल वर्ग को ज्यादा अच्छी तरह से सबल वर्ग की तुलना में उनका सहयोग करे, मदद करे, वह अच्छी सरकार होती है। मुझे आप क्षमा करना, आपका विभाग और आपके विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी, बड़े-बड़े टाउन प्लानर और भगवान जाने क्या-क्या, उनकी दृष्टि कभी छोटी नगरपालिकाओं पर नहीं जाती है।

श्रीमान, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि

२२५

(श्री रामपाल उपाध्याय)

इन छोटी नगरपालिकाओं पर आप ध्यान दें। उनकी आवासीय व्यवस्था पर आप ध्यान दें। जैसे-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, क्या छोटी नगर पालिकाओं में नहीं बढ़ रही ? उनके पास साधन साथ नहीं है, दृष्टि नहीं है, सृष्टि नहीं है, टेक्निकल ज्ञान नहीं है, आर्थिक दृष्टिकोण नहीं है। कोई फोर्थ ग्रेड, घिसा-पिटा जो ई.ओ. होगा आप वहां भेजेंगे। परन्तु मैं उस विवाद में नहीं जाना चाहता हूं। इन छोटे-छोटे मामलों में, आपस में लड़ाई-झगड़ा करना बेकार बात है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कृपा करके इन छोटी नगरपालिकाओं पर विशेष ध्यान दें। इनका मास्टर प्लान अभी से बनायें, जिसको आपने आपके प्रत्युत्तर में नकार दिया है। मैं फिर जोर देकर कहना चाहता हूं कि वहां का मास्टर प्लान बनवायें।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा।

श्री रामपाल उपाध्याय : सिर्फ दो मिनट और लूंगा। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि हाउस टैक्स वसूल नही हो रहा है, चुंगी में एकरूपता नहीं है। चुंगी के अन्दर जिस प्रकार लीकेजेज हो रहे हैं, उनको देखें।

श्रीमन, जो आपका आवासन मण्डल है, आप कृपा करके, उस आवासन मण्डल के द्वारा वहां कालोनीज बनवायें अभी बातें बहुत हैं लेकिन आपका मैं आधा मिनट और लूंगा। श्रीमन्, जयपुर में हम रहते हैं, अभी जो हमारे माननीय धारीवाल जी ने चर्चा की थी ग्राम चैनपुरा की जमीन, जिस पर गोकुल वाटिका गृह निर्माण सहकारी समिति का विवाद है इसके पदाधिकारियों ने षड़यंत्र कर सर्वोदयी लोगों की एक संस्था समग्र सेवा संघ को 9 बीघ जमीन दी थी जिस पर इन लोगों ने मतल गोकुल वाटिका गृह निर्माण सहकारी समिति वालों ने प्लाट काट दिये। इस प्रकार सम ग्राम सेवा संघ के लोगों को भी उन्होंने धोख दिया। मेरा यह अनुरोध है कि उसकी जां होनी चाहिये। इसके साथ यह भी अनुरोध कि उनके जो सैक्रेटरी और जो भी पदाधिकार हैं, उनके खिलाफ भी आपको कार्यवाही करन चाहिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : रामपाल जी, उनके पदाधिकारियों के नाम बता दीजिये।

श्री रामपाल उपाध्याय : बता देंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : सिद्धराज जी ढढ्ढा जवाहर मल जी जैन हैं, यह सब पदाधिकार हैं उसके।

श्री रामपाल उपाध्याय : होंगे। समग्र सेवा मंडल के पदाधिकारियों के नाम नहीं बल्कि (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : ये समस्त सेवा संस्था के पदाधिकारी हैं, गोकुल वाटिका के नहीं हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसके भी यही हैं।

श्री रामपाल उपाध्याय : आपको ज्याद पता होगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उजला अरोड़ा जी फरमायें।

श्रीमती उजला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम पुकारा गया था

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

लेकिन जैसे ही मैं यहां से गयी हूं वैसे ही पुकारा। मुझे पता नहीं था कि तात्कालिक रूप से एक के बाद एक बुला लेंगे। परम्परा यह रही है कि इधर से एक बोलें फिर उधर से एक बोलें। मैं नहीं जानती कि इधर से दो एक साथ कैसे बुलाये गये। मुझे इस व्यवस्था का मालूम नहीं।

श्री अध्यक्ष : मैं परम्परा का निर्वहन कर रहा हूं। आप इतना गाइड करने की चेष्टा नहीं करें। दो नाम इधर से इसलिए पुकारे कि आप नहीं थीं, उनका नाम पुकारा उनमें से नाम एग्जास्ट हो, कोई रहे नहीं। इसलिए फिर दुबारा नाम इधर से पुकारना पड़ा। आप फरमायें आगे।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं निवेदन करना चाहूंगी कि प्रतिपक्ष के कई लोगों ने आलोचनाएं की हैं। जयपुर नगर निगम में 24 साल तक नगर परिषद के चुनाव नहीं हुए, यह आपकी देन रही और मेरी सरकार की यह देन रही कि इन्होंने चुनाव करवाये। मैं आभार व्यक्त करती हूं कि जन प्रतिनिधित्व यहां पर आया है और वह काम करने में जुटा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर नगर निगम में विकास की दृष्टि से कहना चाहूंगी कि जितना इन पांच सालों में विकास हुआ, उतना कभी नहीं हुआ और खास तौर से मैं कहूं 80 से 90 तक के कार्यकाल में तब भी मैं विधायक थी, डामर की सड़कें ही नहीं बनती थीं, सीमेंट की सड़कों के नाम ही कहां से होते। अब सीमेंट की सड़कें बनायी गयीं, गन्दी नालियां सीमेंटेड की गयीं। यही नहीं नालियों का भी जीर्णोद्धार किया गया। एक तरह से देखा जाय तो जयपुर के जन-जीवन को सुखी बनाने के लिए और जयपुर को समस्या रहित करने के लिए कार्य का संकल्प लिया गया और सरकार ने उसके लिए कहीं पैसे की कमी नहीं आने दी।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जिस समय मैं पहली बार जीतकर आयी थी, मेरे इलाके में, गलियों में कहीं थोड़ी- थोड़ी दूर पर फव्वारे चलते थे। आप समझते होंगे कि फव्वारे कहीं रंगीन होंगे तो मैं कहना चाहूंगी, छोटी गटर लाइन होने के कारण थोड़ी-थोड़ी दूरी पर गटर उबलते थे, नाक दबाये बगैर कोई निकल नहीं सकता था। मैं कहना चाहूंगी कि उस क्षेत्र में 77 से 80 के बीच में गटर लाइन डाली गयी थी और जोरावर सिंह गेट के बाहर अभी भी प्रतीक्षारत है लेकिन तो भी मैं कहना चाहूंगी कि वर्तमान नगर निगम ने और हमारी सरकार ने यह तय किया है कि जयपुर में जहां-जहां गटर लाइनें नहीं हैं वहां गटर लाइन डाल दी जायं। सिविल लाइन्स तक में गटर लाइन नहीं थी, हमने बिछवायी थी। मैं कोई गलत कह रही हूं क्या ? तो इस प्रकार समग्र विकास की दृष्टि से कार्य संचालित है और यही नहीं प्रतिनिधियों को बिना भेदभाव के अपने क्षेत्र का विकास करने के लिये, विधायक से सलाह करके या खुद अगर उनकी जानकारी में आ जाता है, 20-20 लाख रुपये एक -एक पार्षद को उपलब्ध करवाये गये हैं कि जहां जैसी आवश्यकता हो वह विकास करे। इन पार्षदों में सभी पार्टियों के पार्षद हैं और कहीं भेदभाव नहीं है।

लेकिन मैं कहना चाहूंगी की 80 से 90

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

तक जो कार्यकाल था मैंने देखा, मुझे उसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं करना। वहां पक्षपात होता था, यहां भेदभाव रहित कार्य हो रहा है। एक-एक हैण्डपम्प के लिए, नल के लिए पहले जयपुर में जो सार्वजनिक नल लगते थे, अब तो हैण्डपम्प लगते हैं, तो उस समय हम पांच साल इन्तजार करते थे कि जब चुनाव आयेगा तो फिर क्या देंगे, यह आपकी पद्धति रही है हमारी नहीं। हम बराबर पांच साल काम करने वालों में से हैं जिसका परिणाम आप देख रहे हैं जयपुर के नगर निगम में जहाँ हम बहुत अच्छे मतों से जीते हैं।

मैं विद्युत के लिए निवेदन करना चाहूंगी कि जहां पहले लट्टू बदलने के लिए, ट्यूबलाइट लगाने के लिए बहुत परेशान होना पड़ता था वहीं आज मर्करी लगी हुई है। यह बात सही है कि 77 से 80 के बीच में मर्करी लगी और आज मर्करियों की जितनी आवश्यकता थी मन्दिर के आगे, मस्जिद के आगे, गिरिजाघर के आगे, गलियों और चौराहों में, मेरे यहां तो आप आओ घोड़ा निकास रोड पर, रात को यहां पर कबड्डी खेल सकते हो तथा बैडमिन्टन खेल सकते हो, सुई में चाहो तो धागा पिरो सकते हो और कोई गुनाह करके भागे तो उसे भी पकड़ सकते हो। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमने भेदभाव रहित स्थिति में सभी वार्डों में ही नहीं बल्कि जो गांव हमारे नगर निगम क्षेत्र में आये हैं वहां पर भी मर्करी लगायी है, ट्यूब लाइट लगायी है और लट्टुओं को ट्यूबलाइट में बदलकर ट्यूबलाइट को मर्करी में बदला है। जितना पैसा आता जायेगा, काम करते जायेंगे (व्यवधान) संकल्प तो हैं, प्रयास तो है लेकिन कई बार देखने में आता है हम दिन में भी लाइट जला बैठते हैं यह स्थिति अच्छी नहीं, इस पर नियंत्रण होना चाहिए। इसको राष्ट्रीय नुकसान मानती हूं।

(19.45)

(श्री समर्थलाल मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मान्यवर, यह गुलाबीनगर अपनी विशेषता गुलाबी रंग के कारण से रखता है। यहां बहुत से पर्यटक गुलाबी नगर के रंग के आकर्षण से भी, एक से बाजार, एक सी गलियां, एक से कंगूरे, एक से महल इन सबके आकर्षण से भी आते हैं। गुलाबी रंग के सम्बन्ध में भी हमने निर्णय लिया कि सर्वत्र इस गुलाबी रंग को पुनः करवाया जाय। हमारा कार्य जारी है। यह बात जरूर है कि कभी-कभी बात खटकती है, बाजारों में जाते हैं तो गुलाबी रंग तो नजर आता है पर कहीं गहरा, कहीं हल्का, कहीं और गहरा लेकिन है गुलाबी रंग तो मैं कहना चाहूंगी कि वहां से भी इस प्रकार की अव्यवस्था हट जाय और विभाग इसके लिए कोशिश करे।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि हमने नगर निगम के माध्यम से सुव्यवस्थित करने का प्रयास किया है, कालोनियों का विकास करने का भी प्रयास किया है और अग्नि शमन सेवाएं भी हमारे यहां सेवारत हैं। मुझे खेद है और मैं कहना चाहूंगी कि अग्निशमन सेवाओं के नियम बनें, उनकी पदोन्नति रुकी हुई है। यहां पर न केवल नागपुर से प्रशिक्षण प्राप्त ही सेवारत हैं बल्कि ठेके पर भी आग बुझाने के कर्मचारियों को काम दिया हुआ है। वे प्रशिक्षित नहीं है उन्हीं लोगों को जो प्रशिक्षण प्राप्त हैं, यहां पर लगाया जाना चाहिये। यह राजधानी है यहां पर ऊंची लैडर और सारे

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

रसायन, जिस -जिस तरह से आग को बुझाया जाना चाहिए उस तरह की स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगी कि इस क्षेत्र में अभी बहुत कमी है, हम उनकी बहुत सी चीजें उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। कहीं अव्यवस्था रही होगी, इसको सुव्यवस्था में बदला जाय। जयपुर शहर के छः औद्योगिक केन्द्र हैं और इतना बड़ा नगर है आप कहीं बीस लाख और कहीं चालीस लाख की बात करते हैं तो उसमें कम से कम छः अग्निशमन केन्द्र होने चाहिए तथा उसमें प्रशिक्षित अधिकारी/कर्मचारी होने चाहिए इस प्रकार की आप व्यवस्था करेंगे।

(समय- समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, मैं थोड़ा सा बोलूंगी और आप कोई घंटी नहीं बजायें तो बहुत अच्छा है। आप कहें तो मैं पांच मिनट में बैठ जाऊंगी लेकिन एक बहुत जरूरी बात जो सुझाव के रूप में भी है, मुझे कहने दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे यहां एक रविन्द्र मंच है। कई बार कहा गया है कि सुर संगीत के कार्यक्रम, नाट्य क्षेत्र के कार्यक्रम या सभाएं करने के लिए अपर्याप्त है। चैम्बर्स आफ़ कामर्स की जो बिल्डिंग है उसका किराया बहुत बढ़ा दिया और रवीन्द्र मंच पर भी देखा जाय तो वातानुकूलित करने के लिए बहुत ज्यादा किराया कर दिया गया है कि जिसके कारण से नागरिक लाभ सुलभता से ले नही पाते हैं। इतने बड़े नगर में कम से कम छः स्थानों पर रवीन्द्र मंच जैसे भवन या नाट्य शालाएं होनी चाहिए। मैं यह भी कहना चाहूंगी कि मेरा राम प्रकाश सिनेमा कभी सिनेमा बन गया था पर पहले यह थियेटर था। इसको भी पुनः थियेटर के रूप में विकसित करके राज्य सरकार जनता को लोकार्पण करे तो एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत उचित होगा।

नगर निगम ने 20 पार्कों को हाथ में लिया कि उनका विकास करेगा। वह विकास करे, लेकिन दीवार बन जाने से विकास नहीं होगा और पेड़ लग जाने से भी विकास नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगी कि प्रत्येक पार्क में हाईड्रेन्टर्स की व्यवस्था जब तक नहीं होगी, तब तक पौधे पनपेंगे नहीं, गिनती जरूर हो जायेगी कि हमने इतने पौधे लगा दिये, वहां हाईड्रेन्ट्स लगने चाहिए। यह बहुत ही जरूरी काम है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि केवल दो सुलभ काम्पलैक्स हम इतने दिनों में तैयार करा पाये हैं लेकिन अन्य बाजारों में, अन्य मुख्य जगहों पर भी इन सुलभ शौचालयों की आवश्यकता है ये भी व्यवस्थित रूप से होने चाहिए।

गौतम छात्रावास मंगौड़ी वालों की बगीची के पास बनाने की बात थी। परन्तु निगम के एक कर्मचारी ने, जो किए प्रवर्तन अधिकारी है, उस पर कब्जा कर रखा है वह न बनाने देता है, न हटता है यह कैसी विचित्र विसंगति है। मैं यह समझ नहीं सकती कि पिछले एक साल से एक तस्वीर लगाकर वहां पर कब्जा जारी है और मंत्री महोदय ने देखा हो या न देखा हो उस कब्जे को हटाया जाना चाहिए अगर वहां पर मन्दिर ही बनाना है।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्रीमती उजला अरोड़ा : मैं दो-चार मिनट और बोलना चाहती हूं।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट में आप अपनी बात समाप्त करें।

(228)

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : नहीं, आपकी अनुमति से मैं दो-चार मिनट बोलना चाहती हूं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगी हमारे यहां एक संस्था जयपुर विकास प्राधिकरण भी है। उसके माध्यम से हम चाहते थे कि सभी विभागों में कार्य का समन्वय रहे। अगर कहीं कोई लाइन डाले तो पहले सड़क न बने, बाद में बने लेकिन वह समन्वय नहीं हुआ।

अन्य कार्यों के बारे में मैं कहूंगी कि हमने 1982-83 के बीच में इसके लिये एक कानून बनाया। हमारी उस समय और आज भी इच्छा यह है कि गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से जो आवासीय कालोनियां विकसित हुई हैं उनका नियमन हो जाय। आप आश्चर्य करेंगे कि 1149 कालोनियां में से केवल 154 नियमित कर पाये हैं। चलते चलते लोगों की जूतियां घिस गयी होंगी लेकिन सरलीकरण के बावजूद भी उन लोगों को मकान के स्वामित्व का अधिकार नहीं मिल पाया है पट्टे नहीं मिल पाये हैं। इस प्रकार से स्थिति अच्छी नहीं है। अगर इसमें और कोई सरलीकरण करना हो, माननीय मंत्री महोदय यहां पर बिल लाये हैं, हम मंजूर करने के लिये यहां बैठे हैं, हमने पूरे सदन ने यहां पर स्वीकृति प्रदान की है। तो अगर इस प्रकार की कोई स्थिति होगी तो उसको भी सदन स्वीकार करेगा लेकिन इस समस्या का समाधान शीघ्रातिशीघ्र होना चाहिए यह स्थिति अच्छी नहीं है।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जब से इस विकास प्राधिकरण में हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र के 342 गांव आये हैं और बहत्तर गांव और जुड़े हैं, उनकी कोई विकास की आयोजना नहीं बनी है लेकिन बैक-डोर एण्ट्री में कहना चाहूंगी कि 342 गांवों में कुछ योजनाएं नया जयपुर बनाने के लिये बनीं और अकस्मात आयीं। तीन महीने पहले मास्टर प्लान बना तब यह योजना नहीं थी और वह योजना अगर किसी प्रकार से समाप्त हुई, मैं इस पक्ष में नहीं थी कि वह समाप्त हो, जयपुर का विकास हो, यह कौन नहीं चाहेगा लेकिन व्यवस्थित विकास हो। जिनसे जमीन ली है उनको मुआवजा आज की डेट में मिले, उनसे पूछकर मिले। लेकिन पंचायतों से पूछा नहीं जाता। वहां भी चुने हुए जन प्रतिनिधि होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : मैं थोड़ा सा इस बात को स्पष्ट कर दूं, बहुत ही आवश्यक है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : मैं अभी समाप्त कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप समाप्त समझें, समाप्त करें।

श्रीमती उज्जला अरोड़ा : मैं कहना चाहूंगी कि उन सारे गांवों में सरपंचों का प्रभुत्व भी रहना चाहिए। उनसे पूछकर विकास की योजना बने, मास्टर प्लान में शामिल करके योजना बने, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो।

एक नयी योजना आ गयी "करधनी" अकस्मात ही प्रकट हो गयी। मैं नहीं जानती हूं, न मास्टर प्लान में है, न तय करके बनायी है लेकिन "करधनी योजना" आपके यहां है और उसमें शुरू होते ही चार सौ के करीब

(श्रीमती उजला अरोड़ा)

आवासीय भूखण्डों के लिये लोगों ने प्रार्थना पत्र दे दिये।

मैं निवेदन करूंगी कि इन विसंगतियों को दूर करते हुए मंत्री महोदय और अधिकारी गण चलें और सुव्यवस्थित विकास करें, इसके लिये अपेक्षा की जाती है।

चुनावों के दिनों में मकान तोड़ने की बात की गयी लेकिन अब अतिक्रमण पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं यह भी कहना चाहूंगी बाजार में फुटपाथ पर परित्यक्तता बैठती हैं, विधवा बैठती हैं, दारूबाज पति की बीवी बैठती है, उनको हटाने की बात चलती है और और लोगों को बैठने की रसीदें दी जाती है। बड़े दुख की बात है उनके लिये कोई सुव्यवस्थित बाजार नहीं है, उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

अभी यहां से एक स्वर आया था कि हमने बरामदे खाली नहीं करवाये बरामदे तो खाली नहीं करवाये तो (व्यवधान) उनको एक-एक दुकान दे दी और मेरी एक-एक बहनों को...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें। श्रीमती सूर्यकान्ता जी।

श्रीमती उजला अरोड़ा : जो गरीबी के कारण फुटपाथ पर बैठती हैं उनके पास पट्टे नहीं है। यह व्यवस्था करनी चाहिये, उन लोगों को व्यवसाय करने के लिये पट्टे दिये जायें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सूर्यकान्ता जी आप बोलना नहीं चाहती ? आप बोलिये। आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, तब तो मैं नहीं बोलूं तो ही ठीक रहेगा। दो मिनट में कोई अपनी बात कह सकता है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा में गिनी चुनी तो दो-चार महिलाएं हैं उसके अन्दर भी आप समय की कटौती कर देते हो, बोलने ही नहीं देते हो।

श्री उपाध्यक्ष : यह फैसला आपने स्वयं किया है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष जी, यह गागर में सागर भर देंगी, इनको बोलने दो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 29 के बारे में मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र, जहां से मैं चुनाव में विजयी होकर आयी हूं वहां की कुछ समस्या रखना चाहती हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर के अन्दर अभी हाल ही में कोई सवा साल पहले नगर निगम के चुनाव हुए थे। वहां पर हमारा बोर्ड भी बना है और वहां पर हमारा काम भी सुचारू रूप से चल रहा है। इसलिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि चुनाव करवाया और उसके अन्दर काफी मात्रा में महिलाएं भी जीतकर आयीं। अब महिलाओं को काम करने में काफी कठिनाइयां आ रही हैं। उसके बारे में मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि शहर के अन्दर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, जहां से मैं आयी हूं बहुत ही कंजस्टेड जगह है और एक ऐसा शहर है जहां पर छोटी-छोटी गलियां हैं जैसा कि माननीय फलौदी से आये हुए विधायक महोदय ने बताया कि वास्तव में ऐसे ऐसे चौगान हैं और ऐसी छोटी छोटी गलियां हैं जैसे कबूतरों का चौक है, घोड़ों का चौक है, मोती चौक है, बूंदी का मौहल्ला है, नवां का चौक है, ऐसे-ऐसे मौहल्ले हैं और उनमें ऐसी छोटी-छोटी गलियां हैं जहां एक व्यक्ति के अलावा दूसरा व्यक्ति जा नहीं सकता।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी ऐसी जगहों के अन्दर नगर निगम को ज्यादा अनुदान दिलाकर शहर के अन्दर विकास कराने में सहयोग करावें। नगर निगम की आर्थिक स्थिति नहीं है, कृपया अनुदान ज्यादा स्वीकृत करावें क्यों कि पुराना शहर बसा हुआ है, हमें उसके अन्दर काम करने में काफी कठिनाइयां आ रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि शहर के अन्दर पुराने जमाने की सीवर लाइन डली हुई हैं इस वजह से शहर में काफी असुविधा होती है सफाई कर्मचारियों को काम करने में और सफाई कर्मचारी काम भी करे तो कहां से करें।

उपाध्यक्ष महोदय, शहर के अन्दर नगर निगम बना है और उससे पहले भी जो सेवा निवृत्त हो गये उनकी आज तक भर्ती नहीं की गयी इसलिये सफाई के बारे में हम कहें तो क्या कहें। हमारे सफाई कर्मचारियों की संख्या काफी कम है उस हिसाब से हमारे शहर के अन्दर सफाई में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे शहर के अन्दर ऐसी कुछ व्यवस्था करायें जो कि भीत (दीवार) वाइज आदमी काम करें और उस काम के हिसाब से काम के लिये आदमी दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जोधपुर शहर है, आप जलदाय विभाग के मंत्री हैं। मैं इसके बारे में अभी_

एक माननीय सदस्य : जलदाय विभाग की अलग से डिमान्ड आयेगी।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : अच्छा कोई बात नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी विडम्बना की बात यह है कि शहर के अन्दर अभी फलौदी से आये हुए माननीय सदस्य मेरे बहुत बुजुर्ग हैं, इनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी। मगर आपने एक बात कही, शहर के अन्दर एक मास्टर प्लान बनना चाहिये। थोड़ा सा दो मिनट में मास्टर प्लान के बारे में बताना चाहूंगी कि जोधपुर शहर का मास्टर प्लान इनके जमाने में बना था मगर उसकी स्वीकृति नहीं मिली। जनता सरकार आयी और माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत की सरकार 1977 में मास्टर प्लान जारी किया यह मास्टर प्लान 1996 तक यानि 25 वर्ष तक मान्यता प्राप्त हुई। मगर मान्यता प्राप्त होने के बाद उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सोचनीय बात है कि आज तक उस मास्टर प्लान के हिसाब से कहीं

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

भी शहर का विकास नहीं हुआ। जैसा कि आप बता रहे हैं कि शहर के अन्दर बच्चों के जाने की कोई व्यवस्था होनी चाहिये तो शहर के अन्दर एक बाई जी का तालाब है। आप वहां ऐसी स्थिति है कि वह सारा कचरे से भरा हुआ है जबकि मास्टर प्लान के अन्दर उसको रीक्रिएशन पार्क बनाने का तय किया हुआ था मगर मास्टर प्लान के हिसाब से कोई भी ऐसा शहर का काम नहीं हुआ। पुरानी कांग्रेस सरकार की देन है कि उनके जमाने में मास्टर प्लान तो बना मगर काम कुछ नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगी कि शहर के अन्दर कई ऐसी जगहें है जिसके अन्दर विकास कार्य हो सकता है मगर उसके अन्दर धन का अभाव आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और कहना चाहूंगी कि नगर निगम के अन्दर एक वृद्ध आश्रम बना था मगर आज तक वह वृद्ध आश्रम ऐसा का ऐसा पड़ा है। वहां पर आफिस लग गया था। माननीय उप मुख्य मंत्री वहां पर उद्घाटन करने के लिये चले गये थे।

(20.00)

लेकिन उसका अभी तक उपयोग कुछ भी नहीं हुआ। वह ऐसे ही पड़ा है और ताला लगा हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी कि जो वृद्ध आश्रम बना है, उसको उपयोग में लिया जाये जिससे जोधपुर के वृद्ध लोगों को राहत मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, राजेन्द्र जी को बोलने की जरूरत नहीं है ना, राजेन्द्र जी गहलोत की तरफ से भी आप ही बोल रही है ?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा मानते हुए एक और बात है कि जोधपुर शहर के अन्दर एक गंगलावा का तालाब है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। वहां पर आये दिन एन्क्रोचमेंट होते जा रहे हैं। वे अभी तक नहीं रुक रहे हैं। जब कभी भी मैं राउण्ड पर जाती हूं मेरे को 2-4 मकान बने हुए मिलते हैं। मैं समय-समय पर अधिकारियों को भी इत्तला करती हूं मगर उसका कुछ नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि वर्षा जो तालाब है, मैं मकान बने हैं के अन्दर मकान बनते जा रहे हैं। अगर बरसात आ गयी और जान-माल की हानि हुई तो सरकार को ही सामना करना पड़ेगा। फिर कहेंगे कि उनके मुआवजा देओ। आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि बरसात आने से पहले ही जिस तरीके से लोग वहां बैठे हैं, उनको कहीं बसाने की व्यवस्था कर दें ताकि बरसात अगर आ जाये तो कोई जान माल की हानि नहीं हो। आपने मेरे को बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि सदन की भी यही इच्छा है और मेरी भी यही इच्छा है कि सरकार की तरफ से उत्तर आ जाना चाहिये। दो मिनट में आप अपनी बात कह दें।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : दो मिनट में नहीं होगी। आप कहें तो मैं बैठ जाऊं। जोधपुर है पश्चिमी राजस्थान का मुख्य केन्द्र है और जोधपुर की बहुत सी महत्वपूर्ण

Page No 232

(232)

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

समस्याएं हैं। जिनकी चर्चा होना आवश्यक है (व्यवधान) आज जयपुर के लिए एक घण्टा दे सकते हैं तो क्या जोधपुर के लिए दस मिनट भी नहीं दे सकते हैं। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : मेरा भी कटौती प्रस्ताव है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से एक यह निवेदन करूंगा जे.डी.ए. और हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो विज्ञापन भूखण्डों के लिये, फ्लेट्स के लिये आप देते हैं उनमें एस.टी., एस.सी. के साथ भेद किया जाता है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन फ्लेट्स के पेटे, भूखण्ड के पेटे आधी रकम वसूल की जाती थी। 10 हजार होता था तो 5 हजार एस.टी., एस.सी. के जमा करते थे। अब, उपाध्यक्ष महोदय, पूरे ही...

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्र जी। दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री महेन्द्र कुमार मीणा : पैसे जमा कराते हैं। इसलिये मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि एस.टी., एस.सी. के पेटे जो भी भूखण्ड (व्यवधान) फ्लैट्स दिये जायें उसमें आधी ही रकम जमा कराने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी बात कह दी। बिराजें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर नगर की कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जोधपुर का मास्टर प्लान 1975 में बना था और 1981 में लागू हुआ था। 1981 के अन्दर जोधपुर शहर के आस-पास के किसानों की बस्तियां और किसानों की जो भूमि थी, वे 1981 के भूमि रूपान्तरण नियम के अन्त[र्गत] आवासीय भूमि में परिवर्तित कर दी गयी [थी।] इसमें कई गृह निर्माण समितियों और [नि]जी तौर पर लोगों ने भू-खण्डों का नियमन क[रा] लिया था। उसके पश्चात् 1991-92 में जोध[पुर] नगर सुधार न्यास की योजनाएं बनीं और योज[ना] जब बनी तब इस भूमि पर उन लोगों का क[ब्जा] था जिन्होंने राजस्व विभाग द्वारा और भू[मि] रूपान्तरण विभाग द्वारा रूपान्तरण करवा[कर] अपने मकान बनवाने प्रारम्भ कर दिये। उपाध्य[क्ष] महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन कर[ना] चाहूंगा कि जहां धारा 4 और 6 की कार्यवा[ही] करने के पूर्व जो बस्तियां बस गयी हैं उ[न] बस्तियों का नियमन किया जाये। उनका विका[स] शुल्क जमा किया जायें। जिसके कारण आ[ज] जोधपुर में कम से कम एक लाख लोगों क[ी] समस्या बनी हुई है मैं मंत्री महोदय का इ[स] ओर ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, जोधपु[र] के आस पास किसानों के सिंचित कुएं हैं सिंचित उपजाऊ भूमि है, वहां जल के स्रोत भी अच्छे हैं उस पर नगर सुधार न्यास की योजना बनी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह जमीन योजना से बाहर निकाली जाये। मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा, किसानों का एक शिष्ट मंडल मिला था उसके बाद मुख्य मंत्रीजी ने उसके ऊपर रोक लगायी है। इसलिये मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी ओर तुरन्त ध्यान देकर उन किसानों की भूमि को मुक्त करें, जहां किसान अपना रोजगार कर रहे हैं, जोधपुर की जो फल, सब्जी और फूल की

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

मांग है उसकी पूर्ति कर रहे हैं। योजना इस तरह बनायी जाये कि किसानों की बसी हुई बस्तियां नहीं उजड़ें, किसानों की उपजाऊ भूमि नहीं उजड़े। जहां बेकार भूमि पड़ी है, शहर से बाहर भी जाना हो तो जाकर ऐसे सेटेलाइट टाउन बनाने चाहिये जहां किसी की बस्तियां नहीं उजड़ें। यह निवेदन मैं आपसे कर रहा हूं।

इसके साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर के आस पास ग्रीन बैल्ट को मास्टर प्लान में लिया हुआ है। उस ग्रीन बैल्ट को बचाया जाये। मंत्री महोदय ने ग्रीन बैल्ट को आवासीय में रूपान्तरित करने के लिये सम्भागीय आयुक्त को ये अधिकार दिये हैं। ये अधिकार सारे राजस्थान के लिये दुर्भाग्यपूर्ण होंगे। जहां पर्यावरण की दृष्टि से संतुलन बना रहना चाहिये, प्रदूषण पर नियन्त्रण होना चाहिये और हरियाली और वृक्षारोपण के लिये सरकार लाखों और करोड़ों की योजनाएं बनाती हैं। इसके साथ साथ ग्रीन बैल्ट बचा हुआ रहे। इसके लिये सम्भागीय आयुक्त को सरकार ने ये अधिकार दिये हैं उन अधिकारों को सरकार को वापस लेना चाहिये और मंत्रीजी को अपने पास ही अधिकार रखने चाहिये जिससे ग्रीन बैल्ट समाप्त नहीं हो।

इकसे साथ-साथ जोधपुर का मास्टर प्लान पुनः बनना चाहिये क्योंकि 1981 में कृषि भूमि के रूपान्तरण के कारण मास्टर प्लान में जो विकृति आ गयी हैं उसको तोड़-मरोड़कर नगर बस गये हैं। उन नगरों पर नये ढंग से मास्टर प्लान बनें और उस मास्टर प्लान की ओर ध्यान दिया जाये। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरा जोधपुर की सफाई व्यवस्था के लिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा नगर निगम का बोर्ड बनने के बाद जोधपुर की जटिल से जटिल जो समस्या थी उसका समाधान धीरे-धीरे हो रहा है। करोड़ों रुपये के उपकरण खरीदे गये हैं। जिसके माध्यम से जोधपुर की सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाने में, अच्छी बनाने में हम प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ-साथ जोधपुर शहर में सीवरेज लाइन है, जो गटर लाइन है वह बहुत पुरानी है। जिसके कारण आज जोधपुर शहर में सुबह साढ़े छह बजे से साढ़े नौ बजे तक चले जायें तो आपको लगेगा कि शहर के अन्दर कोई बरसात आ गयी है। सारी सड़कों पर पानी बहता नजर आयेगा। इसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण यह भी है कि जोधपुर का जो सीवरेज फार्म है, जिसको दिया गया था उसके कब्जे में किया हुआ है उसके कारण पानी आगे नहीं जा रहा है और उसके कारण पानी रुक गया है। अदालत में यह मामला विचाराधीन है। आज 20 साल से जोधपुर की जनता भुगत रही है। इसके कारण सीवरेज फार्म में जिस प्रकार की रुकावट पानी की आयी है, उसके कारण जोधपुर का पानी शहर से आगे नहीं जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि अदालत में जो मामला चल रहा है उस मामले में पूरी तरह से सतर्कता बरतें और जोधपुर की सीवरेज फार्म की समस्या है उसको दूर करें। इसके साथ-साथ जोधपुर के अन्दर नई सीवरेज लाइनें डालने के लिये जोधपुर शहर का 209 करोड़ का मास्टर प्लान

Page No 234

(234)

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

बना है, उसकी स्वीकृति दें। जिससे सारे जोधपुर शहर में नई लाइनें डाली जा सकें। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 5 करोड़ 35 लाख की एक योजना जोधपुर महामाया मन्दिर की सीवरेज लाइन स्वीकृत की थी। पी.एच.ई.डी. ने उसमें काम शुरू कर दिया है। उसमें हिस्सा राशि जोधपुर नगर निगम की, जोधपुर नगर सुधार न्यास की जो मिलने वाली थी, वह अभी नहीं मिली है। उसके कारण इस साल हमारा काम बंद हो सकता है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आपने आश्वासन दिया था इसके अन्दर हिस्सा राशि नगर निगम की नगर सुधार न्यास की मिलेगी वह हिस्सा राशि आप पी.एच.ई.डी. को दिलवायें। दोनों के मंत्री आप ही हैं। आप दिलवायें जिससे इस साल जो हमारी योजना में स्वीकृत राशि है वह पूरी हो सकेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि जोधपुर शहर में एक डी.बी.एस. कालोनी है। उस कालोनी में आर्मी का एक बूचड़खाना बना हुआ है। उसके पास एक स्कूल चल रहा है। बूचड़खाना 1947 के पहले बना था उस समय वहां बस्तियां बसी हुई नहीं थीं। आज शहर के बीच में इस तरह का बूचड़खाना है। आर्मी ने एक नया बूचड़खाना बना लिया है। उसके बाद भी वह वहां स्थानान्तरण होना नहीं चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे रक्षा मंत्री को या रक्षा विभाग को लिखें कि लोगों की यह जो बहुत बड़ी समस्या है उस बूचड़खाने को वहां से हटाया जाये। उसके लिए आप प्रयास करें।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी समस्‍ बरसात के दिनों में खड़ी होती है। वह समस्‍ जोधपुर मे रेलवे लाइन के आसपास बसी हु बस्तियों की है। मण्डोर से लेकर भगत क कोठी, सात सैक्टर पत्रकार कालोनी तक, 9-1 किलोमीटर में रेलवे लाइन के आसपा बस्तियां हैं जिनमें पानी निकासी के लिए को व्यवस्था नहीं है। नगर सुधार न्यास और नग निगम ने रेलवे अधिकारियों को कई बार लिख है। वे उनको परमिशन नहीं दे रहे हैं। जिसरे कारण बरसात के दिनों में दोनों ओर पा आकर खड़ा हो जाता है और कच्ची बस्ति उसमें डूब जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी स निवेदन करूंगा कि आप अपने माध्यम से रेल मंत्रालय के अधिकारियों को लिखें और इ समस्या का समाधान कराएं।

इसके साथ ही एक निवेदन और मैं करन चाहूंगा कि जोधपुर में सबसे बड़े सुन्दर ताला हैं। तालाब की नहर है 18 किलोमीटर दूर से आती है और गुलाब सागर, फतेह सागर नह के आसपास बस्तियां बस गयी हैं। उस नह में सारा गन्दा पानी, सीवरेज का पानी जा रह है। गुलाब सागर जो एक कलात्मक ताला है, वह तालाब कचरे का पात्र बन गया है। इससे आसपास की बस्तियों में बीमारियां फैलती है मलेरिया फैलता है इसके कारण इतनी गन्दगी हो गयी है कि लोग रह नहीं सकते।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसके लिए सीवरेज लाइन की एक योजना आपके पास विचाराधीन है। उस योजना को आप स्वीकृत करें। जिसके आसपास की कालोनियों के लोगों को राहत मिल सके।

(श्री राजेन्द्र गहलोत)

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात आपके माध्यम से और कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने 1991 तक बसी हुई कच्ची बस्तियों का नियमन करने की घोषणा की है। मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी उनका नियमन करें और नियमन करके किस तरह से उनको पट्टा देंगे इसकी भी घोषणा करें क्योंकि काफी समय से कच्ची बस्तियों वाले इस इंतजार में बैठे हैं कि सरकार उनका कब नियमन करेगी। मैं इस बात के लिए और निवेदन करूंगा कि जोधपुर की जो समस्या है उसकी ओर विशेष ध्यान दें, नया मास्टर प्लान बनायें, उसकी कमेटी बनायें। जोधपुर में कृषि भूमि से रूपान्तरण करने वालों की जो समस्या है उस समस्या का समाधान करें। आपने 18 फरवरी, 1994 को एक नियम निकाला उसके अनुसार भी जोधपुर में अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री राजेन्द्र गहलोत : उनका नियमन करके जोधपुर में 20 रुपए का जो विकास शुल्क लेना चाहिए वह नगर सुधार न्यास नहीं ले रहा है। अतः मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप विकास शुल्क लेकर इनका नियमन करायें इससे जो लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं उनकी आवासीय समस्या का समाधान होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शांतिलाल जी खोईवाल। आप कृपया दो मिनट में खतम करें।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, दो ही मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री महावीर भगोरा : उपाध्यक्ष महोदय, उदयपुर संभाग भी है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : नगर एवं आयोजना विभाग की मांगों पर आज चर्चा चल रही है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि अभी गहलोत साहब ने जोधपुर की समस्याओं के बारे में चर्चा की। मेरा कट मोशन नहीं है लेकिन मुझे आज सुबह ही सूचना मिली जो कि पूरे जोधपुर की समस्या से सम्बन्धित है। आप अगर मुझे सिर्फ आधा मिनट दें तो मैं मंत्री जी का उस तरफ ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : यह तो बिना पाइंट आफ आर्डर के भी मैं दे सकता था। नहीं यह पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मेरे पास कोई और तरीका नहीं था।

श्री भंवरसिंह डांगावास : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में भी म्यूनिसिपैलिटी है। मुझे भी दो मिनट आप दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप शांतिलालजी खोईवाल को बोलने दें।

श्री शांतिलाल खोईवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज नगर विकास एवं आयोजना विभाग की मांगों पर चर्चा हो रही है। इसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने, मुख्य मंत्री जी ने बजट में अपने प्रस्ताव रखे हैं। 30

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

करोड़ रुपये सहभागी योजना में इस बात के लिए रखे हैं कि जिन नगरपालिकाओं की माली हालत अच्छी नहीं है उनको इस मद से मदद दी जाये और उनके विकास के कामकाज को सुचारू रूप से संचालित कराने में मदद दें। यह बहुत अच्छी बात है। मुख्यमंत्रीजी बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन मेरा मत इसमें यह है कि किसी भी नगरपालिका को आप मदद देते हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन उसको स्वावलंबी बनाना उससे ज्यादा अच्छी बात है। अब किसी व्यक्ति को अपने घर का कामकाज अपना खर्च चलाने के लिए पैसे उधार दे दो। पैसे उधार देना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उसको अपने घर का कामकाज संचालित करने के लिए रोजगार दो या उसकी आय के स्त्रोत क्रिएट कर दो।

मेरा निवेदन यह है कि राजसमन्द नगरपालिका राजसमन्द जिला सृजित होने के पहले बहुत धनाढ्य नगरपालिका थी। लेकिन जब जिला बना उसके बाद में उसका आकार और स्वरूप बदला है। आकार और स्वरूप बदलने के उपरान्त वहां के लोगों की मानसिकता इस तरह चेंज हुई कि उसमें जितने खर्च की आवश्यकता है उतने खर्च का पैसा नगरपालिका के फंड में उपलब्ध नहीं है। जिसके कारण आज स्थिति यह पैदा हो गयी है कि आज एक लाख दस हजार रुपये का बिजली का बिल जमा कराने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। मैं समझता हूं कि यदि 5-7 दिन में पैसा जमा नहीं हुआ तो पूरा का पूरा कस्बा अंधकार में डूब जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह तथ्य आ समक्ष प्रस्तुत करने का मैन कारण यह था आप किसी भी स्वायत्तशासी संस्था स्वावलंबी बनाये तो वह ज्यादा उचित रहे

श्री हरिसिंह (महुआ) : राज्य सरकार स्वावलंबी नहीं है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : प्लीज, मैं ब कम बोलता हूं और कभी दूसरों के बीच भी व्यवधान पैदा नहीं करता।

मैं यह निवेदन करता हूं कि स्वायत्तशा संस्थाओं को कितना स्वावलंबी बनायें, उस ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आ जैसा मैं निवेदन कर रहा हूं कि उनकी आ के स्त्रोत इतने पुअर हैं, इतने कम हैं कि जि स्तर के खर्चे वहन करने की स्थिति में आ वह नगरपालिका नहीं है। नगरपालिका ने वर्ष पूर्व एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भे था। इस आशय का प्रस्ताव भेजा था कि व की जो चुंगी वसूल की जा रही है उसमें कु संशोधन किया जाये, विशेष रूप से जे.के. टा फैक्ट्री से वसूल की जाये। अब जे.के. टा फैक्ट्री का एक्सपेंशन हुआ, और उससे उन भी आय के स्त्रोत बढ़े। अतः जिसकी आ बढ़ रही है यदि उस संस्था से, उस उद्योग चुंगी के रूप में पैसा वसूल किया जाता है त कोई बुरी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोद सितम्बर, 1994 में डी.एल.बी. को एक प्रस्ता भेजा था कि इनकी चुंगी में कुछ संशोध किया जाये। डी.एल.बी. ने ठीक एक साल बा 1.7.95 को एक आदेश निकाला। उस आदेश में चुंगी वसूल करने के लिए कुछ संशोधन किये गये थे। उस संशोधन से नगरपालिका

Page No 237

(237)

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

को कम से कम 10 लाख रुपये प्रति महीने की आय हो सकती थी लेकिन सुओ मोटो उप शासन सचिव ने, डायरेक्टर, डी.एल.बी. ने अपने स्तर पर ठीक सात दिन बाद में उन आदेशों को स्थगित कर दिया। आज नगरपालिका की हालत बहुत खस्ता है। इन दो वर्षों में नगर पालिका को कम से कम दो करोड़ रुपये की आय हो जाती। लेकिन आज तक इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मेरा निवेदन यह है कि यदि डी.एल.बी. यह समझती है कि यह लगायी हुई चुंगी बहुत ज्यादा है तो कम करके पास कर दीजिये। लेकिन उनकी आय के स्रोत तो पैदा हो जायें। अगर आय के स्रोत पैदा हो जायेंगे तो निश्चित रूप से आज जो उसकी माली हालत खराब हुई है उसका सुधारने में मदद मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं, एक प्रस्ताव दो वर्ष पूर्व और भी भेजा था। द्वारकाधीश टैम्पल ट्रस्ट की जमीन नगरपालिका ने एक्वायर करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। राज्य सरकार की ओर से निर्देश गये। वह इसलिए गये कि द्वारकाधीश टैम्पल ट्रस्ट ने निवेदन किया कि जो 42 बीघा जमीन एक्वायर कर रहे हैं, उस जमीन पर श्रद्धालुओं के लिए रेस्ट हाउस और होटल बनाने हैं तथा टैम्पल बोर्ड को चलाने के लिए वहां पर आय के स्रोत क्रिएट करने हैं। इसलिए आप मेहरबानी करके इस जमीन को एक्वायर न करें। हम वैसे ही नगरपालिका को कुछ जमीन देने के लिए तैयार हैं।

राज्य सरकार की ओर से ये निर्देश गये कि द्वारकाधीश टैम्पल ट्रस्ट और नगरपालिका आपस में तय कर लें कि आपको कितनी जमीन चाहिये। आपस में इन दोनों का एग्रीमेंट हुआ कि सात बीघा जमीन यदि नगरपालिका को एक निर्धारित रकम पर दे दी जाये और शेष जमीन द्वारकाधीश ट्रस्ट को छोड़ दी जाये, ताकि श्रद्धालु लोग वहां पर आयें तो उनको रहने की सुविधा मिले, टैम्पल के रखरखाव के लिए आय के स्रोत क्रिएट हो जायं, तो निश्चित तौर से इसका समाधान हो जाएगा। जब राज्य सरकार ने यह निर्देश दे दिया कि आप आपस में बैठकर किसी एग्रीमेंट पर आ जाइये और वह एग्रीमेंट हो गया और मैं समझता हूं वह प्रस्ताव श्री राज्य सरकार के पास डेढ़ साल से विचाराधीन पड़ा हुआ है, अभी तक निर्णय नहीं लिया है। यदि वह निर्णय ले लेते तो निश्चित तौर से नगरपालिका को जो सात बीघा जमीन मिलती उस जमीन से विभिन्न तरीके की योजनाएं बनाकर आय के स्रोत क्रिएट किये जा सकते थे , पर उपाध्यक्ष महोदय, वह भी नहीं किया। जैसा कि मैंने अभी प्रारंभ में

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आपको निवेदन किया था कि स्वावलम्बी बनाने के लिए, उनके स्रोत क्रिएट करने के लिए राज्य सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। राज्य सरकार यदि सहयोग नहीं करेगी तो आने वाले टाइम पर नगरपालिका न तो वहां के कर्मचारियों को वेतन दे पायेगी और न ही दूसरी अन्य जो सुविधाएं हैं उन पर खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है, उनके रखरखाव के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, वह पैसा वहन कर पायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यही नहीं आपका जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है, इसका मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं है इस महकमे का, इस महकमे को आप अबोलिश कर दें, इस

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

महकमें को आप समाप्त कर दें जो मैं समझता हूं कि आपके राजस्थान के इस प्लानिंग के कार्यकलापों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाउन प्लानिंग अपना मास्टर प्लान बना देता है और मास्टर प्लान को मेंटेन करने की कोई चिन्ता नहीं करता। टाउन प्लानिंग क्या करता है कि यदि कोई व्यक्ति विशेष अपने हित में उसे अप्रोच करें तो चाहे गधे का घोड़ा लिखवा ले आइये जैसे कि फोरेंसिक साइंस में यह सम्भव है घोड़े का हाथी लिखवा कर ले आइये। जहां पर निर्माण कार्य नहीं कराये जाने चाहिए वहां पर निर्माण कार्य की स्वीकृति ले आइये। तो मेरा निवेदन टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट से यह है कि यदि आपका मास्टर प्लान बनता है तो उस मास्टर प्लान पर मजबूत रहिये और उसके बियोंड किसी तरह की स्वीकृति देने की आवश्यकता नहीं है, वह स्वीकृति जारी मत करिये।

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

अभी थोड़ी देर पहले उदयपुर शहर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक ऐसे तथ्य को उजागर किया था, उस तथ्य से मुझे बहुत तकलीफ हुई। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एक तथ्य उजागर किया था कि उदयपुर में सलूम्बर रोड पर एक शिड्यूल्ड कास्ट के व्यवसायी ने एक होटल का निर्माण कराया, एक सिनेमा का निर्माण कराया है। आप यह मानते हैं कि होटल का निर्माण और सिनेमा का निर्माण बिना स्वीकृतियों के हो जाता है। इनके लिए विधि तौर से स्वीकृतियां ली जाती हैं और स्वीकृतियों के बावजूद यदि शिड्यूल्ड कास्ट का कोई व्यक्ति, कोई पुरुषार्थी व्यक्ति इस तरह के व्यवसाय में आगे आता है तो उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये, उसको हतोत्साहित करने की आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि उदयपुर में कितने शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं–

श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) शिड्यूल्ड कास्ट का नाम लेकर जो कमी है–

श्री शांतिलाल खोईवाल : मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिये। मेरी बात का जवाब आप देना चाहें तो बाद में दे देना।

श्री उपाध्यक्ष : मेरा ख्याल है कि सवाल जवाब आपस में नहीं होते हैं। यह सरकार अपने आप जवाब देगी। आप अपनी बात कहिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मैं जवाब सवाल नहीं कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : शिड्यूल्ड कास्ट का नाम लेकर के इस तथ्य को गुमराह किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें। कृपया बीच में नहीं बोलें, आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस तथ्य को जो अनियमित काम हो रहा है वहां पर– ..

श्री शांतिलाल खोईवाल : उपाध्यक्ष महोदय, किसी वर्ग विशेष के व्यवसायी को विधान सभा में (व्यवधान) इस तरह से डिस्करेज किया जाये तो यह उचित नहीं है, अच्छी बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, यदि कोई स्वावलम्बी व्यक्ति, यदि कोई पुरुषार्थी व्यक्ति इस तरह का व्यवसाय करता है तो उन्हें प्रेरित करना

(श्री शांतिलाल खोईवाल)

चाहिये, उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिये, मुख्य मंत्रीजी की यह नीति है, सरकार की यह नीति है...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करिये।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मैं निवेदन करूंगा विधायक महोदय से कि इस तरह से किसी तथ्य को डिस्करेज नहीं करें इस तरह से ये अच्छी बात नहीं है।

श्री शिवकिशोर सनाढ्य : उसमें कमियां हों, अनियमित काम हों और उसके लिए श्री कह दो कि शिड्यूल्ड कास्ट के नाम पर रेगुलराइज कर देना चाहिये...

श्री शांतिलाल खोईवाल : मैं एक तथ्य आपके समक्ष और प्रस्तुत करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि उदयपुर सम्भाग में कितने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के होटल व्यवसाय हैं और कितने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के सिनेमा हैं ? यदि कोई व्यक्ति आगे आता है तो उन्हें उत्साहित करना चाहिये, इस तरह से डिस्करेज नहीं करना चाहिये और इस विधान सभा स्थल का दुरुपयोग इस ढंग से नहीं करना चाहिये। मुझे आपने समय दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र चौधरी (बिलाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन बातें निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने एक मिनट मांगा है।

श्री राजेन्द्र चौधरी : हां, एक मिनट में ही।

श्री उपाध्यक्ष : आप अपने शब्दों पर कायम रहें।

श्री राजेन्द्र चौधरी : मैं बिलकुल कायम रहूंगा।

मैं मंत्री महोदय से 3-4 बातों का निवेदन करना चाहूंगा। एक तो जोधपुर के अन्दर नगर सुधार न्यास द्वारा खसरा नम्बर 808 के सम्बन्ध में अवैधानिक तरीके से जो समझौता किया गया है और राज्य सरकार के डिप्टी सैक्रेटरी ने 25 अप्रेल को पत्र लिखा था उनको कि आप अपील में आइये। राजस्व बोर्ड के अन्दर सरकार अपील में गयी। कलेक्टर ने तहसीलदार को आदेश दिया। तहसीलदार राजस्व बोर्ड में अपील में गये पर यू.आई.टी. नहीं गयी। यू.आई.टी. ने अवैध तरीके से उनसे समझौता कर लिया और राज्य सरकार के निर्देशों को नहीं माना। आप इसकी जांच करवाने की बात कहेंगे ?

दूसरा, जोधपुर के अन्दर पूर्व और पश्चिमी पालरोड योजना के बारे में नगर सुधार न्यास ने कुछ कुओं के बारे में दोहरी नीति, दोहरा आचरण अपनाया। जो सिंचाई के कुएं थे, उनकी जो जमीन थी उनको कुछ को शामिल किया और कुछ कुएं जो सिंचाई के थे और उनकी जमीन थी उनको शामिल नहीं किया। क्या आप एक समान नीति अपनाने के लिए उनको निर्देश देंगे ?

तीसरा, यू.आई.टी. और नगर निगम, जोधपुर ने, दोनों ने कुछ टेंडर किये जो दोनों टेंडर एक ही जगह के थे। यू.आई.टी. ने भी उसी सड़क का और नगर निगम ने भी उसी सड़क का टेण्डर किया और कुछ मामलों में ठेकेदार भी

(श्री रवेन्द्र चौधरी)

एक ही है। क्या इस सम्बन्ध में जांच करवा कर आप कोई आवश्यक कार्यवाही करेंगे ?

चौथा, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, मैं समझता हूं कि यह राजस्थान में हाउसिंग बोर्ड की सबसे अच्छी कालोनी है यहां पर सीवरेज लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या सीवरेज लाइन की व्यवस्था के बारे में आप कोई विचार करेंगे, इस के बारे में कुछ कार्यवाही करेंगे ?

पांचवा, पीपाड़ और बिलाड़ा नगरपालिका के अन्दर जो सड़कें स्वीकृत हैं। वे चाहे एम.पी. फण्ड से हों, चाहे एम.एल.ए. फण्ड से हों, पर पिछले काफी टाइम से नगरपालिका बना नहीं रही है। उनके पास पैसा नहीं है और वे काम नहीं कर रही है। क्या आप उनको निर्देश देंगे? धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, एक मिनट ही लेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी (ओसियां) : नहीं, आधा मिनट ही लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे पास आज सुबह सूचना मिली है कि जोजड़ी नदी के आसपास जितने भी गांव हैं, शहरी एरिया है और जो मानसून के पानी का ओवर फ्लो है वह सब जोजड़ी नदी में जाकर पड़ता है। जोजड़ी नदी आगे जाकर लूणी से मिल जाती है। अब आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने वाहवाही लूटने के लिए वह सब गन्दा पानी झालामंड का जो डिस्टिलेशन प्लांट है और जो जंवाई से नदी आ रही है, उसमें डाल कर जोधपुर को सप्लाई कर रहे हैं। यह पिछले हफ्ते दस दिन की बात है। तो मेहरबानी करके उसको **रोकिये। क्योंकि ओवरफ्लो आप रोक न सकते, उसको आप चेनलाइज कर नहीं सक वर्षा बरसात हो जाये तो अमानीशाह नाले** जो गन्दा पानी जायेगा वह आटोमेटीकली ज लैण्ड होना है वहां होना है। तो उसको तुर रोकिये नहीं तो कहीं आपके फिर हैजा न फैल जाये। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरसिंह डांगावा एक मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री भंवरसिंह डांगावास (मेड़ता) : उपाध्य महोदय, एक मिनट ही लूंगा।

सहभागी योजना के लिए राज्य सरक को धन्यवाद। फिर श्री मेड़ता के अन्दर इ वर्षा से सड़कें खराब हुई, नालियां टूट गयी उसके लिए विशेष अनुदान देने की कृपा करें

फायर बिग्रेड के लिए हमारे यहां व्हीक आयी और दो साल से फायर मैन और ड्राइव के पद के लिए निवेदन किया जा रहा है। य पद नहीं दिये जाने से तथा ट्रेक्टर के ड्राइव को भेजने से एक दिन एक्सीडेंट हुआ औ गाड़ी उल्टी। यह सैंक्शन दिलवाने की कृप करें तथा जितनी हरिजनों की संख्या हम मांग रहे हैं उसे तुरन्त दिलाने की कृपा करें। धन्यवाद

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रतनलाल जी ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज की मांग के सम्बन्ध में यह निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में जो छोटी नगरपालिकाएं हैं उनकी ग्रामीण प्रकृति होने से अलग प्रकार की उनमें समस्याएं हैं। राज्य सरकार ने जो भी अनुदान देने की प्रक्रिया निर्धारित की है उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी नगरपरिषदें, नगरपालिकाएं आत्म-

(श्री रतनलाल ताम्बी)

निर्भर हैं, आय की दृष्टि से मजबूत हैं। वे अपने ढंग से सर्वाधिक विशेष अनुदान प्राप्त कर लेती हैं। तो मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप कृपा करके यह नीति बनायें कि जो नगर परिषद या नगरपालिका आत्मनिर्भर है जिनकी अच्छी स्थिति है, उनको विशेष अनुदान नहीं देते हुए ऐसी नगरपालिकाओं को दीजिये जो कि आत्मनिर्भर बन सकें और उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।

दूसरा, मेरा निवेदन यह है कि स्टाफ भर्ती के मामले में बहुत विसंगतियां हैं। मेरी जहाजपुर की नगरपालिका प्रति माह तनख्वाह बराबर देती थी पर पिछले पांच सालों में इस विभाग का नियंत्रण नहीं रहा या स्वीकृति के बिना मनमाने ढंग से बहुत तादाद में कर्मचारी भर्ती कर लिये गये। इस सम्बन्ध में मैंने विधानसभा में कई प्रश्न उठाये, वहां की यूनियन वगैरह ने भी बहुत लिखा पढ़ी की पर उस सब के बावजूद भी समय पर कार्यवाही नहीं होने से और चुंगी में चोरी अधिक होने से, दरों में विसंगति होने से आज वहां की स्थिति निश्चित रूप से खराब हो गयी है। मैं इस मौके पर आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में सारा है कि वहां की नगरपालिका में बहुत बड़े-बड़े भ्रष्टाचार और घोटाले हुए हैं। सतर्कता का आपका एक प्रकोष्ठ है उसने अचानक जाकर के बड़े मामले पकड़े हैं अगर उनकी रिपोर्ट आप देखेंगे तो अत्यंत गम्भीर रिपोर्ट है। सारे कर्मचारी ऐसे गम्भीर मामलों में वर्षों तक लम्बित रहते हैं और बार बार धारा 65 की कार्यवाही वगैरह या जो भी चलती है, उन सबके बावजूद भी विभाग मुझे पता नहीं क्यों समय पर निर्णय नहीं करता। उसका निर्णय समय पर नहीं करने से अपराध प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इसलिये मेरी यह मांग है कि कोई भी मामला हो उसे विभागीय स्तर पर कम से कम छह महीने में निपटा दें तो मेरा ख्याल है कि नगरपालिकाओं की स्थिति को ठीक कर सकेंगे।

अतिक्रमण के सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपने मेरे एक कटौती प्रस्ताव के उत्तर में सबको साइक्लोस्टाइल करके एक ही प्रकार से थमा दिया कि 1991 की अमुक जनसंख्या तक के कस्बे टाउन प्लानिंग में लिये जायेंगे। मेरा निवेदन है कि जिला स्तर पर टाउन प्लानिंग का अरेंजमेंट किया जाये और प्रत्येक नगरपालिका चाहे छोटी हो या बड़ी, उनकी टाउन प्लानिंग निश्चित रूप से बननी चाहिये।

अंतिम बात मैं जहाजपुर के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। नागदी नदी जहां राजा जन्मेजय ने नाग यज्ञ करवाया, उसके आसपास और भी बहुत पवित्र स्थान और देवालय हैं, वहां सारा गंदा पानी जाता है। उस गंदे पानी के प्रदूषण से सारा जहाजपुर प्रभावित है। मैंने अनेक बार आपका ध्यान आकर्षित किया और आज भी मैं चाहूंगा कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग भी आपके पास है और यह विभाग भी है इसलिये जहाजपुर नगर की गंदे पानी की इस समस्या की ओर आप ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामरिछपाल नुवाल।

श्री रामरिछपाल नुवाल (भीलवाड़ा) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान विलोड़ा औद्योगिक नगर की ओर आकर्षित करना चाहता

(श्री रामरिछपाल नुवाल)

हूं। पिछले समय वहां नगर परिषद के चुनाव हुए, उसके बाद जितने भी कार्यक्रम हुए उनमें जो सफलता प्राप्त हुई है उसके लिए हमारी परिषद के सारे लोगों और मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं। नगर विकास न्यास का गठन हुआ। उसके बाद जितने भी कार्यक्रम हुए उसमें पिछले सारे रेकार्ड तोड़ दिये गये।

मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं कि न्यास के अन्दर हमने अलग-अलग कालोनियां बसायीं, उनमें सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करायीं, जितने भी स्कूल थे उनमें भवन और कमरे बनाये, यहां तक कि पुलिस थाना भी बनवाया। मेरे कहने का तात्पर्य है कि न्यास बनने के बाद जितनी उपलब्धियां मिली हैं उसको कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कमियां रह गयी हैं उनके बारे में मैं मंत्री महोदय से निवेदन करने जा रहा हूं कि वहां पर वर्तमान में चेयरमैन कलक्टर है। अभी पिछले छह महीने से वहां स्टाफ सिक्योरिटी पर करीबन 60 हजार रुपये हर माह खर्च हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वहां यह पैसा क्यों खर्च हो रहा है ? क्या आवश्यकता है ? क्या वहां पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है ? वहां पर पांच जीपें हैं और उनका कोई उपयोग नहीं होने पर भी वे इस ढंग से लगी हुई हैं कि उन पर 50 हजार रुपये महीने का खर्च हो रहा है। अभी वहां पर एक एसई. और तीन एक्सईएन. लगे हुए हैं जबकि वहां पहले बहुत ज्यादा काम था फिर भी एक एक्सईएन. ही था, अभी तीन एक्सईएन. लगे हुए हैं, एक एसई. लगा हुआ है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस खर्चे को कम किया जाये, खर्चा कम करने से, अभी जो नगर न्यास की स्थिति थोड़ी सी डांवाडो[ल] है, वह सुधरेगी, वहां पर बैंक बैलेंस नहीं [है।] जब मैं यू.आई.टी. चेयरमैन था, करीबन [दो] करोड़ का बैंक बैलेंस छोड़कर आया था। आ[ज] स्थिति बड़ी गम्भीर है। मेरा आपके माध्य[म] से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस कार्यक्र[म] में सुधार लाया जाये। नगर परिषद के माध्य[म] से भी मेरा निवेदन है जब श्री नगर परिष[द] को बोर्ड बनायें...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप विराज जायें

श्री रामरिछपाल नुवाल : दो मिनट में केवल नगर परिषद के माध्यम से मेरा आप[से] निवेदन है कि नगर परिषद के अन्दर भी ज[ब] दो बार चेयरमैन भाजपा के बने तब काफ[ी] बड़ा सुधार हुआ है। एक भी गली ऐसी बाक[ी] नहीं थीं जहां पर सड़क नहीं बनी हो, जहां प[र] नाली नहीं बनी हो, जहां बिजली की सुविध[ा] नहीं हो सारे कार्यक्रम हुए हैं परन्तु मेरा छोट-सा निवेदन है कि औद्योगिक नगर होने के कारण चुंगी से वहां खूब आवक होती है पिछले साल में केवल 20 लाख रुपये चुंगी से आते थे लेकिन जब से भाजपा का बोर्ड बना है वहां 60 लाख रुपये चुंगी की आवक हुई है। इतनी बड़ी बढ़ोत्तरी हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें। कृपया बिराजें।

श्री रामरिछपाल नुवाल : मेरा सुझाव है कि औद्योगिक नगर होने के नाते...

श्री उपाध्यक्ष : अब मैं आपको समय नहीं देता हूं।

श्री रामरिछपाल नुवाल : एक मिनट। मैं पहली बार बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप लिख कर दे दीजिये।

श्री रामप्रिपाल नुवाल : मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : मैं तो नहीं बोलूंगा। मेरी नगरपालिका का तो आप वैसे ही ध्यान रखना।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया विराजें। माननीय मंत्री महोदय (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज की मांग पर माननीय सदस्यों ने जो सुझाव और विचार रखे वे बहुत ही उपयोगी और सरकार को भी दिशा देने वाले हैं। साथ ही विभिन्न नगरपालिकाओं में जो चुने हुए माननीय प्रतिनिधि काम कर रहे हैं उनके लिये भी मार्गदर्शक होंगे।

सामान्यतया कोई विषय या मांग आती है तो आरोप-प्रत्यारोप भी होते हैं परन्तु मुझे खुशी है कि आज की मांग पर बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। विधान सभा का जो विधायी कार्य है उसके अनुरूप यहां चर्चा हुई है। एक बार जरूर माननीय शांतिलालजी ने एक आरोप चलते-चलते लगा दिया। मैं समझता हूं कि शायद उन्हें कोई जानकारी नहीं होगी, गोकुलवाटिका के सम्बन्ध में आपने यह दृश्य उपस्थित करने की कोशिश की है कि वहां की जो कमेटी है या उसकी जमीन के निस्तारण का मामला जैसा आप कहते हैं कि मंत्रिमण्डल को गया है, उसमें कोई न कोई गड़बड़ हुई है, आपने हाउस और प्रेस को यह आभास देने की कोशिश की। इस समिति के सदस्य कौन हैं, अगर आपको पता होता तो मैं समझता हूं आप शायद इस प्रकार की बात नहीं करते। मैं आपकी और सदन की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहूंगा कि इसके सदस्य हैं माननीय सिद्धराजजी ढड्ढा, जिनको एक स्वतंत्रता सेनानी, और समाज के लिए पूर्ण रूप से समर्पित व्यक्तित्व के नाम से जयपुर, राजस्थान और पूरा देश ही नहीं विश्व भी जानता है। श्री जवाहर लाल जी जैन जिनकी आयु 80-85 वर्ष है और जिनका सम्पूर्ण जीवन तिल-तिल कर समाज सेवा के लिये लगा है, सर्वोदयी नेता हैं, इसके सदस्य हैं। श्री छीतरमल जी गोयल जो सर्वोदयी नेता और खादी के क्षेत्र में सेवा करने में जाने माने व्यक्ति हैं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष कौन है?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह तो आप ढूंढ लेना कि कौन हैं ? (व्यवधान)

राधा मोहन जी हैं, कपूरचंदजी पासी हैं जो आपकी पार्टी में जनरल सैक्रेटरी हैं। इनके बारे में आप यह सोचते हो क्या (व्यवधान) नहीं, नहीं, मुझे पहले पूरा करने दीजिये (व्यवधान) नहीं, नहीं यह नहीं चलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में कोई नहीं बोलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा : शांतिलाल जी, आप तो एडवोकेट हैं।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप पूछ रहे हैं कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : इसका वक्तव्य समाप्त हो जाये इसके बाद पूछ सकते हैं, बीच में नहीं बोलें। कृपया विराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि ये-ये माननीय सदस्य हैं। सदन का कोई भी माननीय सदस्य ये सोच सकता

Page No 244

(२४५)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है कि ये अपना काम करवाने के लिये, जमीन प्राप्त करने के लिये_(व्यवधान)_

श्री शांतिकुमार धारीवाल : लेकिन एक किस्सा यह भी हुआ है कि_

श्री भंवरलाल शर्मा : उसको छोड़ें आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : गोकुल वाटिका के पदाधिकारियों ने इनको भी धोखा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : धोखा दिया है और कोई पदाधिकारी नहीं है। आपने जितने नाम गिनाये हैं, ये कोई पदाधिकारी नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है। बीच में नहीं बोलें।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित नहीं हो रहा है और बीच में नहीं बोल सकते।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : XXX

श्री उपाध्यक्ष : जवाब आने दीजिये। बीच में नहीं।_(व्यवधान)_आप व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। बीच में नहीं बोल सकते। अंकित नहीं होगा_अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य अंकित नहीं हो रहा है। कृपया बिराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : XXX

श्री उपाध्यक्ष : कृपया धारीवाल जी बिराजें। बार बार नहीं बोलें।

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय उपाध्य महोदय, आप अपनी शंका प्रकट करने के लि स्वतंत्र हैं। _(व्यवधान)_

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय मंत्री जी निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय प्रश्न का कोई जवाब नहीं दें। आपको जो कहना कहें, वक्तव्य दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो माननीय उपाध्य महोदय, जैसा मैंने अभी अपने वक्तव्य में क था कि जमीन किसी ने नहीं दी है अभी। ए विचार यह माननीय सदस्य, जिनका मैंने ना लिया, माननीय मुख्य मंत्री जी से मिले होंगे तो कहीं भी यह नीयत होती कि इसमें गड़ब करना है तो मंत्रिमण्डल में ले जाने की जरूर क्या थी कि मंत्रिमण्डल में ले जायेंगे और व चर्चा करेंगे। सारी बातें होने के बाद में फि कोई गड़बड़ी होगी तो मैं इसलिए कहना चाह हूं कि यह बात आपकी निराधार है। इस किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी की आशंक नहीं है। इन लोगों को जब हम देखते हैं, इनक जब हम त्याग और तपस्या का जीवन देखते हैं और इनकी मदद करने की भावना स्वाभावि हो सकती है। उसमें किसी प्रकार का को लांछन लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि आज की चर्चा बड़ी सार्थक रही है और बड़ी ही मार्गदर्शक रही है उसके लिए मैं सब का धन्यवाद करता हूं और माननीय सदस्यों ने जो अपने कट मोशन्स दिये हैं उनके कुछ के तो मैंने जवाब अभी दे दिये हैं, कुछ तो भिजवा दिये हैं मैंने। सब के पास नहीं पहुंचे होंगे तो वे होंगे नहीं यहां पर नहीं तो उनको पहुंचा देंगे।

आप सब लोग इस बात को जानते हैं

XXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया ।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

कि प्रजातंत्र में जो भी संस्थाएं हैं जिनके चुनाव होते हैं उनके चुनाव होने चाहिए और तभी प्रजातंत्र मजबूत होता है। अभी कोई माननीय सदस्य कह रहे थे कि नगरपालिकाओं के चुनाव अनेक वर्षों तक नहीं हुए, भूल गये थे कि नगरपालिकाओं के चुनाव भी हुआ करते हैं क्या ? पुराने बुजुर्ग लोग जो चुनाव लड़े होंगे या जानते होंगे उनको तो मालूम होगा कि नगरपालिकाएं होती हैं और उनके चुनाव होते होंगे लेकिन जो जवान उम्र के लोग हैं उन्होंने तो नगरपालिकाओं के चुनाव कभी देखे ही नहीं। यह तो, यह सरकार जब आयी उसका पहला विषय यह था कि जो चुनी हुई संस्थाएं हैं और जो चुने हुए व्यक्तियों के अधिकार हैं, वे अधिकार उन्हें अविलम्ब दे दिये जायें और आपको मालूम होगा कि मार्च, 90 में सरकार बनी थी और हमने अगस्त में सम्पूर्ण नगरपालिकाओं के चुनाव कराने की घोषणा कर दी और चुनाव करा दिये। कुछ नगरपालिकाओं के बारे में उच्च न्यायालय में लोग चले गए और वहां से स्थगन ले आयें। वहां तो चुनाव हुए नहीं बाकी सम्पूर्ण चुनाव राजस्थान भर में 40 नगरपालिकाओं को छोड़कर सब के चुनाव करा दिये। जैसे ही अदालत का स्टे हटा बाकी के चुनाव भी करा दिये। इतना ही नहीं किया, इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सब लोग जुड़ने चाहिए और अधिक से अधिक लोग जुड़कर इसमें काम करें, इसको ठीक समझा गया तथा इसलिए नगरपालिकाओं के जो वार्ड कम होते थे उनकी संख्या बढ़ायी। 10 वार्ड होते थे ज्यादा से ज्यादा और यह ठीक है कि छोटी नगरपालिकाएं जिनकी कि संख्या कम रहती है उनके वार्ड 13 किये और 43 वार्ड होते थे। बड़ी-बड़ी नगरपालिकाओं में, जयपुर में भी 43 वार्ड थे उसके 70 वार्ड किये। इसके पीछे मंशा यही थी कि जितनी अधिक लोगों की भागीदारी होगी...

श्री राजेन्द्र पारीक : भाजपा की बन जाय।

श्री भंवरलाल शर्मा : अगर अधिक वार्ड बनाने में भागीदारी बढ़ती है तो फिर हमारी पापुलेरिटी ज्यादा है। बढ़ते हैं तो बढ़ते हैं, क्या हो गया ? आपको भी इसमें पूरा मौका था, अब किसी की बने। तो इस प्रकार से हर एक की भागीदारी हो यह वार्डों की संख्या बढ़ायी और चुनाव करवा दिये...

श्री परसादीलाल मीणा : दम नहीं है भाषण में।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब जिसको दम नहीं लगता वे जा सकते हैं, वे पधारें और जिनको समझ में आता है वे बैठे रहें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ इतना ही नहीं किया। फिर हमने यह तय किया कि महिलाओं की भी बराबर भागीदारी होनी चाहिए। केवल पुरुष ही आगे बढ़ते रहें, राजनीति में यह लाभकारी नहीं है इसलिए माननीय भैरोंसिंह जी की सरकार ने यह संशोधन भी किया कि महिलाओं को 30 प्रतिशत सीटें अनिवार्य रूप से दी जायें और वह दी गयीं। उसके बाद 1994 का संविधान संशोधन आ गया। ...(व्यवधान)...अगर वह अधिकार राजस्थान विधान सभा में होंगे और माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत कर सकते हों तो कल ही कर देंगे। महिलाओं का भी कर देंगे। पर अधिकार है क्या करने का ?

(श्री भंवरलाल शर्मा)

फिर संविधान संशोधन आया। उस संशोधन में यह जो 30 प्रतिशत महिलाओं का आरक्षण था वह बढ़ाकर 33 प्रतिशत हो गया। वह भी कर दिया। उसके बाद ओ.बी.सी. वगैरह सब की भागीदारी हो एस. सी., एस. टी. और महिलाओं इनकी भागीदारी तो थी पर ओ.बी.सी. की भागीदारी नहीं थी और संविधान में कोई अनिवार्यता नहीं थी। संविधान में भी यह निर्देश नहीं था कि ओ.बी.सी. को भी आरक्षण दिया जाये। उसमें लिखा था कि There will be no impediment if the Government/Legislative does it. यानि आप करें तो आपत्ति नहीं है। यह ओ.बी.सी. का हमने आरक्षण किया, वह इस सरकार ने किया है और यह इस बात का प्रतीक है कि हम समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं। इसमें हम राज्य में भागीदारी करना चाहते हैं। प्रजातांत्रिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी हो, यह ओ.बी.सी. का भी हमने किया और महिलाओं का भी किया। इसके बाद यह केवल मेम्बरशिप में ही नहीं किया कि हमारे सदस्य जीतकर आ जायें और मेम्बर बन जायें। ऐसा ही नहीं किया जो ऊपर के पद पर, जिम्मेदारी के पद हैं जिनको हम चेयरमैन कहते हैं उन चेयरमैन की कोई इस संविधान में अनिवार्यता नहीं थी। इसी सरकार ने जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर भी, महिलाओं का और ओ.बी.सी. का आरक्षण किया, एस.सी., एस.टी. का आरक्षण किया। यह इस बात को दर्शाता है कि सरकार की नीति क्या है और समाज के सब लोगों को साथ लेकर चलने की जो मनोवृत्ति है यह उसका परिचायक है। उसका परिणाम क्या हुआ कि राजस्थान में 4394 वार्ड गठित हुए और इस पर 4394 व्यक्ति आज भी चुने हुए पद ' कार्य कर रहे हैं। इतना बड़ा वर्ग पहली ब नगरपालिकाओं में चुनकर आया और फिर अ नगरपालिकाएं तो बन गयीं लेकिन यदि उन स्वतंत्र रूप से नहीं बनाया जाये, ये स्वायत्तशा संस्थाएं हैं तो स्वायत्तशासी संस्थाएं केवल ना की नहीं रहें, इनको स्वायत्ता पूरी मिले इस लिए भी हमारी सरकार ने बहुत सारे कद उठाये। आपको मालूम होगा कि पह नगरपालिका का अध्यक्ष किसी सरकारी का से भी नगरपालिका की गाड़ी लेकर जय आता था तो उसको डी.एल.बी. से परमिश लेनी पड़ती। वह अनुमति देता तो वह ल सकता था। हमने कहा कि यह तो बहुत ग गलत बात है और आज की तारीख में व जितनी बार भी सरकारी काम से आयेगा, राज के काम से आयेगा तो उनको किसी प्रकार क आवश्यकता इस बात की इजाजत लेने की नह है क्योंकि यह सरकार यह विश्वास भी करत है कि जो चुने हुए लोग हैं, आप और ह एम.पी., एम.एल.ए. बन गये हैं और नगरपालिकाओं में चुनकर आयें है तो उनक और हमारी स्थिति में कोई ज्यादा अन्तर नही है उनके भी कार्यक्रम वही हैं, उनकी जिम्मेदारिय भी वहीं है और उनके ऊपर दायित्व देकर हम निश्चित मानते हैं कि किसी प्रकार की गड़बड़ नहीं होगी।

यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ नगरपालिकाओं के बारे में चर्चा की कि वहां भ्रष्टाचार है। मैं यह मानता हूं कि जितनी भी नगरपालिकाएं चुनकर आयी हैं और जो मेरी जानकारी में हैं, अभी तक उनमें भ्रष्टाचार की बू नहीं है। यह नये हो सकते हैं...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कई भ्रष्टाचार बताये हैं आपको। इन्क्वायरी रिपोर्ट है।

श्री भंवरलाल शर्मा : वह बताये हैं तो वे कर्मचारी के होंगे, उनके नहीं होंगे।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कर्मचारी नहीं, सब पदाधिकारियों के हैं। यह बताये हैं आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा : खैर, मैं नहीं मानता। आपको ध्यान में होगा, अपवाद सब जगह होते हैं। नये लोग हैं, नया-नया काम है, कामकाज में कोई कमी हो सकती है, समझ में कमी हो सकती है। पर आप नगरपालिका के मैम्बरों को बेईमान बतायें तो मैं इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं, मैं इसका विरोध करता हूं।

सामान्यतया नगरपालिका में अपना केस रखने के लिए वकील बनाना होता था तो उनको सरकार से पूछना पड़ता था कि हम यह वकील बना लें या नहीं बनायें। यह बड़ा हास्यास्पद है। पार्टी वह, मुकदमा नगरपालिका का, किसको वकील करें किसको नहीं करें, इसकी स्वीकृति यहां ही लेनी पड़ती है। हमने कहा, यह गलत है, आप स्वयं अपना वकील तय करिये। जैसे सामान्य व्यक्ति जाकर किसी वकील को, जो ठीक समझता है, उसको वकील करके अपना पक्ष न्यायालय में रखवाता है, उसी प्रकार से नगरपालिका स्वतंत्र है कि वह अपने स्वयं के विवेक से जिसको भी चाहे, अपना वकील नियुक्त करके अपने मुकदमे की पैरवी करवा सकती है।

काम का विभाजन हो, शक्तियों का विकेन्द्रीकरण हो तो इसके लिए पहले समितियां बनाकर काम करने के लिए भी एक संख्या थी। पहले नगरपालिकाएं, नगर परिषदें तीन समितियां गठित कर सकती थीं, बाकी काम के बंटवारे के लिए उनको अधिकार नहीं था। हमने यह ठीक समझा और आज हमने यह कर दिया कि नगरपालिका तीन के अलावा 5,10 और 15 समितियां बनाकर काम का बंटवारा कर सकती हैं ताकि काम का विकेन्द्रीकरण हो और सब लोग मिलकर काम कर सकें। इस दृष्टि से हमने यह सारा काम किया।

कई बार कर्मचारियों की भर्ती का मामला आता है। नगरपालिकाओं में कमी रहती है। पहले राजस्थान का एक चयन आयोग बना हुआ था। चयन आयोग जब भर्ती करता था तो एक नगरपालिका में एक बाबू की आवश्यकता है तो पूरे राजस्थान से वे एप्लीकेशन मांगते थे। हजारों एप्लीकेशन आती थीं, एक आदमी का चयन नहीं होता था। इसलिए हमने इस व्यवस्था को तोड़ दिया और यह किया कि जिला स्तर पर ही चयन होगा। और जिला स्तर पर भी चयन कौन करेगा, कलक्टर होगा और जिस नगरपालिका में पद भरा जाना है उसका या तो चेयरमैन होगा या उसका नामिनी होगा, वे मिलकर के चयन कर लेंगे, तरक्की वे करते रहेंगे। इस प्रकार के अधिकार दे दिये ताकि जो दैनन्दिनी दिक्कत आती थी वह नगरपालिका को नहीं आयेगी।

सामान्य जमीन का विक्रय करने के लिए अगर नगरपालिका चाहती है कि कोई धार्मिक संस्था है तो उनको जमीन दे सकती है। पहले उनको जमीन देनी होती थी तो हमसे पूछना पड़ता था। अब यह अधिकार कर दिया कि यदि वह 50 पर्सेंट कीमत लेकर देना चाहती हैं तो दे दें। लेकिन 50 पर्सेंट से ज्यादा रियायत चाहिए तो ही हमारे पास आना पड़ेगा वरना आवश्यकता नहीं है। यह स्ट्रिप ऑफ लैण्ड, जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े मकान के

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बाहर हैं तो उनको देने का अधिकार नहीं था। उनके लिये भी सरकार से पूछना पड़ता था। अब हमने यह कर दिया कि स्ट्रिप ऑफ लैण्ड के लिए यहां आने की जरूरत नहीं है, वहां ही निपटारा कर दो। जमीन बेचने के लिए भी कुछ सीमा तक तो वे बेच सकती थीं, बाकी को उनको बेचने के बाद राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती थीं। हमने यह तय कर दिया कि उनकी जमीन जैसे जब चाहें बेचें, हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं है। वहां ही बेच सकती हैं, नीलामी से बेच सकते हैं, वह जो नियम हैं उनकी तो पालना करेंगे ही लेकिन राज्य सरकार से अनुमोदन की अब आवश्यकता उनको नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने अपने अधिकारों में कटौती कर दी।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, बिलकुल दे दिया उनको। हमने यह भी कर दिया कि नगरपालिकाएं अगर चाहें तो तीन-तीन सदस्य बाहर से अपनी मदद के लिए और ले सकती हैं। और जो एम एल. ए. और एम. पी. साहब हैं वह भी उनकी मदद के लिए मैम्बर है। जितनी नगरपालिकाओं की आप शिकायतें कर रहे थे, तो आप भी उनके मैम्बर हैं, आप भी बिराजते हैं मीटिंग्स में। तो आपकी मदद उनको चाहिए, आपके अनुभवों का उनको लाभ हो इसलिए जितने माननीय सदस्य भी शहरों में रहते हैं, शहरों से जीतकर आये हैं वे सब नगरपालिकाओं के सदस्य हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : हम जाते हैं, तो बजट मांगते हैं कि बजट दिलवाओ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया बिराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : ले जाओ, ले जाओ।

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी जब नगरपालिका चुनकर के आयी तो उसके बाद दीपावली का त्यौहार आया। हम जानते थे कि नगरपालिकाओं की हालत ज्यादा अच्छी नहीं होगी। नये लोग चुनकर आये हैं और दीपावली का त्यौहार आ गया तो ऐसा नहीं हो कि दीपावली फीकी रहे, जैसे पहले राज में होती थी, ऐसी नहीं हो, प्रकाशवान हो इसलिए हमने नगरपालिकाओं को बिना मांगे दीपावली का अनुदान राजस्थान में शायद पहली बार और देश में ही पहली बार होगा, बिना मांगे हमने वह अनुदान दिया।

श्री राजेन्द्र पारीक : ऐसा क्या दे दिया आपको, जो इतनी ताली पीटे। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : सफाई करिये, यानि दीपावली पर जब पूरे मकानों की सफाई होती है तो सामान्यतया नगर परिषदों, नगरपालिकाओं की सफाई का काम बढ़ जाता है। इसलिए नगर को स्वच्छ रखो, प्रकाशित रखो, उसके लिए अनुदान दिया। हमने काउंसिल को तो एक लाख पांच हजार, डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर 75 हजार और छोटी नगरपालिकाओं को 50 हजार रुपये बिना मांगे केवल सफाई के लिए दे दिये। बाकी अनुदान अलग है, यह विशेष अनुदान है, इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। उसके बाद बरसात हो चुकी थी। देखो आप बुरा मत मानो, ताली और छाती दोनों पीट सकते हो, कोई मना नहीं है। बरसात खूब

(20.57)

श्री भंवरलाल शर्मा)

(श्री शांतिलाल चपलोत, अध्यक्ष, पदासीन)

ज़बरदस्त हुई इससे सड़कें क्षतिग्रस्त हो गयीं। तो हमने प्रत्येक नगरपालिका को सड़कों की मरम्मत के लिए पांच लाख रुपये बना किसी भेदभाव के दे दिये कि सड़कें ठीक करायें।

श्री रामस्वरूप मीणा : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री रामस्वरूप मीणा : जो नगरपालिका निर्विरोध आयी है सर्वसम्मति से, उसके लिए क्या आप अलग बजट देने का प्रावधान रखते हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र की टोडाभीम नगरपालिका सर्वसम्मति से निर्विरोध आयी है तो क्या उसके लिए कोई अलग से बजट देने का विचार है आपका ? जहां कोई झगड़ा नहीं हुआ, शांति से सारा काम हुआ है, सर्वसम्मति से निर्विरोध आयी है, क्या मंत्री महोदय कोई अलग बजट देने का विचार है ? कोई सुविधा देने का विचार है ? वह एस. टी. की है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप अलग से मिलेंगे तो मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री रामस्वरूप मीणा : अलग से मिलूं आपसे ?

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, अलग से मिलें। अभी प्रत्येक नगरपालिका में प्रति व्यक्ति 10 रुपये दिया जाता था। वह भी भैरोंसिंह जी शेखावत सरकार की देन थी। अभी आपने बजट में घोषणा कर दी–

श्री हरिसिंह (महुआ) : अब आपसे खुश होने वाले नहीं हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा : खुश क्या करेंगे इसमें ? अभी वर्तमान में प्रति व्यक्ति साढ़े 12 रुपये दिया जाता है। राज्य वित्त आयोग ने जो सिफारिश की है उसके आधार पर नगरपालिका को अब प्रति व्यक्ति 12.50 रुपये के साथ 14.86 रुपये और मिलेंगे। यह है घोषणा। वित्त आयोग के बाद 14.85 रुपये और जुड़ेंगे। ऐसे कुल मिलाकर प्रतिव्यक्ति के हिसाब से प्रति नगरपालिका को 38 रुपये मिलेगा।

श्री रामपाल उपाध्याय : उन्होंने तो कह दिया, छावी पीटो।

(21.00)

श्री कालीचरण सराफ : आप + + +
(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज करें। इन शब्दों को तो एक्सपंज कर दें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 40 रुपये एक नगरपालिका को।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये 25 रुपये ही मांग रहे थे।

श्री भंवरलाल शर्मा : नगरपालिकाओं के वित्तीय अधिकार पहले बहुत कम थे।

श्री रतनलाल ताम्बी : विधायकों के वित्तीय अधिकार बढ़ाओ।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री भंवरलाल शर्मा : इधर आ जाओ। (व्यवधान) पहले नगर निगम को चाहे उसका बजट कितना ही अधिक हो, उसको 10 लाख रुपये तक खर्च करने की इजाजत थी। उससे अधिक खर्चा करना होता तो उसको परमिशन लेनी पड़ती थी। हमने उसको 10 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये कर दिया। नगर परिषद को – (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सारा जयपुर सड़ रहा है। जितने भी माननीय विधायकों ने अपने-अपने भाषण दिये, सबने यह कहा है कि सारा जयपुर सड़ रहा है। बोलो, आगे बोलो।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बीच में टोकाटोकी नहीं करें।

श्री राजेन्द्र पारीक : पुरानी बस्ती वाले + + + नगर प्रशासन को, पुरानी बस्ती सड़ रही है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, माननीय सदस्य बिराजिये।

श्री कालीचरण सराफ : + + +.

श्री अध्यक्ष : ऐसे शब्दों को एक्सपंज कर दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : नगर परिषद को दो लाख रुपये तक का खर्चा करने का अधिकार था, हमने उसको बढ़ाकर, दो लाख से 50 लाख का अधिकार दे दिया और जिला मुख्यालय की जो नगरपालिकाएं थीं, उनको केवल एक लाख रुपये तक का खर्च करने का अधिकार था, उसको बढ़ाकर 25 लाख रुपये दे दिये उनको और अन्य छोटी नगरपालिकाओं को एक लाख से पांच लाख के अधिकार दे दिये। (व्यवधान) नगरपालिकाओं को अधिकार दे दिये लेकिन उनके जो अध्यक्ष हैं, उनके अधिकार बड़े कम थे तो उनको बढ़ाकर हमने नगर निगम का जो महापौर है, उनको 25 लाख तक खर्च करने का अधिकार दे दिया, सभी महापौरों को। सभी को जो जहां के भी हैं और परिषदों के सभापति हैं काउंसिल के, उनको 10 लाख और जिला मुख्यालय से आने वाले को पांच लाख रुपये, बाकी को एक लाख तो इसका मतलब यह है कि अब राजस्थान की जितनी नगरपालिकाएं बनी हैं, उनको इन कामों के लिए राज्य सरकार के पास आने की जरूरत नहीं है और सही मायने में वे स्वायत्तशासी संस्था बने, यह एक राजनैतिक इच्छाशक्ति है, उसके आधार पर यह सब काम इस तरह कर दिये ताकि उनको इधर देखना न पड़े, जैसे कई बार हमको कई बातों के लिए सैन्ट्रल गर्वनमेंट की तरफ देखना पड़ता है–

श्री राजेन्द्र पारीक : नहीं, आपने तो अब सबको सोने की चिड़िया बना दिया। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, बातचीत तो बहुत लम्बी हो सकती है लेकिन संक्षेप में सरकार की इच्छाशक्ति है कि ये निकाय स्वतंत्र रूप से चलें। उनको अधिकार, स्वायत्तता, उसकी आर्थिक स्थिति में मदद करने के लिए जहां पहले 10 रुपये प्रति व्यक्ति थे, वहां 38 रुपये मिलेंगे और उसके बाद भी जो उनके अलग अनुदान हैं, वे अलग मिलते रहेंगे।

श्री रामपाल उपाध्याय : छोटी नगरपालिकाओं के लिए सोचो।

श्री भंवरलाल शर्मा : एक आपने जो सुझाव दिया है–

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

श्री राजेन्द्र पारीक : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को एक बहुत अच्छा सुझाव दूंगा। नगर परिषद और पालिका क्षेत्रों में आजकल सोक-पिट्स बन रहे हैं, उसकी वजह से वाटर पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यह एक बहुत गम्भीर मसला है। पूरी नगरपालिका और नगर परिषद के क्षेत्रों में 30-30, 40-40 फीट गहरे गड्ढे हो रहे हैं तो जो सोक-पिट्स बन रहे हैं, उससे अण्डरग्राउंड वाटर का स्तर इस तरह से पोल्यूटेड हो रहा है, यह बड़ा गम्भीर मसला है तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यदि सम्भव हो सके तो नगर परिषद क्षेत्रों में कुछ सरकारी स्तर पर, कुछ वहां लोकल स्तर पर सीवरेज की व्यवस्था आप करवा सकें तो करें अदरवाइज आने वाले वर्षों में पीने के पानी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जायेगी।

श्री अध्यक्ष : विराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपका कहना बिलकुल ठीक है और इसलिए सरकार ने नगर सहभागिता कार्यक्रम के अन्तर्गत यह व्यवस्था की है। इसमें मैचिंग ग्रांट आपकी होगी तो सरकार भी उसमें लगा देगी।

अभी पिछले दिनों में कुछ नगरपालिकाओं की स्थिति वेतन देने की भी नहीं थी। उस हिसाब से सबका वेतन चुक जाये, उसके लिए राजस्थान की सरकार छह करोड़ रुपये खर्च कर रही है। छोटी-छोटी नगरपालिकाओं में कोई वेतन बाकी नहीं है। अब आगे तो आपको इसको चलाना ही है लेकिन कोई वेतन बाकी नहीं है इसका मतलब यह है कि हमारी चुनी हुई नगरपालिका पूर्ण रूप से जब नये उत्साह से आयी हैं तो किसी प्रकार से उनमें अवरोध, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं हो और इसमें किसी नगरपालिका का यह विचार नहीं किया कि यह किस पार्टी की है। जिसकी भी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, जहां भी वेतन की कमी थी, उन सबको बिना किसी भेदभाव के इनका वेतन भी बांट दिया..

श्री रतन लाल ताम्बी : इस मामले में क्या पार्टीबाजी।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, हम तो नहीं करते हैं। इस मामले में क्या, किसी मामले में भी नहीं करते हैं।

श्री कालीचरण सराफ : पहले तो आपका काम ही यह था कि राजनैतिक स्तर पर (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह विनम्र निवेदन है कि जो आपने सुझाव दिये हैं, जहां कहीं कोई कमी रही होगी तो सरकार उनको पूरा करने की कोशिश करेगी और नगरपालिका स्वतंत्र रूप से चले, सब स्वतंत्र रहें, यह हमारी इच्छा है, भगवान इसको पूरा करे, हम यह प्रार्थना करते हैं।

साथ ही जो माननीय उपाध्याय जी और ताम्बी साहब ने एक बात कही है कि आप नगरपालिकाओं में भेद मत कीजिये लेकिन जिनकी स्थिति अभी ग्रामीण इलाकों की सी है, यदि वह नगरपालिका नहीं होती तो ग्रामीण इलाकों में होने वाली योजना का लाभ उनको शायद मिलता तो उस तरह से विचार करना चाहिए। मैं इस बात को मंत्रिमण्डल में या माननीय मुख्य मंत्रीजी के सामने रखूंगा और कोई रास्ता निकल सकता है तो निकालेंगे, यह करेंगे।

अब एक और बात है, मेरे पास इसी

(श्री भंवरलाल शर्मा)

योजना के दो विभाग और हैं। एक जेडीए का है हालांकि वह जयपुर से सम्बन्धित है, ज्यादा दूर नहीं है_

श्री रामस्वरूप मीणा : उसको तो छोड़ो।

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं छोड़ सकता उसको, उसका अध्यक्ष हूं मैं, छोड़ कैसे दूंगा (व्यवधान) अभी माननीय उज्वलाजी ने_

श्री परसादीलाल मीणा : उसमें सारा ही भ्रष्टाचार है (व्यवधान) सारे अवैध निर्माण हो रहे हैं। सारा भ्रष्टाचार है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप दिन भर भ्रष्टाचार ही करते रहते हो, यह कहां घुसा रहता है दिमाग में भ्रष्टाचार। और बातें सूझती भी नहीं हैं आपको। हां इधर गया सारा भ्रष्टाचार। हर बात में भ्रष्टाचार होता है क्या (व्यवधान)

श्री परसादीलाल मीणा : एक भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है आपसे आपके सारे इंस्पैक्टर भ्रष्ट हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांति बनाये रखें।

श्री परसादी लाल मीणा : मकान बनाने से पहले मकान मालिक से पैसा लेते हैं और उसके बाद वह बिना इजाजत मकान बना सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोलने दें माननीय मंत्रीजी को।

श्री परसादीलाल मीणा : कहां है, जेडीए में क्या है_ (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : ये वे लोग हैं, आप केवल उनकी चर्चा कर रहे हो। (व्यवधान)

श्रीमती उज्वला अरोड़ा : यह सरकारी समिति अभी नहीं बनी, आपके कार्यकाल में बनी है, यह अभी नहीं बनी। 1975 में हम जेल में थे तब बनी।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : सारा जयपुर रो रहा है उसको।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : आप छोड़ो, उसकी चर्चा नहीं करो तो अच्छा है। (व्यवधान) क्या जेडीए, जेडीए लगा रखा है।

श्री भंवरलाल शर्मा : क्यों, क्या हो गया, काहे की चर्चा मत करो। अध्यक्ष महोदय, जेडीए के सारे कार्यकलाप की चर्चा का अभी कोई लाभ नहीं है। माननीय कालीचरण जी ने सब ने कर दिया लेकिन उसकी जो अगली योजना है मैं उसके बारे में संक्षेप में निवेदन करूंगा। जयपुर शहर का विस्तार हो रहा है, जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है इसलिए ठीक समझा गया कि आसपास के इलाकों को सेटेलाइट टाउन्स के हिसाब से डवलप किया जाये ताकि यहां वजन कम पड़े _

श्री राजेन्द्र पारीक : बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

श्री भंवरलाल शर्मा : उसमें प्रथम चरण में छह कस्बों को लिया है, उसमें अचरोल, जमवा रामगढ़, शिवदासपुरा, बस्सी, बगरू और छठा नम्बर हैं चौमूं। (व्यवधान) इन छह स्थानों पर (व्यवधान) यहां विकास करेंगे_ और इसमें वर्तमान में जुड़े हुए रास्तों का विकास, आधारभूत सुविधाओं का विकास, आधारभूत सामाजिक सुविधाओं का विकास, नयी योजनाओं के लिए

श्री भंवरलाल शर्मा)

भूमि का विकास, ये इस प्रोग्राम में सम्मिलित है। तो इन छह स्थानों पर यह काम करेंगे और एक और कि जितने भी गांव इसके क्षेत्र में आते हैं उनके लिए प्राधिकरण ने अभी यह तय किया है कि 15 अगस्त को, जब 15 अगस्त आयेगी, 15 अगस्त को यहां कुछ योजनाएं ली हैं और 10 करोड़ रुपये इन गांवों में खर्च करने का प्रावधान रखा है। उसमें ग्रामीण क्षेत्र के समस्त राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में बैठने के लिए अगर टाट-पट्टी नहीं है तो चाहे जितने ही स्कूल होंगे उन सब बच्चों के लिए टाट-पट्टी की व्यवस्था करेंगे।

श्री अमराराम (धोद) : अभी तक टाट पट्टी ही नहीं है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, टाट पट्टी देंगे न, और जहां प्रत्येक प्राइमरी स्कूल–

श्री रतनलाल ताम्बी : इससे संबंधित एक सुझाव है। जो नगरपालिका ग्रामीण क्षेत्र की है उनके प्राइमरी विद्यालयों के लिए भवन की जमीन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, कृपा करके उन सब के लिए भवन की व्यवस्था भी साथ करायें, जमीन उपलब्ध कराये।

श्री भंवरलाल शर्मा : उनमें नहीं कह रहा हूं। यह जे.डी.ए. क्षेत्र की बात मैं निवेदन कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, सरकार के जलदाय विभाग की यह योजना है कि जितने भी सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं उनके पास एक हैण्ड पम्प लगेगा। प्रत्येक प्राइमरी स्कूल के सामने एक हैण्ड पम्प लग जायेगा।

एक माननीय सदस्य : केवल जे.डी.ए. क्षेत्र में ?

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं-नहीं, सारे राजस्थान में। सारे राजस्थान की बात करता हूं।

श्री रामस्वरूप मीणा : खाली जे.डी.ए. में ही लगेगा या और भी जगह लगेगा ?

श्री भंवरलाल शर्मा : सारे राजस्थान में।

श्री रामपाल उपाध्याय : यह अच्छा है लेकिन भवनों पर भी विचार करें, ऐसा कह रहे हैं।

श्री रामस्वरूप मीणा : तब तो ठीक है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : यह जो मैंने निवेदन किया, आप पूछ रहे थे कि जो छह कस्बे हैं, छह स्थान हैं उनमें कितना बजट है, तो उसके लिए 1575 लाख अर्थात् 15 करोड़ 75 लाख का बजट है। अब जहां हैण्ड पम्प लगेगा, वहां प्राइमरी स्कूल के बच्चे जाते हैं–

श्री रामस्वरूप मीणा : कब तक लगेगा हैण्ड पम्प ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अभी आप घर जाओगे तब तक लगा देंगे। क्या बात करते हो ? आप जब जाओ तब अपना ले जाना। बात सुनिये आप। अध्यक्ष महोदय, हैण्ड पम्प का अनुभव क्या है ? हैण्ड पम्प का अनुभव यह है कि यदि हैण्ड पम्प मिल भी जाये तो अकेला व्यक्ति तो हैण्ड पम्प से पानी पी नहीं सकता। जब एक से अधिक होंगे तब उसका उपयोग कर सकते हैं और जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए तो और भी कठिन है। इसलिए हमने यह व्यवस्था की है कि वहां एक बाल्टी और एक लोटा हर स्कूल को दे

Page No 254

(254)

(श्री भंवरलाल शर्मा)

देंगे ताकि पीने के लिए उनको सुविधा हो जाय। यह आपको आइटम छोटा लगता होगा लेकिन यह सोच है। आपको ठीक नहीं लग रहा होगा लेकिन जो बच्चों की तकलीफ है वह आपके ध्यान में नहीं आ सकती। छोटे बच्चे हैं, हैण्ड पम्प से पानी कैसे पियेंगे, जरा मुझे बताइये । अच्छा, वहां और क्या व्यवस्था करें ?

श्री राजेन्द्र पारीक : नागौरी लोटा रखेंगे या कौन सा ?

श्री रामस्वरूप मीणा : लोटे की जगह रामझारा रख दो।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, रामझारा कर देंगे। चलो, रामझारा कर देंगे। हां, ठीक रहेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक : गंगासागर उससे भी बेहतर रहेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, गंगासागर कहिये।

श्री बनवारीलाल बैरवा : यह एन्श्योर और कर लें कि सब बच्चे उसका उपयोग कर पावें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब हैण्ड पम्प का भी उपयोग कोई कम करेंगे क्या ?

श्री बनवारीलाल बैरवा : उस बाल्टी, लोटे का सब उपयोग कर पावें, यह एन्श्योर कर लीजियेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसीलिए दो चीज दे रहे हैं, बाल्टी और गंगासागर। अब क्या दिक्कत है इसमें। दो हैं अलग अलग। जो आप शंका प्रकट कर रहे हैं न। (व्यवधान) कह रहे हैं न, वह हैण्डपम्प में कौन रोकता है? (व्यवधान) नहीं, मैं समझ गया, मैंने उत्तर भी दे दिया, इसलिए हैण्ड पम्प में दो चीज रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह बड़े-बुजुर्गों में ही होता है ऐसा भेदभाव, बच्चों में नहीं।

श्री भंवरलाल शर्मा : छोटे बच्चों के लिए खेल कूद का सामान गांवों में जुटा नहीं पाते।

श्री राजेन्द्र पारीक : एक सांकल और ताला भी साथ में, कहीं मास्टरजी घर न ले जावें उसको।

श्री अध्यक्ष : बिराजें। कृपया पूरा करने दें। (व्यवधान) माननीय, पूरा करने दें। बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : बच्चों के लिए खेल-कूद की भी आवश्यकता रहती है। खेल-कूद के मैदान तो गांवों में मिल जाते हैं लेकिन खेल उपकरण नहीं मिलते हैं। इसलिए विकास प्राधिकरण ने यह तय किया है कि फुटबाल, वालीबाल या रिंग बाल, इन में से दो कोई भी खेल पसन्द कर लें, उसका सामान नगर विकास प्राधिकरण उसको दे देगा। (व्यवधान) हां, बच्चों के लिए।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : यह राजस्थान के लिए है या केवल जयपुर के लिए ? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : विकास प्राधिकरण में जहां भी है, जयपुर के लिए नहीं है, विकास प्राधिकरण के लिए, जेडीए. के पूरे क्षेत्र में है यह।

श्री हरिसिंह (महुआ) : जिसके आप अध्यक्ष हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य) : पूरे राजस्थान के लिए लागू

करो इसको। आप घोषणा करने ही लग गये, पूरे राजस्थान की करो।

श्री भंवरलाल शर्मा : ग्रामीण क्षेत्र में जहां रात्रि को कक्षाएं चलती हैं चाहे वह प्रौढ़ शिक्षा हो, अनौपचारिक शिक्षा हो, जो भी शिक्षा हो, जो वहां कई बार बिजली नहीं होती, तो जहां बिजली की व्यवस्था नहीं है वहां पर पैट्रोमेक्स हो, जिसके प्रकाश में वे पढ़ सकें, उसकी व्यवस्था कर देंगे।

श्री अमराराम (धोद) : यह सब तो कागजों में है।

श्री भंवरलाल शर्मा : ग्रामीण क्षेत्र में जहां हैण्ड-पम्प लगे हुए हैं, तो अनुभव यह आया होगा...

श्री राजेन्द्र पारीक : यह सीधा सा आपका इलीगेशन माननीय ऊर्जा मंत्रीजी पर कर दिया आपने तो कि बिजली है ही नहीं, और यह पूरे राजस्थान को विद्युतीकृत करने की घोषणा कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : जब विद्युतीकृत हो जायेगा तब वापस ले लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जहां हैण्ड पम्प लगे हुए होते हैं तो हैण्ड पम्प में जो पानी जाता है और बाहर आता है, उसकी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यह तय किया गया है कि वहां छोटी सी एक पावण्डी बना देंगे, जिसको खेली कहते हैं...

कई माननीय सदस्य : खेल।

श्री रतनलाल ताम्बी : स्वर्ग में जाओगे, बहुत अच्छा काम है।

श्री भंवरलाल शर्मा : उस खेल में से पानी जाकर बाहर निकल कर दूसरी खेली में आयेगा, तो ऐसा वह काम करेगा कि वहां पशु भी पानी पी सकेगा और जो फैलने वाली गंदगी है वह भी मिट जायेगी। तो पशु का भी ध्यान रखा है। और जहां ऐसा है कि हैण्ड पम्प कहीं दूर है और ग्राम की आवश्यकता पशुओं के लिए कहीं और है तो वहां का जो सरपंच कहेगा उस स्थान पर जानवरों के पीने के पानी के लिए अलग से खेल और बना देंगे, जहां वह पंच कहेगा, वहां कर देंगे।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह भी जे.डी.ए. में ही है या पूरे राजस्थान में ?

श्री परसादीलाल मीणा : यह भी जे.डी.ए. में ही है ?

श्री भंवरलाल शर्मा : यह जे.डी.ए. के क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री रतनलाल ताम्बी : अध्यक्ष महोदय, यह तो राजस्थान के स्तर पर सोचने की है।

श्री ओमप्रकाश शर्मा : आप राजस्थान के मंत्री हो, सारे गांवो को भी इस में लिया जाय।

श्री रतनलाल ताम्बी : राजस्थान की बात कहिये साहब, जे.डी.ए. की क्या बात है।

श्री अध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा : ग्रामीण क्षेत्र में जो प्राथमिक शालाएं हैं, इस एरिये में आने वाली जो प्राथमिक शालाएं हैं, यदि उनकी हालत ऐसी है कि कभी भी गिर सकती हैं और बच्चे दब सकते हैं उनकी मरम्मत का काम भी विकास प्राधिकरण करेगा ताकि छोटे-छोटे बच्चे पढ़ सकें। यह जे.डी.ए. का काम बताया है।

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अब बहुत सारे काम है, अब कितना बतायेंगे, इतना बता दिया मैंने, बहुत है।

श्री रतनलाल ताम्बी : यह चार आदमी ताली पीटे, हम सब क्यों पीटें।

श्री भंवरलाल शर्मा : अब इसमें भी आप कंजूसी करो तो कोई आपका क्या करे।

जहां तक आवासन मण्डल का सवाल है, उसके लिए मैं निवेदन करना चाहूंगा। आवासन मण्डल का संक्षेप में वर्णन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : उसमें रहने वाले जो लोग हैं उनका बीमा करवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह ठीक है। मुझे यह तय करना पड़ेगा कि वह मकान कब बने थे जिनके इन्स्योरेंस की जरूरत है। यह अब नयों को जरूरत नहीं है। पहले मेरे को ढूंढना पड़ेगा कि कब बने हैं, उनमें कौन रखता है, यह लम्बा काम हो जायेगा। तो इसलिए वह सम्भव नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : एक हास्पिटल खुलवा दें, साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, आवासन मण्डल के मकान बनाते समय यह अनुभव कर रहे हैं कि काफी लम्बा समय लग जाता है।

श्री राजेन्द्र पारीक : जनता कालोनी वाला हास्पिटल चौमूं की तरफ भिजवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : कृपया बोलने दें।

श्री भंवरलाल शर्मा : इसलिए कुछ व्यवस्थाएं यह की हैं कि जिससे आबंटी को जल्दी मकान मिले। सामान्यतया पहले यह व्यवस्था थी कि जब मकान बन कर तैयार होता था तब उसकी लाटरी निकाली जाती थी मकान तैयार होने में पहले 10-15- 20 साल लग जाते थे, अब जिस व्यक्ति ने आज आपको एप्लीकेशन दी है उसको 20 साल बाद आप यह कहें कि आपके मकान का नम्बर नहीं आया तो वो जिस उम्र में मकान बना सकता था वो तो उसकी निकल जाती है। इसलिए हमने यह तय किया है कि जैसे ही यह जमीन हमको मिलेगी जमीन मिलने के बाद जैसे ही एप्लीकेशन आयेगी उसके दो महीने के अन्दर-अन्दर हम यह तय कर देंगे कि आपको जमीन मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम पहले ही लाटरी निकाल देंगे ताकि अगर उसको मिलती है तो बहुत अच्छी बात है नहीं मिले तो अपनी अलग व्यवस्था करे। फिर तीन प्रकार के मकान हैं। आज व्यवस्था यह है कि हम मकान पूरा बनाते हैं। कई व्यक्ति यह कहते हैं कि साहब आप मकान बना दीजिये हम धीरे-धीरे किस्त के पैसे दे देंगे तो हम उसको मंजूर कर लेते हैं। फिर कई लोग कहते हैं कि आप तो स्केल्टन बना दीजिये, थोड़ा ढांचा बना दीजिये हम अपने-आप डवलप करेंगे तो यह भी एक व्यवस्था है और उसमें उसका नाम है देखरेख योजना। हम थोड़ा मकान बनाकर के स्केल्टन बना देते हैं फिर वह व्यक्ति स्वयं देखरेख करता रहता है कि यह मकान पूरा बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर खराब बन रहा है तो उसकी चिन्ता करता है और यह भी अनुमति उसको है कि हमारी जो कोस्टिंग है उसमें यदि सीमेन्ट की फर्श है और अगर वह चाहे कि, नहीं, मेरा मकान है तो सीमेन्ट नहीं मेरे को तो मार्बल लगाने दीजिये तो सीमेन्ट का पैसा माइनस करके मार्बल लगा सकता है, इस तरह सीमेन्ट हमारे जिम्मे का, मार्बल उसके जिम्मे का। अतः मकान को जिस प्रकार वह बनाना

(श्री भंवरलाल शर्मा)

चाहे उसको अच्छी तरह से बना सकता है। एक और विचार हम कर रहे हैं, दो व्यवस्था तो यह हो गयी तीसरी व्यवस्था यह हो सकती है कि, मैं अपने अध्यक्ष जी से बात कर रहा हूं, हम केवल नींव बना कर दे दें। हम नींव डालकर नींव भर कर छोड़ दें और वो चाहे...

श्री राजेन्द्र पारीक : बिना नींव के ही देवें आप तो। खुली लैण्ड देवें आप तो।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह भी एक सुझाव है इस पर गम्भीरता से विचार कर लीजिये कि जमीन जिसको दे देंगे खाली आप केवल...(व्यवधान)...बात सुनो भई...आपकी नींव तो हम ही ने लगायी है।...

श्री रामस्वरूप मीणा : (व्यवधान) पैसा नहीं दिया आपने आज तक इतनी बार कह दिया है...(व्यवधान) अब आप कहते हो कि घर मिल लो, घर क्या मिलेंगे।...(व्यवधान)...

श्री भंवरलाल शर्मा : यह विचार अभी अन्तिम नहीं है और मैंने इसलिए आपके सा.ने रखा है। दोनों ही बात हो सकती हैं कि जमीन बेचने की बात आप करें खाली बेच दो, सुझाव यह है कि अगर खाली जमीन बेचेंगे तो उसका मकान बने नहीं जरूरी नहीं है वो वही फिर उसमें हो जायेगा और दूसरा हाउसिंग बोर्ड का जो परपज है हाउस में अगर यह करेगा तो फिर हाउसिंग बोर्ड का मतलब ही नहीं है तो जमीन बेचने का काम तो और संस्थाएं करती हैं। जमीन भी अगर बेचेंगे तो पूरी योजना में से 20 प्रतिशत या 10 प्रतिशत के लिए केवल यह व्यवस्था की जायेगी। मान लो सौ प्लाट्स हैं तो हम अधिक से अधिक 10 लोगों को यह कहेंगे कि लाटरी से आप चाहो तो प्लाट खरीद सकते हो। अभी निर्णय अन्तिम नहीं है। विचार करके यह चाहते हैं कि अब जमीन दें या केवल नींव ही हम बना दें ताकि वह कहीं उस जमीन का दुरुपयोग न कर सके और मकान बना कर वह रह सके।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्री महोदय, एम.एल.एज. को तो प्लाट दिलवाइये आप।

श्री भंवरलाल शर्मा : आपने अभी एप्लाई किया होगा।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मैंने सन् 1980-81 का एप्लाई किया हुआ है। मुझे मकान नहीं मिला।

श्री भंवरलाल शर्मा : तो आप मुझसे मिलें।

श्री हरिसिंह (महुआ) : मुझे मकान ही नहीं मिला जब आपसे क्या मिलूं ?

श्री रतनलाल ताम्बी : मंत्री महोदय, एम.एल.ए. को जो पहले मकान दिये गये थे उसका अकाउण्ट्स हिसाब-किताब वो आज तक हमारे पास आता नहीं है, ... बहुत गड़बड़ है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा : यह ठीक कहा अपने हाउसिंग बोर्ड में अकाउण्ट्स की बड़ी कमी थी। सब जानते हैं कि इसको हमारे जो नये अध्यक्ष आये हैं इनके प्रयासों से मैं पूरे हाउसिंग बोर्ड के कर्मचारियों और इनको धन्यवाद देता हूं।

श्री रतनलाल ताम्बी : सत्यनारायण जी गुप्ता हैं, वो अकाउण्ट्स के आदमी होंगे।

श्री भंवरलाल शर्मा : हां, सत्यनारायण जी गुप्ता। इन्होंने 31 मार्च, 1996 तक यह अकाउण्ट्स पूरे कर दिये और मैं समझता हूं कि जल्दी ही कर देंगे। इसलिए बधाई के पात्र

258

(श्री भंवरलाल शर्मा)

है और आपकी जो चिन्ता है वह भी दूर हो जानी चाहिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपने अध्यक्ष जी का कई वार नाम लिया है।

श्री भवंरलाल शर्मा : हां, तो क्या हो गया ? क्या दिक्कत है ? तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, अव मैं सदन का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं।

श्री पूनमचंद विश्नोई : अध्यक्ष जी, मैंने मंत्री महोदय से एक इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया था–

श्री भंवरलाल शर्मा : नहीं, पूरा मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं।

श्री पूनमचंद विश्नोई : कि टाउन प्लानिंग की हमारी जो समाज व्यवस्था है उसकी अवहेलना करके जो पश्चिम का इंडिविजुएलिस्ट सिस्टम है उस हिसाब से कर रहे हैं इस पर थोड़ा अगर आप–

श्री भंवरलाल शर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पूनमचंद जी ने जो बात कही है यह बहुत ही उपयोगी है और जो हमारे अधिकारी हैं इनको इस पर विचार करना चाहिये और यही अपने लिए उपयोगी है। पहले आप देखते होंगे कि जयपुर में भी रो-हाउसिंग ही था, एक कतार में मकान होते थे। तो आपका सुझाव बहुत ही उत्तम है, मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। हम इस पर विचार करेंगे कि कैसे इसको हम कर सकते हैं, इसका ध्यान रखेंगे। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रतनलाल ताम्बी : छोटी नगरपालिकाओं में टाउन प्लानिंग की बात भी तो कहिये, साहब। टाउन प्लानिंग का सवाल है उसको भी तो आप कहिये।

मांग संख्या 29 का पारण

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29 नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास सम्बन्ध में 31 मार्च, 1997 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 60,78,33,000 (साठ करोड़ अठहत्तर लाख तैंतीस हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गयी।

व्यवस्था

पूर्व विधान सभा अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्था पर श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर व्यवस्था

मैं, माननीय नरेन्द्र सिंह जी भाटी ने माननीय भाभड़ा साहब के खिलाफ एक विशेषाधिकार.

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। नहीं-नहीं, रूल के मुताबिक अर्ज कर रहा हूं। एक सैकण्ड, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष : हां, फरमायें आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप बिराजेंगे तो अर्ज करूंगा। अध्यक्ष महोदय, आप व्यवस्था देने के पहले मुझे सिर्फ यह बता दें कि इसकी आपने मुझे अनुमति दे दी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : क्या ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मूव करने की।

श्री अध्यक्ष : किसकी ?

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : नहीं दी न ? इसकी।

श्री अध्यक्ष : आप पहले व्यवस्था तो सुनें।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : मैंने जो प्रिविलेज डाला था, जिसकी व्यवस्था के बारे में आज आपने सूचना दिलवायी है उसकी आपने मुझे परमिशन दी नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मैं एग्जामिन कर रहा हूं अभी पहले दिया जो आपने 12-3-96 को माननीय पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ, उन्होंने 9-4-94 को जो इस सदन में व्यवस्था दी उसके बारे में आपने पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ मानहानि पूर्वक या सदन की अवमानना का 157 में एक आरोप लगाया है। उसका मैं अभी आपको सुना रहा हूं। बिराजिये।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसीलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षण करना...

श्री अध्यक्ष : इसमें there is no point of order. आप पहले सुनें, बिराजिये आप।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, 256 में आप यह व्यवस्था नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष : विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 157 के अन्तर्गत माननीय श्री हरिशंकर जी भाभड़ा के समक्ष 9-4-94 के सम्बन्ध में जब श्री भाभड़ा विधान सभा के अध्यक्ष थे, के गलत बयानों से इस सदन की मर्यादा एवं विशेषाधिकारों का हनन हुआ है...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की सूचना।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, आप यह नोटिस 256 के तहत नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष : श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 157 के अन्तर्गत...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपने मुझे मूव करने की इजाजत नहीं दी। अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन में दिनांक 9 अप्रेल, 1994 को कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत एक विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पर जो विनिर्णय सुनाया था उसमें उल्लिखित तथ्यों को उद्धृत करते हुए गलतबयानी बताते हुए सदन की मर्यादा एवं विशेषाधिकार का हनन होना मानते हुए...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : "On the prorogation of the House all pending notices other than notices of intention for leave to introduce a bill shall lapse..."

श्री अध्यक्ष : दिनांक 12 मार्च, 1996 को एक विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की सूचना दी है। सर्वप्रथम विचारणीय प्रश्न यह है कि आया यह मामला प्रक्रिया के नियमों के नियम तहत 157 की परिधि में आता है अथवा नहीं? प्रक्रिया के नियमों के उक्त नियम में यह प्रावधान है कि कोई भी सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगा...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आप किस पर दे रहे हैं रूलिंग ?

श्री अध्यक्ष : जिसमें किसी सदस्य के या सदन के या उसकी किसी समिति के एक विशेषाधिकार का भंग अन्तर्ग्रस्त हो वही नियम 159 में यह उल्लेख है कि...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि राजस्थान की हिस्ट्री में ऐसा कोई निर्णय नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न हाल ही में घटित किसी विशिष्ट विषय तक सीमित रहेगा, विषय में सदन का हस्तक्षेप अपेक्षित है। सर्वश्री कौल एवं शकधर द्वारा विरचित पुस्तक "संसदीय प्रणाली और व्यवहार" हिन्दी संस्करण 1972, के पृष्ठ 266 पर उल्लेख है कि विशेषाधिकार का प्रश्न सदस्य द्वारा सबसे पहले...

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : कमाल है। इसको पढ़ रहा हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : उपलब्ध अवसर पर उठाया जाना चाहिये और वह ऐसा विषय होना चाहिये जिसमें सभा के हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, अर्थात् –

(1) विशेषाधिकार भंग का कोई प्रत्यक्ष मामला है, और...

(विपक्षी माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वेल में आकर जोर-जोर से बोलने के कारण व्यवधान के बीच में माननीय अध्यक्ष द्वारा विनिर्णय पढ़ा गया)

(2) यह विषय सबसे पहले उपलब्ध अवसर पर उठाया गया हो। यदि विशेषाधिकार के प्रश्न के रूप में उठाये जाने वाला विष[य] किसी समय विशेष पर अविलम्बनीय मह[त्व] का हो तो उसकी पूर्व सूचना देने में एक दि[न] की देरी भी घातक सिद्ध हो सकती है।

ज्ञातव्य है कि दिनांक 9 अप्रेल, 199[.] को तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये ग[ये] विनिर्णिय से सम्बन्धित यह विशेषाधिकार प्र[श्न] की सूचना लगभग दो वर्ष बाद प्रस्तुत की ग[ई] है और इस प्रकार विशेषाधिकार का यह प्रश्[न] न तो हाल ही में घटित विशिष्ट विषय त[क] सीमित है और न ही सबसे पहले उपलब्[ध] अवसर पर उठाया गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : अध्यक्ष महोद[य] कमाल कर रहे हैं आप। 256 में आप य[ह] रूलिंग दे ही नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यहां ब्रिटिश हाउस आ[फ] कामन्स में विद्यमान व्यवस्था की ओर ध्या[न] आकृष्ट करना समीचीन प्रतीत होता है। ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स में विशेषाधिकार भंग की शिकायत सामान्यतया बिना सूचना के सभा के सामने लायी जाती है लेकिन अध्यक्ष इसे सभा में उठाने की अनुमति तभी देता है तथा सरकारी कार्यक्रम की अपेक्षा इसे पूर्ववर्तिता तभी प्रदान करता है, माननीय सदस्य बैठ जायें आप, जब उसे विश्वास हो जाय कि (व्यवधान) विशेषाधिकार भंग का कोई प्रत्यक्ष मामला है और यह विषय सबसे पहले उपलब्ध अवसर पर उठाया गया है। (संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार पुस्तक हिन्दी संस्करण पाद टिप्पण)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अध्यक्ष महोदय,

(श्री शांतिकुमार धारीवाल)

सुनो तो सही। +++ अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री भाटी द्वारा विशेषाधिकार का उठाया गया। यह प्रश्न उपरोक्त किसी भी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता। यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि माननीय अध्यक्ष के विनिर्णय के सम्बन्ध में सदन के किसी सम्मानीय सदस्य द्वारा माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रश्न भी उठाया जा सकता है। (व्यवधान) सम्भवतः यह अपनी किस्म का प्रथम और एक अनूठा उदाहरण सामने आया है जो नियमों के प्रावधानों के प्रतिकूल तो स्पष्टतः परिलक्षित हो ही रहा है, पवित्र सदन और आसन की गरिमा के अनुकूल भी नहीं है। (व्यवधान)

इस प्रसंग में सर्वश्री कौल एवं शकधर द्वारा विरचित पुस्तक "संसदीय प्रणाली एवं व्यवहार" (हिन्दी संस्करण) में संसद के कार्यकर्ता अध्याय में "अध्यक्ष की शक्तियां और कृत्य" शीर्षक से किये गये निम्न उल्लेख की ओर ध्यान आकृष्ट करना उचित प्रतीत होता है, जो निम्न प्रकार है : —

"सभा अपनी बैठक तब प्रारम्भ करती है जब अध्यक्ष या संविधान या नियमों के अन्तर्गत बैठक की अध्यक्षता करने के लिए सक्षम कोई अन्य सदस्य अध्यक्ष के आसन पर बैठा हो। लोकसभा की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी के रूप में अध्यक्ष की स्थिति बहुत अधिक अधिकार और निष्पक्षता की है।"

(अनेक विपक्षी सदस्य गैलेरी और कूप में आकर बोलते रहे)

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : इसको पढ़िये तो सही आप।

श्री अध्यक्ष : मैं सब पढ़ूंगा। (व्यवधान)

सभा के सभी सदस्य उसकी बात बड़े ध्यान से सुनते हैं और उनका बहुत सम्मान करते हैं, जब भी अध्यक्ष बोलने के लिए खड़ा होता है उसे सभी खामोशी से सुनते हैं और यदि कोई सदस्य बोल रहा हो या बोलने लगा हो तो उसे बैठ जाना पड़ता है। जब अध्यक्ष बोल रहा हो तो सबसे यह आशा की जाती है कि वे उस समय उठकर नहीं जायेंगे। उसके निर्णय पर सिवाय मूल प्रस्ताव के आपत्ति नहीं की जा सकती। वे निर्णय नजीरें हैं जो भविष्य में मार्गदर्शन के लिए एकत्र कर ली जाती हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : +++(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसी अध्याय के पृष्ठ 110 पर "अध्यक्ष के विनिर्णय" शीर्षक से निम्न उल्लेख है : —

"जहां तक सभा में या उससे सम्बन्धित मामलों का प्रश्न है उनके बारे में संविधान तथा नियमों का निर्वचन करने का अधिकार अध्यक्ष का है और कोई भी, सरकार भी ऐसे किसी निर्वचन या व्याख्या के सम्बन्ध में अध्यक्ष के साथ बहस या वाद-विवाद में नहीं पड़ सकता। उसके विनिर्णय नजीरें हैं जिनसे आगे आने वाले अध्यक्षों, सदस्यों तथा अधिकारियों का पथप्रदर्शन होता है।"(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी ।

Page No 262

(262)

श्री रामस्वरूप मीणा : विश्नोई जी आपसे पहले इस कुर्सी पर बैठे हैं, उनको सुनिये आप। (व्यवधान) उनको जानकारी है सारी। आप उनको सुनने के बाद अपना निर्णय दें। आप उनको अवश्य सुनें, वे बुजुर्ग हैं। वे कोई अपनी बात कहना चाहते हैं। आप सुन नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

(अनेक सदस्य निरन्तर गैलेरी आदि स्थानों पर खड़े होकर बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष : ऐसी नजीरों का संग्रह कर लिया जाता है और समय अपने पर यही, या तो प्रक्रिया नियमों में परिवर्तित हो जाती हैं और या परिपाटियों के रूप में इनका अनुसरण किया जाता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अध्यक्ष के विनिर्णयों को केवल प्रस्ताव रखकर ही चुनौती दी जा सकती है, वैसे उन पर आपत्ति नहीं उठायी जा सकती। जो सदस्य अध्यक्ष के विनिर्णय पर विरोध प्रकट करता है वह सभा और अध्यक्ष के अवमान का दोषी होता है। अध्यक्ष अपना निर्णय सभा में बताये या कि विभाग की फाइलों पर दे वह बाध्यकारी होता है। वह अपने निर्णय के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होता। सदस्य सभा में या उसके बाद, अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णय, व्यक्त कये गये विचार या दिये गये वक्तव्य की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आलोचना नहीं कर सकते। (व्यवधान) यदि कोई सदस्य अध्यक्ष के किसी विनिर्णय के सम्बन्ध में सभा में कोई निवेदन करना चाहे तो अध्यक्ष इस बात का समाधान करके कि इससे सभा की कार्यवाही में अनुचित रूप से बाधा नहीं पड़ेगी, उसे अपनी बात कहने की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार अपनी बात कहने वाला सदस्य निर्णय की आलोचना नहीं कर सकता लेकिन किसी बात पर स्पष्टीकरण मांग सकता है और अध्यक्ष से यह कह सकता है कि उस द्वारा दिये गये तथ्यों के प्रकाश में उस विनिर्णय पर विचार किया जाय।" (व्यवधान)

ऊपर अंकित उद्धरण से स्पष्ट होता है कि माननीय अध्यक्ष के विनिर्णय को मूल प्रस्ताव रखकर ही चुनौती दी जा सकती है, उस पर आपत्ति नहीं उठायी जा सकती। (व्यवधान)

यहां मैं इस वस्तुस्थिति के समर्थन में लोक सभा के प्रथम माननीय अध्यक्ष श्री-मावलंकर, जो लोकसभा के जनक हैं, द्वारा दिनांक 18 जून, 1952 को आसन से दिये गये विनिर्णय के सम्बन्ध में विरोध प्रकट करने पर उनके द्वारा व्यक्त किये गये निम्न उद्गार सदन के समक्ष रखना चाहूंगा, जो निम्न प्रकार है : —

"He should know that no Hon'ble Member has a right to protest against the ruling of the speaker. (व्यवधान) A Member's first and only duty is to submit to it and if he is dis-satisfied he has other remedies under the rules. He can move a motion for the removal of the Speaker or some such things, but that is a different matters." (व्यवधान)

"Members have no right to protest against my ruling...If any

श्री अध्यक्ष)

member says so, then it is a protest, and it means that gentleman wants me to go against my ruling or change my ruling merely because he refuses to accept my ruling."

(निरन्तर व्यवधान)

(अनेक माननीय सदस्य गैलेरी में आकर निरन्तर बोलते रहे)

इसी प्रकार अध्यक्ष पद के महत्व के संबंध सम्मानीय मावलंकर साहब द्वारा व्यक्त किये गये निम्न उद्‌गार भी अवलोकनीय है :—

Mavalankar explained the significance of the office of the Speaker thus : (व्यवधान)

"In parliamentary democracy, the office of the Speaker is held in very high esteem and respect. There are many reasons for this. Some of them are purely historical and some are inherent in the concept of parliamentary democracy and the powers and duties of the Speaker. Once a person is elected Speaker, he is expected to be above parties, above politics. In other words, he belongs to all the Members or belongs to none. He holds the scales of justice evenly, irrespective of party or person, though no one expects that..."

श्री पूनमचन्द बिश्नोई : अध्यक्ष जी हमारा पाइंट आफ आर्डर सुना नहीं इसलिए हम बहिष्कार करके बहिर्गमन कर रहे हैं।

(विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन किया गया)

श्री अध्यक्ष :"...he will do absolute justice in all matters; because as a human being he has his human drawbacks and shortcomings However, everybody knows that he will intentionally do no injustce or show partiality. Such a person is naturally held in respect by all.

In addition, his position is peculiar. In a sense, it is a natural one, his authority is supreme in the House and there could be no challenge to his decisions and orders. In the whole set-up of parliamentary democracy, the Speaker is the only autocrat, meaning thereby that his exercise of authority requires no previous consultation or concurrence of anybody and the authority is unchallengeable..."

अग्रेतर "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" पुस्तिका हिन्दी संस्करण के पृष्ठ 110 के पाद टिप्पण (foot note) में किया गया निम्न

(श्री अध्यक्ष)

उल्लेख भी विशेष रूप से अवलोकनीय है: –

"13 मार्च, 1951 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कामन्स में, मि. सिलवरमैन द्वारा उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर अपना निर्णय देते हुए अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्यक्षत: विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि वे अपनी इस राय का कारण बतायेंगे तो उन्होंने कहा "अध्यक्ष अपने निर्णयों के कारण नहीं बताया करता।"

मैं सदन का ध्यान मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 1957 को दिये गये विनिर्णय की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें कहा गया है कि : —

"विशेषाधिकार प्रश्न पर जब तक अध्यक्ष द्वारा विचार न किया जाय सदन में लिये जाने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।"

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में सारसंक्षेप यही है कि : —

(1) यह विषय प्रक्रिया नियमों के नियम 157-159 में विशेषाधिकार प्रश्न उठाने के लिये किये गये प्रावधान की सीमा में नहीं आता,

(2) "संसदीय प्रणाली तथा व्यवहार" पुस्तक से ऊपर किये गये उल्लेख तथा लोकसभा के जनक माननीय अध्यक्ष श्री मावलंकर द्वारा दिये गये विनिर्णय और प्रकट किये गये विचारों एवं अन्य दी गई नजीरों की दृष्टि में इस सूचना का विषय प्रत्यक्ष रूप से माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये विनिर्णय पर आपत्ति प्रकट करता है, जिसका माननीय सदस्य को अधिकार नहीं और जिस संबंध में एक मूल प्रस्ताव द्वारा यथा समय मामला उठाया जा सकता था और यह कि –

(3) माननीय सदस्य द्वारा माननीय अध्य के विनिर्णय के संबंध में नियम 157 अन्तर्गत विशेषाधिकार प्रश्न उठाया जाना इ पवित्र सदन और आसन की गरिमा पर आघ करता है - सदन यदि चाहे तो विलोमत: उन इस आचरण के मामले में उन पर प्रक्रि नियमों के अन्तर्गत अवमान विषयक कार्यवा पर विचार कर सकता है ; तथा

(4) प्रक्रिया नियमों के विभिन्न प्रावधा के अन्तर्गत अनेक बार इस विषयवस्तु क उठाया गया है जिस सम्बन्ध में चेयर की ओ से विनिर्णय दिये गये हैं, एतदर्थ पुनरावृत्ति हो के कारण न केवल प्रक्रिया नियमों का औ सदन के प्रांगण का दुरुपयोग है बल्कि संसदी दायित्वों और अधिकारों की प्रोपराइटी पर भ प्रश्न चिन्ह लगाता है।

अत: प्रक्रिया नियमों के नियम 157 माननीय सदस्यों को उपलब्ध अधिकार का इस स्पष्ट दुरुपयोग मानते हुए और उपरोक्त संसदीय व्यवस्थाओं तथा नजीरों की दृष्टि में मैं, इस विशेषाधिकार प्रश्न को अग्राहय करता हूं।

सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 1996 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदुनन्तर सदन की कार्यवाही 21.42 बजे बुधवार, दिनांक 10 जुलाई, 1996 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

तारांकित प्रश्न संख्या 220 की सूची

विधानसभा क्षेत्र बामनवास में मण्डी समिति, गंगापुर के अन्तर्गत वर्ष 94-95 एवं 95-96 में स्वीकृत सड़कों की सूची

(राशि लाख रुपयों में)

क्र. सं.	नाम सम्पर्क सड़क	लम्बाई कि. मी.	स्वीकृति दिनांक	प्रशासनिक स्वीकृति	वित्तीय स्वीकृति 94-95	वित्तीय स्वीकृति 95-96	विशेष विवरण
1.	विशेष मरम्मत गाबड़ी, सखीपुरा बामनवास	11.2	36227-31/ 24.6.94	28.00	20.00	16.00	प्रशासनिक स्वीकृति निदेशालय स्तर से
2.	विशेष मरम्मत खेरली से बिछोच	2.00	36227-31/ 24..6.94	5.00	4.50	4.50	प्रशासनिक स्वीकृति निदेशालय स्तर से
3.	सम्पर्क सड़क सखीपुरा से बामनवास	5.00	57369-73/ 24.10.94	25.00	10.00	10.00	प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार से दिनांक 26.9.1994
4.	मिसिंग लैन्थ गंगापुरा भाड़ोती रोड से वेरखण्डी	1.00	50785-90/ 14.9.95	6.00	–	6.00	प्रशासनिक स्वीकृति राज्य सरकार से दिनांक 23.8.1995

265

परिशिष्ट - 2

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु गठित समितियों की बैठकें

223. श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या मुख्य (आयोजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने राज्य एवं जिला स्तर पर 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कमेटियां गठित कर रखी हैं ? यदि हां, तो क्या इन कमेटियों की बैठकें नियमित/मासिक हो रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) राज्य स्तर पर गठित समिति की कितनी बैठकें आयोजित हुईं, इनमें किन-किन लोगों ने भाग लिया तथा सरकार ने जिलों को किस प्रकार के दिशा-निर्देश दिये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1 व 2) राज्य स्तर पर बीस सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु कमेटी का पुनर्गठन 8.3.1995 को किया गया है। लोक सभा चुनावों की अधिघोषणा हो जाने के कारण इस समिति की बैठकें नहीं हो सकी थीं। समिति की प्रथम बैठक 25.6.1996 को आयोजित की गई है।

जिला स्तर पर द्विस्तरीय समितियों का गठन किया गया है। द्वितीय स्तरीय समिति की बैठकें नियमित रूप से जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही हैं। प्रथम स्तरीय समितियों की बैठकों का आयोजन प्रभारी मन्त्री द्वारा अपनी सुविधा के अनुरूप किया जा रहा है। जयपुर, दौसा एवं हनुमानगढ़ हेतु प्रथम स्तरीय समिति का गठन अभी विचाराधीन है। जिलों की समितियों की बैठकें नियमित रूप से बुलाने हेतु समस्त जिलों को सूचित किया गया है। राज्य स्तरीय समिति का गठन 8.3.96 द्वारा किया गया है। तत्पश्चात् लोक सभा चुनावों की अधिघोषणा जारी हो जाने के कारण समिति की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। समिति की प्रथम बैठक 25.6.96 को आयोजित की गई है। उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्न है। वर्ष 96-97 हेतु भारत सरकार से अभी तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। जिलों को निर्देश दिये गये हैं कि जब तक भारत सरकार से लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाते तब तक इस वर्ष के लक्ष्य गत वर्ष के लक्ष्यों के समान ही माने जायें।

20 सूत्री कार्यक्रम की राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.6.96 में उपस्थित सदस्यों की सूची

क्र.सं.	नाम	पद	
1.	श्री भैरोंसिंह शेखावत	मुख्य मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री जगदीश प्रसाद माथुर		उपाध्यक्ष
3.	श्री ललित किशोर चतुर्वेदी	सार्वजनिक निर्माण मंत्री	सदस्य
4.	श्री गंगाराम चौधरी	राजस्व मंत्री	सदस्य

8

क्र.सं.	नाम	पद	
5.	श्री कैलाश मेघवाल	गृह मंत्री	सदस्य
6.	श्री गुलाबचन्द कटारिया	शिक्षा मंत्री	"
7.	श्री नाथूसिंह गुर्जर	पंचायत राज राज्य मंत्री	"
8.	श्री राजेन्द्र राठौड़	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री	"
9.	श्री अनंग कुमार जैन	विशिष्ट योजनाएं राज्य मंत्री	"
10.	श्री ज्ञानसिंह चौधरी	कृषि राज्य मंत्री	"
11.	डा. रामप्रताप	खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री	"
12.	श्री अर्जुनसिंह देवड़ा	पशुपालन राज्य मंत्री	"
13.	श्री नन्दलाल मीणा	श्रम नियोजन राज्य मंत्री	"
14.	श्री अचलाराम मेघवाल	आयुर्वेद राज्य मंत्री	"
15.	श्री नसरू खां	उद्योग राज्य मंत्री	"
16.	श्री रामकिशोर मीणा	पूर्व मंत्री	"
17.	श्री हरीश कुमावत	पूर्व विधायक	"
18.	श्री दुर्गासिंह मन्डाना	जिला प्रमुख, धौलपुर	"
19.	श्री रामचरण बोहरा	जिला प्रमुख, जयपुर	"
20.	श्री पुखराज पहाड़िया	जिला प्रमुख, अजमेर	"
21.	श्री धीरालाल	प्रधान पं.स. भिनाय, अजमेर	"
22.	श्री रणजीत सिंह	प्रधान, पं. स. नवलगढ़, झुन्झुनूं	"
23.	श्रीमती जमना देवी बारूपाल	प्रधान, प.सं. बीकानेर	"
24.	श्रीमती सोनी देवी	प्रधान, पं. स. नीमकाथाना, सीकर	"
25.	श्रीमती सुमन श्रृंगी	महापौर, नगर निगम कोटा	"
26.	श्री एम.एल. मेहता	मुख्य सचिव	"
27.	श्री ओ.पी. बिहारी	प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	"
28.	श्री पी.एन. भण्डारी	अध्यक्ष राज. राज्य विद्युत मण्डल, जयपुर	"
29.	श्री आई.सी. श्रीवास्तव	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग	"
30.	श्री एन. के. बैरवा	विकास आयुक्त	"
31.	श्री एन.के.वर्मा	प्रमुख सचिव स्वायत्त शासन एवं नगरीय विकास	"
32.	श्री एन.एल.सिसोदिया	प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग	"

क्र.सं.	नाम	पद	सदस्य
33.	डा. आदर्श किशोर	वित्त सचिव	"
34.	श्रीमती चित्रा चौपड़ा	सचिव, समाज कल्याण एवं टी.ए.डी.	"
35.	श्री परमेश चन्द्र	सचिव, विशिष्ट योजनाएं	"
36.	श्री एम.के.खन्ना	सचिव, आयोजना	"
37.	श्रीमती अलका काला	सचिव , वन	"
38.	श्रीमती मीनाक्षी हूजा	सचिव, महिला एवं बाल विकास	"
39.	श्री एस. अहमद	संभागीय आयुक्त, उदयपुर	"
40.	श्री ए.के.गर्ग	संभागीय आयुक्त, कोटा	"
41.	श्री रामलुभाया	सचिव, परिवार कल्याण	"
42.	श्री एस.पी. गुप्ता	सचिव, ऊर्जा	"
43.	श्री राकेश श्रीवास्तव	निदेशक, पंचायत राज विभाग	"
44.	श्री भालूराम मीणा	विशिष्ट सचिव, जन स्वा. अभि. विभाग	"
45.	श्री केशरी सिंह	अति.संभागीय आयुक्त, जयपुर	"
46.	श्री भंवर सिंह	अति. संभागीय आयुक्त, अजमेर	"
47.	श्री ललित मेहरा	निदेशक, समाज कल्याण विभाग	"
48.	श्री आर.एस.भण्डारी	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	"
49.	श्री अजय सिंह	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग	"
50.	श्री एस. के.सक्सैना	मुख्य अभियन्ता, जन स्वा.अभि. विभाग	"

केन्द्रीय सहकारी बैंक के भूतपूर्व प्रबंध निदेशक की सेवा अवधि वृद्धि प्रकरण

224. **श्री भीमराज भाटी** (पाली) : – क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : –

(1) क्या केन्द्रीय सहकारी बैंक के किसी अधिकारी, कर्मचारी का सेवा काल बढ़ाने से पूर्व पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जयपुर से स्वीकृति लेना अनिवार्य है ? यदि हां, तो क्या पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक के भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक श्री रघुवीर सिंह भाटी का कार्यकाल बढ़ाने की स्वीकृति ली गयी थी ? यदि नहीं तो किन नियमों के तहत श्री भाटी सेवानिवृत्ति के बाद भी दिनांक 19 अगस्त, 1995 तक पद पर कार्यरत रहे ?

(2) क्या श्री भाटी भूतपूर्व प्रबन्ध निदेशक को 1 अगस्त, 1995 से 19 अगस्त, 1995 तक के वेतन का भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो इस अनियमित भुगतान के लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या सरकार इस अनियमित भुगतान की वसूली करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री भीमराज भाटी)

(3) क्या सहकारी बैंक में ऐसा कोई प्रावधान है कि किसी अधिकारी की सेवा निवृत्ति पर बैंक उसके विदाई समारोह पर धनराशि खर्च करे ? यदि नहीं, तो सहकारी बैंक पाली द्वारा प्रबन्ध निदेशक श्री भाटी की सेवानिवृत्ति पर कितना खर्च किया गया व इस खर्चे के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या इस गैर -कानूनी खर्च की वसूली सरकार सम्बन्धित अधिकारी से करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान सहकारी संस्था नियम, 1966 के नियम 41 के अन्तर्गत जारी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक फा. 15 (7) सविरा/नियम/80 दिनांक 17.7.89 के द्वारा सेवा निवृत्ति के बाद विशेष परिस्थिति में किसी सहकारी संस्था के कर्मचारी की पुनर्नियुक्ति रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान की स्वीकृति से किये जाने का प्रावधान है, किन्तु जिन संस्थाओं में राज्य सरकार की 2 लाख रुपये अथवा इससे अधिक हिस्सा पूंजी विनियोजित है, उनमें राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 की धारा 35 (क) में वर्ष 1991 में किये गये प्रावधानानुसार मुख्य कार्यकारी की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा ही की जा सकती है। पाली केन्द्रीय सहकारी बैंक के भूतपूर्व प्रबन्ध संचालक श्री रघुवीर सिंह भाटी का कार्यकाल बढ़ाये जाने की स्वीकृति का प्रस्ताव बैंक से विभाग को प्राप्त हुआ था। श्री भाटी के मुख्य कार्यकारी होने के कारण मामला विभाग से राज्य सरकार को भेजा गया। प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन रहने के दौरान ही बैंक द्वारा श्री भाटी की सेवाएं दिनांक 1.8.95 से 3 वर्ष के लिए अनुबन्ध के आधार पर बढ़ा दी गयी। बैंक की यह कार्यवाही नियमानुसार नहीं थी। राज्य सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति नहीं दी गयी। श्री भाटी की सेवानिवृत्ति की तिथि से 19.8.95 तक प्रबन्ध संचालक के पद पर बने रहना अनियमित था।

(2) श्री भाटी को 1.8.95 से 19.8.95 तक का भुगतान अनुबन्ध पत्र दिनांक 1.8.95 की शर्तों के अधीन बैंक द्वारा किया गया है। इसके दायित्व निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है।

(3) सहकारी बैंक में किसी अधिकारी की सेवानिवृत्ति पर उसके विदाई समारोह पर धनराशि व्यय करने का कोई मद या प्रावधान नहीं है। श्री भाटी के विदाई समारोह पर बैंक द्वारा कुल रुपये 18,474/- का व्यय किया गया है। समवर्ती अंकेक्षक केन्द्रीय सहकारी बैंक पाली ने वर्ष 1995-96 की अर्द्धवार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में आक्षेप किया है, जिसके बारे में विभाग द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

विभागीय रसायन शालाओं द्वारा औषधियों का निर्माण

225. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश निकाला है कि विभाग की चारों रसायन शालाओं में सिर्फ 23 औषधियां ही बनेंगी और राजकीय

Page No 270

(270)

(श्री अर्जुनदास मदान)

आयुर्वेदिक औषधालयों को उपलब्ध करायी जायेंगी ? यदि हां, तो कौन-कौनसी औषधियां ?

(2) क्या इन 23 औषधियों से ही बीमारियों का इलाज संभव है ? यदि नहीं, तो सरकार द्वारा अन्य बीमारियों के उपचार हेतु औषधियों की किस प्रकार व्यवस्था की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी, हां। औषधियों की सूची परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी गयी है।

(2) जी, हां। आम प्रचलित सामान्य बीमारियों में से अधिकांश बीमारियों का इलाज संभव है। सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बीमारी हेतु दवाई आपूर्ति करना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट क

वर्ष 1996-97 में विभागीय आयुर्वेद औषधालयों में मुफ्त उपलब्ध कराई जाने वाली आयुर्वेद औषधियों की सूची

क्रम सं.	नाम औषधि
1.	कपूर रस
2.	आनन्द भैरव रस
3.	रस माणक्य
4.	संजीवनी
5.	लवंगादि वटी
6.	तिन्दुक वटी
7.	चन्द्रप्रभा वटी
8.	तालिसादी चूर्ण
9.	आमलिक चूर्ण
10.	लवण भास्कर
11.	अग्नि संदीपन
12.	गोदन्ती भ्रस्म
13.	गोजिवादी क्वाथ
14.	जन्म घूंटी
15.	कर्पूर धारा
16.	कृष्णा मरहम
17.	वेदनानाशक
18.	नैत्र बिन्दु
19.	जात्यादि तेल
20.	विषम ज्वरादि वटी
21.	अर्क विषुचिकान्तक
22.	च्यवनप्राश
23.	क्षार सूत्र
24.	कॉटन
25.	बेन्डेज
26.	साबुन लाईफबॉय
27.	एडिविन प्लास्टर

पशु चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पद

226. **श्री परसादीलाल मीणा** (लालसोट) : क्या पशुपालन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में पशु चिकित्सा अधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं ? चिकित्सालयवार रिक्त पदों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री परसादीलाल मीणा)

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राज्य में पशु चिकित्सा अधिकारियों के 330 पद रिक्त हैं। चिकित्सालयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग को सहायक शल्य पशु चिकित्सकों के रिक्त पदों पर चयन करने बाबत अर्थना प्रपत्र प्रेषित करने की कार्यवाही कर ली गयी थी एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित हो चुका है। रिक्त पदों पर तदर्थ आधार पर शीघ्र नियुक्ति हेतु विभाग द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करवाकर दिनांक 20.7.96 तक आवेदन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है एवं योग्य अभ्यार्थियों का चयन किया जाकर रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला भरतपुर की सुनिश्चित रोजगार योजना

227.श्री अरूण सिंह (डीग) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) भरतपुर जिले की डीग पंचायत समिति में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की सुनिश्चित रोजगार योजना कब से लागू हुई एवं इस योजना के अन्तर्गत डीग पंचायत समिति को कितनी राशि उपलब्ध कराई गयी तथा क्या-क्या कार्य कराये गये ?

(2) क्या सरकार इस योजना को भरतपुर जिले की किसी और पंचायत समिति में लागू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो किस-किस पंचायत समिति में व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सुनिश्चित रोजगार योजना, भरतपुर जिले की पंचायत समिति डीग क्षेत्र में दिसम्बर, 1994 से लागू हुई है। इस योजनान्तर्गत वर्ष 1994-95 एवं 95-96 में निम्न प्रकार राशि प्राप्त हुई है : —

वर्ष	केन्द्रीय अंश	राज्यांश	योग
1994-95	30.00	10.00	40.00
1995-96	60.00	12.50	72.50
योग : —	90.00	22.50	112.50

इस योजनान्तर्गत लिए गए कार्यों का विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री विशिष्ट योजना संगठन)

(2) भरतपुर जिले की बयाना, रूपवास, नदबई, सेवर कुल 5 और पंचायत समितियों को सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत स्वीकृत करने के प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किये जा चुके हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जनता वन योजना

228.श्री बनवारी लाल भिण्डा(फतेहपुर) एवं

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) :– क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार वनों के संरक्षण एवं वृक्षारोपण विकास कार्यक्रमों में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से एक नवीन योजना "जनता वन योजना" प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो यह योजना कब से प्रारम्भ कर दी जाएगी ?

(2) उक्त योजना हेतु कितनी राशि का प्रावधान है ?

(3) इस योजना में किन-किन विभागों को सहभागी बनाया गया है ?

(4) उक्त योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है ? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। "जनता वन योजना" वर्ष 1996-97 से क्रियान्वित की जा रही है।

(2) वन विभाग की नियमित योजना के अन्तर्गत स्वीकृत राशि से ही इस योजना का क्रियान्वयन कराया जायेगा।

(3) इस योजना के अन्तर्गत ग्राम स्तरीय वनसुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों, पंचायतों एवं स्वयं सेवी संस्थाओं तथा सैनिक कल्याण संगठनों के माध्यम से कार्यों का क्रियान्वयन कराया जाना प्रस्तावित किया गया है।

(4) योजना का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

"जनता वन योजना" का विवरण

राज्य में वृक्षारोपण कार्य में और अधिक जन भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "जनता वन योजना" प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत कार्यों का क्रियान्वयन ग्रामीण वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समितियों, पंचायतों, भूतपूर्व सैनिक संगठन तथा अनुभवी गैर-सरकारी संस्थानों के माध्यम से कराया जायेगा।

इस योजना के अन्तर्गत कार्यकारी एजेन्सी को पांच वर्ष के लिये सम्पूर्ण वृक्षारोपण एवं संधारण कार्य का अनुबन्ध दिया जायेगा। कार्यकारी संस्था/समिति को वृक्षारोपण कार्य से सम्बन्धित आवश्यक समस्त प्रशिक्षण वन विभाग द्वारा निःशुल्क दिया जायेगा। कार्यकारी संस्था/समिति वृक्षारोपण क्षेत्र से घास व एवं अन्य लघु वन उपज, स्थानीय ग्रामवासियों की मांग की पूर्ति हेतु निःशुल्क एकत्रित कर सकेगी।

वन मंत्री)

गैर मरूस्थलीय क्षेत्र में एक इकाई 20 हैक्टर की होगी तथा इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में एक इकाई 12 हैक्टेयर की होगी। सामान्यतः एक संस्था को एक ही कार्य इकाई आबंटित की जायेगी। प्राथमिकता के तौर पर वन भूमि, पंचायत भूमि, ओरण भूमि अथवा अन्य राजकीय भूमि हो वृक्षारोपण हेतु चयनित की जायेगी। भूमि के वैधानिक स्वामित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा व कार्य करने वाली संस्था का मात्र इस योजना की भूमि पर कार्य करने का दायित्व रहेगा।

वृक्षारोपण हेतु कार्यकारी संस्था/समिति को उपयुक्त किस्म के पौधे वन विभाग कार्यस्थल पर निःशुल्क उपलब्ध करवाएगा। घास के उन्नत किस्म के बीज भी विभाग द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे।

कार्यकारी संस्था को समय-समय पर उसके द्वारा किये गये कार्य के आधार पर वन विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा। समस्त व्यय विभाग की स्वीकृति नियमित योजना से ही किया जायेगा।

गैर मरूस्थलीय क्षेत्र में लगाये जाने वाले पौधों की संख्या 1100 प्रति हैक्टर होगी तथा इसकी लागत अनुमान 5 वर्ष की अवधि में रुपये 17250/- होगा।

मरूस्थलीय क्षेत्र (इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र) में लगाये जाने वाले पौधों की संख्या 835 प्रति हैक्टेयर होगी। इसका लागत अनुमान रुपये 14500/- होगा।

पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हेतु उपाय

229. श्रीमती उज्वला अरोड़ा (जयपुर ग्रामीण) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा देशी/विदेशी पर्यटकों को राजस्थान में अधिक से अधिक आकर्षित किए जाने हेतु कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पर्यटक स्थलों के रख-रखाव व सुविधा के लिये विभाग ने क्या-क्या व्यवस्थाएं की हैं?

उत्तर

(1) जी, हां। राजस्थान में देशी तथा विदेशी पर्यटकों को अधिक से अधिक आकर्षित करने हेतु विभिन्न मेले एवं त्यौहार, पर्यटन से सम्बन्धित राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन एवं गोष्ठियों आदि में भाग लिया जाता है। प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन, पर्यटन साहित्य का वितरण फिल्म प्रदर्शन के माध्यम से राज्य की पर्यटन सम्पदा का प्रचार-प्रसार किया जाता है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के जनरल सेल्स एजेन्ट्स की नियुक्ति, राजस्थान पर्यटन के सम्बन्ध में इन्टरनेट पर सूचना आदि इस योजना का मुख्य अंग है। राजस्थान पर्यटन विकास निगम अपनी 46 इकाइयों में आवास सुविधा उपलब्ध करा रहा है। निगम की 20 इकाइयों में बार सुविधा भी उपलब्ध है। निगम राज्य में पर्यटकों के लिये परिवहन, नौकायन, दृश्यावलोकन व पैकेज टूरस भी संचालित कर रहा है। भारतीय रेल्वे

(राज्य मंत्री पर्यटन)

के सहयोग से बड़ी लाइन पर "पैलेस ऑन व्हील्स" (शाही रेलगाड़ी) चलायी जा रही है। इसके अतिरिक्त राज्य के विभिन्न पर्यटन परिपथों बाबत विस्तृत समग्र विकास परियोजनाएं तैयार करायी गयी हैं।

(2) पर्यटन स्थलों का रख-रखाव का कार्य सम्बन्धित स्थानीय निकाय, विभागों तथा स्मारकों का रख-रखाव पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग करते हैं। इसके लिये सम्बन्धित विभाग आवश्यक प्रावधान तथा स्टाफ आदि की समुचित व्यवस्था करता है।

भूमि अधिग्रहण के मानदण्ड

230.**श्री मदन मोहन** (खैरथल) : क्या राजस्व (भूमि अधिग्रहण) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) क्या सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हुए हैं? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) मुआवजा किस आधार पर दिया जाता है तथा कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि तथा असिंचित भूमि के लिए क्या-क्या मानदण्ड निर्धारित हैं ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता के अनुसार भूमि अवाप्ति की जाती है। अधिग्रहण के कोई विशिष्ट मापादण्ड निर्धारित नहीं हैं क्योंकि प्रत्येक मामले में **आवश्यकतानुसार यह निर्धारित किया जात कि उस प्रोजेक्ट के लिए कितनी भूमि आवश्यकता है।**

(2) भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 धारा 23 में मुआवजा निर्धारित किये जाने आधार हैं। चाहे **भूमि कृषि योग्य हो या ब** या असिंचित उसके मुआवजे का मूल्यां उसके बाजार दर के आधार पर किया ज है।

जिला सीकर की फव्वारा योजना

231. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या कृ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सीकर जिले में वर्ष 1995-96 कितने किसानों को फव्वारा अनुदान लाभान्वित करने का लक्ष्य था ?

(2) इस वित्तीय वर्ष में कितने किसान ने इसके लिए आवेदन किया ? उक्त ए वर्ष का व्यौरा माहवार सदन की मेज पर रखें.

(3) कितने किसानों को माहवार अनुदा दिया गया तथा कितने किसान अभी तक अनुदान से वंचित है ?

(4) बचे हुए किसानों को कब तक अनुदान उपलब्ध करवा दिया जाएगा ?

(5) क्या अनुदान देने में वरीयता क्रम रखा जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(6) अनुदान स्वीकृति के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है तथा स्वीकृति के क्या मानदण्ड हैं ?

(7) वर्ष 1996-97 में सीकर जिले के लिए कितने किसानों का लक्ष्य रखा गया है

(श्री अमराराम)

तथा क्या इस वित्तीय वर्ष की प्रक्रिया शुरू कर दी गयी है ?

उत्तर

(1) सीकर जिले में वर्ष 1995-96 में 2400 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था।

(2) इस वित्तीय वर्ष में कुल 3199 किसानों ने इसके लिए आवेदन किया। महीनेवार ब्यौरा संलग्न है। (परिशिष्ट अ)

(3) कुल 1339 किसानों को अनुदान दिया गया और 1703 किसान अभी तक अनुदान से वंचित हैं। विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट "ब")

(4) केन्द्र/राज्य सरकार से बजट प्राप्त होते ही बचे हुए किसानों को अनुदान उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(5) जी, हां। सहायक निदेशक, कृषि (विस्तार) के कार्यालय में पंजीकरण पंजिका होती है जिसमें बैंक/नकद क्रय की अनुदान पंजिका में वरीयता क्रम से पंजीयन किया जाता है तथा उसी क्रम से अनुदान स्वीकृति की दृष्टि से पूर्ण पत्रावली पर अनुदान दिया जाता है।

(6) कृषकों से फव्वारा सैट पर अनुदान के लिये प्राप्त प्रार्थना पत्रों को पंजीकृत किया जाकर भौतिक सत्यापन हेतु भेजा जाता है। भौतिक सत्यापन उपरान्त सही पत्रावलियों पर कृषक के पक्ष में अनुदान स्वीकृति जारी कर कोष कार्यालय से बिल पारित करवा कर बैंक को (ऋण केसेज में) या कृषक को ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जाता है। वर्तमान में निर्धारित मापादण्ड अनुसार सामान्य कृषकों को नाबार्ड द्वारा फव्वारा सैट की निर्धारित इकाई लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम रुपये 7000/- प्रति हैक्टर तथा लघु/सीमान्त/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ महिला कृषकों को इकाई लागत का 75 प्रतिशत अधिकतम रुपये 10,000/- प्रति हैक्टेयर का अनुदान दिया जाता है। इस अनुदान की अधिकतम सीमा 3.0 हैक्टेयर है।

(7) वर्ष 1996-97 के लिये सीकर जिले में 1200 किसानों को अनुदान देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार से वर्ष 1996-97 के अनुदान स्वीकृति निर्देशों के अभाव में इस वित्तीय वर्ष की प्रक्रिया शुरू नहीं की गयी है।

कार्यालय उप निदेशक, कृषि (वि.) सीकर

माहवार आवेदन प्राप्तियों का विवरण (वर्ष 95-96) जिला सीकर

क्र.सं.	नाम माह/वर्ष	पत्रावलियों की संख्या			
		उ.जि. सीकर/	उ.जि. श्रीमाधोपुर	योग जिला	वि.वि
.	अप्रेल, 95	-	-	-	
2.	मई	-	-	-	

1	2	3	4	5	6
3.	जून	-	9	9	
4.	जुलाई	-	1	1	
5.	अगस्त	37	5	42	
6.	सितम्बर	4	8	12	
7.	अक्टूबर	13	22	35	
8.	नवम्बर	87	97	184	
9.	दिसम्बर, 95	87	86	173	
10.	जनवरी, 96	780	117	897	
11.	फरवरी	685	167	852	
12.	मार्च	790	204	994	
	योगः—	2483	716	3199	

कार्यालय उपनिदेशक कृषि (वि.) सीकर

माहवार स्वीकृतियां वर्ष 1995-96, जिला सीकर

क्र.	नाम माह/वर्ष	स्वीकृतियां उ.जि. सीकर/उ.जि. श्रीमाधोपुर/योग जिला			वि. वि.
1	2	3	4	5	6
1.	अप्रेल, 95	-	-	-	
2.	मई	-	-	-	
3.	जून	31	1	32	
4.	जुलाई	31	-	31	
5.	अगस्त	-	-	-	
6.	सितम्बर	25	2	27	
7.	अक्टूबर	-	-	-	
8.	नवम्बर	-	-	-	

2	3	4	5	6
दिसम्बर, 95	59	-	59	
जनवरी, 96	72	75	147	
फरवरी	284	141	425	
मार्च	100	81	181	
योगः—	602	300	902	
जून, 96	154	283	437	
कुल योग	756	583	1339	

राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, नारायणपुर (अलवर) का भवन प्रकरण

232. श्री रमाकान्त (थानागाजी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, नारायणपुर जिला अलवर भवन के जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होने के कारण इसे अगस्त, 1995 में असुरक्षित घोषित कर दिया गया था ?

(2) क्या यह भी सही है कि तभी से विद्यालय की छात्राओं के लिए कोई उचित वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई गयी है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस विषय में सरकार द्वारा निदेशक, शिक्षा विभाग को इस समस्या के शीघ्र समाधान हेतु दिसम्बर, 1995 में आदेश जारी कर दिये गये थे ?

(4) क्या सरकार इस शिथिलता के लिए किसी को दोषी मानती है ? यदि हां, तो दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

उत्तर

(1) जी, हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दिनांक 3.8.1995 को भवन असुरक्षित घोषित किया गया।

(2) जी, नहीं। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर के विद्यालय भवन में इस विद्यालय की छात्राओं के लिए द्वितीय पारी प्रारम्भ कर दिनांक 7.8.1995 से वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गयी है।

(3) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा पत्र दिनांक 27.12.95 को निदेशक, प्रा.एवं. मा. शिक्षा को इस विषय में लिखा गया था।

(4) सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा दिनांक 3.8.95 को भवन असुरक्षित घोषित करने पर दिनांक 7.8.95 को ही छात्राओं के अध्ययन की राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय,

(शिक्षा मंत्री)

नारायणपुर के विद्यालय भवन में द्वितीय पारी प्रारम्भ कर व्यवस्था कर दी गयी है। अतः शिथिलता के लिए किसी को दोषी ठहराया जाना अपेक्षित नहीं है।

तारांकित प्रश्न सं. 233

(स्थगित)

राज्य में उप-कोषागार खोलने के मानदण्ड

234. **श्री रामनारायण डूडी** (भोपालगढ़) : क्या मुख्य (वित्त) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे : —

(1) सरकार के उप कोषागार खोलने के क्या मानदण्ड हैं ?

(2) विगत तीन वर्षों में राजस्थान में उप कोषागार कहां-कहां खोले गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भोपालगढ़ जिला जोधपुर में उप कोषागार हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार इसे अब तक खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान कोषागार नियमावली के नियम 59 के अनुसार प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर उपकोष की स्थापना की जाती है।

(2) पिछले तीन वर्षों में कोई उपकोष नहीं खोले गये।

(3) तहसील भोपालगढ़ में उपक[illegible] कार्यरत हैं।

जिला डूंगरपुर की सिंचाई लिफ्ट योजना के अन्तर्गत किसानों को अनुदान

235. **श्री शंकरलाल अहारी** (चौरासी[illegible] क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री [illegible] बताने की कृपा करेंगे : —

(1) जिला डूंगरपुर में वर्ष 1995-[illegible] एवं 1996-97 में कुल कितनी सिंचाई लि[illegible] योजनाएं लगाई गयीं ? गांव, स्थान स[illegible] सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सिंचाई लिफ्ट योजनाओं [illegible] 20% राशि काश्तकारों को एवं शेष रा[illegible] सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जायेगी

(3) क्या यह सही है कि उक्त रा[illegible] टी.एस. पी. मद से स्वीकृत की जाती है क्या उक्त राशि का उपयोग सिर्फ अनुसूचि[illegible] जन जाति उपयोजना के क्षेत्रों के अन्तर्गत आ[illegible] वाले गांवों में ही किया जाता है ?

उत्तर

(1) जिला डूंगरपुर में वर्ष 1995-96 [illegible] 18 जलोत्थान सिंचाई योजनाएं स्वीकृत [illegible] गयीं, जिनका कार्य प्रगति पर है। वर्ष 1996-9[illegible] में अब तक कोई योजना स्वीकृत नहीं [illegible] गयी। गांव की सूची परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्[illegible] है।

(2) जी, हां। कृषि विका[illegible] परियोजनान्तर्गत स्वीकृत सामुदायिक जलोत्था[illegible] सिंचाई योजनाओं पर 20 % प्रतिशत राशि काश्तकारों से एवं शेष राशि सरकार द्वार

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

अनुदान के रूप में स्वीकृत की जाती है। इस 20 प्रतिशत राशि में से 10 प्रतिशत राशि टी.एस. पी. मद से वहन की जाती है, यदि 50 प्रतिशत से अधिक लाभान्वित कृषक जनजाति के हों तो, लेकिन जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा स्वीकृत सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजनाओं पर 10 प्रतिशत राशि काश्तकारों से एवं शेष राशि अनुदान के रूप में स्वीकृत की जाती है।

(3) जी, हां। टी.एस.पी. के अलावा कृषि विकास परियोजना के अन्तर्गत भी परियोजनाएं स्वीकृत की जाती हैं। टी.एस.पी. मद में स्वीकृत होने वाली परियोजनाएं अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले गांवों में ही की जाती हैं।

सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना में स्वीकृत (1995-96)

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाएं

	योजना	प.सं.
(1)	डाबेला	डूंगरपुर
(2)	वासेला	सागवाड़ा
(3)	बरबुदनिया-II	सागवाड़ा
(4)	बौटाव-I	सागवाड़ा
(5)	भटवाला-हीराखेड़ी	आसपुर

कृषि विकास परियोजना द्वारा पंजीकृत योजनाएं

(1)	डूंगरसारण -I	सिमलवाड़ा
(2)	डूंगरसारण -II	सिमलवाड़ा
(3)	रणथोर -I	सागवाड़ा
(4)	रणथोर -II	सागवाड़ा
(5)	भुलावाडा-I	सागवाड़ा
(6)	भुलावाडा -II	सागवाड़ा
(7)	मेवाली	डूंगरपुर
(8)	नेनतावा-III	सिमलवाड़ा
(9)	बरबुदनिया-III	सागवाड़ा
(10)	चान्दरवेड	सागवाड़ा
(11)	दरियोटी -I	सागवाड़ा
(12)	कढाईयों का फला-I	आसपुर
(13)	कढाईयों का फला -II	आसपुर

(278)

भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा व्यवसायियों की क्रेडिट लिमिट प्रकरण

236. श्री कालूलाल गूजर (मांडल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक में पिछले दो वर्षों से किन-किन व्यवसायियों की क्रेडिट लिमिट बढ़ायी गयी और किन-किन को नयी क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की गयी ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बैंक द्वारा किसी ऐसे व्यवसायी की क्रेडिट लिमिट इतनी बढ़ायी गयी कि उसकी कुलिया व्यवसायिक पूंजी भी उतनी नहीं है अर्थात् उसकी कुलिया व्यवसायिक पूंजी से भी कई गुना ज्यादा क्रेडिट लिमिट बढ़ायी गयी और बाद में वह डिफाल्टर हो गया और अब बैंक का पैसा वसूल करना असम्भव हो रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा गत 2 वर्षों (1994-95, 1995-96) में जिन व्यवसायियों की क्रेडिट लिमिट बढ़ायी गयी अथवा नई क्रेडिट लिमिट स्वीकृत की गयी, का विवरण परिशिष्ट - एक पर दिया गया है।

(2) ऐसा कोई भी व्यवसायी नहीं है जिसकी क्रेडिट लिमिट मिलीभगत से स्वीकृत की गयी हो या बढ़ायी गयी हो एवं जिससे बैंक का पैसा वसूल करना असंभव हो रहा हो।

वर्ष 94-95

क्र.सं.	नाम फर्म	लिमिट स्वीकृत दिनांक	लिमिट स्वीकृत राशि	बढ़ाई गई/नई स्वीकृत
हाईपोथीकेशन -				
1.	नाकोडा साड़ी संगम	29.2.95	140000	नई स्वीकृत
2.	श्री शक्ति ट्रेडर्स	16.2.95	200000	नई स्वीकृत
3.	नाहर क्लाथ सेन्टर	13.3.95	200000	नई स्वीकृत
4.	माधव मेडिकल एजेन्सी	3.8.94	200000	नई स्वीकृत
5.	बी.के. इन्जीनियर्स	27.4.94	90000	नई स्वीकृत
6.	स्वास्तिक आईल मिल	19.9.94	150000	नई स्वीकृत
7.	हनुमान ट्रेडर्स	27.5.94	17000	नई स्वीकृत
8.	कालू मोहम्मद	22.10.94	10000	नई स्वीकृत

क्र.सं.	नाम फर्म	लिमिट स्वीकृत		बढ़ाई गई/नई स्वीकृत
		दिनांक	राशि	
9.	गुलाब स्टेशनर्स	3.8.94	82000	नई स्वीकृत
10.	भदादा इन्जिनियर्स	8.10.94	200000	नई स्वीकृत
11.	तिलक सिन्थेटिक्स	7.12.94	200000	नई स्वीकृत
12.	गोपाल ट्रेडर्स	27.4.94	100000	नई स्वीकृत
13.	श्री इलेक्ट्रिकल्स	27.4.94	75000	नई स्वीकृत
कार्यशील पूंजी–				
1.	राज रिट्रेडिंग कम्पनी	16.2.95	500000	नई स्वीकृत
2.	विनस इन्जीनियर्स	26.12.94	4000000	नई स्वीकृत
3.	देवीलाल कुटीर सोप	29.12.94	400000	नई स्वीकृत
4.	श्रीमान सूटिंग्स	2.2.95	3700000	नई स्वीकृत
5.	डायनेमिक रिट्रेडिंग को.	31.8.94	650000	नई स्वीकृत
हाईपोथीकेशन–		वर्ष 95-96		
1.	हनुमान ट्रेडर्स	25.5.95	240000	बढ़ाई गई
2.	कालू मोहम्मद	17.7.95	30000	बढ़ाई गई
3.	गुलाब स्टेशनर्स	26.6.95	100000	बढ़ाई गई
4.	भदादा इन्जिनियर्स	13.6.95	50000	बढ़ाई गई
5.	अरूणा सैन्ट्रेक्स	17.4.95	300000	नई स्वीकृत
6.	मनोहरलाल नवरतनमल	12.8.95	100000	नई स्वीकृत
7.	शैलेश टैक्सटाईल्स	17.7.95	200000	नई स्वीकृत
8.	अक्षय सिन्थेटिक्स	16.11.95	250000	नई स्वीकृत
9.	तिलक सिन्थेटिक्स	5.6.95	250000	बढ़ाई गई
10.	मुकेश पाईप स्टोर	30.11.95	200000	नई स्वीकृत
11.	गोपाल ट्रेडर्स	5.6.95	150000	बढ़ाई गई

Page No 282

(282)

क्र.सं. नाम फर्म	लिमिट स्वीकृत दिनांक	राशि	बढ़ाई गई/नई स्वीकृत
कार्यशील पूंजी हेतु लिमिट स्वीकृत –			
1. देवीलाल कुटीर सोप	16.11.95	500000	नई स्वीकृत
2. आदित्य प्रोलेप्रालि.	21.3.95	1500000	नई स्वीकृत
3. डायनेमिक रिट्रेडिंग को.	11.3.96	450000	नई स्वीकृत

पंचायत समिति मनोहर थाना एवं बकानी (झालावाड़) की "डांग" योजना

237.श्री भरत सिंह (खानपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले की मनोहर थाना तथा बकानी पंचायत समिति में "डांग" योजना लागू है ? यदि हां, तो ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र खानपुर की कुछ ग्राम पंचायतें मनोहर थाना व बकानी पंचायत समितियों में आती हैं? यदि हां, तो इनमें से किन-किन ग्राम पंचायतों में "डांग" योजना लागू है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या "डांग" योजना के तहत ग्राम पंचायतों का चयन करने हेतु सरकार ने जिला ग्रामीण विकास अभिकरण झालावाड़ को सम्बन्धित पंचायत समितियों के विधायकों की बैठक बुलवाने हेतु कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो कब ? उक्त बैठक कब आयोजित की गयी तथा क्या इस बैठक में खानपुर विधान सभा के विधायक को बुलवाया गया था ?

(4) क्या यह सही है कि झालावाड़ के पूर्व जिला कलक्टर श्री सी.एल. जैन ने मनोह थाना तथा बकानी पंचायत समिति की सम्पूर्ण ग्राम पंचायतों को "डांग" योजना में शामिल करने हेतु सरकार को कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो किन कारणों से इस योजना में खानपुर विधान सभा क्षेत्र में आने वाली ग्राम पंचायतों को शामिल नहीं किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। झालावाड़ जिले की मनोहर थाना तथा बकानी पंचायत समितियों को जिन ग्राम पंचायतों में "डांग" योजना लागू है, की ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट -1 पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। विधानसभा क्षेत्र खानपुर की कुछ ग्राम पंचायतें मनोहरथाना व बकानी पंचायत समितियों में आती है, किन्तु उनमें डांग योजना लागू नहीं है।

(3) राज्य स्तर पर "डांग" विकास कार्यक्रम बनाते समय यह तय किया गया था कि डांग क्षेत्र का चयन दो चरणों के किया जाए। प्रथम चरण में वे पंचायत समितियां निश्चित की जाएं जिनमें "डांग" क्षेत्र आता है तत्पश्चात् उन पंचायत समितियों को ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया जावे जिनमें "डांग" की

राज्यमंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

परिस्थितियां हैं और केवल उन्हीं ग्राम पंचायतों को कार्यक्रम में शामिल किया जाए। राज्य स्तर पर पंचायत समितियों का चयन सम्बन्धी निर्णय मुख्य मंत्री जी के स्तर पर लिया गया। तत्पश्चात् सम्बन्धित जि. ग्रामीण वि.अभि. को उन पंचायत समितियों के ग्राम पंचायतों का चयन कर सूची भिजवाने का कहा गया जिनमें डांग क्षेत्र है। जि. ग्रा. वि. अभि. द्वारा इस प्रकार डांग पंचायतों का चयन कर प्रस्ताव भिजवाते समय यह अपेक्षा की गयी थी कि वे सम्बन्धित जन प्रतिनिधियों से सलाह कर सूची भेजें क्योंकि जिग्रा. विकास अभि. की शासकीय समिति के जन प्रतिनिधि भी सदस्य है।

(4) तत्कालीन जिला कलेक्टर श्री सी.एल.जैन ने पहले यह चाहा था कि पंचायत समिति मनोहरथाना व बकानी का पूरा क्षेत्र डांग विकास क्षेत्र में शामिल किया जाए। जब उन्हें यह सूचित किया गया कि उन्हें इन दोनों पंचायत समितियों को भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक तथा अपराधिक स्थितियों का अध्ययन कर केवल उन पंचायतों के प्रस्ताव भेजने हैं जो वास्तव में डांग क्षेत्र में आती हो। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, झालावाड़ ने अन्तिमत ग्राम पंचायतवार सूची दिनांक 15.10.95 को भिजवायी और उन्हें डांग विकास क्षेत्र में शामिल किया गया।

"डांग" क्षेत्रीय विकास योजनान्तर्गत सम्मिलित पंचायत समितियों व ग्राम पंचायतों की सूची

जिला : — झालावाड़

पंचायत समिति मनोहर थाना	पंचायत समिति बकानी
1. ग्राम पंचायत टोडरी मीरा	1. ग्राम पंचायत देवनगर
2. ग्राम पंचायत कोलुखेड़ी (मालियान)	2. ग्राम पंचायत बरखेडा (कलां)
3. ग्राम पंचायत रवास्या	3. ग्राम पंचायत मोडी
4. ग्राम पंयायत कोलुखेड़ीकलां	4. ग्राम पंचायत बडाय
5. ग्राम पंचायत टोडरी जगन्नाथ	5. ग्राम पंचायत खेरिया
6. ग्राम पंचायत सेमलीहाट	6. ग्राम पंचायत गुराडखेड़ा
7. ग्राम पंचायत पिण्डौला	7. ग्राम पंचायत देवरी
8. ग्राम पंचायत खाताखेड़ी	8. गाम पंचायत गरवाड़ा
9. ग्राम पंचायत चांदपुरा भीलान	9. ग्राम पंचायत कुशलपुरा
10. ग्राम पंचायत बांसखेड़ा	10. ग्राम पंचातय आगरिया
11. ग्राम पंचायत दोजीपुरा	11. ग्राम पंचायत किशनपुरिया
12. ग्राम पंचायत कामखेड़ा	12. ग्राम पंचायत सलावट
13. ग्राम पंचायत गरबोलिया	13. ग्राम पंचायत पाटलिया कुलमों

पंचायत समिति मनोहर थाना	पंचायत समिति बकानी
14. ग्राम पंचायत आंवलहेड़ा	14. ग्राम पंचायत करलगांव
15. ग्राम पंचायत मरपसर	15. ग्राम पंचायत कांसखेडीलोधान
16. ग्राम पंचायत चुरेलिया	16. ग्राम पंचायत बोरबन्द
17. ग्राम पंचायत बांसखेडे के लियान	17. ग्राम पंचायत कोहुडोझर
18. ग्राम पंचायत लसुडिया शहि	18. ग्राम पंचायत अगुनखेड़ी
19. ग्राम पंचायत सरखतिडिया	19. ग्राम पंचायत गोपालपुरा
20. ग्राम पंचायत देवरी चंचल	20. ग्राम पंचायत आसलपुर

(कुल 40 ग्राम पंचायतें)

विधान सभा क्षेत्र डग की हरिजन बस्तियों में विद्युत कनेक्शन

238.श्री बाबूलाल वर्मा (डग) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में विद्युतीकृत किए गए गांवों में घरेलू कनेक्शन हेतु कितने आवेदन विभाग को प्राप्त हुए ?

(2) इन सभी विद्युतीकृत गांवों की हरिजन बस्तियों में कितने कनेक्शन दिए जा चुके हैं?

(3) विधान सभा क्षेत्र डग की हरिजन बस्तियां जिनमें कनेक्शन दिया जाना शेष है, का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में विद्युतीकृत घोषित किये गये ग्रामों में घरेलु श्रेणी के 10631 आवेदन पत्र प्राप्त हुए इनमें से 7747 कनेक्शन दिये जा चुके हैं। 1686 डिमाण्ड नोट की राशि जमा नहीं होने के कारण पत्रावलियां रद्द कर दी गयीं तथा 1198 प्रार्थना पत्र लम्बित हैं।

(2) विद्युतीकृत घोषित ग्रामों की हरिजन बस्तियों में घरेलु कनेक्शन दिये जाने हेतु कोई अलग से प्राथमिकता नहीं है। इन हरिजन बस्तियों के आवेदकों को ग्राम के अन्य आवेदकों के साथ ही वरीयता से घरेलू कनेक्शन जारी किये जाते हैं, अतः ग्रामों की हरिजन बस्तियों में दिये गये घरेलू कनेक्शनों का अलग से विवरण उपलब्ध करवाना संभव नहीं है।

(3) विद्युतीकृत घोषित ग्रामों में विभाग के पास ऐसी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है और ना ही इस प्रकार की कोई सूचना संकलित की जाती है, कि किस-किस ग्राम में कितनी-कितनी हरिजन बस्तियां हैं, अतः यह बता पाना संभव नहीं है कि किन-किन ग्रामों की कितनी-कितनी हरिजन बस्तियों में घरेलू कनेक्शन दिया जाना शेष है। विद्युतीकरण हेतु हरिजन बस्ती का चयन सम्बन्धित ग्राम पंचायत के सरपंच से आवेदन प्राप्त होने पर विद्युत मण्डल के सहायक-अभियन्ता व विकास विभाग के प्रतिनिधि द्वारा मौके का मुआयना करके हरिजन बस्ती हेतु निर्धारित मापदण्ड को ध्यान में रखते हुये किया जाता है।

285

पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित बीयर काउन्टर

239. श्री विजयेन्द्रपाल सिंह(आसीन्द) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पर्यटन विकास निगम द्वारा कितने बीयर काउन्टर का संचालन किया जा रहा है? विगम पांच वर्षों में उनसे हुए लाभ/हानि का विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) निगम द्वारा किस-किस ब्राण्ड के बीयर किस-किस दर पर विक्रय किये जाते हैं? इसके चयन हेतु क्या प्रक्रिया/नीति निर्धारित है ?

(3) इस वर्ष बीयर के साथ (IMEL) भारत निर्मित विदेशी मदिरा की कितनी दुकानें स्थापित की गयी और इस पर कितना व्यय निगम को करना होगा ? विभाग को इससे क्या लाभ होगा ?

उत्तर

(1) वर्तमान में निगम द्वारा बीयर के 59 काउन्टर संचालित किये जा रहे है। वगत 5 वर्ष का लाभ निम्न प्रकार है :—

क्रम सं. वर्ष	लाभ (लाख रु. में)
1. 1991-92	128.19
2. 1992-93	170.73
3. 1993-94	206.60
4. 1994-95	263.44
5. 1995-96 (प्रोविजनल)	320.26

(2) निगम द्वारा बीयर विक्रय के लिये वर्ष 1995-96 और 1996-97 निम्न ब्राण्ड की बीयर क्रय किये गये हैं :

क्र. सं	ब्राण्ड का नाम	वर्ष 1995-96 क्रय दर	वर्ष 1996-97 क्रय दर
1.	गॉडफादर, स्ट्रांग	233/-	240/-
2.	केनन, स्ट्रांग	233/-	-
3.	थण्डर बोल्ट, स्ट्रांग	233/-	234/-
4.	गोल्डन ईगल (माईल्ड)	191/-	195/-
5.	किंग फिशर (माईल्ड)	201/-	213/-
6.	बुलेट, स्ट्रांग	246/-	256/-
7.	टर्बो, स्ट्रांग	233/-	244/-
8.	सेण्ड पाईपर (माईल्ड)	191/-	213/-
9.	कल्याणी,ब्लैक लेबल (स्ट्रांग)	233/-	-
10.	यूबी. एक्सपोर्ट (माईल्ड)	,	197/-
11.	हेवर्ड 5000 स्ट्रांग	233/-	-
12.	रोजी पेलीकन (माईल्ड)	193/-	-
13.	रॉयल चेलेन्ज (माईल्ड)	201/-	-
14.	कल्याणी ब्लैक लेबल (माईल्ड)-	213/-	-

विक्रय दर निर्धारण हेतु निम्न फार्मूला बनाया हुआ है। इस फार्मूले के द्वारा अलग-अलग गन्तव्य स्थानों पर अलग-अलग चुंगी दर, भाड़ा, दुकान किराया आदि पृथक होने के कारण विक्रय दर उसी अनुरूप निर्धारित की हुई है।

(राज्य मंत्री, पर्यटन)

फार्मूला :—

क्र.सं. थोक क्रय दर प्रति दर्जन पर
1. भाड़ा, उतराई, चढ़ाई आदि
2. चुंगी दर
3. दुकान किराया + बिजली + पानी व्यय
4. निगम लाभ 20%
5. परमिट एवं लाइसेन्स फीस जोड़कर विक्रय दर निर्धारित की जाती है।

बीयर ब्राण्ड के क्रय के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर समस्त बीयर उत्पादन कम्पनियों से प्रस्ताव मांगे जाते हैं। बाजार में ज्यादा प्रचलित ब्राण्ड, उनकी गुणवत्ता, कम्पनी की उत्पादन क्षमता, दरों में छूट आदि को मध्यनजर रखते हुए पांच सदस्यों की समिति द्वारा सिफारिश पर सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाकर ब्राण्ड का चयन किया जाता है।

(3) निगम द्वारा (आई.एम.एफ.एल) भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 24 दुकानें संचालित की गयीं। जिनमें से 19 दुकानें नयी स्थापित की गयी हैं तथा पूर्व में संचालित बीयर की 5 दुकानों पर भी आई.एम.एफ.एल. की बिक्री की जा रही है।

चूंकि यह दुकानें अभी हाल ही में राज्य सरकार के आदेशानुसार चालू करायी गयी हैं, अतः इस समय लाभ अथवा अन्तिम व्यय बाबत कहना संभव नहीं होगा। I.M.F.L. का व्यापार निगम ने इस पैमाने पर पहले कभी नहीं किया और इसे पूरी सावधानी के साथ न्यूनतम आवश्यक स्टॉक रखकर चलाया जा रहा है।

कालानाडा-मकराना (नागौर) की भूमि पर अतिक्रमण

240. श्री रूपाराम (मकराना) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मकराना में कालानाडा की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है ? यदि हां, तो कितनी जमीन पर ?

(2) क्या यह भी सही है कि कालानाडा में जिला प्रशासन तथा पुलिस की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाया गया था ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि हटाया गया अतिक्रमण पुनः कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है। अतिक्रमण 21 बीघा 13 बिस्वा भूमि पर किया गया है।

(2) जी, हां। यह सही है। दिनांक 1.3.96 को प्रशासन व पुलिस के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया था। यह भी सही है कि कुछ व्यक्तियों ने पुनः अतिक्रमण कर लिया। अतिक्रमियों के विरुद्ध धारा 91 के अन्तर्गत 56 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी। जिनमें से 51 व्यक्तियों को भौतिक रूप से बेदखली की तथा 5 व्यक्तियों के विरुद्ध 3 माह की सिविल करावास की सजा कायम की गयी।

इजराइल पद्धति के आधार पर ग्रीन हाउस पर निर्माण

241.श्री भंवरसिंह डांगावास(मेड़ता) : क्या कृषि राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि इजराइल पद्धति पर राज्य में हाइब्रिड टमाटर, सब्जियों इत्यादि के उत्पादन हेतु किसी कृषक ने कोई ग्रीन हाउस बनाया है ? यदि हां, तो इसमें क्या प्रगति हुई ?

(2) क्या सरकार सरकारी विश्वविद्यालयों के किसी फार्म पर ऐसा ग्रीन हाउस बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य में इजराइल पद्धति के अनुसार जिसमें गर्म, ठंडा करना, आर्दता, ड्रीप माइक्रो स्प्रिंकलर आदि सुविधाएं हों, में हाइब्रिड टमाटर सब्जियों इत्यादि उत्पादन के लिये एक कृषक द्वारा वर्ष 1995-96 में एक ग्रीन हाउस बनाया है जो अभी तैयार हुआ है। इसमें कृषक द्वारा अभी उत्पादन लेना प्रारम्भ नहीं किया गया है लेकिन इसमें सब्जियों व नर्सरी के पौधे कृषक द्वारा लगाना प्रस्तावित है।

(2) राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में एक ग्रीन हाउस जैव तकनीकी परियोजना के तहत विश्वविद्यालय स्थित कृषि अनुसंधान केन्द्र बीकानेर में 1996-97 में बनाने का प्रावधान है। दो अन्य ग्रीन हाउस कृषि परियोजना के तहत सुमेरपुर एवं श्रीगंगानगर, कृषि अनुसंधान केन्द्रों पर 1999 तक बनाने का प्रावधान हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों का स्टाफ पैटर्न

242.श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) प्रदेश में उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए कितने विद्यालय हैं ? जिला, तहसील एवं पंचायत समितिवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इन विद्यालयों के लिए स्टाफ का मानदंड निर्धारित है ? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन विद्यालयों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जल प्रदाय विभाग से समन्वय कर पाइप लाइने अथवा हैण्डपम्प लगवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश में पुराने तथा नये उच्च प्राथमिक विद्यालयों के स्टाफ मानदण्ड में भिन्नता है ? यदि नहीं, तो विभिन्न स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद सृजित क्यों नहीं हैं ?

(5) क्या सरकार जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद सृजित नहीं हैं वहां पद सृजित करने का विचार रखती हैं यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं , तो क्यों ?

(6) क्या सरकार छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापकों के पदो में असमानता को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश में संचालित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिला एवं पंचायत समितिवार सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) जी, हां। प्राथमिक से उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नति के प्रथम वर्ष एक पद प्रधानाध्यापक (द्विश्रेणी) तथा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी दिया जाता है। दूसरे वर्ष दो पद तथा तृतीय वर्ष एक पद तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद स्वीकृत किये जाते हैं। प्रत्येक कक्षा/वर्ग हेतु एक-एक अध्यापक (तृतीय श्रेणी) का छात्र अध्यापक 40:1 इसी दर से अतिरिक्त अध्यापक 750 छात्र संख्या पर प्रधानाध्यापक (प्रथम श्रेणी) का दिये जाने का प्रावधान है।

(3) जी, हां। अधिकांश विद्यालयों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। जिन विद्यालयों में पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहां उपलब्ध सीमित वित्तीय साधनों के तहत क्षेत्र में उपलब्ध पेयजल स्रोतो से पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाया जाने पर विचार किया जाना संभव हो सकेगा।

(4) जी, हां। पूर्व के वर्षों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी का पद स्वीकृत नहीं किया जाता था।

(5) अन्य प्राथमिकताओं के साथ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद भी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कराने के लिये भी प्रयासरत हैं।

(6) जी, हां। छात्रों के अनुपात के अनुसार अध्यापकों के पदों में समानीकरण का कुछ कार्य पूरा कर लिया गया है। शेष कार्य प्रग- पर है।

जिला अलवर में स्थापित शराब के कारखाने

243. श्री विष्णु मोदी(पुष्कर) : क्या मु- (आबकारी) मंत्री यह बताने की कृ- करेंगे : —

(1) अलवर जिले के किस-किस गांव अब तक कौन-कौन से शराब के कारख- स्थापित हो चुके हैं तथा भविष्य में किस-कि- गांव में कौन-कौन से कारखाने स्थापित हो- वाले हैं ?

(2) क्या यह सही है कि अलवर जि- में बड़ी संख्या में शराब के कारखाने स्थापि- किये जाने के सम्बन्ध में महिलाओं ए- सामाजिक संस्थाओं द्वारा विरोध किया जा र- है ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक- कारखाने एक वर्ग विशेष के तीर्थ स्थलों - समीप होने की वजह से उस वर्ग के लोग- द्वारा भी विरोध किया जा रहा है ? यदि ह- तो जनभावनाओं की अनदेखी किये जाने - अब तक क्या कारण रहे ?

(4) क्या यह सही है कि शराब - कारखानों के लिये अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती ? यदि हां, तो जिले में उपलब्ध पेयजल पर पड़ने वाले प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम- उठाये गये हैं ?

(5) क्या सरकार गुजरात, आन्ध्रप्रदेश- तमिलनाडु, केरल, हरियाणा, आदि प्रान्तों की

श्री विष्णु मोदी)

भांति मद्यनिषेध की घोषणा करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में वर्तमान में निम्न गांवों में मदिरा सम्बद्ध निम्न इकाइयों को अनुज्ञापत्र प्रदान किये हुए हैं और इनके द्वारा उत्पादन किया जा रहा है :—

1. डिस्टलरी :—

(अ) मै. हर्बर्टसन लि. यूनिट आफ सेना डिस्टलरी, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर।

2. ब्रेवरीज :—

(अ) राजस्थान ब्रेवरीज लि. शाहजहांपुर, तहसील बहरोड़, जिला अलवर।

(ब) मै. माउंट शिवालिक इंडस्ट्रीज गांव गूंती तहसील बहरोड, जिला अलवर।

(स) मै. विन्सम ब्रेवरीज लि. गांव सारे-खुर्द तह. तिजारा ।

3. बोटलिंग प्लाण्ट :—

(क) मै. अजंता केमिकल्स प्रा. लि. मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर।

(ख) मै. अलवर माउंट एण्ड एग्रो. मैन्यूफैक्चर्स कंपनी प्रा. लि., अलवर।

(ग) मै. सम्राट बोटल्स, प्रालि. भिवाडी।

(घ) मै. विन्टेज डिस्टलर्स, मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर।

(ङ) रिडकेशन सेंटर (देशी मदिरा) अलवर।

(च) चेटक लिकर्स प्रालि., भिवाड़ी, अलवर।

(ख) निम्नांकित अनुज्ञापत्रधारी इकाइयों द्वारा अभी तक उत्पादन प्रारम्भ नहीं किया गया है :—

1. डिस्टलरीज :—

(अ) मैसर्स केडिया केसल डेलोन इंडस्ट्रीज लि. गांव सारे-खुर्द तहसील तिजारा।

2. ब्रेवरीज :—

निल

3. बोटलिंग प्लांटस :—

राजस्थान इंडस्ट्रीज लि., गांव चौबारा, तह.-बहरोड़।

(ग) विभाग में इकाई स्थापना हेतु विचाराधीन प्रकरणों का विवरण :-

1. डिस्टलरीज जिन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा चुका है : –

(अ) अलवर ब्रेवरीज एण्ड डिस्टलरीज लि. विलेज करोड़ा, बहरोड़।

(ब) मैसर्स ग्लोबल एग्रोनिक्स लि. ग्राम श्यामपुर तह. बहरोड़।

(स) मैसर्स अजंता केमिकल्स लि., मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर।

2. ब्रेवरीज जिन्हें अनुज्ञापत्र देने की कार्यवाही प्रारम्भिक स्तर पर विचाराधीन है :-

(अ) मै. रोचीज ब्रेवरीज लि., औद्योगिक क्षेत्र नीमराना, जिला अलवर।

(ब) मै. सोमदत्त ब्रेवरीज लि., ग्रा. दद्‌पुरी तह. तिजारा।

(मुख्य (आबकारी) मंत्री)

3. बोटलिंग प्लाण्ट जिनकी कार्यवाही प्रारम्भिक स्तर पर विचाराधीन है :—

(अ) कृष्णा एंटरप्राइजेज, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी।

(2) जी, हां।

(3) वर्ग विशेष के तीर्थ स्थल का उल्लेख नहीं है। जैन तीर्थ स्थल तिजारा प्रस्तावित डिस्टलरी/बुअरी से 30-32 किलोमीटर दूरी पर (सारेखुर्द) स्थित है। जहां पर केवल मदिरा। बीयर का उत्पादन किया जायेगा, विक्रय नहीं।

(4) शराब इकाइयों द्वारा मदिरा निर्माण काम में लिये जाने योग्य पानी की व्यवस्था स्वयं द्वारा विकसित स्रोतों से करनी होती है, अतः इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव सार्वजनिक जल आपूर्ति व्यवस्था पर नहीं होता है।

(5) जी, नहीं। क्यों कि यह व्यावहारिक नहीं है।

गढ़ टकनेत ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. (सीकर) में व्याप्त अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार

244. **श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत** (श्रीमाधोपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गढ़ टकनेत ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., गढ़ टकनेत, जिला सीकर में कब से कुल कितने खातेदार हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त खातेदारों को कब-कब कितना-कितना ऋण दिया गया तथा उनसे कितनी-कितनी राशि कब-कब वसूल की गई विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब किन-किन खातेदारों [illegible] कितनी-कितनी राशि कब से बकाया है विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि समस[illegible] राशि का भुगतान किये जाने के पश्चात [illegible] खातेदारों को वसूली के नोटिस जारी किये ग[illegible] हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि जिन्हें ऋण नहीं दिया गया अथवा जो काफी वर्षों पू[illegible] मर गए उनके नाम से भी ऋण दिया जान[illegible] दर्शाया गया है ? यदि हां, तो क्या सरका[illegible] द्वारा इस प्रकार के तथ्यों की जांच करवायी गयी ? यदि नहीं , तो क्यों ?

उत्तर

(1) गढ़ टकनेत ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., में 958 खातेदार हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट - 1 पर उपलब्ध है।

(2) ऋण प्राप्तकर्ता खातेदारों को दिये गये तथा वसूल किये गये ऋण का विवरण उनके खातों में अंकित है। खातों की नकलें परिशिष्ट - 2 पर उपलब्ध है।

(3) ऋणी खातेदारों की बकाया की सूची परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(4) खातों में बकाया राशि के आधार पर खातेदारों को नोटिस जारी किये गये थे। इन नोटिसों के विरुद्ध जिन खातेदारों ने वसूली जमा कराने के प्रमाण (रसीद) प्रस्तुत किये गये, उन खातेदारों के द्वारा जमा करवायी गयी ऋण राशि की वसूली कार्यवाही रोक दी गयी है।

सहकारिता मंत्री)

साथ ही खाते में रसीद राशि का इन्द्राज कराकर बकाया राशि सही किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(5) बैंक स्तर पर अब तक कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है। यदि ऐसी शिकायत सामने आती है तो तथ्यों की जांच करायी जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(सूची व विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला उदयपुर के किसानों को पशु क्रय करने हेतु देय ऋण एवं अनुदान

245. श्री शिवकिशोर सनाढ्य (उदयपुर) : क्या विशिष्ट योजना संगठन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर जिले में सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में बैंकों के माध्यम से किन-किन किसानों को कितनी-कितनी राशि पशु खरीदने हेतु कर्ज/अनुदान स्वरूप स्वीकृत कर चुकाई गई ? ब्यौरा पंचायत समितिवार सदन की मेज पर रखें।

(2) यह कर्ज/अनुदान किन-किन बैंकों के माध्यम से दिया गया ?

(3) किसानों को पशु खरीदने हेतु कर्ज/अनुदान दिये जाने के निर्धारित मानदण्ड क्या हैं तथा यह कर्ज/अनुदान अधिकतम कितने रुपये का दिया जा सकता है ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले में विगत तीन वर्षों में सरकार द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे स्वीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 8227 चयनित परिवारों को बैंकों के माध्यम से पशु खरीदने हेतु कर्ज/अनुदान स्वरूप राशि स्वीकृत कर भुगतान किया गया है। जिसका बैंकवार, वर्षवार एवं पंचायत समितिवार ब्यौरा परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) यह कर्ज/अनुदान निम्न बैंकों के माध्यम से दिया गया है :—

1. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
2. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक
3. बैंक ऑफ राजस्थान
4. पंजाब नेशनल बैंक
5. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया
6. सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक
7. इलाहाबाद बैंक
8. देना बैंक
9. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया
10. सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया

(3) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पशु खरीदने हेतु कर्ज/अनुदान उन्हीं गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित परिवारों को दिया जाता है, जिनकी वार्षिक आय 11,000/- या इससे कम है तथा जिनका चयन वर्ष 1992 में ग्राम सभाओं के माध्यम से किया गया हो। कर्ज की अधिकतम सीमा सम्बन्धित पशु इकाई हेतु स्वीकृत इकाई लागत को आधार मानते हुए पशुओं की किस्म, नस्ल एवं पशु क्रेता की पूर्ण भुगतान क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुए बैंक शाखा

292

(राज्य मंत्री, विशिष्ट योजना संगठन)

प्रबन्धक अपने विवेक अनुसार निर्धारित करता है। अनुदान की अधिकतम सीमा अनुसूचित जाति/ जनजाति के परिवार को इकाई लागत के 50 प्रतिशत या अधिकतम 6000/- अन्य जाति के सीमान्त कृषक, ग्रामीण दस्तकार इत्यादि को इकाई लागत का 33-1/3 प्रतिशत या अधिकतम 4000/- एवं लघु कृषक के लिये इकाई लागत का 25 प्रतिशत या अधिकतम 4000/- दिया जाता है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट - 3

अतारांकित प्रश्न संख्या 274 की प्रति

राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम

67 (आई) से 67 (एल) की प्रति।

CHAPTER VII-B

Licence on Payment of lump sum instead of or in addition to duty

1 [67-I.] Licence on payment for exclusive privilege, -(1) Licence for exclusive privilege of selling country liquor by retail within any local area under Section 24 May be granted on condition of payment of such lump sum instead of, or in addition to excise duty, as may be determined by the Excise Commissioner and subject to such other terms and conditio as may be laid down by him.

(2) Licence for exclusi privilege of selling by retail count- liquor at a shop may be grante either -

(a) by negotiations with th existing licensees ;

offer under sub-rule (1), c where no offer is made unde sub-rule (1) on account of an general or special direction of th Excise Commissioner, make an offer to any other person for the grant of a licence on the same terms and conditions as those contained in the offer under sub-rule (1) :

(b) by auction ;

(c) by inviting sealed tenders;

(d) by negotiation with the third parties (persons other than existing licensees).

(3) Nothing in these rules shall prevent adoption of any of the above methods in any order in respect of any shops or categories of shops or adoption of different methods for different catrgories of shops.

67-J- Procedure for allotment by negotiations 1[(1) Subject to such general or special directions

as may be issued by the Excise Commissioner from time to time. A licence under Rule 67-E may be granted by way of allotment by negotiation in accordance with the procedure laid down in sub-rules (2) and (4)].

(2) Subject to such general or special directions as may be issued by the Excise Commissioner from time to time, the District Excise Officer may, before the commencement of the financial year, make an offer to the existing licensee of the shop in the form laid down by the Excise Commissioner for the grant of licence for the ensuing year, indicating therein the amount of payment for exclusive privilege payable by him under Rule 67-1, and the conditions of licence. Such an offer shall give not less than five days, within which he may communicate to the District Excise Officer his acceptance, or otherwise of the offer in the form laid down by the Excise Commissioner. The acceptnce shall be accompanied with proof of payment of such security and in such manner as may be indicated in the offer ;

Provided that no offer under this sub-rule shall be made to an existing licensce who has not been of good behaviour during the period of previous licence or suffers from any of the disabilities mentioned in Rule 74 :

Provided further that if the licensee fails to cummunicate his acceptance within the period of 5 days or if the acceptance is not accompanied by proof of payment of security as aforesaid, such offer shall be deemed to have been rejected by him.

2 (3) [X X X X X]

(4) On receipt of the acceptance of the offer from the licensee 2[XXX] , the District Excise Officer shall, subject to such general or special direction as may be issued by the Excise Commissioner, grant the licence.

3[(5) Subject to the written sanction of the Excise Commissioner licence under this rule may be granted in respect of group of shops jointly]

4[67-K. Procedure for auction. - (I) Subject to such general or special directions as may be issued by the Excise Commissioner form time to time,

the District Excise Officer may put the licence under Rule 67-1 for any area to auction.

(ii) In such an auction the Presiding Officer shall call bids for the Lump sum payment for exclusive privilege payable instead of, or in addition to excise duty, as may be directed by the Excise Commissioner.

(iii) Clauses (1) and (3) to (9) of the Rule 61 and Rules 62 to 65 shall, so far as may be, be applicable mutalis mutandis to such auctions.

[5][(iv) Subject to the written sanction of the Excise Commissioner licence under this rule may be granted in respect of a group of shops.

[1][67. K.K.- Procedure for invitation of sealed tenders. -(1) Subject to such general of directions as may be issued by the Excise Commissioner from time to time licences under rule 67.I may be granted for any area by inviting sealed tenders.

(2) In such case, sealed, tenders will be invited by the Excise Commissioner for the amount of sum payable for exclusive privilege instead of 87 in addition to excise duty as may be directed by the Excise Commissioner.

(3) A tender notice shall be issued by Excise Commissioner at least 15 days before the date fixed in the notice for receipt of tenders. The time upto which tenders shall be received on the form to be obtained from fixed days shall be indicated in the notice the tenders shall be submitted in the from office of any District Excise Offices/Excise Commissioner on payment of such fee as may be fixed by the Excise Commissioner. Tenders received after the time and the date fixed in the notice shall not be valid and shall not be taken into consideration

[2][Provided that after once having invited tender if it is considered necessary to invite tenders afresh with such changes as may be deemed necessary, tender notice shall be issued for such a shorter period not less than 3 days as may be deemed proper by the Excise Commissioner].

(4) The Excise Commissioner shall specify minimum amount of sum payable for grant of exculsive privilege in case of each shop and

295

no tenders less than this amount shall be acceptable.

³[(5) Subject to the written sanction of the Excise Commissioner, lincence under this rule may be granted in respect of a group of shops.

(6) Every tender shall be accompanied by such earnest money as may be indicated by the Excise Commissioner. The tender shall be received by the Excise Commissioner and shall be opened by him on the date and at the time to be fixed by him in presence of such tenderers as may be present.

(7) Every tender shall be initialed by the Excise Commissioner and the amount of tenders shall be written thereon by the Excise Commissioner as soon as the tender opened.

(8) All tenders received shall be recorded in a register in the form laid down by the Excise Commissioner. The Excise Commissioner shall be authority competent to accept or reject any tender. Where the amount offered by any tenderer is acceptable to the Excise Commissioner but such an amount has been offered by more than one tenderer, a decison shall be taken by the Excise Commissioner by drawal of lots in the presence of tenderers concerned, if any.

(9) Acceptance of a tender shall be communicated to successful tenderers in the from laid down by the Excise Commissioner and the tenderer shall be required to furnish due security in cash within the time indicated in this communication.

(10) If the required security is not fursnished within the time indicated, acceptance of the tender may be revoked by the Excise Commissioner and the earnest money deposited by the tenderer with the tender shall in the event of such revocation be forfeited to the State.

(11) On the cover of the sealed envelop containing the tender submitted, shall not be required to indicate amount or name of shop for which tender is being submitted.

1 [67-L. Adoption of any other method-2 [* * *] The Excise Commissioner may at his discretion grant licence under Rule

67-I for any area by negotiation of any third party :

Provided that in making negotiations with third parties highest bidder if any shall also be given a chance to make a higher offer 3[or highest tenderers unless he is debarred from holding licence under any provision of the Act or Rules or has rejected the offer under sub-rule (2) of Rule 67-I].

परिशिष्ट - 4

अतारांकित प्रश्न संख्या 277 की प्रति

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप -1) विभाग

प्रेषिति :

1. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त।
3. समस्त जिला कलक्टर।

क्रमांक : प.9 (1) राज/ग्रुप-1/84 जयपुर दिनांक : 23.2.94

विषय : नये राजस्व ग्राम घोषित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्तमान में नये राजस्व ग्राम घोषित करने की यह व्यवस्था है कि आम तौर पर उस ग्राम की जनता की मांग पर अथवा ग्राम पंचायत की मांग पर इन प्रस्तावों पर विचार कर नये गांव घोषित करने के बारे में विचार किया जाता है। परन्तु अब यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीणों की मांग हो अथवा नहीं, यदि राजस्व अधिकारी यह अनुभव करते हैं कि ऐसे ग जिनकी आबादी ढाणियों में बसी है और उस क्षेत्र काफी फैला हुआ है, तो वे अपने स्तर यह प्रस्ताव जिलाधीश, राजस्व मण्डल के मा राज्य सरकार को भिजवायें। ऐसे प्रस्ताव भेज समय यह ध्यान रखा जाये की प्रस्तावित न गांव की आबादी 250 से कम नहीं हो त क्षेत्र की दृष्टि से भी वे सुगठित व सुविधाजन रहे। जहां आबादी बिखरी हुई हो, ढाणि अथवा मजरों में बनी हुई हो, उन गांवों केन्द्र बिन्दु स्थापित कर लिये जाये ताकि न प्राथमिक शाला/उच्च प्राथमिक शाला/पीने पानी की सुविधा/ चिकित्सालय/ औषधाल आदि की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। य भी ध्यान में रखा जाये कि इन सुविधाओं हे भूमि भी उपलब्ध हो। जहां सरकारी भू उपलब्ध नहीं है। यह भी ध्यान रखा जाये कि वहां ग्रामीण इन प्रयोजनाओं के लिए भू उपलब्ध कराने को तैयार हो।

भवदी

ह

(के.पी. सिंघल

शासन उप सचिव, राजस्

परिशिष्ट - 5

अतारांकित प्रश्न संख्या 278 का विवरण

कार्यालय जिला कलक्टर उदयपुर

क्रमांक : प. 12/3 (1) राजस्व/होटल/96/1719-25 दिनाक 15 मई, 1996

आदेश

राज्य सरकार (राजस्व ग्रुप -3-विभाग) की स्वीकृति क्रमांक : प.2 (78) ग्रुप-3/96 दिनांक 10-5-96 के अनुसरण में तहसील गिर्वा के

मौजा नाथावतों का गुडा की निम्नलिखित बिलानाम अराजियात मैसर्स फ्लोरा इन प्रा. लि. उदयपुर को होटल/रिजोर्ट्स के संनिर्माण हेतु राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमा, होटल के संनिर्माण तथा पैट्रोल पम्प की स्थापना हेतु कृषि भूमि का आबंटन, संपरिवर्तन और नियमतीकरण) नियम, 1978 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों पर एतदद्वारा आबंटन की जाती है :–

खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
846	0.0450 है.	मगरी
847	0.0450 है.	"
848	0.0500 है.	"
849	0.0150 है.	"
850	0.0200 है.	"
851	0.0350 है.	"
852	0.0400 है.	"
853	1.2200 है.	"
902	0.0900 है.	"
903	0.0300 है.	"
905	3.7000 है.	"

कुल किता 11 रकबा 5.2900 हैक्टेयर

शर्तें :–

(1) यह आबंटन कृषि भूमि की तहसील बाजार दर पर 20 वर्ष की लीज पर होगा तथा इस अवधि के पश्चात् नियमानुसार लीज का नवीनीकरण हो सकेगा।

(2) बडी के तालाब में इस भूमि तक आवागमन के लिये प्रार्थी नियमानुसार परिवहन विभाग से अनुमति प्राप्त कर ही नाव द्वारा आवागमन करा सकेगा।

(3) इस भूमि पर होटल/रिसोर्ट का निर्माण मुख्य तालाब से कम से कम 100 मीटर की दूरी छोड़ते हुए किया जावेगा ताकि तालाब कि नैसर्गिक सौन्दर्यता बनी रहें।

(4) रिसोर्ट/होटल का निर्माण कार्य नगर नियोजक विभाग से मानचित्र पारित/ अनुमोदित करवा कर किया जावेगा।

(5) नियमानुसार आबंटित भूमि को 5% प्रतिशत भू-भाग पर ही होटल/रिसोर्ट आदि का निर्माण कार्य कराया जा सकेगा।

(6) कॉटेज निर्माण हेतु भू-भाग जो काम में ली जोयगी उसके प्लीन्थ एरिया के अन्तर्गत आई भूमि के दुगुने क्षेत्र के लिये राजस्थान भू-राजस्व (नगरीय क्षेत्रों में आवासीय तथा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ कृषि भूमि का आबंटन, संपरिवर्तन एवं नियमितिकरण) नियम, 1981 के प्रावधानों अन्तर्गत रूपान्तरण शुल्क देय होगा। यह शुल्क रुपये 3.75 प्रति वर्गगज हैं। यह एरिया 6311.12 वर्गगज हैं।

(7) आवंटित भूमि पर बाजार मूल्य देय होगा जो उप पंजीयक की रिपोर्ट के अनुसार 10,000/- रुपया (दस हजार रुपया) प्रति बीघा हैं।

(8) राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमा, होटल के सन्निर्माण तथा पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु कृषि भूमि का आबंटन, संपरिवर्तन और नियमितीकरण) नियम, 1978 के नियमों में उल्लेखित अन्य शर्तों की पालना हेतु आबंटी बाध्य होगा।

(9) राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमा, होटल के सन्निर्माण तथा पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु कृषि भूमि का आबंटन, संपरिवर्तन और नियमितीकरण) नियम, 1978 के नियमों के नियम-9, (ए) (डी) के अन्तर्गत अधिकतम 6 माह की अवधि में कार्य प्रारम्भ किया जाकर 3 वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाना होगा। निर्माण की अवधि बढ़ाने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति जरिये जिला कलक्टर प्राप्त की जाना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दिये जाने की स्थिति में भूमि राज्य सरकार (राजस्व विभाग) में निहित हो जायेगी।

(10) आबंटित भूमि का उपयोग आबंटी द्वारा उसी प्रयोजनार्थ किया जावेगा जिसके लिये यह आबंटन आदेश है।

(11) आवंटित भूमि का हस्तान्तरण जिला कलक्टर की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

(12) आबंटी फर्म आबंटन आदेश जारी होने के एक माह के अन्दर निर्धारित प्रपत्र में लीजडीज सम्पादित कर इसका नियमानुसार पंजीयन करायेगी।

(13) आबंटी फर्म निम्नानुसार राशि राज्य कोष में जमा कराने हेतु पाबन्द होगी :–

(ए) भूमि की कीमत :—2,44,840-00

10,000/- रुपया (दस हजार रुपया) प्रति बीघा की दर से 5.2900 हैक्टेयर भूमि का कुल मूल्य

(बी) निर्माण :—71,000-00

कॉटेज निर्माण क्षेत्र का रूपान्तरण शुल्क आबंटन आदेश के बिन्दु संख्या 6 में वर्णित प्लीन्थ एरिया 3155.56 वर्गगज का दुगुना 6311.12 वर्गगज का रुपया 3.75 प्रति वर्गगज की दर से तीन गुना ।

(सी) मुख्य होटल क्षेत्र का राजस्थान भू-राजस्व (सिनेमा, होटल के सन्निर्माण तथा पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु भूमि का आबंटन, संपरिवर्तन और नियमितीकरण) नियम, 1978 के नियम 9 ए, (3 ए) व 9 (8) के अन्तर्गत 4000 वर्गगज का 1250/- रुपया (एक हजार-दो सो पचास रुपया) प्रतिमाह की दर से 3155.56 वर्गगज का किराया। यह ग्राम उदयपुर के परिधिय ग्रामों की श्रेणी में हैं।

493.00 प्रतिमाह

(डी) अन्य भूमि अर्थात 12.42 एकड़ का 500/- रु. (पांच सौ रुपया) प्रति एकड़ की दर से विकास शुल्क

6,210-00 एक मुश्त

(ई) 12.42 एकड़ भूमि का ही 250/- रुपया (दो सौ पचास रुपया) प्रति एकड़ की दर से वार्षिक किराया

3,105-00 वार्षिक किराया

(14) आबंटी नियमों में निर्धारित सार्वजनिक आम रास्ते से दूरी छोड़ते हुए ही निर्माण कार्य करायेगा।

ह.

जिला कलक्टर

उदयपुर

299

परिशिष्ट -6

अतारांकित प्रश्न संख्या 280 की सूची

दिसम्बर 94 से जून 1996 तक छोटे किसानों या भूमिहीन किसानों को वितरित की गई षि भूमि की सूची (विधानसभा क्षेत्र पाली)

बंटन मांक	क्र. सं	नाम आवंटी	ख.सं.	रकबा	किस्म
	2	3	4	5	6
.6.95 लेरिया सण	1.	मंगलदास/नारायणदास एसटी (चयनित) मेणा घोलेरिया जागीर	95/1	8 बीघा	बी-III
	2.	मोहनदास/नारायणदास मेणा घोलेरिया जागीर एस टी चयनित	95/1	10 बीघा	बी-III
	3.	अणदाराम/मांगीलाल ढोली एस.सी. चयनित घोलेरिया सांसण	95/1	8 बीघा	बी-III
	4.	भंवरलाल/हिमता ढोली नेहरा एस.सी. चयनित	95/1	8 बीघा	बी -III
	5.	वजीया/पोकर भाम्बी एस.सी.चयनित	95/1	7 बीघा	बी -III
	6.	कानाराम/खेताराम भाम्बी एस.सी. चयनित घोलेरिया सांसण	95/1	3 बीघा	बी-III
	7.	डाया/आशा भाम्बी एस.सी. चयनित घोलिरया सांसण	95/1	3 बीघा	बी-III
	8.	घेवरराम/घीसा राइका चयनित घोलेरिया सांसण	95/1	10 बीघा	बी-III

(300)

1	2	3	4	5	6
13.10.95 नादानाभाटान	9.	मोहनलाल/खरता भील नादानाभाटान	330	11.19 बीघा	
	10.	गुलाबराम/डूंगा मेणा नादानाभाटान	330	11.10 बीघा	
	11.	पूनाराम/गुमनाराम मेघवाल नादानाभाटान	330	10.15 बीघा	
	12.	भूता/तेजा मेणा नादानाभाटान	330	10.05 बीघा	
	13.	पूनाराम/केसा सरगरा नादानाभाटान	330	9.10 बीघा	
	14.	पाबू/हेमा रवारी नादानाभाटान	330	9.00 बीघा	
	15.	दूदाराम/भगाराम राईका नादाराभाटान	330	9.00 बीघा	
15.12.95 दिवान्दी	16.	घीसाराम/लालाराम मेणा दिवान्दी	159/2/577	13.11 बीघा	
	17.	पनाराम/हलारजी मीणा दिवान्दी	159/2/578	12.10 बीघा	
	18.	गीगाराम/नेमाराम मेणा दिवान्दी	159/2/579	12.10 बीघा	
	19.	झालाराम/जेठाराम मेघवाल दिवान्दी	159/2/580	12.10 बीघा	
	20.	सुजाराम/बंशीलाल हरिजन दिवान्दी	159/2/581	12.10 बीघा	
	21.	बेलाराम/थानाजी मेघवाल दिवान्दी	159/2/582	12.10 बीघा	
			कुल रकबा	205.00 बीघा	

ह.

उपखण्ड अधिका

पाल

तहसीलदार, पाल

परिशिष्ट -7

अतारांकित प्रश्न संख्या 286 का विवरण

हितग्राही योजना के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों का विवरण

क्र.सं. नाम एवं पता		
1. श्री रामा : प्यारा	आदिवासी निवासी	जैथलिया
2. श्री कचरिया : प्यारा	"	"
3. श्री परुद : गोवरिया	"	"

क्र.सं. नाम एवं पता		
. श्री पैमाः दीतिया	आदिवासी निवासी	जैथलिया
. श्री हगजीः लसीया	"	"
. श्री नारायण : केसीया	"	"
. श्री धरमाः पूजिया	"	"
. श्री रकसा : नाथू	"	"
. श्री धारजी : दूका	"	"
0. श्री शान्ति : वागजी	"	"

हितग्राही योजना की संविदा का विवरण

1. अनुबन्ध

हितग्राही परिवार को वन विभाग के साथ अनुबन्ध में यह कार्य करना होगा। समय पर आवश्यकतानुसार कार्य नहीं करने पर विभाग स्वयं अथवा अन्य श्रमिकों से कार्य करवा सकता है। हितग्राही परिवार द्वारा कार्य न करने अथवा छोड़कर चले जाने पर श्रमिक किसी राशि अथवा वन उपज का हकदार नहीं रहेगा।

2. मोटीवेटर

प्रेरक भी वनविभाग के साथ अनुबन्ध में कार्यों की देख रेख करेगा। इसके द्वारा समय पर निर्धारित कार्य नहीं करवा सकने पर अथवा छोड़कर चले जाने पर कार्यों की देखरेख किसी अन्य से करवाई जायेगी। पूर्ण किये कार्य मार्च के अन्त में रोपित में से जीवित पौध एवं नर्सरी से तैयार पौध अनुसार ही मोटिवेशन राशि देय होगी।

परिशिष्ट - 8

अतारांकित प्रश्न संख्या 290 का विवरण

सेवा में,

जिला शिक्षा अधिकारी

छात्र संस्थाएं, अलवर।

विषय : श्री सीयाराम पुस्कालय अध्यक्ष बीजवाड चौहान द्वारा गलत हलफनामा व प्रार्थना पत्र देकर स्वयं के पुत्र कृष्णपाल को स्वयंपाठी के रूप में कक्षा आठ की परीक्षा दिलाने की जांच –

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक जिशिअ/अल/सामान्य - 1/फा-जांच/565 दिनांक 7/12/95 –

महोदय,

प्रासंगिक पत्र मुझे अर्द्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लेने गया तब 13-12-95 को प्राप्त हुआ, जिसकी पालनार्थ जांच तिथि 19-12-95 निश्चित कर प्रधानाचार्य रा.सी.मा. वि. बीजवाड चौहान को सम्बन्धित व्यक्तियों/कर्मचारियों को दिनांक 19.12.95 को उपस्थित रहने हेतु पाबन्द/ सूचित करने का निवेदन किया गया।

में जांच हेतु प्रातः 10 बजे बीजवाड चौहान पहुंचा। शिकायत कर्ता उदय सिंह पुस्तकालय अध्यक्ष सीयाराम विद्यालय के मौजूद थे। उन दोनों से बारी बारी से जांच प्रश्नाधार पर बयान लिये गये। उन दोनों के बयानों के परिप्रेक्ष्य में पूर्व परीक्षा प्रभारी रतन सिंह अध्यापक एवं श्री वर्तमान प्रभारी श्री रामरस से भी बयान लिए गए तथा अंत में प्रधानाचार्य जी से भी जानकारी चाही गई। जांच निष्कर्ष निम्नलिखित है -

(1) हलफनामा श्री सीयाराम पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया न होकर उसके ममेरे भाई रामसिंह यादव द्वारा दिया हुआ है तो उन दिनों सितम्बर 90 से जनवरी 91 तक हुलमानाखुर्द रहा था क्योंकि उस समय श्री सीयाराम के भाई की दुर्घटना हो गई थी और उसका इलाज दिल्ली चल रहा था श्री सीयाराम को दिल्ली बार बार आना जाना पड़ता था और उसने 14.9.30 तथा 19.12.90 को खून भी दिया था। मूल सर्टिफिकेट आफ डोनेशन मुझे प्रमाण स्वरूप दिखाये गये जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न हैं। शपथ पत्र में जन्मतिथि 11.9.77 है।

(2) दिनांक 30.9.90 को दिया गया प्रार्थना पत्र जिसमें छात्र कृष्णपाल की जन्मतिथि 11.9.79 अंकित की गई हैं वह श्री सीयाराम की लेखनी से लिख हुआ नहीं है यह बात उसके लिखित बयानों से भी प्रमाणित होती है। सीयाराम का कहना है कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे चचेरे भाई श्री रतनसिंह अध्यापक पूर्व शिक्षा प्रभारी का लिखा हुआ है जिस पर मेरे भाई की दुर्घटना के दौरान जब मैं बहुत दुखी और परेशान था तब मेरे हस्ताक्षर कब और कैसे करा लिए मुझे इसका ज्ञान नहीं है। वैसे भी इस प्रार्थना पत्र पर व्याख्याता के प्रमाणीकरण की तारीख में ओवर राइटिंग है इससे स्पष्ट परिलक्षित होता है कि उक्त प्रार्थना पत्र वर्ष 91 में जोड़ा गया है और व्याख्याता द्वारा अंकित करके 30.9.90 बनाया गया है। 30.9.90 को विद्यालय बन्द था उस समय। उस समय न श्री सियाराम विद्यालय में मौजूद थे और न सेवा निवृत्त पूर्व प्रधानाचार्य श्री लक्ष्मण सिंह कांवत।

मेरे मत में तत्कालीन परीक्षा प्रभारी श्री रतन सिंह ने यह कहकर श्री सीयाराम व प्रधानाचार्य से हस्ताक्षर कराए होंगे कि नियमानुसार स्वयंपाठी का प्रार्थना पत्र 30 सितम्बर तक कार्यालय में आ जाना चाहिए अन्यथा वह अंतिम दिनांक निकलने पर परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं रहेगा 30.9.90 को उपस्थित पंजिका में राज्य सरकार द्वारा घोषित अवकाश अंकित है। प्रथम दृष्टया यह लेख श्री रतनसिंह का ही लगता है जिसकी हस्तलिपि विशेषज्ञ से जांच कराई जा सकती है। श्री सीयाराम श्री रतन सिंह व श्री उदयसिंह चचेरे भाई हैं। श्री सीयाराम के कथन "यह श्री रतन सिंह की कार्यवाही है ...और रंजिशवश मुझे व मेरे पुत्र को फंसाने के लिए उसने यह प्रपंच रचा है, में काफी संभाव्यता दृष्टिगत होती है। इस आशंका की पुष्टि निम्नलिखित तथ्यों से भी होती है : –

1. श्री रतनसिंह के बयानों में सत्यता का अभाव, उससे पूछा गया प्रश्न सं. 2 का उत्तर सर्वथा मिथ्या है। यह ठीक है कि 1.12.90 को वह परीक्षा प्रभारी नहीं था क्योंकि 27.11.90 को उसने परीक्षा का चार्ज श्रीरामरस

Page No 303

(303)

संभला दिया था पर शपथ पत्र अंकित ानाचार्य की टिप्पणी "परीक्षा प्रभारी 10/- ल्क प्राप्त कर स्वीकृति के आदेश तैयार कर करें।" की पालना श्री रतनसिंह ने ही की क्योंकि स्वीकृति आदेश उसी के लेख एवं ताक्षरों से युक्त है। फोटो प्रति संलग्न है।

2. दीपावली अवकाश में प्रभारी बनाए ने पर अपने चचेरे भाई उदयसिंह से शिकायत ाना व प्रधानाचार्य के नाम दिए गए प्रार्थना को प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत न कर ्यं ही निर्णय लेकर परीक्षा सम्बन्धी गोपनीय तावेजों की बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति फोटो प्रतियां कराकर उदयसिंह के प्रार्थना को स्वयं उच्च अधिकारी को प्रेषित करना।

3. यदि श्री सीयाराम की मंशा जन्मतिथि परिवर्तन की होती तो वह शपथ पत्र में भी .9.79 ही लिखाने हेतु अपने ममेरे भाई र्सिह यादव को कहता।

(3) जहां तक छात्र के किसी भी विद्यालय अध्ययन न करने के शपथ पत्र की बात है गलत है। छात्र कृष्णपाल ने इसी विद्यालय 5.7.88 को प्रवेश लेकर 15.5.89 को क्षा 6 उत्तीर्ण की थी और 16.5.89 को क्षा 6 उत्तीर्ण कर टी.सी. कटा ली थी। ाशांक 5940 के अनुसार उसकी जन्मतिथि .9.77 है।

(4) छात्र कृष्णपाल ने वर्ष 1991 में ठवीं की परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण इसी विद्यालय की नवीं कक्षा में 4.7.91 प्रविष्ट हुआ (प्रवेशांक 6639 जन्मतिथि .9.79) और 1193 में सैकेण्डरी स्कूल पर क्षा उत्तीर्ण कर 9.7.93 को टी.सी. लेकर ्यत्र पढ़ने चला गया और वर्तमान में बी.ए. म वर्ष का छात्र है।

(5) छात्र को बोर्ड का प्रमाण पत्र मिल चुका है जिसमें जन्मतिथि 19.9.79 अंकित है। 10.9.90 के शपथ पत्र और तथा कथित 30.9.90 के विवादास्पद प्रार्थना पत्र के आधार पर अब 5 वर्ष बाद शिकायत करना निरर्थक व निस्सार है।

(6) शिकायत कर्ता के बयानों और पूर्व में दिए शिकायत कर्ता के प्रार्थना पत्र में तथ्यों में भिन्नता होने से स्पष्ट परिलक्षित है कि उदयसिंह को मोहरा बनाकर शिकायत में श्री रतनसिंह अध्यापक का हाथ है।

(7) परीक्षा स्वीकृति निकालने का प्रारूप श्री रतनसिंह अध्यापक द्वारा निकाला गया है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं और प्रथम दृष्ट्या उस का लेख लगता है। उसका यह कर्तव्य था कि शपथ पत्र में लिखी जन्मतिथि 11.7.77 व (विवादास्पद) प्रार्थना पत्र में लिखी जन्मतिथि 11.7.79 के अन्तर को प्रधानाचार्य के समक्ष रखता पर उसने ऐसा नहीं किया। प्रधानाचार्य को अंधेरे में रखाया उसने प्रार्थना पत्र परीक्षा के बाद 91 में जोड़ा जिसकी कि अधिक संभावना है।

(8) नवीं कक्षा में छात्र प्रवेशांक 6639 पर जन्मतिथि का प्रमाणीकरण तत्कालीन उपप्रधानाचार्य श्री ज्ञानचंद मौर्य द्वारा किया हुआ है। अतः जाँच निष्कर्ष उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

ह.

प्रधानाचार्य

रा.सी. मा.वि. शाहजहांपुर

(अलवर)

(304)

परिशिष्ट -9

अतारांकित प्रश्न संख्या 292 का विवरण

लोक जुम्बिश परियोजना लागू पंचायत समितियों की जिलेवार सूचना

क्र.सं. जिले का नाम	लोक जुम्बिश परियोजना लागू पंचायत समिति का नाम
1. अजमेर	1. अरांई
	2. पीसांगन
	3. सिलौरा
	4. श्रीनगर
	5. जवाजा
	6. मसूदा
	7. भिनाय
	8. केकड़ी
2. अलवर	9. थानागाजी
3. बीकानेर	10. लूणकरणसर
	11. बीकानेर
	12. कोलायत
	13. नोखा
4. बारां	14. किशनगंज
	15. शाहबाद
	16. बारां
5. बांसवाड़ा	17. गढ़ी
	18. कुशलगढ़
6. चित्तौड़गढ़	19. प्रतापगढ़
7. भरतपुर	20. कामां

Page No 305

305

क्र.सं.	जिले का नाम	लोक जुम्बिश परियोजना लागू पंचायत समिति का नाम
	भीलवाड़ा	21. शाहपुरा
		22. आसीन्द
.	बूंदी	23. तालेड़ा
10.	डूंगरपुर	24. बिच्छीवाड़ा
		25. डूंगरपुर
		26. सिमलवाड़ा
		27. सागवाड़ा
		28. आसपुर
1.	टोंक	29. टोडारायसिंह
2.	जयपुर	30. फागी
		31. चाकसू
13.	सिरोही	32. आबूरोड
14.	उदयपुर	33. झाड़ोल
		34. कोटड़ा
		35. धरियावद
15.	पाली	36. बाली
		37. देसूरी
16.	राजसमन्द	38. खमनौर
		39. राजसमंद
17.	नागौर	40.कुचामन
		41. नागौर
18.	सवाईमाधोपुर	42. गंगापुर
19.	जोधपुर	43. फलौदी

Page No 306

(306)

क्र.सं.	जिले का नाम	लोक जुम्बिश परियोजना लागू पंचायत समिति का नाम
		44. बाप
		45. मण्डोर
20.	बाड़मेर	46. चोहटन
		47. बाड़मेर
21.	चुरू	48. राजगढ़
22.	झालावाड़	49. झालरापाटन
		50. मनोहरथाना
23.	कोटा	51. लाडपुरा
24.	धौलपुर	52. बसेड़ी
25.	दौसा	53. दौसा
26.	जालौर	54. आहोर
		55. जालोर
27.	जैसलमेर	56. पोकरण
		57. जैसलमेर
28.	चित्तौड़गढ़	58. बड़ी सादड़ी

परिशिष्ट-10

अतारांकित प्रश्न संख्या 296 की सूची

डूंगरपुर जिले के अविद्युतीकृत ग्रामों की सूची

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
	पंचायत समिति डूंगरपुर	
1.	खुमानपुरा	23/1/114
2.	पारडा चोबीसान	118
3.	मोठ	120
4.	भगल बालावतान	122
5.	केसरपुरा	142
6.	वीरीचक	222
7.	नाबा तत्पराम	223
8.	ढानी हताई	241
9.	बीकासोर	242
10.	कालू गामडा	243
11.	बंडी घाटी	255
12.	दर्रा	259
13.	कन्हाडी चक बी	262
14.	बायोरा	267
15.	बान्दरा	270
16.	थायटा	272
17.	जीवली का बांटा	23/4/2
18.	घाटी दुबड़ा	3
19.	मन्डेला निचली	6

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
20.	पतियों का बंगा	7
21.	आमली फलां	10
22.	घोलका	11
23.	नराता फलां	17
24.	रंगपुर	4
पं.सं. बिछीवाड़ा		
1.	पीथापुरा	23/1/48
2.	खेरवाड़ा	49
3.	पांथल	53
4.	नान का वाला	57
5.	सेमलिया	63
6.	बाका खारा बीड़	190
7.	ऊपर गामिया	215
8.	हिम्मतपुरा	217
9.	चक महूरी I व II	218
10.	मोर डूंगरा	23/4/30
पंचायत समिति आसपुर		
1.	ढाणी दान जी	23/2/34
2.	ढाणी तालाब	35
3.	गढ़ी नवल सिंह	43
4.	गढ़ी मचारिया	48
5.	मलाया	51
6.	नवा गांव बाबाजी	52
7.	मठ झरियाना	53
8.	बंटा गोल	60
9.	गडा शक्तावत	63
10.	चक पवन	79

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
11.	भटवाड़ा	112
12.	ढानी	116
13.	खातेला	117
14.	पारी	135
15.	साती खेड़ा (वीरान)	142
16.	सुन्डेल खेड़ा	143
17.	दांतली खेड़ा	144

पंचायत समिति सागवाड़ा

1.	चक नोखना	23/3/1
2.	कन्तारी	3
3.	भागेला	5
4.	प्रतापपुरा	11
5.	बान खन्द कांथल	43
6.	पदमपुरा	45
7.	गामडा चारनिया	69
8.	शिवरामपुरा	76
9.	तीमरूवा	86
10.	मातृवेत	105
11.	बीरगामडा उर्फ गामडा बीर	124
12.	ढाणी कालाजी	140

पंचायत समिति सीमलवाड़ा

1.	कसारिया	23/3/178
2.	नवागढ़ा माताजी	179
3.	रतनपुरा	23/3/180
4.	केसरपुरा	199
5.	नैन सावा	202

क्र.सं.	ग्राम का नाम	कोड नं.
6.	बांसिया	23/4/111
7.	नई बस्ती बडगामा	153
8.	खोखरवा	154
9.	चकयारियाला	155
10.	बादेला	163
11.	डूंगरसारन	167
12.	अम्बाडा	202
13.	कोचरी	203
14.	बायोरी	205
15.	भैरावपुरा	209
16.	मेडी टेम्बा	211
17.	बेदुआ	212
18.	माली	213
19.	बृजवाडा	214
20.	गमला	215
21.	नवागांव	216
22.	सालेरा	218
23.	ओडा	219
24	वागवा	221
25	राहदोर	222
26	दाद	224
27	सालाखेड़ी	225

(311)

परिशिष्ट - 11

अतारांकित प्रश्न संख्या 297 का विवरण

उपखण्डवार बिजली तार चोरी की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने का विवरण

उपखण्ड :– बयाना

क्र.सं.	वर्ष	गांव/स्थान का नाम	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की तिथि	विशेष विवरण
1.	94-95	बिडयारी	252/22.4.94	पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की
2.	95-96	बन्धबारेठा	852/5.5.95	पुलिस द्वारा काई कार्यवाही नहीं की
3.	95-96	फरसों	613/8.6.95	एफ. आर. 81/24.7.95
4.	95-96	पिदावरी	682/14.6.95	"
5.	"	खटनावली	809/22.6.95	"
6.	"	हरसागर	7/96	एफ. आर.
7.	"	जरखोर	49/96	
8.	"	हरी नगर	49/96	एफ. आर.
9.	"	नारोली	162/96	पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की

उपखण्ड :– नदबई

1.	95-96	नगला कबई व बुढवारी खुर्द	231/95	-
2.	95-96	हन्तरा	419/95- 21.11.95	-
3.	95-96	खेडी देवीसिंह	36/96- 17.1.96	-
4.	95-96	नदबई	47/96-21.1.96	-
5.	95-96	नदबई	47/96-21.1.96	-
6.	95-96	बुढवारी से डहरामोड	47/96-21.1.96	-
7.	95-96	खेडी देवीसिंह	100/96-21.2.96	-
8.	95-96	बुढवारी से डहरामोड	100/96-21.2.96	-

(312)

क्र.सं.	वर्ष	गांव/स्थान का नाम	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की तिथि	विशेष विवरण
9.	95-96	नगला खटौटी	100/96-21.2.96	-
10.	95-96	नयावास	119/96-7.3.96	-

उपखण्ड :– डीग

क्र.सं.	वर्ष	गांव/स्थान का नाम	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की तिथि	विशेष विवरण
1.	93-94	नरेणाकटा	176/93	-
2.	93-94	पितमदासकुण्डा डीग	215/93	-
3.	93-94	गहरी डीग	270/93	-
4.	93-94	भोले का बाग डीग	307/93	-
5.	93-94	कामा रोड डीग	370/93	-
6.	94-95	नाहराचौक	56/94	
7.	94-95	भूडागेट डीग	42/95	-
8.	94-95	कुम्हेर से डीग	505/95	-
9.	95-96	दातरोटी	86/95	-

उपखण्ड : – कुम्हेर

क्र.सं.	वर्ष	गांव/स्थान का नाम	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की तिथि	विशेष विवरण
1.	95-96	सिनसिनीलाईन	14.7.95	पुलिस द्वारा कोई भी तार इत्यादि बरामद नहीं किया गया।
2.	95-96	गुनसारा से अबोरा	11.7.95	
3.	95-96	सिनसिनीलाईन	19.7.95	
4.	95-96	कुम्हेर से बेलाडा	27.7.95	
5.	95-96	बाबूला	2.11.95	
6.	95-96	गुनसारा	11.1.95	
7.	95-96	कुम्हेर	1.4.96	

क्र.सं.	वर्ष	गांव/स्थान का नाम	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की तिथि	विशेष विवरण
उपखण्ड – नगर				
1.	93-94	सुन्दीवली	2299/24.9.93	
2.	95-96	मानोताखुर्द	927/2.6.95	
3.	95-96	मानोताखुर्द	1032/15.6.95	
4.	95-96	जालुकी	1494/21.7.95	
5.	95-96	मोनोताकला	1578/26.7.95	
6.	95-96	मानोताखुर्द	2247/7.10.95	
7.	95-96	मोनाताखुर्द	2420/17.10.95	
उपखण्ड – कामा				
1.	93-94	तोताराम पुजारी की एल्टीलाइन	97.19.7.93	
2.	93-94	हरबन्सलाल अकाता की एलटीलाइन	120/15.8.93	
3.	93-94	तोताराम/बृजभूषण की एलटीलाइन	24/7-93ए 25/7-93	
4.	95-96	बरोदी दाउ	110-95 13.7.95	
5.	95-96	हरबन्सलाल अकाता एलटीलाईन	16.10.95	
6.	95-96	तोताराम कामा एलटीलाई	16.10.95	
7.	95-96	बादीपुर	21/96ए	8.3.96
8.	95-96	कामागुरेडा	1/96ए	9.1.96
उपखण्ड – वैर				
1.	93-94	छोकडवाडाखुर्द	62/24.8.93	एफ. आर/7.5.94
2.	93-94	निमली	950/	3.8.93
3.	93-94	वजेराकला	2145/6.10.93	एफ. आर/31.12.93
4.	93-94	वेर	2145/6.10.93	

(314)

क्र.सं.	वर्ष	गांव/स्थान का नाम	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की तिथि	विशेष विवरण
5.	93-94	रमईपुर	2266/12.10.93	एफ. आर/31.12.93
6.	93-94	हिगोटा	1511/	13.10.93
7.	93-94	भुसावर	1045/	21.10.93
8.	93-94	जटपुरा	3794/	12.11.93
9.	93-94	सलमपुरकला	1036/	16.10.93
10.	93-94	मईदपुर	1052/	2.11.93
11.	93-94	बोराली	1051/	8.12.93
12.	93-94	बचरेन	65/	7.3.94
13.	93-94	मालखेडा/सलमपुरखुर्द	1214/	12.3.94
14.	94-95	वेर	310/	15.4.94
15.	94-95	वेर	111/	15.4.94
16.	94-95	मालपुर	30/	29.4.94
17.	94-95	भगोरा	1112/	18.6.94
18.	94-95	नयावास	1113/	18.6.94
19.	94-95	गाटरी	103/	23.6.94
20.	94-95	खरवारा	3274/	6.10.94
21.	94-95	सलमपुरकला	250/	23.9
22.	94-95	सलमपुरकला	264/	6.10.94
23.	94-95	वेर	563/	18.3.95
24.	94-95	वेर	571/	24.3.95
25.	95-96	कोटापटी	623/	15.4.95
26.	95-96	भगेराकला	645/	29.4.95

Page No 315

वर्ष	गांव/स्थान का नाम	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की तिथि	विशेष विवरण
. 95-96	वेर	646/	2.5.95
. 95-96	वेर	652/	4.5.95
. 95-96	वेर	661/	16.5.95
. 95-96	कोटापटी वेर	663/	22.5.95
. 95-96	हिटान्डा	703/	19.6.95
2. 95-96	वेर	742/	11.7.95
3. 95-96	वेर	755/	19.7.95
4. 95-96	वाचरेन	942	24.7.95
5. 95-96	रामसुहासु	773	5.8.95
6. 95-96	चकदसोनी	775/	11.8.95
7. 95-96	चकदसोनी	619	14.8.95
8. 95-96	वेर	780/	16.8.95
9. 95-96	वेर	782/	22.8.95
10. 95-96	भुसावर-सलमपुरखुर्द	645/	8.9.95
1. 95-95	सुहास	916	3.10.95
2. 95-96	वेर	926/	17.10.95
3. 95-96	मजीराकला	1071/	18.2.96
4. 95-96	बडागांव	960/	8.11.95

खण्ड – ग्रामीण भरतपुर

1. 94-95	धोरमई	36/95	30.1.95
2. 94-95	बरसो	22/95	10.2.95
3. 94-95	मडरपुर	818/16	8.2.95

(316)

क्र.सं.	वर्ष	गांव/स्थान का नाम	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की तिथि	विशेष विव
4.	94-95	नोगाया	81/95	14.2.9
5.	94-95	धोरमई	835/16	23.2.9
6.	94-95	सातरूक	41/	6.3.9
7.	94-95	नोह	30/95	2.3.9
8.	94-95	धोरमई	41/	6.3.9
9.	94-95	झारोली	41/	6.3.9
10.	95-96	सुखावली	65	5.4.9
11.	"	चिकसाना	82/95	31.5.9
12.	"	वासी	149/95	24.6.9
13.	"	तुहीयां	141/95	19.9.9
14.	"	सिपिनी	230/	12.9.95
15.	"	चसोला	279/95	17.10.95
16.	"	मडरपुर	173/95	19.11.95
17.	"	बडाखुर	240/95	14.12.95
18.	"	सेनावली	179/95	19.10.95
19.	"	टोटपुर	170/95	19.10.95
20.	"	तुहीया	140/95	19.9.95
21.	"	थोरमई	175/95	24.11.95
22.	"	बडाखुर	242/95	22.12.95
23.	"	नोगायां	249/95	29.12.95
24.	"	जाटोली	56/96	1.3.96
25.	"	सुखावली	122/96	29.3.96

(317)

क्र.सं.	वर्ष	गांव/स्थान का नाम	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की तिथि	विशेष विवरण
-26.	"	बामनपुर	118/96	26.3.96
-27.	"	टेटपुर	54/96	19.3.96
28.	93-94	अलीमदासे अघापुर	687/	1.6.93
29.	"	झीलरा	807/	3.6.93
30.	"	श्रीनगर	960/	26.6.93
31.	"	घनोता	1733/	7.9.95
32.	"	जाटेरी	1896/	22.9.96
33.	"	इब्राहिमपुर	327/	93-9.12.93
34.	"	नोह	3450/	31.12.93
35.	"	दौलतपुरा	712/	12.1.94
36.	"	नगलापेमा	3900/	27.1.94
37.	"	रारह	12/	2.4.94
38.	94-95	पार	884/	4.6.94
39.	"	लुदावई से बगदारी	139	9.2.7.94
40.	"	कपरोली	2017/	26.10.94

(318)

परिशिष्ट-12

अतारांकित प्रश्न संख्या 298 का विवरण

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बीकानेर एवं लूणकरणसर तहसीलों में सघन विकास योजना के अन्तर्गत पशु चिकित्शलय के उपकेन्द्र एवं संस्थाओं के निर्मित भवनो सूची ।

क्र. सं.	नाम तहसील	उर्मूल डेयरी को सम्पलवाये गये भवन	इस विभाग के
1	2	3	4
1-	लूणकरणर	1-शेखसर	1-खारबारा (विभागीय पशु)
		2-सूई	2-शुभलाई (चिकित्सालय का
		3-गारबदेसर	3-महाजन (कार्यरत है)
		4-सूरनाणा	4-लूणकरणसर
		5-सहजरासर	5-जेतपुर (सरपंच के पास है)
		6-खारी	
		7-कजरी	
		8-खारड़ा	
		9- धीरेरा	
		10-रामबाग	
		11-बामनवाली	
		12-कमड़ासर	
		13-नाथवाना	
		14-जैसा	
		15-महादेववाली	
		16-सेतासर	
		17-राजासर	

क्र. सं.	नाम तहसील	उर्मूल डेयरी को सम्भलवाये गये भवन	इस विभाग के
2-	बीकानेर	1-खारा	1-देशनोक (विभागीय प. चि.)
		2-जामसर	
		3-शेरा	2-नाल (पुलिस विभाग के पास)
		4-नोरंगदेसर	3-मोतीगढ़ (वन विभाग के पास)
		5-मुड्सर	
		6-यजमलसर	
		7-लालभदेसर मगरा	
		8-हिम्तासर	
		9-कालासर	

परिशिष्ट-13

अतारांकित प्रश्नसंख्या 302 का विवरण

प्रदेश में सामूहिक कृषि सहकारी समितियों की जिलेवार समितियों, भूमि एवं सदस्यों विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	समितियों की सं.	कुल भूमि	सदस्य सं.
1.	बीकानेर	1	265 बीघा	
2.	चूरू	शून्य	शून्य	शून्य
3.	गंगानगर	6	2505 बीघा	198
4.	हनुमानगढ़	2	301 हैक्टेयर	54
5.	उदयपुर	1	736.08 "	344
6.	बांसवाड़ा	2	38.05 "	114
7.	राजसमन्द	2	11.14 "	38
8.	डूंगरपुर	1	44.05 "	34
9.	चित्तौड़गढ़	5	119.28 "	99
10.	भरतपुर	17	शून्य	215
11.	सवाईमाधोपुर	16	346 हैक्टेयर	128
12.	अलवर	9	159	235
13.	धौलपुर	शून्य	शून्य	शून्य
14.	कोटा	1	43 हैक्टेयर	28
15.	झालावाड़	2	67.17 हैक्टेयर	38
16.	बारां	शून्य	शून्य	शून्य
17.	बून्दी	शून्य	शून्य	शून्य
18.	जोधपुर	2	1700 बीघा	116
19.	बाड़मेर	2	168 हैक्टेयर	31
20.	जैसलमेर	2	शून्य	25

क्र.सं.	नाम जिला	समितियों की सं.	कुल भूमि	सदस्य सं.
21.	सिरोही	4	710 $\frac{1}{2}$ बीघा	91
22.	जालौर	5	894.84 हैक्टेयर	119
23.	पाली	51	3503.10	984
24.	अजमेर	12	131.07 एकड़	249
			3159.19 बीघा	
25.	टोंक	6	925.08 बीघा	105
26.	नागौर	3	116.31 हैक्टेयर	63
27.	भीलवाड़ा	6	255 –1/2 हैक्टेयर	121
28.	जयपुर	46	2117.73 "	793
29.	सीकर	1	143.14	19
30.	झुन्झुनूं	11	1076.01 बीघा	257
31.	दौसा	1	226.13 बीघा	17